20वीं
वार्षिक रिपोर्ट
2020-21

इन्द्रप्रस्थ पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड
(राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का उपक्रम)

Indraprastha Power Generation Company Limited
&
Pragati Power Corporation Limited

Our Vision

To make Delhi-Power Surplus

Our Mission

To maximize generation from available capacity

To plan & implement new generation capacity in Delhi

Competitive pricing of our own generation

To set ever so high standards of environment protection

To develop competent human resources from
managing the company with good standards

श्री शुरबीर सिंह, आईएएस
अध्यक्ष

निदेशक मंडल

(स्थगित एजीएम दिनांक 29.12.2023 की तिथि के अनुसार)

श्री रवि धवन, आईएएस
प्रबंध निदेशक एवं निदेशक (मानव संसाधन)

श्री नवीन एस.एल, आईएएस
निदेशक (वित्त)

श्री मुकेश कुमार शर्मा
निदेशक (तकनीकी)

श्री भृगु नाथ ओझा
निदेशक

सुश्री अंजलि राय
स्वतंत्र निदेशक

श्री तरूण बत्रा
स्वतंत्र निदेशक

विद्युत संयंत्र

(i) गैस टरबाईन पावर स्टेशन (जीटीपीएस)
रिंग रोड़, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली

(ii) राजघाट पावर हाउस (आरपीएच)
आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली

बैंकर्स

(i) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया

(ii) इलाहाबाद बैंक

पंजीकृत कार्यालय

"हिमाद्रि", राजघाट पावर हाउस कॉम्पलेक्स,
नई दिल्ली
वेबसाइट : iwww.ipgcl-ppcl.nic.in
CIN : U74899DL2001SGC109135

लेखापरीक्षक

(i) *वैधानिक लेखापरीक्षक :*
मैसर्स ए.ए.जे.वी. एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट

(ii) *आंतरिक लेखापरीक्षक :*
मैसर्स रवि राजन एंड कंपनी एलएलपी
चार्टर्ड अकाउंटेंट

(iii) *लागत लेखापरीक्षक :*
मैसर्स चंद्रा वाधवा एंड कंपनी
लागत अकाउंटेंट

(iv) *सचिवीय लेखापरीक्षक :*
मैसर्स स्वर्ण जैन एंड एसोसिएट्स
प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव

विषय सूचि

विवरण	*Page No.*
निदेशक मण्डल	1
निदेशकों की रिपोर्ट	3-51
स्वतंत्र लेखापरीक्षकों का स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की रिपोर्ट	52-63
स्टैंडअलोन तुलन पत्र	64-65
स्टैंडअलोन लाभ व हानि विवरण	66-67
स्टैंडअलोन रोकड़ प्रवाह विवरण	68-70
स्टैंडअलोन इक्विटी परिवर्तन का विवरण	71-72
स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ	73-124
स्वतंत्र लेखापरीक्षकों का समेतिक वित्तीय विवरणों की रिपोर्ट	125-137
समेकित तुलन पत्र	138-139
समेकित लाभ व हानि विवरण	140-141
समेकित रोकड़ प्रवाह विवरण	142-144
समेकित इक्विटी परिवर्तन का विवरण	145-146
समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ	147-200

इन्द्रप्रस्थ पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड

(राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का उपक्रम)

(पंजीकृत कार्यालय : हिमाद्री, राजघाट पावर हाउस परिसर, नई दिल्ली – 110002)

कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन) – यू40103डीएल2001एसजीसी111530

टेलीफोन एवं फैक्स नंबर : 011–23273565, वेबसाइट : www.ipgcl-ppcl.gov.in

निदेशक मंडल की रिपोर्ट

सदस्यगण,

आपके निदेशक, निदेशक मंडल की ओर से, आपके सम्मुख 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के व्यवसाय एवं परिचालनों से संबंधित समेकित एवं स्टैंडएलोन लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों तथा उससे संबंधित लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट सहित अपनी 20वीं वार्षिक रिपोर्ट की सहर्ष प्रस्तुति कर रहे हैं।

1. निष्पादनः

वित्तीय निष्पादनः

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय कार्यनिष्पादन का सार निम्नानुसार हैः–

(आंकड़े रुपए करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष2020–21	वित्तीय वर्ष 2019–20
राजस्व		
परिचालनों से राजस्व	275.65	570.53
अन्य आय	195.37	136.01
कुल राजस्व	**471.02**	**706.54**
व्यय		
ईंधन खपत की लागत	146.51	239.08
कर्मचारी हितलाभ व्यय	53.95	100.58
वित्त लागतें	48.84	76.10
मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय	22.60	19.80
अन्य व्यय	44.49	50.46
कुल व्यय	**316.39**	**486.02**
कर एवं विनियामक आस्थगित खाता शेष पूर्व लाभ/(हानि)	**154.63**	**220.52**
घटाएंः कर व्यय		
चालू कर	38.05	22.74
आस्थगित कर क्रेडिट	(2.65)	6.85
पूर्व वर्षों के कर	(7.25)	-
वर्ष के दौरान कर उपरांत निवल लाभ	**126.48**	**190.93**
अन्य व्यापक आय	**(1.26)**	**(0.22)**
वर्ष के दौरान कुल व्यापक आय	**125.22**	**190.71**

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, कंपनी का परिचालनों से प्राप्त राजस्व पिछले वर्ष के दौरान 570.53 करोड़ रूपए की तुलना में 275.65 करोड़ रुपए था। अन्य आय पिछले वर्ष 190.71 करोड़ रूपए की तुलना में 125.22 करोड़ रूपए है। मैसर्स एपीसीपीएल से 175 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 73.41 करोड़ रूपए) का लाभांश प्राप्त हुआ है।

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, 31.10.2021 की स्थिति के अनुसार कम्पनी के निम्नलिखित देनदारों से बकाया प्राप्य (डिस्कॉम द्वारा स्रोत पर कर कटौती के प्रति लेखांकित विलंब प्रभार सहित) हैः–

लाभग्राही	(रूपए करोड़ में)
बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड (बीआरपीएल)	868.69
बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड (बीवाईपीएल)	516.68
टीपीडीडीएल	-10.74*
नई दिल्ली नगर पालिका	65.99
अन्य	38.63
योग	1479.25

+ वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान धनवापसी की गई अनुदान सहायता के पथांतरण के कारण।

परिचालनात्मक निष्पादनः

वर्ष के दौरान जीटीपीएस संयंत्र का परिचालनात्मक ब्यौरा निम्नानुसार हैः

विवरण	गैस टर्बाइन पावर स्टेशन
क्षमता (मेगावाट)	270
सकल उत्पति (मिलियन यूनिट)	458.52
उपलब्धता (प्रतिशत)	87.21

गैस टर्बाइन पावर स्टेशन (जीटीपीएस)

कम्पनी का केवल एक ही संयंत्र यथा 'गैस टर्बाइन पावर स्टेशन (जीटीपीएस)' परिचालनात्मक है जिसमें मैसर्स अलस्टॉम द्वारा वर्ष 1985–86 में प्रारंभ किए गए 30 मेगावाट क्षमता प्रत्येक के 06 गैस टर्बाइन तथा मैसर्स बीएचईएल द्वारा 1995–96 में प्रारंभ किए गए 34 मेगावाट (30 मेगावाट से कम) क्षमता के 03 स्टीम टर्बाइन जनरेटर हैं। संयंत्र का 25 वर्ष का उपयोज्यता काल 31.03.2021 को पूरा हो गया है। वर्तमान में, जीटीपीएस के पास डीईआरसी के दिनांक 24.03.2021 के आर्डर के अंतर्गत 90 मेगावाट का सक्रिय पावर जनरेशन का सौंपा गया कार्य है।

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, स्टेशन की उपलब्धता पिछले वर्ष 86.46 प्रतिशत की तुलना में 87.21 प्रतिशत है। जीटीपीएस द्वारा विचाराधीन अवधि के दौरान मानक वार्षिक संयंत्र उपलब्धता लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। तथापि, सिस्टम मांग में कमी के कारण एसएलडीसी द्वारा संबल न्यून किए जाने से पीएलएफ उपलब्धता से भी कम रहा है।

राजघाट पावर हाउस (आरपीएच)

राजघाट पावर हाउस मई, 2015 से परिचालनात्मक नहीं है तथा दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) ने दिनांक 22 मार्च, 2016 के पत्र के माध्यम से, राजघाट पावर हाउस द्वारा 50 एमजी/एनएम 3 के मानकों को पूरा न कर पाने के कारण, इसे बंद रखने के निदेश जारी किए गए थे। बिजली विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने अपने पत्र दिनांक 25 जुलाई, 2019 के पत्र के माध्यम से राजघाट पावर हाउस को बंद करने की मंत्रिमंडल की अनुमति सूचित कर दी है और संयंत्र के निपटान के लिए इन्द्रप्रस्थ पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए प्राधिकृत किया है। संयंत्र के निपटान की प्रक्रिया की जा रही है।

2. मरम्मत व अनुरक्षण संबंधी गतिविधियांः

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान स्टेशन की विश्वसनीयता एवं इसे परिचालन कुशल बनाए रखने के लिए मरम्मत और अनुरक्षण संबंधी निम्नलिखित कार्य किए गए थेः

गैस टर्बाइन पावर स्टेशन (जीटीपीएस)

मार्च, 2021 में पीपीए कालातीत होने के कारण स्टेशन पर किसी प्रकार के प्रमुख मरम्मत एवं अनुरक्षण के कार्य नहीं किए गए थे। इसके अलावा, जीटीपीएस के पीपीए का अगले 10 वर्षों के लिए विस्तार किए जाने की प्रक्रिया की जा रही है।

राजघाट पावर हाउस (आरपीएच)

दिसम्बर, 2015 से संयंत्र पर कोई परिचालन न होने के कारण प्रमुख मरम्मत एवं अनुरक्षण गतिविधियां नहीं की गई हैं।

3. भविष्य के लिए संभावनाएंः

गैस टर्बाइन पावर स्टेशन (जीटीपीएस)

दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग द्वारा अपने दिनांक 24.03.2021 के आदेश के माध्यम से मार्च, 2021 से अगले 10 वर्ष के लिए जीटीपीएस के उपयोज्यता काल में 10 वर्ष का विस्तार करने का ''सैद्धांतिक अनुमोदन'' प्रदान कर दिया है। दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग द्वारा निम्नलिखित संयोजन के साथ नवीकरण एवं आधुनिकीकरण की अनुमति भी प्रदान की गई हैः

- पूंजीगत व्यय के माध्यम से निधियन द्वारा 1 माड्यूल (2 गैस टर्बाइन – जीटीएस +1 स्टीम टर्बाइन जनरेटर – एसटीजी) 31.03.2021 से आगे की 10 वर्ष की अवधि के लिए, अपेक्षित पुनःसंयोजन के पश्चात (आरएलएनजी नहीं) 90 एमडब्ल्यू (सीसी में भार क्षमता आधार पर) क्षमता के साथ तथा इसका वित्त पोषण 90.81 करोड़ रूपए (करों सहित) के माध्यम से किया जाना है।

- 120 एमडब्ल्यू मेगावाट की क्षमता के 4 जीटी सिंक्रोनियस कंडेंसर मॉड में सिंक्रोनियस परिचालन पुनः संयोजन के साथ कार्य करेंगे। इस पुनःसंयोजन के लिए अपेक्षित 120 करोड़ रूपए (कर सहित) की पूंजी का वित्त पोषण पावर सिस्टम डेवलपमेंट फंड (पीएसडीएफ) में से किया जाएगा।

तथापि, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा जारी दिशनिर्देशों के अनुसरण में गेल द्वारा दिनांक 6.6.2021 से घरेलू गैस जीटीपीएस की आपूर्ति शून्य कर दी गई है तथा दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग के दिनांक 24.03.2021 के आदेश के अनुसरण में जीटीपीएस को केवल घरेलू गैस के लिए ही परिचालनात्मक किया जा सकता है। इस प्रकार घरेलू गैस की उपलब्धता न होने के कारण से जीटीपीएस दिनांक 16.06.2021 सें 08.10.2021 की अवधि में, दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग द्वारा दिनांक 9.10.2021 को किसी भी वैकल्पिक ईंधन के लिए परिचालन करने के संबंध में जारी आदेशों तक, परिचालनात्मक नहीं था। इंद्रप्रस्थ पावर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड के निदेशक मंडल को भी दिनांक 8.08.2021 को आयोजित बैठक में दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग के दिनांक 24.03.2021 के आदेश के बारे में सूचित किया गया था।

दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग द्वारा इंद्रप्रस्थ पावर जनरेशन निगम लिमिटेड द्वारा डिस्कॉम्स के साथ अपने विद्यमान बिजली क्रय करार की समाप्ति से अगले 10 वर्षों के लिए जीटीपीएस का विस्तार किए जाने की याचिका के प्रति आदेश जारी किए गए हैं। दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग के दिनांक 4.03.2021 के आदेश की प्रस्तुति जीटीपीएस द्वारा अपने निदेशक मंडल के सम्मुख की गई थी तथा निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 28.08.2021 को आयोजित अपने बैठक में निम्नानुसार संकल्प संख्या 102.2.10 पारित किया गया था।

''आगामी वर्षों में जीटीपीएस स्टेशन को परिचालनात्मक बनाने पर विचार के लिए, क्योंकि इसमें अत्यधिक निधियां निहित हैं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के सम्मुख प्रस्ताव की प्रस्तुति की जाएगी।''

माननीय बिजली मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के सम्मुख दिनांक 5.10.2021 को कुछ विकल्पों के साथ एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था जिससे कि जीटीपीएस को परिचालनात्मक बनाया जा सके तथा मार्च, 2021 के पश्चात से इसके रणनीतिक महत्व को बनाए रखा जा सके।

विभिन्न विकल्पों पर लम्बे विचार विमर्श के पश्चात बिजली मंत्री, रा.रा.क्षे.दि.सरकार के विशेष कार्य अधिकारी द्वारा जारी बैठक के कार्यवृत्त के अनुसार निम्नलिखित निर्णय लिए गए थेः–

- किसी प्रकार के कोई अन्य पूंजी व्यय के बिना हॉफ माड्यूल (एक जीटी तथा एक एसटीजी) उपलब्ध करवाया जाए। मशीन उपलब्ध रहनी चाहिए तथा अपेक्षा होने पर यह आपात्त स्थिति में भी चलनी चाहिए। इसके लिए अपेक्षित विनियामक अनुमोदन प्राप्त किया जाना है।

- आईपीजीसीएल द्वारा 2X25 मेगावाट अथवा अन्य समान क्षमता की बैटरी एनर्जी स्टोरेज प्रणाली की स्थापना की संभावना ज्ञात की जाएगी।

इसी दौरान, दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग द्वारा अपने दिनांक 9.10.2021 के अंतरित आदेश के माध्यम से जीटीपीएस को अपनी 270 मेगावाट क्षमता घोषित करने की अनुमति प्रदान कर दी गई थी। इसके अलावा, दिनांक 21.10.2021 को पुनरीक्षा याचिका की सुनवाई के दौरान दिल्ली विद्युत विनियामक आदेश द्वारा आगामी आदेशों तक के लिए उपलब्ध गैस अथवा अन्य किसी वैकल्पिक ईंधन पर प्रशासित

मूल्य तंत्रव्यवस्था (एपीएम) के संबंध में 90 मेगावाट जीटीपीएस की उपलब्धता घोषित करने का अंतरिम आदेश जारी किया गया था। तब से जीटीपीएस प्रणाली की मांग के अनुरूप परिचालनात्मक है तथा आरएलएनजी पर 90 मेगावाट की क्षमता घोषित की जा रही है।

राजघाट पावर हाउस (आरपीएच)

बिजली विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार ने अपने पत्र दिनांक 25 जुलाई, 2019 के माध्यम से राजघाट पावर हाउस को बंद करने के संबंध में मंत्रिमंडल का अनुमोदन सूचित किया है। संयंत्र के निपटान से संबंधित आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

4 नई परियोजनाएं :

नवीकरणीय ऊर्जा आधारित परियोजनाएं

इन्द्रप्रस्थ पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड और प्रगति पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड भी सौर पीवी पावर पर प्रमुख जोर देने के साथ नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा दे रहे हैं और उनका उपयोग कर रहे हैं। आईपीजीसीएल को दिल्ली राज्य के ऊर्जा दक्षता और नवीकरणीय ऊर्जा प्रबंधन (ईई एंड आरईएम) केंद्र की ओर से नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की कार्यान्वयन एजेंसी/निष्पादन एजेंसी के रूप में कार्य करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है।

इन्द्रप्रस्थ पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड ने पूंजी व्यय तथा आरईएससीओ मॉडल के अंतर्गत नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम स्वीकृति प्राप्त करके दिल्ली के सरकारी भवनों, आवासीय, सामाजिक तथा संस्थानिक क्षेत्र के भवनों की छतों पर 55.877 मेगावाट पी सौर पीवी परियोजनाएं शुरू की है।

5. मूल्यसूची निर्धारण :

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, कम्पनी द्वारा दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग के सम्मुख निम्नलिखित याचिकाएं प्रस्तुत की गई हैं तथा उनसे संबंधित आदेश निम्नानुसार जारी हुए हैं :–

इंद्रप्रस्थ पावर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड द्वारा दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग में दायर की गई याचिका के संबंध में दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग द्वारा दिनांक 26.12.2019 को जीटीपीएस के लिए 28.08.2020 को मूल्यसूची आदेश जारी किया गया है, जिसमें दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग ने वित्त वर्ष 2018–19 के लिए मूल्यसूची को ट्रूअप किया है तथा वित्त वर्ष 2020–21 के लिए जीटीपीएस के बकाया भी निर्धारित किए हैं।

जीटीपीएस का बिजली क्रय करार मार्च 2021 में समाप्त हो गया था तथा मार्च 2021 के बाद जीटीपीएस के परिचालन वीवीआईपी क्षेत्रों में रेडियल फीडिंग, ब्लैक स्टार्ट क्षमता, न्यूनतम पुनः संयोजन के साथ सिंक्रोनस कैपेसिटर मोड ऑपरेशन के रणनीतिक महत्व के कारण महत्वपूर्ण है। इसलिए, दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग मूल्यसूची विनियमन 2017 के मौजूदा प्रावधान के अंतर्गत इंद्रप्रस्थ पावर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड ने 2020 की याचिका संख्या 35 के माध्यम से मार्च, 2021 से आगे 10 वर्षों के लिए पुनः संयोजन तथा परिचालन के लिए दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग के सम्मुख अगस्त 2020 में याचिका दायर की गई थी।

दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग ने दिनांक 24.03.2021 के आदेश के माध्यम से मार्च 2021 से आगे के 10 वर्षों के लिए जीटीपीएस के कालावधि विस्तार के संबंध में 'सैद्धांतिक' मंजूरी दे दी है। दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग द्वारा निम्नलिखित विन्यास के साथ नवीनीकरण और आधुनिकीकरण की भी अनुमति दी गई है।

- 1 मॉड्यूल (2 जीटीएस + 1 एसटीजी) 90 मेगावाट (केवल घरेलू गैस पर बेस लोड क्षमता (सीसी) (आरएलएनजी नहीं) पूंजी व्यय द्वारा वित्त पोषण
- 120 मेगावाट (सिंक्रोनस मोड ऑपरेशन में 4 जीटी) का वित्त पोषण दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग के प्रावधानों के अधीन पीएसडीएफ के माध्यम से किया जाएगा।

तथापि, राज्य आयोग ने कुछ तथ्यों की अनदेखी की है तथा इसे विचार में लेकर दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग के सम्मुख एक समीक्षा याचिका दायर की गई है।

वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए मूल्यसूची को ट्रूअप करने तथा तथा जीटीपीएस के वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए मूल्यसूची के निर्धारण से संबंधित इंद्रप्रस्थ पावर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड द्वारा 19.01.2021 को दायर की गई याचिका के प्रति दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग द्वारा

30.09.2021 को मूल्यसूची आदेश जारी किया गया था, जिसमें वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए ट्रूअप तथा वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए मूल्यसूची निर्धारित की गई थी।

6. संयुक्त उद्यम/संबद्ध कंपनियां:

अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (एपीसीपीएल)

अरावली पावर जनरेशन कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड एक संयुक्त उद्यम कम्पनी है जिसमें एनटीपीसी, इंद्रप्रस्थ पावर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड (आईपीजीसीएल) तथा हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीजीसीएल) की 50:25:25 के क्रमशः अनुपात में इक्विटी भागीदारी है। अरावली पावर जनरेशन कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड का पंजीकरण दिनांक 21 दिसम्बर, 2006 को हुआ था। यह अप्रैल 2013 से जिला झज्जर, हरियाणा में 3X500 मेगावाट क्षमता के 1500 मेगावाट के इंदिरा गांधी सुपर पावर थर्मल संयंत्र (आईजीएसटीपीपी) के साथ पूर्णतः कार्यात्मक है। इस स्टेशन से उत्पन्न बिजली दिल्ली और हरियाणा में बराबर वितरित की जाती है। इन्द्रप्रस्थ पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड द्वारा 31.03.2015 तक इसमें 634.75 करोड़ रुपए का इक्विटी अंशदान किया गया है। तथापि, अरावली पावर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड द्वारा आरसीई के आधार पर आईपीजीसीएल के कुल इक्विटी अंशदान के प्रति वित्तीय वर्ष 2015–16 से 2017–18 की 81.75 करोड़ रूपए की लाभांश की राशि इसमें समायोजित की गई है। इस प्रकार, वर्तमान में एपीसीपीएल में आईपीजीसीएल का इक्विटी अंशदान 716.50 करोड़ रूपए है। इसके अलावा, एपपीसीपीएल द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–21 तक के लिए (वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए 175 करोड़ रूपए) 352.48 करोड़ रूपए का नकद लाभांश भी चुकता किया गया है। संयंत्र का उपलब्धता गुणक तथा संयंत्र भार गुणक वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए क्रमशः 98.51 प्रतिशत तथा 27.81 प्रतिशत था।

7. उन कंपनियों के नाम, जो वर्ष के दौरान सहायक, संयुक्त उद्यम अथवा संबद्ध कम्पनियां बनी हैं /जो अब सहायक, संयुक्त उद्यम अथवा संबद्ध कम्पनियां नहीं रही हैं:

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, कंपनी की कोई सहायक कंपनी नहीं थी। विचाराधीन वर्ष के दौरान, किसी संयुक्त उद्यम/सहायक कंपनी के साथ संबंध स्थापित नहीं किए गए हैं। वित्त वर्ष 2020–21 के अंत में कंपनी की 25 प्रतिशत इक्विटी प्रतिभागिता के साथ केवल एक संयुक्त/सहायक कंपनी यथा अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है।

8. पर्यावरण :

वैश्विक महामारी तथा कोविड प्रोटोकोल्स के कारण वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन नहीं किया गया था।

9. सुरक्षा :

कंपनी द्वारा दिनांक 4 से 10 मार्च, 2021 के दौरान वर्चुअल स्वरूप में 50वें राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया था। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 2021 का थीम "आपदा से सीख एवं सुरक्षित भविष्य के लिए तैयारी" था। इस अवसर पर प्रत्येक के द्वारा सुरक्षा एवं स्वास्थ्य से संबंधित शपथ ग्रहण की गई थी। कंपनी के सभी स्टेशनों पर राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद द्वारा प्रकाशित सुरक्षा दिवस जागरूकता सामग्री का वितरण किया गया था।

10. मानव संसाधन प्रयास :

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण और सद्भावपूर्ण रहे। आपकी कंपनी द्वारा व्यापक चिकित्सा देखभाल, आवास और सामाजिक सुरक्षा जैसे कार्यों के माध्यम से कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए अनेकों कल्याणकारी लाभ जारी रखे गए हैं।

कंपनी द्वारा 27 अक्टूबर से 02 नवंबर, 2020 की अवधि के दौरान सतर्कता जागरूकता सप्ताह–2020 मनाया गया था।

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान 93 आरटीआई आवेदन प्राप्त हुए थे तथा सभी 93 आवेदनों का निपटान कर दिया गया था।

वर्ष के दौरान प्रमुख मानव संसाधन पहलः–

- श्रेणी क के 17 कर्मचारियों की पदोन्नति की गई;
- श्रेणी ख, ग तथा घ के 68 कर्मचारियों को पदोन्नत किया गया;
- श्रेणी ग तथा घ में 82 कर्मचारियों को टीबीपीएस प्रदान किया गया;

- डीओटी, यूटीसीएस, रा.रा.क्षे.दिल्ली सरकार के माध्यम से हमारे संगठनात्मक कार्य से संबंधित विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण आयोजित किए गए;
- इंद्रप्रस्थ पावर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड/प्रगति पावर कॉर्पोशन लिमिटेड के विभिन्न विंगों में छात्रों (संख्या 11) के लिए ग्रीष्मकालीन/शीतकालीन/औद्योगिक प्रशिक्षण आयोजित किए गए;
- वित्त विभाग में 3 माह की अवधि के लिए एक परामर्शदाता की सेवाएं प्राप्त की गई;
- इंद्रप्रस्थ पावर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड/प्रगति पावर कॉर्पोशन लिमिटेड के कर्मचारियों (70 कर्मचारी) के लिए प्राथमिक चिकित्सा/सीपीआर के अनुकूलित प्रशिक्षण आयोजित किया गया;
- परिवीक्षाधीन 16 डैनिक्सो (58वां बैच) को विद्युत विभाग के साथ सम्बद्ध किया गया।
- कार्यस्थल पर महिलाओं के प्रति यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध तथा प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देश 22.10.2021 को परिपत्र जारी किया गया।
- इंद्रप्रस्थ पावर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड/प्रगति पावर कॉर्पोशन लिमिटेड के कर्मचारियों के लिए चिकित्सा नीति में संशोधन और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार/दिल्ली सरकार कर्मचारी स्वास्थ्य योजना के अनुरूप सभी कंपनियों के लिए समान अस्पताल पैनल समिति का गठन किया गया;
- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार तथा 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) द्वारा विधिवत अनुमोदित वेतन संशोधन समिति की अनुशंसा के अनुसार इंद्रप्रस्थ पावर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड तथा प्रगति पावर कॉर्पोशन लिमिटेड के लिए संशोधित वेतन संरचना का कार्यान्वयन;
- कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप ओवरटाइम की दरों में संशोधन किया गया तथा हॉलिडे वेतन के प्रति प्रतिपूरक विश्राम समाप्त कर दिया गया है।

11. महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत प्रकटीकरण:

कंपनी में महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के अनुरूप कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष के लिए नीति लागू है। तदनुसार, यौन उत्पीड़न के संबंध में प्राप्त होने वाली शिकायतों का निवारण करने के लिए एक आंतरिक शिकायत समिति का पहले ही गठन किया जा चुका है। समिति के पीठासीन अधिकारी एवं प्रत्येक सदस्य को निर्दिष्ट तिथि से 3 वर्ष से अधिक अवधि के लिए समिति में शामिल किया जाता है। इस अधिनियम के अंतर्गत कंपनी प्रत्येक रिकार्ड, अनुपालन एवं संबंधित उत्तरों इत्यादि का अनुरक्षण कर रही है। लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम के लिए उपयुक्त रिपोर्टिंग तंत्र मौजूद हैं।

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, यौन उत्पीड़न की कोई नई शिकायत प्राप्त नहीं की गई थी। तथापि, वर्ष के अंत में पूर्व वर्षों में प्राप्त शिकायतों में से **दो शिकायतें लंबित हैं** और उपर्युक्त अधिनियम के अनुसरण में किसी शिकायत का निपटान नहीं किया गया।

12. रिजर्व :

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान किसी राशि का अंतरण रिजर्व में किया जाना प्रस्तावित नहीं है।

13. लाभांश :

कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 20 जुलाई, 2022 को आयोजित अपनी बैठक में 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए 20 करोड़ रूपए (केवल बीस करोड़ रूपए) के लाभांश की अनुशंसा की थी, जो कि निदेशक मंडल द्वारा कम्पनी के वित्तीय वर्ष 2020–21 के वार्षिक लेखों का अनुमोदन किए जाने तथा वित्तीय वर्ष 2020–21 की स्थगित 20वीं वार्षिक आम सभा में सदस्यों से अनुमोदन प्राप्ति की शर्त पर है।

14. सावधी जमा :

विचाराधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय–5 के अंतर्गत कोई जमा स्वीकार नहीं किए हैं।

15. आंतरिक वित्तीय नियंत्रण :

कंपनी ने सुदृढ़ द्विस्तरीय आंतरिक नियंत्रण तंत्रव्यवस्था विकसित की है, जिसमें इकाई स्तर के नियंत्रण और प्रक्रिया स्तर के नियंत्रण शामिल हैं। कंपनी के इकाई स्तर के नियंत्रणों में सतर्कता तंत्र नीति, कड़ी प्रबंधन समीक्षा, एमआईएस और आंतरिक लेखापरीक्षा तंत्र, जैसे घटक शामिल हैं। सुचारू एवं त्वरित निर्णय निर्धारण के लिए शक्तियों के प्रत्यायोजन का व्यापक मैनुअल उपलब्ध है। कंपनी की नीतियों और प्रक्रियाओं का यथोचित अनुपालन सुनिश्चित करने, परिचालनों की कार्यक्षमता और धोखाधड़ी के जोखिम को कम करने के लिए उपयुक्त नियंत्रण और संतुलनों के कार्यान्वयन द्वारा प्रक्रिया स्तर के नियंत्रण सुनिश्चित किए गए हैं। सभी नियंत्रण और संतुलन बनाए जाने और सभी आंतरिक नियंत्रण प्रणालियां दुरूस्त होने के सुनिश्चय के लिए अनुभवी सनदी लेखाकार फर्म द्वारा नियमित और व्यापक आंतरिक लेखापरीक्षाएं की जाती हैं।

कंपनी के निदेशक मंडल की दो समितियां –यथा आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों के अनुपालन की निगरानी के लिए लेखापरीक्षा समिति और परिचालन संबंधी कार्यकुशलता के पर्यवेक्षण के लिए परिचालन निष्पादन समिति हैं। जिस गत्यात्मक वातावरण में कंपनी कार्य कर रही है, उसे देखते हुए जहां कही भी अपेक्षित होता है, प्रणालियों और प्रक्रियाओं का और अधिक मानकीकरण करके तथा प्रकिया परिवर्तनों, जहां अपेक्षित हो, के माध्यम से आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को और सुदृढ़ बनाने के लिए कार्रवाई की जाती है। प्रबंधन के साथ ही साथ लेखापरीक्षा समिति द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा के परिणामों का पर्यवेक्षण किया जाता है और कार्यान्वयन की नियमित आधार पर समीक्षा की जाती है। प्रबंधन द्वारा नियमित पर्यवेक्षण किए जाने से कंपनी में आंतरिक नियंत्रण का परिवेश सुदृढ़ होता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता:

कंपनी ने वित्तीय नियंत्रण के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किए हैं। वर्ष के दौरान, ऐसे नियंत्रणों का परीक्षण किया गया और डिजाइन या परिचालन में कोई उल्लेखनीय वस्तुगत कमी नहीं देखी गई है।

16. जोखिम प्रबंधन नीति :

कंपनी में जोखिम प्रबंधन व्यवस्था स्थापित है। कंपनी के जोखिम प्रबंधन की प्रक्रियाओं और पद्धतियों में जोखिम की पहचान, वर्गीकरण एवं मूल्यांकन करना शामिल है। कंपनी द्वारा उन सभी रणनीतिक, परिचालनात्मक एवं वित्तीय जोखिमों का अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक, दोनों, का संज्ञान आंतरिक एवं बाहय रूप से उपलब्ध सूचना एवं अद्यतित रूझान के अनुसार जोखिम सूचना के आधार पर किया जाता है तथा उसका उपयोग जोखिम निवारण क्रियाकलापों के लिए किया जाता है। कंपनी के सम्मुख प्रस्तुत प्रमुख जोखिमों का वर्गीकरण निम्नानुसार किया गया है :–

- ईंधन की अपर्याप्त आपूर्ति एवं इनके मूल्य।
- पर्याप्त अनुसूची प्राप्त न होने का जोखिम।
- डिस्कॉम्स से बकायों का भुगतान प्राप्त न होने का जोखिम।
- विनियामक मूल्यसूची मानदंडों में अनिश्चितता का जोखिम।
- उत्सर्जन और विनियामक मापदंडों का अनुपालन।
- संयंत्र परिचालनों को कार्यक्षम बनाए रखना।

लेखापरीक्षा समिति, कंपनी में पूरे जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क की देखरेख करती है। लेखापरीक्षा समिति ने कंपनी द्वारा जोखिम प्रबंधन नीति एवं प्रक्रिया के संबंध में किए गए प्रयासों और साथ ही सम्मुख व्याप्त जोखिमों और लागू की गई तदनुरूपी जोखिम न्यूनीकरण योजनाओं की समीक्षा की जाती है।

17. सांविधिक लेखापरीक्षक :

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी एवं एजी) द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–21 तथा 2021–22 के लिए मैसर्स एएजेवी एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउंटेंट की नियुक्ति सांविधिक लेखापरीक्षकों के रूप में की गई थी तथा उन्होंने वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए लेखापरीक्षण किया है।

18. सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर प्रबंधन की टिप्पणियां :

सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में अर्हता/प्रेक्षण के संबंध में प्रबंधन द्वारा की गई टिप्पणियां **अनुलग्नक – 1** में संलग्न हैं।

19. सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की गई टिप्पणियां :

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ख) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 के संबंध में कंपनी के वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा की गई टिप्पणियां एवं उनके प्रति प्रबंधन के उत्तर रिपोर्ट के **अनुलग्नक – 2** में प्रस्तुत हैं।

20. लागत लेखापरीक्षा :

कंपनी द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 (1) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा विहित लागत खातों और रिकॉडों का निर्माण एवं अनुरक्षण किया गया है। वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए लागत लेखांकन रिकॉर्डो की लेखापरीक्षा हेतु मैसर्स चंद्रा वाधवा एण्ड कंपनी, लागत लेखाकार को नियुक्त किया गया था । उक्त वित्तीय वर्ष के लिए लागत रिकार्डों का लेखापरीक्षण लागत लेखापरीक्षकों द्वारा पूरा कर लिया गया है।

वित्तीय वर्ष 2019–20 से संबंधित कंपनी लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट एक्सबीआरएल फॉरमेट में केन्द्र सरकार को 22 जनवरी, 2021 को केन्द्र सरकार को प्रस्तुत की गई थी। कम्पनी के निदेशक मंडल की दिनांक 29 मार्च, 2023 को आयोजित बैठक में वित्तीय वर्ष 2020–21 से संबंधित कम्पनी की लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुलग्नक अनुमोदित कर दिए गए थे।

21. सचिवीय लेखापरीक्षा:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 के उपबंधों और कंपनी (प्रबंधकीय कर्मियों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के अनुपालन में कंपनी द्वारा मैसर्स स्वर्ण जैन एंड एसोसिएट्स, प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव को वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए कंपनी की सचिवीय लेखापरीक्षा के लिए नियुक्त किया गया है। सचिवीय लेखापरीक्षक से प्राप्त लेखापरीक्षा रिपोर्ट और उससे संबंधित प्रबंधन की टिप्पणियां इस रिपोर्ट में **अनुलग्नक–3** में दी गई है।

22. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अंतर्गत ऋणों, गारंटी अथवा निवेशों का विवरण:

कंपनी ने वर्ष के दौरान, ऐसा कोई ऋण या गारंटी प्रदान नहीं की है और न ही कोई ऐसा निवेश किया है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के दायरे में आता हो।

23. धारा 188(1) में निर्दिष्ट संबद्ध पार्टियों के साथ संविदा अथवा समझौतों का विवरण:

निदेशक मंडल, वित्तीय विवरण की टिप्पणी संख्या 46 की ओर सदस्यों का ध्यान आकर्षित करते हैं जिसमें भारतीय लेखांकन मानक के अनुसरण में संबद्ध पार्टी प्रकटीकरण दिया गया है। उसमें प्रकटीकरण किए गए व्यवसाय संव्यवहार के सामान्य अनुक्रम में और निष्पक्ष रीति से किए गए थे। वित्तीय विवरणों में किए गए प्रकटीकरण के अलावा कंपनी और इसके निदेशकों, प्रबंधन, सहायक कंपनियों या सगे–संबंधियों के बीच कोई सारभूत् संबद्ध पार्टी लेन–देन नहीं किया गया है ।

तदनुसार, धारा 188 (1) में निर्दिष्ट संबद्ध पार्टियों के साथ संविदाओं या समझौतों के विवरण और ऐसी संविदाओं व समझौतों करने का औचित्य इत्यादि का विवरण फार्म एओसी–2 में प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित नहीं है।

24. सहायक कंपनी/संयुक्त उद्यम कंपनी का निष्पादन :

कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम (5) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(3) के अनुसरण में, संयुक्त उद्यमों/सम्बद्ध कंपनियों (यथा अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड) के वित्तीय विवरण से संबंधित प्रमुख जानकारी **अनुलग्नक–4** में प्रस्तुत समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल हैं तथा इस रिपोर्ट का भाग हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों के अनुसार पिछले वर्ष के दौरान 141.76 करोड़ रूपए का कम्पनी का कर पश्चात लाभ तुलनात्मक रूप से वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान 265.86 करोड़ रूपए हो गया है।

25. सहायक कंपनियों की वार्षिक रिपोर्ट और समेकित वित्तीय विवरण:

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष से संबंधित कंपनी तथा इसके संयुक्त उद्यम/संबद्ध कंपनियों के लेखापरीक्षित समेकित वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 तथा ''समेकित वित्तीय विवरणों'' के संबंध में भारतीय लेखांकन मानक (इंड–एएस) 110 के अनुसार वार्षिक रिपोर्ट का भाग हैं।

26. निदेशक मंडल की बैठकों की संख्या :

कॉर्पोरेट शासन की रिपोर्ट इस रिपोर्ट के **अनुलग्नक – 5** में प्रस्तुत है। निदेशक मंडल की बैठकों से संबंधित विवरण कॉर्पोरेट शासन की रिपोर्ट में दिया गया है।

27. निदेशकों की नियुक्ति संबंधी नीतिः

सरकारी कंपनी होने के नाते कम्पनी के निदेशक मंडल में निदेशकों की नियुक्ति की शक्तियां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को प्राप्त हैं। इसके अलावा, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 05 जून, 2015 की अधिसूचना के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(ड.) के प्रावधान निदेशकों की अर्हता, सकारात्मक भाव के निर्धारण, निदेशक की स्वतंत्रता तथा अन्य मामलों सहित निदेशकों की नियुक्ति एवं उनके पारिश्रमिक के संबंध में कम्पनी पर लागू नहीं होते हैं। तदनुसार, ये विवरण इस रिपोर्ट में शामिल नहीं किए गए हैं।

28. निदेशक एवं प्रमुख प्रबंधन कार्मिक की संरचना में परिवर्तन से संबंधित विवरण :

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान कम्पनी के निदेशकों की सूची तथा उसमें किए गए परिवर्तन निम्नानुसार हैं :–

क्र. सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	नियुक्ति की तिथि	अर्धवार्षिता की तिथि
1.	श्रीमती पद्मिनी सिंगला, सचिव (पावर), रा.रा.क्षे.दिल्ली सरकार	अ.यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	05.07.2019	31.03.2021
2.	श्री सत्य गोपाल, अपर मुख्य सचिव (पावर) रा.रा.क्षे.दिल्ली सरकार	अ.यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	31.03.2021	31.07.2022
3.	श्री डी वर्मा, विशेष सचिव (पावर) रा.रा.क्षे.दि. सरकार	निदेशक (मानव संसाधन)	18.07.2019	24.04.2020
4.	श्री रवि दधिच, विशेष सचिव (पावर) रा.रा.क्षे.दि. सरकार	निदेशक (मानव संसाधन)	24.04.2020	09.09.2020
5.	श्री जे.के. जैन, विशेष सचिव (पावर) रा.रा.क्षे.दि. सरकार	निदेशक (मानव संसाधन)	09.09.2020	08.07.2021
6.	श्री एस.एम.वर्मा	निदेशक (तकनीकी)	01.05.2019	14.01.2022
7.	श्री रविन्द्र कुमार जैन	निदेशक (वित्त)	05.06.2017	31.05.2021
8.	श्री बी.एन. ओझा	अंशकालिक निदेशक	01.10.2009	–
9.	श्री तरूण चतुर्वेदी	स्वतंत्र निदेशक	08.06.2016	07.06.2022

29. स्वतंत्र निदेशक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 की अपेक्षाओं के अनुसार, विचाराधीन वर्ष के दौरान, कंपनी से अपने निदेशक मंडल में कम से कम दो स्वतंत्र निदेशक शामिल करने की अपेक्षा की गई है। तथापि, कंपनी के निदेशक मंडल में विचाराधीन वर्ष के दौरान केवल एक स्वतंत्र निदेशक श्री तरूण चतुर्वेदी दिनांक 8 जून, 2016 से नियुक्त थे। कंपनी द्वारा कंपनी के निदेशक मंडल में एक और स्वतंत्र निदेशक के नाम की अनुंशसा का मामला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के सम्मुख प्रस्तुत किया गया है।

विचाराधीन वर्ष के दौरान, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (6) की अपेक्षाओं के अनुसार मानदंडों को पूरा करने के संबंध में कंपनी ने 10 जून, 2020 को श्री तरूण चतुर्वेदी, स्वतंत्र निदेशक से इस आशय का घोषणा विवरण प्राप्त कर लिया है तथा इसे निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 6 जून, 2020 को आयोजित अपनी बैठक में संज्ञान में लिया गया है। इसके अलावा, श्री तरूण चतुर्वेदी दिनांक 07 जून, 2022 से कम्पनी के निदेशक मंडल में निदेशक नहीं हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा अपने दिनांक 26.8.2021 के आदेश संख्या सीडी–014661216/पावर/3029 के माध्यम से श्री तरूण बत्रा तथा श्रीमती अंजली राय को इंद्रप्रस्थ पावर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशक के रूप में नामित किया गया था। इसके अलावा, इंद्रप्रस्थ पावर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड के निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 28/08/2021 को आयोजित अपनी बैठक में श्री तरूण बत्रा तथा श्रीमती अंजली राय को इंद्रप्रस्थ पावर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशक के रूप

में नियुक्त किया था, तथा दोनों स्वतंत्र निदेशकों को शामिल करके इंद्रप्रस्थ पावर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड की लेखापरीक्षा समिति और नामांकन और पारिश्रमिक समिति का पुनर्गठन भी किया था। अब, इंद्रप्रस्थ पावर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड ने अपने निदेशक मंडल में न्यूनतम 2 स्वतंत्र निदेशकों के साथ–साथ अपनी लेखापरीक्षा समिति और नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति में न्यूनतम 2 स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षा से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149, 177 और 178 के प्रावधानों का अनुपालन कर लिया है।

30. निदेशकों एवं निदेशक मंडल के निष्पादन का मूल्यांकन :

एक सरकारी कंपनी होने के नाते कम्पनी के निदेशक मंडल में संबंधित नियम एवं शर्तों निदेशकों की नियुक्ति की शक्तियां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को प्राप्त हैं। इसके अलावा, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की दिनांक 05 जून, 2015 की अधिसूचना को ध्यान में रखते हुए सरकारी कम्पनियों के मामले में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3)(पी) के प्रावधान लागू नहीं है। तदनुसार यह विवरण इस रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है।

31. लेखापरीक्षा समिति :

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 का अनुसरण करते हुए आपकी कंपनी में लेखापरीक्षा समिति का गठन किया गया है। लेखापरीक्षा समिति का प्रकटीकरण कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट में किया गया है जो इस रिपोर्ट का भाग है।

32. नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति :

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 के अनुपालन में, कंपनी में नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन किया गया है। नामांकन और पारिश्रमिक समिति का प्रकटीकरण कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट में दिया गया है, जो इस रिपोर्ट का भाग है।

33. कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) :

कंपनी द्वारा कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व समिति का गठन किया गया है जिसे कंपनी द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलाप के लिए सीएसआर नीति तैयार करके अपनी अनुशंसाएं निदेशक मंडल को प्रस्तुत करने, सीएसआर नीति की निगरानी व कार्यान्वयन और सीएसआर कार्यकलापों पर खर्च की जाने वाली राशि की सिफारिश करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस समिति का ब्योरा कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट में दिया गया है जो इस रिपोर्ट का भाग है।

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, इंद्रप्रस्थ पावर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड द्वारा 51,41,496/– रूपए की योग्य सीएसआर निधियों का अंतरण प्रधान मंत्री केयर निधि में दिनांक 27.09.2021 को किया गया था। वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान सीएसआर गतिविधियों तथा अन्य संबंधित मामलों की रिपोर्ट **अनुलग्नक–6** में संलग्न है।

34. परिचालनात्मक निष्पादन समिति :

इस समिति का ब्यौरा कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट में दिया गया है जो इस रिपोर्ट का भाग है। कंपनी के पावर स्टेशनों के परिचालनात्मक निष्पादन की समीक्षा के लिए इस समिति की बैठकों का नियमित रूप से आयोजन किया जाता है तथा पावर स्टेशनों के परिचालनात्मक निष्पादन से संबंधित चर्चा निदेशक मंडल की बैठकों में भी की जाती है।

35. कंपनी मामलों की स्थिति:

कंपनी के मामलों की स्थिति पर चर्चा का विवरण, निदेशक मंडल की इस रिपोर्ट में कंपनी के वित्तीय निष्पादन, परिचालनात्मक निष्पादन और भावी प्रतिफल नामक शीर्षकों के अंतर्गत शामिल किया गया है।

36. व्यापार की प्रकृति में परिवर्तन:

विचाराधीन वर्ष के दौरान, कंपनी के व्यापार की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

37. वार्षिक विवरण का संक्षेप सार :

अधिनियम की धारा 134(3)(क) का अनुसरण करते हुए कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 12(1) के साथ पठित कंपनी अधिनियम की धारा 92(3) में संदर्भित विचाराधीन अवधि के वार्षिक विवरण कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय को प्रस्तुत करने के पश्चात कंपनी की वेबसाइट पर प्रस्तुत किए जाते हैं जिसका लिंक नीचे दिया गया है:–

http://ipgcl-ppcl.gov.in/publicnoticeDocs.htm

38. सचेतक तंत्रव्यवस्था नीति :

निदेशक मंडल द्वारा सचेतक तंत्रव्यवस्था नीति अंगीकार की गई है। नीति के अंतर्गत, कंपनी के निदेशकों और कर्मचारियों के लिए नीति में उल्लिखित सक्षम प्राधिकारी को किसी प्रकार की अनुचित गतिविधि, अनैतिक आचरण, वास्तविक अथवा संदिग्ध जालसाजी, घोर कदाचार, अविवेकपूर्ण कृत्य इत्यादि की सूचना देने का एक तंत्र उपलब्ध कराया गया है। यह नीति नीचे दिए गए वेबलिंक के माध्यम से कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है:–

http://ipgcl-ppcl.gov.in/download.htm

39. कर्मचारियों का विवरण :

कंपनी (प्रबंधन कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम 5 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197(12) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी से अपनी निदेशक रिपोर्ट में कर्मचारियों के पारिश्रमिक के मध्य गुणन में प्रत्येक निदेशक के पारिश्रमिक का अनुपात एवं निर्धारित सीमाओं से अधिक पारिश्रमिक प्राप्त करने वाले कर्मचारियों का विवरण प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई है। तथापि, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 05 जून, 2015 की अधिसूचना के अनुसार सरकारी कम्पनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के प्रावधानों के अनुपालन से छूट प्रदान की गई है। तदनुसार, ये विवरण निदेशक रिपोर्ट के भाग में शामिल नहीं किए गए हैं।

40. ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन एवं विदेशी मुद्रा आय तथा व्यय :

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन एवं विदेशी मुद्रा अर्जन एवं व्यय के संबंध में कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 8 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3)(एम) के उपबंधों के अंतर्गत अपेक्षित सूचना इस रिपोर्ट के **अनुलग्नक–7** में संलग्न है।

41. सामग्रीगत परिवर्तन एवं प्रतिबद्धताएं, यदि कोई ऐसी हों जिनसे कंपनी की वित्तीय स्थिति प्रभावित हुई हो:

भविष्य के लिए संभावनाएं शीर्ष के अंतर्गत पहले से ही प्रस्तुत की गई सूचना के अलावा, 31 मार्च, 2021 के पश्चात घटित ऐसी कोई प्रतिकूल सामग्रीगत परिवर्तन अथवा प्रतिबद्धताएं नहीं हैं जिनमें कंपनी की वित्तीय स्थिति प्रभावित हो सकती हो।

42. विनियामकों, न्यायालयों अथवा ट्रिब्यूनलों द्वारा पारित ऐसे महत्वपूर्ण आदेश जिनसे गोइंग कंसर्न एवं कंपनी के परिचालन प्रभावित हो सकते हों :

हमारी जानकारी के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी को विनियामकों, न्यायालयों अथवा ट्रिब्यूनलों से ऐसा कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ है जिनसे गोइंग कंसर्न की स्थिति अथवा कंपनी के भावी परिचालन प्रभावित हो सकते हों।

43. निदेशकों का उत्तरदेयता विवरण :

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) की अपेक्षाओं के अनुसरण में निदेशकों के दायित्व से संबंधित विवरण में निदेशकों द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि :–

(1) 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के वार्षिक लेखे तैयार करते समय लागू लेखांकन मानकों का अनुसरण किया गया है और साथ ही नियमों से सारभूत विचलन के संबंध में उचित स्पष्टीकरण भी दिए गए हैं;

(2) निदेशकों द्वारा 31 मार्च, 2021 की कंपनी के कार्यों की स्थिति तथा इस तिथि को समाप्त वर्ष में कंपनी के लाभों की सत्य एवं स्वच्छ छवि प्रस्तुत करने के उद्देश्य से ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया गया है तथा ऐसे निर्णय एवं अनुमान लगाएं गए हैं, जो औचित्यपरक एवं न्यायसंगत हैं;

(3) निदेशकों द्वारा कंपनी की परिसंपत्तियों को संरक्षित रखने तथा जालसाजी एवं अनियमितताओं से बचाव व इनका पता लगाने के लिए, कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुसरण में लेखांकन रिकॉर्ड के अनुरक्षण के लिए उचित व पर्याप्त सावधानी बरती गई है;

(4) निदेशकों द्वारा गोइंग कंसर्न के आधार पर वार्षिक लेखे तैयार किए गए हैं; और

(5) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियां स्थापित की थीं तथा ये व्यवस्थाएं पर्याप्त एवं प्रभावी रूप से कार्यात्मक थीं।

44. आभार :

आपका निदेशक मंडल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, भारत सरकार, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, विद्युत मंत्रालय, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग, दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड एवं राज्य भार प्रेषण केन्द्रों से प्राप्त समर्थन एवं सहयोग के लिए अपना आभार व्यक्त करता है। गेल, बीएचईएल, बैंकों, विक्रेताओं, ठेकेदारों, परामर्शदाताओं तथा कंपनी के कार्यों से संबद्ध प्रत्येक व्यक्ति के प्रति भी आपका निदेशक मंडल अपना आभार प्रस्तुत करता है।

कंपनी के कर्मचारियों द्वारा किए गए अथक प्रयासों और दिए गए योगदान के प्रति भी निदेशक मंडल अपना आभार व्यक्त करता है।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

	ह0/–	ह0/–
स्थान : नई दिल्ली	(रवि धवन)	(मुकेश कुमार शर्मा)
दिनांक : 07.12.2023	प्रबंध निदेशक	निदेशक (तकनीकी)

अनुलग्नक–1

सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा इंद्रप्रस्थ पावर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2020–21 के लेखापरीक्षित स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के संबंध में व्यक्त अर्हक मत पर प्रबंधन के उत्तर

क्र. सं.	सांविधिक लेखापरीक्षकों का अर्हक मत	प्रबंधन का उत्तर
1.	कंपनी द्वारा 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के अपने स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों में डिस्कॉम (संदर्भ नोट 34 क(1)) के संबंध में भारतीय लेखांकन मानक 109 – ''वित्तीय लिखत'' के अनुसार व्यापार प्राप्यों से संबंधित संभावित क्रेडिट हानियों का मूल्यांकन एवं प्रावधान नहीं किए हैं तथा तदनुसार, इनका आर्थिक प्रभाव ज्ञात नहीं किया जा सकता है।	बिजली क्रय करारों (पीपीए) के साथ पठित मूल्यसूची विनियमों के अनुसार डिस्कॉम्स से यह अपेक्षा है कि वे कम्पनी द्वारा जारी किए जाने वाले बिजली बिलों का निर्धारित अवधि में भुगतान करने की व्यवस्था करें तथा ऐसा न किए जाने पर डिस्कॉम्स से उपर्युक्त बिजली क्रय करारों (पीपीए) के साथ पठित मूल्यसूची विनियमों में किए गए दर निर्धारण के अनुसार विलंब भुगतान प्रभार (एलपीएससी) का भुगतान भी किए जाने की अपेक्षा है। बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड (बीआरपीएल) तथा बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड (बीवाईपीएल) द्वारा जहां एक ओर विलंब भुगतान प्रभार (एलपीएससी) सहित बकाया देयों के प्रति कोई आपत्ति नहीं की है वहीं दोनों ही डिस्कॉम्स ने उक्त बकाया देयताओं का भुगतान भी इस उल्लेख के साथ जारी नहीं किया है कि वे दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग द्वारा उनकी विनियामक परिसम्पत्तियों का ऋणशोधन किए जाने के कारण निधियों की अत्यधिक तंगी से जूझ रहे हैं। बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड (बीआरपीएल) तथा बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड (बीवाईपीएल) द्वारा प्रस्तुत रिट याचिकाओं के जवाब में माननीय भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 2016 में पारित अपने आदेश में बीआरपीएल तथा बीवाईपीएल को चालू देयताओं/कम्पनी की ओर से प्रस्तुत बिलों की राशि का 70 प्रतिशत भुगतान किए जाने का निदेश दिया गया है। इसके अलावा, बिजली विभाग, रा.रा.क्षे.दिल्ली सरकार द्वारा कम्पनी की बकाया देयताओं का पथांतरण कम्पनी को उपभोक्ता अनुदान के रूप में किया जा रहा है जो कि वस्तुतः रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की ओर से बीआरपीएल तथा बीवाईपीएल को देय है। तथापि, बीआरपीएल एवं बीवाईपीएल द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसरण में कम्पनी को भुगतान न किए जाने के कारण कम्पनी द्वारा बीआरपीएल तथा बीवाईपीएल के खिलाफ दो अवमानना याचिकाएं दायर की गई हैं। किसी भी कारण से बीआरपीएल तथा बीवाईपीएल से बकाया देयताओं की वसूली न होने की कोई संभावना नहीं है। तदनुसार, ऐसा कोई कारण तथा औचित्य नहीं है जिसके प्रभाव से उक्त देयताओं को अप्राप्य मान लिया जाए और इनके प्रति लेखा बहियों में किसी प्रकार के कोई प्रावधान किए जाएं।

क

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

	ह0/–	ह0/–
स्थान : नई दिल्ली	(रवि धवन)	(मुकेश कुमार शर्मा)
दिनांक : 07.12.2023	प्रबंध निदेशक	निदेशक (तकनीकी)

सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा इंद्रप्रस्थ पावर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2020–21 के लेखापरीक्षित समेकित वित्तीय विवरणों के संबंध में व्यक्त अर्हक मत पर प्रबंधन के उत्तर

क्र.सं.	सांविधिक लेखापरीक्षकों का अर्हक मत	प्रबंधन का उत्तर
1.	कंपनी द्वारा 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के अपने स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों में डिस्कॉम (संदर्भ नोट 34 क(1)) के संबंध में भारतीय लेखांकन मानक 109 – "वित्तीय लिखत" के अनुसार व्यापार प्राप्यों से संबंधित संभावित क्रेडिट हानियों का मूल्यांकन एवं प्रावधान नहीं किए हैं तथा तदनुसार, इनका आर्थिक प्रभाव ज्ञात नहीं किया जा सकता है।	बिजली क्रय करारों (पीपीए) के साथ पठित मूल्यसूची विनियमों के अनुसार डिस्कॉम्स से यह अपेक्षा है कि वे कम्पनी द्वारा जारी किए जाने वाले बिजली बिलों का निर्धारित अवधि में भुगतान करने की व्यवस्था करें तथा ऐसा न किए जाने पर डिस्कॉम्स से उपर्युक्त बिजली क्रय करारों (पीपीए) के साथ पठित मूल्यसूची विनियमों में किए गए दर निर्धारण के अनुसार विलंब भुगतान प्रभार (एलपीएससी) का भुगतान भी किए जाने की अपेक्षा है। बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड (बीआरपीएल) तथा बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड (बीवाईपीएल) द्वारा जहां एक ओर विलंब भुगतान प्रभार (एलपीएससी) सहित बकाया देयों के प्रति कोई आपत्ति नहीं की है वहीं दोनों ही डिस्कॉम्स ने उक्त बकाया देयताओं का भुगतान भी इस उल्लेख के साथ जारी नहीं किया है कि वे दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग द्वारा उनकी विनियामक परिसम्पतियों का ऋणशोधन किए जाने के कारण निधियों की अत्यधिक तंगी से जूझ रहे हैं। बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड (बीआरपीएल) तथा बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड (बीवाईपीएल) द्वारा प्रस्तुत रिट याचिकाओं के जवाब में माननीय भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 2016 में पारित अपने आदेश में बीआरपीएल तथा बीवाईपीएल को चालू देयताओं/कम्पनी की ओर से प्रस्तुत बिलों की राशि का 70 प्रतिशत भुगतान किए जाने का निदेश दिया गया है। इसके अलावा, बिजली विभाग, रा.रा.क्षे.दिल्ली सरकार द्वारा कम्पनी की बकाया देयताओं का पथांतरण कम्पनी को उपभोक्ता अनुदान के रूप में किया जा रहा है जो कि वस्तुतः रा.रा.क्षे.दिल्ली सरकार की ओर से बीआरपीएल तथा बीवाईपीएल को देय है। तथापि, बीआरपीएल एवं बीवाईपीएल द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसरण में कम्पनी को भुगतान न किए जाने के कारण कम्पनी द्वारा बीआरपीएल तथा बीवाईपीएल के खिलाफ दो अवमानना याचिकाएं दायर की गई हैं। किसी भी कारण से बीआरपीएल तथा बीवाईपीएल से बकाया देयताओं की वसूली न होने की कोई संभावना नहीं है। तदनुसार, ऐसा कोई कारण तथा औचित्य नहीं है जिसके प्रभाव से उक्त देयताओं को अप्राप्य मान लिया जाए और इनके प्रति लेखा बहियों में किसी प्रकार के कोई प्रावधान किए जाएं।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

ह0/–
(रवि धवन)
प्रबंध निदेशक

ह0/–
(मुकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (तकनीकी)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 07.12.2023

अनुलग्नक–2

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा इन्द्रप्रस्थ पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड के 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6)(ख) के अंतर्गत की गई टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग तंत्र के अनुसार, 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए इन्द्रप्रस्थ पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड के वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन का दायित्व है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा अधिनियम की धारा 139(5) के अंतर्गत नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक से यह अपेक्षा है कि वे अधिनियम की धारा 143(10) में निर्धारित लेखापरीक्षा मानकों के अनुसरण में किए जाने वाले वित्तीय विवरणों से संबंधित स्वतंत्र लेखापरीक्षा पर अपना मत कंपनी अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत प्रस्तुत करें। यह उल्लेख किया जाता है कि उनके द्वारा इस दायित्व का निर्वाह दिनांक 14.01.2023 की अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से कर दिया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 143(6)(क) के अंतर्गत 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए इन्द्रप्रस्थ पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड की वित्तीय विवरणों की पूरक लेखापरीक्षा की है। यह अनुपूरक लेखापरीक्षा, सांविधिक लेखापरीक्षकों के वर्किंग पेपर्स की प्राप्ति के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है तथा प्रमुखतः यह सांविधिक लेखापरीक्षकों तथा कंपनी कार्मिकों से पूछताछ तथा कुछ चुनिंदा के परीक्षण/जांच पड़ताल तक सीमित है।

अपनी अनुपूरक लेखापरीक्षा के आधार पर, मैं, अधिनियम की धारा 143(6)(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण मामलों को रेखांकित करना चाहता हूं जो मेरे ध्यान में आए हैं और जो मेरी राय में वित्तीय विवरणों और संबंधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट की बेहतर समझ के लिए आवश्यक हैं।

क. वित्तीय स्थिति के संबंध में टिप्पणियां

तुलन पत्र

चालू देयताएं

अन्य चालू देयताएं (नोट 25):

5.04 करोड़ रूपए

1. इंड एएस 10 (रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात घटित घटनाएं) की अपेक्षा के अनुसार उपर्युक्त में दक्षिण दिल्ली नगर निगम (एसडीएमसी) को 2004–05 से 2020–21 की अवधि के संबंध में देय सम्पति कर की 14.89 करोड़ रूपए की राशि को शामिल नहीं किया गया है जो विशेष सचिव (बिजली) तथा आयुक्त, दक्षिण दिल्ली नगर निगम के मध्य आयोजित बैठक (अक्तूबर 2021) में दक्षिण दिल्ली नगर निगम द्वारा की गई 88.29 करोड़ रूपए की सम्पति कर की विवादित मांग के संबंध में देय है। तथापि लेखांकन नोट में अक्तूबर 2021 में स्वीकृत की गई 14.89 करोड़ रूपए की निश्चित तथा मार्च, 2022 में, इंड एएस 10 की अपेक्षा के अनुसार (रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात घटित घटनाएं) कम्पनी द्वारा चुकता की गई देयता के स्थान पर 88.29 करोड़ रूपए की आकस्मिक देयता (सम्पति कर मांग) की मांग का प्रकटीकरण किया गया है।

   इसके परिणामस्वरूप चालू देयताओं (अन्य चालू देयताओं) तथा अन्य व्ययों, प्रत्येक, के संबंध में 14.89 करोड़ रूपए की न्यूनोक्ति हुई है। ऐसा होने से, समान राशि के लिए वर्ष में लाभ का अतिकथन हुआ है। इसके अलावा, इसके परिणामस्वरूप 88.29 करोड़ रूपए की आकस्मिक देयताओं का भी अतिकथन हुआ है।

परिसम्पतियां

चालू परिसम्पतियां

नकदी एवं नकदी समतुल्य (नोट–9):

155.34 करोड़ रूपए

नकदी एवं नकदी समतुल्यों के अलावा अन्य बैंक शेष (नोट –10) – 34.34 करोड़ रूपए

2. महत्वपूर्ण लेखांकन नीति संख्या 9 के अनुसार "तुलन पत्र में नकदी एवं नकदी समतुल्यों में बैंकों में जमा नकदी तथा उपलब्ध नकदी, नकदी म्युचुअल फंड तथा तीन माह अथवा कम अवधि की परिपक्वता वाले अल्पकालिक जमा, जो मूल्य में परिवर्तनों के मामूली जोखिम वाले हों, शामिल हैं।"

इसके अलावा, इंड एएस 7 (नकदी प्रवाह विवरण) के अनुसार नकदी समतुल्यों का धारण निवेश अथवा अन्य उद्देश्यों की तुलना में अल्प–कालिक नकदी प्रतिबद्धताओं की पूर्ति की पूर्ति के उद्देश्यों से होता है। किसी निवेश को नकदी समतुल्य माना जाने के लिए यह किसी ज्ञात राशि में त्वरित परिवर्तन किए जाने योग्य होना चाहिए तथा इसमें मूल्य में परिवर्तन के मामूली जोखिम होने चाहिए। तदनुसार, किसी निवेश को सामान्यतः नकदी समतुल्य केवल तभी माना जा सकता है जब प्राप्ति की तिथि से इसकी परिपक्वता तीन माह अथवा कम अवधि की हो।

तथापि, 12.70 करोड़ रूपए मूल्य की दो सावधि जमा, जिनकी परिपक्वता की अवधि, जमा की तिथि से, तीन माह से अधिक अवधि की है, के संबंध में लेखांकन नीति का उल्लंघन करके इंड एएस7 की अपेक्षाओं का पालन नहीं किया गया है।

इसके परिणामस्वरूप नकदी एवं नकदी समतुल्यों का अतिकथन हुआ है तथा नकदी एवं नकदी समतुल्यों के अलावा बैंक शेष, प्रत्येक, के संबंध में न्यूनोक्ति हुई है।

ख. नकदी प्रवाह विवरण के संबंध में टिप्पणियां

3. टिप्पणी संख्या 2 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें यह टिप्पणी की गई है कि तीन माह से अधिक अवधि के 12.70 करोड़ रूपए की राशि के दो सावधि जमा नकदी एवं नकदी समतुल्य के अलावा अन्य बैंक शेष के स्थान पर चूकवश नकदी एवं नकदी समतुल्यों में शामिल किए हैं। इसके परिणामस्वरूप, नकदी एवं नकदी समतुल्यों एवं निवेश क्रियाकलापों से निवल नकदी प्रवाह का 12.70 करोड़ रूपए की राशि, प्रत्येक, का अतिकथन हुआ है।

निवेश क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह – 154.91 करोड़ रूपए

4. उपर्युक्त में 16 करोड़ रूपए का प्राप्त ब्याज है जिसमें आयकर विभाग से प्राप्त धनवापसी पर 12.34 करोड़ रूपए की राशि का प्राप्त ब्याज भी शामिल है।

आयकर धनवापसी पर प्राप्त ब्याज को आयकर धनवापसी के बराबर परिचालन गतिविधियों से प्राप्त नकदी प्रवाह न मानकर इसे निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह के रूप में दर्शाया गया है। इसके परिणामस्वरूप, 12.34 करोड़ रूपए के लिए निवेश गतिविधियों से प्राप्त नकदी प्रवाह का अतिकथन तथा परिचालन गतिविधियों से प्राप्त नकदी प्रवाह की न्यूनोक्ति हुई है।

ग. प्रकटीकरण के संबंध में टिप्पणियां

लेखांकन नोट

5. कम्पनी द्वारा अपनी बहियों में चालू कर परिसम्पतियों के अंतर्गत 32.53 करोड़ रूपए के आस्थगित स्रोत पर कर क्रेडिट की स्वीकृति की गई है जो कि निदेशक मंडल द्वारा (दिनांक 21.12.2022 को आयोजित 110वीं बैठक में) लिए गए इस निर्णय के अनुसरण में है कि उक्त राशि के स्रोत पर कर क्रेडिट के *10 प्रतिशत* भाग की स्वीकृति लंबित भुगतान प्रभार शुल्क (एलपीएससी) के प्रति की जाए। ऐसा किए जाने के परिणामस्वरूप, स्रोत पर कर कटौती का 90 प्रतिशत भाग उस वित्तीय वर्ष की कर देयता के प्रति दावा करने के लिए आस्थगित कर दिया गया है जिस वित्तीय वर्ष में कम्पनी को डिस्कॉम्स से उक्त आय की प्राप्ति होगी।

कम्पनी द्वारा चालू वर्ष (2020–21) के दौरान बहियों में एलपीएससी पर 10 प्रतिशत के स्रोत पर कर क्रेडिट की स्वीकृति की है परन्तु एलपीएससी पर स्रोत पर कर कटौती की प्रक्रिया में इस बदलाव के प्रभाव का प्रकटीकरण वित्तीय विवरणों के नोट में नहीं किया गया है।

6. इंड एएस 10 –रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात घटित घटनाएं के पैरा संख्या 13 के अनुसार – "यदि लाभांश की घोषणा रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात परन्तु वित्तीय विवरणों को जारी किए जाने के अनुमोदन से पूर्व की जाती है तो ऐसे लाभांशों का नोट्स में प्रकटीकरण इंड एएस 1 – वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति के अंतर्गत किया जाएगा।"

कम्पनी के निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 20 जुलाई, 2022 को आयोजित अपनी 107वीं बैठक में वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए 20.00 करोड़ रूपए के लाभांश की घोषणा की गई है तथा कम्पनी के लेखों का अनुमोदन दिसम्बर 2022 में किया गया था। तथापि, इंड एएस 10 तथा इंड एएस 1 के संबंध में लाभांश से संबंधित अपेक्षित लेखांकन नोट्स में नहीं किए गए थे।

7. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 203 तथा कम्पनी (प्रबंधन कार्मिक की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम 8 के अनुसार ''प्रत्येक सूचीबद्ध कम्पनी तथा प्रत्येक अन्य पब्लिक कम्पनी, जिनकी चुकता शेयर पूंजी दस करोड़ रूपए अथवा अधिक है, में पूर्णकालिक प्रबंधन कार्मिक यथा (1) प्रबंध निदेशक (2) कम्पनी सचिव तथा (3) मुख्य वित्त अधिकारी होगा।''

कम्पनी की चुकता शेयर 736.54 करोड़ रूपए है, तथापि, कम्पनी द्वारा कोई पूर्णकालिक/नियमित कम्पनी सचिव नियुक्त नहीं किया गया है। इस धारा का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में कम्पनी पर जुर्माने के साथ दंड प्रत्यारोपित किया जा सकता है जो एक लाख रूपए से कम नहीं होगा तथा इसे पांच लाख रूपए तक बढ़ाया जा सकता है तथा इसके लिए कम्पनी के चूक करने वाले प्रत्येक निदेशक तथा प्रमुख प्रबंधन कार्मिक पर जुर्माने सहित दंड लगाया जा सकता है जो पचास हजार रूपए की राशि तक विस्तार योग्य है तथा यदि उल्लंघन निरंतर जारी रहता है तो उसके लिए प्रथम उल्लंघन किए जाने की तिथि से उल्लंघन जारी रहने की तिथि तक के लिए प्रतिदिन एक हजार रूपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। इन तथ्यों का प्रकटीकरण न तो प्रस्तुत वित्तीय विवरणों के लेखांकन नोट्स में किया गया है और न ही सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा अपनी रिपोर्ट में इसके संबंध में कोई टिप्पणी की गई है।

कृते तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से

ह0/–

(अमन दीप चथा)

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 21.06.2023

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा इन्द्रप्रस्थ पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड के 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6)(ख) के अंतर्गत की गई टिप्पणियों पर प्रबंधन के उत्तर

1.	**ख. वित्तीय स्थिति के संबंध में टिप्पणियां** **तुलन पत्र** **चालू देयताएं** **अन्य चालू देयताएं (नोट 26):** **5.04 करोड़ रूपए** इंड एएस 10 (रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात घटित घटनाएं) की अपेक्षा के अनुसार उपर्युक्त में दक्षिण दिल्ली नगर निगम (एसडीएमसी) को 2004–05 से 2020–21 की अवधि के संबंध में देय सम्पति कर की 14.89 करोड़ रूपए की राशि को शामिल नहीं किया गया है जो विशेष सचिव (बिजली) तथा आयुक्त, दक्षिण दिल्ली नगर निगम के मध्य आयोजित बैठक (अक्तूबर 2021) में दक्षिण दिल्ली नगर निगम द्वारा की गई 88.29 करोड़ रूपए की सम्पति कर की विवादित मांग के संबंध में देय है। तथापि लेखांकन नोट में अक्तूबर 2021 में स्वीकृत की गई 14.89 करोड़ रूपए की निश्चित तथा मार्च, 2022 में, इंड एएस 10 की अपेक्षा के अनुसार (रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात घटित घटनाएं) कम्पनी द्वारा चुकता की गई देयता के स्थान पर 88.29 करोड़ रूपए की आकस्मिक देयता (सम्पति कर मांग) की मांग का प्रकटीकरण किया गया है। इसके परिणामस्वरूप चालू देयताओं (अन्य चालू देयताओं) तथा अन्य व्ययों, प्रत्येक, के संबंध में 14.89 करोड़ रूपए की न्यूनोक्ति हुई है। ऐसा होने से, समान राशि के लिए वर्ष में लाभ का अतिकथन हुआ है। इसके अलावा, इसके परिणामस्वरूप 88.29 करोड़ रूपए की आकस्मिक देयताओं का भी अतिकथन हुआ है।	इसके संबंध में यह प्रस्तुत है कि दक्षिण दिल्ली नगर निगम द्वारा कम्पनी के प्रति की गई सम्पति कर की मांग वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान स्पष्ट नहीं हो पाई थी क्योंकि कम्पनी ने दक्षिण दिल्ली नगर निगम के सम्मुख मांग के प्रति विवाद/विरोध प्रस्तुत किया था। सम्पति कर के विवाद का यह मामला, चूंकि मार्च, 2022 तक विवाद/विरोध के दायरे में था 31.3.2021 तक कोई स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई थी अतः लेखांकन सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए 31.3.2021 को समाप्त वर्ष के लेखों में इसे बकाया देयता दर्शाया गया था। तथापि, यह मांग विवादित है, जिसके कारण कम्पनी द्वारा इसे वित्तीय वर्ष 2020–21 के लेखों में आकस्मिक देयता के रूप में ही दर्शाया गया है।
2.	**परिसम्पतियां** **चालू परिसम्पतियां** **नकदी एवं नकदी समतुल्य (नोट–9):** **155.34 करोड़ रूपए** **नकदी एवं नकदी समतुल्यों के अलावा अन्य बैंक शेष (नोट –10) – 34.34 करोड़ रूपए** महत्वपूर्ण लेखांकन नीति संख्या 9 के अनुसार "तुलन पत्र में नकदी एवं नकदी समतुल्यों में बैंकों में जमा नकदी तथा उपलब्ध नकदी, नकदी म्युचुअल फंड तथा तीन माह अथवा कम अवधि की परिपक्वता वाले	इंड एएस 7 – "नकदी एवं नकदी समतुल्य" के अनुसार जो निवेश किसी ज्ञात नकद राशि के लिए तत्काल परिवर्तन योग्य होते हैं वे निवेश नकदी एवं नकदी समतुल्य के लिए प्रस्तुति योग्य हैं। तदनुसार, तुलन पत्र तिथि को तीन माह के परिपक्वता दायरे में आने वाले बैंकों में अल्पकालिक जमा को वित्तीय वर्ष 2020–21 के वार्षिक वित्तीय लेखों में नकदी एवं नकदी समतुल्य के रूप में दर्शाया गया है। तथापि, इस संबंध में आगे यह प्रस्तुत है कि किसी निवेश का निर्धारण नकदी एवं नकदी समतुल्य के रूप में किए जाने के लिए लेखापरीक्षा पैरा में संदर्भित इंड एएस–7 के "सामान्य" सिद्धांत का अनुसरण किया जाना है। चूंकि 12.70 करोड़ रूपए की राशि के ये दो अल्पकालिक निवेश वित्तीय वर्ष 2020–21 की समाप्ति के पश्चात 30 दिन की अवधि में

	अल्पकालिक जमा, जो मूल्य में परिवर्तनों के मामूली जोखिम वाले हों, शामिल हैं।'' इसके अलावा, इंड एएस 7 (नकदी प्रवाह विवरण) के अनुसार नकदी समतुल्यों का धारण निवेश अथवा अन्य उद्देश्यों की तुलना में अल्प–कालिक नकदी प्रतिबद्धताओं की पूर्ति की पूर्ति के उद्देश्यों से होता है। किसी निवेश को नकदी समतुल्य माना जाने के लिए यह किसी ज्ञात राशि में त्वरित परिवर्तन किए जाने योग्य होना चाहिए तथा इसमें मूल्य में परिवर्तन के मामूली जोखिम होने चाहिए। तदनुसार, किसी निवेश को सामान्यतः नकदी समतुल्य केवल तभी माना जा सकता है जब प्राप्ति की तिथि से इसकी परिपक्वता तीन माह अथवा कम अवधि की हो। तथापि, 12.70 करोड़ रूपए मूल्य की दो सावधि जमा, जिनकी परिपक्वता की अवधि, जमा की तिथि से, तीन माह से अधिक अवधि की है, के संबंध में लेखांकन नीति का उल्लंघन करके इंड एएस7 की अपेक्षाओं का पालन नहीं किया गया है। इसके परिणामस्वरूप नकदी एवं नकदी समतुल्यों का अतिकथन हुआ है तथा नकदी एवं नकदी समतुल्यों के अलावा बैंक शेष, प्रत्येक, के संबंध में न्यूनोक्ति हुई है।	परिपक्व होने वाले थे अतः इस जमा को भी 31.3.2021 को समाप्त तुलन पत्र में अल्पकालिक निवेश ही माना गया है।
3.	**ख. नकदी प्रवाह विवरण के संबंध में टिप्पणियां** 3. टिप्पणी संख्या 2 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें यह टिप्पणी की गई है कि तीन माह से अधिक अवधि के 12.70 करोड़ रूपए की राशि के दो सावधि जमा नकदी एवं नकदी समतुल्य के अलावा अन्य बैंक शेष के स्थान पर चूकवश नकदी एवं नकदी समतुल्यों में शामिल किए हैं। इसके परिणामस्वरूप, नकदी एवं नकदी समतुल्यों एवं निवेश क्रियाकलापों से निवल नकदी प्रवाह का 12.70 करोड़ रूपए की राशि, प्रत्येक, का अतिकथन हुआ है।**ख. नकदी प्रवाह विवरण के संबंध में टिप्पणियां** टिप्पणी संख्या 2 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें यह टिप्पणी की गई है कि तीन माह से अधिक अवधि के 12.70 करोड़ रूपए की राशि के दो सावधि जमा नकदी एवं नकदी समतुल्य के अलावा अन्य बैंक शेष के स्थान पर चूकवश नकदी एवं नकदी समतुल्यों में शामिल किए हैं। इसके परिणामस्वरूप, नकदी एवं नकदी समतुल्यों एवं निवेश क्रियाकलापों से निवल नकदी प्रवाह का 12.70 करोड़ रूपए की राशि, प्रत्येक, का अतिकथन हुआ है।	इंड एएस 7 – ''नकदी एवं नकदी समतुल्य'' के अनुसार जो निवेश किसी ज्ञात नकद राशि के लिए तत्काल परिवर्तन योग्य होते हैं वे निवेश नकदी एवं नकदी समतुल्य के लिए प्रस्तुति योग्य हैं। तदनुसार, तुलन पत्र तिथि को तीन माह के परिपक्वता दायरे में आने वाले बैंकों में अल्पकालिक जमा को वित्तीय वर्ष 2020–21 के नकदी प्रवाह विवरण में नकदी एवं नकदी समतुल्य के रूप में दर्शाया गया है। तथापि, इस संबंध में आगे यह प्रस्तुत है कि किसी निवेश का निर्धारण नकदी एवं नकदी समतुल्य के रूप में किए जाने के लिए लेखापरीक्षा पैरा में संदर्भित इंड एएस–7 के ''सामान्य'' सिद्धांत का अनुसरण किया जाना है। चूंकि 12.70 करोड़ रूपए की राशि के ये दो अल्पकालिक निवेश वित्तीय वर्ष 2020–21 की समाप्ति के पश्चात 30 दिन की अवधि में परिपक्व होने वाले थे अतः इस जमा को भी 31.3.2021 को समाप्त वर्ष के नकदी प्रवाह विवरण में अल्पकालिक निवेश ही माना गया है।

4.	**निवेश क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह – 154.91 करोड़ रूपए** उपर्युक्त में 16 करोड़ रूपए का प्राप्त ब्याज है जिसमें आयकर विभाग से प्राप्त धनवापसी पर 12.34 करोड़ रूपए की राशि का प्राप्त ब्याज भी शामिल है। आयकर धनवापसी पर प्राप्त ब्याज को आयकर धनवापसी के बराबर परिचालन गतिविधियों से प्राप्त नकदी प्रवाह न मानकर इसे निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह के रूप में दर्शाया गया है। इसके परिणामस्वरूप, 12.34 करोड़ रूपए के लिए निवेश गतिविधियों से प्राप्त नकदी प्रवाह का अतिकथन तथा परिचालन गतिविधियों से प्राप्त नकदी प्रवाह की न्यूनोक्ति हुई है।	इंद्रप्रस्थ पावर जनरेशन निगम द्वारा अरावली पावर कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड (एपीसीपीएल) में 736.54 करोड़ रूपए की राशि का निवेश किया गया है जो कम्पनी की एक संयुक्त उद्यम कम्पनी है। कम्पनी को समय समय पर निवेश के संबंध में वर्ष आधार पर लाभांश प्राप्त हो रहा है जिसे संबंधित वर्ष के वित्तीय विवरणों में कम्पनी के लाभ के रूप में दर्शाया जाता है। यहां यह उल्लेखनीय है कि कम्पनी को ऊपर उल्लिखित संयुक्त उद्यम कम्पनी से लाभ की प्राप्ति लाभांश के रूप में प्राप्त हो रही है तथा यदि यह प्राप्त न हो तो कम्पनी को घाटा हो रहा है। तदनुसार, उक्त संयुक्त उद्यम कम्पनी से लाभांश की प्राप्ति से सम्बद्ध किसी लाभ की प्राप्ति होती है तो वह निवेश से प्राप्त आय है तथा इसे नकदी प्रवाह विवरण में तदनुसार दर्शाया गया है। इसी प्रकार, आयकर विभाग से यदि कोई धनवापसी प्राप्त होती है तो वह भी लाभांश से सम्बद्ध आय के संबंध में अधिक चुकता आयकर के लेखे में आती है। तदनुसार इंड एएस 7 ''नकदी प्रवाह विवरण'' के विशिष्ट खंड को विचार में लेकर कम्पनी द्वारा आयकर की धनवापसी पर ब्याज की 12.34 करोड़ रूपए की राशि को निवेश क्रियाकलापों से प्राप्त नकदी प्रवाह के रूप में दर्शाया गया है।
5.	**ग. प्रकटीकरण के संबंध में टिप्पणियां** **लेखांकन नोट** कम्पनी द्वारा अपनी बहियों में चालू कर परिसम्पतियों के अंतर्गत 32.53 करोड़ रूपए के आस्थगित स्रोत पर कर क्रेडिट की स्वीकृति की गई है जो कि निदेशक मंडल द्वारा (दिनांक 21.12.2022 को आयोजित 110वीं बैठक में) लिए गए इस निर्णय के अनुसरण में है कि उक्त राशि के स्रोत पर कर क्रेडिट के *10 प्रतिशत* भाग की स्वीकृति लंबित भुगतान प्रभार शुल्क (एलपीएससी) के प्रति की जाए। ऐसा किए जाने के परिणामस्वरूप, स्रोत पर कर कटौती का 90 प्रतिशत भाग उस वित्तीय वर्ष की कर देयता के प्रति दावा करने के लिए आस्थगित कर दिया गया है जिस वित्तीय वर्ष में कम्पनी को डिस्कॉम्स से उक्त आय की प्राप्ति होगी। कम्पनी द्वारा चालू वर्ष (2020–21) के दौरान बहियों में एलपीएससी पर 10 प्रतिशत के स्रोत पर कर क्रेडिट की स्वीकृति की है परन्तु एलपीएससी पर स्रोत पर कर कटौती की प्रक्रिया में इस बदलाव के प्रभाव का प्रकटीकरण वित्तीय विवरणों के नोट में नहीं किया गया है।	आयकर अधिनियम के अंतर्गत यह प्रस्तुत है कि प्रत्येक निर्धारण वर्ष से संबंधित प्रक्रिया अलग से एवं पृथक रूप में की जाती है तथा तदनुसार कर योग्य आय अथवा स्व–निर्धारण (स्रोत पर कटौती के कर क्रेडिट सहित) का आकलन आयकर अधिनियम के प्रावधानों की व्याख्या के आधार पर भिन्न वर्षों में भिन्न प्रकार का हो सकता है तथा ऐसा प्रत्येक निर्धारण वर्ष के दौरान उत्पन्न होने तथ्यों के अनुसार विशेषज्ञ मत के आधार पर होता है। विशेषज्ञ मत के आधार पर कम्पनी ने विलंब भुगतान प्रभार (एलपीएससी) से संबंधित स्रोत पर कर कटौती के क्रेडिट का उपचार वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए स्रोत पर कर कटौती की केवल 10 प्रतिशत राशि का दावा करके किया है तथा स्रोत पर कर कटौती के 90 प्रतिशत को भविष्य में प्राप्त होने वाली एलपीएससी के प्रति आय के रूप में समंजन (सैट ऑफ) करने के लिए आस्थगित कर दिया है। तथापि, ऐसा किया जाना लेखांकन नीति में परिवर्तन नहीं है तथा तदनुसार इससे उत्पन्न होने वाले प्रभाव की अलग से लेखों में प्रस्तुति की जानी आवश्यक नहीं है।
6.	इंड एएस 10 –रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात घटित घटनाएं के पैरा संख्या 13 के अनुसार – ''यदि लाभांश की घोषणा रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात परन्तु वित्तीय विवरणों को जारी किए जाने के अनुमोदन से पूर्व की	यद्यपि वित्तीय वर्ष 2020–21 के लाभांश की अनुशंसा निदेशक मंडल द्वारा की गई थी परन्तु इसे शेयरधारकों को भुगतान के लिए देय बनाने के लिए कम्पनी की वार्षिक आम सभा में शेयरधारकों से अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होता है। तदनुसार, इसके संबंध में वित्तीय वर्ष

	जाती है तो ऐसे लाभांशों का नोट्स में प्रकटीकरण इंड एएस 1 – वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति के अंतर्गत किया जाएगा।'' कम्पनी के निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 20 जुलाई, 2022 को आयोजित अपनी 107वीं बैठक में वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए 20.00 करोड़ रूपए के लाभांश की घोषणा की गई है तथा कम्पनी के लेखों का अनुमोदन दिसम्बर 2022 में किया गया था। तथापि, इंड एएस 10 तथा इंड एएस 1 के संबंध में लाभांश से संबंधित अपेक्षित लेखांकन नोट्स में नहीं किए गए थे।	2020–21 के लेखों में प्रकटीकरण नहीं किए गए थे।
7.	कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 203 तथा कम्पनी (प्रबंधन कार्मिक की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम 8 के अनुसार ''प्रत्येक सूचीबद्ध कम्पनी तथा प्रत्येक अन्य पब्लिक कम्पनी, जिनकी चुकता शेयर पूंजी दस करोड़ रूपए अथवा अधिक है, में पूर्णकालिक प्रबंधन कार्मिक यथा (1) प्रबंध निदेशक (2) कम्पनी सचिव तथा (3) मुख्य वित्त अधिकारी होगा।'' कम्पनी की चुकता शेयर 736.54 करोड़ रूपए है, तथापि, कम्पनी द्वारा कोई पूर्णकालिक/नियमित कम्पनी सचिव नियुक्त नहीं किया गया है। इस धारा का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में कम्पनी पर जुर्माने के साथ दंड प्रत्यारोपित किया जा सकता है जो एक लाख रूपए से कम नहीं होगा तथा इसे पांच लाख रूपए तक बढ़ाया जा सकता है तथा इसके लिए कम्पनी के चूक करने वाले प्रत्येक निदेशक तथा प्रमुख प्रबंधन कार्मिक पर जुर्माने सहित दंड लगाया जा सकता है जो पचास हजार रूपए की राशि तक विस्तार योग्य है तथा यदि उल्लंघन निरंतर जारी रहता है तो उसके लिए प्रथम उल्लंघन किए जाने की तिथि से उल्लंघन जारी रहने की तिथि तक के लिए प्रतिदिन एक हजार रूपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। इन तथ्यों का प्रकटीकरण न तो प्रस्तुत वित्तीय विवरणों के लेखांकन नोट्स में किया गया है और न ही सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा अपनी रिपोर्ट में इसके संबंध में कोई टिप्पणी की गई है।	यह प्रस्तुत है कि किसी विधिक औपचारिकता का अनुपालन न किए जाने (यदि कोई हो) से संबंधित किसी जुर्माने के प्रत्यारोपण किए जाने के विधिक प्रावधान होने के तथ्य मात्र से कम्पनी तब तक किसी जुर्माने का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होती है जब तक ऐसा जुर्माना संबंधित सरकारी विभाग/प्राधिकरण द्वारा प्रत्यारोपित न किया गया हो। चूंकि कम्पनी को न तो कम्पनी के प्रति ऐसी चूक, यदि कोई हो, से संबंधित किसी प्रकार का कोई नोटिस प्राप्त हुआ है और न ही कम्पनी के खिलाफ कोई प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, अतः इसके संबंध में वित्तीय वर्ष 2020–21 के लेखों में किसी प्रकार का प्रकटीकरण किए जाने की कोई अपेक्षा नहीं थी।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

	ह0/–	ह0/–
स्थान : नई दिल्ली	(रवि धवन)	(मुकेश कुमार शर्मा)
दिनांक : 07.12.2023	प्रबंध निदेशक	निदेशक (तकनीकी)

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा इन्द्रप्रस्थ पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड के 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6)(ख) के अंतर्गत की गई टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग तंत्र के अनुसार, 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए इन्द्रप्रस्थ पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन का दायित्व है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा अधिनियम की धारा 1129(4) के साथ पठित अधिनियम की धारा 139(5) के अंतर्गत नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक से यह अपेक्षा है कि वे अधिनियम की धारा 143(10) में निर्धारित लेखापरीक्षा मानकों के अनुसरण में किए जाने वाले वित्तीय विवरणों से संबंधित स्वतंत्र लेखापरीक्षा पर अपना मत कंपनी अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत प्रस्तुत करें। यह उल्लेख किया जाता है कि उनके द्वारा इस दायित्व का निर्वाह दिनांक 23.03.2023 की अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से कर दिया गया है जो उनकी दिनांक 14.01.2023 की पूर्व लेखापरीक्षा रिपोर्ट के स्थान पर है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित अधिनियम की धारा 143(6)(क) के अंतर्गत 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए इन्द्रप्रस्थ पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों की पूरक लेखापरीक्षा की है। हमारे द्वारा की गई यह अनुपूरक लेखापरीक्षा इंद्रप्रस्थ पावर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड तथा अरावली पावर कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड (सम्बद्ध कम्पनी) के उक्त तिथि को समाप्त वर्ष से संबंधित है। यह अनुपूरक लेखापरीक्षा, सांविधिक लेखापरीक्षकों के वर्किंग पेपर्स की प्राप्ति के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है तथा प्रमुखतः यह सांविधिक लेखापरीक्षकों तथा कंपनी कार्मिकों से पूछताछ तथा कुछ चुनिंदा के परीक्षण/जांच पड़ताल तक सीमित है।

अपनी अनुपूरक लेखापरीक्षा के आधार पर, मैं, धारा 129(4) के साथ पठित अधिनियम की धारा 143(6)(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण मामलों को रेखांकित करना चाहता हूं जो मेरे ध्यान में आए हैं और जो मेरी राय में वित्तीय विवरणों और संबंधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट की बेहतर समझ के लिए आवश्यक हैं।

क. वित्तीय स्थिति के संबंध में टिप्पणियां

तुलन पत्र

चालू देयताएं

अन्य चालू देयताएं (नोट 25):

5.04 करोड़ रूपए

1. इंड एएस 10 (रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात घटित घटनाएं) की अपेक्षा के अनुसार उपर्युक्त में दक्षिण दिल्ली नगर निगम (एसडीएमसी) को 2004–05 से 2020–21 की अवधि के संबंध में देय सम्पति कर की 14.89 करोड़ रूपए की राशि को शामिल नहीं किया गया है जो विशेष सचिव (बिजली) तथा आयुक्त, दक्षिण दिल्ली नगर निगम के मध्य आयोजित बैठक (अक्तूबर 2021) में दक्षिण दिल्ली नगर निगम द्वारा की गई 88.29 करोड़ रूपए की सम्पति कर की विवादित मांग के संबंध में देय है। तथापि लेखांकन नोट में अक्तूबर 2021 में स्वीकृत की गई 14.89 करोड़ रूपए की निश्चित तथा मार्च, 2022 में, इंड एएस 10 की अपेक्षा के अनुसार (रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात घटित घटनाएं) कम्पनी द्वारा चुकता की गई देयता के स्थान पर 88.29 करोड़ रूपए की आकस्मिक देयता (सम्पति कर मांग) की मांग का प्रकटीकरण किया गया है।

   इसके परिणामस्वरूप चालू देयताओं (अन्य चालू देयताओं) तथा अन्य व्ययों, प्रत्येक, के संबंध में 14.89 करोड़ रूपए की न्यूनोक्ति हुई है। ऐसा होने से, समान राशि के लिए वर्ष में लाभ का अतिकथन हुआ है। इसके अलावा, इसके परिणामस्वरूप 88.29 करोड़ रूपए की आकस्मिक देयताओं का भी अतिकथन हुआ है।

---

1 अरावली पावर कम्पनी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा महानिदेशक, लेखापरीक्षा (ऊर्जा), दिल्ली द्वारा की गई है।

परिसम्पतियां

चालू परिसम्पतियां

नकदी एवं नकदी समतुल्य (नोट–9):

155.34 करोड़ रूपए

नकदी एवं नकदी समतुल्यों के अलावा अन्य बैंक शेष (नोट –10) – 34.34 करोड़ रूपए

2. महत्वपूर्ण लेखांकन नीति संख्या 9 के अनुसार ''तुलन पत्र में नकदी एवं नकदी समतुल्यों में बैंकों में जमा नकदी तथा उपलब्ध नकदी, नकदी म्युचुअल फंड तथा तीन माह अथवा कम अवधि की परिपक्वता वाले अल्पकालिक जमा, जो मूल्य में परिवर्तनों के मामूली जोखिम वाले हों, शामिल हैं।''

इसके अलावा, इंड एएस 7 (नकदी प्रवाह विवरण) के अनुसार नकदी समतुल्यों का धारण निवेश अथवा अन्य उद्देश्यों की तुलना में अल्प–कालिक नकदी प्रतिबद्धताओं की पूर्ति की पूर्ति के उद्देश्यों से होता है। किसी निवेश को नकदी समतुल्य माना जाने के लिए यह किसी ज्ञात राशि में त्वरित परिवर्तन किए जाने योग्य होना चाहिए तथा इसमें मूल्य में परिवर्तन के मामूली जोखिम होने चाहिए। तदनुसार, किसी निवेश को सामान्यतः नकदी समतुल्य केवल तभी माना जा सकता है जब प्राप्ति की तिथि से इसकी परिपक्वता तीन माह अथवा कम अवधि की हो।

तथापि, 12.70 करोड़ रूपए मूल्य की दो सावधि जमा, जिनकी परिपक्वता की अवधि, जमा की तिथि से, तीन माह से अधिक अवधि की है, के संबंध में लेखांकन नीति का उल्लंघन करके इंड एएस7 की अपेक्षाओं का पालन नहीं किया गया है।

इसके परिणामस्वरूप नकदी एवं नकदी समतुल्यों का अतिकथन हुआ है तथा नकदी एवं नकदी समतुल्यों के अलावा बैंक शेष, प्रत्येक, के संबंध में न्यूनोक्ति हुई है।

ख. नकदी प्रवाह विवरण के संबंध में टिप्पणियां

3. टिप्पणी संख्या 2 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें यह टिप्पणी की गई है कि तीन माह से अधिक अवधि के 12.70 करोड़ रूपए की राशि के दो सावधि जमा नकदी एवं नकदी समतुल्य के अलावा अन्य बैंक शेष के स्थान पर चूकवश नकदी एवं नकदी समतुल्यों में शामिल किए हैं। इसके परिणामस्वरूप, नकदी एवं नकदी समतुल्यों एवं निवेश क्रियाकलापों से निवल नकदी प्रवाह का 12.70 करोड़ रूपए की राशि, प्रत्येक, का अतिकथन हुआ है।

निवेश क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह – 154.91 करोड़ रूपए

4. उपर्युक्त में 16 करोड़ रूपए का प्राप्त ब्याज है जिसमें आयकर विभाग से प्राप्त धनवापसी पर 12.34 करोड़ रूपए की राशि का प्राप्त ब्याज भी शामिल है।

आयकर धनवापसी पर प्राप्त ब्याज को आयकर धनवापसी के बराबर परिचालन गतिविधियों से प्राप्त नकदी प्रवाह न मानकर इसे निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह के रूप में दर्शाया गया है। इसके परिणामस्वरूप, 12.34 करोड़ रूपए के लिए निवेश गतिविधियों से प्राप्त नकदी प्रवाह का अतिकथन तथा परिचालन गतिविधियों से प्राप्त नकदी प्रवाह की न्यूनोक्ति हुई है।

ग. प्रकटीकरण के संबंध में टिप्पणियां

लेखांकन नोट

5. कम्पनी द्वारा अपनी बहियों में चालू कर परिसम्पतियों के अंतर्गत 32.53 करोड़ रूपए के आस्थगित स्रोत पर कर क्रेडिट की स्वीकृति की गई है जो कि निदेशक मंडल द्वारा (दिनांक 21.12.2022 को आयोजित 110वीं बैठक में) लिए गए इस निर्णय के अनुसरण में है कि उक्त राशि के स्रोत पर कर क्रेडिट के *10 प्रतिशत* भाग की स्वीकृति लंबित भुगतान प्रभार शुल्क (एलपीएससी) के प्रति की जाए। ऐसा किए जाने के परिणामस्वरूप, स्रोत पर कर कटौती का 90 प्रतिशत भाग उस वित्तीय वर्ष की कर देयता के प्रति दावा करने के लिए आस्थगित कर दिया गया है जिस वित्तीय वर्ष में कम्पनी को डिस्कॉम्स से उक्त आय की प्राप्ति होगी।

कम्पनी द्वारा चालू वर्ष (2020–21) के दौरान बहियों में एलपीएससी पर 10 प्रतिशत के स्रोत पर कर क्रेडिट की स्वीकृति की है परन्तु एलपीएससी पर स्रोत पर कर कटौती की प्रक्रिया में इस बदलाव के प्रभाव का प्रकटीकरण वित्तीय विवरणों के नोट में नहीं किया गया है।

6. इंड एएस 10 –रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात घटित घटनाएं के पैरा संख्या 13 के अनुसार – ''यदि लाभांश की घोषणा रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात परन्तु वित्तीय विवरणों को जारी किए जाने के अनुमोदन से पूर्व की जाती है तो ऐसे लाभांशों का नोट्स में प्रकटीकरण इंड एएस 1 – वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति के अंतर्गत किया जाएगा।''

   कम्पनी के निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 20 जुलाई, 2022 को आयोजित अपनी 107वीं बैठक में वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए 20.00 करोड़ रूपए के लाभांश की घोषणा की गई है तथा कम्पनी के लेखों का अनुमोदन दिसम्बर 2022 में किया गया था। तथापि, इंड एएस 10 तथा इंड एएस 1 के संबंध में लाभांश से संबंधित अपेक्षित लेखांकन नोट्स में नहीं किए गए थे।

7. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 203 तथा कम्पनी (प्रबंधन कार्मिक की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम 8 के अनुसार ''प्रत्येक सूचीबद्ध कम्पनी तथा प्रत्येक अन्य पब्लिक कम्पनी, जिनकी चुकता शेयर पूंजी दस करोड़ रूपए अथवा अधिक है, में पूर्णकालिक प्रबंधन कार्मिक यथा (1) प्रबंध निदेशक (2) कम्पनी सचिव तथा (3) मुख्य वित्त अधिकारी होगा।''

   कम्पनी की चुकता शेयर 736.54 करोड़ रूपए है, तथापि, कम्पनी द्वारा कोई पूर्णकालिक/नियमित कम्पनी सचिव नियुक्त नहीं किया गया है। इस धारा का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में कम्पनी पर जुर्माने के साथ दंड प्रत्यारोपित किया जा सकता है जो एक लाख रूपए से कम नहीं होगा तथा इसे पांच लाख रूपए तक बढ़ाया जा सकता है तथा इसके लिए कम्पनी के चूक करने वाले प्रत्येक निदेशक तथा प्रमुख प्रबंधन कार्मिक पर जुर्माने सहित दंड लगाया जा सकता है जो पचास हजार रूपए की राशि तक विस्तार योग्य है तथा यदि उल्लंघन निरंतर जारी रहता है तो उसके लिए प्रथम उल्लंघन किए जाने की तिथि से उल्लंघन जारी रहने की तिथि तक के लिए प्रतिदिन एक हजार रूपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। इन तथ्यों का प्रकटीकरण न तो प्रस्तुत वित्तीय विवरणों के लेखांकन नोट्स में किया गया है और न ही सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा अपनी रिपोर्ट में इसके संबंध में कोई टिप्पणी की गई है।

कृते तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से

ह0/–
(अमन दीप चथा)
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 21.06.2023

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा इन्द्रप्रस्थ पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड के 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143 (6)(ख) के अंतर्गत की गई टिप्पणियों पर प्रबंधन के उत्तर

1.	**वित्तीय स्थिति के संबंध में टिप्पणियां** **तुलन पत्र** **चालू देयताएं** **अन्य चालू देयताएं (नोट 26):** **5.04 करोड़ रूपए** इंड एएस 10 (रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात घटित घटनाएं) की अपेक्षा के अनुसार उपर्युक्त में दक्षिण दिल्ली नगर निगम (एसडीएमसी) को 2004–05 से 2020–21 की अवधि के संबंध में देय सम्पति कर की 14.89 करोड़ रूपए की राशि को शामिल नहीं किया गया है जो विशेष सचिव (बिजली) तथा आयुक्त, दक्षिण दिल्ली नगर निगम के मध्य आयोजित बैठक (अक्तूबर 2021) में दक्षिण दिल्ली नगर निगम द्वारा की गई 88.29 करोड़ रूपए की सम्पति कर की विवादित मांग के संबंध में देय है। तथापि लेखांकन नोट में अक्तूबर 2021 में स्वीकृत की गई 14.89 करोड़ रूपए की निश्चित तथा मार्च, 2022 में, इंड एएस 10 की अपेक्षा के अनुसार (रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात घटित घटनाएं) कम्पनी द्वारा चुकता की गई देयता के स्थान पर 88.29 करोड़ रूपए की आकस्मिक देयता (सम्पति कर मांग) की मांग का प्रकटीकरण किया गया है। इसके परिणामस्वरूप चालू देयताओं (अन्य चालू देयताओं) तथा अन्य व्ययों, प्रत्येक, के संबंध में 14.89 करोड़ रूपए की न्यूनोक्ति हुई है। ऐसा होने से, समान राशि के लिए वर्ष में लाभ का अतिकथन हुआ है। इसके अलावा, इसके परिणामस्वरूप 88.29 करोड़ रूपए की आकस्मिक देयताओं का भी अतिकथन हुआ है।	इसके संबंध में यह प्रस्तुत है कि दक्षिण दिल्ली नगर निगम द्वारा कम्पनी के प्रति की गई सम्पति कर की मांग वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान स्पष्ट नहीं हो पाई थी क्योंकि कम्पनी ने दक्षिण दिल्ली नगर निगम के सम्मुख मांग के प्रति विवाद/विरोध प्रस्तुत किया था। सम्पति कर के विवाद का यह मामला, चूंकि मार्च, 2022 तक विवाद/विरोध के दायरे में था 31.3.2021 तक कोई स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई थी अतः लेखांकन सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए 31.3.2021 को समाप्त वर्ष के लेखों में इसे बकाया देयता दर्शाया गया था। तथापि, यह मांग विवादित है, जिसके कारण कम्पनी द्वारा इसे वित्तीय वर्ष 2020–21 के लेखों में आकस्मिक देयता के रूप में ही दर्शाया गया है।
2.	**परिसम्पतियां** **चालू परिसम्पतियां** **नकदी एवं नकदी समतुल्य (नोट–9):** **155.34 करोड़ रूपए** **नकदी एवं नकदी समतुल्यों के अलावा अन्य बैंक शेष (नोट –10) – 34.34 करोड़ रूपए** महत्वपूर्ण लेखांकन नीति संख्या 9 के अनुसार "तुलन पत्र में नकदी एवं नकदी समतुल्यों में बैंकों में जमा नकदी तथा उपलब्ध नकदी, नकदी म्युचुअल फंड तथा तीन माह अथवा कम अवधि की परिपक्वता वाले अल्पकालिक जमा, जो मूल्य में परिवर्तनों के मामूली जोखिम वाले हों, शामिल हैं।"	इंड एएस 7 – "नकदी एवं नकदी समतुल्य" के अनुसार जो निवेश किसी ज्ञात नकद राशि के लिए तत्काल परिवर्तन योग्य होते हैं वे निवेश नकदी एवं नकदी समतुल्य के लिए प्रस्तुति योग्य हैं। तदनुसार, तुलन पत्र तिथि को तीन माह के परिपक्वता दायरे में आने वाले बैंकों में अल्पकालिक जमा को वित्तीय वर्ष 2020–21 के वार्षिक वित्तीय लेखों में नकदी एवं नकदी समतुल्य के रूप में दर्शाया गया है। तथापि, इस संबंध में आगे यह प्रस्तुत है कि किसी निवेश का निर्धारण नकदी एवं नकदी समतुल्य के रूप में किए जाने के लिए लेखापरीक्षा पैरा में संदर्भित इंड एएस–7 के "सामान्य" सिद्धांत का अनुसरण किया जाना है। चूंकि 12.70 करोड़ रूपए की राशि के ये दो अल्पकालिक निवेश वित्तीय वर्ष 2020–21 की समाप्ति के पश्चात 30 दिन की अवधि में परिपक्व होने वाले

	इसके अलावा, इंड एएस 7 (नकदी प्रवाह विवरण) के अनुसार नकदी समतुल्यों का धारण निवेश अथवा अन्य उद्देश्यों की तुलना में अल्प–कालिक नकदी प्रतिबद्धताओं की पूर्ति की पूर्ति के उद्देश्यों से होता है। किसी निवेश को नकदी समतुल्य माना जाने के लिए यह किसी ज्ञात राशि में त्वरित परिवर्तन किए जाने योग्य होना चाहिए तथा इसमें मूल्य में परिवर्तन के मामूली जोखिम होने चाहिए। तदनुसार, किसी निवेश को सामान्यतः नकदी समतुल्य केवल तभी माना जा सकता है जब प्राप्ति की तिथि से इसकी परिपक्वता तीन माह अथवा कम अवधि की हो। तथापि, 12.70 करोड़ रूपए मूल्य की दो सावधि जमा, जिनकी परिपक्वता की अवधि, जमा की तिथि से, तीन माह से अधिक अवधि की है, के संबंध में लेखांकन नीति का उल्लंघन करके इंड एएस7 की अपेक्षाओं का पालन नहीं किया गया है। इसके परिणामस्वरूप नकदी एवं नकदी समतुल्यों का अतिकथन हुआ है तथा नकदी एवं नकदी समतुल्यों के अलावा बैंक शेष, प्रत्येक, के संबंध में न्यूनोक्ति हुई है।	थे अतः इस जमा को भी 31.3.2021 को समाप्त तुलन पत्र में अल्पकालिक निवेश ही माना गया है।
3.	**ख. नकदी प्रवाह विवरण के संबंध में टिप्पणियां** 3. टिप्पणी संख्या 2 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें यह टिप्पणी की गई है कि तीन माह से अधिक अवधि के 12.70 करोड़ रूपए की राशि के दो सावधि जमा नकदी एवं नकदी समतुल्य के अलावा अन्य बैंक शेष के स्थान पर चूकवश नकदी एवं नकदी समतुल्यों में शामिल किए हैं। इसके परिणामस्वरूप, नकदी एवं नकदी समतुल्यों एवं निवेश क्रियाकलापों से निवल नकदी प्रवाह का 12.70 करोड़ रूपए की राशि, प्रत्येक, का अतिकथन हुआ है। **ख. नकदी प्रवाह विवरण के संबंध में टिप्पणियां** टिप्पणी संख्या 2 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें यह टिप्पणी की गई है कि तीन माह से अधिक अवधि के 12.70 करोड़ रूपए की राशि के दो सावधि जमा नकदी एवं नकदी समतुल्य के अलावा अन्य बैंक शेष के स्थान पर चूकवश नकदी एवं नकदी समतुल्यों में शामिल किए हैं। इसके परिणामस्वरूप, नकदी एवं नकदी समतुल्यों एवं निवेश क्रियाकलापों से निवल नकदी प्रवाह का 12.70 करोड़ रूपए की राशि, प्रत्येक, का अतिकथन हुआ है।	इंड एएस 7 – ''नकदी एवं नकदी समतुल्य'' के अनुसार जो निवेश किसी ज्ञात नकद राशि के लिए तत्काल परिवर्तन योग्य होते हैं वे निवेश नकदी एवं नकदी समतुल्य के लिए प्रस्तुति योग्य हैं। तदनुसार, तुलन पत्र तिथि को तीन माह के परिपक्वता दायरे में आने वाले बैंकों में अल्पकालिक जमा को वित्तीय वर्ष 2020–21 के नकदी प्रवाह विवरण में नकदी एवं नकदी समतुल्य के रूप में दर्शाया गया है। तथापि, इस संबंध में आगे यह प्रस्तुत है कि किसी निवेश का निर्धारण नकदी एवं नकदी समतुल्य के रूप में किए जाने के लिए लेखापरीक्षा पैरा में संदर्भित इंड एएस–7 के ''सामान्य'' सिद्धांत का अनुसरण किया जाना है। चूंकि 12.70 करोड़ रूपए की राशि के ये दो अल्पकालिक निवेश वित्तीय वर्ष 2020–21 की समाप्ति के पश्चात 30 दिन की अवधि में परिपक्व होने वाले थे अतः इस जमा को भी 31.3.2021 को समाप्त वर्ष के नकदी प्रवाह विवरण में अल्पकालिक निवेश ही माना गया है।
4.	**निवेश क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह – 154.91 करोड़ रूपए** उपर्युक्त में 16 करोड़ रूपए का प्राप्त ब्याज है जिसमें आयकर विभाग से प्राप्त धनवापसी पर 12.34 करोड़ रूपए की राशि का प्राप्त ब्याज भी शामिल है। आयकर धनवापसी पर प्राप्त ब्याज को आयकर धनवापसी के बराबर परिचालन गतिविधियों से प्राप्त नकदी प्रवाह न मानकर	इंद्रप्रस्थ पावर जनरेशन निगम द्वारा अरावली पावर कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड (एपीसीपीएल) में 736.54 करोड़ रूपए की राशि का निवेश किया गया है जो कम्पनी की एक संयुक्त उद्यम कम्पनी है। कम्पनी को समय समय पर निवेश के संबंध में वर्ष आधार पर लाभांश प्राप्त हो रहा है जिसे संबंधित वर्ष के वित्तीय विवरणों में कम्पनी के लाभ के रूप में दर्शाया जाता है। यहां यह उल्लेखनीय है कि कम्पनी को ऊपर उल्लिखित

	इसे निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह के रूप में दर्शाया गया है। इसके परिणामस्वरूप, 12.34 करोड़ रूपए के लिए निवेश गतिविधियों से प्राप्त नकदी प्रवाह का अतिकथन तथा परिचालन गतिविधियों से प्राप्त नकदी प्रवाह की न्यूनोक्ति हुई है।	संयुक्त उद्यम कम्पनी से लाभ की प्राप्ति लाभांश के रूप में प्राप्त हो रही है तथा यदि यह प्राप्त न हो तो कम्पनी को घाटा हो रहा है। तदनुसार, उक्त संयुक्त उद्यम कम्पनी से लाभांश की प्राप्ति से सम्बद्ध किसी लाभ की प्राप्ति होती है तो वह निवेश से प्राप्त आय है तथा इसे नकदी प्रवाह विवरण में तदनुसार दर्शाया गया है। इसी प्रकार, आयकर विभाग से यदि कोई धनवापसी प्राप्त होती है तो वह भी लाभांश से सम्बद्ध आय के संबंध में अधिक चुकता आयकर के लेखे में आती है। तदनुसार इंड एएस 7 ''नकदी प्रवाह विवरण'' के विशिष्ट खंड को विचार में लेकर कम्पनी द्वारा आयकर की धनवापसी पर ब्याज की 12.34 करोड़ रूपए की राशि को निवेश क्रियाकलापों से प्राप्त नकदी प्रवाह के रूप में दर्शाया गया है।
5.	**ग. प्रकटीकरण के संबंध में टिप्पणियां** **लेखांकन नोट** कम्पनी द्वारा अपनी बहियों में चालू कर परिसम्पतियों के अंतर्गत 32.53 करोड़ रूपए के आस्थगित स्रोत पर कर क्रेडिट की स्वीकृति की गई है जो कि निदेशक मंडल द्वारा (दिनांक 21.12. 2022 को आयोजित 110वीं बैठक में) लिए गए इस निर्णय के अनुसरण में है कि उक्त राशि के स्रोत पर कर क्रेडिट के *10 प्रतिशत* भाग की स्वीकृति लंबित भुगतान प्रभार शुल्क (एलपीएससी) के प्रति की जाए। ऐसा किए जाने के परिणामस्वरूप, स्रोत पर कर कटौती का 90 प्रतिशत भाग उस वित्तीय वर्ष की कर देयता के प्रति दावा करने के लिए आस्थगित कर दिया गया है जिस वित्तीय वर्ष में कम्पनी को डिस्कॉम्स से उक्त आय की प्राप्ति होगी। कम्पनी द्वारा चालू वर्ष (2020–21) के दौरान बहियों में एलपीएससी पर 10 प्रतिशत के स्रोत पर कर क्रेडिट की स्वीकृति की है परन्तु एलपीएससी पर स्रोत पर कर कटौती की प्रक्रिया में इस बदलाव के प्रभाव का प्रकटीकरण वित्तीय विवरणों के नोट में नहीं किया गया है।	आयकर अधिनियम के अंतर्गत यह प्रस्तुत है कि प्रत्येक निर्धारण वर्ष से संबंधित प्रक्रिया अलग से एवं पृथक रूप में की जाती है तथा तदनुसार कर योग्य आय अथवा स्व–निर्धारण (स्रोत पर कटौती के कर क्रेडिट सहित) का आकलन आयकर अधिनियम के प्रावधानों की व्याख्या के आधार पर भिन्न वर्षों में भिन्न प्रकार का हो सकता है तथा ऐसा प्रत्येक निर्धारण वर्ष के दौरान उत्पन्न होने तथ्यों के अनुसार विशेषज्ञ मत के आधार पर होता है। विशेषज्ञ मत के आधार पर कम्पनी ने विलंब भुगतान प्रभार (एलपीएससी) से संबंधित स्रोत पर कर कटौती के क्रेडिट का उपचार वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए स्रोत पर कर कटौती की केवल 10 प्रतिशत राशि का दावा करके किया है तथा स्रोत पर कर कटौती के 90 प्रतिशत को भविष्य में प्राप्त होने वाली एलपीएससी के प्रति आय के रूप में समंजन (सैट ऑफ) करने के लिए आस्थगित कर दिया है। तथापि, ऐसा किया जाना लेखांकन नीति में परिवर्तन नहीं है तथा तदनुसार इससे उत्पन्न होने वाले प्रभाव की अलग से लेखों में प्रस्तुति की जानी आवश्यक नहीं है।
6.	इंड एएस 10 –रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात घटित घटनाएं के पैरा संख्या 13 के अनुसार – ''यदि लाभांश की घोषणा रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात परन्तु वित्तीय विवरणों को जारी किए जाने के अनुमोदन से पूर्व की जाती है तो ऐसे लाभांशों का नोट्स में प्रकटीकरण इंड एएस 1 – वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति के अंतर्गत किया जाएगा।'' कम्पनी के निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 20 जुलाई, 2022 को आयोजित अपनी 107वीं बैठक में वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए 20.00 करोड़ रूपए के लाभांश की घोषणा की गई है तथा कम्पनी के लेखों का अनुमोदन दिसम्बर 2022 में किया गया था। तथापि,	यद्यपि वित्तीय वर्ष 2020–21 के लाभांश की अनुशंसा निदेशक मंडल द्वारा की गई थी परन्तु इसे शेयरधारकों को भुगतान के लिए देय बनाने के लिए कम्पनी की वार्षिक आम सभा में शेयरधारकों से अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होता है। तदनुसार, इसके संबंध में वित्तीय वर्ष 2020–21 के लेखों में प्रकटीकरण नहीं किए गए थे।

	इंड एएस 10 तथा इंड एएस 1 के संबंध में लाभांश से संबंधित अपेक्षित लेखांकन नोट्स में नहीं किए गए थे।	
7.	कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 203 तथा कम्पनी (प्रबंधन कार्मिक की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम 8 के अनुसार "प्रत्येक सूचीबद्ध कम्पनी तथा प्रत्येक अन्य पब्लिक कम्पनी, जिनकी चुकता शेयर पूंजी दस करोड़ रूपए अथवा अधिक है, में पूर्णकालिक प्रबंधन कार्मिक यथा (1) प्रबंध निदेशक (2) कम्पनी सचिव तथा (3) मुख्य वित्त अधिकारी होगा।" कम्पनी की चुकता शेयर 736.54 करोड़ रूपए है, तथापि, कम्पनी द्वारा कोई पूर्णकालिक / नियमित कम्पनी सचिव नियुक्त नहीं किया गया है। इस धारा का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में कम्पनी पर जुर्माने के साथ दंड प्रत्यारोपित किया जा सकता है जो एक लाख रूपए से कम नहीं होगा तथा इसे पांच लाख रूपए तक बढ़ाया जा सकता है तथा इसके लिए कम्पनी के चूक करने वाले प्रत्येक निदेशक तथा प्रमुख प्रबंधन कार्मिक पर जुर्माने सहित दंड लगाया जा सकता है जो पचास हजार रूपए की राशि तक विस्तार योग्य है तथा यदि उल्लंघन निरंतर जारी रहता है तो उसके लिए प्रथम उल्लंघन किए जाने की तिथि से उल्लंघन जारी रहने की तिथि तक के लिए प्रतिदिन एक हजार रूपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। इन तथ्यों का प्रकटीकरण न तो प्रस्तुत वित्तीय विवरणों के लेखांकन नोट्स में किया गया है और न ही सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा अपनी रिपोर्ट में इसके संबंध में कोई टिप्पणी की गई है।	यह प्रस्तुत है कि किसी विधिक औपचारिकता का अनुपालन न किए जाने (यदि कोई हो) से संबंधित किसी जुर्माने के प्रत्यारोपण किए जाने के विधिक प्रावधान होने के तथ्य मात्र से कम्पनी तब तक किसी जुर्माने का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होती है जब तक ऐसा जुर्माना संबंधित सरकारी विभाग/प्राधिकरण द्वारा प्रत्यारोपित न किया गया हो। चूंकि कम्पनी को न तो कम्पनी के प्रति ऐसी चूक, यदि कोई हो, से संबंधित किसी प्रकार का कोई नोटिस प्राप्त हुआ है और न ही कम्पनी के खिलाफ कोई प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, अतः इसके संबंध में वित्तीय वर्ष 2020–21 के लेखों में किसी प्रकार का प्रकटीकरण किए जाने की कोई अपेक्षा नहीं थी।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

	ह0/–	ह0/–
स्थान : नई दिल्ली	(रवि धवन)	(मुकेश कुमार शर्मा)
दिनांक : 07.12.2023	प्रबंध निदेशक	निदेशक (तकनीकी)

अनुलग्नक – 3

फार्म संख्या एमआर–3

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 (1) तथा कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम 9 के अनुसरण में)

सेवा में

सदस्यगण,
इन्द्रप्रस्थ पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड
हिमाद्री, राजघाट पावर हाउस परिसर
नई दिल्ली – 110002

हमने, मैसर्स इन्द्रप्रस्थ पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड (एतद्द्वारा ''कंपनी'' के रूप में संदर्भित) द्वारा लागू सांविधिक उपबंधों का अनुपालन किए जाने और उत्तम कॉर्पोरेट व्यवहारों का अनसुरण किए जाने की सचिवीय लेखापरीक्षा की है। सचिवीय लेखापरीक्षा के लिए ऐसी विधि का उपयोग किया है, जिससे हमें कॉर्पोरेट कार्यों/सांविधिक अनुपालनों के लिए मूल्यांकन तथा उनके संबंध में अपना मत व्यक्त करने का औचित्यपरक आधार प्राप्त हो सके।

कंपनी की बहियों, कागजों, कार्यवृत्त पुस्तकों, फार्मों और फाईल की गई विवरणियों और कंपनी द्वारा अनुरक्षित अन्य रिकार्ड तथा कंपनी, इसके अधिकारियों, एजेंटों और अधिकृत प्राधिकारियों द्वारा सचिवीय लेखापरीक्षा के दौरान हमें उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर, हम, एतद्द्वारा यह रिपोर्ट करते हैं कि हमारे मतानुसार कंपनी ने, **31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष की** लेखापरीक्षा अवधि के दौरान नीचे सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कि कंपनी में रिपोर्टिंग के लिए उचित निदेशक मंडल प्रक्रियाएं और अनुपालन तंत्र उस सीमा तक और उस भांति व शर्तों पर स्थापित हैं, जिसके अनुसार तथा आधार पर एतद्द्वारा यह रिपोर्ट तैयार की गई है कि:–

हमने, 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के संबंध में कंपनी की बहियों, कागजों, कार्यवृत्त पुस्तकों, फार्मों तथा फाइल किए गए विवरणों तथा अनुरक्षित अन्य रिकार्ड की जांच निम्नलिखित के प्रावधानों के अंतर्गत की है:–

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) तथा उसके अंतर्गत निर्मित नियम;

(2) प्रतिभूति संविदा (विनियम) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') और उसके अंतर्गत निर्मित नियम;

(3) निक्षेपागार अधिनियम,1996 और उसके अंतर्गत निर्मित विनियम एवं उप–नियम; **लागू नहीं ।**

(4) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, ओवरसीज प्रत्यक्ष निवेश एवं बाहरी वाणिज्यिक ऋण से संबद्ध की सीमा तक उसके अंतर्गत निर्मित नियम और विनियम; **वर्ष के दौरान इससे संबंधित कोई प्रकिया नहीं हुई ।**

(5) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (''सेबी अधिनियम'') के अंतर्गत निर्धारित निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश **कंपनी के लिए लागू नहीं हैं क्योंकि यह सूचीबद्ध नहीं है:**

  (क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण और टेकओवर्स), विनियम, 2011;

  (ख) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अतरंग व्यापार निषेध) विनियम, 1992;

  (ग) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी निर्गम और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2009;

  (घ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना और कर्मचारी स्टॉक खरीद योजना) दिशानिर्देश,1999;

  (ङ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूति निर्गम और सूचीकरण) विनियम, 2008;

(च) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गम और शेयर अंतरण एजेंट के रजिस्ट्रार) विनियम, 1993, कंपनी अधिनियम और ग्राहकों से संव्यवहार के संबंध में;

(छ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों को असूचीबद्ध करना) विनियम, 2009; और

(ज) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की वापसी–खरीद), विनियम, 1998;

(6) कंपनी पर विशिष्ट रूप से लागू निम्नलिखित कानूनों के अंतर्गत अनुपालनों/प्रणालियों का सत्यापन कंपनी के संबंधित विभाग द्वारा कंपनी के निदेशक मंडल को प्रस्तुत आवधिक प्रमाण पत्रों के आधार पर किया गया था।

क) विद्युत अधिनियम, 2003

ख) विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1884

हमने निम्नलिखित लागू खंडों के अनुपालन की भी जांच की है :–

(1) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक ।

(2) कंपनी द्वारा स्टॉक एक्सचेंजों के साथ किया गया सूचीबद्धता अनुबंध –**लागू नहीं क्योंकि यह कंपनी सूचीबद्ध कंपनी नहीं है।**

विचाराधीन वर्ष के दौरान, निम्नलिखित टिप्पणियों की शर्त पर, कंपनी द्वारा ऊपर उल्लिखित अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों इत्यादि का अनुपालन किया गया है:–

1. कंपनी द्वारा निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों की संख्या की अपेक्षा के अलावा कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का अनुपालन किया गया है। विचाराधीन वर्ष के दौरान, कंपनी के निदेशक मंडल में केवल एक स्वतंत्र निदेशक था, जबकि अपेक्षाओं के अनुसार कंपनी के निदेशक मंडल में कम से कम दो स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए।

2. कंपनी ने, क्रमशः लेखापरीक्षा समिति के गठन तथा नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के लिए न्यूनतम संख्या के अनुसार स्वतंत्र निदेशक की अपेक्षा पूरी करने के अलावा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 एवं 178 के उपबंधों का अनुपालन किया है। विचाराधीन वर्ष के दौरान, कंपनी की लेखापरीक्षा समिति और नामांकन व पारिश्रमिक समिति में केवल एक ही स्वतंत्र निदेशक था जबकि न्यूनतम दो स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षा है।

3. हमें प्रस्तुत स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अंतर्गत कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के संबंध में अपेक्षित राशि का व्यय विचाराधीन वर्ष के दौरान नहीं किया गया है।

4. विचाराधीन अवधि के दौरान वित्तीय वर्ष 2019–20 से संबंधित कम्पनी के वार्षिक लेखों की प्रस्तुति वार्षिक आम सभा में सदस्यों के सम्मुख नहीं की गई थी तथा उक्त बैठक को स्थगित कर दिया गया था परन्तु स्थगित वार्षिक आम सभा का आयोजन कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 96(1) के अंतर्गत निर्दिष्ट सांविधिक समय सीमा में नहीं किया गया था।

5. विचाराधीन वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा 31.3.2020 को समाप्त वर्ष के एओसी 4 एक्सबीआरएल फार्म एवं फार्म एमजीटी7 में वार्षिक विवरण की कम्पनी द्वारा कम्पनी रजिस्ट्रार, नई दिल्ली को प्रस्तुति न किए जाने के अलावा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के सम्मुख विविध फार्म तथा विवरणों की प्रस्तुति निर्धारित समय के अनुसार की गई है।

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि:–

कंपनी के निदेशक मंडल का गठन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (4) के उपबंधों के अनुसार निदेशक मंडल में कम से दो स्वतंत्र निदेशक होने की अपेक्षा का अनुपालन करके नहीं किया गया है क्योंकि वर्ष के दौरान कंपनी के निदेशक मंडल में केवल एक ही स्वतंत्र निदेशक था। निदेशक मंडल के गठन के संबंध में विचाराधीन वर्ष के दौरान किया गया परिवर्तन, अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत किया गया था।

निदेशक मंडल की बैठकों, कार्यसूची तथा कार्यसूची की अनुसूची के लिए विस्तृत टिप्पणी से संबंधित सूचना सभी निदेशकों को कम से कम सात दिन पूर्व भिजवाकर पर्याप्त समय दिया गया था तथा बैठक के आयोजन से पूर्व तथा बैठक में आशय पूर्ण प्रतिभागिता के लिए अपेक्षित अग्रेतर सूचना एवं स्पष्टीकरण उपलब्ध करवाने की पर्याप्त व्यवस्था स्थापित की गई है। अधिकांश बहुमत के आधार पर लिए गए हैं तथा असहमत सदस्यों से प्राप्त विचार, यदि कोई है, बैठक के कार्यवृत्त में रिकार्ड किए गए थे।

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि हमें प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार, लागू विधानों, नियमों, विनियमों तथा दिशानिदेशों के अनुपालन की निगरानी तथा सुनिश्चय के लिए कंपनी के आकार तथा परिचालनों के अनुरूप पर्याप्त व्यवस्थाएं एवं प्रक्रियाएं स्थापित की गई हैं। तथापि, अनुपालन की व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ बनाए जाने की आवश्यकता है। हम आगे यह भी रिपोर्ट करते हैं कि :–

क) हमें दी गई सूचना के अनुसार, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निदेशों के अनुसार कंपनी का राजघाट पावर स्टेशन में परिचालन बंद था और संयंत्र बंद पड़ा हुआ था। इसलिए कंपनी द्वारा पेट्रोलियम अधिनियम, फैक्टरी अधिनियम, बॉयलर अधिनियम, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के नवीकरण के उपबंधों के अनुपालन, वायु एवं जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम के अंतर्गत सहमति पत्र के लिए आवेदन प्रस्तुत करने तथा अग्नि सुरक्षा विभाग से अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र / अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के संबंध में कोई कार्रवाई नही की गई है।

ख) विचाराधीन अवधि के दौरान कार्यस्थल पर महिलाओं के प्रति लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों के अंतर्गत कर्मचारियों को नियमित अंतराल पर अधिनियम के प्रावधानों के प्रति संवेदी बनाने के लिए कार्यशालाओं तथा जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करने तथा आंतरिक समिति के लिए अनुकूलन कार्यक्रम आयोजित किए जाने से संबंधित अनुपालन नहीं किया गया है।

ग) विचाराधीन वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा न तो कम्पनी के कर्मचारियों के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अंतर्गत पंजीकरण के लिए आवेदन किया गया है और न ही उपयोज्यता से संबंधित छूट की मांग की गई है, जिसके परिणामस्वरूप कम्पनी के सम्मुख वित्तीय एवं विधिक मामले प्रस्तुत हो सकते हैं।

घ) हमें प्रस्तुत स्पष्टीकरण के अनुसार विचाराधीन अवधि के दौरान दिल्ली श्रम कल्याण निधि नियमावली, 1997 के प्रावधानों का अनुपालन कम्पनी द्वारा नहीं किया जा रहा है तथा कम्पनी स्वयं पर इसकी उपयोज्यता के बारे में जानकारी प्राप्त कर रही है।

हम यह भी सूचित करते हैं कि यह रिपोर्ट **अनुलग्नक–1** में संलग्न समान तिथि के मेरे पत्र के साथ पठित है तथा इस रिपोर्ट का अभिन्न भाग है।

कृते स्वर्ण जैन एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

ह0/–
(स्वर्ण कुमार जैन)
स्वत्वधारी
सीपी4906
एफसीएस 3236
यूडीआइएनः एफ003236सी002705716

दिनांक : 24.02.2022
स्थान : नई दिल्ली

सचिवीय लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक, जो रिपोर्ट का अभिन्न भाग है।

अनुलग्नक–।

सेवा,

सदस्यगण,

इन्द्रप्रस्थ पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड

हिमाद्री, राजघाट पावर हाउस परिसर,

नई दिल्ली – 110002

यह पत्र हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के साथ पठित है।

1 सचिवीय रिकॉर्ड का अनुरक्षण करना कंपनी के प्रबंधन का दायित्व है। हमारा दायित्व, हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर सचिवीय रिकार्डों पर अपना मत व्यक्त करना है।

2 हमने सचिवीय रिकॉर्ड की विषय–वस्तु की सत्यता के प्रति उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए यथोचित लेखापरीक्षा पद्धतियों और प्रक्रियाओं का अनुपालन किया है। हमारा ऐसा मानना है कि हमारे द्वारा प्रयुक्त प्रक्रियाएं एवं पद्धतियां हमारे प्रस्तुत मत का औचित्यपरक आधार हैं।

3 हमने कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड और लेखा बहियों की सटीकता का सत्यापन नहीं किया है, क्योंकि ये सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा समीक्षा किए जाने के अधीन रहे हैं और वित्तीय लेखों पर लेखापरीक्षकों की योग्य टिप्पणियां उनकी रिपोर्ट में देखी जा सकती है।

4 वर्ष के दौरान की गई जालसाजियों के ब्योरे के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित लेखों को देखा जा सकता है।

5 जहां–कहीं भी अपेक्षित था वहां हमने कानूनों, नियमों एवं विनियमों के अनुपालन और घटनाओं आदि के बारे में प्रबंधन से जानकारियां प्राप्त की हैं।

6 निगमित और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और मानकों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच प्रक्रियाओं के परीक्षण के आधार पर सत्यापन तक सीमित है।

7 यह सचिवीय लेखापरीक्षा न तो कंपनी द्वारा किए जा रहे कार्यों की भावी व्यवहार्यता और न ही प्रबंधन द्वारा की जा रही प्रक्रियाओं की कार्यक्षमता अथवा प्रभाव्यता के प्रति किसी प्रकार का आश्वासन है।

कृते स्वर्ण जैन एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

ह0/–
(स्वर्ण कुमार जैन)
एफसीएस 3236
यूडीआइएनः एफ003236सी002705716

दिनांक : 24.02.2022
स्थान : नई दिल्ली

सचिवीय लेखापरीक्षकों द्वारा आईपीजीसीएल के संबंध में वित्तीय वर्ष 2020–21 की अपनी रिपोर्ट में की गई टिप्पणियों पर प्रबंधन के उत्तर

<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>टिप्पणी</th><th>प्रबंधन की टिप्पणियां</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>कंपनी द्वारा निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों की संख्या की अपेक्षा के अलावा कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का अनुपालन किया गया है। विचाराधीन वर्ष के दौरान, कंपनी के निदेशक मंडल में केवल एक स्वतंत्र निदेशक था, जबकि अपेक्षाओं के अनुसार कंपनी के निदेशक मंडल में कम से कम दो स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए।</td><td rowspan="2">(पैरा 1 एवं 2)

तथ्यपरक विवरण। सरकारी कंपनी होने के फलस्वरूप, कंपनी के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशक नियुक्त करने की शक्ति, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के पास है और तदनुसार कंपनी ने अपने निदेशक मंडल में अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशक नियुक्त करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार से अनुरोध किया है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा अपने दिनांक 26.8.2021 के आदेश संख्या सीडी– 014661216/पावर/3029 के माध्यम से श्री तरूण बत्रा तथा श्रीमती अंजली राय को इंद्रप्रस्थ पावर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड में स्वतंत्र निदेशक नामित किया गया है।

इसके अलावा, इंद्रप्रस्थ पावर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड के निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 28.8.2021 को आयोजित अपनी बैठक में श्री तरूण बत्रा तथा श्रीमती अंजली राय को इंद्रप्रस्थ पावर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया है तथा इं.पा.ज.कं.लि. की लेखापरीक्षा समिति एवं नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का पुनर्गठन करके इन दोनों स्वतंत्र निदेशकों को इनमें शामिल किया गया है।

इस प्रकार, अब इंद्रप्रस्थ पावर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड द्वारा कम्पनी अधिनियम की धारा 149, 177 तथा 178 के प्रावधानों के अनुसार अपने निदेशक मंडल में कम से कम 2 स्वतंत्र निदेशक होने की अपेक्षा और साथ ही लेखापरीक्षा समिति तथा नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति में से न्यूनतम 2 स्वतंत्र निदेशक होने की अपेक्षा का पालन कर लिया गया है।</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>कंपनी ने, क्रमशः लेखापरीक्षा समिति के गठन तथा नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के लिए न्यूनतम संख्या के अनुसार स्वतंत्र निदेशक की अपेक्षा पूरी करने के अलावा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 एवं 178 के उपबंधों का अनुपालन किया है। विचाराधीन वर्ष के दौरान, कंपनी की लेखापरीक्षा समिति और नामांकन व पारिश्रमिक समिति में केवल एक ही स्वतंत्र निदेशक था जबकि न्यूनतम दो स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षा है।</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>हमें प्रस्तुत स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अंतर्गत कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के संबंध में अपेक्षित राशि का व्यय विचाराधीन वर्ष के दौरान नहीं किया गया है।</td><td>कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधानों के अनुसार तथा इंद्रप्रस्थ पावर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड के निदेशक मंडल से दिनांक 28.8.2021 को आयोजित बैठक में प्राप्त अनुमोदन के अनुसरण में वित्तीय वर्ष 2020–21 की 51,41,496/– रूपए की अव्ययित सीएसआर राशि का अंतरण दिनांक 27.9.2021 को प्रधान मंत्री केयर निधि में कर दिया गया है।</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>विचाराधीन अवधि के दौरान वित्तीय वर्ष 2019–20 से संबंधित कम्पनी के वार्षिक लेखों की प्रस्तुति वार्षिक आम सभा में सदस्यों के सम्मुख नहीं की गई थी तथा उक्त बैठक को स्थगित कर दिया गया था परन्तु स्थगित वार्षिक आम सभा का आयोजन कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 96(1) के अंतर्गत निर्दिष्ट सांविधिक समय सीमा में नहीं किया गया था।</td><td>(पैरा 4 तथा 5)

(1) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 96 के प्रावधानों के अनुसार कम्पनी की वित्तीय वर्ष 2019–20 की वार्षिक आम सभा का आयोजन 30.9.2020 तक किया जाना अपेक्षित था

(2) वैश्विक महामारी कोविड 19 से उत्पन्न कठिनाइयों के परिणामस्वरूप कम्पनी रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा हरियाणा द्वारा अपने दिनांक 8.9. 2020 के आदेश संख्या आरओसी/दिल्ली/एजीएम एक्स्टेंशन /2020 के माध्यम से वार्षिक आम सभा के आयोजन के लिए 3 माह का समय विस्तार अर्थात</td></tr>
</table>

5..	विचाराधीन वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा 31.3.2020 को समाप्त वर्ष के एओसी 4 एक्सबीआरएल फार्म एवं फार्म एमजीटी7 में वार्षिक विवरण की कम्पनी द्वारा कम्पनी रजिस्ट्रार, नई दिल्ली को प्रस्तुति न किए जाने के अलावा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के सम्मुख विविध फार्म तथा विवरणों की प्रस्तुति निर्धारित समय के अनुसार की गई है।	इसका आयोजन 31.12.2020 तक किए जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया था। (3) इंद्रप्रस्थ पावर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड एक प्रमुख बिजली आपूर्ति के लिए उत्पादक कम्पनी है तथा यह कोरोना वैश्विक महामारी की गहन चपेट से प्रभावित हुई थी। वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान लगभग सभी कर्मचारी कोविड–19 से प्रभावित हुए थे तथा डीडीएमए की संगरोध नीति के अनुसार वे समय समय पर कार्यालय में उपस्थित नहीं हो सकते थे। इस अवरोध के कारण विविध प्रक्रियाओं के लिए अवरोध उत्पन्न हुए थे तथा कम्पनी के अनेकों ऐसे कार्य लंबित हो गए थे जिनके लिए कम्पनी की लगभग सभी विंग्स से इनपुट प्राप्ति की आवश्यकता होती है। (4) कम्पनी की 19वीं वार्षिक आम सभा का आयोजन दिनांक 30.12.2020 को हुआ था परन्तु यह बैठक नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय से वित्तीय वर्ष 2019–20 से संबंधित लेखों पर टिप्पणियां प्राप्त न होने के कारण स्थगित कर दी गई थी। आयोजित बैठक में इसके संबंध में की गई चर्चा का बैठक के कार्यवृत्त में किया गया उल्लेख निम्नानुसार उद्धृत है :– *"अध्यक्ष महोदय द्वारा यह सूचित किया गया कि नए प्रकार के कोरोना वायरस के प्रसार तथा राष्ट्रव्यापी लॉकडान के परिणामस्वरूप उत्पन्न अनिश्चितता से लेखों को अंतिम रूप प्रदान दिए जाने के साथ लेखापरीक्षा भी प्रभावित हुई है। उन्होंने आगे बताया कि निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 28.12.2020 को आयोजित अपनी बैठक वित्तीय वर्ष 2019–20 के वित्तीय विवरणों के संबंध में अपना अनुमोदन प्रदान किया गया था तथा ये विवरण अब कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6) की अपेक्षाओं के अनुसार पूरक लेखापरीक्षा के लिए नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) को प्रस्तुत किए गए हैं। नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक से धारा 143(6) के अंतर्गत टिप्पणियां प्राप्त होने में कुछ समय लगने की संभावना है। उन्होंने आगे बताया कि इस वार्षिक आम सभा में, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों के साथ, इन परिस्थितियों में, वार्षिक वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति की जानी संभव नहीं है।* *अध्यक्ष महोदया द्वारा मद संख्या 1 के अंतर्गत लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों, निदेशक तथा लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों को अंगीकार किए जाने से संबंधित कार्यसूची की इस मद को स्थगित किए जाने का प्रस्ताव दिया गया। सदस्यों द्वारा कार्यसूची की मद संख्या 1 को स्थगित किए जाने तथा इसकी प्रस्तुति स्थगित बैठक से पूर्व तब प्रस्तुत करने की सहमति दी गई जब लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों के साथ तैयार हों।"* (5) इसके पश्चात, कम्पनी के वित्तीय वर्ष 2019–20 के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां दिनांक 31.3.2021 को प्राप्त हुई थीं। (6) श्री तरूण चतुर्वेदी, स्वतंत्र निदेशक एवं अध्यक्ष, लेखापरीक्षा, इं.पा.ज.कं.लि. की सेवाएं दिनांक 7.6.2021 से समाप्त होने के पश्चात इं.पा.ज.कं.लि. की लेखापरीक्षा समिति का गठन 28.8.2021 तक नहीं किया जा सका था। इसके पश्चात रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा दो नए स्वतंत्र निदेशक नामित किए गए थे तथा निदेशक मंडल में उनकी नियुक्ति दिनांक 28.8.2021 को हुई थी।

		(7) निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 28.8.2021 को आयोजित अपनी बैठक में वित्तीय वर्ष 2019–20 की निदेशक रिपोर्ट के साथ सांविधिक लेखापरीक्षकों तथा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों को अनुमोदित किया गया था। इसके पश्चात लेखापरीक्षा समिति एवं निदेशक मंडल की बैठक का आयोजन दिनांक 28.12.2021 को हुआ था। इसके पश्चात कम्पनी की स्थगित वार्षिक आम सभा का आयोजन 29.12.2021 को हुआ था जिसमें कम्पनी के वित्तीय वर्ष 2019–20 के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण प्रस्तुत किए गए थे तथा इसके पश्चात कम्पनी ने अपने वार्षिक लेखे एवं लेखपरीक्षित विवरण कम्पनी रजिस्ट्रार के सम्मुख प्रस्तुत किए थे।
6.	**हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि** हमें प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार, लागू विधानों, नियमों, विनियमों तथा दिशानिदेर्शों के अनुपालन की निगरानी तथा सुनिश्चय के लिए कंपनी के आकार तथा परिचालनों के अनुरूप पर्याप्त व्यवस्थाएं एवं प्रक्रियाएं स्थापित की गई हैं। तथापि, अनुपालन की व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ बनाए जाने की आवश्यकता है। हम आगे यह भी रिपोर्ट करते हैं कि :–	
	क) हमें दी गई सूचना के अनुसार, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निदेशों के अनुसार कंपनी का राजघाट पावर स्टेशन में परिचालन बंद था और संयंत्र बंद पड़ा हुआ था। इसलिए कंपनी द्वारा पेट्रोलियम अधिनियम, फैक्टरी अधिनियम, बॉयलर अधिनियम, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के नवीकरण के उपबंधों के अनुपालन, वायु एवं जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम के अंतर्गत सहमति पत्र के लिए आवेदन प्रस्तुत करने तथा अग्नि सुरक्षा विभाग से अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र / अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के संबंध में कोई कार्रवाई नही की गई है।	औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25(0) के प्रभाव से राजघाट पावर हाउस बंद है। इस प्रकार, राजघाट पावर हाउस के मामले में लागू कानून लागू नहीं हैं।
	ख) विचाराधीन अवधि के दौरान कार्यस्थल पर महिलाओं के प्रति लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों के अंतर्गत कर्मचारियों को नियमित अंतराल पर अधिनियम के प्रावधानों के प्रति संवेदी बनाने के लिए	वैश्विक महामारी कोविड 19 की स्थितियों के दौरान कोविड से संबंधित एहतियात के साथ प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। वर्ष 2021 में प्रशिक्षण आयोजित करने के संबंध में दिनांक 18.10.2021 का कार्यालय आदेश संख्या डीएम(एचआर)ट्रेनिंग/ आईपीजीसीएल/21–22/03 जारी किया गया था। इसके अलावा, लेखापरीक्षक के प्रेक्षण को नोट कर लिया गया है तथा भविष्य में और अधिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

	कार्यशालाओं तथा जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करने तथा आंतरिक समिति के लिए अनुकूलन कार्यक्रम आयोजित किए जाने से संबंधित अनुपालन नहीं किया गया है।	
	ग) विचाराधीन वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा न तो कम्पनी के कर्मचारियों के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अंतर्गत पंजीकरण के लिए आवेदन किया गया है और न ही उपयोज्यता से संबंधित छूट की मांग की गई है, जिसके परिणामस्वरूप कम्पनी के सम्मुख वित्तीय एवं विधिक मामले प्रस्तुत हो सकते हैं।	क्षेत्रीय निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, क्षेत्रीय कार्यालय, राजेन्द्र भवन, नई दिल्ली को दिनांक 12.1.2022 को इस आशय का एक पत्र लिखा गया था कि इं. पा.ज.कं.लि. –पीपीसीएल सार्वजनिक क्षेत्र के सरकारी उपक्रम/स्थापना हैं तथा इनके कर्मचारियों को ईएसआई आदि की तुलना में अपेक्षाकृत बेहतर हितलाभ प्राप्त हो रहे हैं। इस प्रकार कर्मचारी राज्य बीमा निगम अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण अपेक्षित नहीं है।
	घ) हमें प्रस्तुत स्पष्टीकरण के अनुसार विचाराधीन अवधि के दौरान दिल्ली श्रम कल्याण निधि नियमावली, 1997 के प्रावधानों का अनुपालन कम्पनी द्वारा नहीं किया जा रहा है तथा कम्पनी स्वयं पर इसकी उपयोज्यता के बारे में जानकारी प्राप्त कर रही है।	इस मामले की जांच पैनल एडवोकेट्स द्वारा की गई थी तथा उनके द्वारा दिए गए मत का संक्षेप सार निम्नलिखित है : " इं.पा.ज.कं.लि. एवं पीपीसीएल के संबंध में अधिनियम तथा नियम लागू हैं क्योंकि ये अधिनियम एवं नियमों में परिभाषित स्थापना के दायरे में आते हैं। इं.पा. ज.कं.लि. एवं पीपीसीएल के मामले में दिल्ली श्रम कल्याण निधि नियमावली, 1997 केवल उन्हीं कर्मचारियों के मामले में लागू है जो दिनांक 23.5.2022 के कार्यालय आदेश के साथ पठित बम्बई श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1954 की धारा 2(2) के अंतर्गत आते हैं, जिसका आशय उक्त कार्यालय आदेश के अंतर्गत इं.पा.ज.कं. लि. एवं पीपीसीएल से वेतन प्राप्त कर रहे कर्मचारी हैं न कि वे कर्मचारी हैं जो 23.05.2022 के कार्यालय आदेश के साथ पठित अधिनियम की धारा 2(2) के अंतर्गत नहीं आते हैं।"

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

	ह0/–	ह0/–
स्थान : नई दिल्ली	(रवि धवन)	(मुकेश कुमार शर्मा)
दिनांक : 07.12.2023	प्रबंध निदेशक	निदेशक (तकनीकी)

अनुलग्नक – 4

फार्म एओसी –1

(कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 5 के साथ पठित धारा 129 की उप–धारा (3) के प्रथम परंतुक के अनुसरण में)

सहायक कम्पनियों / सम्बद्ध कम्पनियों / संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरणों की प्रमुख विशेषताओं को दर्शाने वाला विवरण

भाग – ''क' : सहायक कम्पनियां – (लागू नहीं)

(प्रत्येक सहायक कंपनी की सूचना में राशियों की प्रस्तुति रूपए में की जानी है)

1. क्रम संख्या
2. सहायक कंपनी का नाम
3. संबंधित सहायक कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि, यदि धारक कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि से भिन्न है
4. सहायक कंपनी विदेशी होने के मामले में रिपोर्टिंग की मुद्रा एवं सम्बद्ध वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि की विनिमय दर
5. शेयर पूंजी
6. रिजर्व एवं अतिरेक
7. कुल परिसम्पतियां
8. कुल देयताएं
9. निवेश
10. टर्नओवर
11. कराधान से पूर्व लाभ
12. कराधान के लिए प्रावधान
13. कराधान के पश्चात लाभ
14. प्रस्तावित लाभांश
15. शेयरधारिता का प्रतिशत

नोट : निम्नलिखित सूचना की प्रस्तुति विवरण के अंत में की जानी है:

1. सहायक कम्पनियों के नाम जिनके परिचालन अभी प्रारंभ नहीं हुए हैं :
2. सहायक कम्पनियों के नाम जिनका वर्ष के दौरान ऋणशोधन हुआ है अथवा बेच दी गई हैं।

भाग ''ख'' : सम्बद्ध एवं संयुक्त उद्यम

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (3) के अनुसरण में सम्बद्ध कम्पनियों / संयुक्त उद्यमों से संबंधित विवरण

सम्बद्ध कंपनी / संयुक्त उद्यम का नाम	अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (एपीसीपीएल)
1. अद्यतन लेखापरीक्षित तुलन पत्र तिथि	31.03.2021
2. वर्ष के अंत में कंपनी द्वारा धारित सम्बद्ध कंपनी/संयुक्त उद्यम के शेयर	
संख्या	71,65,04,100
सम्बद्ध / संयुक्त उद्यम में निवेश की राशि	7,16,50,41,000
प्रतिशत धारिता का परिमाण	25 प्रतिशत

3. वर्णन करें कि कितना महत्वपूर्ण प्रभाव है	शेयरधारकों की बैठक में समान वोटिंग अधिकार एवं एपीसीपीएल के निदेशक मंडल में 1 नामित निदेशक के साथ कंपनी की शेयरधारिता 25 प्रतिशत है।
4. सम्बद्ध / संयुक्त उद्यम का समेकन न किए जाने का कारण	लागू नहीं
5. अद्यतन लेखापरीक्षित तुलन पत्र के अनुसार शेयरधारिता से सम्बद्ध निवल सम्पति	1558.58 करोड़ रूपए
6. वर्ष के दौरान लाभ / हानि	726.77 करोड़ रूपए
समेकन के लिए विचार में ली गई	181.69 करोड़ रूपए
समेकन के लिए विचार में नहीं ली गई	545.08 करोड़ रूपए

नोट : निम्नलिखित सूचना की प्रस्तुति विवरण के अंत में की जानी है:

1. उन सम्बद्ध अथवा संयुक्त उद्यमों के नाम जिन्होंने अभी परिचालन प्रारंभ नहीं किए हैं – **लागू नहीं**
2. उन सम्बद्ध अथवा संयुक्त उद्यमों के नाम जिनका वर्ष के दौरान ऋणशोधन हुआ है अथवा बेच दी गई हैं – **शून्य**

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

	ह0/–	ह0/–
स्थान : नई दिल्ली	(रवि धवन)	(मुकेश कुमार शर्मा)
दिनांक : 07.12.2023	प्रबंध निदेशक	निदेशक (तकनीकी)

अनुलग्नक – 5

कॉर्पोरेट शासन की रिपोर्ट

इन्द्रप्रस्थ पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड का यह मानना है कि दीर्घकालिक निगमित लक्ष्यों एवं हितधारकों के मूल्यों में संवर्धन के लिए उत्तम कॉर्पोरेट शासन अनिवार्य हैं। इसे ध्यान में रखते हुए, कॉर्पोरेट शासन के सर्वोच्च मानकों को प्राप्त करने के उद्देश्य से इन्द्रप्रस्थ पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड की कॉर्पोरेट शासन के संबंध में अपनी अवधारणा परिचालन के प्रत्येक क्षेत्र में पारदर्शिता, जवाबदेही एवं कानून अनुपालन के सभी सिद्धांतों के अनुसार लक्ष्यबद्ध की गई है।

1. निदेशक मंडल की बैठकें:

निदेशक मंडल की बैठकें नई दिल्ली में आयोजित होती हैं। सामान्यतः कार्य आवश्यताओं के अनुसार निदेशक मंडल की न्यूनतम चार बैठकें आयोजित की जाती हैं तथा दो बैठकों के बीच का अंतराल 120 दिन से अधिक नहीं होता है। परिभाषित कार्य सूची प्रारूप में कार्यसूची और कार्यसूची संबंधी टिप्पणियां सभी निदेशकों को पहले ही भेज दी जाती हैं। कार्यसूची दस्तावेजों में प्रत्येक महत्त्वपूर्ण सूचना शामिल की जाती है ताकि बैठक में सार्थक एवं विषय केन्द्रित चर्चा हो सके। यदि कार्यसूची में किसी दस्तावेज को संलग्न करना व्यवहार्य नहीं होता है, तो उसे कार्यसूची में विशेष संदर्भ के साथ बैठक के समक्ष रख दिया जाता है। केवल विशेष एवं अपरिहार्य परिस्थितियों में ही कार्यसूची के लिए अतिरिक्त अथवा अनुपूरक मद स्वीकार की जाती है।

निदेशक मंडल का गठन

31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार निदेशक मंडल में सात निदेशक थे, जिनमें से प्रबंध निदेशक सहित चार कार्यात्मक निदेशक, एक स्वतंत्र निदेशक तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार द्वारा नामित एक अन्य निदेशक है।

निदेशक मंडल की बैठकें

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, निदेशक मंडल की चार बैठकें, दिनांक 6 जून, 3 सितम्बर, 28 दिसम्बर, 2020 तथा 1 मार्च, 2021 को आयोजित की गई थी। विचाराधीन वित्तीय वर्ष के दौरान, आयोजित वार्षिक आम सभा तथा निदेशक मंडल की बैठकों में उपस्थिति निम्नानुसार थीः–

क्र. सं.	निदेशक	निदेशक मंडल की बैठकें	पिछली वार्षिक आम सभा की तिथि 30.12.2020
1.	श्री सत्य गोपाल, अपर मुख्य सचिव (विद्युत), रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार – अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक *(दिनांक 31.3.2021 से 31.7.2022)*	0/0	लागू नहीं
2.	सुश्री पद्मिनी सिंगला, सचिव (विद्युत), रा.रा.दि.क्षे.सरकार, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक *(5.7.2019 से 31.3.2021)*	4/4	जी हां
3.	श्री डी वर्मा, निदेशक (मानव संसाधन) *(18.7.2019 से 24.4.2020)*	0/0	लागू नहीं
4.	श्री रवि दधिच, निदेशक (मानव संसाधन) *(24.4.2020 से 9.9.2020)*	2/2	लागू नहीं
5.	श्री जे.के. जैन, निदेशक (मानव संसाधन) *(9.9.2020 से 8.7.2021)*	2/2	जी, हां
6.	श्री एस.एम. वर्मा, निदेशक (तकनीकी) *(1.5.2019 से 14.1.2022)*	4/4	जी, हां
7.	श्री रविन्द्र कुमार जैन, निदेशक (वित्त) *(5.6.2017 से 31.5.2021)*	4/4	जी, हां

8.	श्री बी. एन. ओझा, निदेशक *(1.10.2019 से)*	4/4	जी, नहीं
9.	श्री तरूण चतुर्वेदी, स्वतंत्र निदेशक *(8.6.2016 से 7.6.2022)*	4/4	जी, हां

2. लेखापरीक्षा समिति

लेखापरीक्षा समिति की संरचना

31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार, लेखापरीक्षा समिति में निम्नलिखित निदेशक थेः–

1. श्री तरूण चतुर्वेदी — अध्यक्ष
2. श्री बी.एन. ओझा — सदस्य
3. निदेशक (तकनीकी) — सदस्य

लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

वित्तीय वर्ष के दौरान, लेखापरीक्षा समिति की दिनांक 3 सितम्बर, 28 दिसम्बर, 2020 तथा 26 फरवरी, 2021 को तीन बैठकें आयोजित की गई थी। विचाराधीन वित्तीय वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में उपस्थिति का विवरण नीचे दिया गया है :–

क्र.सं.	नाम	बैठकों में उपस्थिति
1	श्री तरूण चतुर्वेदी, स्वतंत्र निदेशक	3/3
2	श्री बी. एन. ओझा, निदेशक	3/3
3	श्री एस.एम. वर्मा, निदेशक (तकनीकी)	3/3

निदेशक (वित्त) तथा संबंधित लेखापरीक्षक भी लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में आमंत्रित किए जाते हैं।

3. कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) समिति

कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व समिति की संरचना

31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार, कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व समिति में निम्नलिखित निदेशक थेः–

1. श्री तरूण चतुर्वेदी — अध्यक्ष
2. निदेशक (मानव संसाधन) — सदस्य
3. निदेशक (वित्त) — सदस्य

सीएसआर समिति की बैठकें

वित्तीय वर्ष के दौरान 3 सितम्बर, 2020 को समिति की बैठक आयोजित की गई थी। विचाराधीन वित्तीय वर्ष के दौरान समिति की बैठकों में उपस्थिति का विवरण नीचे दिया गया है :–

क्र.सं.	नाम	बैठकों में उपस्थिति
1	श्री तरूण चतुर्वेदी, स्वतंत्र निदेशक	1/1
2	श्री रवि दधिच, निदेशक (मानव संसाधन)	1/1
3	श्री रविन्द्र कुमार जैन, निदेशक (वित्त)	1/1

4. नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की संरचना

31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति में निम्नलिखित निदेशक थे:–

1. श्री तरूण चतुर्वेदी — अध्यक्ष
2. कम्पनी के अध्यक्ष — सदस्य
3. श्री बी. एन. ओझा — सदस्य

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की बैठकें

समिति की बैठक 3 सितम्बर, 2020 को आयोजित की गई थी। विचाराधीन वित्तीय वर्ष के दौरान समिति की बैठकों में उपस्थिति का विवरण नीचे दिया गया है :–

क्र.सं.	नाम	बैठकों में उपस्थिति
1	श्री तरूण चतुर्वेदी, स्वतंत्र निदेशक	1/1
2	श्रीमती पद्मिनी सिंगला, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	1/1
3	श्री बी.एन. ओझा, निदेशक	1/1

5. परिचालनात्मक निष्पादन समिति :

परिचालन निष्पादन समिति की संरचना

31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार, परिचालनात्मक निष्पादन समिति की संरचना में निम्नलिखित निदेशक थे:–

1. श्री बी. एन. ओझा — अध्यक्ष
2. श्री तरूण चतुर्वेदी — सदस्य
3. निदेशक (तकनीकी) — सदस्य
4. निदेशक (वित्त) — सदस्य

परिचालन निष्पादन समिति की बैठकें

वर्ष के दौरान, समिति की दो बैठकें, दिनांक 3 सितम्बर, 2020 तथा 26 फरवरी, 2021 को आयोजित की गई थी। विचाराधीन वित्तीय वर्ष के दौरान, आयोजित समिति की बैठकों में उपस्थिति निम्नानुसार रही :–

क्र.सं.	नाम	बैठकों में उपस्थिति
1	श्री बी. एन. ओझा, निदेशक	2/2
2	श्री तरूण चतुर्वेदी, स्वतंत्र निदेशक	2/2
3	श्री एस.एम.वर्मा, निदेशक (तकनीकी)	2/2
4	श्री रविन्द्र कुमार जैन, निदेशक (वित्त)	2/2

6. वार्षिक आम बैठक

पिछली दो आम बैठकों की तिथि, समय तथा स्थान का विवरण :

तिथि	30 दिसम्बर, 2020	23 दिसम्बर, 2019
समय	सायं 03:45 बजे	सायं 3:15 बजे
स्थल	सम्मेलन कक्ष, दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड, शक्ति सदन, कोटला रोड, नई दिल्ली – 110 002	हिमाद्री, राजघाट पावर हाउस परिसर, नई दिल्ली – 110 002

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

ह0/–
(रवि धवन)
प्रबंध निदेशक

ह0/–
(मुकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (तकनीकी)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 07.12.2023

अनुलग्नक – 6

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व क्रियाकलापों की वार्षिक रिपोर्ट

1 **कंपनी की कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व नीति का संक्षिप्त विवरण :**

कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व नीति (सीएसआर नीति) का उद्देश्य यह सुनिश्चय करना है कि कंपनी एक उत्तरदायी कॉर्पोरेट इकाई के रूप में मुख्यतः समाज के जीवन स्तर में सुधार लाने में अपना योगदान प्रदान करे। इन्द्रप्रस्थ पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड द्वारा अपने कॉर्पोरेट सामाजिक क्रियाकलापों के माध्यम से स्वयं अपने लिए सामुदायिक साख का निर्माण करते हुए, निगमित कंपनी के रूप में समाज के प्रति सकारात्मक एवं उत्तरदेयी छवि के निर्माण के प्रयास किए गए हैं।

महत्त्वपूर्ण क्षेत्र

सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक क्षेत्र विद्युत सेक्टर से संबंधित होगा तथा ऐसे प्रयास किए जाएंगे कि उनका चयन निम्नलिखित से संबद्धता के साथ किया जाएः–

(1) अत्यधिक भूखमरी और गरीबी का उन्मूलन।

(2) शिक्षा को प्रोत्साहन।

(3) लैंगिक समानता एवं महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करना ।

(4) बाल मृत्यु दर को कम करना एवं मातृत्व स्वास्थ्य में सुधार लाना ।

(5) मानवों में रोग प्रतिरोध क्षमता वायरस, अक्वायर्ड इम्यून डिफिसिएंसी सिंड्रोम (एड्स), मलेरिया और अन्य रोगों की रोकथाम करना ।

(6) पर्यावरणीय संवहनीयता का सुनिश्चय करना ।

(7) रोजगार संवर्धन के लिए व्यावसायिक कौशल का निर्माण।

(8) सामाजिक व्यवसाय परियोजनाएं।

(9) प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष अथवा सामाजिक आर्थिक विकास तथा राहत एवं अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों या महिलाओं के कल्याण के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा स्थापित किसी अन्य कोष में अंशदान।

(10) कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत विहित किए जाने वाले अन्य मामले।

2. **कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व समिति की संरचनाः–**

क्र.सं.	निदेशक का नाम	पदनाम/निदेशक धारिता की प्रकृति	वर्ष के दौरान आयोजित सीएसआर समिति की बैठकें	वर्ष के दौरान सीएसआर समिति की बैठकों में उपस्थिति
1	श्री तरूण चतुर्वेदी, स्वतंत्र निदेशक	सीएसआर समिति के अध्यक्ष	1 (सीएसआर समिति की बैठक 3.9.2020 को आयोजित की गई	1
2	श्री रवि दधिच, निदेशक (मानव संसाधन)	सीएसआर समिति के सदस्य	1	1
3	श्री रविन्द्र कुमार जैन, निदेशक (वित्त)	सीएसआर समिति के सदस्य	1	1

3. **नीचे वह वेबलिंक दिया गया है जिसके माध्यम से निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति तथा सीएसआर परियोजनाओं का प्रकटीकरण कम्पनी की वेबसाइट पर किया गया है :–**

http://www.ipgcl-ppcl.gov.in/CSRactivitiesIPGCLPPCL.htm

4. कृपया कम्पनी (कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व) नियमावली, 2014 के नियम 8 के उप–नियम (3) के अनुसरण में निष्पादित की गई सीएसआर परियोजनाओं, यदि लागू हो, के प्रभाव मूल्यांकन का विवरण प्रस्तुत करें। (रिपोर्ट संलग्न करें)

लागू नहीं है।

5. कृपया कम्पनी (कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व) नियमावली, 2014 के नियम 7 के उप–नियम (3) के अनुसरण में समंजन के लिए उपलब्ध राशि तथा वित्तीय वर्ष में समंजन के लिए अपेक्षित राशि, यदि कोई हो, का विवरण प्रस्तुत करें :

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	पूर्व वित्तीय वर्षों से समंजन के लिए उपलब्ध राशि (रूपए में)	वित्तीय वर्ष में समंजन के लिए अपेक्षित राशि, यदि कोई हो (रूपए में)
1.	2017–18	शून्य	शून्य
2.	2018–19	शून्य	शून्य
3.	2019–20	शून्य	शून्य
	योग	शून्य	शून्य

6. **धारा 135(5) के अनुसार कंपनी का औसत निवल लाभः–**

पिछले तीन वर्षों के दौरान कंपनी का औसत निवल लाभ निम्नानुसार हैः–

वित्तीय वर्ष 2017–18	(8,81,27,292/–रूपए)
2018–19	(61,16,64,376/–रूपए)
2019–20	1,47,10,16,001/–रूपए
योग	25,70,74,777/–रूपए

7. (क) धारा 135(5) के अंतर्गत कम्पनी के औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत : 51,41,496/– रूपए

(ख) पिछले वित्तीय वर्षों में सीएसआर परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों अथवा क्रियाकलापों में से अधिशेष — लागू नहीं

(ग) वित्तीय वर्ष में समंजन के लिए अपेक्षित राशि, यदि कोई हो — लागू नहीं

(घ) वित्तीय वर्ष 2020–21 (7क+7ख–7ग) के लिए कुल सीएसआर दायित्व 51,41,496/– रूपए

8. (क) **वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय की गई अथवा व्यय न की गई सीएसआर राशि :**

वित्तीय वर्ष के लिए सीएस व्यय के लिए कुल राशि (रूपए में)	अव्ययित राशि (रूपए में)				
	धारा 135(6) के अंतर्गत सीएसआर खाते में अंतरित की गई कुल अव्ययित राशि		धारा 135(5) के अनुसार दूसरे परंतुक की अनुसूची 7 के अंतर्गत किसी अन्य विशिष्ट निधि में अंतरण की गई राशि		
	राशि	अंतरण की तिथि	निधि का नाम	राशि	अंतरण की तिथि
51,41,496/– रूपए	शून्य	लागू नहीं	प्रधान मंत्री केयर निधि	51,41,496/– रूपए	27.9.2021

(ख) वित्तीय वर्ष के दौरान जारी परियोजनाओं के प्रति व्यय की गई सीएसआर राशि का विवरण : (शून्य)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
क.सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची 7 में सूचीबद्ध कियाओं की मद	स्थानीय क्षेत्र (हां / नहीं)	परियोजना का स्थल	
				राज्य	जिला

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
परियोजना की अवधि	परियोजना के लिए निर्धारित राशि (रूपए में)	चालू वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि (रूपए में)	धारा 135(6) के अनुसार परियोजना के लिए अंतरण की गई सीएसआर की अव्ययित राशि	कार्यान्वयन की विधि – डायरेक्ट (हां / नहीं)	कार्यान्वयन की विधि – कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
					नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या

(ग) वित्तीय वर्ष के दौरान जारी परियोजनाओं के अलावा अन्य पर व्यय की गई सीएसआर राशि (शून्य)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
क.सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची 7 में सूचीबद्ध कियाओं की मद	स्थानीय क्षेत्र (हां / नहीं)	परियोजना का स्थल	
				राज्य	जिला

(6)	(7)	(8)	(8)	
परियोजना के लिए व्यय की गई राशि (रूपए में)	कार्यान्वयन की विधि – डायरेक्ट (हां / नहीं)	धारा 135(6) के अनुसार परियोजना के लिए अंतरण की गई सीएसआर की अव्ययित राशि	कार्यान्वयन की विधि – कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
			नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या

(घ) प्रशासनिक शीर्ष के अंतर्गत व्यय की गई राशि : शून्य

(ङ) प्रभाव मूल्यांकन के लिए व्यय की गई राशि, यदि कोई हो : शून्य

(च) वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई राशि (8ख+8ग+8घ+8ङ) : शून्य

(छ) समंजन के लिए शेष राशि, यदि कोई हो

क्र.सं.	विवरण	राशि (रूपए में)
(1)	धारा 135(5) के अनुसार कम्पनी के निवल लाभ का दो प्रतिशत	17,85,18,257/– रूपए
(2)	वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय की गई कुल राशि	17,85,18,257/– रूपए
(3)	वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई अधिक राशि {(2)–(1)}	शून्य
(4)	पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों अथवा क्रियाकलापों से उत्पन्न अधिशेष	शून्य
(5)	आगामी वित्तीय वर्षों में समंजन के लिए उपलब्ध राशि {(3)–(4)}	शून्य

9. (क) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान अव्ययित सीएसआर राशि का विवरण :

क्र. सं	पिछले तीन वित्तीय वर्ष	धारा 135 (6) के अंतर्गत सीएसआर खाते में अंतरित अव्ययित राशि (रूपए में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि (रूपए में)	धारा 135(6) के अनुसार अनुसूची 6 के अंतर्गत निर्दिष्ट किसी निधि में अंतरित राशि, यदि कोई हो			आगामी वित्तीय वर्षों में व्यय के लिए शेष राशि (रूपए में)
				निधि का नाम	राशि (रूपए में)	स्थानांतरण की तिथि	
1.	2017–18	शून्य	शून्य	लागू नहीं	शून्य	लागू नहीं	शून्य
2.	2018–19	शून्य	शून्य	लागू नहीं	शून्य	लागू नहीं	शून्य
3.	2019–20	शून्य	शून्य	लागू नहीं	शून्य	लागू नहीं	शून्य
	योग	शून्य	शून्य	लागू नहीं	शून्य	लागू नहीं	शून्य

(ख) वित्तीय वर्ष के दौरान पिछले वर्ष (वर्षों) की जारी परियोजनाओं के लिए व्यय की गई सीएसआर राशि का विवरण : (शून्य)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
क.सं.	परियोजना पहचान संख्या	परियोजना का नाम	किस वित्तीय वर्ष में परियोजना प्रारंभ हुई थी	परियोजना की अवधि

(6)	(7)	(8)	(9)
परियोजना के लिए निर्धारित कुल राशि (रूपए में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष के दौरान परियोजना पर व्यय की गई राशि (रूपए में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष के अंत में व्यय की गई संचयी राशि	परियोजना की स्थिति – निष्पादित / जारी

10. **पूंजी परिसम्पतियों का निर्माण अथवा अधिग्रहण किए जाने के मामले में कृपया वित्तीय वर्ष के दौरान सीएसआर निधि से निर्मित अथवा अधिगृहित परिसम्पति से संबंधित विवरण प्रस्तुत करें (सम्पति वार विवरण)**

(क)	पूंजी परिसम्पति (परिसम्पतियों) के निर्माण अथवा अधिग्रहण की तिथि	लागू नहीं
(ख)	पूंजी परिसम्पति के निर्माण अथवा अधिग्रहण के लिए व्यय की गई सीएसआर राशि	लागू नहीं
(ग)	उस इकाई अथवा सार्वजनिक प्राधिकरण अथवा लाभग्राही का विवरण, उनके पते इत्यादि, जिसके नाम पर पूंजी परिसम्पति का पंजीकरण किया गया है।	लागू नहीं
(घ)	कृपया पूंजी परिसम्पति (परिसम्पतियों) के निर्माण अथवा अधिग्रहण से संबंधित विवरण प्रस्तुत करें (पूंजी परिसम्पति के पूर्ण पते तथा स्थान सहित)	लागू नहीं

11. **यदि कंपनी द्वारा धारा 135(5) के अंतर्गत औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत व्यय नहीं किया गया है, तो उसके कारण प्रस्तुत करें। (लागू नहीं)**

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

	ह0/–	ह0/–
स्थान : नई दिल्ली	(रवि धवन)	(मुकेश कुमार शर्मा)
दिनांक : 07.12.2023	प्रबंध निदेशक	निदेशक (तकनीकी)

अनुलग्नक – 7

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन, और विदेशी मुद्रा अर्जन और व्यय

(कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 8(3) के साथ पठित कंपनी अधिनियम की धारा 134(3)(एम) के अनुसरण में)

क) ऊर्जा संरक्षण

(1) ऊर्जा संरक्षण के लिए किए गए उपायः

विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 30 मार्च, 2012 की अधिसूचना के अनुसार कंपनी का गैस टर्बाइन पावर स्टेशन निर्दिष्ट उपभोक्ता है। तदनुसार, कम्पनी से पीएटी (निष्पादन करें, उपलब्धि करें और व्यापार करें) योजना के अंतर्गत नियमों तथा विनियमों का अनुपालन किया जाना अपेक्षित है। स्टेशन के लिए पीएटी क्रम वित्त वर्ष 2012–13 से वित्त वर्ष 2014–15 तक लागू था। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (एनपीसी) द्वारा संपादित निगरानी व सत्यापन के आधार पर जीटीपीएस ने 2649 केसीएल/केडब्ल्युएच के लक्ष्य की तुलना में 2587.52 केसीएएल/केडब्ल्यूएच का एनएसएचआर प्राप्त कर लिया है।

वर्तमान में पीएटी क्रम–7 चल रहा है, तथापि, वित्तीय वर्ष 2019–20 तथा वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान न्यून स्टेशन पीएलएफ (40 प्रतिशत से कम) होने के कारण जीटीपीएस विद्यमान पीएटी क्रम का भाग नहीं है, अतः जीटीपीएस के लिए पीएटी क्रम लक्ष्य जारी नहीं किए गए थे। जीटीपीएस चालू पीएटी क्रम का भाग नहीं है, परन्तु फिर भी वित्तीय वर्ष 2019–20 तथा वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान प्रत्येक जीटी ककी नियमित कम्प्रेशर वाशिंग, कॉलम पाइप पर जंगरोधी कोटिंग, दो सर्कुलेटिंग वाटर पम्पों, यथा पम्प नम्बर 3 एवं पम्प नम्बर 5, के लिए बेल माउथ एवं इम्पैलर जैसे ऊर्जा दक्षता के अनेकों उपाय किए गए हैं।

(2) ऊर्जा की खपत में कमी लाने के लिए किए जा रहे अतिरिक्त निवेश और प्रस्ताव, यदि कोई कार्यान्वित किए जा रहे हो।

जीटीपीएस के संबंध में निम्नलिखित ऊर्जा दक्षता योजनाएं तैयार की जा रही हैं :–

- हीट रिकवरी स्टीम जनरेशन (एचआरएसजी) संख्या 5 और एचआरएसजी संख्या 6 की डायवर्टड डेंपर सील को बदलना।
- एसटीजी संख्या 3 की कंडेंस क्लीनिंग
- मॉड्यूल संख्या 3 की सुपर हीटर को बदलना
- बकाया पराम्परागत लाईटों के स्थान पर एलईडी लगाना।
- भाप आधारित वैक्यूम इजेक्टर के स्थान पर वैक्यूम पंप लगाना

तथापि, वित्तीय वर्ष 2019–20 एवं 2020–21 के दौरान आर एंड एम बजट की अनुमति न होने के कारण उक्त ऊर्जा बचत योजनाओं का कार्यान्वयन नहीं किया जा सका था।

(3) ऊर्जा खपत में कमी लाने के लिए अंतर्गत उपायों का प्रभाव

ऊपर (1) तथा (2) में वर्णित उपायों से ऊर्जा खपत पर प्रभाव हुआ है। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा निष्पादन का सत्यापन किए जाने के पश्चात विद्युत मंत्रालय की ओर से फरवरी, 2017 में जीटीपीएस को 8480 ई–स्केर्ट्स जारी किए गए हैं।

उपर्युक्त के अलावा, जीटीपीएस के लिए मैसर्स पीसीआरए द्वारा दिसंबर, 2018 में अनिवार्य ऊर्जा ऑडिट संपन्न किया गया था तथा ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा प्रमाणित फर्म मैसर्स भगवत टैक्नॉलॉजीस एंड एनर्जी कंजर्वेशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अगस्त, 2019 में जीटीपीएस के लिए निगरानी व सत्यापन ऑडिट संपन्न किया गया। जीटीपीएस के लिए हाल ही में किए गए निगरानी व सत्यापन ऑडिट के अनुसार, 2439.21 केसीएएल/केडब्ल्यूएच के लक्षित विशिष्ट उपभोग की तुलना में प्राप्त किया गया विशिष्ट ऊर्जा उपभोग 1955.26 (सामान्यीकृत) केसीएएल/केडब्ल्यूएच है जिससे कंपनी 43837 कुल ऊर्जा बचत प्रमाणपत्र के लिए पात्र हो गई है।

ख) प्रौद्योगिकी आमेलन

1) प्रौद्योगिकी आमेलन

क) **प्रौद्योगिकी आमेलन के लिए किए गए प्रयासों का संक्षिप्त ब्योरा ।**

कंपनी के संयंत्र पुराने हैं। इस अवस्था में नई प्रौद्योगिकियों के आमेलन का दायरा सीमित है। अतः प्रौद्योगिकी आमेलन का कोई मामला नहीं है।

ख) **उपर्युक्त प्रयासों अर्थात् उत्पाद सुधार, लागत में कमी, उत्पाद विकास, आयात प्रतिस्थापन, आदि के परिणामस्वरूप उत्पन्न लाभ ।**

लागू नहीं ।

ग) **आयातित प्रौद्योगिकी (वित्तीय वर्ष की शुरूआत से गणना करके, पिछले 5 वर्षों के दौरान आयातित) की स्थिति में, निम्नलिखित सूचनाएं प्रस्तुत करें।**

(1) **आयातित प्रौद्योगिकी**

किसी नई प्रौद्योगिकी का आयात नहीं किया गया है।

(2) **आयात का वर्ष**

लागू नहीं।

(3) **क्या प्रौद्योगिकी का पूरी तरह से आमेलन हो गया है?**

लागू नहीं ।

(4) **यदि पूरी तरह से आमेलन नहीं हुआ है, तो किन क्षेत्रों में ऐसा है तथा इसके कारण क्या हैं।**

लागू नहीं ।

घ) **अनुसंधान और विकास पर व्यय**

विचाराधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों पर कोई व्यय नहीं किया है।

ग) **विदेशी मुद्रा अर्जन और व्यय**

वर्ष के दौरान कोई विदेशी मुद्रा आय नहीं हुई है। वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा व्यय 9 लाख रूपए (पिछले वर्ष 45.36 लाख रुपए) था।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

	ह0/–	ह0/–
स्थान : नई दिल्ली	(रवि धवन)	(मुकेश कुमार शर्मा)
दिनांक : 07.12.2023	प्रबंध निदेशक	निदेशक (तकनीकी)

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में,

सदस्यगण, इंद्रप्रस्थ पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड,

स्टैंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

अर्हक मत

हमने **इंद्रप्रस्थ पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड (कंपनी)** एवं इसकी सम्बद्ध कम्पनियों (सामूहिक रूप से 'समूह के नाम से संदर्भित) के संलग्न स्टैंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है जिसमें 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र, स्टैंडएलोन लाभ एवं हानि विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), एवं स्टैंडएलोन रोकड़ प्रवाह विवरण तथा स्टैंडएलोन इक्विटी परिवर्तन विवरण तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों एवं अन्य स्पष्टीकरण सूचना का सार शामिल है (एतद्पश्चात् "स्टैंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरण" के रूप में संदर्भित)।

हमारे मत एवं हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, हमारी रिपोर्ट के ***अर्हक मत के आधार वाले भाग में उल्लिखित मामलों के प्रभावों के अलावा,*** उपर्युक्त स्टैंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरण, कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) में अपेक्षित सूचना की प्रस्तुति अपेक्षाओं के अनुसार करते हैं तथा ये, 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष की स्थिति के अनुसार, समूह (कंपनी एवं इसकी सम्बद्ध कम्पनियां) के स्टैंडएलोन कार्यों एवं उनके स्टैंडएलोन लाभ अथवा हानि विवरण (अन्य व्यापक आय सहित वित्तीय निष्पादन, स्टैंडएलोन इक्विटी परिवर्तन एवं उनके स्टैंडएलोन रोकड़ प्रवाह विवरण की सत्य एवं स्वच्छ छवि की प्रस्तुति भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप करते हैं।

अर्हक मत का आधार

कंपनी ने 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के स्टैंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों में डिस्कॉम्स से प्राप्य व्यापार के संबंध में संभावित क्रेडिट हानियों के मूल्यांकन तथा प्रावधान (इंड एएस 109 : 'वित्तीय लिखत' की अपेक्षाओं से संबंधित नोट 34 क (1)) नहीं किए हैं तथा तदनुसार इससे होने वाले मौद्रिक प्रभाव ज्ञात कर पाना संभव नहीं है।

हमारे द्वारा की गई स्टैंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा, अधिनियम की धारा 143(10) में निर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों ("एसए") के अनुसरण में गई है है। इन मानकों के अंतर्गत, हमारे उत्तरदायित्वों का विस्तृत विवरण, हमारी रिपोर्ट में *स्टैंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरण के खंड में वर्णित लेखापरीक्षकों के दायित्व* में किया गया है। कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम) के प्रावधानों तथा उनके अंतर्गत निर्मित नियमों के अंतर्गत, हमारे द्वारा की गयी स्टैंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा, हमारी लेखापरीक्षा से सम्बद्ध आचार संहिता अपेक्षाओं के साथ ही साथ इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंटस ऑफ इंडिया ("आईसीएआई") द्वारा जारी आचार संहिता के अनुरूप की गई है, जिसके अंतर्गत हम कंपनी से स्वतंत्र हैं तथा हमने इन अपेक्षाओं तथा इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंटस ऑफ इंडिया ("आईसीएआई") की आचार संहिता के उत्तरदायित्वों का पालन किया है। हमारा यह मानना है कि हमारे द्वारा एकत्र किए गए लेखापरीक्षा प्रमाण, हमारे मत की प्रस्तुति के आधार के लिए पर्याप्त एवं यथोचित हैं।

गोइंग कंसर्न खंड

गोइंग कंसर्न के लेखांकन का आधार

कंपनी के वित्तीय विवरणों का निर्माण लेखांकन के गोइंग कंसर्न के आधार के उपयोग से किया गया है। कंपनी का प्रबंधन कंपनी की गोइंग कंसर्न के रूप में जारी रहने का मूल्यांकन करने, जिसमें लेखांकन के गोइंग कंसर्न का उपयोग उचित होना अथवा उचित न होना भी शामिल है, के लिए उत्तरदायी है। लेखांकन के लिए गोइंग कंसर्न के आधार का उपयोग तभी यथोचित होता है जब प्रबंधन की मंशा कंपनी का ऋणशोधन करने अथवा परिचालनों को बन्द करने की होती है अथवा ऐसा करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं होता है। प्रबंधन उस सामग्रीगत अनिश्चितता का प्रकटीकरण {वित्तीय विवरणों में} करने के प्रति भी उत्तरदायी है, जिसकी जानकारी प्रबंधन को है, जो ऐसी घटनाओं अथवा स्थितियों से संबंधित हैं जिनके कारण कंपनी की गोइंग कंसर्न के रूप में जारी रहने की क्षमता के प्रति महत्वपूर्ण संदेह उत्पन्न हो सकता हो।

हमारी लेखापरीक्षा के अंतर्गत, हमने वित्तीय रिपोर्टिंग के फ्रेमवर्क की स्वीकार्यता के अनुसार वित्तीय विवरणों के निर्माण के लिए गोइंग कंसर्न को लेखांकन के आधार के रूप में प्रयोग करने की प्रबंधन की औचित्यपरकता के संबंध में भी निष्कर्ष तय किए हैं। हमने लेखापरीक्षा प्रमाण के आधार पर यह निष्कर्ष भी किया है कि क्या ऐसी घटनाओं अथवा स्थितियों से संबंधित ऐसी कोई सामग्रीगत अनिश्चितता व्याप्त है अथवा नहीं है जिससे कंपनी की गोइंग कंसर्न के रूप में जारी रहने की क्षमता किसी महत्वपूर्ण संदेह के घेरे में आ सकती हो। हमारा मत लेखापरीक्षा की रिपोर्ट की तिथि तक हमारे पास उपलब्ध सूचना पर आधारित है। तथापि, भावी घटनाओं अथवा स्थितियों के कारण कंपनी की गोइंग कंसर्न के रूप में बने रहने की क्षमता समाप्त हो सकती है।

<u>स्टैंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों एवं उससे संबंधित लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के अलावा अन्य सूचना</u>

अपनी सम्बद्ध कंपनी का निदेशक मंडल अन्य सूचना के निर्माण के प्रति उत्तरदायी है। अन्य सूचना में निदेशक मंडल की रिपोर्ट एवं निदेशक मंडल की रिपोर्ट के अनुलग्नक शामिल हैं परन्तु इनमें स्टैंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरण एवं उनसे संबंधित हमारे लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट शामिल नहीं होती है। निदेशक मंडल की रिपोर्ट एवं निदेशक मंडल की रिपोर्ट के अनुलग्नक हमें इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि के पश्चात हमें उपलब्ध करवाए जाने संभावित हैं।

स्टैंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों से संबंधित हमारे मत में अन्य सूचना शामिल नहीं है तथा हम इसके संबंध में किसी आश्वासन रूपी निष्कर्ष की अभिव्यक्ति नहीं कर रहे हैं।

स्टैंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा से जुड़ा हमारा उत्तरदायित्व, इन्हें हमें उपलब्ध करवाए जाने पर, अन्य सूचना को पढ़ने तथा ऐसा करते हुए स्टैंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों अथवा लेखापरीक्षा की प्रक्रिया के दौरान, हमें प्राप्त जानकारियों अथवा अन्यथा रूप में सामग्रीगत स्वरूप में दुर्विवरण की प्रतीति होने पर अन्य सूचना से उसकी तारतम्यता होने अथवा न होने पर विचार करना है। जहां तक सहायक कम्पनियों से संबंधित अन्य सूचना की सम्बद्धता है, उसकी जानकारी अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों से प्राप्त हुई है।

निदेशक मंडल की रिपोर्ट एवं उसके अनुलग्नकों के पठन के पश्चात यदि हमें सामग्रीगत दुर्विवरण प्रतीत होता है तो हमसे उसके तथ्य को रिपोर्ट संबंधित शासी अधिकारियों को करने तथा यथोचित कार्रवाई करने, यदि अपेक्षित है, की अपेक्षा की गई है।

<u>स्टैंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों के संबंध में प्रबंधन के उत्तरदायित्व</u>

कंपनी का निदेशक मंडल, अधिनियम की धारा 134(5) में निर्दिष्ट मामलों (वित्तीय स्थिति) के संबंध में सहायक कम्पनियों सहित कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन की सत्य एवं स्वच्छ छवि प्रस्तुत करने वाले स्टैंडएलोन लाभ अथवा हानि विवरण (अन्य व्यापक आय सहित वित्तीय निष्पादन), स्टैंडएलोन रोकड़ प्रवाह विवरण, तथा स्टैंडएलोन इक्विटी परिवर्तन इन स्टैडएलोन वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित भारतीय लेखांकन मानकों सहित इंड एएस एवं भारत में सामान्यतः स्वीकृत/मान्य अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप करने के प्रति उत्तरदायी है। इस उत्तरदायित्व में, कंपनी की परिसम्पतियों की सुरक्षा तथा जालसाजियों एवं अन्य अनियमितताओं से उनके बचाव के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकार्डों का रखरखाव करना; उचित लेखांकन नीति का चयन एवं उपयोग करना; औचित्यपरक एवं विवेकसम्मत निर्णय निर्धारण करना एवं अनुमान लगाना; तथा सत्य एवं स्वच्छ प्रस्तुत करने वाले एवं प्रत्येक प्रकार सामग्रीगत मिथ्या विवरण, जालसाजी अथवा चूक के कारण, से मुक्त स्टैंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों का निर्माण करने एवं प्रस्तुत करने के सुनिश्चय के उद्देश्य से अभिकल्प करने, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों, जो लेखांकन रिकार्डों की सटीकता एवं पूर्णत के लिए प्रभावी प्रक्रिया कर रहे है, का कार्यान्वयन एवं सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व भी शामिल हैं।

यदि प्रबंधन की मंशा परिचालनों को बन्द करने अथवा ऐसा करने के अलावा कोई अन्य विकल्प न होने के कारण कंपनी का ऋणशोधन करने की नहीं है तो प्रबंधन कंपनी के इन वित्तीय विवरणों के निर्माण के दौरान गोइंग कंसर्न के आधार पर कंपनी की क्षमता का मूल्यांकन करने, यथा लागू प्रकटीकरण करने, लेखांकन के आधार के लिए गोइंग कंसर्न से संबंधित मामलों एवं उनका उपयोग करने के प्रति उत्तरदायी है।

कंपनी का निदेशक कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी के प्रति भी उत्तरदायी है।

<u>स्टैंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के संबंध में लेखापरीक्षकों के उत्तरदायित्व</u>

हमारा उद्देश्य, स्टैंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों को पूर्ण रूप से सामग्रीगत दुर्विवरण, जालसाजी अथवा चूक के कारण, से मुक्त रखे जाने का युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करके, अपने मत के समावेश के साथ लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करना है। युक्तिसंगत आश्वासन को

आश्वासन का उच्चतर स्तर कहा जा सकता है परन्तु इसमें की गई लेखापरीक्षा के संबंध में यह गारंटी नहीं होती है कि एसए प्रक्रिया के अंतर्गत की जाने वाले लेखापरीक्षा से सामग्रीगत दुर्विवरण, यदि कोई हों, की प्राप्ति निश्चित तौर पर हो सकेगी। सामग्रीगत दुर्विवरण जालसाजी अथवा चूक के कारण हो सकता है अथवा इसे सामग्रीगत तभी माना जा सकता है, जब इनसे अलग–अलग अथवा समस्त रूप से इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोक्ता द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों पर किसी प्रकार का औचित्यपरक प्रभाव होने की संभावना की गई हो।

एसए के अंतर्गत की जाने वाली लेखापरीक्षा की पूरी प्रक्रिया के दौरान, हमें व्यावसायिक तौर पर संश्यात्मक दृष्टिकोण से युक्त व्यावसायिक निर्धारण करने होते हैं। हमारे द्वारा भी निम्नलिखित प्रक्रियाएं भी की गई हैं:–

- स्टैंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों में सामग्रीगत दुर्विवरण के जोखिमों, जो चाहे जालसाजी अथवा चूक के कारण हों, का संज्ञान तथा मूल्यांकन करते हुए ऐसे जोखिमों के प्रति प्रतिक्रियात्मक लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के स्वरूप का निर्माण करके अपने मत के आधार के लिए ऐसे लेखापरीक्षा प्रमाण की प्राप्ति करना, जो पर्याप्त एवं औचित्यपरक हों। किसी जालसाजी के कारण सामग्रीगत दुर्विवरण का संज्ञान न होने के जोखिम के परिणाम किसी चूक से उत्पन्न होने वाले जोखिमों से कहीं अधिक होते हैं क्योंकि जालसाजियां किसी साठ गांठ, धोखाधड़ी, साभिप्राय अकरण, मिथ्याकथन अथवा आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना किए जाने के कारण हो सकती हैं।

- परिस्थितियों के अनुकूल लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के निर्माण के लिए, लेखापरीक्षा से सम्बद्ध आंतरिक नियंत्रण को संज्ञान में लेना। अधिनियम की धारा 143(3)(1) के अंतर्गत, हम इस मत की अभिव्यक्ति करने के प्रति भी उत्तरदायी हैं कि क्या कंपनी द्वारा पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था स्थापित की गई है तथा क्या ऐसे नियंत्रणों की प्रचालनात्मक प्रभाव्यता है अथवा नहीं है।

- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की पर्याप्तता एवं प्रबंधन द्वारा लगाए गए लेखा अनुमानों की औचित्यपरकता तथा सम्बद्ध प्रकटनों का मूल्यांकन करना।

- प्रबंधन द्वारा लेखांकन के लिए उपयोग में लाए गए गोइंग कंसर्न के आधार तथा प्राप्त लेखापरीक्षा परिणामों के आधार की उपयुक्तता के संबंध में यह निश्चय करना कि क्या ऐसी स्थितियां अथवा परिस्थितियां हैं जिनसे यह तथ्यपरक अनिश्चितता होती हो तथा जिनसे कंपनी की गोइंग कंसर्न की क्षमता पर किसी प्रकार का संदेश होने की आशंका हुई हो। यदि ऐसी किसी प्रकार की तथ्यपरक अनिश्चितता को शामिल किया जाता है तो हम से अपनी लेखापरीक्षा से सम्बद्ध रिपोर्ट में प्रकटीकरणों की ओर ध्यान आकर्षित करवाए जाने अथवा ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त होने की स्थिति में अपना मत संशोधित करने की अपेक्षा की गई है। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित तिथि के दौरान प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा प्रमाणों पर आधारित है। तथापि, भावी स्थितियों अथवा परिस्थितियों के परिणाम कंपनी की प्रक्रियाओं को गोइंग कंसर्न के रूप में जारी न रखे जाने का कारण हो सकते हैं।

- प्रकटीकरणों सहित स्टैंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों की पूर्ण प्रस्तुति, संरचना एवं सार संक्षेप का मूल्यांकन करना तथा यह ज्ञात करना कि क्या इंड एएस वित्तीय विवरणों में लेन–देन संव्यवहार एवं स्थिति का विवरण उचित स्वरूप में दिया गया है अथवा नहीं।

वस्तुतः स्टैंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों में अलग–अलग अथवा सामुच्य स्वरूप में प्रस्तुत किए जाने वाले दुर्विवरणों की वस्तुपरकता की जटिलता कुछ इस प्रकार की होती है कि इनमें स्टैंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों का औचित्यपरक ज्ञान रखने वाले उपयोक्ता द्वारा लिए जाने वाले आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (1) अपने लेखापरीक्षा कार्य के कार्यक्षेत्र की योजना के निर्माण तथा अपने कार्य के परिणाम के मूल्यांकन, एवं (2) वित्तीय विवरणों में से संज्ञान में लिए गए दुर्विवरण के प्रभाव के मूल्यांकन के लिए तथ्यपरक प्रमात्रा के गुणात्मक कारकों को विचार में लेते हैं।

हम, अन्य मामलों के साथ–साथ शासन व्यवस्था की देखरेख करने वाले पदाधिकारियों को योजनाबद्ध कार्यक्षेत्र तथा लेखापरीक्षा की समय सारणी एवं लेखापरीक्षा के निष्कर्षों और साथ ही हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा के दौरान प्रकाश में आई आंतरिक नियंत्रण से जुड़ी खामियों के संबंध में जानकारी प्रदान करते हैं।

शासन व्यवस्था की देखरेख करने वाले पदाधिकारियों को स्वतंत्रता से सम्बद्ध आचार संहिता अपेक्षाओं तथा उन्हें हमारी लेखापरीक्षा स्वतंत्रता एवं उससे जुड़े सुरक्षा उपायों, जहां लागू हों, के प्रभाव के लिए प्रत्येक प्रकार की औचित्यपरक संबद्धता एवं अन्य मामलों की सम्बद्धता सूचित करने के लिए, हमने हमारे द्वारा समेकित विवरण भी दिया है।

मामले का प्रभाव

हम, स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में निम्नलिखित मामलों की ओर ध्यान आकर्षित कर रहे हैं:–

1 नोट 50: बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड, बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड से बिजली की बिक्री के लिए 1,35,643.34 लाख रुपए के व्यापार प्राप्यों की वसूली में देरी से वित्तीय संसाधन दबाव में आए हैं तथा इसके परिणामस्वरूप अत्यधिक ऋण एवं परिणामी ब्याज का भार पड़ा है। तथापि, उक्त नोट में उल्लिखित कारणों से प्रबंधन द्वारा लेखों का निर्माण 'गोइंग कंसर्न' के आधार पर किया गया है। इस मामले के संबंध में हमारा मत संशोधित नहीं है।

2. नोट 8 (क): साख पत्र का नवीकरण नहीं किया गया है, एस्क्रो खाते नहीं खोले गए हैं तथा विद्युत क्रय करार में डिस्कॉम की प्राप्तियों को दृष्टिबंधक किए जाने की व्यवस्था करार में नहीं की गई है। इस मामले के संबंध में मत संशोधित नहीं है।

3. नोट 11 (ग): आईपी स्टेशन की बिक्री की बकाया राशि के देर से भुगतान किए जाने से संबंधित जुर्माने एवं ब्याज की 225.66 लाख रुपए की वसूली एवं प्रावधान नहीं किए जाने का संबंधित मामला उच्च न्यायालय में न्यायाधीन है। इस मामले के संबंध में हमारा मत संशोधित नहीं है।

4. नोट 18 (ङ) एवं 22 (ख): राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) को 85,802.74 लाख रुपए के ब्याज एवं जुर्माना ब्याज के पुनर्भुगतान में चूक हुई है। हमारा मत इस मामले के संबंध में संशोधित नहीं है।

5. अधिनियम की धारा 149(4) तथा कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति एवं अर्हता) के नियम 4 के प्रावधानों के अनुसरण में कंपनी के निदेशक मंडल में कम से कम दो स्वतंत्र निदेशक होने अपेक्षित हैं। तथापि, वित्तीय वर्ष 2016–17 में केवल एक स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति की गई थी। हमारा मत इस मामले के संबंध में संशोधित नहीं है।

6. अधिनियम की धारा 177(2) के प्रावधानों के अनुसरण में कंपनी से वर्ष के दौरान अपनी लेखापरीक्षा समिति में बहुमत स्थापना के लिए कम से कम तीन स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किए जाने की अपेक्षा है। तथापि, वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा समिति में केवल एक स्वतंत्र निदेशक है। इस मामले के संबंध में हमारा मत संशोधित नहीं है तथा कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार कंपनी पर जुर्माना लग सकता है।

7. अधिनियम की धारा 137(1) के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी से वार्षिक आम सभा के आयोजन की तिथि से 30 दिन के भीतर कंपनी पंजीयक के सम्मुख अंगीकार न किए गए वित्तीय विवरण एवं उससे संबंधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट फाइल किए जाने की अपेक्षा है परन्तु कंपनी ने वार्षिक आम सभा में वित्तीय विवरणों को अंगीकार करने के आस्थगन के विचार से वित्तीय विवरणों को अंगीकार न किए जाने के कारण इन्हें फाइल नहीं किया है। इस मामले के संबंध में हमारा मत संशोधित नहीं है तथा कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार कंपनी पर जुर्माना लग सकता है।

8. नोट 52: दिनांक 25 जुलाई, 2019 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मंत्रिमंडल द्वारा राजघाट पावर हाउस को बंद किए जाने एवं राजघाट पावर हाउस संयंत्र का निपटान आगामी वर्षों में किए जाने के संबंध में लिए गए निर्णय के अनुसरण में राजघाट पावर हाउस से संबंधित लेखा बहियों के अनुसार गैर–चालू परिसम्पतियों (संपति, संयंत्र एवं उपकरण) में से डब्ल्यूडीवी में बिक्री के धारित गैर–चालू परिसम्पतियों में से 2398.91 लाख रुपए की राशि का अंतरण किया गया है। इन परिसम्पतियों का मूल्यन उचित मूल्य के स्थान पर सकल मूल्य के अनुसार किया गया है; अतः हम उचित मूल्यांकन रिपोर्ट उपलब्ध न होने के कारण बिक्री के लिए धारित परिसम्पतियों के अनुमानित प्राप्य मूल्य के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं कर पा रहे हैं। इस मामले के संबंध में हमारा मत संशोधित नहीं है।

9. डिस्कॉम के साथ शेष राशि समाधान किए जाने की शर्त पर है, डिस्कॉम से प्राप्त संयुक्त समाधान विवरण के अनुसार, आईपीजीसीएल बहियों और विभिन्न डिस्कॉम की बहियों में शेष राशि से संबंधित भिन्नताएं केवल एलपीएससी राशि का निपटान न किए जाने से संबंधित हैं। इस मामले के संबंध में हमारा मत संशोधित नहीं है।

10. नोट 27 (ख): डिस्कॉम द्वारा देयताओं के भुगतान में की जा रही निरंतर चूक तथा पूर्व व्यवहार के अनुसार इसकी प्राप्ति की अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए डिस्कॉम से वसूली योग्य ऊर्जा बिलों के देर से भुगतान पर अधिभार का लेखांकन केवल डिस्कॉम द्वारा कर प्राधिकरणों को जमा की गई स्रोत पर कर कटौती की राशि के लिए किया गया है। इसके परिणामस्वरूप, प्राप्यों पर परिणामी प्रभाव के साथ 43,573.80 लाख रुपए (31 मार्च 2020, 37,852.35 लाख रुपए) के राजस्व की स्वीकृति नहीं हुई है। इस मामले के संबंध में हमारा मत संशोधित नहीं है।

11. हम वित्तीय विवरण के नोट – 55 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं जिसमें कोविड–19 के बारे में व्याख्या की गई है, जिसके कारण सम्पूर्ण भारत में कंपनी के व्यापार परिचालन काफी अधिक बाधित हुए हैं तथा जिसके कारण लेखांकन एवं लेखापरीक्षा की जटिल चुनौतियां उत्पन्न हुई हैं। इस नोट के अनुसार कंपनी ने ऐसे संभावित प्रभावों पर विचार किया है जिनसे संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, मालसूची, प्राप्य एवं अन्य चालू परिसम्पतयों की वहन राशियां कोविड–19 महामारी से जुड़े परिणामों के कारण प्रभावित हो सकती हैं। इस महामारी के कारण उत्पन्न वैश्विक आर्थिक स्थितियों में संभावित भावी अनिश्चितता से संबंधित अनुमानों का निर्धारण करते समय, कंपनी ने, इन वित्तीय परिणामों के अनुमोदन की तिथि को कंपनी के संभावित भावी निष्पादन के लिए आंतरिक एवं बाह्य स्रोतों का उपयोग किया है। कंपनी को ऐसा प्रतीत हुआ है कि इन परिसम्पतियों की वहन राशियों की वसूली की जा सकेगा तथा कम से कम आगामी 12 माह तक व्यापार परिचालनों के पोषण के लिए पर्याप्त निधियां उपलब्ध हैं। इन वित्तीय परिणामों के अनुमोदन की तिथि के अनुसार लगाए गए अनुमानों की तुलना में कोविड–19 से उत्पन्न अनिश्चितता के कारण कंपनी की परिसम्पतियों पर होने वाला अंतिम प्रभाव भविष्य में भिन्न हो सकता है। हमारा मत इस मामले के संबंध में संशोधित नहीं है।

12. नोट : 13: चालू वित्त वर्ष में, निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 21.12.2022 को आयोजित अपनी 110वीं बैठक में कंपनी की ओर से वरिष्ठ कर परामर्शदाताओं एवं वरिष्ठ वकीलों से प्राप्त परामर्श को विचार में लेकर कंपनी ने कंपनी द्वारा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त की गई एलपीएससी की आय में टीडीसी क्रेडिट को आनुपातिक रूप में लिए जाने का निर्णय लिया गया है तथा एलपीससी के खाते में स्वीकृत आय के प्रति टीडीएस क्रेडिट के 90 प्रतिशत को उस वर्ष की कर देयता के प्रति दावा किए जाने के लिए स्थगित किया गया है जिस वर्ष में डिस्कॉम से कंपनी को उक्त आय की प्राप्ति हुई है। तदनुसार, एलपीएससी की प्राप्ति में समायोजित किए जाने के लिए 3252.83 लाख रुपए का आस्थगित कर क्रेडिट है जबकि कर के लिए किए गए प्रावधान के प्रति 361.42 लाख रुपए का समायोजन किया गया है।

अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं की रिपोर्ट

कंपनी अधिनियम की धारा 143(5) में की गई अपेक्षा के अनुसार, हम हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर यह रिपोर्ट करते हैं कि :

1. केन्द्र सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के उप धारा(11) के उपबंधों के अंतर्गत जारी कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश 2016 ("आदेश") की अपेक्षाओं के अनुसार, हम **अनुलग्नक–क** में आदेश के पैराग्राफ 3 एवं 4 में, कंपनी के संबंध में यथा लागू, निर्दिष्ट मामलों का विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं।

2. कंपनी अधिनियम की धारा 143(3) की अपेक्षानुसार, अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि :–

   (क) हमने वे सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, जिनकी आवश्यकता हमें हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार उपर्युक्त स्टैंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के प्रयोजन से थी।

   (ख) ऊपर अर्हक मत के आधार के पैराग्राफ में वर्णित मामलों के संभावित प्रभाव के अलावा, हमारे मतानुसार, उपर्युक्त स्टैंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों के निर्माण से संबंधित कानूनी अपेक्षाओं का अनुपालन लेखा बहियों के अनुरक्षण के लिए किया गया है, जो कि हमें इन लेखा बहियों एवं अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट हमारे द्वारा की गई जांच से प्रतीत हुआ है।

   (ग) इस रिपोर्ट में वर्णित स्टैंडएलोन तुलन पत्र, स्टैंडएलोन लाभ एवं हानि विवरण, स्टैंडएलोन रोकड़ प्रवाह विवरण तथा स्टैंडएलोन इक्विटी परिवर्तन विवरण स्टैंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों के निर्माण के उद्देश्य से अनुरक्षित सम्बद्ध लेखा बहियों के अनुरूप हैं।

   (घ) अर्हक मत के आधार के पैराग्राफ में वर्णित मामलों के संभावित प्रभाव के अलावा, हमारे मतानुसार उपर्युक्त स्टैंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरण कंपनी (लेखा) नियमावली के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 में निर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों के अनुसार हैं।

   (ङ.) भारत सरकार द्वारा दिनांक 5 जून, 2015 को जारी अधिसूचना संख्या : जीएसआर–463 (ई) के अनुसरण में, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 की उप धारा (2) के उपबंध सरकारी कंपनियों के संबंध में लागू नहीं हैं।

   (च) कंपनी एवं इसकी सम्बद्ध कम्पनियों की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की प्रचालनात्मक प्रभाव्यता **"अनुलग्नक–ख"** में प्रस्तुत हमारी पृथक रिपोर्ट में दी गई है।

(छ) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 11 के अनुसरण में, लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में हमारे मत और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार हम निम्नानुसार रिपोर्ट करते हैं :–

1. कंपनी ने स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों में लम्बित न्यायाधीन मामलों से अपनी वित्तीय स्थिति पर होने वाले प्रभाव का प्रकटीकरण कर दिया है (संदर्भ स्टैंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों का नोट संख्या 48 एवं 50)।

2. कंपनी के डेरियेटिव अनुबंधों सहित ऐसे कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं है, जिनसे भविष्य में किसी प्रकार की महत्वपूर्ण पूर्वानुमानित हानि होने की संभावना हो।

3. कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में अंतरण के लिए कोई राशियां नहीं हैं।

3. अधिनियम की धारा 143(5) की अपेक्षाओं के अनुसार हम भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निदेशों का विवरण **'अनुलग्नक ग'** में प्रस्तुत कर रहे हैं।

कृते एएजेवी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या : 007739एन

ह0/–
(जितेन्द्र जिन्दल)
साझेदार
सदस्यता संख्या : 093642
यूडीआईएन : 23093642बीजीएक्सडब्ल्यूएसएम1032

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 14.01.2023

31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक–क

(हमारी समतिथि की रिपोर्ट के अन्य विधिक व विनियामक अपेक्षाओं के भाग के पैराग्राफ 1 में संदर्भित)

1. स्थिर परिसंपत्तियों के संबंध में:

कंपनी द्वारा पूर्ण विवरण से युक्त उचित रिकॉर्ड का रखरखाव किया गया है, जिसमें स्थिर परिसम्पतियों का प्रमाणात्मक विवरण एवं उनकी स्थिति दर्शाई गई है।

हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार स्थिर परिसम्पतियों का भौतिक सत्यापन चालू वर्ष के अंत में सनदी लेखाकारों की एक फर्म द्वारा किया गया है जो कि हमारे मतानुसार कंपनी के आकार एवं इसकी परिसम्पतियों की स्थिति को विचार में लेते हुए औचित्यपरक है। इस भौतिक सत्यापन में किसी प्रकार की सामग्रीगत अनियमितता प्रकाश में नहीं आई है। तथापि, प्रत्येक श्रेणी की स्थिर परिसम्पतियों को कवर करने के सुनिश्चिय के लिए भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया को और अधिक सुदृढ़ बनाया जाना आवश्यक है।

हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों और हमारे द्वारा की गई कंपनी के रिकॉर्डों की जांच के आधार पर, कंपनी की स्थिर संपत्तियों को, दिल्ली विद्युत बोर्ड की समाप्ति के बाद, दिल्ली विद्युत अंतरण नियमावली के अंतर्गत दिल्ली विद्युत बोर्ड से अंतरित किया गया है। अंतरण की तिथि को, डीवीबी से अंतरित सभी स्थिर संपत्तियां ही कंपनी की संपत्तियां बन गई थी। तथापि, उपर्युक्त नियम के अनुसार, भूमि, इन नियमों के अंतर्गत अंतरित भूमि परिसंपत्तियों का भाग नहीं है। कंपनी इस भूमि का उपयोग सरकार की लाइसेंसी के रूप में कर सकती है तथा इस अवधि के दौरान कंपनी के पास बिजली उत्पादन के व्यवसाय के लिए स्वीकृति अथवा लाइसेंस अथवा प्राधिकार प्राप्त है।

हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार प्रबंधन द्वारा मालसूचियों का भौतिक सत्यापन कोविड–19 वैश्विक महामारी के परिणामस्वरूप सरकार द्वारा लगाई गई लॉक डाउन की स्थितियों के कारण उन तिथियों में किया गया है जो वित्तीय विवरणों से भिन्न हैं परन्तु यह वित्तीय परिणामों को अंगीकार किए जाने के उद्देश्य से आयोजित की जाने वाली निदेशक मंडल की बैठक के आयोजन की तिथि से पूर्व किया गया है। हमारी मतानुसार, भौतिक सत्यापन की आवृत्ति औचित्यपरक है तथा इस भौतिक सत्यापन के दौरान किसी प्रकार की सामग्रीगत विसंगति प्रकाश में नहीं आई है।

हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा हमारे द्वारा किए गए परीक्षणों, जो हमारे द्वारा आवश्यक समझे गए थे, के आधार पर, हम यह रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के अंतर्गत अनुरक्षित रजिस्टर के अनुसार कंपनियों, फर्मों, सीमित दायित्व साझेदारियों अथवा अन्य पार्टियों को किसी प्रकार का ऋण, प्रतिभूत या अप्रतिभूत, नहीं दयिा है। तदनुसार, उपर्युक्त आदेश के पैराग्राफ (3)(क),(ख) और (ग) के उपबंध कंपनी के संबंध में लागू नहीं हैं।

हमें प्रदान की गई सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने अपने किसी भी निदेशक अथवा किसी व्यक्ति को, जिसमें निदेशक का कोई हित है, किसी प्रकार का ऋण प्रदान नहीं किया है अथवा कोई गारंटी अथवा प्रतिभूति नहीं दी है। इसके अलावा, सरकारी कंपनी होने के नाते, सूचीबद्ध कंपनी के अलावा, कंपनी ने निवेश के लिए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से अनुमोदन प्राप्त किए हैं। तदनुसार, दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 कंपनी के संबंध में लागू नहीं है। इसके अलावा, हमें सूचित किया गया है कि कंपनी ने, कंपनी अधिनियम की धारा 186 के अंतर्गत किसी व्यक्ति अथवा निगमित निकाय को किसी प्रकार का ऋण, गारंटी अथवा किसी ऋण के संबंध में कोई प्रतिभूति नहीं दी है। तदनुसार, आदेश के पैराग्राफ 3(4) के उपबंध कंपनी पर लागू नहीं हैं।

हमारे मतानुसार तथा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने लेखापरीक्षा के लिए विचाराधीन वर्ष के दौरान कोई सार्वजनिक जमा स्वीकार नहीं किए हैं। तदनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देश एवं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 से 76 तथा अधिनियम के अन्य उपबंध तथा उनके अध्याधीन निर्मित नियम कंपनी पर लागू नहीं हैं।

हमने, केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट कंपनी अधिनियम की धारा 148 की उप–धारा (1) के अनुसरण में अनुरक्षित लागत रिकॉर्डों की विस्तृत समीक्षा की है तथा हमारा यह मानना है कि कि, प्रथम दृष्टया, निर्धारित लागत रिकॉर्डों का अनुरक्षण किया गया है। तथापि, हमने इनकी सटीकता अथवा पूर्णता होने अथवा न होने के निर्धारण के विचार से लागत रिकार्डों की विस्तृत जांच नहीं की है।

(क) कंपनी के रिकॉर्ड के अनुसार, केवल कुछ मामलों के अलावा, जिनमें भुगतान जमा करने में देरी हुई है, भविष्य निधि, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, मूल्य संवर्धन कर, उपकर एवं देय अन्य सांविधिक देयताओं सहित अविवादित सांविधिक देयताओं संबंधित प्राधिकरणों को कंपनी ने भुगतान नियमित रूप से किया है। हमें प्रदान की गई सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, 31 मार्च, 2021 की स्थिति को भविष्य निधि, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, मूल्य संवर्धित कर, उपकर तथा कंपनी द्वारा देय अन्य सांविधिक देयताओं सहित कोई भी अविवादित सांविधिक देयता, देय हो जाने की तिथि से छह माह से अधिक अवधि के लिए बकाया नहीं थी।

(ख) कंपनी के रिकॉर्ड के अनुसार, विवादित सांविधिक देयताएं जमा नहीं की गई हैं तथा उनसे संबंधित मामले अपीलीय प्राधिकरणों के सम्मुख न्यायाधीन हैं। लंबित मामलों की स्थिति नीचे प्रस्तुत हैः

सांविधिक व्यवस्था का नाम	सांविधिक देयताओं का स्वरूप	राशि (लाख रूपए में)	किस अवधि से राशि संबंधित है	फोरम का नाम जहां विवाद लंबित है
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	68.67	2006–07	आयकर अपीलीय अधिकरण, नई दिल्ली
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	12.55	2013–14	आयकर आयुक्त (अपील), नई दिल्ली
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	683.25	2017–18	आयकर आयुक्त (अपील), नई दिल्ली
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	708.10	2018–19	आयकर आयुक्त (अपील), नई दिल्ली

3. हमारे मतानुसार तथा हमें प्रदान की गई सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने किसी वित्तीय संस्थान अथवा बैंक को किसी ऋण अथवा उधारी की पुनः अदायगी में कोई चूक नहीं की है। कंपनी के कोई डिबेंचर धारक नहीं हैं। कंपनी ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को ऋण की पुनः अदायगी में चूक की है। 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार मूलधन और ब्याज की पुनः अदायगी की संचयी चूक की राशि 85,802.74 लाख रूपए है। इसका विवरण नीचे प्रस्तुत है :–

ऋणदाता	तुलन पत्र की तिथि के अनुसार मूलधन की चूक राशि (लाख रूपए में)	चूक की अवधि	तुलन पत्र की तिथि को ब्याज की चूक राशि (लाख रूपए में)	चूक की अवधि
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	शून्य	लागू नहीं	85,802.74 रूपए	2005–06 के पश्चात से

4. कंपनी ने वर्ष के दौरान इनिशियल पब्लिक ऑफर (आईपीओ) अथवा फर्दर पब्लिक ऑफर (एफपीओ) (ऋण लिखतों सहित) के माध्यम से धन की उत्पति नहीं की है। हमें प्रदान की गई सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, आवधिक ऋणों का मुख्यतः उपयोग उनकी प्राप्ति के उद्देश्यों से ही किया गया है।

5. प्रबंधन द्वारा हमें प्रदान की गई सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार एवं हमारी सर्वोत्तम जानकारी व विश्वास के अनुसार, हमारी लेखापरीक्षा के क्रम में कंपनी अथवा कंपनी के प्रति किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी द्वारा की गई कोई जालसाजी प्रकाश में नहीं आई है।

6. कार्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना संख्या जी.एस.आर 463 (ई) के अनुसार, प्रबंधकीय मानदेय से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197, एक सरकारी कंपनी होने के नाते, कंपनी के संबंध में लागू नहीं है।

7. यह कंपनी निधि कंपनी नहीं है, अतः आदेश के खंड 3(12) के उपबंध, कंपनी के संबंध में लागू नहीं हैं।

8. प्रबंधन द्वारा हमें प्रदान की गई सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, संबद्ध पक्षकार संव्यवहार, जहां लागू है, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 का अनुसरण करके किया गया है तथा लागू लेखांकन मानकों की अपेक्षाओं के अनुसार, स्टैंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों आदि में इनका प्रकटीकरण किया गया है।

9. प्रबंधन द्वारा हमें प्रदान की गई सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने विचाराधीन वर्ष के दौरान शेयरों अथवा परिवर्तनीय लाभांशों का वरीयता आबंटन अथवा निजी प्लेसमेंट नहीं किया है। कंपनी ने विचाराधीन वर्ष के दौरान शेयरों अथवा परिवर्तनीय लाभांशों का वरीयता आबंटन अथवा निजी प्लेसमेंट नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के पैराग्राफ (14) के उपबंध कंपनी के संबंध में लागू नहीं हैं।

10. प्रबंधन द्वारा हमें प्रदान की गई सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने अपने निदेशकों अथवा उनसे संबंधित व्यक्तियों के साथ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 192 में निर्दिष्ट किसी प्रकार के गैर–नकदी संव्यवहार नहीं किए हैं। तदनुसार आदेश के पैराग्राफ 3(15) के उपबंध कंपनी के संबंध में लागू नहीं हैं।

11. कंपनी से भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–आईए के अंतर्गत पंजीकरण करवाए जाने की अपेक्षा नहीं है।

कृते एएजेवी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या : 007739एन

ह0/–
(जितेन्द्र जिन्दल)
साझेदार
सदस्यता संख्या : 093642
यूडीआईएन : 23093642बीजीएक्सडब्ल्यूएसएम1032

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 14.01.2023

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक–ख

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 143 की उप धारा 3 के खंड (1) के अंतर्गत वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की रिपोर्ट।

हमने दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष की स्थिति के अनुसार **इंद्रप्रस्थ पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड** (एतद्द्वारा कंपनी के नाम से संदर्भित) एवं इसकी सम्बद्ध कम्पनियां, जो भारत में निगमित हैं, की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के साथ, सम तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी की स्टैंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के प्रति प्रबंधन के उत्तरदयित्व

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणो की लेखापरीक्षा के मार्गदर्शी नोट के अनुसार, कंपनी एवं इसकी सम्बद्ध कम्पनियों का निदेशक मंडल इसमें उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए, कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणो की स्थापना तथा अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदयित्वों में सम्बद्ध कंपनी की नीतियों के अनुपालन, इसकी परिसंपत्तियों की संरक्षा, जालसाजी और चूकों को संज्ञान में लेने, लेखांकन रिकार्डो की सटीकता एवं पूर्णता के साथ साथ कंपनी आधिनियम, 2013 के अंतर्गत की गई अपेक्षाओं के अनुसार विश्वसनीय वित्तीय सूचना का समय पर निर्माण करने सहित अपने व्यवसाय का सुव्यवस्थित एवं कुशल रूप में संचलन करने के सुनिश्चय के लिए प्रचालनात्मक प्रभाव्यता से युक्त, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता का निर्माण करने, कार्यान्वयन करने एवं अनुरक्षण करने के दायित्व शामिल हैं।

लेखापरीक्षकों का उत्तरदयित्व

हमारा उत्तरदयित्व, हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर, कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के संबंध में अपना मत व्यक्त करना है। हमने वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के मार्गदर्शी नोट तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) में विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षा के लिए लागू सीमा के अनुसार लेखापरीक्षा की है। इन मानकों तथा मार्गदर्शी नोट में हमसे नैतिक अपेक्षाओं का अनुसरण करते हुए, इस युक्तिसंगत आश्वासन की प्राप्ति के उद्देश्य से यह ज्ञात करने के लिए लेखापरीक्षा की जानी अनिवार्य की गई है कि क्या वित्तीय रिर्पोटिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किए गए हैं तथा इनका अनुरक्षण किया जा रहा है तथा क्या प्रत्येक वस्तुगत विषयों के लिए ऐसे नियंत्रण कारगर रूप से प्रचालन कर रहे हैं।

लेखापरीक्षा में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणो की पर्याप्तता और उनके प्रचालन की सटीकता एवं उनकी प्रचालनात्मक प्रभाव्यता के संबंध में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की निष्पादन प्रक्रियाएं शमिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा, सामग्रीगत दोष के रूप में विद्यमान जोखिम के मूल्यांकन तथा मूल्यांकित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के आभिकल्प और प्रचालन कुशलता का परीक्षण और मूल्यांकन किया जाना शामिल है। वित्तीय विवरणो के सामग्रीगत दुर्विवरण,जालसाजी या त्रुटि के कारण, के मूल्यांकन सहित प्रक्रियाओं का चयन लेखापरीक्षकों के विवेक पर निर्भर है।

हमारा ऐसा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के संबंध में हमारे द्वारा एवं नीचे अन्य मामले के पैराग्रापफ में संदर्भित अपनी रिपोर्टों के संबंध में अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य हमारे लेखापरीक्षा मत की प्रस्तुति के लिए पर्याप्त और उपयुक्त आधार हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणो का अभिप्राय

वित्तीय रिपोर्टिंग पर, कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की प्रक्रिया वित्तीय रिपोर्टिंग एवं सामान्य स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाह्य प्रयोजनों से वित्तीय विवरणों को तैयार करने की विश्वसनीयता के संबंध मे युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराने की अभिकल्पित प्रकिया है। कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मे वे नीतियां और प्रक्रियाएं शमिल है, जिनसे

(1) रिकॉर्डों के अनुरक्षण, युक्तिसंगत ब्यौरे, सटीकता तथा स्पष्टता के साथ कंपनी की परिसंपत्तियों के संव्यवहारों और निपटान प्रदर्शित होता हो;

(2) यह युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध होता हो कि सामान्य रुप से स्वीकृत लेखांकन नीति के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए यथा आवश्यक रुप से संव्यवहारों को रिकॉर्ड किया गया है और कंपनी की आय और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकार के अनुसार किया गया हैं; तथा

(3) कंपनी की परिसंपत्ति के अनाधिकृत आधिग्रहण, प्रयोग अथवा निपटान के निवारण और समय पर संसूचन के संबंध मे युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध प्राप्त होते हों तथा जो वित्तीय विवरणों को वास्तविक रुप से प्रभावित कर सकते हों ।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणो की अंतर्निहित परिसीमाएं

चूंकि वित्तीय रिपोर्टिंग पर, आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित परिसीमाओं में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की दुरभिसंधि अथवा अनुचित प्रबंधन करते हुए नियंत्रणों के अधिरोहण, चूक और जालसाजी के कारण वस्तुगत गलत बयानी, संभावनाएं शामिल हैं, जिनका संज्ञान नहीं भी हो सकता है। इसके अतिरिक्त, भावी अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणो के किसी मूल्यांकन का अनुमान इस जोखिम के मद्देनजर है कि आंतरिक रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों मे परिवर्तन के कारण अनुपयुक्त हो सकता है अथवा नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुपालन का स्तर खराब हो सकता है।

मत

हमारे मतानुसार, हमारी जानकारी एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी एवं इसकी सम्बद्ध कम्पनियां, जो भारत में निगमित हैं, में प्रत्येक सामग्रीगत दृष्टिकोण से वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण व्यवस्था स्थापित हैं तथा ये वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में ये वित्तीय नियंत्रण, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने के संबंध में जारी मार्गदर्शी नोट में उल्लिखित अनिवार्य घटको पर विचार करके कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिर्पोटिंग मानदंडों के आधार पर 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार प्रभावी ढंग से कार्यशील थे।

लेखापरीक्षकों की स्टैंडएलोन रिपोर्ट का अनुलग्नक – ग

('अन्य विधिकि एवं विनियामक अपेक्षाओं' से संबंधित हमारी सम तिथि की रिपोर्ट के पैराग्राफ 3 में संदर्भित)

वर्ष 2020 – 21 के लिए निदेश

1.	क्या कंपनी में सूचना प्रौद्योगिकी व्यवस्था के माध्यम से सभी लेन देन व्यवहारों की प्रक्रिया किए जाने की व्यवस्था की गई है? यदि हां, तो सूचना प्रौद्योगिकी व्यवस्था से अलग किए जाने वाले लेखांकन व्यवहारों से लेखों की सत्यता पर होने वाले उलझाव तथा वित्तीय उलझाव, यदि कोई हो, का विवरण प्रस्तुत करें?	*जी, हां। कंपनी में सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन संव्यवहारों की प्रक्रिया के लिए एसएपी लेखांकन साफ्टवेयर के उपयोग से व्यवस्था स्थापित है।*
2.	क्या किसी ऋण की अदायगी न किए जाने की असमर्थता के कारण कंपनी के किसी ऋणदाता द्वारा कंपनी को किसी विद्यमान ऋण अथवा मामले में किसी कर्ज/ऋण/ब्याज इत्यादि के लिए छूट/बट्टा किए जाने का कोई मामला है? यदि हॉ, उससे हुए वित्तीय प्रभाव का विवरण प्रस्तुत करें।	*ऐसा कोई मामला नहीं है।*
3.	क्या केन्द्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त/प्राप्य निधियों का उचित लेखांकन/उपयोग उससे सम्बद्ध नियमों एवं शर्तों के अनुसार किया गया है। व्युतक्रम के मामलों की सूची प्रस्तुत करें।	*जी, हां। कंपनी ने नियम एवं शर्तों के अनुसार सही ढंग से निधियों का लेखांकन/उपयोग किया है।*

कृते एएजेवी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या : 007739एन

ह0/–
(जितेन्द्र जिन्दल)
साझेदार
सदस्यता संख्या : 093642
यूडीआईएन : 23093642बीजीएक्सडब्ल्यूएसएम1032

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 14.01.2023

इन्द्रप्रस्थ पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड
सीआईएनः U40103DL2001SGC111530
31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार स्टैंडएलोन तुलन पत्र

रुपए लाख में

विवरण	नोट संख्या	31.03.2021 की स्थिति	31.03.2020 की स्थिति
परिसंपत्तियां			
गैर चालू परिसंपत्तियां			
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	2	5,328.90	7,322.09
अमूर्त परिसंपत्तियां	3	-	-
वित्तीय परिसंपत्तियां			
संयुक्त उद्यम एवं संबंद्ध कंपनियों में निवेश	4	71,650.41	71,650.41
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	5	13.40	13.86
अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां	6	86.13	191.00
योग गैर चालू परिसंपत्तियां		**77,078.84**	**79,177.36**
चालू परिसंपत्तियां			
मालसूचियां	7	3,048.23	3,074.51
वित्तीय परिसंपत्तियां			
व्यापार प्राप्य	8	147,925.46	166,725.34
रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य	9	15,533.69	7,857.19
रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य के अलावा बैंक शेष	10	3,433.96	34.55
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	11	3,892.25	1,459.76
अन्य चालू परिसंपत्तियां	12	337.22	6,336.45
चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)	13	1,448.67	13,866.46
योग चालू परिसंपत्तियां		**175,619.48**	**199,354.26**
विनियामक आस्थगित खाता नामे शेष	14	**-**	**-**
बिक्री के लिए रखी गई गैर–चालू परिसंपत्तियां	15	2,412.65	2,412.65
योग परिसंपत्तियां		**255,110.97**	**280,944.27**
इक्विटी एवं देयताएं			
इक्विटी			
इक्विटी शेयर पूंजी	16	73,654.00	73,654.00
अन्य इक्विटी	17	72,438.48	59,916.08
योग इक्विटी		**146,092.48**	**133,570.08**
देयताएं			
गैर चालू देयताएं			
वित्तीय देयताएं			
ऋण	18	(0.00)	2,472.00
प्रावधान	19	4,688.60	3,971.16
आस्थगित कर देयताएं (निवल)	20	364.71	672.80
अन्य गैर चालू देयताएं	21	35.51	34.90
योग गैर चालू देयताएं		**5,088.82**	**7,150.86**

चालू देयताएं			
वित्तीय देयताएं			
ऋण	22	2.59	26,276.48
व्यापार देय	23		
– सूक्ष्म उद्यम व लघु उद्यमों को कुल बकाया देय		164.00	144.14
– सूक्ष्म उद्यम व लघु उद्यमों के अलावा		12,727.05	19,016.58
ऋणदाता को कुल बकाया देय			
अन्य वित्तीय देयताएं	24	90,164.27	89,914.63
अन्य चालू देयताएं	25	503.82	3,183.18
प्रावधान	19	322.90	1,639.62
योग चालू देयताएं		**103,884.63**	**140,174.63**
आस्थगित राजस्व	26	45.04	48.70
योग इक्विटी एवं देयताएं		**255,110.97**	**280,944.27**
महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	1		

संलग्न नोट संख्या 1 से 56 इन वित्तीय विवरणों का अभिन्न भाग है।

हमारी संलग्न समसंख्यक दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

कृते एएजेवी एंड एसोसिएट
सनदी लेखाकार

ह0/–
जितेन्द्र जिन्दल
साझेदार
सदस्यता संख्याः 093642
फर्म पंजीकरण संख्याः 007739एन
यूडीआईएनः 23093642BGXWSM1032

ह0/–
प्रशांत व्यास
वरिष्ठ प्रबंधक (वित्त)
एवं मुख्य वित्त अधिकारी

ह0/–
मुकेश कुमार शर्मा
निदेशक (तकनीकी)
डीआईएन – 08572379

ह0/–
अजीमुल हक
प्रबंध निदेशक
डीआईएन – 03578730

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 14 जनवरी, 2023

इन्द्रप्रस्थ पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड
सीआईएनः U40103DL2001SGC111530
31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार लाभ एवं हानि के स्टैंडएलोन विवरण

रुपए लाख में

विवरण	नोट संख्या	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए
आय			
प्रचालनों से राजस्व	27	27,565.50	57,053.23
अन्य आय	28	19,536.72	13,600.97
योग आय		**47,102.22**	**70,654.20**
व्यय			
ईंधन खपत की लागत	29	14,651.39	23,908.51
कर्मचारी हितलाभ व्यय	30	5,395.47	10,058.42
वित्त लागत	31	4,883.64	7,609.79
मूल्यह्रास व्यय	2	2,259.85	1,980.03
अन्य व्यय	32	4,449.02	5,045.96
योग व्यय		**31,639.37**	**48,602.71**
कर पूर्व लाभ/(हानि) और विनियामक आस्थगित खाता शेष		**15,462.85**	**22,051.49**
कर व्यय			
चालू कर		3,805.28	2,273.88
आस्थगित कर		(265.55)	684.78
पूर्व वर्ष कर		(725.78)	-
योग कर व्यय		**2,813.95**	**2,958.66**
वर्ष के लिए विनियामक आस्थगित खाता शेष से पूर्व लाभ/(हानि)		**12,648.90**	**19,092.83**
विनियामक आस्थगित खाता शेषों में संचलन			
–आस्थगित कर	53		**-**
विनियामक आस्थगित खाता शेषों में संचलन (कर निवल)			-
वर्ष के लिए लाभ/(हानि)		**12,648.90**	**19,092.83**
अन्य विस्तृत आय/(व्यय)			
लाभ एवं हानि में पुनः वर्गीकृत न की जाने वाली मदें (कर निवल)			
–परिभाषित हितलाभ योजनाओं पर गैर बीमांकिक लाभ/(हानियां)		(169.04)	(34.27)
–उक्त मद से संबद्ध आयकर		(42.54)	(11.98)
अन्य विस्तृत आय/(व्यय)		**(126.50)**	**(22.29)**
वर्ष के लिए कुल विस्तृत आय/(व्यय)		**12,522.40**	**19,070.54**

प्रति इक्विटी शेयर आय (सममूल्य 10/– रुपए प्रत्येक)	38		
प्रति शेयर (रूप) मूल एवं डाइल्यूटिड आय (प्रचालनों से विनियामक आस्थगित खाता शेष सहित)		**1.72**	**2.59**
प्रति शेयर मूल एवं डाइल्यूटिड आय (प्रचालनों से विनियामक आस्थगित खाता शेष के अलावा)		**1.72**	**2.59**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	1		

संलग्न नोट संख्या 1 से 56 इन वित्तीय विवरणों का अभिन्न भाग है।

हमारी संलग्न समसंख्यक दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

कृते एएजेवी एंड एसोसिएट
सनदी लेखाकार

ह0/–
जितेन्द्र जिन्दल
साझेदार
सदस्यता संख्याः 093642
फर्म पंजीकरण संख्याः 007739एन
यूडीआईएनः 23093642BGXWSM1032

ह0/–
प्रशांत व्यास
वरिष्ठ प्रबंधक (वित्त)
एवं मुख्य वित्त अधिकारी

ह0/–
मुकेश कुमार शर्मा
निदेशक (तकनीकी)
डीआईएन – 08572379

ह0/–
अजीमुल हक
प्रबंध निदेशक
डीआईएन – 03578730

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 14 जनवरी, 2023

इन्द्रप्रस्थ पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड
सीआईएनः U40103DL2001SGC111530
31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार स्टैंडएलोन रोकड़ प्रवाह विवरण

रुपए लाख में

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए
क. प्रचालन क्रियाकलापों से रोकड़ प्रवाह		
लाभ एवं हानि विवरण के अनुसार निवल लाभ/(हानि)	**15,462.85**	**22,051.49**
निम्नलिखित के लिए समायोजन		
मूल्यह्रास	2,259.85	1,980.03
ब्याज लागत	4,883.64	7,609.79
प्राप्त ब्याज आय	(1,599.80)	(3,329.51)
छोड़ा गया ब्याज	-	(621.09)
जमा पर उपार्जित ब्याज आय	(1.80)	24.67
लाभांश आय	(17,500.00)	(7,341.32)
अनुदान आय	(3.66)	(3.66)
प्रतिलेखित देयताएं/प्रावधान	-	-
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की स्वीकृति समाप्त करने से (लाभ)/हानि (निवल)	9.87	545.32
म्युचुअल फंडों के उचित मूल्य मापन से अप्राप्त लाभ		-
वर्ष के दौरान वसूली योग्य बट्टा		-
मालसूची के पुनः मूल्यांकन से हानि	(32.75)	18.00
वर्ष के दौरान मालसूचियों के लिए निर्मित (प्रतिलेखित) प्रावधान	(6.43)	(4.37)
वर्ष के दौरान वित्तीय परिसंपत्तियों पर क्षति हानि (लाभ)	3.57	(1,754.12)
वर्ष के दौरान निर्मित सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण के लिए प्रावधान	8.69	13.51
कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पूर्व प्रचालनात्मक लाभ	**3,484.03**	**19,188.74**
निम्नलिखित के लिए समायोजन –		
मालसूची में (बढ़त)/घटत	65.46	0.72
व्यापार प्राप्य में (बढ़त)/घटत	18,799.88	(893.44)
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों में (बढ़त)/घटत	(2,436.06)	10,665.42
अन्य चालू परिसंपत्तियों में (बढ़त)/घटत	5,999.23	3,034.42
अन्य गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों में (बढ़त)/घटत	0.46	(0.65)
अन्य गैर–चालू परिसंपत्तियों में (बढ़त)/घटत	39.92	17.38
व्यापार देय में बढ़त/(घटत)	(6,269.67)	(2,276.34)
अन्य वित्तीय देयताओं में बढ़त/(घटत)	156.90	(617.78)
अन्य चालू देयताओं में बढ़त/(घटत)	(2,679.36)	2,907.48
प्रावधानों में बढ़त/(घटत)	(777.01)	1,997.15
अन्य गैर–चालू देयताओं में बढ़त/(घटत)	0.61	13.54
प्रचालनों से उत्पन्न रोकड़ प्रवाह	**16,384.39**	**34,036.64**
घटाएं : चुकता आयकर/(धनवापसी)	(9,338.28)	2,892.57
प्रचालनात्मक क्रियाकलापों से निवल रोकड़ प्रवाह/(बहिर्प्रवाह) {क}	**25,722.67**	**31,144.07**

ख. निवेश क्रियाकलापों से रोकड़ प्रवाह		
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरणों का क्रय	(214.19)	**(1,198.47)**
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरणों की बिक्री से आय	2.60	**125.10**
प्राप्त लाभांश	**17,500.00**	**7,341.32**
बैंक जमा में निवल निवेश/(शोधन)	**(3,397.61)**	**503.34**
प्राप्त ब्याज	**1,599.80**	**3,329.51**
निवेश क्रियाकलापों से निवल रोकड़ प्रवाह/बहिर्प्रवाह (ख)	**15,490.60**	**10,100.80**
ग. वित्तीय क्रियाकलापों से रोकड़ प्रवाह		
गैर–चालू ऋणों से आय	**-**	**-**
गैर–चालू ऋणों से पुनर्भुगतान	**(6,744.00)**	**(4,794.52)**
अल्पकालिक ऋणों का निवल (भुगतान)/आय	**(26,273.89)**	**(25,481.33)**
चुकता ब्याज	**(518.89)**	**(3,193.66)**
वित्तीय क्रियाकलापों से निवल रोकड़ प्रवाह/बहिर्प्रवाह (ग)	**(33,536.78)**	**(33,469.51)**
रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य में निवल वृद्धि/(घटत) (क+ ख+ग)	**7,676.50**	**7,775.37**
वर्ष के प्रारम्भ में रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य	**7,857.19**	**81.82**
वर्ष के अंत में रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य	**15,533.69**	**7,857.19**

नकदी प्रवाह के विवरण पर टिप्पणी

क. रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्यों के घटक

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए
बैंकों में शेष		
चालू खाते	**53.17**	**171.73**
बैंकों में जमा	**15,480.00**	**7,685.01**
उपलब्ध चैक	**-**	**-**
उपलब्ध नकदी	**-**	**-**
उपलब्ध स्टैम्प्स	**0.52**	**0.45**
	15,533.69	**7,857.19**

ख. तुलन पत्र के अथशेष एवं अंतशेष में वित्तीय क्रियाकलापों से उत्पन्न देयताओं के मध्य समाशोधनः

विवरण	गैर–चालू ऋण	चालू ऋण
31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए		
01 अप्रैल, 2020 को शेष	**36,560.99**	**77,897.48**
ऋण प्राप्ति	-	-
ऋण पुनर्भुगतान	(6,744.00)	(26,273.89)
वर्ष के दौरान उपार्जित ब्याज	1,163.93	3,200.82
छोड़ा गया ब्याज	-	-
वर्ष के दौरान ब्याज भुगतान	(0.00)	-
31 मार्च, 2021 को शेष	**30,980.92**	**54,824.41**

विवरण	गैर–चालू ऋण	चालू ऋण
31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए		
01 अप्रैल, 2019 को शेष	**43,370.47**	**97,568.81**
ऋण प्राप्ति	-	-
ऋण पुनर्भुगतान	(4,794.52)	(25,481.33)
वर्ष के दौरान उपार्जित ब्याज	1,629.45	5,810.00
छोड़ा गया ब्याज	(621.09)	-
वर्ष के दौरान ब्याज भुगतान	(3,023.32)	-
31 मार्च, 2020 को शेष	**36,560.99**	**77,897.48**

ग. अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (कंपनी की संबद्ध कंपनी) द्वारा वित्तीय वर्ष 20–21 के दौरान 17,500 लाख रूपए (वित्त वर्ष 19–20 में 7,341.32 लाख रुपए) का लाभांश घोषित किया है ।

घ. 31 मार्च, 2020 को प्राप्त न की गई ऋण सुविधा की राशि 8,997.41 लाख रुपये है (31 मार्च, 2019 को 12,723.52 लाख रुपये)।

ङ. चालू वर्ष के वित्तीय विवरणों के साथ तुलनात्मकता के संवर्धन के लिए चालू वर्ष के प्रस्तुतीकरण के अनुरूप, तुलनात्मक आंकड़ों का समायोजन किया गया है।

हमारी संलग्न समसंख्यक दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

कृते एएजेवी एंड एसोसिएट
सनदी लेखाकार

ह0/–
जितेन्द्र जिन्दल
साझेदार
सदस्यता संख्याः 093642
फर्म पंजीकरण संख्याः 007739एन
यूडीआईएनः 23093642BGXWSM1032

ह0/–
प्रशांत व्यास
वरिष्ठ प्रबंधक (वित्त)
एवं मुख्य वित्त अधिकारी

ह0/–
मुकेश कुमार शर्मा
निदेशक (तकनीकी)
डीआईएन – 08572379

ह0/–
अजीमुल हक
प्रबंध निदेशक
डीआईएन – 03578730

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 14 जनवरी, 2023

इन्द्रप्रस्थ पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड

सीआईएनः U40103DL2001SGC111530

31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार स्टैंडएलोन इक्विटी परिवर्तन विवरण

(क) इक्विटी शेयर पूंजी

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए (रुपए लाख में)

विवरण	शेयरों की संख्या	राशि
1 अप्रैल, 2020 को शेष	7,365.40	73,654.00
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-	-
31 मार्च, 2021 को शेष	**7,365.40**	**73,654.00**

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए (रुपए लाख में)

विवरण	शेयरों की संख्या	राशि
01 अप्रैल, 2019 को शेष	7,365.40	73,654.00
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-	-
31 मार्च, 2020 को शेष	**7,365.40**	**73,654.00**

(ख) अन्य इक्विटी

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए (रुपए लाख में)

विवरण	अन्य इक्विटी		योग
	सामान्य रिजर्व	धारित आय	
01 अप्रैल, 2020 को शेष	5,000.00	54,916.08	59,916.08
वर्ष के लिए लाभ	-	12,648.90	12,648.90
अन्य विस्तृत आय/(व्यय)	-	(126.50)	(126.50)
अनुदान में अंतरण*		-	-
31 मार्च, 2021 को शेष	**5,000.00**	**67,438.48**	**72,438.48**

* विवरण के लिए नोट 17 देखें।

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए (रुपए लाख में)

विवरण	अन्य इक्विटी		योग
	सामान्य रिजर्व	धारित आय	
01 अप्रैल, 2019 को शेष	5,000.00	35,845.54	40,845.54
वर्ष के लिए लाभ	-	19,092.83	19,092.83
अन्य विस्तृत आय/(व्यय)	-	(22.29)	(22.29)
अनुदान में अंतरण*	-	-	-
31 मार्च, 2020 को शेष	**5,000.00**	**54,916.08**	**59,916.08**

(ग) **संचित ओसीआई, कर निवल का विश्लेषण**

परिभाषित हितलाभ योजनाओं का पुनः मापन (रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021 की स्थिति	31 मार्च, 2020 की स्थिति
प्रारंभिक शेष	(153.06)	(130.77)
परिभाषित हितलाभ देयताओं का पुनः मापन	(126.50)	(22.29)
अंत शेष	**(279.56)**	**(153.06)**

हमारी संलग्न समसंख्यक दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

कृते एएजेवी एंड एसोसिएट
सनदी लेखाकार

ह0/-
जितेन्द्र जिन्दल
साझेदार
सदस्यता संख्याः 093642
फर्म पंजीकरण संख्याः 007739एन
यूडीआईएनः 23093642BGXWSM1032

ह0/-
प्रशांत व्यास
वरिष्ठ प्रबंधक (वित्त)
एवं मुख्य वित्त अधिकारी

ह0/-
मुकेश कुमार शर्मा
निदेशक (तकनीकी)
डीआईएन - 08572379

ह0/-
अजीमुल हक
प्रबंध निदेशक
डीआईएन - 03578730

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 14 जनवरी, 2023

इन्द्रप्रस्थ पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड
31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

1. कंपनी विवरण तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

क. रिपोर्टिंग इकाई

इन्द्रप्रस्थ पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड ("कंपनी) भारत में स्थापित शेयरों द्वारा लिमिटेड एवं निगमित कंपनी है। इन्द्रप्रस्थ पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड (आईपीजीसीएल कंपनी) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार की सरकारी क्षेत्र की कंपनी है, जिसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार एवं दिल्ली पावर कंपनी लिमिटेड द्वारा प्रायोजित किया गया है तथा इसके 100 प्रतिशत शेयर भाग का स्वामित्व (सीआईएनः यू40103डीएल2004एसजीसी 111530) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के पास है। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय हिमाद्री, राजघाट पावर हाउस, नई दिल्ली–110002 में स्थित है। कंपनी पावर उत्पादन एवं दिल्ली राज्य में विभिन्न डिस्कॉमों को पावर आपूर्ति का व्यवसाय करती है। कंपनी के पास दो पावर हाउस स्टेशन हैं, जिनमें से एक राजघाट पावर हाउस है, जो 1989–90 में 135 मेगावाट उत्पादन क्षमता के साथ स्थापित कोल आधारित पावर संयंत्र है तथा दूसरा 270 मेगावाट उत्पादन क्षमता वाला गैस टर्बाइन पावर स्टेशन है, जिसका गैस आधारित पावर संयंत्र वर्ष 1985–86 (गैस टर्बाइन) तथा 1995–96 (स्टीम टर्बाइन) संयंत्र कमीशन किया गया है। डीपीसीएल के निर्देशों के अनुसार, आरपीएच संयंत्र मई, 2015 से परिचालन में नहीं था। जीएनसीटीडी के मंत्रिमंडल ने 11 जुलाई, 2019 को आयोजित कैबिनेट बैठक में आरपीएच को बंद करने का फैसला किया है।

ख. निर्माण का आधार

1. अनुपालन विवरण

ये स्टैंडएलोन वित्तीय विवरण लेखांकन की निम्नलिखित संग्रहण व्यवस्था का अनुसरण करके एवं कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 तथा उसमें अनुवर्ती संशोधनों के अंतर्गत अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस), कंपनी अधिनियम, 2013 (विद्यमान अधिसूचना तक एवं यथा लागू), तथा विद्युत अधिनियम, 2003 के यथा लागू प्रावधानों का अनुपालन करते हुए गोइंग कंसर्न आधार पर तैयार किए गए हैं।

इन वित्तीय विवरणों को जारी करने का प्राधिकार निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 28 दिसम्बर, 2020 को दिया गया था। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 131 के अंतर्गत निदेशक मंडल द्वारा ट्रिब्यूल से अनुमोदन प्राप्त करके किन्हीं भी तीन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के संबंध में संशोधित वित्तीय विवरण तैयार किए जा सकते हैं।

2. मापन का आधार

वित्तीय विवरणों का निर्माण, निम्नलिखित के अलावा, ऐतिहासिक लागत आधार पर किया गया हैः–

- वे वित्तीय परिसम्पतियां एवं देयताएं जिनका मापन उचित मूल्य के अनुसार किया गया है (वित्तीय लिखतों से संबंधित लेखांकन नीति देखें) ;
- कर्मचारियों के मामले में परिभाषित हितलाभ योजनाओं की योजना परिसम्पतियों के लिए, जिनका मापन उचित मूल्य पर किया गया है; तथा
- वहन राशि से न्यून मूल्य पर बिक्री के लिए स्वीकृत धारित परिसम्पतियां तथा उनके उचित मूल्य में से बिक्री की लागत को घटाकर।

उचित मापन के लिए उपयोग में लाई गई विधियों के संबंध में वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में प्रस्तुति दी गई है।

ऐतिहासिक लागत वह रोकड़ अथवा रोकड़ समतुल्य राशि है जो किसी परिसम्पति के अधिग्रहण के समय परिसम्पति के अधिग्रहण के लिए चुकता की गई हो अथवा उसके निम्मित उचित मूल्य दिया हो अथवा ऐसे दायित्व के विनिमय के प्रति किसी राशि की प्राप्ति की गई हो अथवा व्यवसाय के सामान्य व्यवहार के दौरान देयताओं की पूर्ति के लिए रोकड़ अथवा रोकड़ समतुल्य चुकता किए जाने की प्रत्याशा की गई हो।

उचित मूल्य वह मूल्य है जो मापन की तिथि को किसी परिसम्पति की बिक्री से प्राप्त किया गया हो अथवा जो बाजार प्रतिभागियों के साथ क्रमबद्ध संव्यवहार के लिए किसी देयता के अंतरण के लिए चुकता किया गया हो।

3. कार्यात्मक एवं प्रतिपादन की मुद्रा

इन वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति भारतीय रुपए में की गई है, जो कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा है। कहीं कोई अन्यथा उल्लेख न होने की स्थिति में प्रस्तुत प्रत्येक वित्तीय सूचना में रूपए को निकटतम लाख (दो दशमलव तक) में राउंड ऑफ किया गया है।

4. चालू एवं गैर चालू वर्गीकरण

कंपनी द्वारा अपनी परिसम्पतियों एवं देयताओं को तुलन पत्र में चालू/गैर चालू वर्गीकरण के आधार पर प्रस्तुत किया गया है।

कोई परिसम्पति चालू परिसम्पति तब होती है जबः–

- वह नकदीकरण अथवा बिक्री के लिए नियत हो अथवा सामान्य प्रचालन क्रम में खपत की जाने वाली हो;
- प्रारम्भ से ही व्यवसाय के लिए धारित की गई हो;
- रिपोर्टिंग अवधि के बारह माह के भीतर बिक्री की जानी हो; अथवा
- यदि विनियम के लिए प्रतिबंधित न होने अथवा रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात किसी देयता के समाधान के लिए कम से कम बारह माह के लिए उपयोग की जा रही होने के अलावा रोकड़ अथवा रोकड़ समतुल्य हो।

अन्य सभी परिसम्पतियों का वर्गीकरण गैर–चालू परिसम्पति के रूप में किया गया है।

कोई देयता चालू तब होती है जबः–

- सामान्य प्रचालन क्रम में इसका निपटान संभावित हो;
- यह मुख्यतः व्यवसाय के उद्देश्य से धारित की गई हो;
- रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात बारह माह के भीतर इसका समाधान किया जाना हो; अथवा
- रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात कम से कम बारह माह की अवधि के लिए देयताओं के निपटान को स्थगित करने का कोई असंबंध अधिकार न हो।

अन्य सभी दायित्वों का वर्गीकरण गैर–चालू के रूप में किया गया है। चालू देयताओं में गैर–चालू वित्तीय दायित्वों का चालू भाग शामिल है।

परिसम्पतियों एवं देयताओं को तुलन पत्र में चालू/गैर चालू वर्गीकरण के आधार पर 12 माह के सामान्य परिचालन क्रम को विचार में लेकर प्रस्तुत किया गया है।

आस्थगित कर परिसम्पतियां/देयताओं का वर्गीकरण गैर–चालू के रूप में किया गया है।

ग. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए प्रयोग में लाई गई महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का संक्षेप सार नीचे दिया गया है। इन लेखांकन नीतियों का उपयोग वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत सभी अवधियों के लिए निरंतर रूप से किया गया है।

कंपनी द्वारा इंड एएस 16 तथा इंड एएस 38 के प्रावधानों का उपयोग पूर्वकाल के लिए न करने तथा पूर्व सामान्य स्वीकृत लेखांकन प्रक्रिया (जीएएपी) की वहन लागत को इंड एएस के अंतर्गत अवस्थांतरण तिथि अर्थात 1 अप्रैल, 2015 से मानित लागत के रूप में उपयोग के लिए इंड एए 101 में उपलब्ध विकल्प का चयन किया गया है। तदनुसार, सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण तथा अमूर्त परिसम्पतियों की वहन राशियां 1 अप्रैल, 2015 की स्थिति अर्थात इंड एएस में अवस्थातंरण की तिथि को पूर्व सामान्य स्वीकृत लेखांकन प्रक्रिया (जीएएपी) के अनुसार ही अवस्थातरंण से इंड एएस में अनुरक्षित की गई हैं।

1. सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण

1.1 आरंम्भिक स्वीकृति एवं मापन

किसी सम्पति, संयंत्र तथा उपकरण की किसी मद की परिसम्पति के रूप में स्वीकृति केवल मद से सम्बद्ध भावी आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होने तथा मद की लागत का मापन विश्वसनियता से किया जा सकने की संभावना उपलब्ध होने की स्थिति में ही की गई है।

किसी सम्पति, संयंत्र तथा उपकरण की मद की प्रारंभिक स्वीकृति उसकी लागत पर किया गया है। अनुवर्ती मापन उनकी लागत में से संचित मूल्यह्रास/परिशोधन एवं संचित क्षमता क्षतियों को लागत, यदि कोई हों, में से घटाकर किया गया है। लागत में आयात शुल्क एवं व्यापार छूट एवं रियायत की कटौती के पश्चात गैर धनवापसी योग्य वे व्यय शामिल हैं, जो प्रबंधन के अभिप्रेत उद्देश्य से प्रचालन योग्य बनाने के लिए सम्पति को स्थल तथा आवश्यक स्थिति में लाए जाने के लिए प्रत्यक्ष जुड़े हुए हैं।

जब किसी सम्पति, संयंत्र तथा उपकरण, जो मूल्य के प्रति महत्वपूर्ण है, के किसी भाग का उपयोज्यता काल भिन्न होता है तो उनकी स्वीकृति अलग अलग की जाती है।

प्रयोग में लाई जा रही किसी ऐसी सम्पति के मामले में, जिसके बिलों का अंतिम निपटान ठेकेदारों के साथ अभी नहीं किया गया है, अस्थायी आधार पर पूंजीयन वर्ष के दौरान अंतिम समाधान किए जाने की शर्त पर किया जाता है।

किसी एक से अधिक जनरेटिंग यूनिट के लिए समान परिसम्पतियों एवं प्रणालियों का पूंजीयन इंजीनियरिंग अनुमानों / मूल्यांकनों के आधार पर किया जाता है।

अतिरिक्त पूर्जों की मदों, आपातोपयोगी उपकरणों तथा सम्पति की परिभाषा में आने वाले सेवायोज्यता उपकरण, संयंत्र एवं उपकरण संयंत्र का पूंजीयन किया जाता है। अन्य अतिरिक्त पूर्जों को मालसूची के रूप में अग्रेषित किया जाता है तथा लाभ एवं हानि के विवरण में उनकी स्वीकृति खपत के अनुसार की जाती है।

1.2 अनुवर्ती लागतें

अनुवर्ती व्यय की स्वीकृति परिसम्पति की वहन राशि में वृद्धि के साथ तब की गई है जब ऐसे व्यय की लागत से उत्पन्न होने वाले भावी आर्थिक लाभों की प्राप्ति कंपनी को होने तथा मद की लागत का मापन विश्वसनीय रूप से किया जा सकने की संभावना उपलब्ध हुई है।

जनरेटिंग यूनिट की प्रमुख जांच एवं ओवरहॉल पर किए गए व्यय का पूंजीयन परिसम्पति स्वीकृति को पूरा किए जाने की स्थिति में किया गया है। पूर्व जांच तथा ओवरहॉल से संबंधित किसी बकाया वहन राशि की स्वीकृति समाप्त की गई है।

किसी सम्पति, संयंत्र तथा उपकरण की मद के प्रतिस्थापन भाग की लागत की स्वीकृति उस मद की वहन राशि में तब की जाती है जब ऐसा स्थापित किया जा सके कि उस भाग में सम्मिलित भावी आर्थिक लाभों से कंपनी को लाभ प्राप्त होंगे तथा इसकी लागत का मापन विश्वसनीय रूप से किया जा सकेगा। मरम्मतयोग्य न होने की स्थिति में प्रतिस्थापित भाग की वहन राशि की स्वीकृति नहीं की जाती है। रोजमर्रा उपयोग में लाई जाने वाली सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण की स्वीकृति लाभ अथवा हानि के रूप में व्यय के तौर पर की जाती है।

सम्पति, संयंत्र तथा उपकरण का स्वीकृति तब समाप्त की जाती है, जब उनके उपयोग अथवा उनके निपटान से भावी आर्थिक लाभ प्राप्त होने की संभावना न हो। सम्पति की किसी मद, संयंत्र एवं उपकरण की स्वीकृति समाप्ति / निपटान से होने वाले लाभों तथा हानियों का निर्धारण निपटान से प्राप्त की गई आय की तुलना सम्पति, संयंत्र तथा उपकरण की वहन राशि के साथ करके इसे लाभ एवं हानि के विवरण में दर्शाया जाता है।

लाभ एवं हानि विवरण में मूल्यह्रास की स्वीकृति सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण के प्रत्येक भाग की मद के अनुमानित उपयोज्यता काल के अनुसार सीधी रेखा विधि के अनुसार की गई है।

आस्थगित परिसम्पतियों के मूल्यह्रास की दरों को सरल विधि तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–2 के भाग 'ख' के अनुसरण में दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग द्वारा समय–समय पर सूचित की जाने वाली विधि के उपयोग से प्रभारित किया गया है।

पूंजीयन की जा चुकी प्रमुख ओवरहॉल एवं जांच की लागतों का मूल्यह्रास अगले अनुसूचित कटौती समय अथवा वास्तविक प्रमुख जांच/ओवरहॉल होने तक की अवधि के लिए, इनमें से जो भी पहले हो, किया जाता है।

पूंजी स्पेयर्स का मूल्यह्रास तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर 2 से 5 वर्ष के दायरे के उपयोज्यता काल को विचार में लेकर किया जाता है।

सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण के मूल्यह्रास में किए गए संवर्धन/घटाव को वर्ष के दौरान अनुपात आधार पर उस माह से/तक के लिए प्रभारित किया जाता है, जिस माह में सम्पति उपयोग/ बिक्री, निपटान के लिए उपलब्ध अथवा नियत होती है।

जब विनिमय दर में उतार चढ़ाव, मूल्य समायोजन, कार्यों में परिवर्तन अथवा समान कारकों से दीर्घकालिक देयताओं में बढ़त/घटत होने के कारण, वर्ष के दौरान हुए परिवर्तनों से परिसम्पतियों की लागत में मूल्यह्रास होता है तो मूल्यह्रास से संबंधित लागू लेखांकन नीतियों का उपयोग करके ऐसी गैर परिशोधित परिसम्पतियों के बकाया प्रयोज्य जीवन का निर्धारण करते हुए भविष्य में प्राप्य शेष को प्रभारित किया जाता है।

ऐसी संभावना होने पर कि व्यय की गई किसी लागत से उद्यम को भविष्य में प्राप्त होने वाले लाभों में बढ़ोतरी हो सकेगी तथा लागत का मापन विश्वसनीय रूप से किया जा सकेगा तो उसकी गैर परिशोधित राशि के साथ पीपीई पर किए जाने अनुवर्ती व्यय का प्रभारन तकनीकी मूल्यांकन से निर्धारित संशोधित प्रयोज्य जीवन का निर्धारण करते हुए किया जाता है।

ऐसी स्थितियों में जब सम्पति परित्यक्त होती है तो सम्पति से संबंधित संचयी पूंजीकृत लागतों का बट्टा समान अवधि में किया जाता है।

ऐसी सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण के लिए वहन की गई लागत, जो रिपोर्टिंग अवधि को आशित उपयोग के लिए तैयार नहीं है, का वर्गीकरण पूंजी कार्य प्रगति पर के अंतर्गत किया जाता है।

स्वनिर्मित परिसम्पतियों की लागत में सामग्री एवं प्रत्यक्ष श्रम की लागत सहित अन्य कोई ऐसी लागत भी शामिल है जो प्रबंधन के आशित उद्देश्य से प्रचालन के लिए सक्षम बनाने हेतु परिसम्पति को स्थल पर एवं आवश्यक स्थिति में लाने के लिए किए गए व्यय से प्रत्यक्ष संबद्ध हो तथा जिसकी ऋण लागतें अर्हक परिसम्पति के अधिग्रहण अथवा निर्माण से संबंधित हैं सम्पति के निर्माण, संयंत्र एवं उपकरण के संबंध में उनके आशित उपयोग की स्थिति में लाने के लिए किए गए प्रत्यक्ष व्यय संबंधित परिसम्पतियों की लागत पर सुव्यवस्थित आधार पर प्रभारित एवं आबंटित किए जाते हैं। डिपोजिट कार्यों / लागत जमा अनुबंधों का लेखांकन ठेकेदार से प्राप्त लेखा विवरण के आधार पर किया जाता है।

आपूर्ति एवं निर्माण संविदा के संबंध में स्थल पर प्राप्त एवं स्वीकृत आपूर्तियों के मूल्य को प्रगतिशील कार्य माना जाता है। संविदाओं के मामले में मूल्य अंतर/ विनिमय दर अंतर के कारण अभुक्त देयताओं का लेखांकन नियम एवं शर्तों के अनुरूप अनुमानित आधार पर किया जाता है।

3. अमूर्त परिसंपत्तियां

3.1 स्वीकृति एवं मापन

किसी अमूर्त परिसम्पति की स्वीकृति तब की जाती है जब ऐसा स्थापित किया जा सके कि परिसम्पति से सम्बद्ध भावी आर्थिक लाभों से कंपनी को लाभ प्राप्त होंगे तथा इसकी लागत का मापन विश्वसनीय रूप से किया जा सकेगा। कंपनी द्वारा अर्जित सीमित उपयोज्य जीवन वाली अमूर्त परिसंपत्तियों का मापन उनकी लागत में से संचित परिशोधन एवं संचित क्षमता हानियों, यदि कोई हों, को घटाकर किया जाता है। लागत में परिसम्पति को उसके आशित

उपयोग की स्थिति में लाने के उद्देश्य से किए गए प्रत्यक्ष सम्बद्ध आनुषंगिक व्यय, यदि कोई हों, शामिल होते हैं। सरकारी अनुदान से बिना किसी प्रभार अथवा सामान्य प्रभार से प्राप्त अमूर्त परिसंपत्तियों का मापन एवं प्रभारन उनके वास्तविक मूल्य पर किया जाता है।

3.2 अनुवर्ती लागतें

परिसम्पति की वहन राशि को अनुवर्ती व्यय के रूप में तब प्रभारित किया जाता है, जब ऐसा मान्य हो कि व्यय की गई लागत से भविष्य में प्राप्त होने लाभ कंपनी के लिए लाभकारी होंगे तथा मद की लागत का मापन विश्वसनीयता से किया जा सकेगा।

3.3 स्वीकृति समाप्ति

किसी अमूर्त परिसम्पति की स्वीकृति तब समाप्त होती है जब उसके उपयोग अथवा निपटान से भावी आर्थिक लाभ प्राप्त होने की संभावना न हो। अमूर्त परिसम्पति की किसी मद के निपटान से होने वाले लाभों तथा हानियों की स्वीकृति समाप्ति / निपटान से प्राप्त की गई आय की तुलना अमूर्त परिसम्पति की मद की प्रतिधारण राशि के साथ करके, इसे लाभ एवं हानि के विवरण में दर्शाया जाता है।

3.4 परिशोधन

अमूर्त परिसम्पति के रूप में मान्य साफ्टवेयर का परिशोधन विधिक अधिकार से प्रयोग की सीधी रेखा विधि अथवा 3 वर्ष की अवधि, जो भी कम हो, में कर लिया जाता है।

4. ऋण लागतें

ऋण लागत में (क) इंड एएस–109– 'वित्तीय लेखपत्र' में उल्लिखित प्रभावी ब्याज विधि के उपयो गसे आकलन किया गया ब्याज व्यय (ख) इंड एएस 116– पट्टे के अनुसरण में पट्टा देयताओं पर स्वीकृत ब्याज व्यय (ग) विदेशी मुद्रा ऋणों से उत्पन्न भिन्नताएं जिन्हें ब्याज लागतों के प्रति समायोजन माना गया है। (घ) अन्य लागतें जो कोई कंपनी निधियों के ऋण के संबंध में व्यय करती है।

किसी अर्हक परिसम्पति के निर्माण अथवा अधिग्रहण से सीधे सम्बद्ध ऋण लागतों का पूंजीयन परिसम्पतियों के भाग के रूप में उस समय तक किया जाता है, जब तक ऐसी परिसम्पतियां आशित उद्देश्य के लिए तैयार होती है। अर्हक परिसम्पतियां वे परिसम्पतियां होती हैं, जिनके आशित उद्देश्य अथवा बिक्री के लिए तैयार होने में पर्याप्त समय लगता है।

कंपनी द्वारा अर्हक परिसम्पति की प्राप्ति के उद्देश्य से विशिष्ट निधियों के ऋण से व्यय किए जाने की स्थिति में ऋण लागतों का पूंजीयन किया जाता है।

कंपनी द्वारा सामान्य रूप से प्राप्त ऋण निधि का उपयोग अर्हक परिसम्पति की प्राप्ति के लिए किए जाने की स्थिति में ऋण लागत का आकलन सामान्य ऋण की उस भारित औसत लागत के आधार पर किया जाता है, जो अवधि के दौरान बकाया है तथा जिसका उपयोग अर्हक परिसम्पति के अधिग्रहण अथवा निर्माण/स्थापना के लिए किया गया है। तथापि, अर्हक परिसम्पति की प्राप्ति के विशिष्ट उद्देश्य से लिए गए ऋण के संबंध में लागू ऋण लागतों को इस आकलन मे ंतब शामिल किया जाता है जब ऐसी परिसम्पति को आशित उपयोग अथवा बिक्री के तैयार करने से संबंधित सभी क्रियाकलाप पूर्ण हो जाते हैं।

ऋण लागत का पूंजीयन संतोषजनक रूप से अर्हक परिसम्पति के संबंध में आशित उद्देश्य के लिए अपेक्षित सभी आवश्यक क्रियाएं पूरी होने पर होता है।

अर्हक परिसम्पति पर बकाया व्यय के लिए लम्बित ऋणों के अस्थाई निवेश से अर्जित आय को पूंजीयन के योग्य ऋण लागतों में से घटा दिया जाता है।

5. गैर–वित्तीय परिसम्पतियों की क्षति

कंपनी की गैर–वित्तीय परिसम्पतियों की वहन राशियों की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को यह निर्धारण करने के लिए की जाती है कि क्या इंड ए एस 36 ''परिसम्पतियों की क्षति'' में किए गए प्रावधानों के विचार से इसमें क्षति के लक्षण उपलब्ध हैं अथवा नहीं। ऐसे लक्षण उपलब्ध होने की स्थिति में परिसम्पति की प्राप्य राशि के अनुमान लगाए जाते हैं। उपयोग के लिए उपलब्ध न होने वाली परिसम्पति की प्राप्य राशि के अनुमान प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को लगाए जाते हैं।

किसी परिसम्पति अथवा रोकड़ उत्पन्न करने वाली वाली यूनिट की प्राप्य राशि उसकी निपटान लागतों तथा उसके प्रयोग मूल्य को घटाकर, उसके उचित मूल्य से उच्च होती है। प्रयोग मूल्य का निर्धारण अनुमानित भावी रोकड़ प्रवाह को तत्समय के धन मूल्य के चालू बाजार निर्धारणों को दर्शाने वाले वर्तमान मूल्यों तथा परिसम्पति से संबद्ध जोखिमों से घटाकर किया जाता है। क्षति परीक्षण के उद्देश्य से अलग–अलग परीक्षण न की जा सकने वाली परिसम्पतियों को एक साथ मिलाकर परिसम्पतियों का ऐसा छोटा समूह बनाया जाता है, जिनके निरंतर उपयोग से उत्पन्न रोकड़ प्रवाह अन्य परिसम्पतियों अथवा परिसम्पतियों के समूहों (''रोकड़ उत्पन्न करने वाली इकाई'' अथवा ''सीजीयू'') से उत्पन्न रोकड़ प्रवाह से अलग होता है।

किसी क्षमता हानि की स्वीकार्यता तब होती है, जब उस परिसम्पति अथवा रोकड़ उत्पन्न करने वाली इकाई की वहन राशि उसकी अनुमानित प्राप्य राशि से अधिक हो। क्षमता हानियों को लाभ एवं विवरण में शामिल किया जाता है। रोकड़ उत्पन्न करने वाली इकाई से संबंधित क्षमता हानियां रोकड़ उत्पन्न करने वाली इकाई की परिसम्पति की वहन राशि में से घटा दी जाती है।

क्षमता हानियों को पूर्वावधियों में शामिल किया जाता है तथा क्षति में घटत होने अथवा समाप्त होने से संबंधित निर्धारण प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को किया जाता है। प्राप्य राशि के निर्धारण के लिए लगाए गए अनुमानों में बदलाव आने की स्थिति में क्षमता हानि को व्युतक्रम किया जाता है। यदि किसी क्षमता हानि की स्वीकार्यता नहीं की गई है तो क्षमता हानि के संबंध में किया जाने वाला व्युतक्रम केवल परिसम्पति की वहन राशि के विस्तार वहन के लिए निर्धारित राशि, मूल्यह्रास अथवा परिशोधन का निवल, की सीमा तक किया जाता है।

6. **सम्बद्ध एवं संयुक्त उद्यमों में निवेश**

सम्बद्ध कम्पनियों तथा संयुक्त उद्यमों में किए गए इक्विटी निवेश का मापन लागत पर किया जाता है। किए गए निवेश की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को इंड ए एस 36 'परिसम्पतियों की क्षति'' के प्रावधानों के अनुसार किसी क्षति के लक्षणों के संज्ञान के लिए की जाती है। ऐसे कोई लक्षण विद्यमान होने पर गैर–वित्तीय परिसम्पतियों की क्षति से संबंधित नीति का अनुसरण किया जाता है।

7. **मालसूचियां**

स्क्रैप सामग्री के अलावा मालसूचियों का मूल्यांकन उनकी न्यूनतम लागत तथा निवल प्राप्य मूल्य के अनुसार किया जाता है। लागतों में क्रय लागत तथा मालसूचियों को विद्यमान स्थल तथा स्थिति तक लाने के लिए व्यय की गई अन्य लागतें शामिल होती हैं। लागत का निर्धारण भारित औसत आधार पर किया जाता है। मालसूची की क्रय लागत का निर्धारण रियायतों तथा छूटों को घटाकर होता है। निवल प्राप्य मूल्य के अनुमान सामान्य व्यवसाय प्रक्रिया में उनकी बिक्री दर में से उन्हें पूर्ण किए जाने की लागतों तथा बिक्री के लिए आवश्यक बदलाव की अनुमानित लागतों को घटाकर लगाए जाते हैं। स्क्रैप मालसूची (सामान्यतः महत्वहीन) का मूल्य शून्य रखा जाता है जो कि अनुमानित प्राप्य मूल्य है।

अप्रचलित, अनुपयोगी तथा अतिरिक्त भंडार एवं पूर्जों के लिए घटाए जाने वाले मूल्यों का निर्धारण समीक्षा करके किया जाता है तथा उसकी व्यवस्था की गई है।

8. **सरकारी अनुदान**

सरकारी अनुदानों के संबंध में की जाने वाली प्रारम्भिक स्वीकार्यता, इनकी प्राप्ति तथा कंपनी द्वारा अनुदान से संबद्ध शर्तों का अनुपालन कर सकने के प्रति औचित्यपरक आश्वासन उपलब्ध होने पर, आस्थगित आय के तौर पर की जाती है। सरकारी अनुदान परिसम्पति से संबद्ध होने की स्थिति में परिसम्पति की लागत को उसके सकल मूल्य पर शामिल किया जाता है तथा लाभ एवं हानि विवरण में अनुदान को परिसम्पति के प्रयोज्य जीवन के लिए आय के रूप में स्वीकार्यता प्रदान की जाती है। कंपनी द्वारा किए गए व्यय के मुआवजे के तौर पर प्राप्त अनुदानों को उसकी लागतों से संबंधित अवधि के लिए स्वीकार्यता प्रदान की जाती है तथा इसे संबंधित व्ययों में से घटाया जाता है। गैर मौद्रिक परिसम्पतियों के अंतरण के रूप में किसी लागत के बिना अथवा सामान्य लिहाज से प्राप्त सरकारी अनुदान की स्वीकृति सांकेतिक राशि पर की जाती है।

9. **रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य**

तुलन पत्र में दर्शाए गई रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य में बैंकों में जमा एवं उपलब्ध तथा तीन माह अथवा कम की सामान्य परिपक्वता वाले अर्थसुलभ म्यूचुअल फंड एवं अल्पकालिक जमा, जो मूल्य में परिवर्तन के अल्प जोखिम की शर्त पर है, शामिल हैं।

10. **प्रावधान तथा आकस्मिक देयताएं तथा आकस्मिक परिसम्पतियां**

किसी ऐसे प्रावधान को मान्यता तब प्रदान की जाती है, जब किसी पूर्व घटना के परिणामस्वरूप कंपनी का ऐसा कोई विद्यमान विधिक अथवा तर्कसाध्य दायित्व हो जिसका विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सके तथा जिसमें आर्थिक लाभों के बहिर्प्रवाह की अपेक्षा ऐसे दायित्व के लिए किए जाने की संभावना की गई हो। यदि धन का समय मूल्य का प्रभाव सामग्रीगत है तो प्रावधानों का निर्धारण कर पूर्व दरों पर संभावित भावी रोकड़ प्रवाह को न्यून करके इस प्रकार किया जाता है कि उससे धन के समय मूल्य और दायित्वों के विशिष्ट जोखिम के चालू बाजार आकलनों को प्रदर्शित हो सकें। न्यूनता का उपयोग किए जाने की स्थिति में समय के साथ ही साथ प्रावधान में की जाने वाली वृद्धि को वित्त लागत के रूप में स्वीकार किया जाता है।

प्रावधान के रूप में स्वीकार की राशि, दायित्व से जुड़े जोखिमों तथा अनिश्चितताओं को ध्यान में रखकर, रिपोर्टिंग तिथि को विद्यमान दयित्वों का निपटान के लिए अपेक्षानुसार विचार करके, उत्तम अनुमान के अनुसार आकी गई है।

किसी तृतीय पक्षकार से किसी प्रावधान के निपटान के लिए किसी अथवा सभी आर्थिक लाभों की अपेक्षा होने पर प्राप्यों के प्रति प्रतिपूर्ति होने तथा प्राप्य राशि का मापन किए जा सकने की निश्चितता हो तो उसे परिसम्पति के रूप में स्वीकार्यता दी जाती है। प्रावधान से संबंधित व्यय किसी प्रतिपूर्ति के सकल योग के रूप में लाभ एवं हानि विवरण में दर्शाए गए हैं।

आनुषंगिक देयताएं संभावित दायित्व होते हैं, जो पूर्व घटनाओं के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं तथा जिनके आस्तित्व की पुष्टि भविष्य में उनके एक अथवा अधिक अवसरों पर घटित होने से होती है, जो कि कंपनी के नियंत्रण से परे होते है। किसी दायित्व के प्रति जब किसी प्रकार के आर्थिक लाभ की अपेक्षित उत्पति अथवा प्राप्त होने वाली राशि के विश्वसनीय अनुमान संभावित नहीं किए जा सकते हैं तथा यदि उससे प्राप्त होने वाले आर्थिक लाभों की प्राप्ति की संभावना अत्याधिक कम होती है तो ऐसे दायित्व का प्रकटन आनुषंगिक देयता के तौर पर किया जाता है। आनुषंगिक देयताओं का प्रकटीकरण प्रबंधन/स्वतंत्र विशेषज्ञों द्वारा लिए जाने वाले निर्णय के आधार पर किया जाता है। इनकी पुनरीक्षा प्रत्येक तुलन पत्र तिथि में की जाती है तथा इसमें चालू प्रबंधन अनुमान प्रदर्शित करने के लिए समायोजन किया जाता है। रोकड़ प्रवाह की समयावली का संज्ञान नहीं किया जा सकता है।

आकस्मिक परिसंपत्तियां वे संभावित परिसंपत्तियां हैं जिनकी उत्पति पूर्व घटनाओं से होती हैं और जिसके अस्तित्व की पुष्टि एक अथवा अधिक भावी घटनाओं के घटित होने अथवा न घटित होने से होती है जो पूर्णतः कंपनी के नियंत्रण में नहीं होती। आकस्मिक परिसंपत्तियों को वित्तीय विवरणों में तब दर्शाया जाता है जब आर्थिक लाभों का प्रवाह, प्रबंधन के विवेक के आधार पर संभाव्य होता है। इन घटनाओं को वित्तीय विवरणों में दर्शाए जाने के लिए यह सुनिश्चित किया जाता है कि इनका मूल्यांकन सतत् रूप से किया जाए।

11. विदेशी मुद्रा संव्यवहार एवं अंतरण

विदेशी मुद्राओं में किए जाने वाले लेन–देन की स्वीकृति, कार्यात्मक मुद्रा में संव्यवहार की तिथि को एवं विद्यमान दरों को विचार में लेकर, की जाती है।

विदेशी मुद्राओं में वर्णित मौद्रिक परिसम्पतियों का अंतरण, उनकी कार्यात्मक मुद्रा के अनुसार रिपोर्टिंग तिथि की स्पॉट विनिमय दरों पर किया जाता है। मौद्रिक मदों के समाधान अथवा अंतरण से उत्पन्न विनिमय दर अंतरों को उनके संव्यवहार के वर्ष के लाभ एवं हानि लेखा में स्वीकृति तब की जाती है जब इनकी उत्पति इस शर्त के साथ होती है कि 31 मार्च, 2015 तक स्वीकृत परिसम्पति, संयंत्र एवं उपकरण का समायोजन सम्पति, संयंत्र तथा उपकरण एवं पूंजी कार्य प्रगति पर में कर लिया गया है।

ऐतिहासिक लागत के संदर्भ में गैर–मौद्रिक मदों के संबंध में किया गया मापन विदेशी मुद्रा में उनके लेन–देन की तिथि की विनिमय दर के उपयोग से अंतरण करते हुए उनकी लागत के अनुसार किया जाता है ।

12. राजस्व

कंपनी का राजस्व ग्राहकों से ऊर्जा की बिक्री, ऊर्जा की बिक्री के विलंबित भुगतान के प्रभारों से उत्पन्न होता है। अन्य आय से प्राप्त राजस्व में बैंको से ब्याज एवं अन्य, एफवीटीपीएल पर मापन किए गए म्युचुअल निधियों के लाभ, सम्बद्ध कम्पनियों में निवेश से लाभांश, सौर परामर्शी सेवाओं से आय, बीमा दावे, अनुदान आय, किराया आय, स्क्रैप तथा अन्य गैर परिचालनात्मक आय शामिल है।

1 अप्रैल, 2018 से कंपनी ने संचयी प्रभाव विधि के उपयोग से इंड एएस 115 'ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व' अंगीकार किया है, जिसका उपयोग उन अनुबंधों के संबंध में किया गया है जो 1 अप्रैल, 2018 तक पूरे नहीं हुए थे।

12.1 ऊर्जा की बिक्री से राजस्व

कंपनी के प्रचालनों का विनियमन एवं संचलन विद्युत अधिनियम, 2003 तथा दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग मूल्य सूची विनियमों के अंतर्गत होता है। तदनुसार ऊर्जा संयंत्रों के आधार पर कंपनी की मूल्य सूची समय–समय पर लागू मूल्य सूची विनियमों में निर्धारित मानदंडों के अनुसार दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग द्वारा निर्धारित की जाती है। मूल्य सूची विशिष्ट ऊर्जा संयंत्र पर व्यय की गई पूंजी लागत पर आधारित होती है तथा मुख्यतः इसके दो घटक हैं यथा क्षमता प्रभार अर्थात नियत प्रभार, जिसमें मूल्यह्रास, इक्विटी पर लाभ, कार्यशील पूंजी ब्याज, प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय, ऋण पर ब्याज तथा ऊर्जा प्रभार अर्थात ईंधन लागतों पर मुख्यतः आधारित परिवर्तनीय प्रभार शामिल होते हैं।

ऊर्जा की बिक्री से राजस्व का मापन प्राप्त अथवा प्राप्य लाभ के उचित मूल्य के अनुसार किया जाता है। राजस्व की स्वीकृति तब (अथवा के रूप में) की जाती है जब निष्पादन दायित्व पूर्ण हो जाते हैं, जो मुख्यतः तब (अथवा के रूप में) होते हैं उत्पादों अथवा सेवाओं का अंतरण ग्राहक को कर दिया जाता है।

ऊर्जा की बिक्री से प्राप्त राजस्व का लेखांकन दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग द्वारा अनुमोदित मूल्य सूची दरों (अनंतिम के रूप में अंकित मदों के अलावा) पर विद्युत अपीलिय ट्रिब्यूनल/ सांविधिक प्राधिकरण के आदेशानुसार संशोधित आवश्यक सीमा के आधार पर किया जाता है। ऐसे ऊर्जा स्टेशनों के मामले में, जिनकी मूल्य सूची दरों का अनुमोदन/अनंतिम के रूप में अंकित मदों के लिए अभी दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग द्वारा आदेश नहीं दिए गए हैं, लागू दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग मूल्य सूची विनियमों के अनुसार अस्थाई दरें प्रयोग में लाई जाती हैं। ग्राहकों को आवधिक तथा नियमित आधार पर बिल जारी किए जाते हैं। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को ऊर्जा की बिक्री से प्राप्त राजस्व में ग्राहकों को की गई उस डिलीवरी का उपचय भी शामिल होता है, जो बिल न किया गया राजस्व होता है अर्थात जिसके बिल जारी नहीं किए गए हैं। स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर के ऊर्जा लेखों के अंतिमकरण से उत्पन्न समायोजन संबंधित वर्ष में प्रभारित किए जाते हैं। विनियामक, अपीलिय अथवा सांविधिक प्राधिकरण के आदेशों से उत्पन्न प्रभावों का लेखांकन आदेश जारी किए जाने के समय के अनुसार किया जाता है।

लाभग्राहियों के लिए अनुमत्त शीघ्र भुगतान, जैसे प्रोत्साहनों से संबंधित छूट की कटौती राजस्व की राशि में से की जाती है।

ब्याज / ऊर्जा की बिक्री के लिए विलंबित भुगतान/विविध देनदारों द्वारा अतिदेय की स्वीकृति तब की जाती है, जब इंड एएस 115 'ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व' के अनुसार उनके मापन अथवा संग्रहण के प्रति महत्वपूर्ण अनिश्चितता नहीं होती है।

12.2 अन्य आय

ब्याज आय के लिए मान्यता तब दी जाती है, जब बकाया राशि तथा प्रभावी ब्याज दर विधि (ईआईआर) के उपयोग से लागू ब्याज दरों को ध्यान में रखते हुए उनके मापन अथवा संग्रहण के प्रति समय अनुपात के आधार पर महत्वपूर्ण अनिश्चितता नहीं होती है।

सौर परामर्शी सेवाओं से प्राप्त आय की स्वीकृति सेवाओं के निष्पादन की अवधि में की जाती है।

किरायों से प्राप्त राजस्व की स्वीकार्यता संबंधित करार के सार के अनुसार, उपचय आधार पर की जाती है।

किरायों से प्राप्त राजस्व की स्वीकार्यता संबंधित करार के सार के अनुसार, उपचय आधार पर तब की जाती है जब लाभांश आय की स्वीकार्यता भुगतान प्राप्त होने के प्रति कंपनी का अधिकार स्थापित हो। बीमा आय की स्वीकार्यता दावे की स्वीकृति के वर्ष में आय के तौर पर की जाती है। स्क्रैप एवं खराब सामान की बिक्री का लेखांकन उनका निपटान किए जाने पर किया जाता है।

आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्य अग्रिम पर ब्याज/ प्रभारों एवं वारंटी दावों की प्राप्ति/स्वीकृति के प्रति अनिश्चितता होने की स्थिति में उन्हें उपार्जित नहीं माना जाता है तथा तदनुसार उनका लेखांकन प्राप्ति/स्वीकृति के लिए किया जाता है।

13. **पट्टेदार के रूप में पट्टा**

1 अप्रैल, 2019 से कंपनी ने इंड एएस 116–'पट्टा' को अंगीकार किया है तथा संशोधित पूर्वव्यापी ट्रांजिशन विधि का उपयोग से 1 अप्रैल, 2019 को विद्यमान प्रत्येक अनुबंधों पर लागू किया है। इसके परिणामस्वरूप पट्टा देयता का मापन प्रारंभिक उपयोग की तिथि को लागू वृद्धिशील ऋण दर पर छूट के पश्चात शेष पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य पर किया गया है और उपयोग अधिकार वाली परिसम्पति की लीज देयता के समान राशि पर की गई है। 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए तुलनाओं का समायोजन नहीं किया गया है और इसलिए इन्हें इंड एएस 17–'लीज' के अनुसार रिपोर्ट किया जाता रहेगा। इंड एएस मानक 17 के अनुसार लेखांकन नीतियों के विवरण का प्रकटन अलग से किया जाता है यदि वे इंड एएस 116 से भिन्न होते हैं।

कंपनी द्वारा इस आशय के आकलन किए जाते हैं कि क्या अनुबंध के प्रारंभ में अनुबंध में पट्टा शामिल है अथवा नहीं है। कोई अनुबंध पट्टा तब होता है, अथवा हमें पट्टा शामिल है, जब अनुबंध में प्रतिफल के विनिमय के प्रति किसी समयावधि के लिए किसी चिन्हित परिसम्पति के अधिकार प्राप्त होते हैं। यह आकलन करने के लिए कि क्या चिन्हित परिसम्पति में नियंत्रण के उपयोग के अधिकार हैं अथवा नहीं हैं, कंपनी ये आकलन करती है कि क्या (1) अनुबंध में किसी चिन्हित परिसंपत्ति का उपयोग शामिल है (2) कंपनी के पास पट्टे की अवधि में संपत्ति के उपयोग से होने वाले अधिकांश आर्थिक लाभ हैं और (3) कंपनी के पास संपत्ति के उपयोग को निर्देशित करने का अधिकार है।

कंपनी परिसम्पति के उपयोग अधिकार तथा सभी पट्टा व्यवस्थाओं, जिनमें यह पट्टाधारी है, के लिए अनुवर्ती पट्टा देयता की स्वीकृति करती है जो कि उन पट्टों के संबंध में नहीं की जाती है जिनकी अवधि बारह माह अथवा कम (अल्प अवधि के पट्टे) है तथा पट्टे कम मूल्य की अंतनिर्हित परिसम्पतियां हैं। ऐसे अल्प अवधि वाले एवं कम मूल्य की अंतनिर्हित परिसम्पतियों के पट्टों के लिए कंपनी पट्टा भुगतानों की स्वीकृति पट्टा काल की अवधि में सीधी रेखा आधार पर करती है।

पट्टे के कुछ अनुबंधों में पट्टे की अवधि समाप्त होने से पहले पट्टे का विस्तार या समाप्त करने के विकल्प शामिल हैं। उपयोग अधिकारी की परिसम्पतयिों तथा पट्टा देयताओं में ये विकल्प शामिल हैं जब यह उचित रूप से निश्चित है कि पट्टे को विस्तारित करने के विकल्प का उपयोग किया जाएगा/पट्टे को समाप्त करने के विकल्प का उपयोग नहीं किया जाएगा।

उपयोग अधिकार वाली परिसम्पतियों का प्रारंभिक लेखांकन ें लागत पर किया जाता है, जिसमें पट्टे के प्रारंभ होने की तिथि से पूर्व अथवा उस तिथि पर किए गए किसी पट्टा भुगतान के लिए समायोजित पट्टा देयता की प्रारंभिक राशि जमा कोई प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत घटा पट्टा प्रोत्साहन शामिल हैं। बाद में उनका मापन लागत घटा संचित मूल्यह्रास/परिशोधन और क्षमता क्षति पर किया जाता है।

उपयोग अधिकार वाली परिसम्पतियों को आरंभिक तिथि से अंतर्निहित संपत्ति के उपयोज्यता काल के अंत तक मूल्यह्रास/परिशोधित किया जाता है, यदि पट्टा, पट्टे की अवधि के अंत तक अंतर्निहित परिसंपत्ति के स्वामित्व को हस्तांतरित करता है या यदि संपत्ति उपयोग अधिकार की लागत दर्शाती है कि खरीद विकल्प का प्रयोग किया जाएगा। अन्यथा, संपत्ति उपयोग अधिकार को लीज अवधि और अंतर्निहित परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन की अपेक्षाकृत छोटी अवधि के लिए सीधी रेखा के आधार पर प्रारंभ तिथि से मूल्यह्रास/परिशोधित किया जाता है।

जब भी घटनाओं या परिस्थितियों में परिवर्तन से संकेत मिलता है कि उनकी वहन राशि वसूली योग्य नहीं हो सकती है, तो वसूली के लिए संपत्ति उपयोग अधिकार का मूल्यांकन किया जाता है। क्षति परीक्षण के उद्देश्य से, वसूली योग्य राशि (अर्थात उचित मूल्य घटा बेचने की लागत और वर्तमान मूल्य का उच्चतर) को व्यक्तिगत परिसंपत्ति के आधार पर निर्धारित किया जाता है जब तक कि संपत्ति नकदी प्रवाह उत्पन्न नहीं करती है जो उन अन्य संपत्ति से काफी हद तक स्वतंत्र हैं। ऐसे मामलों में, नकदी उत्पन्न करने वाली इकाई (सीजीयू) के लिए वसूली योग्य राशि निर्धारित की जाती है, जिससे संपत्ति संबंधित है।

पट्टे की देयता को शुरू में भविष्य के पट्टे के भुगतान के वर्तमान मूल्य पर परिशोधित लागत पर मापा जाता है। लीज भुगतान को लीज में निहित ब्याज दर का उपयोग करके छूट दी जाती है, या यदि वृद्धिशील उधार दर का उपयोग करके आसानी से निर्धारित नहीं किया जाता है। लीज की देयताओं को संबंधित संपत्ति उपयोग अधिकार के संगत समायोजन के साथ फिर से मापा जाता है, अगर कंपनी अपना यह आकलन बदलती है कि क्या वह विस्तार या समापन विकल्प का उपयोग करेगी।

तुलनात्मक अवधि में, पट्टेदार द्वारा पट्टों को भारतीय लेखांकन मानक 17 के अनुसार लेखाबद्ध किया गया है और वित्त पट्टे और परिचालन के रूप में वर्गीकृत किया गया था, और निम्नानुसार लेखाबद्ध किया गया है:

किसी व्यवस्था में पट्टा व्यवस्था होने अथवा न होने का निश्चय करना

किसी व्यवस्था को प्रारम्भ करते समय, उसमें पट्टे की व्यवस्था किए जाने अथवा न किए जाने का निश्चय किया जाता है। किसी पट्टायुक्त व्यवस्था को प्रारम्भ अथवा पुनर्मूल्यांकन किए जाने की प्रक्रिया उसकी व्यवस्था के लिए अपेक्षित भुगतान एवं अन्य प्रतिफल को उनके उचित मूल्य पर विभाजित किए जाने के आधार पर पट्टे तथा अन्य घटकों में विभाजित करके की जाती है। इसे वित्त पट्टा माने जाने की स्थिति में इसके भुगतान उचित रूप से विभाजित करने व्यवहार्य नहीं हो पाते हैं, अतः ऐसी स्थिति में परिसम्पति एवं किसी देयता की स्वीकार्यता उस दर पर की जाती है, जो मूलभूत परिसम्पति

के उचित मूल्य की राशि के समान हो। किए जाने वाले भुगतान से देयताएं न्यून हो जाती हैं तथा देयताओं के प्रति आरोपित वित्त लागत की स्वीकृति आवर्धित दरों पर की जाती है।

पट्टेदार के तौर पर प्रचालन पट्टे का लेखांकन

ऐसे पट्टों को, जिनका स्वामित्व एवं जोखिमों एवं प्रतिफलों से संबंधित महत्वपूर्ण भाग कंपनी को पट्टेदार के रूप में स्थानांतरित नहीं किया गया है, प्रचालनरत पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया गया है। प्रचालनरत पट्टे के अंतर्गत किए गए भुगतान, पट्टेदार द्वारा संभावित मुद्रास्फीति लागत वृद्धियों के अनुरूप न होने पर यदि उसकी प्रतिपूर्ति के लिए प्रत्याशित सामान्य मुद्रास्फीति के अनुसार भुगतान की संरचना नही की गई है, को पट्टे पर किए गए व्यय के रूप में स्वीकार्यता प्रदान की गई है। प्रचालनरत पट्टे के लिए व्यय की गई प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागतें आस्थगित की गई हैं तथा उन्हें पट्टा के लिए लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया गया है।

वित्त पट्टे का पट्टेदार के रूप में लेखांकन

यदि प्राप्यों की संरचना के अनुसार संभावित मुद्रास्फीति लागत की प्रतिपूर्ति के लिए संभावित सामान्य मुद्रास्फीति के साथ साथ बढ़ाए जाने की व्यवस्था नहीं की गई है तो प्रचालनात्मक पट्टों से प्राप्त होने वाली किराया आय की स्वीकृति पट्टे की अवधि के लिए सीधी रेखा आधार पर की जाती है।

14. कर्मचारी हितलाभ

14.1 अल्पकालिक कर्मचारी हितलाभ

सेवा के बारह माह के दौरान देय सभी कर्मचारी हितलाभों को अल्पकालिक कर्मचारी हितलाभ के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वेतन, मजदूरी, बोनस इत्यादि, जैसे लाभों का मापन गैर आय उत्पति के आधार पर किया गया है तथा कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की संबद्ध अवधि के लाभ एवं हानि विवरणों में इसे प्रभारित किया गया है। किसी देयता की स्वीकार्यता उस संभावित राशि के लिए की गई है, जो निष्पादन संबद्ध वेतन के लिए कंपनी के विद्यमान विधिक अथवा तर्कसाध्य दायित्व के अंतर्गत कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई पूर्व सेवाओं के परिणामस्वरूप देय राशि के लिए होती है तथा जिसके दायित्वों के अनुमान विश्वसनीयता के साथ लगाए जा सकते हैं।

14.2 परिभाषित अंशदायी योजना

परिभाषित अंशदायी योजना सेवानिवृत्ति उपरांत प्रदान किए जाने वाले लाभों की एक योजना है, जिसके अंतर्गत कंपनी द्वारा अलग इकाईयों में नियत अंशदान का भुगतान किया जाता है तथा आगे की राशियों के भुगतान के प्रति उसका विधिक अथवा तर्कसाध्य दायित्व नहीं होता है। परिभाषित अंशदायी योजनाओं में किए जाने वाले अंशदान के दायित्वों को लाभ एवं हानि विवरण में कर्मचारी हितलाभ व्ययों के रूप में उस अवधि के दौरान दर्शाया जाता है, जिस अवधि में कर्मचारियों द्वारा सेवाएं प्रदान की गई थी। पूर्वदत्त अंशदानों को उनके परिमाण के अनुसार नकद धनवापसी अथवा भावी भुगतानों में कमी उपलब्ध होने के विचार से परिसम्पति की संज्ञा प्रदान की गई है।

कंपनी में अनबंडलिंग के पश्चात नियुक्त किए कर्मचारियों के लिए परिभाषित अंशदायी भविष्य निधि योजना है, जिसका प्रशासन एवं प्रबंधन भारत सरकार द्वारा किया गया है। कर्मचारी तथा कंपनी द्वारा कर्मचारी के वेतन के एक निर्दिष्ट प्रतिशत के अनुसार मासिक अंशदान दिया जाता है। वर्ष के निधि में किए गए अंशदान को व्यय के रूप में दर्शाया गया है तथा इसे लाभ एवं हानि विवरण मे प्रभारित किया गया है।

कंपनी में अनबंडलिंग से पूर्व नियुक्त किए गए कर्मचारियों (दिल्ली विद्युत बोर्ड के कर्मचारी) को दिए जाने वाले रोजगार–उपरांत लाभों की व्यवस्था एक अलग ट्रस्ट; डीवीबी एम्पलाइज टर्मिनल बैनिफिट फंड (पेंशन ट्रस्ट) के माध्यम से की गई है जो एक मल्टी–नियोजक योजना है। छुट्टियों के नकदीकरण एवं पेंशन अंशदान के रूप में ट्रस्ट के प्रति कंपनी की देयताएं, केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित दरों पर, कर्मचारी के मूल वेतन के एक परिभाषित प्रतिशत के अंशदान तक सीमित हैं । वर्ष के दौरान ट्रस्ट को दिए गए इस अंशदान की स्वीकृति के रूप में की गई है तथा इसे लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया गया है।

14.3 परिभाषित हितलाभ योजना

परिभाषित लाभ योजना रोजगार के पश्चात प्रदान किए जाने वाले लाभों की एक योजना है, जो परिभाषित अंशदायी योजना से भिन्न है। अनबंडलिंग के पश्चात रोजगार में लिए गए कर्मचारियों के प्रति उपदान एवं सेवानिवृत्ति के उपरांत दिए जाने वाले चिकित्सा लाभों के प्रति कंपनी की देयताएं परिभाषित हितलाभ योजनाओं के अंतर्गत आती हैं। कंपनी द्वारा उपदान में निधियन किया जाता है तथा इसका प्रबंधन एक अलग ट्रस्ट द्वारा किया जाता है।

पूर्ववर्ती दिल्ली विद्युत बोर्ड की अनबंडलिंग के पश्चात रोजगार में लिया गया प्रत्येक कर्मचारी, जिसने पांच वर्ष अथवा अधिक समय तक सेवा प्रदान की है, 20 लाख रुपए की निर्धारित अधिकतम सीमा की शर्त के साथ सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 15 दिन के वेतन (मूल वेतन जमा मंहगाई भत्ते) के उपदान का पात्र है। उपदान के दायित्व सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, सेवाएं समाप्त करने, अशक्तता अथवा मृत्यु होने की स्थिति में उत्पन्न होते हैं। कंपनी में सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा सुविधा (पीआरएमएफ) कार्यशील है, जिसके अंतर्गत सेवानिवृत्त कर्मचारी तथा उसके जीवन साथी को निर्धारित सीमाओं की शर्त पर कंपनी के अस्पताल/पैनलबद्ध अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाती है।

परिभाषित हितलाभ योजनाओं के संबंध में कंपनी की निवल देयता की गणना भावी लाभों, जो कर्मचारियों ने चालू अथवा पूर्व अवधियों में अपनी सेवा के लिए प्रतिफल में अर्जित किए हैं, भावी लाभ की राशि का अनुमान लगाकर प्रत्येक योजना के लिए अलग की जाती है; उसके वर्तमान मूल्य का निर्धारण

करके, उस लाभ में छूट दी जाती है। लेखाबद्ध नहीं की गई किन्हीं योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य की कटौती की जाती है। छूट दर, रिपोर्टिंग तिथि को भारतीय सरकारी प्रतिभूतियों की प्रचलित बाजार मूल्यों, जिनकी कंपनी के दायित्वों के संदर्भ में परिपक्वता की तिथि सन्निकट है और जो उसी मुद्रा में अंकित की जाती हैं, जिनमें लाभों का भुगतान किया जाना अपेक्षित है, पर आधारित है।

आकलन का निष्पादन प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट विधि के उपयोग से प्रतिवर्ष किसी योग्य गणक द्वारा किया जाता है। आकलन के परिणाम कंपनी के हित में होने की स्थिति में स्वीकृत परिसम्पति किन्हीं योजनागत अथवा योजना में भावी अंशदान की कटौतियों की किसी भावी धनवापसी के रूप में +सी 177 में उपलब्ध आर्थिक लाभों के वर्तमान मूल्यों के योग तक परिसीमित होती है। कंपनी को आर्थिक लाभ या तो तब प्राप्त होता है जब यह योजना के काल के दौरान अथवा योजना देयताओं के निपटान होने पर प्राप्ति योग्य हो। किसी प्रकार के बीमांकिक लाभों अथवा हानियों की स्वीकार्यता ओसीआई में उनके उत्पन्न होने पर की जाती है।

पिछली सेवा लागतों को योजना संशोधन या कटौती की तिथि या या उस तिथि, जब कंपनी संबंधित पुनर्गठन लागतों को लेखाबद्ध करती है, से पहले की लाभ एवं हानि के विवरण में लेखाबद्ध किया जाता है। अगर योजना संशोधन, कटौती या सेटलमेंट होता है तो वर्तमान सेवा लागतों और पुनःमापन के पश्चात की अवधि के लिए निवल ब्याज का निर्धारण पुनःमापन में प्रयुक्त अनुमानों के आधार पर किया जाता है।

14.4 कर्मचारियों के लिए अन्य दीर्घकालिक लाभ

कंपनी द्वारा छुट्टी नकदीकरण एवं छुट्टी यात्रा रियायत के तौर पर दिए जाने वाले लाभ अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी हितलाभों के अंतर्गत आते हैं। भावी लाभों के प्रति कंपनी के सकल दायित्व की राशि कर्मचारी के उन भावी लाभों के लिए होती है जो कर्मचारियों ने अपनी चालू तथा पूर्व अवधि की सेवाओं के फलस्वरूप अर्जित की हैं, जिसके वर्तमान मूल्य के निर्धारण के लिए लाभ का प्रतिफल तथा उसका उचित मूल्य संबद्ध परिसम्पति में से घटाया जाता है। निर्धारित दर रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार भारत सरकार की प्रतिभूतियों, जो कंपनी के दायित्वों के संबंध में परिपक्वता तिथि से युक्त हैं, के प्रचलित बाजार प्रतिफल पर आधारित होती है तथा जिसके मूल्य का अंकन उसी मुद्रा के अनुसार किया जाता है, जिस मुद्रा में लाभ के भुगतान चुकता किए जाने अपेक्षित हैं। आकलन का निष्पादन प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट विधि के उपयोग से प्रतिवर्ष किसी योग्य गणक द्वारा किया जाता है। किसी प्रकार के बीमांकिक लाभों अथवा हानियों की स्वीकार्यता ओसीआई में उनके उत्पन्न होने पर की जाती है।

14.5 टर्मिनेशन लाभ

टर्मिनेशल लाभों का व्यय उस पूर्व स्थिति के लिए किया जाता है, जब कंपनी ऐसे लाभों के प्रस्ताव को समाप्त करने की स्थिति में नहीं थी तथा जब कंपनी पुनर्संरचना की लागतों की स्वीकार्यता कर रही थी। लाभों का समाधान रिपोर्टिंग तिथि से 12 माह के दौरान किए जाने की संभावना न होने की स्थिति में उनका मापन बीमांकन मूल्यांकन जैसे अन्य दीर्घ–कालिक कर्मचारी हितलाभ के आधार पर किया जाता है।

प्रगति पावर कारपोरेशन लिमिटेड (पीपीसील) के साथ की गई व्यवस्था के उपबंधों के अनुसार कंपनी द्वारा कॉर्पोरेट कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों के कर्मचारी हितलाभ व्यय का सहभाजन संबंधित कम्पनियों के ऊर्जा संयंत्रों की संस्थापित क्षमता के अनुपात में किया जाता है। तदनुसार, इन कर्मचारी हितलाभों को अंशदायी योजनाओं में स्वीकृति दी गई है और इन्हें लाभ एवं हानि में प्रभारित किया जाता है।

15. लाभांश

कंपनी के शेयरधारकों को देय लाभांश एवं अंतरिम लाभांश की इक्विटी परिवर्तन के रूप में स्वीकृति उस अवधि में की जाती है जब क्रमशः शेयरधारकों एवं निदेशक मंडल द्वारा इसे अनुमोदित किया जाता है।

16. आयकर

आयकर व्यय चालू एवं आस्थगित कर से युक्त होते हैं। चालू कर व्यय को लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है जिसमें संबंधित मदों की स्वीकार्यता प्रत्यक्षतः क्रमशः अन्य व्यापक आय (ओसीआई) अथवा इक्विटी के अंतर्गत होने के अलावा स्थिति में दर्शाई जाती है तथा ऐसे मामले में इसकी स्वीकृति क्रमशः ओसीआई अथवा इक्विटी में की जाती है।

चालू कर, वर्ष के दौरान रिपोर्टिंग तिथि के लिए लागू दरों अथवा अधिनियमित दरों पर करयोग्य आय पर अनुमानित देय कर होता है तथा जिसमें पूर्व वर्षों के संबंध में देय किसी कर का समायोजन होता है।

आस्थगित कर की स्वीकृति तुलन पत्र विधि से वित्तीय रिपोर्टिंग उद्देश्यों के लिए परिसम्पतियों तथा देयताओं की वहन राशियों एवं कराधान उद्देश्य से प्रयोग में लाई गई राशियों में अस्थाई अंतर स्थापित करते हुए की जाती है। आस्थगित कर का मापन उन कर दरों पर किया जाता है जो व्युतक्रमण, अधिनियमित विधान के आधार पर अथवा मूलतः रिपोर्टिंग तिथि के लिए लागू, होने की स्थिति में अस्थाई अंतरों के लिए उपयोग में लाए जाने संभावित हैं। आस्थगित कर परिसम्पतियों एवं देयताओं को चालू कर देयताओं एवं परिसम्पतियों के साथ संतुलित करने का विधिक प्रवर्तनीय अधिकार होने, तथा आयकर के लिए उनकी सम्बद्धता समान कर प्राधिकरण में होने की स्थिति में संतुलित किया जाता है।

आस्थगित कर को लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है, जिसमें संबंधित मदों की स्वीकार्यता प्रत्यक्षतः अन्य व्यापक आय (ओसीआई) अथवा इक्विटी के अंतर्गत होने के अलावा स्थिति में दर्शाई जाती है तथा ऐसे मामले में इसकी स्वीकार्यता ओसीआई के तौर पर की जाती है।

आस्थगित कर परिसम्पति की स्वीकार्यता उस परिमाण के लिए की जाती है, जिसके संबंध में भावी कर लाभों की प्राप्ति की संभावना हो जिनसे अस्थाई अंतर के उपयोग किए जा सकें। आस्थगित कर परिसम्पतियों की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को की जाती है तथा सम्बद्ध कर लाभ प्राप्त होने की संभावना समाप्त होने के मामलों में इसमें कमी की जाती है।

आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अंतर्गत न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) को लाभ एवं हानि के विवरणों में चालू कर के रूप में दर्शाया गया है। चुकता किए गए न्यूनतम वैकल्पिक कर से संबंधित इस अधिनियम के अंतर्गत उपलब्ध क्रेडिट को परिसम्पति के रूप में उस सीमा तक स्वीकार्यता प्रदान की जाती है, जिस सीमा के प्रति कंपनी को अवधि के दौरान सामान्य आयकर का भुगतान किए जाने तथा उसके लिए चुकता न्यूनतम वैकल्पिक कर क्रेडिट को अग्रेषित करके उपयोग किए जाने की निश्चितता हो। परिसम्पति के रूप में स्वीकार किए गए न्यूनतम वैकल्पिक कर की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को की जाती है तथा इसमें उस सीमा तक कमी की जाती है, जिस सीमा तक सम्बद्ध कर लाभ प्राप्त होने की संभावना समाप्त होती है। इसके अलावा, न्यूनतम वैकल्पिक कर की क्रेडिट परिसम्पति का प्रकटन आस्थगित कर परिसम्पति के शेष के साथ किया जाता है।

जब आयकर उपचार के संबंध में कोई अनिश्चितता होती है तो कंपनी इसका आकलन करती है कि क्या कर प्राधिकारी द्वारा अनिश्चित कर उपचार को स्वीकार करने की संभावना है। यदि यह निष्कर्ष निकलता है कि कर प्रधिकारी द्वारा अनिश्चित कर उपचार को स्वीकार करने की संभावना नहीं है तो कर योग्य आय, कर आधारों और अप्रयुक्त कर हानियों और अप्रयुक्त कर जमाओं पर अनिश्चितता के प्रभाव को लेखाबद्ध किया जाता है। अनिश्चितता के प्रभाव को उस विधि से लेखाबद्ध किया जाता है, जो प्रत्येक मामले में संर्वाधिक संभावित अनिश्चितता या संभावित मूल्य पर अनिश्चितता के परिणाम को दर्शाता है। प्रत्येक मामले के लिए कंपनी आकलन करती है कि क्या प्रत्येक कर उपचार पर अलग से विचार किया या या इस दृष्टिकोण पर कुछ अन्य अनिश्चित कर उपचारों के साथ विचार किया जाए जो अनिश्चितता के संकल्प को सर्वश्रेष्ठ तरीके से दर्शाते हैं।

17. सामग्रीगत पूर्वावधि चूकें

पूर्वावधि से संबंधित चूकों को पूर्वप्रभावी तौर पर उन पूर्वावधियों की तुलनीय राशियों के रूप में उल्लेख करते हुए किया जाता है, जिस अवधि के दौरान ऐसी चूकें हुई थी। यदि चूकें प्रस्तुत पूर्वावधियों से पूर्व हुई हैं तो पूर्वावधि के प्रस्तुत परिसम्पति, दायित्व एवं इक्विटी अथशेषों का उल्लेख पुनः किया जाता हैं।

18. प्रति शेयर आय

प्रति इक्विटी शेयर मूल आय का आकलन कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों के शुद्ध लाभ अथवा हानि को वित्तीय वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके किया जाता है।

प्रति शेयर विरल की गई आय से उन आंकड़ों का समायोजन होता है जो ब्याज के कर उपरांत प्रभाव तथा विरल भावी इक्विटी शेयरों की अन्य सम्बद्ध वित्तीय लागतों, तथा परिवर्तन के विचार से बकाया रखे गए उन सभी विरल भावी इक्विटी शेयरों की भारित औसत अतिरिक्त इक्विटी शेयरों संख्या की प्रति शेयर आय के निर्धारण के लिए उपयोग में लाए गए हैं।

प्रति शेयर मूल तथा डायल्युटिड आय की गणना अर्जन राशियों का उपयोग करके भी की जाती है जिसमें विनियामक आस्थगन लेखा शेषों में हुई गतिविधि को शामिल नहीं किया जाता है।

19. रोकड़ प्रवाह विवरण

रोकड़ प्रवाह विवरण का निर्माण इंड एएस 7 ''रोकड़ प्रवाह विवरण'' के उल्लिखित विधि का अनुसरण करके किया गया है।

20. विनियामक आस्थगन लेखा शेष

कंपनी भारतीय लेखांकन मानक 114, विनियामक आस्थगन लेखा की उपयोज्यता की पात्र है। मानक में पात्र कंपनी को अपने विनियामक आस्थगन लेखा शेषों के लिए पूर्व जीएएपी (दर विनियामित गतिविधियों के लेखांकन से संबंधित मार्गदर्शी नोट) को जारी रखने की अनुमति देता है। अतः कंपनी ने ऐसे शेषों के लिए जीएएपी लेखांकन नीति को जारी रखने के विकल्प को चुना है।

डीईआरसी टैरिफ विनियमों के पश्चात की अवधियों में लाभार्थियों वसूलीय अथवा देय लाभ तथा हानि विवरण में स्वीकृत राशि के आस्थगित कर की स्वीकृति 'विनियामक आस्थगन लेखा शेषों' के रूप में लेखाबद्ध किया की गई है।

विनियामक आस्थगन लेखा शेषों को उस वर्ष से समायोजित किया जाता है जिनमें ये लाभार्थियों को देय या उनसे वसूली योग्य बन जाते हैं।

विनियामक आस्थगन लेखा शेषों का मूल्यांकन प्रत्येक तुलन पत्र तिथि पर किया जाता है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि अंतर्निहित गतिविधियां लेखाबद्ध मापदंड को पूरा करती हैं और यह संभावना है कि ऐसे शेषों से जुड़े भावी आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे। अगर इस मापदंड को पूरा नहीं किया जाता है तो विनियामक आस्थगन लेखा शेषों को अलेखाबद्ध किया जाता है।

21. प्रचालन खंड

इंड ए एस 108 के अनुसरण में विद्यमान खंड सूचना के लिए प्रयोग में लाए गए प्रचालन खंड का निर्धारण कंपनी के प्रबंधन द्वारा खंड के लिए निर्धारित संसाधनों के आबंटन तथा उनके निष्पादन के मूल्यांकन हेतु उपयोग में लाई गई आंतरिक रिपोर्टों के आधार पर किया गया है। इंड ए एस 108 के अर्थ के दायरे में निदेशक मंडल समूह कंपनी का 'मुख्य प्रचालन निर्णय निर्धारक' अथवा 'सीओडीएम' है। प्रबंधन के मतानुसार केवल एक सूचना योग्य खंड (''ऊर्जा उत्पति'') है।

22. **बिक्री के लिए धारित परिसम्पतियां**

गैर–चालू संपत्तियों का वर्गीकरण बिक्री के लिए धारित के रूप मे तब किया जाता है जब उनकी वहन राशि की वसूली उनके निरंतर उपयोग के माध्यम के स्थान पर किसी बिक्री संव्यवहार से होती है तथा बिक्री की संभावना को विश्वसनीय माना जाता है। उनका मापन उनकी वहन राशि के न्यूनतम पर तथा बिक्री की लागत घटा उचित मूल्य पर किया जाता है।

किसी परिसम्पति की प्रारंभिक अथवा अनुवर्ती हानि की स्वीकृति लागत घटा उचित मूल्य के लिए की जाती है। उचित मूल्य में किसी अनुवर्ती वृद्धि घटा किसी संपत्ति की बिक्री की लागत के लिए लाभ को लेखाबद्ध किया जाता परंतु पूर्व में लेखाबद्ध किसी संचयी क्षमता हानि में वृद्धि को नहीं। गैर–चालू संपत्ति की बिक्री की तिथि तक लेखाबद्ध नहीं किएं गए किसी लाभ या हानि को अमान्यता की तिथि पर अलेखाबद्ध किया जाता है। गैर–चालू संपत्तियां को बिक्री के लिए रखी के रूप में वर्गीकृत करने के दौरान मूल्यह्रासित या परिशोधित नहीं किया जाता है। बिक्री के लिए रखी संपत्ति के रूप में वर्गीकृत गैर–चालू संपत्ति को तुलन पत्र में अन्य संपत्तियो से अलग दर्शाया जाता है।

23. **वित्तीय लिखत**

वित्तीय लिखत एक अनुबंध है, जिससे किसी इकाई की वित्तीय परिसंपत्ति और दूसरी इकाई की वित्तीय देयता अथवा इक्विटी लिखत निर्मित होता है। कंपनी वित्तीय संपत्ति या वित्तीय देयता को केवल तभी लेखाबद्ध करती है जब यह लिखत के संविदागत प्रावधानों के लिए पक्षकार बन जाती है।

23.1 **वित्तीय परिसंपत्तियां**

प्रारंभिक स्वीकृति एवं मापन

प्रारंभ में सभी वित्तीय परिसंपत्तियों को उचित मूल्य से अधिक पर, यदि लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां दर्ज नहीं की गई हैं, लेन–देन लागतें, जो वित्तीय परिसंपत्तियों के अधिग्रहण अथवा जारी करने के कारण हैं, लेखाबद्ध की जाती है।

अनुवर्ती मापन

परिशोधन लागत पर ऋण लिखत

निम्नलिखित दोनों अपेक्षाएं पूरी होने की स्थिति में 'ऋण लिखत ' का मापन परिशोधन लागत पर किया जाता है:–

(क) परिसम्पति का धारण व्यवसाय मॉडल के रूप में किया जाता है, जिसका उद्देश्य परिसम्पतियां का धारण संविदागत रोकड़ प्रवाह का एकत्रण है।

(ख) जिस सम्पति की संविदारत शर्तों में किन्हीं विशिष्ट तिथियों को ऐसा रोकड़ प्रवाह उत्पन्न होता है, जो बकाया मूल राशियों की मूल राशि एवं ब्याज (एसपीपीआई) का भुगतान के लिए है।

प्रारम्भिक मापन के पश्चात, ऐसी वित्तीय परिसम्पतियों का प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) विधि के उपयोग से परिशोधन लागत पर अनुवर्ती मापन किया जाता है। परिशोधन लागत का आकलन ईआईआर की अंगभूत क्रिया के अनुसार किसी प्रकार की छूट अथवा अधिग्रहण तथा शुल्क अथवा लागतों पर प्रीमियम को विचार में लेते हुए किया जाता है। ईआईआर परिशोधन में लाभ अथवा हानि की वित्त आय शामिल होती है। परिशोधन से उत्पन्न हानियों को लाभ अथवा हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है। यह श्रेणी सामान्यतः व्यवसाय एवं अन्य प्राप्यों के संबंध में लागू होती है।

अन्य व्यापक आय के माध्यम से ऋण लिखत (एफवीटीओसीआई)

निम्नलिखित दोनों मापदडों को पूरा किए जाने की स्थिति में ऋण लिखतों का वर्गीकरण अन्य व्यापक आय से ऋण लिखत के रूप में किया जाता है : (क) संविदागत रोकड़ प्रवाह तथा वित्तीय परिसम्पति की बिक्री द्वारा व्यवसाय मॉडल के दोनों लक्ष्य प्राप्त किए जाने, तथा (ख) परिसम्पति के संविदागत रोकड़ प्रवाह से मूल राशि एवं ब्याज (एसपीपीआई) के भुगतान की प्रस्तुति होती हो।

अन्य व्यापक आय के माध्यम से ऋण लिखत के वर्ग में शामिल ऋण लिखत का मापन प्रारम्भ में तथा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को उचित मूल्य पर किया जाता है। उचित मूल्य संचलनों की स्वीकृति अन्य व्यापक आय के रूप में की जाती है। तथापि, कंपनी द्वारा ब्याज आय, परिशोधन हानियों एवं व्युतक्रमण तथा विदेशी मुद्रा के विनिमय से होने वाले लाभ अथवा हानि को लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है। परिसम्पतियों की स्वीकृति समाप्त होने पर अन्य व्यापक आय में पूर्व स्वीकृत संचित लाभ अथवा हानि का पुनःवर्गीकरण इक्विटी में से लाभ एवं हानि में किया जाता है। अन्य व्यापक आय से ऋण लिखतों का धारण करते हुए ऋण लिखत को ईआईआर विधि के उपयोग से ब्याज आय की स्वीकृति दी जाती है।

लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर ऋण लिखत (एफवीटीपीएल)

लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य के ऋण लिखत ,ऋण लिखतों के अवशिष्ट वर्ग में आते हैं। जब कोई ऋण लिखत परिशोधित लागत अथवा अन्य व्यापक आय से ऋण लिखत के वर्गीकरण के मापदंड के दायरे में नहीं आता है तो उसका वर्गीकरण लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर ऋण लिखत के वर्ग में किया जाता है।

इसके अलावा, कंपनी द्वारा किसी ऐसे ऋण लिखत , जो अन्य व्यापक आय से ऋण लिखत के वर्गीकरण के लिए अपेक्षित परिशोधित लागतों अथवा एफवीटीओसीआई के मापदंडों के अनुरूप है, का वर्गीकरण लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर ऋण लिखत के रूप में किया जा सकता है। तथापि, ऐसे चयन की अनुमति केवल किसी असंगति ("लेखांकन मिसमैच" के रूप में संदर्भित) को मापन के लिए न्यून करने अथवा समाप्त करने अथवा स्वीकृति दिए जाने की स्थिति में ही होती है। ऋण लिखत का वर्गीकरण लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर ऋण लिखत के वर्ग में किया जाता है।

इक्विटी निवेश

सम्बद्ध एवं संयुक्त उद्यम कम्पनियों के अलावा कम्पनियों में किए जाने वाले इक्विटी निवेश का मापन उचित मूल्य पर किया जाता है। कंपनी द्वारा इक्विटी निवेश का वर्गीकरण एफवीटीओसीआई अथवा एफवीटीपीएल के अंतर्गत किए जाने का निर्णय लिया जाता है। कंपनी द्वारा किसी लिखत के आधार पर ऐसे चयन किए जाते हैं। वर्गीकरण प्रारंभिक स्वीकृति पर किया जाता है तथा यह स्थिर होता है।

कंपनी द्वारा किसी इक्विटी लिखत का वर्गीकरण एफवीटीओसीआई के रूप में किए जाने की स्थिति में लिखत के उचित मूल्य में होने वाले परिवर्तन, लाभांश के अलावा, को अन्य व्यापक आय में स्वीकृति दी जाती है। लिखत की बिक्री किए जाने के पश्चात भी अन्य व्यापक आय से लाभ एवं हानि में राशियों का परावर्तन नहीं किया जाता है।

एफवीटीपीएल वर्ग में शामिल इक्विटी निवेश का मापन उनके उचित मूल्य पर उनके सभी परिवर्तनों के साथ लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित करके किया जाता है।

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर निवेशों के वहन मूल्य की समीक्षा करती है ताकि यह निर्धारण किया जा सकें कि क्षति का कोई संकेत तो नहीं है। अगर ऐसा कोई संकेत है तो निवेश के वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाया जाता है। अगर वसूली योग्य राशि वहन मूल्य से कम है तो क्षमता हानि को लाभ एवं हानि विवरण में लेखाबद्ध किया जाता है ।

स्वीकृति समाप्त करना

किसी वित्तीय परिसम्पति (अथवा, जहां लागू हो वित्तीय परिसम्पति का भाग अथवा कंपनी की समान वित्तीय परिसम्पतियों का भाग) की मूलतः स्वीकृति समाप्ति (अर्थात कंपनी के तुलन पत्र में से हटाया जाना) तब की जाती है, जब :

- परिसम्पति से प्राप्त होने वाले रोकड़ प्रवाह के अधिकार कालातीत हो गए हों, अथवा
- कंपनी द्वारा रोकड़ प्रवाह की प्राप्ति के लिए परिसम्पति का अंतरण कर दिया हो अथवा "आगे सौंपे जाने" की व्यवस्था के अंतर्गत प्राप्त होने वाले पूर्ण रोकड़ प्रवाह का भुगतान, बिना किसी वस्तुगत देरी क, किसी तृतीय पक्षकार को किसी दायित्व की पूर्ति के लिए स्वीकृत कर लिया गया हो; तथा कंपनी द्वारा या तो (क) कंपनी ने परिसम्पति से संबंद्ध सभी जोखिम एवं प्रतिफल मूलतः अंतरित कर दिए गए हों, अथवा (ख) कंपनी द्वारा परिसम्पति से संबंद्ध जोखिम एवं प्रतिफल का अंतरण करने अथवा उसका धारण करने के बजाय परिसम्पति का नियंणत्र अंतरित करके उसे दायित्व मान लिया गया हो।

वहन राशि तथा प्राप्त / प्राप्य प्रतिफल के मध्य अंतर की स्वीकृति लाभ एवं हानि विवरण में की जाती है।

वित्तीय परिसम्पतियों की क्षमता क्षति

इंड ए एस 109 के अनुसरण में कंपनी ने निम्नलिखित परिसम्पतियों एवं ऋण जोखिम निवेश की क्षमता क्षतियों के मापन एवं स्वीकार्यता के लिए संभावित ऋण हानि (ईसीएल) मॉडल प्रयोग किए हैं:

(क) ऐसी परिसम्पतियां, जो ऋण लिखत हैं तथा जिनका मापन परिशोधन लागत अर्थात ऋणों, ऋण प्रतिभूतियों, जमा, एवं बैंक जमा शेष से किया गया है।

(ख) इंड ए एस 18 के अंतर्गत व्यवसाय प्राप्य एवं अनुबंध परिसम्पतियां।

व्यापार प्राप्य और संविदा संपत्ति/अनबिल्ड राजस्व के लिए कंपनी भारतीय लेखांकन मानक 109 वित्तीय लिखत द्वारा अपेक्षित सरलीकृत दृष्टिकोण को लागू करती है जिसमें आजीवन प्रत्याशित हानियों को प्रारंभिक लेखाबद्ध करना अपेक्षित होता है।

अन्य वित्त परिसम्पतियों तथा जोखिम निवेश पर क्षमता क्षतियों की स्वीकार्यता के लिए कंपनी द्वारा प्रारंभिक स्वीकार्यता के पश्चात से इसके ऋण जोखिम में किसी प्रकार की महत्वपूर्ण वृद्धि होने की संभावना का निर्धारण किया जाता है। ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि न होने की स्थिति में क्षमता क्षति की व्यवस्था के लिए 12 माह–ईसीएल उपयोग में लाया जाता है। तथापि, ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि होने की स्थिति में ईसीएल का लाइफटाइम उपयोग किया जाता है। यदि किसी अनुवर्ती अवधि के दौरान उपकरण की ऋण गुणवत्ता में प्रारंभिक स्वीकार्यता के पश्चात से इसके ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि न होने जैसा सुधार आता है तो इकाई द्वारा उसे बदलकर 12–माह के ईसीएल पर आधारित परिशोधन हानि भत्ते की स्वीकार्यता दी जाती है।

23.2 वित्तीय देयताएं

प्रारम्भिक स्वीकार्यता तथा मापन

वित्तीय देयताओं का वर्गीकरण प्रारम्भिक स्वीकार्यता पर उनके लाभ अथवा हानि, ऋण, अथवा देयताओं के उचित मूल्य पर उचित रूप से वित्तीय देयताओं के तौर पर किया जाता है। सभी वित्तीय देयताओं की प्रारंभिक मान्यता उनके उचित मूल्य पर, तथा ऋण एवं देयताओं के मामले में उनकी निवल विशिष्ट लेन–देन लागतों पर की गई है। कंपनी की वित्तीय देयताओं में व्यवसाय एवं अन्य देयताएं, ऋण, धारण धनराशि, जमा इत्यादि शामिल हैं।

अनुवर्ती मापन

वित्तीय देयताओं का परिशोधन लागत पर

प्रारंभिक मापन किए जाने के पश्चात ऐसी वित्तीय परिसम्पतियों का अनुवर्ती मापन ईआईआर विधि के उपयोग से परिशोधन लागत पर किया जाता है। देयताओं के प्रति अस्वीकार्यता होने की स्थिति में लाभों एवं हानियों की लाभ एवं हानि लेखे में स्वीकार्यता ईआईआर परिशोधन प्रक्रिया से किसी छूट अथवा अधिग्रहण के प्रीमियम तथा अथवा लागतों, जो ईआईआर का अंगीभूत भाग हैं, को विचार में लेकर परिशोधन लागत का आकलन किया जाता है। ईआईआर परिशोधन को लाभ एवं हानि के अंतर्गत वित्तीय लागतों में शामिल किया जाता है। यह व्यवस्था सामान्यतः ऋणों, व्यवसाय देयताओं एवं अन्य संविदागत देयताओं के संबंध में लागू होती है।

लाभ एवं हानि विवरण के माध्यम से वित्तीय देयताओं का उचित मूल्य पर

लाभ एवं हानि विवरण के माध्यम से वित्तीय देयताओं के उचित मूल्यन में व्यवसाय एवं लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर प्रारंभिक स्वीकृति द्वारा निर्दिष्ट वित्तीय देयताएं शामिल की गई हैं। वित्तीय देयताओं का व्यय निकट भविष्य में उनके पुनः क्रय के उद्देश्य से किए जाने की स्थिति में उनका वर्गीकरण व्यवसाय के लिए धारित के तौर पर किया जाता है। ऐसे वर्गीकरण में कंपनी द्वारा किए गए डेरिवेटिव वित्तीय उपक्रम भी शामिल हैं जो इंड एएस 109 ' वित्तीय लिखत' की परिभाषा के अंतर्गत हैज सम्बद्धता के लिए हैज लिखत के रूप में निर्दिष्ट नहीं किए गए हैं। अलग से किए अंतर्निहित डेरिएटिव का वर्गीकरण भी, उनके प्रभावी हेजिंग लिखत के लिए निर्दिष्ट न होने की स्थिति में, व्यवसाय के लिए धारित के रूप में किया गया है। व्यवसाय के लिए धारित देयताओं पर लाभ एवं हानियों की स्वीकृति लाभ एवं हानि विवरण में की जाती है।

लाभ एवं हानि विवरण के माध्यम से उचित मूल्य पर प्रारंभिक स्वीकृति के लिए निर्दिष्ट की गई वित्तीय निर्दिष्टियों की निर्दिष्टि केवल इंड एएस 109 के मापदंडों को पूरा किए जाने की स्थिति में प्रारंभिक स्वीकृति की तिथि को की जाती है। एफवीटीपीएल के लिए निर्दिष्ट देयताओं के लिए अन्य व्यापक देयताओं में स्वयं के क्रेडिट जोखिम से सम्बद्ध परिवर्तनों के कारण होने वाले उचित मूल्य लाभ/हानियां प्रभारित की जाती है। ऐसे लाभ / हानियां बाद में लाभ एवं हानि विवरण में अंतरित नहीं की जाती हैं। तथापि, कंपनी द्वारा संचयी लाभ अथवा हानि को इक्विटी में अंतरित किया जा सकता है। ऐसी देयताओं के उचित मूल्य में होने वाले अन्य सभी परिवर्तन लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किए जाते हैं। कंपनी द्वारा लाभ एवं हानि विवरण के माध्यम से किसी भी वित्तीय देयता की उचित मूल्य पर निर्दिष्टि नहीं की गई है।

स्वीकृति समाप्ति

किसी वित्तीय देयता की अस्वीकार्यता तब होती है जब देयता के दायित्वों का निर्वाह होता है अथवा वे निरस्त अथवा कालातीत हो जाते हैं। जब कोई विद्यमान वित्तीय देयता के स्थान पर समान ऋणदाता की कोई देयता अत्यंत भिन्न शर्तों पर स्थान लेती है अथवा विद्यमान देयता की शर्तों में काफी बदलाव किए जाते हैं तो ऐसी बदली गई अथवा संशोधित की गई देयता को मूल देयता की अस्वीकार्यता तथा नई देयता की स्वीकार्यता के तौर पर लिया जाता है। इसमें संबंधित वहन राशियों को लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है।

23.3 वित्तीय लिखितों का समंजन

स्वीकृत राशियों के समंजन के लिए विधिक प्रवर्तनीय अधिकार उपलब्ध होने तथा नेट आधार पर अथवा परिसम्पति से चल निधि प्राप्ति करके साथ ही साथ देयता का निपटान करते हुए उनका समाधान करने की मंशा होने पर वित्तीय परिसम्पतियों एवं देयताओं का समंजन किया जाता है तथा उसकी शुद्ध राशियों को तुलन पत्र में दर्शाया जाता है। विधिक प्रवर्तनीय अधिकार भावी क्रियाओं के लिए आकस्मिक नहीं होना चाहिए तथा यह कंपनी अथवा काउंटर पार्टी के व्यवसाय एवं अकरण, ऋणशोधन क्षमता अथवा दिवालियापन की सामान्य प्रकार की क्रियाओं के लिए प्रवर्तनीय होना चाहिए।

घ. अनुमानों तथा प्रंबधन निर्णयों का उपयोग

वित्तीय विवरणों के निर्माण के लिए प्रबंधन से निर्णय लेने, अनुमान लगाने तथा पूर्वानुमान लगाए जाने की अपेक्षा की गई है, जिनसे तुलन पत्र तैयार किए जाने की तिथि को लेखांकन नीतियों तथा परिसम्पतियों, देयताओं, आय, व्यय एवं संबंधित मद के प्रकटन तथा आकस्मिक परिसम्पतियों एवं देयताओं की प्रयोज्यता प्रभावित हो सकती है। अनुमान तथा प्रबंधन के निर्णय पूर्वानुभवों एवं औचित्यपरक समझे गए अन्य कारको एवं स्थितियों की अनुरूपता पर आधारित होते हैं। वास्तविक परिणाम ऐसे अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं।

अनुमान और अंतर्निहित अनुमानों की सतत् आधार पर समीक्षा की जाती है। लेखांकन अनुमानों के लिए संशोधन उस अवधि में लेखाबद्ध किए जाते हैं, जिसमें अनुमानों में संशोधन किए गए हैं और किन्हीं भावी अवधियों में लागू किए गए हैं।

वित्तीय विवरणों की समझ में वृद्धि करने के उद्देश्य से, अनुमान, अनिश्चितता के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के बारे में सूचना और लेखांकन नीतियों को लागू करने में महत्वपूर्ण निर्णय, जिनका वित्तीय विवरणों में लेखाबद्ध की गई राशियों पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रभाव है, निम्न प्रकार हैं :–

1. लेखांकन नीति तैयार करना

लेखांकन नीतियों को इस तरीके से तैयार किया जाता है कि वित्तीय विवरणों में परिणामों में लेनदेनों, अन्य घटनाओं और लागू शर्तों के बारे में संगत एवं विश्वसनीय सूचना शामिल होती है। इन नीतियों को तब लागू करने की जरूरत नहीं होती है जब उनको लागू करने का प्रभाव मामूली हो।

2. **संपति, संयंत्र एवं उपकरण तथा अमूर्त परिसम्पतियों की उपयोज्यता अवधि**

विद्युत उत्पति के व्यवसाय की परिसम्पतियों की उपयोज्यता अवधि का निर्धारण दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–II के अनुसरण में मूल्य सूची विनियमन के अंतर्गत किया जाता है।

दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग द्वारा संचलित परिसम्पतियों की उपयोज्यता अवधि, विद्युत उत्पति के व्यवसाय से भिन्न अन्य परिसम्पतियों के अलावा, की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि के अंत में की जाती है तथा उचित पाए जाने की स्थिति में इनका समायोजन भावी प्रभाव से किया जाता है।

3. **संपत्ति, संयंत्र और उपकरण एवं अमूर्त संपत्तियों की वसूली योग्य राशि**

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण एवं अमूर्त संपत्तियों की वसूली योग्य राशि प्रत्याशित बाजार दृष्टिकोण और पावर संयंत्रों के संबंध में भावी रोकड़ प्रवाह के संबंध में अनुमानों एवं अवधारणों पर आधारित होती है। इन अवधारणाओं में किसी बदलाव का वसूली योग्य राशि के मापन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है और परिणामस्वरूप क्षति हो सकती है।

4. **रोजगार पश्चात हितलाभ योजना**

कर्मचारी हितलाभ दायित्वों का मापन वास्तविक पूर्वानुमानों के आधार पर किया जाता है, जिसमें मृत्यु एवं निकासी दरों तथा संबंधित विकासों के संबंध में रियायती दरों, मुद्रास्फीति की दर के साथ ही साथ वेतन की दर में वृद्धि, पर पूर्वानुमान लगाए जाते हैं। कंपनी के मतानुसार दायित्वों के मापन के लिए विचार में लिए गए पूर्वानुमान उचित हैं तथा इनका लेखा जोखा रखा गया है। तथापि, ऐसे पूर्वानुमानों में होने वाले किसी बदलाव का सामग्रीगत प्रभाव परिणामी आकलनों पर पड़ सकता है।

5. **राजस्व**

कंपनी द्वारा ऊर्जा की बिक्री से प्राप्त राजस्व का रिकार्ड दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग द्वारा अनुमोदित, विद्युत अपीलिय ट्रिब्यूनल तथा विनियामक अथवा सांविधिक प्राधिकरण के आदेशों पर यथा संशोधित, मूल्य सूची के अनुसार इंड एएस 18 के अंतर्गत स्थापित सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए किया जाता है। तथापि, मूल्य दर स्थापित न किए जाने के मामलों में दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग के मूल्य सूची विनियमों के अनुसार लागू अस्थाई दरें उपयोग में लाई जाती हैं।

6. **प्रावधान तथा आकस्मिकताएं**

प्रावधानों तथा आकस्मिकताओं की स्वीकार्यता के लिए गए निर्धारण इंड ए एस 37 'प्रावधान, आकस्मिक दायित्व एवं आकस्मिक परिसम्पतियां' के अनुसरण में किए गए हैं। आकस्मिक घटनाओं के घटित होने के मूल्यांकन के लिए ऋण जोखिम की संभावनाओं एवं संभावित हानियों के संबंध में प्रबंधन के उचित निर्णय की अपेक्षा होती है। स्थितियां बदल जाने की स्थिति में निम्नलिखित अप्रत्याशित विकास ऐसी स्थितियों में बदलाव ला सकते हैं।

7. **बिक्री के लिए धारित परिसम्पति**

गैर चालू परिसम्पतियों के लेखांकन की उपयोज्यता के लिए इंड ए एस 105 'बिक्री के लिए धारित गैर चालू परिसम्पतियां तथा बंद परिचालन' के अंतर्गत महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने की अपेक्षा होती है। उपयोज्यता के मूल्यांकन के लिए प्रबंधन द्वारा तुरंत बिक्री के लिए ऐसी उपलब्ध परिसम्पतियों के मूल्यांकन के निर्णय लिए गए हैं, जिसकी बिक्री के प्रति प्रबंधन की प्रतिबद्धता एवं बिक्री की संभावना एक वर्ष के भीतर इस निर्धारण के लिए पूरी होगी कि उसकी वहन राशि की वसूली मूल रूप से बिक्री लेन–देन के माध्यम से की जा सकती है न कि लगातार प्रयोग करने से।

8. **आय कर**

अनिश्चित कर स्थितियों के लिए चुकता/वसूल की जाने वाली राशियों सहित आय कर के प्रावधानों का निर्धारण करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण अनुमान लगाए जाते हैं।

9. **विनियामक आस्थगन लेखा शेष**

विनियामक आस्थगन लेखा शेषों के लेखांकन में महत्वपूर्ण निर्णय शामिल होते हैं, जिनमें भावी टैरिफ विनियमों के निर्णय शामिल होते हैं क्योंकि ये भविष्य में टैरिफ के माध्यम से वसूली योग्य/देय राशियों के अनुमानों पर आधारित होते हैं।

2. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई)

31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार

रुपए लाख में

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक
	01 अप्रैल, 2020 की स्थिति	परिवर्धन	घटाव/ समायोजन	31 मार्च, 2021 की स्थिति	01 अप्रैल, 2020 की स्थिति	वर्ष के दौरान	घटाव/ समायोजन	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2021 की स्थिति
भवन – पावर संयंत्र	14.88	-	-	**14.88**	6.44	1.15	-	**7.59**	**7.29**
अन्य भवन	245.08	-	-	**245.08**	32.28	4.45	-	**36.73**	**208.35**
संयंत्र एवं मशीनरी	16,505.76	268.19	13.83	**16,760.12**	9,663.55	2215.25	2.29	**11,876.51**	**4,883.61**
फर्नीचर एवं जुड़नार	122.86	-	-	**122.86**	71.29	7.45	-	**78.74**	**44.12**
वाहन (लोकोमोटिव सहित)	18.24	-	0.93	**17.31**	4.74	3.61	-	**8.35**	**8.96**
कार्यालय उपकरण	220.08	10.95	-	**231.03**	96.97	19.01	-	**115.98**	**115.05**
अस्पताल उपकरण	5.15	-	-	**5.15**	4.40	0.00	-	**4.40**	**0.75**
कंप्यूटर हार्डवेयर	118.72	-	-	**118.72**	71.67	7.36	-	**79.03**	**39.69**
संचार उपकरण	28.77	-	-	**28.77**	8.74	1.58	-	**10.32**	**18.45**
संरक्षा एवं सुरक्षा उपकरण	21.52	-	-	**21.52**	18.89	-	-	**18.89**	**2.63**
रेलवे साइडिंग	-	-	-	-	-	-	-	-	-
योग	**17,301.06**	**279.14**	**14.76**	**17,565.44**	**9,978.97**	**2,259.86**	**2.29**	**12,236.54**	**5,328.90**

31 मार्च, 2020 की स्थिति

रुपए लाख में

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक
	01 अप्रैल, 2019 की स्थिति	परिवर्धन	घटाव/ समायोजन	31 मार्च, 2020 की स्थिति	01 अप्रैल, 2019 की स्थिति	वर्ष के दौरान	घटाव/ समायोजन	31 मार्च, 2020 तक	31 मार्च, 2020 की स्थिति
भवन – पावर संयंत्र	232.88	-	218.00	**14.88**	176.35	1.15	171.06	**6.44**	**8.44**
अन्य भवन	245.08	-	-	**245.08**	27.83	4.45	-	**32.28**	**212.80**
संयंत्र एवं मशीनरी	21,189.20	1,064.72	5,748.16	**16,505.76**	10,497.33	1,937.37	2,771.15	**9,663.55**	**6,842.21**
फर्नीचर एवं जुड़नार	123.30	1.58	2.02	**122.86**	64.26	8.91	1.88	**71.29**	**51.57**
वाहन (लोकोमोटिव सहित)	31.58	-	13.34	**18.24**	2.35	3.61	1.22	**4.74**	**13.50**
कार्यालय उपकरण	189.76	30.65	0.33	**220.08**	80.41	16.80	0.24	**96.97**	**123.11**
अस्पताल उपकरण	5.15	-	-	**5.15**	4.40	-	-	**4.40**	**0.75**
कंप्यूटर हार्डवेयर	98.29	20.43	-	**118.72**	65.55	6.12	-	**71.67**	**47.05**
संचार उपकरण	28.77	-	-	**28.77**	7.12	1.62	-	**8.74**	**20.03**
संरक्षा एवं सुरक्षा उपकरण	21.52	-	-	**21.52**	18.89	-	-	**18.89**	**2.63**
रेलवे साइडिंग	65.31	-	65.31	-	32.36	-	32.36	-	-
योग	**22,230.84**	**1,117.38**	**6,047.16**	**17,301.06**	**10,976.85**	**1,980.03**	**2,977.91**	**9,978.97**	**7,322.09**

2. **संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई)**

"बिक्री के लिए रखी गई गैर–चालू संपत्तियां" के रूप में वर्गीकृत होने के कारण वर्ष के लिए सकल ब्लॉक और मूल्यह्रास एवं परिशोधन से कटौतियां/समायोजन निम्नानुसार हैं:

विवरण	सकल खंड	मूल्यह्रास	डब्ल्यूडीवी
भवन – पावर संयंत्र	218.00	171.06	46.94
संयंत्र एवं मशीनरी	4,187.34	1,880.38	2,306.96
वाहन (लोकोमोटिव सहित)	12.05	-	12.05
रेलवे साइडिंग	65.31	32.36	32.95
योग	4,482.70	2,083.80	2,398.90

रा.रा.क्षे.दिल्ली सरकार द्वारा आरपीएच को बंद करने के लिए 22 फरवरी 2016 को एक समिति का गठन किया गया था, जिसने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। विद्युत विभाग, रा.रा.क्षे.दिल्ली सरकार ने दिनांक 25 जुलाई, 2019 के अपने आदेश द्वारा राजघाट पावर स्टेशन को बंद करने के संबंध में कैबिनेट की स्वीकृति संसूचित की है और आईपीजीसीएल को संयंत्र के निपटान के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए अधिकृत किया है। इसके अतिरिक्त, रा.रा.क्षे.दिल्ली सरकार के विद्युत विभाग को संदर्भित आदेश के तहत स्वच्छ पावर के उत्पादन के लिए साइट पर सोलर पार्क का बनाने की अनुमति दी गई है। निदेशक मंडल ने 21 अगस्त, 2019 की अपनी बैठक में राजघाट पावर हाउस को बंद करने और निपटान पर निर्णय लिया और इसे स्वीकृति प्रदान की है। बोर्ड ने समयबद्ध तरीके से निपटान के संबंध में सभी जरूरी कार्यवाही करने का निर्देश दिया है।

31 मार्च, 2020 को की गई सक्रिय चर्चा एवं संलिप्तता से ऐसा प्रतीत हुआ है है कि कंपनी का प्रबंधन पावर हाउस की संपत्ति और उपकरण को बेचने के लिए प्रतिबद्ध है तथा बिक्री के लिए एक सकिय कार्यक्रम भी है। कंपनी को आगामी 12 महीनों में नीलामी के माध्यम से संपत्तियों का निपटान होने की संभावना है। भारतीय लेखांकन मानक 105 "बिकी के लिए धारित गैर–चालू परिसम्पतियां तथा बंद परिचालन" के अनुसार, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, जो "बिक्री के लिए धारित गैर–चालू संपत्तियां" के भाग के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इन संपत्तियों का मूल्यांकन उनकी वहन राशि पर किया गया है और इसका वसूली योग्य मूल्य वहन राशि से अधिक रहने की संभावना है। इस तरह के वर्गीकरण के कारण लाभ एवं हानि विवरण में लेखाबद्ध अपसामान्य क्षति/लाभ शून्य है। विवरण के लिए नोट52 देखें।

क. कंपनी द्वारा प्रतिभूति के तौर पर रेहन की गई संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के लिए नोट संख्या 22 देखें।

ख. पूंजी खाते में निष्पादन के लिए शेष संविदाओं की अनुमानित राशि 16.10 लाख रुपए (31 मार्च, 2020 को 151.74 लाख रुपए) है जिसके लिए प्रावधान नहीं किए गए हैं।

ग. सकल ब्लॉक में 20.22 लाख रुपए (31 मार्च, 2020 को 20.22 लाख रुपए) के कंप्यूटर हार्डवेयर शामिल है, जिनका निवल ब्लॉक 5.06 लाख रुपए (31 मार्च, 2020 : 5.06 लाख रुपए) है तथा जिनका संयुक्त उपयोग, संयुक्त स्वामित्व के साथ, इंद्रप्रस्थ पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड एवं प्रगति पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है।

घ. दिल्ली विद्युत बोर्ड के परिसमापन के पश्चात कंपनी को उपयोग के आधार पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार से लाइसेंसी के रूप में प्राप्त भूमि (96.16 एकड़) के उपयोग का अधिकार प्राप्त है। व्यवसाय संयोजनों के संक्रातिक छूट के अनुसार, इस भूमि का मूल्य पिछले जीएएपी के तहत शून्य माना गया है।

ङ संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के संबंध में स्वीकृति मापदडों की अनुरूपता वाले 5.00 लाख रुपए तथा अधिक मूल्य के अतिरिक्त पूर्जों का पूंजीयन किया जाता है।

च. राजघाट पावर हाउस की परिसंपत्तियों के संबंध में नोट संख्या 52 देखें।

3. **अमूर्त संपत्तियां**

	राशि
क) सकल ब्लॉक	
31 मार्च, 2021 को	-
31 मार्च, 2020 को	-
	-
ख) संचयी परिशोधन एवं अपसामान्यता, यदि कोई हों	
31 मार्च, 2021 को	-
31 मार्च, 2020 को	-
	-
ग) निवल ब्लॉक	
31 मार्च, 2021 को	-
31 मार्च, 2020 को	-
	-

वर्ष के प्रारंभ में और पिछले वर्ष के लिए अमूर्त संपत्तियों की सकल वहन राशि और निवल वहन राशि शून्य है। 31 मार्च, 2015 को अमूर्ति संपत्तियों की निवल वहन राशि शून्य थी और भारतीय लेखांकन मानक को अपनाने के लिए मानी गई लागत छूट को लागू करके इसे 1 अप्रैल 2015 को सकल वहन राशि के रूप में माना गया था।

4. गैर–चालू वित्तीय संपत्तियां–संयुक्त उद्यम तथा संबंद्ध कंपनियों में निवेश रुपए लाख में

विवरण	31.03.2021 को स्थिति	31.03.2020 को स्थिति
इक्विटी लेखपत्र – लागत पर गैर–उद्धृत पूर्णतः चुकता		
संबद्ध कंपनी में निवेश		
अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	71,650.41	71,650.41
10 रुपए मूल्य प्रत्येक के 71,65,04,100 शेयर (31 मार्च, 2020 को 71,65,04,100)		
योग	**71,650.41**	**71,650.41**
गैर–उद्धृत निवेश की समग्र राशि	71,650.41	71,650.41
निवेश के मूल्य में क्षति की समग्र राशि	-	-

क) निवेश का मूल्यांकन लेखांकन नीति संख्या सी 6 (नोट संख्या 1) के अनुसार किया गया है।

ख) अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (एपीसीपीएल) शेयरों से लिमिटेड कंपनी है जिसका निगमन एवं स्थापना भारत में है एवं इसके व्यवसाय के प्रमुख स्थल भारत में स्थित हैं। अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड में कंपनी का स्वामित्व 25 प्रतिशत (31 मार्च, 20120 को 25 प्रतिशत) है। एमओयू के अनुसार कंपनी ने रिपोर्टिंग की तिथि तक अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड में 71,650.41 लाख रुपए (31 मार्च, 2020: 71650.41 लाख रुपए) का निवेश किया है।

5. गैर–चालू वित्तीय परिसंपत्तियां – अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां रुपए लाख में

विवरण	31.03.2021 को स्थिति	31.03.2020 को स्थिति
अप्रतिभूत, उचित समझे गए		
प्रतिभूति जमा	13.40	13.86
योग	**13.40**	**13.86**

6. अन्य गैर–चालू वित्तीय परिसंपत्तियां रुपए लाख में

विवरण	31.03.2021 को स्थिति	31.03.2020 को स्थिति
अप्रतिभूत, उचित समझे गए		
पूंजी अग्रिम	22.26	87.22
पूंजी अग्रिमों के अलावा अन्य अग्रिम		
पूर्वदत्त व्यय	20.07	32.57
अग्रिम कर एवं स्रोत पर कर कटौती	0.01	0.00
आस्थगित वेतनसूची व्यय (नीचे क देखें)	43.79	71.21
योग	**86.13**	**191.00**

क) आस्थगित वेतन सूची व्यय में कर्मचारियों के लिए खरीदे गए वाहन तथा लैपटॉप/प्रिंटरों और मोबाइल फोन पर किया गया व्यय शामिल है, जो परिभाषित अवधि पूरी होने के पश्चात कर्मचारियों को अंतरित किए जाएंगे तथा इस व्यय का आनुपातिक परिशोधन अवधि के दौरान किया जाएगा।

7. मालसूचियां

रुपए लाख में

विवरण	31.03.2021 को स्थिति	31.03.2020 को स्थिति
कोयला	430.49	397.74
तेल	117.96	121.26
लूज टूल्स	1.09	1.15
भंडार एवं अतिरिक्त पूर्जे	2,871.59	2,937.07
	3,421.13	**3,457.22**
घटाएंः न्यूनता के लिए प्रावधान	0.07	9.88
अप्रचलित/गैर–मरम्मत योग्य मालसूचियों के लिए प्रावधान	372.83	372.83
योग	**3,048.23**	**3,074.51**

क) मालसूची मदों का मूल्यांकन, लेखांकन नीति संख्या सी.7 (नोट संख्या 1) के अनुसार किया गया है।

ख) कंपनी द्वारा प्रतिभूति के तौर पर रेहन रखी गई मालसूचियों के लिए नोट 22 देखें।

ग) कंपनी के पास प्रचालनों के दौरान उत्पन्न अस्वीकृत कोयले की मालसूची है, जिसका रिकॉर्ड ऐसे कोयले का मूल्य महत्वपूर्ण न होने के कारण लेखा में नहीं लिया गया है। तथापि, पिछले अनेक वर्षों से इसका निपटान न हो पाने के कारण ऐसे कोयले की अत्याधिक मात्रा यार्ड में इक्ट्ठी हो गई है, जिसका अभी निर्धारण किया जाना है। इसके निपटान के लिए कारगर उपाय किए गए है, परन्तु अभी तक फलीभूत नहीं हो पाए हैं।

घ) वर्ष के दौरान कंपनी ने 0.07 लाख रुपए (31 मार्च, 2020ः 1.03 लाख रुपए) की मालसूचियों की न्यूनता के लिए तथा भंडार में अप्रचलित मालसूचियों के संबंध में शून्य लाख रुपए (31 मार्च, 2020ः शून्य लाख रुपए) के प्रावधान लेखाबद्ध किए गए हैं। इसके अलावा, जीसीवी को विचार में लेकर कोयले में 32.75 लाख रुपए (31 मार्च, 2020ः (–)18.00 लाख रुपए) की न्यूनता की गई है।

ङ) कंपनी द्वारा मालसूचियों की पहचान के लिए भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया के दौरान 9.88 लाख रुपए (31 मार्च, 2020ः 4.80 लाख रुपए) की मालसूचियों की न्यूनता के प्रावधानों को वापस लिया गया है।

च) मालसूची का भौतिक सत्यापन बाहरी एजेंसी द्वारा किया गया है और रिपोर्ट के अनुसार प्रावधान का प्रतिलेखन किया गया है। तथापि प्रबंधन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करके इन मालसूचियों को लेखा बहियों से हटा लिया जाएगा।

छ) वर्ष के दौरान व्यय के रूप में लेखाबद्ध मालसूचियों की राशि निम्नानुसार हैः

रुपए लाख में

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
ईंधन (नोट 29 देखें)	14,651.39	23,908.51
अन्य (नोट 32 – अन्य व्ययों में शामिल)	297.93	605.28
योग	**14,949.32**	**24,513.79**

ज) मालसूची में शामिल कोयला, राजघाट पावर हाउस से संबंधित है। ब्योरे के लिए नोट संख्या 52 देखें।

8. व्यापार प्राप्य

रुपए लाख में

विवरण	31 मार्च, 2021 को स्थिति	31 मार्च, 2020 को स्थिति
अच्छा समझा गया – अप्रतिभूत	147,925.46	166,725.34
योग	**147,925.46**	**166,725.34**

क) ऊर्जा क्रय करार के अनुसार डिस्कॉम द्वारा भुगतान सुरक्षा तंत्र के तौर पर कंपनी के पक्ष में एलसी राशि के समतुल्य रेहन एवं प्राप्यों हेतु करार करने के उद्देश्य से पिछले 12 महीनों के मासिक औसत बिल के 105 प्रतिशत के समतुल्य बिना शर्त परिक्रामी और अप्रतिसंहरणीय साख पत्र उपलब्ध कराए जाने हैं, जिससे समतुल्य रैंकिंग के प्राप्यों पर प्रथम फ्लोटिंग प्रभारों का सृजन होगा एवं चूक एस्क्रो खातों का निष्पादन भी होगा। तथापि, बीएसईएस यमुना प्राइवेट लिमिटेड, बीएसइएस राजधानी प्राइवेट लिमिटेड तथा टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड न तो क्रमशः 31 मार्च, 2011 तथा 31 मार्च, 2011 तथा 31 मार्च, 2021 के पश्चात साख पत्र का नवीकरण किया गया है और न ही इसके लिए अपेक्षित करार किया गया है।

ख) संबद्ध पार्टी प्रकटन के लिए नोट संख्या 46 देखें ।

ग) व्यापार प्राप्यों को चालू माना गया है क्योंकि ये प्रचालन चक्र के दौरान वसूली योग्य हैं और आशा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय किसी भी समय अपने सुरक्षित निर्णय की घोषणा करेगा और तत्पश्चात व्यापार प्राप्य भी परिसमाप्त हो जाएंगे।

घ) ऋण जोखिम के लिए नोट संख्या 34 (2) और (3) देखें।

9. रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य

रुपए लाख में

विवरण	31 मार्च, 2021 को स्थिति	31 मार्च, 2020 को स्थिति
बैंकों में शेष		
चालू खाते**	53.17	171.73
बैंकों में जमा	15,480.00	7,685.01
धारित चैक	-	-
धारित रोकड़*	-	-
धारित स्टैम्प्स	0.52	0.45
योग	**15,533.69**	**7,857.19**

* धारित रोकड़ 31 मार्च, 2021 को 498 रुपये है।

** संवितरण योग्य 60.09 लाख रुपये की सब्सिडी 31 मार्च, 2020 को एमएनआरई से प्राप्त की गई है और इसे सावधि जमाओ ंके रूप में अलग खाते में रखा गया है।

10. रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य के अलावा अन्य बैंक शेष

रुपए लाख में

विवरण	31 मार्च, 2021 को स्थिति	31 मार्च, 2020 को स्थिति
बैंकों में जमा राशि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) से प्राप्त राशि में से है, जिसे सौर संयंत्र विकासकों को सब्सिडी (उपार्जित ब्याज सहित) के रूप में वितरण के लिए रखा गया है ।	233.96	34.55
तीन माह परन्तु बारह माह तक की मूल परिपक्वता वाले बैंक (संदर्भ नीचे प्रस्तुत नोट (क))	3,200.00	-
योग	**3,433.96**	**34.55**

11. अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

रुपए लाख में

विवरण	31 मार्च, 2021 को स्थिति	31 मार्च, 2020 को स्थिति
उचित समझा गया–अप्रतिभूत		
प्राप्य निगमित शेयर (नीचे घ देखें)	828.75	653.38
बैंको में जमा से उपार्जित ब्याज (संदर्भ घ नीचे)	26.40	28.20
बिल न किया गया राजस्व (नीचे ख देखें)	1,893.08	47.54
संबंद्ध पक्षकारों से प्राप्य (नीचे घ देखें)	865.36	467.75
अन्य (नीचे ग देखें)	276.52	257.17
केडिट क्षमता हानि		
आईपी स्टेशन से प्राप्य (नोट 49 देखें)	917.32	917.32
घटाएंः प्राप्य ऋण क्षमता हानि के लिए हानि भत्ता	917.32	917.32
यमुना बैरेज से प्राप्य (नीचे क देखें)	175.83	175.83
घटाएंः प्राप्य ऋण क्षमता हानि के लिए हानि भत्ता	173.69	170.11
	2.14	**5.72**
योग	**3,892.25**	**1,459.76**

क) दिल्ली थर्मल पावर नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त आदेश के उपबंधों के अनुसार, कंपनी द्वारा हरियाणा सिंचाई विभाग द्वारा प्रबंधित यमुना बैरेज की मरम्मत एवं अनुरक्षण पर शून्य लाख रुपए (31 मार्च, 2020: 2.78 लाख रुपए) का व्यय किया गया है। इस व्यय का एक भाग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग तथा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से वसूला जाना है। संग्रहण के प्रति अनिश्चितता के कारण 3 वर्ष से पुराने दावों के लिए प्रावधान किए गए हैं। कंपनी के जिस आईपी स्टेशन से इस बैरेज के लिए पानी प्राप्त किया गया था, वह दिसंबर, 2009 से बन्द किया जा चुका है कंपनी ने जीएनसीटीडी को इस व्यवस्था को बंद करने का प्रस्ताव दिया है क्योंकि यह मामला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और हरियाणा के बीच का मामला है।

ख) नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा वित्त वर्ष 2014–15 में वर्ष 1999 से वर्ष 2012 के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य में कोयले के परिवहन के लिए पारगमन शुल्क के तौर पर 4091.64 लाख रुपए का दावा किया गया है, जिसके लिए कंपनी द्वारा वर्ष 2017–18 तक 2489.00 लाख रुपए चुकता किए गए हैं और वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान 1602.64 लाख रुपए की बकाया राशि जारी की है। उक्त राशि डिस्कामों तथा अन्य लाभग्राहियों से प्राप्त की जानी है परन्तु दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग के लंबित आदेश के कारण 31 मार्च, 2019 तक इसके लिए बिल जारी नहीं किए जा सके हैं और इसके लिए 4.11.2019 को वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान बिल जारी किए गए हैं।

ग) अन्यों में, मुक्ति क्रेडिट्स प्राइवेट लिमिटेड से आई. पी. स्टेशन की बिक्री के लिए विलम्बित भुगतान पर ब्याज के रूप में 225.66 लाख रुपए (31 मार्च, 2019: 225.66 लाख रुपए) की राशि वसूली जानी है। मध्यस्थक ने दिनांक 27 दिसंबर 2018 के आदेश द्वारा कंपनी के पक्ष में आंशिक भुगतान अवार्ड किया है। इस पंचाट के अनुसार, वसूली योग्य राशि 225.66 लाख रुपए से अधिक है, तथापि, कंपनी तथा मैसर्स मुक्ति क्रेडिट्स प्राइवेट लिमिटेड ने अपने–अपने मुद्दों के साथ माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में मामले दायर किए हैं।

घ) संबंधित पक्ष के विवरण संबंधित पक्ष प्रकटन के लिए नोट 46 में दिए गए हैं।

ङ) बैंक जमा पर उपार्जित ब्याज में 0.02 लाख रूपए की चिन्हित निधियां शामिल हैं।

12. अन्य चालू परिसंपत्तियां रुपए लाख में

विवरण	31 मार्च, 2021 को स्थिति	31 मार्च, 2020 को स्थिति
उचित समझा गया–अप्रतिभूत		
वार्षिक वेतन अथवा वेतन प्राप्य (नीचे क देखें)	-	6,069.02
कर्मचारियों को अग्रिम	-	0.20
ठेकेदारों एवं आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम	42.60	43.78
पूर्वदत्त व्यय	261.73	189.79
आस्थगित वेतनसूची व्यय (कृपया नोट 6 देखें)	32.89	33.66
योग	**337.22**	**6,336.45**

क) गेल इंडिया के साथ आरएनएलजी गैस आपूर्ति के दीर्घकालिक करार में न्यूनतम एलएनजी की वार्षिक खरीद के लिए गारंटी की व्यवस्था की गई है। इस करार के अंतर्गत, वित्त वर्ष 2014–15 में गेल के अनुसार देयताओं की राशि 43476.50 लाख रुपए थी परन्तु उन्होंने 9,103.55 लाख रुपए के भुगतान की मांग है तथा शेष के संबंध में अपने दावे का अधिकार उन्होंने बाद के लिए सुरक्षित कर लिया है। 9,103.55 लाख रुपए की राशि का समायोजन गैस आपूर्ति करार की मेकअप ब्लॉक में किए गए निर्धारण के अनुसार गैस आपूर्ति करार की अवधि के दौरान गैस के मेकअप मात्रा की कंपनी द्वारा खरीद की जाने वाली गैस में से किया जा सकेगा तथा 01 फरवरी 2018 और 28 जनवरी, 2020 को किए गए त्रिपक्षीय करार के अंतर्गत आरएनएलजी की दैनिक संविदागत मात्रा (डीसीक्यू) में से गैस का पथातंरण प्रगति पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में करने का प्रावधान करने की लोचकता दी गई है। 9,103.55 लाख रुपए की उक्त राशि प्राप्य दर्शाई गई है। तथापि, वर्ष के दौरान, कंपनी ने 6069.02 लाख रूपए (31 मार्च, 2020 3034.50 लाख रूपए) कैलेंडर वर्ष 2019 के लिए समायोजनों की मद में मेक–अप गैस के रूप में वसूल कर लिए हैं । 3034.50 लाख रूपए की राशि के बिल डिस्कॉम्स को मेकअप गैस के समायोजन के प्रति संबंधित वर्ष में जारी किए गए हैं। चूंकि 31.3.2020 की स्थिति के अनुसार 9,103.55 लाख रुपये में से 3,034.50 लाख रुपये का भुगतान गेल को किया जा चुका है, अतः शेष 6069.05 लाख रुपए की शेष देयताएं नोट संख्या 23 (व्यापार देय) में दर्शाई गई हैं।

13. चालू कर परिसंपत्तियां (निवल) रुपए लाख में

विवरण	31 मार्च, 2021 को स्थिति	31 मार्च, 2020 को स्थिति
स्रोत पर आस्थगित कर कटौती (टीडीएस)	3252.83	0
अग्रिम कर तथा स्रोत पर कर कटौती	4,081.68	16,167.23
घटाएं : कर के लिए प्रावधान	5,858.95	2,273.88
घटाएं : एफबीटी की संदेहास्पद वसूली के लिए प्रावधान	26.89	26.89
योग	**1,448.67**	**13,866.46**

कंपनी के निदेशक मंडल की दिनांक 21.12.2022 को आयोजित 110वीं बैठक में कंपनी ने वरिष्ठ कर परामर्शदाताओं तथा वरिष्ठ एडवोकेट से प्राप्त परामर्श प्राप्त के आधार पर एलपीएससी के रूप में स्वीकृत आय के प्रति 10 प्रतिशत की सीमा तक (अर्थात कंपनी द्वारा चालू वित्त वर्ष के दौरान स्वीकृत एलपीएससी आय का अनुपात) के लिए टीडीएस क्रेडिट प्राप्त करने का निर्णय लिया है । इस निर्णय के परिणामस्वरूप एलपीएससी के रूप में स्वीकृत आय के प्रति टीडीएस का 90 प्रतिशत क्रेडिट उस वित्तीय वर्ष की कर देयता का दावा करने के लिए आस्थगित किया जाएगा जिस वर्ष में उक्त आय कंपनी को डिस्कॉम्स से प्राप्त होगी। तदनुसार, 3,252.83 लाख रूपए की राशि उस टीडीएस के प्रति है जिसका दावा कंपनी एलपीएससी से प्राप्त आय के वित्तीय वर्ष में करेगी। एलपीएससी की आय के प्रति 321.42 लाख रूपए की राशि के 10 प्रतिशत के क्रेडिट को उपर्युक्त 4081.68 लाख रूपए की राशि में चालू वर्ष कर प्रावधानों के साथ समायोजित किया गया है।

14. विनियामक आस्थगन लेखा नामे शेष

रुपए लाख में

विवरण	31 मार्च, 2021 को स्थिति	31 मार्च, 2020 को स्थिति
आस्थगित कर दायित्व के लिए आस्थगित कर संपत्ति	-	-
योग	-	-

विनियामक आस्थगन लेखा शेषों का लेखांकन लेखांकन नीति सी20 नोट 1 के अनुसार किया गया है। विस्तृत विवरण के लिए नोट 53 देखें।

15. बिक्री के लिए धारित गैर–चालू परिसंपत्तियां

रुपए लाख में

विवरण	31 मार्च, 2021 को स्थिति	31 मार्च, 2020 को स्थिति
बिक्री के लिए धारित परिसंपत्तियां (नोट 2 और 52 देखें)	2412.65	2412.65
	2412.65	**2412.65**

16. इक्विटी शेयर पूंजी

रुपए लाख में

विवरण	31 मार्च, 2021 को स्थिति	31 मार्च, 2020 को स्थिति
इक्विटी शेयर पूंजी		
प्राधिकृत		
10 रुपए मूल्य प्रत्येक के 1,50,00,00,000 इक्विटी शेयर (31 मार्च, 2020: 1,50,00,00,000)	**150,000.00**	**150,000.00**
जारी, अभिदत्त तथा पूर्ण चुकता		
10 रुपए मूल्य प्रत्येक के 73,65,40,000 शेयर (31 मार्च, 2020: 73,65,40,000 शेयर इक्विटी)	**73,654.00**	**73,654.00**

क) **इक्विटी शेयर पूंजी में मूवमेंट :**

वर्ष के दौरान, कंपनी द्वारा न तो कोई शेयर जारी किया गया है तथा न ही वापस क्रय किया गया है।

ख) **इक्विटी शेयरों की शर्तें तथा संबंद्ध अधिकार :**

कंपनी के 10 रुपए अंकित मूल्य वाले एक मात्र श्रेणी के इक्विटी शेयर हैं। इक्विटी शेयर के धारक लाभांश प्राप्त करने के पात्र हैं तथा उन्हें शेयर धारकों की बैठक में अपनी शेयर धारिता के अनुपात में मतदान करने का अधिकार भी प्राप्त है।

कंपनी के परिसमापन की स्थिति में, इक्विटी शेयरों के धारक सभी अधिमान्य राशियों के वितरण के पश्चात कंपनी की शेष परिसंपत्तियों को प्राप्त करने के पात्र होंगे। ऐसा वितरण शेयरधारकों द्वारा धारण किए गए इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुसार आनुपातिक रूप में किया जाएगा।

ग) 31 मार्च, 2021 तथा 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार, कंपनी के 5 प्रतिशत से अधिक शेयरधारकों से संबंधित विवरण:

शेयरधारक का नाम	शेयरों की संख्या	शेयर धारिता का प्रतिशत
उप–राज्यपाल, दिल्ली	59,65,40,000	80.99%
दिल्ली पावर कंपनी लिमिटेड* (नीचे घ देखें)	14,00,00,000	19.01%

* इसमें उप–राज्यपाल, दिल्ली/डीपीसीएल की ओर से आठ नामितों के 8 इक्विटी शेयर शामिल हैं।

घ) दिल्ली विद्युत सुधार (अंतरण योजना) नियमावली, 2001 के अनुसरण में, योजना की शर्तों के अनुसार परिसंपत्तियों एवं देयताओं की वैस्टिंग के लिए नकद रूप में कोई भुगतान प्राप्त किए बिना दिल्ली पावर कंपनी लिमिटेड (डीपीसीएल) को 13,995.00 लाख रुपए के 13,99,50,000 शेयर दिनांक 01 जुलाई, 2002 को जारी किए गए।

17. अन्य इक्विटी

विवरण	31 मार्च, 2021 को स्थिति	31 मार्च, 2020 को स्थिति
सामान्य रिजर्व	5,000.00	5,000.00
धारित आय	67,438.48	54,916.08
योग	**72,438.48**	**59,916.08**

धारित आय में मूवमेंट

विवरण	31 मार्च, 2021 को स्थिति	31 मार्च, 2020 को स्थिति
वर्ष के प्रारम्भ में	54,916.08	35,845.54
वर्ष के दौरान लाभ/(हानि)	12,648.90	19,092.83
अन्य व्यापक आय/(व्यय)	(126.50)	(22.29)
वर्ष के अंत में	**67,438.48**	**54,916.08**

प्रकृति एवं अन्य रिजर्व का उद्देश्यः

(क) **धारित आय**

धारित आय कंपनी का अवितरित लाभ अभिप्रेत है।

(ख) **सामान्य रिजर्व**

सामान्य रिजर्व, सांविधिक रिजर्व हैं जो कॉर्पोरेट विधि के अनुरूप हैं जिसमें लाभ के एक हिस्से को सामान्य रिजर्व के रूप में अलग रखा जाता है। कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत, सामान्य रिजर्व में अंतरण की जाने वाली राशि, कंपनी के विवेकाधीन है।

18. ऋण

रुपए लाख में

विवरण	31 मार्च, 2021 को स्थिति		31 मार्च, 2020 को स्थिति	
	गैर–चालू	चालू परिपक्वता	गैर–चालू	चालू परिपक्वता
बैंक से प्रतिभूत सावधि ऋण				
इंडियन बैंक (पूर्व में इलाहाबाद बैंक) से वाहन ऋण	-	-	-	-
संबंद्ध पार्टियों से प्रतिभूत सावधि ऋण				
दिल्ली पावर कंपनी लिमिटेड (डीपीसीएल)	-	-	-	-
संबंद्ध पार्टियों से अप्रतिभूत सावधि ऋण				
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) – 5 वर्ष				
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) – 15 वर्ष	-	5,262.07	2,472.00	8,922.61
	-	25,718.85	-	25,166.38
	-	**30,980.92**	**2,472.00**	**34,088.99**
घटाएं : ब्याज उपचय परन्तु ऋण पर देय नहीं	-	-	-	8.29
घटाएं : ब्याज उपचय तथा ऋण पर देय	-	30,980.92	-	29,808.70
योग	**-**	**(0.00)**	**2,472.00**	**4,272.00**

क) <u>**इंडियन बैंक (पूर्व में इलाहाबाद बैंक) से प्रतिभूत वाहन ऋण**</u> कंपनी के कार्यकारी अधिकारियों को दिए गए विशिष्ट वाहनों को गिरवी रखकर 31 मार्च 2020: 9.60 प्रतिशत प्रति वर्ष (31 मार्च, 2019: 9.60 प्रतिशत प्रतिवर्ष) की आधार दर पर प्रतिभूत ऋण लिया गया है, जो 60 बराबर मासिक किस्तों में अदा किया जाना है। हालांकि, वित्त वर्ष 2019–20 में पूरे वाहन ऋण को चुका दिया गया है।

ख) <u>**दिल्ली पावर कंपनी लिमिटेड से प्रतिभूत सावधि ऋण**</u> पर 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज देय है, जो किसी प्रकार की देरियों के लिए 1.50 प्रतिशत प्रतिवर्ष के दंडस्वरूप ब्याज के साथ है तथा इसका अंतरण पूर्ववर्ती दिल्ली विद्युत बोर्ड के परिसमापन पर दिनांक 01.07.2002 को किया गया था। यह ऋण,

उत्पादन संयंत्र प्रणालियों एवं परिसंपत्तियां, वर्तमान एवं भावी चल एवं अचल दोनों के सामान्य बंधक द्वारा प्रथम प्रभार रैकिंग के समरूप द्वारा प्रतिभूत है, जो 1166.67 लाख रुपए प्रत्येक की 18 छमाही किस्तों में अदा किया जाना है। इसके मूलधन का पूर्ण भुगतान वित्त 2017–18 वर्ष के दौरान कर दिया गया है, वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान 3,023.32 लाख रुपये का ब्याज अदा किया गया और डीपीसीएल द्वारा 621.09 लाख रुपये का दंडस्वरूप ब्याज माफ किया गया है। ब्याज सहित ऋण को चुकाने और डीपीसीएल से एनओसी प्राप्त होने पर प्रभार विधिवत रूप से पूरे किए गए हैं।

ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) से प्राप्त अप्रतिभूत ऋण (5 वर्ष) पर ब्याज की दर 9.50 प्रतिशत एवं 9.00 प्रतिशत की दर पर तथा किसी भी देरी के लिए 2.75 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से दंडस्वरूप ब्याज देय है तथा इस ऋण की अदायगी 5 वर्षों में वार्षिक किस्तों में की जानी है।

घ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) से प्राप्त अप्रतिभूत ऋण (15 वर्ष) पर 11.50 प्रतिशत एवं 13 प्रतिशत प्रति वर्ष का ब्याज है, जिस पर किसी भी देरी के लिए 2.75 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से दंडस्वरूप ब्याज देय है तथा इस ऋण की अदायगी 15 वर्षों में वार्षिक किस्तों में की जानी थी और इसे वर्ष 2019–20 में चुका दिया गया है।

ङ) मूलधन ऋण के लिए देय किस्त की पुनर्अदाएगी में कोई चूक नही हुई है। दंडस्वरूप ब्याज सहित ब्याज के पुनर्भुगतान के प्रति चूक जारी है।

विवरण	ब्याज दर	कब से चूक	मूलधन	ब्याज	योग
रा.राज.क्षे.दिल्ली सरकार–ओ/एच–जीटी	13.00%	2005-06	-	1,360.98	1,360.98
रा.राज.क्षे.दिल्ली सरकार–ओ/एच–जीटी	13.00%	2005-06	-	1,589.72	1,589.72
रा.राज.क्षे.दिल्ली सरकार–डब्ल्यूएचआरयू–1 एवं 2–नवीकृत	13.00%	2005-06	-	329.26	329.26
रा.राज.क्षे.दिल्ली सरकार–आरएंडएम आईपी	13.00%	2005-06	-	344.17	344.17
रा.राज.क्षे.दिल्ली सरकार–आरएंडएम–आरपीएच	13.00%	2005-06	-	860.44	860.44
रा.राज.क्षे.दिल्ली सरकार–ओ/एच–जीटी	11.50%	2005-06	-	770.12	770.12
रा.राज.क्षे.दिल्ली सरकार–डब्ल्यूएचआरयू–1 एवं 2–नवीकृत	11.50%	2005-06	-	308.15	308.15
रा.राज.क्षे.दिल्ली सरकार–आईपी–ईएसपी	11.50%	2005-06	-	924.46	924.46
रा.राज.क्षे.दिल्ली सरकार–आरएंडएम–आरपीएच	11.50%	2005-06	-	893.64	893.64
रा.राज.क्षे.दिल्ली सरकार–परामर्शी	11.50%	2005-06	-	30.67	30.67
रा.राज.क्षे.दिल्लीसरकार–आईपी.–ईएसपी	11.50%	2005-06	-	898.24	898.24
रा.राज.क्षे.दिल्ली सरकार–आईपी–ईएसपी	11.50%	2005-06	-	2,058.30	2,058.30
रा.राज.क्षे.दिल्ली सरकार–जीटी–जीएसी	11.50%	2005-06	-	1,787.32	1,787.32
रा.राज.क्षे.दिल्ली सरकार–आरएंडएम–आरपीएच	11.50%	2006-07	-	999.20	999.20
रा.राज.क्षे.दिल्ली सरकार–जीटी–ओवरहॉलिंग	11.50%	2006-07	-	592.64	592.64
रा.राज.क्षे.दिल्ली सरकार–डब्ल्यूएचआरयू–1 एवं 2– नवीकृत	11.50%	2006-07	-	1,581.60	1,581.60
रा.राज.क्षे.दिल्ली सरकार–आरएंडएम आईपी स्टेशन	11.50%	2006-07	-	844.57	844.57
रा.राज.क्षे.दिल्ली सरकार– आरएंडएम–आरपीएच	11.50%	2006-07	-	953.43	953.43
रा.राज.क्षे.दिल्ली सरका –जीटी–ओवरहॉलिंग	11.50%	2007-08	-	997.03	997.03
रा.राज.क्षे.दिल्ली सरकार –जीटी–ओवरहॉलिंग	11.50%	2007-08	-	971.04	971.04
रा.राज.क्षे.दिल्ली सरकार–डब्ल्यूएचआरयू–1 एवं 2–नवीकृत	11.50%	2007-08	-	213.77	213.77
रा.राज.क्षे.दिल्ली सरकार–आरएंडएम–आईपी स्टेशन	11.50%	2007-08	-	791.81	791.81
रा.राज.क्षे.दिल्ली सरकार–आरएंडएम–आरपीएच	11.50%	2007-08	-	1,042.56	1,042.56
रा.राज.क्षे.दिल्ली सरकार–सीसीजीटी(जीटीपी)	11.50%	2008-09	-	1,340.00	1,340.00
रा.राज.क्षे.दिल्ली सरकार –सीसीजीटी(जीटीपी)	11.50%	2008-09	-	3,235.73	3,235.73
रा.राज.क्षे.दिल्ली सरकार : 5 वर्ष	9.50%	2012-13	-	3,352.19	3,352.19
रा.राज.क्षे.दिल्ली सरकार : 5 वर्ष	9.50%	2016-17	-	871.96	871.96
रा.राज.क्षे.दिल्ली सरकार : 5 वर्ष	9.00%	2018-19	-	1,037.92	1,037.92
योग			-	**30,980.92**	**30,980.92**

19. प्रावधान

रुपए लाख में

विवरण	31 मार्च, 2021 को स्थिति	31 मार्च, 2020 को स्थिति
गैर चालू प्रावधान		
कर्मचारी हितलाभ के लिए प्रावधान		
उपदान	157.76	234.15
छुट्टी नकदीकरण	2,573.13	2,321.66
सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा सुविधा	1,734.55	1,185.43
छुट्टी यात्रा रियायत	100.11	107.47
सेवांत लाभ	123.05	122.45
योग	**4,688.60**	**3,971.16**
चालू प्रावधान		
कर्मचारी हितलाभ के लिए प्रावधान		
उपदान	78.78	48.57
छुट्टी नकदीकरण	146.17	96.03
सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा सुविधा	7.46	3.37
छुट्टी यात्रा रियायत	12.31	12.99
सेवांत लाभ	18.97	16.75
अवशिष्ट परिसंपत्तियों के लंबित अनुमोदन के लिए प्रावधान	15.68	17.51
वेतन संशोधन के लिए प्रावधान	-	1,411.39
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण में कमी के लिए प्रावधान	43.53	33.01
योग	**322.90**	**1,639.62**
योग प्रावधान	**5,011.50**	**5,610.78**

क) भारतीय लेखांकन मानक 19 'कर्मचारी हितलाभ' के अंतर्गत अपेक्षित प्रकटन नोट 37 में दिया गया है।

ख) भारतीय लेखांकन मानक 37 'प्रावधान, आकस्मिक देयताओं एवं आकस्मिक परिसंपत्तियां' से संबंधित प्रकटीकरण के लिए कृपया नोट संख्या 48 देखें।

ग) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का भौतिक सत्यापन बाहरी एजेंसी द्वारा किया गया है और रिपोर्ट के अनुसार प्रावधान का प्रतिलेखन किया गया है। हालांकि प्रबंधन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करके इन संपत्तियों को लेखा बहियों से हटा लिया जाएगा।

20. आस्थगित कर देयताएं (निवल)

रुपए लाख में

विवरण	31 मार्च, 2020 को स्थिति	31 मार्च, 2020 को स्थिति
आस्थगित कर देयता		
पीपीई के बही आधार और कर आधार में अंतर	1,102.54	2,538.49
घटाएं : आस्थगित कर परिसंपत्तियां		
व्यापार हानियां	-	-
कर्मचारी सेवानिवृत्ति उपरांत हितलाभ के लिए प्रावधान	571.49	1,636.46
अन्य प्रावधान	152.47	210.83
सौर परामर्श सेवा पर आस्थगित आय	13.87	**18.40**
योग	**364.71**	**672.80**

क) भारतीय लेखांकन मानक 12 'आयकर' के अनुसार प्रकटीकरण के लिए नोट 36 देखें।

ख) दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग उत्पादन टैरिफ विनियम, 2011 के अनुसार, 31 मार्च, 2012 तक आस्थगित कर देयता की वसूली इनके कार्यान्वयन होने के समय डिस्कॉम से की जानी है। तथापि, दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग विनियम, 2011 के अनुसरण में, आयकर को स्थिर लागत का भाग माना गया है और दिनांक 01 अप्रैल 2012 से इसकी वसूली अलग से नहीं की जानी है। तद्नुसार इसे लाभ व हानि विवरण में प्रभारित किया गया है।

21. अन्य गैर–चालू देयताएं

रुपए लाख में

विवरण	31 मार्च, 2021 को स्थिति	31 मार्च, 2020 को स्थिति
सौर परामर्श सेवाओं से प्राप्त आस्थगित आय (संदर्भ नोट (क) नीचे)	35.51	34.90
योग	**35.51**	**34.90**

(क) आईपीजीसीएल को उन विक्रेताओं से 5 प्रतिशत सेवा प्रभार प्राप्त हो रहा है जो दिल्ली में सौर पीवी परियोजनाओं की स्थापना के लिए पैनलबद्ध किए गए हैं। इसके लिए आईपीजीसीएल को पांच वर्ष की अवधि तक इन सौर पीवी परियोजनाओं की मॉनीटरिंग करनी होती है। तदनुसार, सौर परियोजनाओं से प्राप्त आय की स्वीकृति पहले वर्ष प्राप्त राशि के 92 प्रतिशत के अनुपात में की गई है तथा शेष 8 प्रतिशत को आस्थगित राजस्व के रूप में रखा गया है जिसमें से 2 प्रतिशत राशि का लेखांकन अगले चार वर्षों की आय के रूप में किया गया है।

22. ऋण

रुपए लाख में

विवरण	31 मार्च, 2021 को स्थिति	31 मार्च, 2020 को स्थिति
बैंकों से प्रतिभूत ऋण		
मांग पर पुनर्भुगतान योग्य ऋण	2.59	276.48
संबद्ध पार्टियों से अप्रतिभूत ऋण		
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी)	54,821.82	77,621.00
दिल्ली पावर कंपनी लिमिटेड (डीपीसीएल)	-	-
घटाएं : ब्याज उपचय तथा ऋण पर देय	54,821.82	51,621.00
योग	**2.59**	**26,276.48**

क) कंपनी को इंडियन बैंक (पहले इलाहाबाद बैंक) से 9,000.00 लाख रुपए (31 मार्च, 2020: 9,000.00 लाख रुपए) की नकद ऋण सुविधा सभी वर्तमान एवं भावी परिसपंत्तियों के समरूप आधार पर प्रथम प्रभार द्वारा और कंपनी की स्थायी परिसंपत्तियों पर समरूप आधार पर द्वितीय प्रभार से प्रतिभूत रोकड़ क्रेडिट सीमा है। इस पर 9.65 प्रतिशत (31 मार्च, 2020: 9.65 प्रतिशत) की दर से ब्याज देय है। दिल्ली पावर कंपनी लिमिटेड (डीपीसीएल) ने 4 सितंबर, 2020 को पीपीई पर प्रथम प्रभार को पूरा कर लिया है।

ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) से 20,000 लाख रुपए, 20,000 लाख रुपए और 10,000 लाख रुपए के अप्रतिभूत ऋण क्रमशः 31 दिसंबर, 2012, 31 मार्च, 2013, और 06 मार्च, 2014 को देय थे। 20000 लाख रुपये के ऋण, जिसे 31 दिसंबर 2012 को या इससे पहले चुकाना था, पूरा अदा कर दिया गया है (वित्त वर्ष 2018–19 में 2,500 लाख रुपये, वित्त वर्ष 2019–20 में 17,500 लाख रुपये)। इसके अलावा 20,0000 लाख रुपये के ऋण, जिसे 31 मार्च, 2013 को या इससे पहले चुकाना था, का पूर्ण भुगतान वित्तीय वर्ष 2020–21 में कर दिया गया है। इन सभी ऋणों पर 10 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर पर ब्याज और किसी विलंब पर 2.75 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर दंडस्वरूप ब्याज देय है। तथापि, दंडस्वरूप ब्याज सहित मूलधन, ब्याज के पुनर्भुगतान के प्रति चूक की अवधि एवं इसकी निरंतरता निम्नानुसार हैः–

रुपए लाख में

ऋण का विवरण	ब्याज की दर	कब से चूक	मूलधन	ब्याज सहित जुर्माना ब्याज
जीएनसीटीडी.–200 करोड़ रुपए	10%	2011-12	-	22,252.80
जीएनसीटीडी.–200 करोड़ रुपए	10%	2012-13	-	21,982.94
जीएनसीटीडी –100 करोड़ रुपए	10%	2013-14	-	10,586.08
योग			-	**54,821.82**

23. व्यापार देय

रुपए लाख में

विवरण	31 मार्च, 2021 को स्थिति	31 मार्च, 2020 को स्थिति
–सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम के कुल बकाया देय	164.00	144.14
–सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों के कुल देय	12,727.05	19,016.58
योग	**12,891.05**	**19,160.72**

क) दिल्ली विद्युत सुधार (अंतरण योजना) नियमावली, 2001 के अंतर्गत दिनांक 1 जुलाई, 2002 को दिल्ली विद्युत बोर्ड का उत्पादन व्यवसाय कंपनी को स्थानांतरित किए जाने के परिणामस्वरूप, व्यवसाय का भार लिए जाने के समय से समर्थित दस्तावेज उपलब्ध न होने के कारण 1291.96 लाख रुपए (31 मार्च, 2020: 1291.96 लाख रुपए) की निवल देयताओं का समाधान/अभिज्ञान किया जाना शेष है। किसी दावेदार द्वारा दावे प्रस्तुत किए जाने और उसकी जांच करने के पश्चात कंपनी द्वारा दावों का निपटान किया जाता है। वर्ष के दौरान, कंपनी ने शून्य लाख रुपए (31 मार्च, 2020: 113.80 लाख रुपए) के दावों का निपटान किया है।

ख) संबंद्ध पार्टी प्रकटीकरण के लिए कृपया नोट संख्या 46 देखें।

ग) गेल के प्रति देयताओं के लिए कृपया नोट संख्या 12(क) देखें।

घ) सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों के संबंध में अपेक्षित सूचनाः

रुपए लाख में

विवरण	31 मार्च, 2021 को स्थिति	31 मार्च, 2020 को स्थिति
क. किसी आपूर्तिकर्ता को चुकता न की गई शेष राशि :		
मूल राशि	162.31	143.59
उस पर देय ब्याज	1.69	0.55
ख. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम की धारा 16 के अंतर्गत चुकता ब्याज की राशि सहित आपूर्तिकर्ता को नियत दिन से बाद के लिए दी गई राशि।	0.55	2.76
ग. भुगतान में देरी की अवधि के लिए देय तथा भुगतान योग्य ब्याज (जिसका भुगतान वर्ष के दौरान नियुक्त तिथि के पश्चात किया गया है) जो सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम में निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना चुकता किया गया है।	-	-
घ. उपचय तथा चुकता न किए गए ब्याज की राशि	1.69	0.55
ङ सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत कटौती योग्य व्यय के रूप में अमान्य व्यवकलनीय व्यय के उद्देश्य से, जिस तिथि तक उपर्युक्त ब्याज की देयताओं का वास्तव में अथवा उद्यमियों को भुगतान किया गया है, के बाद अनुवर्ती वर्षों के दौरान भी बकाया व देय अतिरिक्त ब्याज की राशि।	1.69	0.55

24. अन्य वित्तीय देयताएं

रुपए लाख में

विवरण	31 मार्च, 2021 को स्थिति	31 मार्च, 2020 को स्थिति
गैर–चालू उधारियों की वर्तमान परिपक्वता (नोट18 देखें)	-	4,272.00
जमा/धारित धन	119.49	132.06
ब्याज उपचय, पर ऋण पर देय नहीं	-	8.29
ब्याज उपचय तथा उधारियों पर देय	85,802.73	81,429.70
जीएनसीटीडी को देय (नीचे क देखें)	3,676.24	3,676.24
घटाएं : पेंशन ट्रस्ट से प्राप्य	27.78	27.93
	3,648.46	**3,648.31**
अन्य देय		
कर्मचारियों को देय	272.99	269.28
पेंशन ट्रस्ट को देय	67.82	22.44
वितरण के लिए नवीन एवं नवीकरणीय मंत्रालय से प्राप्त अनुदान (नीचे ख देखें)	250.51	119.84
अन्य (नीचे ग देखें)	2.27	12.71
योग	**90,164.27**	**89,914.63**

क) कंपनी द्वारा पूर्वकाल में विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना लागू की गई थी, जिसमें पेंशन, अनुग्रह राशि, छुट्टी नकदीकरण, उपदान, एलटीसी तथा कम्यूटेशन के व्ययों का अनुदान द्वारा निधियन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार द्वारा किया गया था। विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत छुट्टी नकदीकरण, उपदान तथा कम्यूटेशन की राशि का पुनर्भुगतान चूंकि पेंशन ट्रस्ट द्वारा विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजनाओं का प्रयोग करने वाले

कर्मचारी की अधिवर्षिता की आयु पूरी होने पर किया जाता है, अतः इस राशि की धनवापसी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार को उक्त कारणों से की जानी है। पेंशन ट्रस्ट ने 31 मार्च, 2020 तक सेवानिवृति की आयु पूरी कर चुके कर्मचारियों के संबंध में 31 मार्च, 2021 तक के लिए 3525.22 लाख रुपए (31 मार्च, 2020: 3525.22 लाख रुपए) की देयताओं को स्वीकार कर लिया है तथा पेंशन ट्रस्ट के प्रति कंपनी की देयताओं से इसका संमजन (सेट ऑफ) कर लिया गया है परन्तु निधियों की कमी के कारण उक्त राशि की वापसी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार को नहीं की जा सकी है।

ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार द्वारा नियुक्त नोडल एजेंसी के रूप में कंपनी को सौर ऊर्जा विकासकों को वितरित करने के लिए अनुदान प्राप्त हुआ है। कंपनी को केवल एमएनआरई से प्राप्त राशि में से अनुदान करना अपेक्षित है।

ग) अन्य देय–अन्य में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के विकल्प का चयन करने वालों को देय, गतावधि चैक इत्यादि शामिल हैं।

घ) संबंद्ध पार्टी प्रकटन के लिए कृपया नोट संख्या 46 देखें।

25. अन्य चालू देयताएं

रुपए लाख में

विवरण	31 मार्च, 2021 को स्थिति	31 मार्च, 2020 को स्थिति
स्रोत पर कर कटौती एवं अन्य सांविधिक देय	203.53	213.95
पेंशन ट्रस्ट को देय	269.16	2,917.58
अपशिष्ट डीलरों से अग्रिम	11.55	33.89
सौर परामर्श से प्राप्त आस्थगित आय (नोट संख्या 21 देखें)	19.58	17.76
योग	**503.82**	**3,183.18**

26. आस्थगित राजस्व

रुपए लाख में

विवरण	31 मार्च, 2021 को स्थिति	31 मार्च, 2020 को स्थिति
आस्थगित सरकारी अनुदान (नीचे क देखें)	45.04	48.70
योग	**45.04**	**48.70**

क) आस्थगित सरकारी अनुदान में जीटीपीएस संयंत्र पर 99.80 किलो वॉट का सोलर पावर संयंत्र स्थापित करने के लिए नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार से प्राप्त अनुदान शामिल है। उक्त अनुदान से किसी प्रकार की अपूर्ण शर्तें अथवा अन्य संबंद्ध आकस्मिकताएं नहीं जुड़ी हैं।

27. प्रचालनों से राजस्व

रुपए लाख में

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
ऊर्जा की बिक्री (नीचे क देखें)	23,951.38	46,396.83
अन्य प्रचालन राजस्व :		
ऊर्जा की बिक्री पर अधिभार (नीचे ग देखें)	3,614.12	4,205.82
लाभग्राहियों से ब्याज (नीचे घ देखें)	-	6,450.58
योग	**27,565.50**	**57,053.23**

क) वर्ष 2017–18 में ट्रयूनिंग अप के संशोधन तथा वर्ष 2018–19 में ट्रूनिंग अप के संबंध में दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग/विद्युत अपीलीय अधिकरण (एपीटीईएल) द्वारा क्रमशः जारी आदेशों के कारण पूर्व वर्षों से संबंधित ऊर्जा की बिक्री का निवल (–)800.34 लाख रूपए तथा (–)1714.14 लाख रूपए (31 मार्च, 2020 – 1283.87 लाख रूपए) है। आरपीएच से संबंधित राजस्व के लिए नोट 52 देखें।

गेल से प्राप्त एजीओ क्रेडिट की मद में डिस्कॉम को पास की गई राशि के लिए नोट 12 (क) देखें।

वर्ष, 2021–22 के दौरान, कंपनी को 2019–20 के संबंध में (–)3163.56 लाख रुपये की ट्रूनिंग अप के आदेश प्राप्त हुए थे जिसमें 326.56 लाख रूपए की वहन लागत शामिल थी। इसके अलावा, दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग द्वारा एपीटीईएल के आदेश को प्रभावी किया गया है तथा वित्तीय वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 से संबंधित 10,920.00 लाख रूपए (वर्ष 2020: (–)2517.7) की वसूली की अनुमति दी गई है जिसका 2021–22 के लिए लेखांकन अनुसरण की जा रही लेखांकन नीति के अनुसार किया जाएगा।

ख) डिस्कॉमों द्वारा भुगतान में निरंतर चूक किए जाने और धन सग्रंह में अनिश्चितता के आलोक में, ऊर्जा बिलों का विलम्ब से भुगतान किए जाने के कारण, डिस्कॉमों से वसूल किए जाने वाले अधिभार को केवल स्रोत पर काटे गए कर (टीडीएस) व डिस्कॉमों द्वारा कर प्राधिकारियों के पास जमा किए गए धन की सीमा तक, गणना में लिया गया है। इसके परिणामस्वरूप, प्राप्यों पर सदृश प्रभाव सहित 43,573.80 लाख रुपए (31 मार्च, 2020: 37,852.35 लाख रुपए) के राजस्व को लेखाबद्ध नहीं किया गया है।

ग) दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग के विनियमों के अनुसार आयोग द्वारा अनुमोदित प्रशुल्क से कम/अधिक प्रशुल्क की वसूली के संबंध में ट्रूइंग अप के पश्चात, कंपनी द्वारा लाभग्राहियों से/को कम/अधिक प्राप्त की गई राशियों पर साधारण ब्याज के साथ वसूली/भुगतान किया जाएगा।

इसके अलावा, लाभग्राहियों को देय राशियों का लेखांकन नोट संख्या 32 में 'लाभग्राहियों को देय ब्याज' के रूप में किया गया है।

घ) **माल व सेवाओं की प्रकृति**

कंपनी को राजस्व की प्राप्ति, बिजली की बिक्री से होती है। कंपनी, बड़े उपभोक्ताओं विशेषकर, राज्य सरकार के स्वामित्व वाली बिजली यूटिलिटी व राज्यों में संचालित निजी क्षेत्र की डिस्कॉमों को बिजली को बिक्री करती है। आमतौर पर, बिजली की बिक्री, लाभग्राहियों के साथ निष्पादित किए गए दीर्घकालिक बिजली क्रय करार (पीपीए) या डीईआरसी द्वारा किए गए विद्युत आवंटन के अनुसार की जाती है।

निष्पादन दायित्वों की प्रकृति, पूरा होने का समय और महत्वपूर्ण भुगतान शर्तें

कंपनी, बिजली बिक्री की संविदाओं से प्राप्त होने वाले राजस्व को लेखाबद्ध करती है क्योंकि उपभोक्ता कंपनी द्वारा दिए गए लाभों की प्राप्ति व उपभोग साथ–साथ करते हैं। बिजली की बिक्री से होने वाले राजस्व की गणना, समय–समय पर डीईआरसी द्वारा जारी विनियमों के अनुसार की जाती है। बिजली की बिक्री से प्राप्त राजस्व के रूप में स्वीकृत का समायोजन विभिन्न कारणों, जहां कहीं भी लागू हो, से किया जाता है जिनके अनुमान कंपनी के पास मौजूद ऐतिहासिक आंकड़ों पर आधारित होते हैं। यह राशि मासिक आधार पर बिल में ली जाती है और इन्वॉइस, संविदागत सहमति क्रेडिट अवधि में भुगतान योग्य होते हैं।

ङ) **राजस्व का विपुंजन**

नीचे उपभोक्ताओं के साथ हुई करारों से कंपनी को होने वाले राजस्व का विपुंजन किया गया है:

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए रुपए लाख में

माल व सेवा का प्रकार	बिजली की बिक्री	योग
निष्पादन दायित्वों को पूरा करने का समय:		
ओवर टाइम	23,951.38	23,951.38
समय विशेष पर	-	-
योग	**23,951.38**	**23,951.38**
निष्पादन दायित्व मापन की विधि:		
इनपुट विधि	-	-
आउटपुट विधि	23,951.38	23,951.38
योग	**23,951.38**	**23,951.38**

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए रुपए लाख में

माल व सेवा का प्रकार	बिजली की बिक्री	योग
निष्पादन दायित्वों के पूरा करने का समय:		
ओवर टाइम	46,396.83	46,396.83
समय विशेष पर	-	-
योग	**46,396.83**	**46,396.83**
निष्पादन दायित्व मापन की विधि:		
इनपुट विधि	-	-
आउटपुट विधि	46,396.83	46,396.83
योग	**46,396.83**	**46,396.83**

च) कंपनी ने भारतीय लेखांकन मानक 115 "उपभोक्ताओं के साथ संविदाओं से राजस्व" को लागू करने के लिए संचयी प्रभाव विधि का उपयोग किया है और 01 अप्रैल, 2018 को धारित अर्जन का प्रभाव शून्य है।

i) **संविदा बकाया** रुपए लाख में

विवरण	31 मार्च, 2021 को स्थिति	31 मार्च, 2020 को स्थिति
व्यापार प्राप्य (नोट 8)	147,925.46	166,725.34
संविदा परिसंपत्ति (नोट 11)	1,893.08	47.54
संविदा देयता	-	-

1क) संविदा परिसंपत्ति बिल न किया गया राजस्व है। संलग्न शर्त, अर्थात बिलिंग माइलस्टोन प्राप्त करने के लिए भावी सेवा, के पूरा होने पर व्यापार प्राप्यों में, संविदा परिसंपत्ति के रूप में पूर्व में लेखाबद्ध किसी राशि को पुनर्वर्गीकरण किया जाता है।

विवरण	31 मार्च, 2021 को स्थिति	31 मार्च, 2020 को स्थिति
वर्ष के आरंभ में संविदा परिसंपत्ति	47.54	6,397.66
संविदा परिसंपत्ति से व्यापार प्राप्य में अंतरण	47.54	6,397.66
वर्ष के अंत में संविदा परिसंपत्ति	1,893.08	47.54

1ख) संविदा देयता में उपभोक्ताओं से अग्रिम के रूप में प्राप्त राशि शामिल है

विवरण	31 मार्च, 2021 को स्थिति	31 मार्च, 2020 को स्थिति
वर्ष के आरंभ में संविदा देयता	-	-
संविदा देयताओं से राजस्व में अंतरण	-	-
वर्ष के अंत में संविदा देयताएं	-	-

1ग) **नीचे दी गई तालिका से यह ज्ञात होता है कि वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि में लेखाबद्ध होने वाला कितना राजस्व अग्रेषित संविदा देयताओं से संबंधित है।**

विवरण	31 मार्च, 2021 को स्थिति	31 मार्च, 2020 को स्थिति
उपभोक्ताओं से अग्रिम के रूप में प्राप्त राशि	-	-
वर्ष के दौरान राजस्व के रूप में लेखाबद्ध राशि	-	-
उपभोक्ताओं को देय राशि	-	-

1घ) **संविदा मूल्य के साथ लेखाबद्ध राजस्व का समाशोधनः**

विवरण	31 मार्च, 2021 को स्थिति	31 मार्च, 2020 को स्थिति
संविदा मूल्य	23,959.09	46,400.87
परिवर्तनीय माने गए घटकों के लिए समायोजन	7.71	4.04
प्रचालनों से राजस्व	23,951.38	46,396.83

छ) भारतीय लेखांकन मानक 115 के अनुसार व्यावहारिक उपायों को लागू करनाः

– कंपनी वहां कोई संविदा होने की आशा नहीं करती जहां, वचन किए गए माल का अंतरण व उपभोक्ताओं को सेवाओं तथा ग्राहक द्वारा भुगतान की अवधि एक वर्ष से अधिक होती है। इसके परिणामस्वरूप, कंपनी, धन के समय मान के लिए लेन–देन मूल्यों का समायोजन नहीं करती।

– कंपनी ने उन संविदाओं के लिए निष्पादन से संबंधित शेष दायित्वों का प्रकटीकरण नहीं किया है जहां लेखाबद्ध राजस्व, आज की तारीख को कंपनी के निष्पादन के बारे में ग्राहक के मान के सीधे अनुपात में है।

ज) कंपनी ने किसी ग्राहक के साथ संविदा प्राप्त करने के लिए बढ़ोतरी वाली लागत नहीं दी है, इसलिए, ऐसी पूंजीकृत लागत के लिए परिसंपत्ति को लेखाबद्ध नहीं किया गया है।

28. अन्य आय

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों से ब्याज		
बैंक	367.82	204.85
अन्य	-	2,344.62
आयकर धनवापसी पर ब्याज	1233.78	755.37
संबंद्ध कंपनियों में गैर–चालू निवेश से लाभांश	17,500.00	7,341.32
अन्य गैर–प्रचालनात्मक आय		
किराया आय	14.62	10.23
अवशिष्ट की बिक्री	134.98	128.66
सौर परामर्श सेवा से प्राप्त आय	249.93	370.88
अनुदान आय	3.66	3.66
प्रतिलेखित प्रावधान (नोट 49 देखें)	-	1,759.68
निविदा फॉर्म की बिक्री	1.62	23.32
संपति संयंत्र तथा उपकरण की बिक्री से प्राप्त लाभ	1.66	0.15
छोड़ दिए गए प्रतिभूत ऋणों पर देय ब्याज	-	621.09
विविध आय	28.65	37.14
योग	**19,536.72**	**13,600.97**

29. ईंधन खपत लागत

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
प्राथमिक ईंधन–गैस	14,648.10	23,902.84
द्वितीयक ईंधन–तेल	3.29	5.67
योग	**14,651.39**	**23,908.51**

30. कर्मचारी हितलाभ व्यय

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
वेतन तथा मजदूरी	5,175.14	7,734.06
भविष्य निधि तथा अन्य निधियों में अंशदान	(48.39)	2,062.75
कर्मचारी कल्याण व्यय	268.72	261.61
योग	**5,395.47**	**10,058.42**

क) विभिन्न कर्मचारी हितलाभों के संबंध में किए प्रावधानों का भारतीय लेखांकन मानक 19 के अंतर्गत किया गया प्रकटीकरण नोट 37 में दिया गया है।

31. वित्तीय लागतें

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
परिशोधित लागत पर मापन की गई वित्तीय देयताओं की ब्याज लागत		
बैंकों से रोकड़ क्रेडिट/कार्यशील पूंजी ऋण	10.26	168.10
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार	4,364.75	7,414.43
दिल्ली पावर कंपनी लिमिटेड	-	25.02
अन्य	2.90	1.71
अन्यों पर ब्याज लागत		
आयकर अधिनियम के अंतर्गत ब्याज	505.73	0.53
योग	**4,883.64**	**7,609.79**

32. अन्य व्यय

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
किराया	1.75	1.54
बीमा	186.03	359.08
दर तथा कर	314.95	40.53
मरम्मत तथा अनुरक्षण		
– भवन	100.51	96.22
– संयंत्र एवं मशीनरी	1,058.11	2,099.65
– अन्य	39.28	42.17
बिजली एवं जल	10.31	34.29
संचार	7.74	9.40
विज्ञापन	5.26	21.76
वाहन उपयोग	28.04	7.50
सुरक्षा व्यय	2,139.51	1,994.01
मुद्रण एवं लेखन सामग्री	2.03	6.01
विधिक एवं व्यवसायिक फीस	53.38	86.56
शुल्क तथा अंशदान	15.67	29.15
यात्रा एवं वाहन	0.02	2.70
बैंक प्रभार	3.27	5.98
सांविधिक लेखापरीक्षकों को भुगतान (नीचे क देखें)	12.59	12.56
निदेशक के लिए बैठक फीस	6.98	5.49
लाभग्राहियों को दिया गया ब्याज (नोट 27(ग) देखें)	431.03	151.46
मालसूची के पुनर्मूल्यांकन पर हानि	(32.75)	18.00
कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व	51.41	-
विविध व्यय (नीचे ख देखें)	8.07	7.20
	4,443.19	**5,031.26**
निम्नलिखित के लिए हानि भत्ता :		
भंडार मदों में कमी	(6.43)	(4.37)
संदिग्ध अग्रिम	3.57	5.56
स्वीकृति के लिए लंबित अपशिष्ट संपत्ति	(1.83)	13.31
संपत्ति, संयंत्र एवं मशीनरी की कमी	10.52	0.20
	5.83	**14.70**
योग	**4,449.02**	**5,045.96**

क) लेखापरीक्षकों को किए गए भुगतान का विवरण:

सांविधिक लेखापरीक्षा फीस	10.44	10.43
व्ययों की प्रतिपूर्ति	0.27	0.26
जीएसटी/सेवा कर की प्रतिपूर्ति	1.88	1.87
योग	**12.59**	**12.56**

ख) विविध खर्चों में पुस्तकों एवं पत्र पत्रिकाओं, कार्यशालाओं, डीजी सेट के प्रचालन व्यय, दलाली एवं कमीशन, बैंक प्रभारों, फर्निशिंग खर्चों इत्यादि पर किया गया व्यय शामिल है।

33. उचित मूल्य मापन

क) श्रेणीवार वित्तीय लेखपत्र

रुपए लाख में

विवरण	31 मार्च, 2021 को स्थिति	31 मार्च, 2020 को स्थिति
	परिशोधन लागत	परिशोधन लागत
वित्तीय परिसंपत्तियां		
गैर–चालू वित्तीय परिसंपत्तियां	13.40	13.86
व्यापार प्राप्य	147,925.46	166,725.34
रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य	15,533.69	7,857.19
अन्य बैंक शेष	3,433.96	34.55
अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियां	3,892.25	1,459.76
योग वित्तीय परिसंपत्तियां	**170,798.76**	**176,090.70**
वित्तीय देयताएं		
गैर–चालू ऋण	(0.00)	2,472.00
ऋण	2.59	26,276.48
व्यापार देय	12,891.05	19,160.72
अन्य वित्तीय देयताएं	90,164.27	89,914.63
योग वित्तीय देयताएं	**103,057.91**	**137,823.83**

ख) उचित मूल्य वर्ग व्यवस्था

इस भाग में उन वित्तीय लेखपत्रों के उचित मूल्यों के निर्धारण के संबंध में लिए गए निर्णयों एवं अनुमानों को प्रस्तुत की गई है जिनका मापन परिशोधित लागत पर किया गया है और जिनके लिए उचित मूल्य प्रकटीकरण वित्तीय विवरणों में किया गया है। उचित मूल्य के निर्धारण के लिए उपयोग में लाई गई इनपुट के संकेत देने के लिए कंपनी द्वारा लेखांकन लेखपत्रों का वर्गीकरण लेखांकन मानकों के अंतर्गत निर्धारित तीन स्तरों में किया गया है। ऐसे प्रत्येक स्तर के संबंध में स्पष्टीकरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

रुपए लाख में

परिशोधित लागत पर मापित वित्तीय देयताएं, जिनके लिए उचित मूल्य का प्रकटन किया जाता है	31 मार्च, 2021 को स्थिति	31 मार्च, 2020 को स्थिति
ऋण–सावधि ऋण (स्तर–3)		
–रा.रा.क्षे.,दि.स. से 5 वर्ष	5,262.07	11,394.61
–रा.रा.क्षे.,दि.स. से 15 वर्ष	25,718.85	25,166.38
योग	**30,980.92**	**36,560.99**

उचित मूल्यों का वर्गीकरण निम्नानुसार मूल्यांकन तकनीक के उपयोग से इनपुट के आधार पर उचित मूल्य वर्ग तारतम्य के विभिन्न स्तरों में किया गया है:

स्तर–1 : स्तर 1 के तारतम्य में वित्तीय लेखपत्रों का मापन उद्धृत मूल्यों के उपयोग से किया जाता है। इसमें वे म्यूचुअल फंड शामिल होते हैं, जिनका मूल्य उद्धृत होता है।

स्तर–2 : सक्रिय बाजार में व्यवसाय न किए जाने वाले वित्तीय लेखपत्रों के उचित मूल्य का निर्धारण मूल्यांकन तकनीक के उपयोग से किया जाता है, जिससे बाजार डाटा का सुस्पष्ट अधिकतम उपयोग होता है तथा किसी विशिष्ट कंपनी के अनुमानों का न्यूनतम भरोसा किया जाता है। यदि किसी प्रपत्र के उचित मूल्यांकन के के लिए सभी अपेक्षित महत्त्वपूर्ण इनपुट प्रत्यक्ष हों तो लेखपत्र को स्तर–2 में शामिल किया जाता है।

स्तर–3 : यदि एक अथवा अधिक महत्त्वपूर्ण इनपुट प्रत्यक्ष बाजार डाटा पर आधारित नहीं होते हैं तो प्रपत्र को स्तर–3 में शामिल किया जाता है। स्तर–3 में शामिल की गई वित्तीय परिसंपत्तियों तथा देयताओं के उचित मूल्य का निर्धारण सामान्यतः स्वीकृत मूल्य मॉडल के अनुसार किया जाता है, जो प्रत्यक्ष चालू बाजार संव्यवहारों के मूल्यों के बट्टागत रोकड़ प्रवाह पर आधारित होता है।

33. उचित मूल्य मापन

ग) **उचित मूल्य के निर्धारण के लिए उपयोग में लाई गई मूल्यांकन तकनीक**

वित्तीय लेखपत्रों के मूल्यांकन की विशिष्ट मूल्यांकन तकनीकें निम्नानुसार हैंः–

– अर्थसुलभ म्यूचुअल फंड के लिए उद्धृत बाजार मूल्य;

– शेष वित्तीय लेखपत्रों के लिए बट्टाकृत रोकड़ प्रवाह विश्लेषण;

उचित मूल्यों पर मापन के संबंध में कंपनी में सुदृढ़ नियंत्रण तंत्र व्यवस्था स्थापित है। कंपनी द्वारा नियमित रूप से महत्वपूर्ण अलक्षित इनपुटों एवं मूल्यांकन समायोजनों की समीक्षा की जाती है।

घ) **परिशोधित लागत पर मापन की गई वित्तीय देयताओं का उचित मूल्य**

रुपए लाख में

वित्तीय देयताएं	31 मार्च, 2021 को स्थिति		31 मार्च, 2020 को स्थिति	
	वहन राशि	उचित मूल्य	वहन राशि	उचित मूल्य
रा.रा.क्षे.दि.स. से सावधि ऋण 5 वर्ष	5,262.07	5,262.07	11,394.61	11,406.25
रा.रा.क्षे.दि.स. से सावधि ऋण 15 वर्ष	25,718.85	25,718.85	25,166.38	25,166.38
योग	**30,980.92**	**30,980.92**	**36,560.99**	**36,572.63**

अल्पकालिक वहन राशियों, व्यवसाय प्राप्य, रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य, दावा प्राप्य, ऋण, व्यापार देय, ब्याज उपचय परन्तु ऋण पर देय नहीं, ब्याज उपचय तथा ऋण पर देय, कर्मचारी संबद्ध देयताएं, संबद्ध पार्टियों को देय, ठेकेदारों तथा आपूर्तिकर्ताओं से जमा तथा व्ययों के लिए देयों के अल्पकालिक प्रकृति का होने के कारण, उन पर उचित मूल्य के समान विचार किया गया है।

वित्तीय लेखपत्रों के उचित मूल्य का निर्धारण बट्टाकृत रोकड़ प्रवाह के विश्लेषण के उपयोग से किया गया है। उचित मूल्यों पर मापन के संबंध में कंपनी में नियंत्रण तंत्र व्यवस्था स्थापित की गई है। कंपनी, दिखाई न देने वाले इनपुटों महत्वपूर्ण एवं मूल्यांकन समायोजनों की नियमित रूप से समीक्षा करती है।

34. **वित्तीय जोखिम प्रबंधन**

कंपनी की प्रमुख वित्तीय देयताओं में आवधिक ऋण एवं उधार राशियां, व्यापार देय तथा अन्य देय होते हैं। इन वित्तीय देयताओं का मुख्य उद्देश्य कंपनी के प्रचालनों का वित्तपोषण है। कंपनी की प्रमुख वित्तीय परिसंपत्तियों में व्यवसाय एवं अन्य प्राप्य, तथा रोकड़ एवं अल्पकालिक जमा हैं, जो इसके प्रचालनों से सीधे उत्पन्न हुए हैं।

वित्तीय लेखपत्रों के उपयोग से कंपनी के सम्मुख निम्नलिखित जोखिम व्याप्त होते हैंः–

– ऋण जोखिम

– नकदी जोखिम

– बाजार जोखिम

इस नोट में कंपनी के सम्मुख व्याप्त प्रत्येक उक्त जोखिम, कंपनी के उद्देश्यों, नीतियों तथा मापन की प्रक्रियाओं एवं जोखिम प्रबंधन की प्रस्तुति की गई है।

निदेशक मंडल, कंपनी के जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क की स्थापना एवं निगरानी के प्रति पूर्णतः उत्तरदायी है। फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए कार्यात्मक निदेशकों सहित एक 'जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी)' का गठन किया गया है तथा उन्हें जोखिमों का पता लगाने एवं जोखिम की समीक्षा करके कार्रवाई योजना तैयार करने तथा अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक आधार पर जोखिमों के निपटान के लिए रणनीतियां तैयार करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। नियमित अंतराल पर आयोजित की जाने वाली जोखिम प्रबंधन समिति की बैठकों में रणनीतियों पर चर्चा की जाती है। रिपोर्टिंग के प्रमुख निष्पादन सूचकों के माध्यम से जोखिमों की नियमित निगरानी की जा रही है।

क) **ऋण जोखिम**

ऋण जोखिम कंपनी के लिए वित्तीय हानि का जोखिम होता है, जो किसी ग्राहक अथवा काउंटर पार्टी के द्वारा वित्तीय प्रपत्रों के संबंध में संविदागत दायित्वों को पूरा न किए जाने से होता है, जिससे कंपनी को वित्तीय हानि होती है। ऋण जोखिम मुख्यतः व्यापार प्राप्यों, ऋणों एवं अग्रिमों, रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्यों तथा बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों में जमाओं से उत्पन्न होता है।

व्यापार प्राप्य तथा बिल न किया गया राजस्व

कंपनी द्वारा राज्य वितरण एजेंसियों को बिजली बिक्री की जाती है, जिनमें से कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जिनमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार (कंपनी की शेयरधारक) का व्यापक प्रभाव होता है अथवा वे सरकारी एजेंसियां होती हैं। ऊर्जा आपूर्ति के मामले में चूक के जोखिम निम्नलिखित प्रकार के होते हैंः

क) केन्द्र सरकार की एजेंसियों से जोखिमों को महत्वहीन माना जाता है।

ख) ऐसी कम्पनियां जिनमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार का व्यापक प्रभाव हैः ऐसे ग्राहकों से संग्रहण के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार द्वारा कंपनी को दिए जाने वाले अनुदान का कुछ भाग ऐसे ग्राहकों को दिया जा रहा है। कंपनी को व्यापार प्राप्य के संबंध में पूर्व वर्षों के दौरान कोई महत्वपूर्ण अपसामान्य क्षति नहीं उठानी पड़ी है। अतः इन मामलों में चूक जोखिम को भी महत्वहीन माना जा सकता है।

कंपनी तथा ग्राहकों के बीच निष्पादित ऊर्जा क्रय करार तथा दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग, विनियमों के अंतर्गत परिभाषित क्रेडिट अवधि के दौरान भुगतान न किए जाने के मामलों के लिए कंपनी द्वारा विलम्ब प्रभार प्रभारित किए जाते हैं। इस प्रकार ग्राहकों को ऊर्जा आपूर्ति के मामले में किसी प्रकार की समय हानि नहीं हुई है। कंपनी ने उपलब्ध ऋण चूक, जैसे बाह्य एवं आंतरिक ऋण जोखिम कारकों तथा कंपनी को ग्राहकों के साथ हुए पूर्व अनुभव को ध्यान में रखा गया है।

कोई चूक तब होती है, जब प्रबंधन के विचारानुसार वसूली के लिए सभी उपलब्ध विकल्पों का उपयोग किए जाने के पश्चात प्राप्यों की वसूली की कोई महत्वपूर्ण संभावना शेष नहीं रहती है।

रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य तथा बैंको में जमाराशियां

कंपनी के बैंक परिचालन मुख्यतः भारत सरकार के स्वामित्व वाले अनुसूचित बैंकों के साथ किए जाते हैं। सरकार के नियंत्रण वाली इकाइयों में चूक का जोखिम नगण्य माना जा सकता है।

प्राप्य निगमित अंशभाग

कंपनी अपने सामान्य प्रशासन एवं कॉर्पोरेट कार्यालय की कर्मचारी लागत के व्ययों का सहभाजन प्रगति पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ करती है, जो उसी शेयरधारक (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार) की एक कंपनी है तथा जिसका नियंत्रण समान निदेशकों द्वारा किया जाता है। प्रगति पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से चूक को नगण्य माना जा सकता है।

(i) व्याप्त क्रेडिट जोखिम

वित्तीय परिसम्पतियों की वहन राशि के प्रति अधिकतम क्रेडिट जोखिम होते हैं। रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार व्याप्त अधिकतम जोखिम निम्नानुसार था :

रुपए लाख में

विवरण	31 मार्च, 2021 को स्थिति	31 मार्च, 2020 को स्थिति
वित्तीय परिसंपत्तियां, जिनके संबंध में हानि के भत्ते का मापन निम्नलिखित के उपयोग से किया गया हैः		
– उपयोज्यता काल संभावित ऋण हानियां		
व्यापार प्राप्य	147,925.46	166,725.34
बिना बिल के राजस्व	1,893.08	47.54
– 12 माह की संभावित ऋण हानि		
रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य	15,533.69	7,857.19
अन्य बैंक शेष	3,433.96	34.55
प्राप्य कॉर्पोरेट अंशभाग	828.75	653.38
अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियां**	1,170.42	758.84
प्रतिभूति जमा	13.40	13.86
योग	**170,798.76**	**176,090.70**

** बिल न किए गए राजस्व के अलावा

(ii) संभावित ऋण हानियों के लिए प्रावधान

वित्तीय परिसंपत्तियां, जिनके संबंध में हानि के भत्ते का मापन उपयोज्यता काल में संभावित ऋण क्षतियों से किया गया है।

कंपनी के ग्राहक (सरकारी यूटिलिटी, सरकार के स्वामित्व वाली यूटिलिटी तथा यूटिलिटी जिसमें रा.रा.क्षे.दि.स. का स्वामित्व 49 प्रतिशत है) कंपनी दायित्वों को पूरा करने में सक्षम है तथा इस प्रकार चूक का जोखिम नगण्य अथवा शून्य है। इसके अलावा, प्रबंधन का ऐसा मानना है कि 60 दिनों से अधिक की पूर्व देय राशियां, गैर अपसामान्य राशियां हैं तथा जिनकी प्राप्ति अभी भी, उनके पूर्व भुगतान व्यवहार एवं ग्राहक के ऋण जोखिम के गहन विश्लेषण के आधार पर, पूरी तरह से की जा सकती है। इस प्रकार, व्यापार प्राप्य के संबंध में रिपोर्टिंग अवधियों के दौरान किसी अपसामान्य क्षति को लेखाबद्ध नहीं किया गया है।

वित्तीय परिसंपत्तियां जिनके संबंध में हानि के भत्ते का मापन 12 माह की संभावित ऋण हानि के रूप में किया गया है।

कंपनी के पास ऐसी परिसंपत्तियां हैं, जिनकी काउंटर पार्टियों के पास दायित्वों के निर्वाह की पर्याप्त क्षमता है तथा जिनके संबंध में चूक जोखिम अत्याधिक कम है। तदनुसार, अपसामान्य हानि के आसार के संबंध में इस नोट में ''अपसामान्य हानि प्रावधानों का मिलान'' के अंतर्गत आगे प्रकटन किया गया है।

(iii) **व्यापार प्राप्यों और बिल न किए गए राजस्व का काल प्रभाव विश्लेषण**

काल प्रभाव	31 मार्च, 2021 को स्थिति	31 मार्च, 2020 को स्थिति
देय नहीं	3,721.86	7,864.04
0–30 दिन के पूर्व देय	1,720.17	10,459.76
31–90 दिनों के पूर्व देय	(204.75)	8,100.46
91–180 दिनों के पूर्व देय	6,168.01	7,738.35
180 दिनों से अधिक के पूर्व देय	138,423.17	132,610.27
स्रोत पर कर संग्रहण	(9.92)	
योग	**149,818.54**	**166,772.88**

(iv) **अपसामान्य हानि प्रावधानों का समाधान**

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
प्रारंभिक प्रावधान	1,087.43	2,841.55
संभावित क्षति भत्ते का पुनः मापन	3.57	(1,754.12)
योग	**1,091.00**	**1,087.43**

ऐतिहासिक चूक अनुपातों के आधार पर, कंपनी का यह मानना है कि उपर्युक्त के अलावा, अन्य परिसंपत्तियों की राशियां अत्यधिक कम होने के कारण क्षति भत्ते की व्यवस्था की जानी आवश्यक नहीं है।

ख) **बाजार जोखिम**

बाजार जोखिम वह जोखिम है, जिससे बाजार के मूल्य परिवर्तित होते हैं, जैसे कि ब्याज दरों से कंपनी की आय अथवा इसके वित्तीय लेखपत्रों की धारिता के मूल्य प्रभावित होते हैं। बाजार जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य, अपने प्रतिफल को इष्टतम बनाए रखकर, स्वीकृत मापदंडों के दायरे में बाजार जोखिम का प्रबंधन एवं नियंत्रण करना है। कंपनी के बाजार जोखिमों के प्रबंधन के लिए नीतियों एवं प्रक्रियाओं का निर्माण करने का दायित्व निदेशक मंडल का होता है।

ब्याज दर जोखिम

कंपनी के सम्मुख ब्याज दर जोखिम होते हैं, जो फ्लोटिंग ब्याज दर वाले गैर–चालू ऋणों से उत्पन्न होते हैं क्योंकि फ्लोटिंग दरों के ऋणों के साथ संबद्ध रोकड़ प्रवाह ब्याज दरों में परिवर्तन होने पर घटता/बढ़ता है।

रिपोर्टिंग तिथि को कंपनी के ब्याज उत्पन्न करने वाले वित्तीय लेखपत्रों की ब्याज दर प्रोफाइल के लिए कृपया नोट संख्या 18 एवं 22 देखें।

नियत दर लेखपत्रों के लिए उचित मूल्य का संवेदी विश्लेषण

कंपनी के नियत दर लेखपत्रों का वहन परिशोधित लागत पर किया गया है। इस प्रकार वे ब्याज दर जोखिम के अंतर्गत नहीं हैं क्योंकि बाजार ब्याज दरों में परिवर्तन होने से न तो उनकी वहन राशि और न ही उनका भावी रोकड़ प्रवाह प्रभावित होता है ।

परिवर्तनशील दर लेखपत्रों के लिए रोकड़ प्रवाह का संवेदी विश्लेषण

किसी रिपोर्टिंग तिथि को ब्याज दरों में 100 बेसिस प्वांइट परिवर्तन होने से कर पूर्व लाभ में नीचे दी गई राशियों तक वृद्धि/(घटाव) हो सकती है। इस विश्लेषण में अन्य सभी परिवर्तन स्थिर रहने का विचार किया गया है। इस विश्लेषण का निष्पादन समान आधार पर पिछले वर्ष के लिए किया गया था। नीचे दी गई तालिका में ऋणों एवं ऋण राशियों पर ब्याज दरों में होने वाले संभावित परिवर्तनों के प्रभावों की संवेदना दर्शाई गई है।

विवरण	लाभ एवं हानि (कर पूर्व)	
	वृद्धि	कमी
मांग पर प्रतिदेय ऋण		
31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	1.06	(1.06)
31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	17.42	(17.42)

मूल्य जोखिम

कंपनी के सम्मुख व्याप्त प्रतिभूति मूल्य जोखिम म्यूचुअल फंड के रूप में किए गए निवेश से है जिसे लाभ एवं हानि के माध्यम से तुलन पत्र में उचित मूल्य पर वर्गीकृत किया गया है। ऐसे निवेश की दरें (एनएवी) म्यूचुअल फंड गृहों में उपलब्ध हैं। इन वर्गीकृत प्रतिभूतियों में लाभ/हानि होने की स्थिति में लाभ एवं हानि के माध्यम से इनके उचित मूल्य के लाभ में घटत/बढ़त होती है।

ग) **नकदी जोखिम**

नकदी जोखिम वह जोखिम होता है, जो कंपनी द्वारा अपनी वित्तीय देयताओं के दायित्व के निर्वाह में वहन की जाने वाली कठिनाईयों के रूप में उत्पन्न होता है तथा जिसका समाधान रोकड़ अथवा अन्य वित्तीय परिसंपत्ति की डिलीवरी के माध्यम से किया जाता हैं। कंपनी द्वारा चलनिधि के प्रबंधन का सुनिश्चय अपनी देयताओं, जब कभी देय हों, के दायित्वों का निर्वाह, सामान्य एवं कठिन स्थितियों में बिना किन्हीं अस्वीकार्य हानियों अथवा कंपनी की साख को जोखिम में डाले बिना, के लिए किया जाता है।

कंपनी में अल्प, मध्यम एवं दीर्घकालिक निधियन एवं नकदी की प्रबंधन अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए यथोचित जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क स्थापित है। कंपनी द्वारा नकदी जोखिम का प्रबंधन पर्याप्त बैंकिंग सुविधाओं एवं आरक्षित ऋण सुविधाओं के अनुरक्षण के साथ भावी एवं वास्तविक रोकड़ प्रवाह पर निरंतर निगरानी रखते हुए किया जाता है।

कंपनी का कोष विभाग कंपनी की अल्पकालिक तथा दीर्घकालिक नकदी अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए उत्तरदायी है। कोष द्वारा अल्पकालिक नकदी स्थिति की समीक्षा प्रतिदिन की जाती है। निदेशक मंडल द्वारा नकदी जोखिम के प्रबंधन के लिए नीतियां स्थापित की गई हैं तथा कंपनी का कोष विभाग इन नीतियों के अनुसार अपने प्रचालन करता है। इन नीतियों के प्रति किया गया कोई भी उल्लंघन निदेशक मंडल को सूचित किया जाता है। दीर्घकालिक नकदी स्थिति की समीक्षा नियमित आधार पर जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा की जाती है तथा स्थिति के अनुरूप उचित निर्णय लिए जाते हैं।

(i) **वित्तीय व्यवस्था**

कंपनी को रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर निम्नलिखित गैर–आहरित ऋण तक पहुंच थी : रुपए लाख में

विवरण	31 मार्च, 2021 को स्थिति	31 मार्च, 2020 को स्थिति
मांग पर प्रतिदेय फ्लोटिंग दर ऋण (एक वर्ष की अवधि में समापन)	8997.41	8,723.52

(ii) **वित्तीय देयताओं की संविदागत परिपक्वता**

संविदागत रोकड़ प्रवाह के आधार पर वित्तीय देयताओं की संविदागत परिपक्वता निम्नलिखित है : रुपए लाख में

31 मार्च, 2021 को स्थिति	3 माह अथवा कम	3–12 माह	1–2 वर्ष	2–5 वर्ष	5 वर्ष से अधिक	योग
संबंद्ध पार्टियों से सावधि ऋण	30,980.92	-	-	-	-	30,980.92
संबंद्ध पार्टियों से अल्पकालीक ऋण	54,821.82	-	-	-	-	54,821.82
बैंकों से अल्पकालीक ऋण	2.59	-	-	-	-	2.59
व्यापार देय	12,891.05	-	-	-	-	12,891.05
जमा/धारण राशि	119.49	-	-	-	-	119.49
रा.राज.क्षे. दिल्ली सरकार को देय	3,648.46	-	-	-	-	3,648.46
कर्मचारियों को देय	272.99	-	-	-	-	272.99
वितरण के लिए प्राप्त अनुदान	250.51	-	-	-	-	250.51
अन्य चालू वित्तीय देयताएं	70.09	-	-	-	-	70.09
योग	**103,057.92**	**-**	**-**	**-**	**-**	**103,057.92**

(रुपए लाख में)

31 मार्च, 2020 को	3 माह अथवा कम	3–12 माह	1–2 वर्ष	2–5 वर्ष	5 वर्ष से अधिक	योग
संबंद्ध पार्टियों से सावधि ऋण	30,744.70	3,344.29	1,536.00	936.00	-	36,560.99
संबंद्ध पार्टियों से अल्पकालीक ऋण	77,621.00	-	-	-	-	77,621.00
बैंकों से अल्पकालीक ऋण	276.48	-	-	-	-	276.48
व्यापार देय	19,160.72	-	-	-	-	19,160.72
जमा/धारण राशि	132.06	-	-	-	-	132.06
रा.राज.क्षे. दिल्ली सरकार को देय	3,648.31	-	-	-	-	3,648.31
कर्मचारियों को देय	269.28	-	-	-	-	269.28
वितरण के लिए प्राप्त अनुदान	119.84	-	-	-	-	119.84
अन्य चालू वित्तीय देयताएं	35.15	-	-	-	-	35.15
योग	**132,007.54**	**3,344.29**	**1,536.00**	**936.00**	**-**	**137,823.83**

35. पूंजी प्रबंधन

पूंजी प्रबंधन के लिए कंपनी का लक्ष्य गोइंग कंसर्न के रूप में जारी रखने की अपनी योग्यता की सुरक्षा करने और ऋण एवं इक्विटी की उचित पूंजी संरचना को बरकरार रखना है।

कंपनी बाह्य तौर पर प्रत्यारोपित पूंजी अपेक्षाओं के अधीन नहीं है। कंपनी द्वारा निवल ऋण को इक्विटी जमा से विभाजित करने की विधि के अनुसार अनुकूल (गियरिंग) अनुपात के उपयोग से पूंजी निगरानी की जाती है। निवल ऋण में दीर्घकालिक एवं अल्पकालिक ऋण घटा कर, रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य होते हैं। इक्विटी में इक्विटी शेयर पूंजी तथा रिजर्व होते हैं, जिनका प्रबंधन पूंजी के रूप में किया जाता है। रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अनुकूल (गियरिंग) अनुपात निम्नानुसार था:

रुपए लाख में

विवरण	31 मार्च, 2021 को स्थिति	31 मार्च, 2020 को स्थिति
योग ऋण देयता	85,805.32	114,458.47
घटाएं : रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य	15,533.69	7,857.19
निवल ऋण	**70,271.63**	**106,601.28**
योग इक्विटी	73,654.00	73,654.00
इक्विटी और निवल नामे अनुपात	**0.95**	**1.45**

36. आयकर

क) आयकर व्यय

	विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
i)	**लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत आयकर**		
	चालू कर व्यय		
	चालू वर्ष	3,805.28	2,273.88
	पूर्व वर्षों के कर	(725.78)	-
	योग	**3,079.50**	**2,273.88**
	आस्थगित कर व्यय	(265.55)	684.78
	योग आयकर व्यय	**2,813.95**	**2,958.66**
ii)	**अन्य विस्तृत आय में स्वीकृत आयकर**		
	परिभाषित हितलाभ योजनाओं पर निवल बीमांकिक लाभ/(हानि)	(169.04)	(34.27)
	कर व्यय/(लाभ)	(42.54)	(11.98)
	निवल कर	**(126.50)**	**(22.29)**
iii)	**कर व्ययों का समाशोधन तथा भारतीय घरेलू कर दर से गुणक लाभ का लेखांकन**		
	कर पूर्व लाभ	**15,462.85**	**22,051.49**
	कंपनी की घरेलू कर दर का 25.168 प्रतिशत	3,891.69	7,705.67
	निम्नलिखित का कर प्रभाव:		
	डिस्कॉमों से प्राप्यों के अस्थाई समायोजन से अस्थाई अंतर	-	-
	लाभ एवं हानि विवरण में पूर्व में स्वीकृत नहीं किया गया अस्थाई अंतर	(352.06)	(4,113.59)
	लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत नहीं किया गया अस्थाई अंतर		
	आयकर के अंतर्गत अस्वीकृत अन्य व्यय	18.54	18.14
	आयकर से छूट प्राप्त लाभांश आय	-	(2,565.35)
	कर दरों में परिवर्तन	(188.22)	-
	अन्य समायोजन		-
	पूर्व वर्षों के कर	(725.78)	
	आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार न्यूनतम वैकल्पिक कर		1,901.81
	प्रभावी आयकर दर पर : 17.625 प्रतिशत (31 मार्च: 2020 : 13.417 प्रतिशत)	**2,644.17**	**2,946.68**

ख) आस्थगित कर

i) आस्थगित कर परिसंपत्तियों तथा आस्थगित कर देयताओं का समंजन कर दिया गया है क्योंकि उनके संचलन विधान समान हैं।

ii) आस्थगित कर शेषों में संचलन

रुपए लाख में

विवरण	अथ शेष	लाभ एवं हानि में स्वीकृत	अन्य विस्तृत आय में स्वीकृत	अंत शेष
31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए				
आस्थगित कर देयताएं				
बही बेस तथा पीपीई के कर बेस में भिन्नता	**2538.49**	(1,435.95)	-	**1,102.54**
घटाएं: आस्थगित कर परिसंपत्तियां				
व्यापार हानियां	-	-	-	**-**
कर्मचारी सेवानिवृत्ति हितलाभों के लिए प्रावधान (धारा 43ख के अंतर्गत अस्वीकृति सहित)	1,636.46	(1,107.51)	42.54	**571.49**
अन्य प्रावधान	210.83	(58.36)	-	**152.47**
सौर परामर्श सेवाओं पर आस्थगित आय	18.40	(4.53)	-	**13.87**
निवल कर देयताएं/(परिसंपत्तियां)	**672.80**	**(265.55)**	**(42.54)**	**364.71**

रुपए लाख में

विवरण	अथ शेष	लाभ एवं हानि में स्वीकृत	अन्य विस्तृत आय में स्वीकृत	अंत शेष
31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए				
आस्थगित कर देयताएं				
बही बेस तथा पीपीई के कर बेस में अंतर	**2841.44**	(302.95)	-	**2,538.49**
घटाएं: आस्थगित कर परिसंपत्तियां				
व्यापार हानियां	1972.07	(1,972.07)	-	**-**
कर्मचारी सेवानिवृत्ति हितलाभ के लिए प्रावधान (धारा 43ख के तहत अस्वीकृति सहित)	663.52	960.96	11.98	**1,636.46**
अन्य प्रावधान	205.85	4.98	-	**210.83**
आस्थगित वेतनसूची व्यय				
सौर परामर्श सेवाओं पर आस्थगित आय	-	18.40	-	**18.40**
निवल कर देयताएं/(परिसंपत्तियां)	**(0.00)**	**684.78**	**(11.98)**	**672.80**

iii) चालू वर्ष में 3805.28 रुपये (वित्तीय वर्ष 2019–20: 1548.09 लाख रूपए) के कर व्यय को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 115जेबी के अनुसार न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) के प्रावधानों के आधार पर प्रभारित किया गया है।

iv) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 115बीएए और भारत द्वारा कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 2019 के माध्यम से की गई घोषणा के अनुसरण में कंपनी के पास संचित एमएटी क्रेडिट की चूक सहित कतिपय कर प्रोत्साहन में परिणामी कमी के साथ कम कर को चुनने का एक अपरिवर्तनीय विकल्प है। कंपनी ने इसका मूल्यांकन करने के बाद इस विकल्प को नहीं चुना है और आय पर करों को पूर्व के प्रावधानों के अनुसार लेखबद्ध करना जारी रखा है।

37. कर्मचारी हितलाभ दायित्व

I. परिसमापन पश्चात नियोजित कर्मचारी

(i) परिभाषित अंशदायी योजनाएं :

कंपनी ने सरकार द्वारा प्रशासित एवं प्रबंधित निधियों में भविष्य निधि के लिए अंशदान जमा किए हैं। वर्ष के दौरान लाभ एवं हानि विवरण में 96.57 लाख रुपए (31 मार्च, 2020: 65.59 लाख रुपए) को व्यय के रूप स्वीकृत किया गया है जिसमें लेखांकन नीति संख्या सी14.6 (नोट 1) के अनुसरण में 22.43 लाख रुपए (31 मार्च, 2020: 18.38 लाख रुपए) कॉर्पोरेट अंशभाग के रूप में शामिल हैं।

(ii) परिभाषित लाभ योजनाएं:

क. उपदान

कंपनी द्वारा वित्तपोषित उपदान योजना चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत कंपनी से अलग होने की स्थिति में, कंपनी में सेवा के पूर्ण वर्षों के लिए वेतन के अनुसार एकमुश्त लाभ प्रदान किए जाते हैं। परिसमापन के पश्चात नियुक्त किया गया प्रत्येक वह कर्मचारी, जिसने 5 वर्ष की निरंतर सेवा पूरी कर ली है, सेवानिवृत्ति अथवा संगठन से अलग होने, जो भी पहले हो, के समय उपदान प्राप्त करने का पात्र है। किसी कर्मचारी को उपदान के लाभ ''उपदान भुगतान अधिनियम, 1972'' के प्रावधानों के अंतर्गत किए गए आंकलन के अनुसार देय होते हैं।

बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर उपदान योजना तथा कंपनी तुलन पत्र तिथि के लिए वित्तीय विवरणों में लेखाबद्ध राशियों से संबंधित विवरण नीचे तालिका में प्रस्तुत किया गया है:–

क) निवल परिभाषित लाभ (परिसंपत्तियां)/देयताएं

रुपए लाख में

विवरण	31 मार्च, 2021 को स्थिति	31 मार्च, 2020 को स्थिति
गैर–चालू	157.76	234.15
चालू	78.78	48.57
योग	**236.54**	**282.72**

ख) निवल परिभाषित लाभों (परिसंपत्ति)/देयता में संचलन

रुपए लाख में

विवरण	परिभाषित हितलाभ दायित्व	योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	परिभाषित निवल लाभ देयता
31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए			
प्रारंभिक शेष	**1,237.26**	**954.54**	**282.72**
लाभ एवं हानि में शामिल :			
चालू सेवा लागत	91.45	-	91.45
पूर्व सेवा लागत	-	-	-
ब्याज लागत/आय	84.13	53.24	30.89
लाभ अथवा हानि में लेखाबद्ध कुल राशि	**175.58**	**53.24**	**122.34**
अन्य व्यापक आय में सम्मिलित :			
निम्नलिखित से उत्पन्न पुनःमापन हानि/(लाभ):			
वित्तीय पूर्वानुमान	-	-	-
अनुभव समायोजन	(75.18)	-	(75.18)
ब्याज आय के अलावा योजना परिसंपत्तियों से लाभ	-	1.39	(1.39)
अन्य व्यापक आय में स्वीकृत कुल राशि	**(75.18)**	**1.39**	**(76.57)**
नियोक्ता का अंशदान	-	80.29	(80.29)
चुकता लाभ	-	-	-
अंत शेष	**1,337.66**	**1,089.46**	**248.20**
31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए			
प्रारंभिक शेष	**1,015.18**	**694.99**	**320.19**
लाभ एवं हानि में शामिल :			
चालू सेवा लागत	91.21	-	91.21
पूर्व सेवा लागत	-	-	-
ब्याज लागत/आय	77.76	53.24	24.52
लाभ एवं हानि में स्वीकृत कुल राशि	**168.97**	**53.24**	**115.73**
अन्य विस्तृत आय में शामिल :			
निम्नलिखित से उत्पन्न पुनःमापन हानि/(लाभ):			
वित्तीय पूर्वानुमान	111.28	-	111.28

अनुभव समायोजन	(50.92)	-	(50.92)
ब्याज आय के अलावा योजना परिसंपत्तियों से लाभ	-	3.24	(3.24)
अन्य विस्तृत आय में स्वीकृत कुल राशि	**60.36**	**3.24**	**57.12**
नियोक्ता का अंशदान	-	210.32	(210.32)
चुकता लाभ	(7.25)	(7.25)	-
अंत शेष	**1,237.26**	**954.54**	**282.72**

ग) **योजना परिसंपत्तियां**

कंपनी की योजना परिसंपत्तियों का प्रबंधन, भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा कंपनी के निधि दायित्वों को पूरा करने के लिए ली गई एक पॉलिसी के अंतर्गत किया जा रहा है। योजना परिसंपत्तियों के वर्गीकरण की 31 मार्च, 2020 तथा 31 मार्च, 2019 की सूचना भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई गई है।

घ) **बीमांकिक अनुमान**

रिपोर्टिंग तिथि को निम्नलिखित प्रमुख बीमांकिक अनुमान लगाए गए: रुपए लाख में

विवरण	31 मार्च, 2021 को स्थिति	31 मार्च, 2020 को स्थिति
छूट की दर	6.80%	6.80%
वेतन वृद्धि दर	8.00%	8.00%
सेवानिवृत्ति आयु (वर्ष)	60 वर्ष	60 वर्ष
दिव्यांगता के प्रावधान सहित मृत्यु दर	आईएएलएम (2012–14)	आईएएलएम (2012–14)
विड्रावल दर	3 प्रतिशत प्रतिवर्ष	3 प्रतिशत प्रतिवर्ष

नियोजन उपरांत लाभ के दायित्वों में कमी के लिए प्रयोग की दर का निर्धारण तुलन पत्र तिथि को सरकारी बांडों के बाजार लाभ के संदर्भ में किया गया है। सरकारी बांडों की निरंतरता तथा शर्तें नियोजन उपरांत दायित्वों की निरंतरता एवं अनुमानित स्थितियों के अनुरूप हैं। वेतन वृद्धि, मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति एवं अन्य आपूर्ति एवं रोजगार बाजार में मांग जैसे संबद्ध कारकों पर निर्भर करती है।

ङ) **संवेदी विश्लेषण**

परिभाषित हितलाभ दायित्वों के निर्धारण के लिए लगाए गए महत्वपूर्ण बीमांकिक पूर्वानुमान दरों में कमी एवं संभावित वेतन वृद्धि से संबंधित हैं। नीचे दिए गए संवेदी विश्लेषण का निर्धारण अन्य सभी पूर्वानुमानों को स्थिर रखते हुए रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उत्पन्न होने वाले पूर्वानुमानों में औचित्यपरक संभावित बदलाव लाने के आधार पर किया गया है:–

रुपए लाख में

विवरण	वृद्धि	कमी
31 मार्च, 2021 को स्थिति		
छूट की दर (.50 प्रतिशत संचलन)	(68.00)	73.49
वेतन बढ़ोतरी दर (.50 प्रतिशत संचलन)	19.56	(20.97)
31 मार्च, 2020 को स्थिति		
छूट की दर (1 प्रतिशत संचलन)	(66.55)	72.16
वेतन बढ़ोतरी दर (1 प्रतिशत सचलन)	20.78	(22.97)

ऊपर प्रस्तुत संवेदी विश्लेषण से परिभाषित लाभ दायित्वों में वास्तविक बदलाव नहीं भी आ सकता है क्योंकि कुछ पूर्वानुमानों की सह:संबद्धता होने के कारण ऐसा प्रतीत नहीं होता कि ये पूर्वानुमान अन्यों से हटकर कुछ अलग प्रकार के होंगे।

इसके अलावा, उपर्युक्त संवेदी विश्लेषण प्रस्तुत करने के लिए प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत की प्रत्याशित यूनिट क्रेडिट विधि के उपयोग से परिभाषित हितलाभ के वर्तमान मूल्य का आकलन किया गया है, जो कि वही है, जो वित्तीय स्थिति के विवरणों में परिभाषित लाभ दायित्वों को लेखाबद्ध करने के लिए उपयोग में लाई गई है।

संवेदी विश्लेषणों को तैयार करने के लिए उपयोग में लाए गए पूर्वानुमानों की विधि एवं रीति पूर्वावधि में किए गए उपयोगों से भिन्न नहीं है।

च) **जोखिम विवरण**

अपनी परिभाषित हितलाभ योजनाओं के कारण, कंपनी के सम्मुख अनेकों जोखिम हैं, जिनमें से अधिक महत्वपूर्ण जोखिमों का विवरण नीचे दिया गया है:–

क) वेतन वृद्धि – वास्तविक वेतन वृद्धि से योजनागत देयताओं में बढ़ोतरी होगी। वेतन में वृद्धि से भावी मूल्यांकन की दर में बढ़ोतरी होने से देयताओं में भी बढ़ोतरी होगी।

ख) निवेश जोखिम – योजना में निधियन किए जाने की स्थिति में परिसंपत्तियों एवं देयताओं के मध्य अनुपयुक्तता होगी तथा परिसंपत्तियों पर वास्तविक निवेश प्रतिफल पूर्व मूल्यांकन तिथि को आंकी गई कटौती दर से भी कम होगा, जिससे देयताएं प्रभावित हो सकती हैं।

ग) छूट दरः अनुवर्ती मूल्यांकनों में कटौती दर में कमी लाने के परिणामस्वरूप योजनागत देयताओं में वृद्धि हो सकती है।

घ) मृत्यु एवं दिव्यांगता – किए गए आंकलन की तुलना में वास्तविक मृत्यु तथा दिव्यांगता के मामले कम अथवा अधिक मूल्यांकन किए जाने से देयताएं प्रभावित हो सकती हैं।

ङ) आहरण – आंकलित निकासी से अधिक अथवा कम वास्तविक आहरण तथा अनुवर्ती मूल्यांकन में आहरण की दरों में परिवर्तन आने से योजनागत देयताएं प्रभावित हो सकती हैं।

छ) उपदान लाभों के संबंध में प्रत्याशित परिपक्वता विश्लेषण निम्नानुसार हैः–

रुपए लाख में

परिभाषित हितलाभ भुगतान की अवधि	31 मार्च, 2021 को स्थिति	31 मार्च, 2020 को स्थिति
1 वर्ष से कम	78.78	48.57
1–2 वर्षों के बीच	50.60	58.94
2–5 वर्षों के बीच	147.01	138.12
5 वर्षों से अधिक	1,061.27	991.63
योग	**1,337.66**	**1,237.26**

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए रोजगार उपरांत हितलाभ योजनाओं में प्रत्याशित अंशदान 112.03 लाख रुपए है।

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में परिभाषित हितलाभ योजना दायित्वों की भारित औसत अवधि 12.80 वर्ष है (31 मार्च, 2020: 13.37 वर्ष)।

ज) प्रगति पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को अंतरित व्यय

लेखाबद्ध प्रावधानों में से 8.19 लाख रुपए (31 मार्च, 2020: 8.04 लाख रुपए) प्रगति पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड से निगमित अंशभाग के रूप में अंतरित हुए हैं तथा 87.70 लाख रुपये (31 मार्च, 2020: 91.79 लाख रुपए) प्रगति पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को अंतरित किए गए हैं।

ख. सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा योजना

कंपनी में सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा योजना (पीआरएमएफ) विधमान है, जिसके अंतर्गत सेवानिवृत्त कर्मचारी तथा उसके जीवन साथी को निर्धारित सीमाओं की शर्त पर कंपनी के अस्पताल/पैनलबद्ध अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाती है। वे कंपनी द्वारा निर्धारित की गई सीमा तक बाह्य रोगी के रूप में भी उपचार प्राप्त कर सकते हैं। यह सुविधा गैर निधियन है तथा इसकी देयताएं बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर लेखाबद्ध की जाती हैं।

बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर निम्नलिखित तालिका में अनुदान योजना की स्थिति एवं तुलन पत्र तिथि को कंपनी के वित्तीय विवरणों में लेखाबद्ध की गई राशियां दर्शाई गई हैं:

क) निवल परिभाषित हितलाभ (परिसंपत्ति)/देयता

रुपए लाख में

विवरण	31 मार्च, 2021 को स्थिति	31 मार्च, 2020 को स्थिति
गैर–चालू	1,734.55	1,185.43
चालू	7.46	3.37
योग	**1,742.01**	**1,188.80**

ख) निवल परिभाषित हितलाभों (परिसंपत्ति)/देयता में संचलन

रुपए लाख में

विवरण	परिभाषित हितलाभ दायित्व	
	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
प्रारंभिक शेष	**1,188.80**	**978.24**
लाभ अथवा हानि में शामिलः		
चालू सेवा लागत	109.27	77.96
ब्याज लागत/आय	80.84	74.93
लाभ अथवा हानि में लेखाबद्ध योग राशि	**190.11**	**152.89**
अन्य व्यापक आय में सम्मिलितः		
निम्नलिखित से उत्पन्न पुनःमापन हानि/(लाभ)(बीमांकिक हानि/(लाभ)):		
वित्तीय पूर्वानुमान		64.26
अनुभव समायोजन	363.11	(6.59)
अन्य व्यापक आय में लेखाबद्ध योग राशि	**363.11**	**57.67**
चुकता लाभ		
अंत शेष	**1,742.01**	**1,188.80**

ग) बीमांकिक पूर्वानुमान

रिपोर्टिंग तिथि को निम्नलिखित बीमांकिक पूर्वानुमान, महत्वपूर्ण थेः

विवरण	31 मार्च, 2021 को स्थिति	31 मार्च, 2020 को स्थिति
छूट की दर	6.80%	6.80%
मुआवजा स्तरों में वृद्धि दर	10.00%	10.00%
सेवा के दौरान मूल वेतन तथा ग्रेड वेतन में वृद्धि दर	4.00%	4.00%
ओपीडी व्ययों की वृद्धि दर	शून्य	शून्य
सेवानिवृत्ति आयु (वर्ष)	60 वर्ष	60 वर्ष
दिव्यांगता प्रावधान सहित मृत्यु दर	आईएएलएम का 100% (2012 - 14)	आईएएलएम का 100% (2012 - 14)
विड्रावल दर	3 प्रतिशत प्रतिवर्ष	3 प्रतिशत प्रतिवर्ष

नियोजन के पश्चात लाभ के दायित्वों में कमी के लिए प्रयोग की दर का निर्धारण तुलन पत्र तिथि को सरकारी बांडों के बाजार लाभ के संदर्भ में किया गया है। सरकारी बांडों की निरंतरता तथा शर्तें नियोजन उपरांत दायित्वों की निरंतरता एवं अनुमानित स्थितियों के अनुरूप हैं। वेतन वृद्धि, मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति एवं अन्य आपूर्ति एवं रोजगार बाजार में मांग, जैसे संबद्ध कारकों पर निर्भर करती है।

घ) संवेदी विश्लेषण

परिभाषित हितलाभ दायित्वों के निर्धारण के लिए लगाए गए महत्वपूर्ण बीमांकिक पूर्वानुमान दरों में कमी एवं संभावित वेतन वृद्धि से संबंधित हैं। नीचे दिए गए संवेदी विश्लेषण का निर्धारण अन्य सभी पूर्वानुमानों को स्थिर रखते हुए रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उत्पन्न होने वाले पूर्वानुमानों में औचित्यपरक संभावित बदलाव लाने के आधार पर किया गया हैः

रुपए लाख में

विवरण	वृद्धि	कमी
31 मार्च, 2021 को स्थिति		
छूट की दर (1 प्रतिशत संचलन)	(96.60)	94.35
चिकित्सा लागत दर (1 प्रतिशत संचलन)	94.20	(95.25)
31 मार्च, 2020 को स्थिति		
छूट की दर (1 प्रतिशत संचलन)	(71.56)	69.89
चिकित्सा लागत दर (1 प्रतिशत संचलन)	69.78	(70.56)

ऊपर प्रस्तुत संवेदी विश्लेषण से परिभाषित लाभ दायित्वों में वास्तविक बदलाव का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते हैं क्योंकि कुछ पूर्वानुमानों की सह–संबंद्धता होने के कारण ऐसा प्रतीत नहीं होता कि ये पूर्वानुमान अन्यों से हटकर कुछ अलग प्रकार के होंगे।

इसके अलावा, उपर्युक्त संवेदी विश्लेषण प्रस्तुत करने के लिए प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत की प्रत्याशित यूनिट क्रेडिट विधि के उपयोग से परिभाषित हितलाभ के वर्तमान मूल्य का आकलन किया गया है, जो कि वही है, जो वित्तीय स्थिति के विवरणों में परिभाषित हितलाभ दायित्वों को लेखाबद्ध करने के लिए उपयोग में लाई गई है।

संवेदी विश्लेषणों को तैयार करने के लिए उपयोग में लाए गए पूर्वानुमानों की विधि एवं रीति पूर्वावधि में किए गए उपयोगों से भिन्न नहीं है।

ङ) जोखिम विवरण

अपनी परिभाषित हितलाभ योजनाओं के कारण कंपनी के सम्मुख अनेकों जोखिम हैं, जिनमें से अधिक महत्वपूर्ण जोखिमों का विवरण नीचे दिया गया है:–

क) चिकित्सा लागत वृद्धि – प्रत्येक सेवानिवृत्त व्यक्ति की वास्तविक चिकित्सा लागत में वृद्धि होने के फलस्वरूप योजनागत देयता में वृद्धि होगी। प्रत्येक सेवानिवृत्त व्यक्ति की चिकित्सा लागत के भावी मूल्यांकनों में वृद्धि होने से देयता में वृद्धि होगी।

ख) निवेश जोखिम – योजना में निधियन किए जाने की स्थिति में परिसंपत्तियों एवं देयताओं के मध्य अनुपयुक्तता होगी तथा परिसंपत्तियों पर वास्तविक निवेश प्रतिफल पूर्व मूल्यांकन तिथि को आंकी गई कटौती दर से भी कम होगा, जिससे देयताएं प्रभावित हो सकती हैं।

ग) छूट दर – अनुवर्ती मूल्यांकनों में छूट दर में कमी लाने के परिणामस्वरूप योजनागत देयताओं में वृद्धि हो सकती है।

घ) मृत्यु एवं दिव्यांगता – किए गए आकलन की तुलना में वास्तविक, मृत्यु तथा दिव्यांगता के मामले कम अथवा अधिक होने से देयताएं प्रभावित हो सकती हैं।

ङ) आहरण – आकलित आहरण से अधिक अथवा कम वास्तविक आहरण तथा अनुवर्ती मूल्यांकन में आहरण की दरों में परिवर्तन आने से योजनागत देयताएं प्रभावित हो सकती हैं।

च) सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा हितलाभ की संभावित परिपक्वता का विश्लेषण निम्नानुसार हैं:

रुपए लाख में

विवरण	31 मार्च, 2021 को स्थिति	31 मार्च, 2020 को स्थिति
परिभाषित हितलाभ भुगतान की अवधि		
1 वर्ष से कम	7.46	3.37
1–2 वर्षों के बीच	7.16	3.34
2–5 वर्षों के बीच	22.42	10.48
5 वर्षों से अधिक	1,704.97	1171.60
योग	**1,742.01**	**1,188.79**

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए, रोजगार उपरांत हितलाभ योजनाओं में प्रत्याशित अंशदान 233.96 लाख रुपए हैं।

छ) प्रगति पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को अंतरित व्यय

लेखाबद्ध प्रावधानों में से, 145.83 लाख रुपए (31 मार्च,2020 118.64 लाख रूपए) पीपीसीएल को अंतरित किए गए और शून्य लाख रुपए (31 मार्च,2020 शून्य लाख रूपए) पीपीसीएल से अंतरित किए गए हैं।

(iii) अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी हितलाभ योजनाएं

क. प्रतिकारक अनुपस्थिति

कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों को अर्जित छुट्टी हितलाभ (प्रतिपूर्ति अनुपस्थितियों सहित) तथा अर्द्ध वेतन छुट्टी प्रदान की जाती है, जिनका वर्ष में क्रमशः 30 दिन तथा 20 दिन का उपचय होता है। अर्जित छुट्टियों का नकदीकरण सेवाकाल के दौरान नही किया जाता है तथा इसके संबंध में पूरे सेवाकाल में छुट्टी यात्रा रियायत के उपयोग के अधिकतम 60 दिनों के अर्जित छुट्टी नकदीकरण की अनुमति है। अर्द्ध–वेतन छुट्टियों का नकदीकरण 50 वर्ष की आयु के पश्चात केवल सेवा त्याग की स्थिति में ही दिया जाता है। सेवानिवृत्ति के समय छुट्टियों का नकदीकरण अधिकतम 300 दिन (अर्थात अर्जित छुट्टी एवं अर्द्ध वेतन छुट्टी मिलाकर) तक प्रतिबंधित किया गया है तथा इसके लिए अर्द्ध–वेतन छुट्टी के परिवर्तन की अनुमति नहीं है। यह योजना गैर निधियन है तथा इसकी देयता की स्वीकृति बीमांकक मूल्यांकन के आधार पर की गई है। चूंकि प्रतिपूर्ति अनुपस्थितियां कर्मचारी द्वारा संबंद्ध सेवा दिए जाने की अवधि की समाप्ति के पश्चात की बारह माह की अवधि के दायरे में पूरी तरह से नहीं आती हैं तथा नियत तिथि के बाद 12 महीने में इनका उपयोग किए जाने की संभावना नहीं है। अतः इसके हितलाभों का वर्गीकरण दीर्घकालिक कर्मचारी हितलाभ के तौर पर किया गया है।

वर्ष के लिए, बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर 301.61 लाख रुपए (31 मार्च, 2020: 494.47 लाख रुपए) के स्वीकृत प्रावधानों में से, 30.71 लाख रूपए (31 मार्च, 2020 : 20.97 लाख रूपए) पीपीसीएल द्वारा कॉर्पोरेट अंशभाग के रूप में शेयर किए गए हैं, 1.98 लाख (31 मार्च, 2020 : 1.88 लाख रूपए) प्रतिनियुक्ति पर संबंधित कम्पनियों में भेजे गए कर्मचारियों के लिए अंतरित किए गए हैं तथा 255.04 लाख रूपए (31 मार्च, 2020 : 354.80 लाख रूपए) पीपीसीएल को अंतरित किए गए हैं।

ख. छुट्टी यात्रा रियायत

कंपनी की नीति के अनुसार, प्रत्येक कर्मचारी अपने परिवार के सदस्यों के साथ छुट्टी यात्रा रियायत प्राप्त करने का पात्र है:–

क) दो वर्षों के ब्लॉक में गृह नगर के लिए एक तथा चार वर्ष के ब्लॉक में भारत में कहीं भी यात्रा के लिए एक छुट्टी यात्रा रियायत अथवा

ख) चार वर्ष के ब्लॉक में दो गृह नगर छुट्टी यात्रा रियायत।

इसके अलावा, छुट्टी यात्रा रियायत/गृह नगर छुट्टी यात्रा रियायत का उपयोग विस्तारित अवधियों अथवा ब्लॉक वर्ष के अंत के एक वर्ष के बाद भी किया जा सकता है।

यह योजना गैर–निधियन है तथा इसकी देयता को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर लेखाबद्ध किया गया है। वर्ष के अंत में बीमांकिक आधार पर 28.91 लाख रुपए (31 मार्च, 2020: (–) 2.45 लाख रुपए) के प्रावधान किए गए हैं तथा इन्हें लाभ एवं हानि विवरण में नामे किया गया है। स्वीकृत प्रावधानों में से शून्य लाख रुपए (31 मार्च, 2020: शून्य लाख रुपए) प्रगति पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को निगमित अंशभाग के रूप में, 5.96 लाख रुपए (31 मार्च, 2020 : 0.03 लाख रुपए) प्रतिनियुक्ति / डायवर्टिड आधार पर संबंधित कंपनियों में तैनात किए गए कर्मचारियों के लिए अंतरित किए गए हैं तथा 8.01 लाख रुपए (31 मार्च, 2020: 4.19 लाख रूपए पीपीसीएल से अंतरित किए गए हैं।

(iv) सेवांत हितलाभ

कंपनी एसवीआरएस के विकल्प का चयन करने वाले अपने कर्मचारियों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने तक पेंशन का भुगतान करती है। एसवीआरएस के विकल्प का चयन करने वाले कर्मचारी की मृत्यु होने की स्थिति में उसके नामिति को पेंशन का भुगतान नहीं किया जाता है। यह योजना गैर निधियन है तथा इसकी देयताओं को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है। वर्ष के दौरान बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर 2.82 लाख रुपए (31 मार्च, 2020: 19.83 लाख रुपए) के प्रावधान किए गए हैं तथा इन्हें लाभ एवं हानि विवरण में नामे किया गया है।

II. परिसमापन से पूर्व नियोजित कर्मचारी (दिल्ली विद्युत बोर्ड के कर्मचारी)

परिसमापन से पूर्व नियोजित कर्मचारियों के नियुक्ति उपरांत हितलाभों का भुगतान कंपनी द्वारा परिभाषित मासिक अंशदान के रूप में पेंशन ट्रस्ट को किया जाता है तथा इसे लाभ एवं हानि विवरण में नामे में दर्शाया जाता है।31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए 2507.93 लाख रुपए (31 मार्च, 2020: 237.01 लाख रुपए) पेंशन ट्रस्ट को चुकता किए गए हैं/देय हैं तथा इन्हें कर्मचारी हितलाभ व्यय के रूप में प्रभारित किया गया है।

38. प्रति शेयर आय

रुपए लाख में

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
इक्विटी शेयरधारकों से संबद्ध लाभ (क)		
विनियामक आस्थगित खाता शेषों सहित प्रचालनों से	12,648.90	19,092.83
विनियामक आस्थगित खाता शेषों से	-	-
विनियामक आस्थगित खाता शेषों के अलावा प्रचालनों से	12,648.90	19,092.83
इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या		
जारी इक्विटी शेयरों का प्रारंभिक शेष	736,540,000	736,540,000
वर्ष के दौरान जारी शेयरों का प्रभाव,यदि कोई हों,	-	-
इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (ख)	**736,540,000**	**736,540,000**
प्रति शेयर आय (मूल एवं डाइल्यूटिड) (क/ख)	**-**	**-**
विनियामक आस्थगित खाता शेषों सहित प्रचालनों से	**1.72**	**2.59**
विनियामक आस्थगित खाता शेषों से	**-**	**-**
विनियामक आस्थगित खाता शेषों को हटाकर प्रचालनों से	**1.72**	**2.59**
प्रति शेयर नाममात्र मूल्य	10.00	10.00

39. पट्टेदार के रूप में पट्टा

क) कंपनी ने कार्यालय उपयोग के लिए कार्यालय उपकरणों एवं अन्य उपकरणों को पट्टे पर प्राप्त किया है। ये पट्टे अल्पकालिक प्रकार के हैं क्योंकि ये 12 माह अथवा कम अवधि के हैं। ये पट्टा व्यवस्थाएं परस्पर सहमति से नवीकृत हो सकती हैं परन्तु इन्हें रद्द नहीं किया जा सकता है। इन पट्टों के संबंध में लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित व्यय 9 लाख रूपए है। रिपोर्टिंग अवधि के दौरान इन पट्टों कुल नकदी बहिर्प्रवाह की राशि 9.75 लाख रूपए है।

40. व्यापार/अन्य देयताओं तथा ऋणों एवं अग्रिमों के संबंध में लेखांकन मानक 505 (संशोधित) 'बाह्य पुष्टिकरण' में निर्दिष्ट नकारात्मक टिप्पणी के साथ शेष पुष्टि पत्र पार्टियों को भिजवा दिए गए हैं। ऐसे कुछ शेषों की पुष्टि/समाधान के अधीन है। इनकी पुष्टि/समाधान होने पर लेखों में इनका समायोजन, यदि कोई हुआ, कर लिया जाएगा, जिससे प्रबंधन के मतानुसार किसी प्रकार विशेष प्रभाव नहीं होगा।

41. प्रबंधन के मतानुसार संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरणों के अलावा अन्य परिसंपत्तियों के मूल्यों की सामान्य व्यवसाय प्रक्रिया के अंतर्गत प्राप्ति उन मूल्यों से कम नहीं होगी, जिन मूल्यों का उल्लेख तुलन पत्र में किया गया है।

42. भारतीय लेखांकन मानक 36 की अपेक्षाओं के अनुसार, परिसंपत्तियों की क्षति का मूल्यांकन किया गया था तथा इस मूल्यांकन के आधार पर प्रबंधन का यह मत है कि परिसंपत्तियों की क्षति का कोई भी मामला नहीं है।

43. कंपनी के जीटीपीएस संयंत्र को वर्ष 2012–13 से 2014–15 के लिए परर्फोम, एचिव एंड ट्रेड (पीएटी) योजना के अंतर्गत अधिसूचित किया गया था जिसके अंतर्गत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा कुछ प्रचालनात्मक मानदंड निर्धारित किए गए थे। पीएटी क्रम–1 के लिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो से मान्यताप्राप्त ऊर्जा ऑडिटरों द्वारा एम एंड वी ऑडिट किया गया था। तदनुसार एम एंड वी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट बीईई द्वारा जीपीएस के लिए डिजीटल स्वरूप में` 8480 अंकों के साथ ईएस प्रमाणपत्र जारी किए थे। कंपनी ने ईएस प्रमाणपत्रों के 466 अंकों का ट्रेड किया है तथा वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान 466 प्रमाणपत्रों की बिक्री से प्राप्त 4.66 लाख रूपए की राशि की स्वीकृति विविध आय (अन्य आय) के रूप में की गई है। जीटीपीएस संयंत्र बीईई द्वारा गैस टर्बाइन संयंत्रों के संबंध में एम एंड वी ऑडिट की पीएटी के लिए निर्धारित थ्रेशहोल्ड पीएलएफ सीमा को प्राप्त नही कर पाया है।

तदनुसार, पीएटी क्रमः2 के लिए प्रमाणपत्रों की कोई न्यूनता / अधिशेष नहीं है, तथापि, पीएटी क्रम–1 के शेष 8014 ईएस प्रमाणपत्र (पीएटी क्रम–2 तक के लिए मान्य) वर्ष 2021 में ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध हैं।

44. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसरण में कंपनी द्वारा कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति का गठन किया गया है तथा कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति तैयार की गई है। कंपनी से पूर्ववर्ती 3 वित्त वर्षों के दौरान अर्जित निवल लाभों के औसत का कम से कम 2 प्रतिशत व्यय प्रत्येक वित्त वर्ष में करने की अपेक्षा की गई है। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति के अंतर्गत कंपनी से वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान 51.41 लाख रुपए (31 मार्च, 2020: शून्य रुपए) का व्यय कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व क्रियाकलापों के लिए किए जाने की अपेक्षा थी। कंपनी ने सितम्बर, 2021 में प्रधान मंत्री केयर निधि में योगदान देकर इस राशि का व्यय किया है।

	विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
(क)	वर्ष के दौरान कंपनी से व्यय के लिए अपेक्षित सकल राशि	51.41	
(ख)	31 मार्च,2021 को समाप्त वर्ष में व्यय की गई राशिः		
	(1) वर्ष में निर्मित / अधिग्रहित कोई परिसम्पति	-	-
	(2) उपर्युक्त (1) के अलावा अन्य किसी उद्देश्य से	-	-
(ग)	वर्ष के दौरान व्यय न की गई राशि	**51.41**	-

45. चालू वर्ष की प्रस्तुति में चालू वर्ष के वित्तीय विवरणों के साथ तुलनात्मक आंकड़ों का समायोजन तुलनात्मकता में संवर्धन के लिए किया गया है।

46. संबंद्व पार्टी प्रकटीकरण

क) संबंद्व पार्टियों की सूचीः

i) प्रमुख प्रबंधन कार्मिकः

श्री सत्य गोयल *	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	(31 मार्च,2021 से)
सुश्री पदमिनी सिंगला *	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	(5 जुलाई, 2019 से 31 मार्च,2021 तक)
श्री मधुप व्यास *	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	(11.1.2019 से 5 जुलाई, 2019 तक)
श्री डी वर्मा *	निदेशक (मानव संसाधन)	(5 जुलाई, 2019 से 24 अप्रैल 2020 तक)
श्री मुकेश प्रसाद *	निदेशक (मानव संसाधन)	(25.9.2017 से 5 जुलाई, 2019 तक)
श्री रवि दधिच *	निदेशक (मानव संसाधन)	(24 अप्रैल 2020 से 9 सितम्बर 2020 तक)
श्री जितेन्द्र कुमार जैन *	निदेशक (मानव संसाधन)	(9 सितम्बर 2020 से 28 जुलाई 2021 तक)

श्री एस एम वर्मा	निदेशक (तकनीकी)	(1 मई 2019 से)
श्री जगदीश कुमार	निदेशक (तकनीकी)	(30.4.2019 तक)
श्री रविन्द्र कुमार जैन	निदेशक (वित्त)	(5 जून 2017 से 31 मई 2021 तक)
श्री बी. एन. ओझा	निदेशक	(1 अक्तूबर 2009 से)
श्री तरूण चतुर्वेदी	निदेशक (स्वतंत्र)	(8 जून 2016 से 7 जून 2021 तक)
श्री रविन्द्र कुमार जैन	कंपनी सचिव	(3 जून 2003 से 31 मई 2021 तक)
श्री प्रशांत व्यास	मुख्य वित्त अधिकारी	(5 फरवरी 2019 से)

* पूर्णकालिक नहीं हैं और अतिरिक्त कार्यभार देख रहे हैं

ii) कंपनी की संबद्ध कंपनीः

अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (एपीसीपीएल)

iii) नियोजन उपरांत हितलाभ योजना :

इद्रप्रस्थ पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड कर्मचारी समूह उपदान निधि

डीवीबी कर्मचारी सेवांत हितलाभ निधि

iv) समान सरकार के नियंत्रणाधीन इकाइयांः

कंपनी का नियंत्रण, दिल्ली सरकार के अधीन है जिसके पास कंपनी के बहुसंख्यक शेयरों का धारण है। भारतीय लेखांकन मानक 24 के पैराग्राफ 25 तथा 26 के अनुसार, समान सरकार के नियंत्रण में आने वाली इकाइयां अथवा संयुक्त उद्यम अथवा महत्वपूर्ण प्रभाव होने की स्थिति में रिपेर्टिंग इकाई तथा इकाइयों को संबद्ध पार्टियां माना गया है। कंपनी द्वारा सरकारी संबद्ध इकाइयों के लिए उपलब्ध छूट के लिए आवेदन किया गया है तथा वित्तीय विवरणों में इसका सीमित प्रकटीकरण किया गया हैं। ऐसी इकाइयों, जिनके साथ कंपनी का महत्वपूर्ण लेन–देन होता है, में प्रगति पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड, दिल्ली पावर कंपनी लिमिटेड, बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड, बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद इत्यादि शामिल हैं, परन्तु ये इन्हीं तक सीमित नहीं है।

ख) प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों को मुआवजा

रुपए लाख में

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
अल्पकालिक हितलाभ	221.61	127.44
नियोजन उपरांत हितलाभ	2.06	2.77
अन्य दीर्घकालिक हितलाभ	40.38	6.98
योग मुआवजा	**264.05**	**137.19**

ग) संबद्ध पार्टियों से संव्यवहार निम्नानुसार हैः–

रुपए लाख में

	विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
i)	**संबद्ध कंपनी के साथ संव्यवहार**		
	अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड		
	प्राप्त लाभांश	17,500.00	7,341.32
ii)	**नियोजन उपरांत हितलाभ योजनाओं के लेन–देन**		
	आईपीजीसीएल कर्मचारी समूह उपदान निधि		
	वर्ष के दौरान किया गया अंशदान	80.29	210.32
	डीवीबी कर्मचारी सेवांत हितलाभ निधि		
	वर्ष के दौरान किया गया अंशदान	2,796.56	3,095.04

iii) सरकार तथा समान सरकार के नियंत्रणाधीन संबद्ध पार्टियों से संव्यवहार

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार	ऋण पर ब्याज	4,364.75	7,414.43
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार	सावधि ऋण का भुगतान	32,744.00	26,196.27
बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड	ऊर्जा की बिक्री	14,997.50	26,073.60
बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड	ऊर्जा की बिक्री	1,967.46	5,605.93
टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड	ऊर्जा की बिक्री	6,811.93	12,612.09
दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड	कर्मचारी लागत शेयरिंग	85.92	(62.96)
दिल्ली पावर कंपनी लिमिटेड	ऋण पर चुकता ब्याज	-	3,023.32
दिल्ली पावर कंपनी लिमिटेड	छोड़ा गया ब्याज	-	621.09
प्रगति पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	निगमित व्यय शेयरिंग	481.93	537.53
प्रगति पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	अंतरित मालसूची (जीएसटी के बिना)	15.22	0.74
प्रगति पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	मालसूची प्राप्ति (जीएसटी के बिना)	-	0.24

घ) संबंद्ध पार्टियों से बकाया शेष निम्नानुसार है :

रुपए लाख में

विवरण	प्रकार	31 मार्च, 2021 को स्थिति	31 मार्च, 2020 को स्थिति
डीवीबी कर्मचारी सेवांत हितलाभ निधि	देय	269.16	2,917.58
डीवीबी कर्मचारी सेवांत हितलाभ निधि	प्राप्य	27.78	27.93

ङ) संबद्ध पार्टियों से संव्यवहार के नियम एवं शर्तें

– संबद्ध पार्टियों से संव्यवहार व्यावसायिक नियम एवं शर्तों और लागत दर लागत आधार पर किए जाते हैं।

– संबद्ध पार्टियों से/को उधार और ब्याज भुगतान से संबंधित शर्तों के लिए कृपया नोट संख्या 18 तथा 22 देखें।

– ऊर्जा की बिक्री और दी गई छूट(यदि कोई हो) का विनियमन और संव्यवहार डीईआरसी के विनियमों के अनुसार किया जाता है।

– निगमित व्ययों का शेयरिंग लागत आधार जमा लागू कर ऊर्जा संयंत्रों की संस्थापित क्षमता के अनुपात में है।

47. घटक रिपोर्टिंग

कंपनी के निदेशक मंडल का निर्धारण मुख्य प्रचालन निर्णय निर्धारक ('सीओडीएम') के रूप में किया गया है। मुख्य प्रचालन निर्णय निर्धारक के अनुसार रिपोर्टिंग किए जाने योग्य केवल एक ही घटक ("विद्युत का उत्पादन") है। इसके अलावा, कंपनी द्वारा अपने प्रचालन केवल एक ही भौगोलिक ब्लॉक भारत में किए जाते हैं। तद्नुसार वित्तीय विवरणों में ब्लॉक रिपोर्टिंग के संबंध में अलग से कोई प्रकटीकरण किया जाना अपेक्षित नहीं है।

कंपनी प्रकटीकरण

क) उत्पाद तथा सेवाओं से संबंधित सूचना

उत्पादों एवं सेवाओं से संबंधित सूचना के लिए कृपया नोट संख्या 27 देखें।

ख) भौगोलिक क्षेत्रों से संबंधित सूचना

कंपनी द्वारा की जाने वाली सम्पूर्ण बिक्री भारत में निवास करने वाले ग्राहकों को ही की जाती है। इसके अलावा, कंपनी की सभी गैर–चालू परिसंपत्तियां भारत में ही स्थित हैं।

ग) प्रमुख ग्राहकों के संबंध में सूचना (बाहरी ग्राहकों से)

कंपनी को 10 प्रतिशत अथवा अधिक राजस्व के भाग में अपने राजस्व की प्राप्ति निम्नलिखित ग्राहकों से होती है :–

रुपए लाख में

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड	14,997.50	26,073.60
बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड	1,967.46	5,605.93
टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड	6,811.93	12,612.09
नई दिल्ली नगरपालिका परिषद	(224.91)	-

48. भारतीय लेखांकन मानक 37 'प्रावधान, आकस्मिक दायित्व एवं आकस्मिक परिसंपत्तियां' के अंतर्गत प्रकटीकरण

क) वर्ष के दौरान प्रावधानों में संचलन

रुपए लाख में

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
वेतन संशोधन के लिए प्रावधान		
वर्ष के प्रारम्भ में वहन राशि	1,411.39	-
जोड़े : वर्ष के दौरान संवर्धन	-	1,411.39
घटाएं : वर्ष के दौरान रिवर्सल/ समायोजन	1,411.39	-
वर्ष के अंत में वहन राशि	**-**	**1,411.39**
अनुमोदन हेतु लंबित अवशिष्ट परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान		
वर्ष के प्रारम्भ में वहन राशि	17.51	4.20
जोड़े : वर्ष के दौरान संवर्धन		13.31
घटाएं : वर्ष के दौरान रिवर्सल/समायोजन	1.83	-
वर्ष के अंत में वहन राशि	**15.68**	**17.51**
संयंत्र एवं उपकरण संपत्ति में कमी के प्रावधान		
वर्ष के प्रारम्भ में वहन राशि	33.01	32.81
जोड़े : वर्ष के दौरान संवर्धन	10.52	0.20
घटाएं : वर्ष के दौरान रिवर्स/समायोजन		-
वर्ष के अंत में वहन राशि	**43.53**	**33.01**
एफबीटी की संदेहास्पद वसूली के प्रावधान		
वर्ष के प्रारम्भ में वहन राशि	**26.89**	**26.89**
जोड़े : वर्ष के दौरान संवर्धन	**-**	**-**
घटाएं : वर्ष के दौरान रिवर्सल/समायोजन	**-**	**-**
वर्ष के अंत में वहन राशि	**26.89**	**26.89**

ख) कंपनी के कर्मचारियों का वेतन संशोधन 1 जनवरी, 2016 से देय है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार द्वारा पावर सेक्टर के उद्यमों की विभिन्न श्रेणी के वेतनमानों तथा भत्तों/हितलाभों की समीक्षा करने और सुझाव देने के लिए वेतन संशोधन समिति गठित की गई है। अंतिम सिफारिशों को अभी निर्गत किया जाना है, वेतन संशोधन समिति की अनुशंसाओं के आधार पर अंतिम अनुशंसाएं जारी किए जाने तक, कर्मचारियों को अंतरिम सहायता प्रदान किए जाने की स्वीकृति निदेशक मंडल द्वारा दी गई है और इसलिए वर्ष 2018–19 के दौरान कोई प्रावधान नहीं किया गया, तथापि, इस संबंध में अंतिम सिफारिशों को निदेशक मंडल ने 03.09.2020 की अपनी बैठक में स्वीकृति दे दी है और परिणामस्वरूप 31 मार्च, 2020 तक की देयताओं के लिए 1411.39 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। तदनुसार, कर्मचारियों को बकाया एवं अन्य लाभों का भुगतान वित्तीय वर्ष 2020–21 में करके प्रावधान रिवर्स कर दिए गए थे।

ग) चालू अवधि के संबंध में किए गए प्रावधानों के अनुमान, पूर्व वर्षों के समान हैं। ऐसे प्रावधानों की स्वीकृति के लिए लगाए जाने वाले पूर्वानुमानों तथा अनुमानों का स्वरूप मात्रात्मक होता है तथा उनमें अगले वित्त वर्ष में बदलाव आ सकते हैं। ऐसे प्रावधानों को लेखाबद्ध करने के लिए लगाए जाने वाले पूर्वानुमानों तथा अनुमानों के संभावित प्रभाव का आकलन करना कंपनी के लिए व्यवहार्य नहीं है।

घ) आकस्मिक देयताओं के संबंध में प्रकटीकरण

रुपए लाख में

विवरण	31 मार्च, 2021 को स्थिति	31 मार्च, 2020 को स्थिति
कंपनी के विरूद्ध दावा, जो नामे के रूप में स्वीकृति नहीं	56,560.08	52,903.23
पूंजी व्यय के अलावा साख पत्र	530.00	1,130.00
अपील के कारण लेखे में व्यय के रूप में समायोजित न की गई विवादित आयकर देयता	563.05	75.04
लेखा बहियों में व्यय के रूप में समायोजित न की गई स्रोत पर कर कटौती मांग	7.99	3.73

49. हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड के पास कंपनी के आई.पी. स्टेशन, जो वित्त वर्ष 2009–10 के दौरान बंद कर दिया गया था, के 4 यूनिटों का एक तिहाई स्वामित्व था। हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड द्वारा अपने स्वामित्व के अंश भाग पर समानुपात में परिचालन एवं अनुरक्षण व्यय का पुनर्भुगतान किया जाना था। पूर्व में किए आंशिक पुनर्भुगतान के कारण हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड पर बड़ी राशि संचित (बकाया) हो गयी है। किए गए एक समझौते के अनुसार हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड द्वारा अपने भाग की देयताओं का भुगतान दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग के प्रशुल्क आदेशों के अनुसार संबंधित वर्षों से संबंधित निवल शेष, इक्विटी वापसी तथा मूल्यह्रास एवं ब्याज की देयताओं का भुगतान तय दरों पर कर दिया गया था। इसके अलावा, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड ने दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग द्वारा ट्रूइंग आदेश में किसी प्रकार का बदलाव किए जाने की स्थिति में भुगतान, यदि कोई हो, करने की सहमति प्रदान की गई थी। समझौते का कार्यान्वयन करके कंपनी द्वारा 2,866.81 लाख रुपए के प्राप्य शेष का प्रतिधारण किया गया तथा पूर्व एहतियात तथा दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग द्वारा आदेशों में किए जाने वाले बदलाव की संभावना के तौर पर 2,677 लाख रुपए के लिए पूर्व वर्षों के प्रावधान किए गए हैं।

दिल्ली विद्युत विनियामक प्राधिकरण ने दिनांक 31 जुलाई, 2013 के अपने आदेश के माध्यम से कंपनी को विभिन्न डिस्कॉम्स से 17,541.00 लाख रूपए की वसूली करने की अनुमति दी गई है जो कि इस शर्त के साथ है कि यह वसूली आईपी स्टेशन की सभी परिसम्पतियों के निपटान के पश्चात ही की जानी है। कंपनी ने डीईआरसी से उक्त राशि वसूली, आईपी स्टेशन की परिसम्पतियों की लिकिंग के बिना, किए जाने की अनुमति के लिए अनुरोध किया है। तथापि, आईपी स्टेशन की परिसम्पतियों का निपटान अब किया जा चुका है, अतः इसके कारण विद्युत अपीलिय ट्रिब्यूनल (एपीटीईएल) के सम्मुख अपील दायर की गई है तथा अपील का अभी निपटान नहीं हुआ है। दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग द्वारा अपने दिनांक 28 मार्च, 2018 के आदेश के माध्यम से कंपनी को आई.पी. स्टेशन के निपटान से लाभ के निवल मूल्य की 80 प्रतिशत वसूल करने की अनुमति प्रदान की है। इसके परिणामस्वरूप कंपनी द्वारा 3,462.82 लाख रुपए की मूल राशि तथा संबंधित तिथियों से उसके ब्याज की 5,539.30 लाख रुपए की राशि के बीजक जारी किए गए हैं। हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम द्वारा दावे की स्वीकृति किए जाने के पश्चात ब्याज को राजस्व के रूप लेखाबद्ध किया जाएगा। कंपनी को वर्ष के दौरान मूलधन एवं ब्याज के रूप में अधिकांश राशि प्राप्त हो गई है। अतः प्रावधानों का 2,266.60 लाख रुपये के प्रावधानों को प्रतिलेखन किया गया है और 2,343.54 लाख रुयये की ब्याज आय को इसकी प्राप्ति के रूप में लेखाबद्ध किया गया है।

50. कंपनी द्वारा उत्पादन की गई पावर का 50 प्रतिशत भाग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के 49 प्रतिशत इक्विटी भाग वाले डिस्कॉमों बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड तथा बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड को बेचा जाता है तथा वे क्रमशः सितम्बर, 2011 तथा जून, 2012 से दावों का अधिकांशतः निपटान नहीं कर रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार 135643.34 लाख रुपए (31 मार्च, 2020: 154120.92 लाख रुपए) की काफी विशाल बकाया देयताएं इन दोनों डिस्कॉमों पर बकाया पड़ी हुई हैं। इसके परिणामस्वरूप, अत्याधिक भारी वित्तीय संकट हुआ है, जिसके कारण अत्याधिक उधार और उस पर ब्याज की उत्पति हुई है। इसी के परिणामस्वरूप, कंपनी द्वारा मूलधन एवं ब्याज के पुनर्भुगतान के प्रति निरंतर चूक हो रही है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार तथा कंपनी के प्रायोजक, दिल्ली पावर कंपनी लिमिटेड से लिए गए ऋणों के लिए 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार मूलधन के प्रति संचित पुनर्भुगतान की चूक शून्य लाख रुपए (31 मार्च, 2020: 26936.00 लाख रुपए) तथा ब्याज (दंडस्वरूप ब्याज सहित) के रूप में 85802.73 लाख रुपए (31 मार्च, 2020: 81429.69 लाख रुपए) है। तथापि, कंपनी द्वारा अपने प्रचालन, कंपनी के प्रायोजकों के समर्थन से किए जा रहे हैं, जिन्होंने वित्तीय वर्ष 2018–19 के अंत तक 66,680 लाख रुपए का ऋण प्रदान किया है। इसके अलावा, ऊर्जा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार द्वारा वर्ष के दौरान इन डिस्कॉम को देय 31128.00 लाख रुपए (31 मार्च, 2020: 29112.00 लाख रुपए) का अनुदान कंपनी को अंतरित किया गया है। अंतरित की गई अनुदान की राशि का निवल 1322.00 लाख रूपए है जिसका वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान टीपीडीडीएल को पुनर्भुगतान किया गया है।

51. दिनांक 20 सितम्बर, 2013 को आयोजित निदेशक मंडल की बैठक में इद्रप्रस्थ पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड का विलय प्रगति पावर कारपोशन लिमिटेड में किए जाने का निर्णय लिया गया था, जिसके लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार द्वारा दिनांक 11 अगस्त, 2014 को अनुमोदन प्रदान कर दिया गया था। तदनुसार, दिनांक 26 सितम्बर, 2014 को एक असाधारण आम बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें शेयरधारकों द्वारा दिनांक 01 अप्रैल, 2014 से विलय की प्रभावी तिथि के साथ समामेलन की योजना को अनुमोदित किया गया था। अधिकांश ऋणदाताओं तथा लेनदारों ने भी समामेलन की योजना का अनुमोदन किया तथा कंपनी द्वारा विलय को प्रभावी किए जाने के उद्देश्य से कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के सम्मुख दिनांक 29 सितंबर 2014 को आवेदन/याचिका प्रस्तुत कर दी गई है।

याचिका की सुनवाई के दौरान, कर्मचारी यूनियनों/संघों द्वारा समामेलन के प्रति आपत्तियां व्यक्त की गई। कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अपने दिनांक 07 अक्तूबर, 2015 के आदेश में यह उल्लेख किया गया कि कंपनी द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदन पर आगे की कार्रवाई किया जाना तभी व्यवहार्य हो सकता है, जब प्रस्तावित योजना के प्रति पक्षकारों तथा भागीदारों के बीच, आवेदक कंपनियों तथा कामगारों की यूनियनों के बीच किसी प्रकार के पारस्परिक संवाद के माध्यम से अथवा इस मामले पर न्यायिक निर्णय के माध्यम से, और अधिक स्पष्टता एवं सहमति स्थापित नहीं हो जाती है। कंपनी द्वारा यूनियनों/संघों द्वारा उठाए गए इस मामले का निपटान अभी किया जाना है।

52. **बिक्री के लिए धारित परिसंपत्तियां**

स्टेशन से लाभार्थी डिस्कॉम ने इस आधार पर 31 मई, 2015 के बाद राजघाट पावर हाउस से ऊर्जा को शडयूल करने से इंकार कर दिया है कि स्टेशन के साथ किया गया बिजली खरीद समझौता अपनी 25 साल का काल पूरा होने के कारण समाप्त हो गया है। तदनुसार डीईआरसी ने केवल मई, 2015 तक

स्टेशन के लिए टैरिफ निर्धारित किए हैं। कंपनी ने डीईआरसी के आदेश के खिलाफ अपीलीय विद्युत अधिकरण (एपीटीईएल) में एक याचिका दायर की है और मई, 2017 तक पीपीए के वैध होने का दावा किया है।

दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) के दिनांक 31 दिसंबर, 2015 के आदेश के अनुसार 1 जनवरी, 2016 से राज्य लोड डिस्पैच सेंटर (एसएलडीसी) द्वारा आरपीएच हेतु अनुपलब्धता दी गई थी। डीपीसीसी ने 22 मार्च, 2016 के इसके पत्रांक के तहत निदेश जारी किए हैं कि आरपीएच बंद रहेगा क्योंकि यह 50 एमजी/एनएम3 के मामले में मानकों को पूरा करने में सक्षम नहीं है।

डिस्कॉम ने इस आधार पर जून 2015 से दिसंबर 2015 के दौरान आरपीएच के संबंध में प्रस्तुत बिलों को स्वीकार नहीं किया है कि पीपीए 31 मई, 2015 को समाप्त हो गया है। कंपनी ने वसूली की अनिश्चितता के कारण इस अवधि के लिए ऊर्जा की बिक्री की मद में राजस्व को लेखाबद्ध नहीं किया है। राजघाट पावर हास के संबंध में नेगेटिव शडयूलिंग को ऊर्जा की बिक्री में शामिल किया गया है क्योंकि यह एसएलडीसी द्वारा निर्गत क्षेत्रीय ऊर्जा लेखा का भाग है। हालांकि चालू वर्ष के दौरान, डीईआरसी ने दिनांक 10 दिसंबर, 2019 के अपने आदेश के तहत डिस्कॉम की याचिका के खिलाफ कंपनी के पक्ष में फैसला सुनाया है और इसलिए 9,994.74 लाख रुपये को राजस्व के रूप में माना गया है।

जीएनसीटीडी द्वारा 22 फरवरी, 2016 को आपीएच को बंद करने के लिए समिति का गठन किया गया था, जिसने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। बिजली विभाग, जीएनसीटीडी ने दिनांक 25 जुलाई, 2019 के अपने आदेश द्वारा राजघाट पावर स्टेशन को बंद करने के संबंध में कैबिनेट की मंजूरी की सूचना दी है और संयंत्र के निपटान के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने के लिए आईपीजीसीएल को अधिकृत किया था। इसके अलावा, जीएनसीटीडी के बिजली विभाग ने अपने पत्र के द्वारा स्वच्छ विद्युत के उत्पादन के लिए साइट पर सोलर पार्क की स्थापना और विकास करने की अनुमति प्रदान की है।

निदेशक मंडल ने 21 अगस्त, 2019 की अपनी बैठक में फैसला किया और राजघाट पावर हाउस को बंद करने और निपटान करने को स्वीकृति दी है। बोर्ड ने उपर्युक्त के संबंध में समयबद्ध तरीके से सभी आवश्यक कार्यवाही करने का निदेश दिया है।

31 मार्च, 2020 की सक्रिय चर्चाएं संलिप्तता से यह प्रतीत होता है कि कंपनी का प्रबंधन पावर हाउस की संपत्ति और उपकरण को बेचने के लिए प्रतिबद्ध है और बिक्री के लिए एक कार्यक्रम चल रहा है। कंपनी को आगामी 12 महीनों में नीलामी के माध्यम से संपत्तियों का निपटान होने की उम्मीद है। भारतीय लेखांकन मानक 105 ''बिक्री और निपटान परिचालनों के लिए रखी गई गैर–चालू संपत्तियां'' के अनुसार, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, जो पावर हाउस के भाग हैं, को ''बिक्री के लिए रखी गई गैर–चालू संपत्तियां'' के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इन संपत्तियों का मूल्यांकन उनकी वहन राशि पर किया गया है और इसका वसूली योग्य मूल्य वहन राशि से अधिक रहने की संभावना है। इस तरह के वर्गीकरण के कारण लाभ एवं हानि विवरण में लेखाबद्ध अपसामान्य क्षति/लाभ शून्य है।

निदेशक मंडल के संकल्प के अनुसार नीलामी के माध्यम से की जाएगी जो नियंत्रण कक्ष एवं भवन (सकल ब्लॉक 4.69 करोड़ तथा डब्ल्यूडी 0.47 करोड़) तथा 220/33 केवल स्विचयार्ड (सकल ब्लॉक–5.01 करोड़ तथा डब्ल्यूडीवी 0.50 करोड़) के अलावा होगी जिन्हें दिल्ली ट्रांसकों लिमिटेड को स्थानांतरित किया जाना है।

कंपनी ने दिल्ली उच्च न्यायालय में भूमि एवं विकास कार्यालय (एल एंड डीओ), शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार से 28.86 एकड़ भूमि, जहां राजघाट पावर हाउस स्थापित था, (भूमि का आबंटन एल एंड डीओ द्वारा किया गया था) के संबंध में प्राप्त बेदखली नोटिस (दिसम्बर 2018) के प्रति याचिका दायर की है तथा मामला दिल्ली उच्च न्यायालय में न्यायाधीन है।

कंपनी के पास प्रचालनों के दौरान उत्पादित अस्वीकृत कोयले की मालसूची है जिसे लेखों में दर्ज नहीं किया जा रहा है क्योंकि ऐसे कोयले का मूल्य सामग्रीगत नहीं है। तथापि पिछले कुछ वर्षों के दौरान निपटान नहीं होने के कारण यार्ड में ऐसा कोयल काफी मात्रा में जमा हो गया है, जिसका अभी निर्धारण किया जाना है। इसके निपटान के लिए कदम उठाए गए हैं मगर अभी ये फलीभूत नहीं हो पाए हैं।

कोयला मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 28.07.2020 के अपने पत्रांक द्वारा राजघाट पावर हाएस को निकटतम सीआईएल सहायक कंपनी से कोयले के विशिष्ट ग्रेड को लदान मूल्य पर केन्द्रीय/राज्य की बिजली उत्पादन कंपनियों को बेचने के लिए अधिकृत किया है, अतः निकटतम सीआईएल सहायक कंपनी से लदान मूल्य पर मूल्यांकित कोयला, लागत से अधिक है।

53. भारतीय लेखांकन मानक 114, 'विनियामक आस्थगित लेखा' के अनुसार प्रकटन

(i) दर विनियमित कार्यकलापों की प्रकृति

कंपनी मुख्यतः बिजली उत्पादन और बिक्री के कार्य करती है। उपभोक्ताओं को बेची गई बिजली के लिए कंपनी द्वारा लिए जाने वाले वाले प्रभार का निर्धारण, दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग करता है जिसने बिजली की बिक्री के प्रयोजनार्थ प्रशुल्क निर्धारण के लिए सिद्धांत और विधि पर व्यापक दिशानिर्देश जारी किए हैं।

ये प्रशुल्क, नियत रिटर्न के साथ स्वीकार्य लागत जैसे ब्याज, मूल्यह्रास, प्रचालन व अनुरक्षण व्यय आदि पर आधारित होता है। इस प्रकार के दर विनियमन को सेवा–लागत विनियम के रूप में जाना जाता है जिसमें कंपनी को माल या सेवा प्रदान करने की लागत और उस पर उचित रिटर्न वसूलने की अनुमति है।

कंपनी, भारतीय लेखांकन मानक 114, 'विनियामक आस्थगित लेखा' को लागू करने की पात्र है। मानक के अंतर्गत कंपनी को अपने विनियामक आस्थगित लेखा बकायों के लिए पूर्ववर्ती जीएएपी लेखांकन नीति जारी रखने की अनुमति है। इसलिए, कंपनी ने ऐसे बकायों के लिए पूर्ववर्ती जीएएपी लेखांकन नीति को अपनाया है।

(ii) स्वीकृति एवं मापन

डीईआरसी विनियमों में, सृजित आय पर वर्ष के दौरान अदा किए गए वास्तविक कर के आधार पर वित्त वर्ष के लिए प्रभावी कर दर पर इक्विटी पर रिटर्न का सकल करने की व्यवस्था है। कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणों ('आस्थगित कर देयता के लिए आस्थगित परिसंपत्ति' के रूप में निर्दिष्ट) में उपर्युक्त आस्थगित कर देयताओं (निवल) पर आस्थगित परिसंपत्ति को स्वीकृति प्रदान की है। 01 अप्रैल, 2014 से शुरु हुई अवधि के लिए आस्थगित कर देयता के लिए आस्थगित परिसंपत्ति को भावी वर्षों में रिवर्स कर दिया जाएगा जब संबंधित आस्थगित कर देयता, चालू कर का भाग बन जाएगी।

कंपनी, नोट संख्या 20 के तहत्, आस्थगित कर देयताओं (निवल) के हिस्से के रूप में, ऐसी आस्थगित कर देयता के लिए आस्थगित परिसंपत्ति को स्वीकृति प्रदान कर रही है। वर्ष के दौरान, भारत के सनदी लेखाकार संस्थान की विशेषज्ञ परामर्शी समिति (ईएसी) की राय के अनुरूप, इसे विनियामक आस्थगित लेखा डेबिट शेष के रूप में इसे पुनर्वर्गीकृत किया है।

तद्नुसार, 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष को शून्य लाख रुपये (31 मार्च, 2020: शून्य लाख रुपये का डेबिट बकाया) को 'विनियामक आस्थगित लेखा डेबिट शेष' के रूप में खाते में लिया गया है।

(iii) दर विनियमित परिसंपत्तियों की भावी वसूली से जुड़े जोखिम:

विनियमों में परिवर्तन के कारण विनियामक जोखिम एवं दर निर्धारण की उपयोज्यता की प्रस्तुति अथवा अनुमोदन जोखिम अथवा संभावित विनियामक कार्रवाईयों के संबंध में इकाईयों के मूल्यांकन से संबंधित जोखिम।

(iii) वहन राशियों का समाशोधन:

क) भावी अवधियों में लाभग्राहियों से/को अदा की जाने वाली विनियामक परिसंपत्ति/देयताओं को बही में स्वीकृति दी गई है, जो निम्नानुसार हैं :

रुपए लाख में

	विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
	प्रारंभिक शेष	-	-
	वर्ष के दौरान संवर्धन	-	-
	वर्ष के दौरान संग्रहीत/धनवापसी की राशि	-	-
	लाभ व हानि विवरण में स्वीकृत विनियामक आय/(व्यय)	-	-
	अन्य विस्तृत आय विवरण में स्वीकृत विनियामक आय/(व्यय)	-	-
	अंत शेष	-	-
ख)	विनियामक आस्थगित लेखा शेषों में निवल संचलन (1)	-	-
ग)	विनियामक आस्थगित लेखा शेषों में निवल संचलन पर कर (2)	-	-
घ)	वर्ष के दौरान लाभ व हानि विवरण में लेखाबद्ध योग राशि (1–2)	-	-

54. रोजगार के दौरान तथा सेवा समाप्ति के पश्चात कर्मचारियों के लाभों से संबंधित सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 ('संहिता') के लिए सितम्बर, 2020 में राष्ट्रपति अनुमोदन प्राप्त हो गया है। इस संहिता का प्रकाशन भारत के राजपत्र में किया जा चुका है। तथापि, इस संहिता के प्रवर्तन की तिथि की अधिसूचना अभी जारी नहीं हुई है। समूह द्वारा इस संहित के प्रवर्तन के पश्चात इस संहिता के प्रभावी होने से उत्पन्न होने वाली स्थिति का मूल्यांकन किया जाएगा।

55. कोविड–19 महामारी का प्रकोप

भारत सहित पूरी दुनिया में कोविड–19 महामारी के प्रकोप को देखते हुए कंपनी ने अपने व्यवसाय पर इसके संभावित प्रतिकूल प्रभावों एवं इससे जुड़े जोखिमों का प्रारंभिक मूल्यांकन किया है। कंपनी का मुख्य व्यवसाय बिजली का उत्पादन और बिक्री है, जो विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के अनुसार एक

अनिवार्य सेवा के अंतर्गत आती है। विभिन्न सुरक्षात्मक कदम उठाकर और अपने सभी हितधारकों की सुरक्षा के दृष्टिगत, कंपनी ने विद्युत उत्पादन के लिए अपनी विद्युत संयंत्रों की उपलब्धता सुनिश्चित की है और लॉकडाउन के दौरान विद्युत आपूर्ति को बाधित होने नहीं दिया है।

कंपनी का मानना है कि कोविड–19 की महामारी का प्रभाव अल्प समय तक रहेगा और इसका प्रभाव गोइंग कंसर्न के रूप में प्रचालन को जारी रखने की कंपनी क्षमता और इसकी देय देयताओं को पूरा करने की योग्यता पर नहीं पड़ेगा और इसमें कोई दीर्घकालिक और मध्यकालिक जोखिम नहीं होंगे। कोविड–19 की अनिश्चितता को देखते हुए इसके प्रभाव का निरंतर आकलन किया जा रहा है। कंपनी भावी आर्थिक दशाओं में किसी महत्वपूर्ण बदलाव पर निरंतर निगरानी बनाए रखेगी।

56. नई लेखांकन उद्घोषणाएं

कार्पोरेट कार्य मंत्रालय मौजूदा मानकों के लिए नए मानक और संशोधन अधिसूचित किए जाते है। रिपोर्टिंग अवधि को अथवा इसकी समाप्ति से ऐसी कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है जो 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी हो।

हमारी संलग्न समसंख्यक दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

कृते एएजेवी एंड एसोसिएट
सनदी लेखाकार

ह0/–
जितेन्द्र जिन्दल
साझेदार
सदस्यता संख्याः 093642
फर्म पंजीकरण संख्याः 007739एन
यूडीआईएनः 23093642BGXWSM1032

ह0/–
प्रशांत व्यास
वरिष्ठ प्रबंधक (वित्त)
एवं मुख्य वित्त अधिकारी

ह0/–
मुकेश कुमार शर्मा
निदेशक (तकनीकी)
डीआईएन – 08572379

ह0/–
अजीमुल हक
प्रबंध निदेशक
डीआईएन – 03578730

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 14 जनवरी, 2023

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट (संशोधित)

सेवा में,

सदस्यगण, इंद्रप्रस्थ पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड,
समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

अर्हक मत

हमने **इंद्रप्रस्थ पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड (कंपनी)** एवं इसकी सम्बद्ध कम्पनियों (सामूहिक रूप से 'समूह के नाम से संदर्भित) के संलग्न समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है जिसमें 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र, समेकित लाभ एवं हानि विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), एवं समेकित रोकड़ प्रवाह विवरण तथा समेकित इक्विटी परिवर्तन विवरण तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों एवं अन्य स्पष्टीकरण सूचना का सार शामिल है (एतद्पश्चात् " समेकित इंड एएस वित्तीय विवरण" के रूप में संदर्भित)।

हमारे मत एवं हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, हमारी रिपोर्ट के ***अर्हक मत के आधार वाले भाग में उल्लिखित मामलों के प्रभावों के अलावा,*** उपर्युक्त समेकित इंड एएस वित्तीय विवरण, कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) में अपेक्षित सूचना की प्रस्तुति अपेक्षाओं के अनुसार करते हैं तथा ये, 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष की स्थिति के अनुसार, समूह (कंपनी एवं इसकी सम्बद्ध कम्पनियां) के समेकित कार्यों एवं उनके समेकित लाभ अथवा हानि विवरण (अन्य व्यापक आय सहित वित्तीय निष्पादन, समेकित इक्विटी परिवर्तन एवं उनके समेकित रोकड़ प्रवाह विवरण की सत्य एवं स्वच्छ छवि की प्रस्तुति, भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप करते हैं।

अर्हक मत का आधार

कंपनी ने 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों में डिस्कॉम्स से प्राप्य व्यापार के संबंध में संभावित क्रेडिट हानियों के मूल्यांकन तथा प्रावधान (इंड एएस 109 : 'वित्तीय लिखत' की अपेक्षाओं से संबंधित नोट 34 क (1)) नहीं किए हैं तथा तदनुसार इससे होने वाले मौद्रिक प्रभाव ज्ञात कर पाना संभव नहीं है।

हमारे द्वारा की गई समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा, अधिनियम की धारा 143(10) में निर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों (''एसए'') के अनुसरण में गई है है। इन मानकों के अंतर्गत, हमारे उत्तरदायित्वों का विस्तृत विवरण, हमारी रिपोर्ट में *समेकित इंड एएस वित्तीय विवरण के खंड में वर्णित लेखापरीक्षकों के दायित्व* में किया गया है। कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम) के प्रावधानों तथा उनके अंतर्गत निर्मित नियमों के अंतर्गत, हमारे द्वारा की गयी समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा, हमारी लेखापरीक्षा से सम्बद्ध आचार संहिता अपेक्षाओं के साथ ही साथ इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंटस ऑफ इंडिया (''आईसीएआई'') द्वारा जारी आचार संहिता के अनुरूप की गई है, जिसके अंतर्गत हम कंपनी से स्वतंत्र हैं तथा हमने इन अपेक्षाओं तथा इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंटस ऑफ इंडिया (''आईसीएआई'') की आचार संहिता के उत्तरदायित्वों का पालन किया है। हमारा यह मानना है कि हमारे द्वारा एकत्र किए गए लेखापरीक्षा प्रमाण, हमारे मत की प्रस्तुति के आधार के लिए पर्याप्त एवं यथोचित हैं।

गोइंग कंसर्न खंड

गोइंग कंसर्न के लेखांकन का आधार

कंपनी के वित्तीय विवरणों का निर्माण लेखांकन के गोइंग कंसर्न के आधार के उपयोग से किया गया है। कंपनी का प्रबंधन कंपनी की गोइंग कंसर्न के रूप में जारी रहने का मूल्यांकन करने, जिसमें लेखांकन के गोइंग कंसर्न का उपयोग उचित होना अथवा उचित न होना भी शामिल है, के लिए उत्तरदायी है। लेखांकन के लिए गोइंग कंसर्न के आधार का उपयोग तभी यथोचित होता है, जब प्रबंधन की मंशा कंपनी का ऋणशोधन करने अथवा परिचालनों को बन्द करने की होती है अथवा ऐसा करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं होता है। प्रबंधन उस सामग्रीगत अनिश्चितता का प्रकटीकरण {वित्तीय विवरणों में} करने के प्रति भी उत्तरदायी है, जिसकी जानकारी प्रबंधन को है, जो ऐसी घटनाओं अथवा स्थितियों से संबंधित हैं, जिनके कारण कंपनी की गोइंग कंसर्न के रूप में जारी रहने की क्षमता के प्रति महत्वपूर्ण संदेह उत्पन्न हो सकता हो।

हमारी लेखापरीक्षा के अंतर्गत, हमने वित्तीय रिपोर्टिंग के फ्रेमवर्क की स्वीकार्यता के अनुसार वित्तीय विवरणों के निर्माण के लिए गोइंग कंसर्न को लेखांकन के आधार के रूप में प्रयोग करने की प्रबंधन की औचित्यपरकता के संबंध में भी निष्कर्ष तय किए हैं। हमने लेखापरीक्षा प्रमाण के आधार पर यह निष्कर्ष भी किया है कि क्या ऐसी घटनाओं अथवा स्थितियों से संबंधित ऐसी कोई सामग्रीगत अनिश्चितता व्याप्त है अथवा नहीं है, जिससे कंपनी की गोइंग कंसर्न के रूप में जारी रहने की क्षमता किसी महत्वपूर्ण संदेह के घेरे में आ सकती हो। हमारा मत लेखापरीक्षा की रिपोर्ट की तिथि तक हमारे पास उपलब्ध सूचना पर आधारित है। तथापि, भावी घटनाओं अथवा स्थितियों के कारण कंपनी की गोइंग कंसर्न के रूप में बने रहने की क्षमता समाप्त हो सकती है।

समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों एवं उससे संबंधित लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के अलावा अन्य सूचना

अपनी सम्बद्ध कंपनी का निदेशक मंडल अन्य सूचना के निर्माण के प्रति उत्तरदायी है। अन्य सूचना में निदेशक मंडल की रिपोर्ट एवं निदेशक मंडल की रिपोर्ट के अनुलग्नक शामिल हैं परन्तु इनमें समेकित इंड एएस वित्तीय विवरण एवं उनसे संबंधित हमारे लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट शामिल नहीं होती है। निदेशक मंडल की रिपोर्ट एवं निदेशक मंडल की रिपोर्ट के अनुलग्नक हमें इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि के पश्चात हमें उपलब्ध करवाए जाने संभावित हैं।

समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों से संबंधित हमारे मत में अन्य सूचना शामिल नहीं है तथा हम इसके संबंध में किसी आश्वासन रूपी निष्कर्ष की अभिव्यक्ति नहीं कर रहे हैं।

समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा से जुड़ा हमारा उत्तरदायित्व, इन्हें हमें उपलब्ध करवाए जाने पर, अन्य सूचना को पढ़ने तथा ऐसा करते हुए समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों अथवा लेखापरीक्षा की प्रक्रिया के दौरान, हमें प्राप्त जानकारियों अथवा अन्यथा रूप में सामग्रीगत स्वरूप में दुर्विवरण की प्रतित होने पर अन्य सूचना से उसकी तारतम्यता होने अथवा न होने पर विचार करना है। जहां तक सहायक कम्पनियों से संबंधित अन्य सूचना की सम्बद्धता है, उसकी जानकारी अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों से प्राप्त हुई है।

निदेशक मंडल की रिपोर्ट एवं उसके अनुलग्नकों के पठन के पश्चात यदि हमें सामग्रीगत दुर्विवरण प्रतीत होता है तो हमसे उसके तथ्य को रिपोर्ट संबंधित शासी अधिकारियों को करने तथा यथोचित कार्रवाई करने, यदि अपेक्षित है, की अपेक्षा की गई है।

समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों के संबंध में प्रबंधन के उत्तरदायित्व

कंपनी का निदेशक मंडल, अधिनियम की धारा 134(5) में निर्दिष्ट मामलों (वित्तीय स्थिति) के संबंध में सहायक कम्पनियों सहित कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन की सत्य एवं स्वच्छ छवि प्रस्तुत करने वाले समेकित लाभ अथवा हानि विवरण (अन्य व्यापक आय सहित वित्तीय निष्पादन), समेकित रोकड़ प्रवाह विवरण, तथा समेकित इक्विटी परिवर्तन इन स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित भारतीय लेखांकन मानकों सहित इंड एएस एवं भारत में सामान्यतः स्वीकृत/मान्य अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप करने के प्रति उत्तरदायी है। इस उत्तरदायित्व में, कंपनी की परिसम्पतियों की सुरक्षा तथा जालसाजियों एवं अन्य अनियमितताओं से उनके बचाव के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकार्डों का रखरखाव करना; उचित लेखांकन नीति का चयन एवं उपयोग करना; औचित्यपरक एवं विवेकसम्मत निर्णय निर्धारण करना एवं अनुमान लगाना; तथा सत्य एवं स्वच्छ प्रस्तुत करने वाले एवं प्रत्येक प्रकार सामग्रीगत मिथ्या विवरण, जालसाजी अथवा चूक के कारण, से मुक्त समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों का निर्माण करने एवं प्रस्तुत करना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अभिकल्प करने, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों, जो लेखांकन रिकार्डों की सटीकता एवं पूर्णत के लिए प्रभावी प्रक्रिया कर रहे है, का कार्यान्वयन एवं सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व भी शामिल हैं।

यदि प्रबंधन की मंशा परिचालनों को बन्द करने अथवा ऐसा करने के अलावा कोई अन्य विकल्प न होने के कारण कंपनी का ऋणशोधन करने की नहीं है तो प्रबंधन कंपनी के इन वित्तीय विवरणों के निर्माण के दौरान गोइंग कंसर्न के आधार पर कंपनी की क्षमता का मूल्यांकन करने, यथा लागू प्रकटीकरण करने, लेखांकन के आधार के लिए गोइंग कंसर्न से संबंधित मामलों एवं उनका उपयोग करने के प्रति उत्तरदायी है।

कंपनी का निदेशक कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी के प्रति भी उत्तरदायी है।

समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के संबंध में लेखापरीक्षकों के उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य, समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों को पूर्ण रूप से सामग्रीगत दुर्विवरण, जालसाजी अथवा चूक के कारण, से मुक्त रखे जाने का युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करके, अपने मत के समावेश के साथ लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करना है। युक्तिसंगत आश्वासन को आश्वासन का उच्चतर स्तर कहा जा सकता है परन्तु इसमें की गई लेखापरीक्षा के संबंध में यह गारंटी नहीं होती है कि एसए प्रक्रिया के अंतर्गत की जाने वाले लेखापरीक्षा से सामग्रीगत दुर्विवरण, यदि कोई हों, की प्राप्ति निश्चित तौर पर हो सकेगी। सामग्रीगत दुर्विवरण जालसाजी अथवा चूक के कारण हो सकता है अथवा इसे सामग्रीगत तभी माना जा सकता है, जब इनसे अलग–अलग अथवा समस्त रूप से इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोक्ता द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों पर किसी प्रकार का औचित्यपरक प्रभाव होने की संभावना की गई हो।

एसए के अंतर्गत की जाने वाली लेखापरीक्षा की पूरी प्रक्रिया के दौरान, हमें व्यावसायिक तौर पर संशयात्मक दृष्टिकोण से युक्त व्यावसायिक निर्धारण करने होते हैं। हमारे द्वारा भी निम्नलिखित प्रक्रियाएं भी की गई हैंः–

- समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों में सामग्रीगत दुर्विवरण के जोखिमों, जो चाहे जालसाजी अथवा चूक के कारण हों, का संज्ञान तथा मूल्यांकन करते हुए ऐसे जोखिमों के प्रति प्रतिक्रियात्मक लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के स्वरूप का निर्माण करके, अपने मत के आधार के लिए ऐसे लेखापरीक्षा प्रमाण की प्राप्ति करना, जो पर्याप्त एवं औचित्यपरक हों। किसी जालसाजी के कारण सामग्रीगत दुर्विवरण का संज्ञान न होने के जोखिम के परिणाम किसी चूक से उत्पन्न होने वाले जोखिमों से कहीं अधिक होते हैं क्योंकि जालसाजियां किसी साठ गांठ, धोखाधड़ी, साभिप्राय अकरण, मिथ्याकथन अथवा आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना किए जाने के कारण हो सकती हैं।

- परिस्थितियों के अनुकूल लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के निर्माण के लिए, लेखापरीक्षा से सम्बद्ध आंतरिक नियंत्रण को संज्ञान में लेना। अधिनियम की धारा 143(3)(1) के अंतर्गत, हम इस मत की अभिव्यक्ति करने के प्रति भी उत्तरदायी हैं कि क्या कंपनी द्वारा पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था स्थापित की गई है तथा क्या ऐसे नियंत्रणों की प्रचालनात्मक प्रभाव्यता है अथवा नहीं है।

- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की पर्याप्तता एवं प्रबंधन द्वारा लगाए गए लेखा अनुमानों की औचित्यपरकता तथा सम्बद्ध प्रकटनों का मूल्यांकन करना।

- प्रबंधन द्वारा लेखांकन के लिए उपयोग में लाए गए गोइंग कंसर्न के आधार तथा प्राप्त लेखापरीक्षा परिणामों के आधार की उपयुक्तता के संबंध में यह निश्चय करना कि क्या ऐसी स्थितियां अथवा परिस्थितियां हैं जिनसे यह तथ्यपरक अनिश्चितता होती हो तथा जिनसे कंपनी की गोइंग कंसर्न की क्षमता पर किसी प्रकार का संदेश होने की आशंका हुई हो। यदि ऐसी किसी प्रकार की तथ्यपरक अनिश्चितता को शामिल किया जाता है तो हम से अपनी लेखापरीक्षा से सम्बद्ध रिपोर्ट में प्रकटीकरणों की ओर ध्यान आकर्षित करवाए जाने अथवा ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त होने की स्थिति में अपना मत संशोधित करने की अपेक्षा की गई है। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित तिथि के दौरान प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा प्रमाणों पर आधारित है। तथापि, भावी स्थितियों अथवा परिस्थितियों के परिणाम कंपनी की प्रक्रियाओं को गोइंग कंसर्न के रूप में जारी न रखे जाने का कारण हो सकते हैं।

- प्रकटीकरणों सहित समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों की पूर्ण प्रस्तुति, संरचना एवं सार संक्षेप का मूल्यांकन करना तथा यह ज्ञात करना कि क्या इंड एएस वित्तीय विवरणों में लेन–देन संव्यवहार एवं स्थिति का विवरण उचित स्वरूप में दिया गया है अथवा नहीं।

वस्तुतः समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों में अलग–अलग अथवा सामुच्य स्वरूप में प्रस्तुत किए जाने वाले दुर्विवरणों की वस्तुपरकता की जटिलता कुछ इस प्रकार की होती है कि इनमें समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों का औचित्यपरक ज्ञान रखने वाले उपयोक्ता द्वारा लिए जाने वाले आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (1) अपने लेखापरीक्षा कार्य के कार्यक्षेत्र की योजना के निर्माण तथा अपने कार्य के परिणाम के मूल्यांकन, एवं (2) वित्तीय विवरणों में से संज्ञान में लिए गए दुर्विवरण के प्रभाव के मूल्यांकन के लिए तथ्यपरक प्रमात्रा के गुणात्मक कारकों को विचार में लेते हैं।

हम, अन्य मामलों के साथ–साथ शासन व्यवस्था की देखरेख करने वाले पदाधिकारियों को योजनाबद्ध कार्यक्षेत्र तथा लेखापरीक्षा की समय सारणी एवं लेखापरीक्षा के निष्कर्षों और साथ ही हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा के दौरान प्रकाश में आई आंतरिक नियंत्रण से जुड़ी खामियों के संबंध में जानकारी प्रदान करते हैं।

शासन व्यवस्था की देखरेख करने वाले पदाधिकारियों को स्वतंत्रता से सम्बद्ध आचार संहिता अपेक्षाओं तथा उन्हें हमारी लेखापरीक्षा स्वतंत्रता एवं उससे जुड़े सुरक्षा उपायों, जहां लागू हों, के प्रभाव के लिए प्रत्येक प्रकार की औचित्यपरक संबद्धता एवं अन्य मामलों की सम्बद्धता सूचित करने के लिए, हमने हमारे द्वारा समेकित विवरण भी दिया है।

मामले का प्रभाव

हम, स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में निम्नलिखित मामलों की ओर ध्यान आकर्षित कर रहे हैं:–

1 नोट 50: बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड, बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड से बिजली की बिक्री के लिए 1,35,643.34 लाख रुपए के व्यापार प्राप्यों की वसूली में देरी से वित्तीय संसाधन दबाव में आए हैं तथा इसके परिणामस्वरूप अत्यधिक ऋण एवं परिणामी ब्याज का भार पड़ा है। तथापि, उक्त नोट में उल्लिखित कारणों से प्रबंधन द्वारा लेखों का निर्माण 'गोइंग कंसर्न' के आधार पर किया गया है। इस मामले के संबंध में हमारा मत संशोधित नहीं है।

2. नोट 8 (क): साख पत्र का नवीकरण नहीं किया गया है, एस्क्रो खाते नहीं खोले गए हैं तथा विद्युत क्रय करार में डिस्कॉम की प्राप्तियों को दृष्टिबंधक किए जाने की व्यवस्था करार में नहीं की गई है। इस मामले के संबंध में मत संशोधित नहीं है।

3. नोट 11 (ग): आईपी स्टेशन की बिक्री की बकाया राशि के देर से भुगतान किए जाने से संबंधित जुर्माने एवं ब्याज की 225.66 लाख रुपए की वसूली एवं प्रावधान नहीं किए जाने का संबंधित मामला उच्च न्यायालय में न्यायाधीन है। इस मामले के संबंध में हमारा मत संशोधित नहीं है।

4. नोट 18 (ङ) एवं 22 (ख): राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) को 85,802.74 लाख रुपए के ब्याज एवं जुर्माना ब्याज के पुनर्भुगतान में चूक हुई है। हमारा मत इस मामले के संबंध में संशोधित नहीं है।

5. अधिनियम की धारा 149(4) तथा कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति एवं अर्हता) के नियम 4 के प्रावधानों के अनुसरण में कंपनी के निदेशक मंडल में कम से कम दो स्वतंत्र निदेशक होने अपेक्षित हैं। तथापि, वित्तीय वर्ष 2016–17 में केवल एक स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति की गई थी। हमारा मत इस मामले के संबंध में संशोधित नहीं है।

6. अधिनियम की धारा 177(2) के प्रावधानों के अनुसरण में कंपनी से वर्ष के दौरान अपनी लेखापरीक्षा समिति में बहुमत स्थापना के लिए कम से कम तीन स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किए जाने की अपेक्षा है। तथापि, वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा समिति में केवल एक स्वतंत्र निदेशक है। इस मामले के संबंध में हमारा मत संशोधित नहीं है तथा कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार कंपनी पर जुर्माना लग सकता है।

7. अधिनियम की धारा 137(1) के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी से वार्षिक आम सभा के आयोजन की तिथि से 30 दिन के भीतर कंपनी पंजीयक के सम्मुख अंगीकार न किए गए वित्तीय विवरण एवं उससे संबंधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट फाइल किए जाने की अपेक्षा है परन्तु कंपनी ने वार्षिक आम सभा में वित्तीय विवरणों को अंगीकार करने के आस्थगन के विचार से वित्तीय विवरणों को अंगीकार न किए जाने के कारण इन्हें फाइल नहीं किया है। इस मामले के संबंध में हमारा मत संशोधित नहीं है तथा कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार कंपनी पर जुर्माना लग सकता है।

8. नोट 52: दिनांक 25 जुलाई, 2019 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मंत्रिमंडल द्वारा राजघाट पावर हाउस को बंद किए जाने एवं राजघाट पावर हाउस संयंत्र का निपटान आगामी वर्षों में किए जाने के संबंध में लिए गए निर्णय के अनुसरण में राजघाट पावर हाउस से संबंधित लेखा बहियों के अनुसार गैर–चालू परिसम्पतियों (संपति, संयंत्र एवं उपकरण) में से डब्ल्यूडीवी में बिक्री के धारित गैर–चालू परिसम्पतियों में से 2398.91 लाख रुपए की राशि का अंतरण किया गया है। इन परिसम्पतियों का मूल्यन उचित मूल्य के स्थान पर सकल मूल्य के अनुसार किया गया है; अतः हम उचित मूल्यांकन रिपोर्ट उपलब्ध न होने के कारण बिक्री के लिए धारित परिसम्पतियों के अनुमानित प्राप्य मूल्य के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं कर पा रहे हैं। इस मामले के संबंध में हमारा मत संशोधित नहीं है।

9. डिस्कॉम के साथ शेष राशि समाधान किए जाने की शर्त पर है, डिस्कॉम से प्राप्त संयुक्त समाधान विवरण के अनुसार, आईपीजीसीएल बहियों और विभिन्न डिस्कॉम की बहियों में शेष राशि से संबंधित भिन्नताएं केवल एलपीएससी राशि का निपटान न किए जाने से संबंधित हैं। इस मामले के संबंध में हमारा मत संशोधित नहीं है।

10. नोट 27 (ख): डिस्कॉम द्वारा देयताओं के भुगतान में की जा रही निरंतर चूक तथा पूर्व व्यवहार के अनुसार इसकी प्राप्ति की अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए डिस्कॉम से वसूली योग्य ऊर्जा बिलों के देर से भुगतान पर अधिभार का लेखांकन केवल डिस्कॉम द्वारा कर प्राधिकरणों को जमा की गई स्रोत पर कर कटौती की राशि के लिए किया गया है। इसके परिणामस्वरूप, प्राप्यों पर परिणामी प्रभाव के साथ 43,573.80 लाख रुपए (31 मार्च 2020, 37,852.35 लाख रुपए) के राजस्व की स्वीकृति नहीं हुई है। इस मामले के संबंध में हमारा मत संशोधित नहीं है।

11. हम वित्तीय विवरण के नोट – 55 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं जिसमें कोविड–19 के बारे में व्याख्या की गई है, जिसके कारण सम्पूर्ण भारत में कंपनी के व्यापार परिचालन काफी अधिक बाधित हुए हैं तथा जिसके कारण लेखांकन एवं लेखापरीक्षा की जटिल चुनौतियां उत्पन्न हुई हैं। इस नोट के अनुसार कंपनी ने ऐसे संभावित प्रभावों पर विचार किया है जिनसे संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, मालसूची, प्राप्य एवं अन्य चालू परिसम्पतयों की वहन राशियां कोविड–19 महामारी से जुड़े परिणामों के कारण प्रभावित हो सकती हैं। इस महामारी के कारण उत्पन्न वैश्विक आर्थिक स्थितियों में संभावित भावी अनिश्चितता से संबंधित अनुमानों का निर्धारण करते समय, कंपनी ने, इन वित्तीय परिणामों के अनुमोदन की तिथि को कंपनी के संभावित भावी निष्पादन के लिए आंतरिक एवं बाह्य स्रोतों का उपयोग किया है। कंपनी को ऐसा प्रतीत हुआ है कि इन परिसम्पतियों की वहन राशियों की वसूली की जा सकेगा तथा कम से कम आगामी 12 माह तक व्यापार परिचालनों के पोषण के लिए पर्याप्त निधियां उपलब्ध हैं। इन वित्तीय परिणामों के अनुमोदन की तिथि के अनुसार लगाए गए अनुमानों की तुलना में कोविड–19 से उत्पन्न अनिश्चितता के कारण कंपनी की परिसम्पतियों पर होने वाला अंतिम प्रभाव भविष्य में भिन्न हो सकता है। हमारा मत इस मामले के संबंध में संशोधित नहीं है।

12. नोट : 13: चालू वित्त वर्ष में, निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 21.12.2022 को आयोजित अपनी 110वीं बैठक में कंपनी की ओर से वरिष्ठ कर परामर्शदाताओं एवं वरिष्ठ वकीलों से प्राप्त परामर्श को विचार में लेकर कंपनी ने कंपनी द्वारा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त की गई एलपीएससी की आय में टीडीसी क्रेडिट को आनुपातिक रूप में लिए जाने का निर्णय लिया गया है तथा एलपीससी के खाते में स्वीकृत आय के प्रति टीडीएस क्रेडिट के 90 प्रतिशत को उस वर्ष की कर देयता के प्रति दावा किए जाने के लिए स्थगित किया गया है जिस वर्ष में डिस्कॉम से कंपनी को उक्त आय की प्राप्ति हुई है। तदनुसार, एलपीएससी की प्राप्ति में समायोजित किए जाने के लिए 3252.83 लाख रुपए का आस्थगित कर क्रेडिट है जबकि कर के लिए किए गए प्रावधान के प्रति 361.42 लाख रुपए का समायोजन किया गया है।

कंपनी की संबद्ध कंपनी, अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड में

कंपनी की संबद्ध कंपनी, अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में सूचित किए गए मामले के प्रभाव नीचे पुनः प्रस्तुत किए जा रहे हैं:

हमने वित्तीय विवरणों के नोट में निम्नलिखित मामलों पर ध्यान आकर्षित किया है:–

क) संदर्भ नोट 28: ऊर्जा बिक्री में 125.22 लाख रूपए (पिछले वर्ष (–)2774.00 लाख रूपए) की राशि शामिल है जिसका लेखाकंन अस्थायी आधार पर केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग के प्रशुल्क विनियम के आधार पर किया गया है।

ख) संदर्भ नोट 9 – 41: 1,11,289.97 लाख रुपए (पिछले वर्ष 2,01,087.71 लाख रूपए) के व्यापार प्राप्यों मे बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड से प्राप्य 49,172.66 लाख रूपए शामिल हैं जो कंपनी ने ऋणशोधन योजना के अनुसार चुकता नहीं किए हैं तथा 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार 11,834 लाख रुपए अतिदेय हैं। इसके अलावा, व्यापार प्राप्यों में तेलांगणा राज्य से प्राप्य 3376 लाख रूपए भी शामिल हैं जिसमें से 50 लाख रूपए 5 से भी अधिक वर्ष से बकाया हैं, जो प्रबंधन के मतानुसार पूरी तरह से वसूली योग्य हैं तथा इनसे किसी प्रकार का सामग्रीगत प्रभाव नहीं है।

(ग) संदर्भ नोट 50(क): माल एवं सेवाओं से संबंधित व्यापार प्राप्य तथा कोयला कम्पनियों को दिए गए अग्रिम विक्रेताओं से समाधान/पुष्टि प्राप्त किए जाने की शर्त पर हैं, जिनके संबंध में प्रबंधन के मतानुसार किसी प्रकार का कोई सामग्रीगत प्रभाव नहीं है।

(घ) **कोरोना प्रसार :** कोरोना (कोविड 19) के प्रसार के परिणामस्वरूप लोगों के स्वास्थ्य एवं हमारे समाज तथा संगठनों के परिचालनात्मक एवं वित्तीय निष्पादन पर काफी प्रभाव हुए हैं। प्रतिदिन परिवर्तित होने वाली स्थितियों से अनिश्चितता व्याप्त हुई है। कंपनी ने भी इस

अनिश्चितता का सामना किया है तथा इससे संबंधित प्रकटीकरण इंड एएस वित्तीय परिणामों के नोट 53 में, संबंधित मूल्यांकन के साथ, किया गया है। हम इन प्रकटीकरणों की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं।

इन मामलों के संबंध में हमारा मत संशोधित नहीं है।

अन्य मामले

समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों में 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए विचार में लिया गया 14,835.18 लाख रुपये का संबद्ध कंपनियों, जिनके वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा हमारे द्वारा नहीं की गई है, का निवल लाभ अंशभाग शामिल है। जिन संबद्ध कंपनियों की लेखापरीक्षा हमारे द्वारा न की गई उन पर समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों में विचार किया गया है। इन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा की गई है तथा प्रबंधन द्वारा उनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है तथा समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों के संबंध में, जहां तक इनकी सम्बद्धता इसमें शामिल सम्बद्ध कम्पनियों से संबंधित राशियों एवं प्रकटीकरणों,तथा अधिनियम की धारा 143 की उप–धारा (3) तथा (11) के उपबंधों के अनुसार हमारी रिपोर्ट से है, वह पूरी तरह से अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों पर आधारित है।

समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों के संबंध में हमारा मत तथा अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं की नीचे प्रस्तुत हमारी रिपोर्ट ऊपर उल्लिखित मामले तथा अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा किए गए कार्य एवं उनकी रिपोर्ट की विश्वसनीयता एवं प्रबंधन द्वारा प्रमाणित वित्तीय विवरणों के अनुसार परिवर्तित नहीं किया गया है।

अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं की रिपोर्ट

1. भारत सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 143 की उप धारा (11) के उपबंधों के अनुसार जारी कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2016 ('आदेश') की अपेक्षाओं के अनुसार हमने '**अनुलग्नक क** में आदेश के पैराग्राफ 3 तथा 4 में विनिर्दिष्ट मामलों, यथालागू, से संबंधित विवरण की प्रस्तुति की है।

2. कंपनी अधिनियम की धारा 143(3) की अपेक्षानुसार, अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि :–

   (क) हमने वे सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, जिनकी आवश्यकता हमें हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार उपर्युक्त समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के प्रयोजन से थी।

   (ख) ऊपर अर्हक मत के आधार के पैराग्राफ में वर्णित मामलों के संभावित प्रभाव के अलावा, हमारे मतानुसार, उपर्युक्त समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों के निर्माण से संबंधित कानूनी अपेक्षाओं का अनुपालन लेखा बहियों के अनुरक्षण के लिए किया गया है, जो कि हमें इन लेखा बहियों एवं अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट हमारे द्वारा की गई जांच से प्रतीत हुआ है।

   (ग) इस रिपोर्ट में वर्णित समेकित तुलन पत्र, समेकित लाभ एवं हानि विवरण, समेकित रोकड़ प्रवाह विवरण तथा समेकित इक्विटी परिवर्तन विवरण समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों के निर्माण के उद्देश्य से अनुरक्षित सम्बद्ध लेखा बहियों के अनुरूप हैं।

   (घ) अर्हक मत के आधार के पैराग्राफ में वर्णित मामलों के संभावित प्रभाव के अलावा, हमारे मतानुसार उपर्युक्त समेकित इंड एएस वित्तीय विवरण कंपनी (लेखा) नियमावली के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 में निर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों के अनुसार हैं।

   (ड.) भारत सरकार द्वारा दिनांक 5 जून, 2015 को जारी अधिसूचना संख्या : जीएसआर–463 (ई) के अनुसरण में, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 की उप धारा (2) के उपबंध सरकारी कंपनियों के संबंध में लागू नहीं हैं।

   (च) कंपनी एवं इसकी सम्बद्ध कम्पनियों की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की प्रचालनात्मक प्रभाव्यता "**अनुलग्नक–ख**" में प्रस्तुत हमारी पृथक रिपोर्ट में दी गई है।

   (छ) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 11 के अनुसरण में, लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में हमारे मत और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार हम निम्नानुसार रिपोर्ट करते हैं :–

1. कंपनी ने समेकित वित्तीय विवरणों में लम्बित न्यायाधीन मामलों से अपनी वित्तीय स्थिति पर होने वाले प्रभाव का प्रकटीकरण कर दिया है (संदर्भ समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों का नोट संख्या 48 एवं 50)।
2. कंपनी के डेरियेटिव अनुबंधों सहित ऐसे कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं है, जिनसे भविष्य में किसी प्रकार की महत्वपूर्ण पूर्वानुमानित हानि होने की संभावना हो।
3. कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में अंतरण के लिए कोई राशियां नहीं हैं।

3. अधिनियम की धारा 143(5) की अपेक्षाओं के अनुसार हम भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निदेशों का विवरण **'अनुलग्नक ग'** में प्रस्तुत कर रहे हैं।

कृते एएजेवी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या : 007739एन

ह0/–
(जितेन्द्र जिन्दल)
साझेदार
सदस्यता संख्या : 093642
यूडीआईएन : 23093642बीजीएक्सडब्ल्यूएसएम1032

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 23.03.2023

31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक–क

(हमारी समतिथि की रिपोर्ट के अन्य विधिक व विनियामक अपेक्षाओं के भाग के पैराग्राफ 1 में संदर्भित)

1. स्थिर परिसंपत्तियों के संबंध में:

कंपनी द्वारा पूर्ण विवरण से युक्त उचित रिकॉर्ड का रखरखाव किया गया है, जिसमें स्थिर परिसम्पतियों का प्रमाणात्मक विवरण एवं उनकी स्थिति दर्शाई गई है।

हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार स्थिर परिसम्पतियों का भौतिक सत्यापन चालू वर्ष के अंत में सनदी लेखाकारों की एक फर्म द्वारा किया गया है जो कि हमारे मतानुसार कंपनी के आकार एवं इसकी परिसम्पतियों की स्थिति को विचार में लेते हुए औचित्यपरक है। इस भौतिक सत्यापन में किसी प्रकार की सामग्रीगत अनियमितता प्रकाश में नहीं आई है। तथापि, प्रत्येक श्रेणी की स्थिर परिसम्पतियों को कवर करने के सुनिश्चिय के लिए भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया को और अधिक सुदृढ़ बनाया जाना आवश्यक है।

हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों और हमारे द्वारा की गई कंपनी के रिकॉर्डों की जांच के आधार पर, कंपनी की स्थिर संपत्तियों को, दिल्ली विद्युत बोर्ड की समाप्ति के बाद, दिल्ली विद्युत अंतरण नियमावली के अंतर्गत दिल्ली विद्युत बोर्ड से अंतरित किया गया है। अंतरण की तिथि को, डीवीबी से अंतरित सभी स्थिर संपत्तियां ही कंपनी की संपत्तियां बन गई थी। तथापि, उपर्युक्त नियम के अनुसार, भूमि, इन नियमों के अंतर्गत अंतरित भूमि परिसंपत्तियों का भाग नहीं है। कंपनी इस भूमि का उपयोग सरकार की लाइसेंसी के रूप में कर सकती है तथा इस अवधि के दौरान कंपनी के पास बिजली उत्पादन के व्यवसाय के लिए स्वीकृति अथवा लाइसेंस अथवा प्राधिकार प्राप्त है।

हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार प्रबंधन द्वारा मालसूचियों का भौतिक सत्यापन कोविड–19 वैश्विक महामारी के परिणामस्वरूप सरकार द्वारा लगाई गई लॉक डाउन की स्थितियों के कारण उन तिथियों में किया गया है जो वित्तीय विवरणों से भिन्न हैं परन्तु यह वित्तीय परिणामों को अंगीकार किए जाने के उद्देश्य से आयोजित की जाने वाली निदेशक मंडल की बैठक के आयोजन की तिथि से पूर्व किया गया है। हमारी मतानुसार, भौतिक सत्यापन की आवृत्ति औचित्यपरक है तथा इस भौतिक सत्यापन के दौरान किसी प्रकार की सामग्रीगत विसंगति प्रकाश में नहीं आई है।

हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा हमारे द्वारा किए गए परीक्षणों, जो हमारे द्वारा आवश्यक समझे गए थे, के आधार पर, हम यह रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के अंतर्गत अनुरक्षित रजिस्टर के अनुसार कंपनियों, फर्मों, सीमित दायित्व साझेदारियों अथवा अन्य पार्टियों को किसी प्रकार का ऋण, प्रतिभूत या अप्रतिभूत, नहीं दयिा है। तदनुसार, उपर्युक्त आदेश के पैराग्राफ (3)(क),(ख) और (ग) के उपबंध कंपनी के संबंध में लागू नहीं हैं।

हमें प्रदान की गई सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने अपने किसी भी निदेशक अथवा किसी व्यक्ति को, जिसमें निदेशक का कोई हित है, किसी प्रकार का ऋण प्रदान नहीं किया है अथवा कोई गारंटी अथवा प्रतिभूति नहीं दी है। इसके अलावा, सरकारी कंपनी होने के नाते, सूचीबद्ध कंपनी के अलावा, कंपनी ने निवेश के लिए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से अनुमोदन प्राप्त किए हैं। तदनुसार, दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 कंपनी के संबंध में लागू नहीं है। इसके अलावा, हमें सूचित किया गया है कि कंपनी ने, कंपनी अधिनियम की धारा 186 के अंतर्गत किसी व्यक्ति अथवा निगमित निकाय को किसी प्रकार का ऋण, गारंटी अथवा किसी ऋण के संबंध में कोई प्रतिभूति नहीं दी है। तदनुसार, आदेश के पैराग्राफ 3(4) के उपबंध कंपनी पर लागू नहीं हैं।

हमारे मतानुसार तथा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने लेखापरीक्षा के लिए विचाराधीन वर्ष के दौरान कोई सार्वजनिक जमा स्वीकार नहीं किए हैं। तदनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देश एवं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 से 76 तथा अधिनियम के अन्य उपबंध तथा उनके अध्याधीन निर्मित नियम कंपनी पर लागू नहीं हैं।

हमने, केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट कंपनी अधिनियम की धारा 148 की उप–धारा (1) के अनुसरण में अनुरक्षित लागत रिकॉर्डों की विस्तृत समीक्षा की है तथा हमारा यह मानना है कि कि, प्रथम दृष्टया, निर्धारित लागत रिकॉर्डों का अनुरक्षण किया गया है। तथापि, हमने इनकी सटीकता अथवा पूर्णता होने अथवा न होने के निर्धारण के विचार से लागत रिकार्डों की विस्तृत जांच नहीं की है।

(क) कंपनी के रिकॉर्ड के अनुसार, केवल कुछ मामलों के अलावा, जिनमें भुगतान जमा करने में देरी हुई है, भविष्य निधि, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, मूल्य संवर्धन कर, उपकर एवं देय अन्य सांविधिक देयताओं सहित अविवादित सांविधिक देयताओं संबंधित प्राधिकरणों को कंपनी ने भुगतान नियमित रूप से किया है। हमें प्रदान की गई सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, 31 मार्च, 2021 की स्थिति को भविष्य निधि, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, मूल्य संवर्धित कर, उपकर तथा कंपनी द्वारा देय अन्य सांविधिक देयताओं सहित कोई भी अविवादित सांविधिक देयता, देय हो जाने की तिथि से छह माह से अधिक अवधि के लिए बकाया नहीं थी।

(ख) कंपनी के रिकॉर्ड के अनुसार, विवादित सांविधिक देयताएं जमा नहीं की गई हैं तथा उनसे संबंधित मामले अपीलीय प्राधिकरणों के सम्मुख न्यायाधीन हैं। लंबित मामलों की स्थिति नीचे प्रस्तुत हैः

सांविधिक व्यवस्था का नाम	सांविधिक देयताओं का स्वरूप	राशि (लाख रूपए में)	किस अवधि से राशि संबंधित है	फोरम का नाम जहां विवाद लंबित है
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	68.67	2006–07	आयकर अपीलीय अधिकरण, नई दिल्ली
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	12.55	2013–14	आयकर आयुक्त (अपील), नई दिल्ली
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	683.25	2017–18	आयकर आयुक्त (अपील), नई दिल्ली
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	708.10	2018–19	आयकर आयुक्त (अपील), नई दिल्ली

3. हमारे मतानुसार तथा हमें प्रदान की गई सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने किसी वित्तीय संस्थान अथवा बैंक को किसी ऋण अथवा उधारी की पुनः अदायगी में कोई चूक नहीं की है। कंपनी के कोई डिबेंचर धारक नहीं हैं। कंपनी ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को ऋण की पुनः अदायगी में चूक की है। 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार मूलधन और ब्याज की पुनः अदायगी की संचयी चूक की राशि 85,802.74 लाख रूपए है। इसका विवरण नीचे प्रस्तुत है :–

ऋणदाता	तुलन पत्र की तिथि के अनुसार मूलधन की चूक राशि (लाख रूपए में)	चूक की अवधि	तुलन पत्र की तिथि को ब्याज की चूक राशि (लाख रूपए में)	चूक की अवधि
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	शून्य	लागू नहीं	85,802.74 रूपए	2005–06 के पश्चात से

4. कंपनी ने वर्ष के दौरान इनिशियल पब्लिक ऑफर (आईपीओ) अथवा फर्दर पब्लिक ऑफर (एफपीओ) (ऋण लिखतों सहित) के माध्यम से धन की उत्पति नहीं की है। हमें प्रदान की गई सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, आवधिक ऋणों का मुख्यतः उपयोग उनकी प्राप्ति के उद्देश्यों से ही किया गया है।

5. प्रबंधन द्वारा हमें प्रदान की गई सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार एवं हमारी सर्वोत्तम जानकारी व विश्वास के अनुसार, हमारी लेखापरीक्षा के क्रम में कंपनी अथवा कंपनी के प्रति किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी द्वारा की गई कोई जालसाजी प्रकाश में नहीं आई है।

6. कार्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना संख्या जी.एस.आर 463 (ई) के अनुसार, प्रबंधकीय मानदेय से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197, एक सरकारी कंपनी होने के नाते, कंपनी के संबंध में लागू नहीं है।

7. यह कंपनी निधि कंपनी नहीं है, अतः आदेश के खंड 3(12) के उपबंध, कंपनी के संबंध में लागू नहीं हैं।

8. प्रबंधन द्वारा हमें प्रदान की गई सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, संबद्ध पक्षकार संव्यवहार, जहां लागू है, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 का अनुसरण करके किया गया है तथा लागू लेखांकन मानकों की अपेक्षाओं के अनुसार, समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों आदि में इनका प्रकटीकरण किया गया है।

9. प्रबंधन द्वारा हमें प्रदान की गई सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने विचाराधीन वर्ष के दौरान शेयरों अथवा परिवर्तनीय लाभांशों का वरीयता आबंटन अथवा निजी प्लेसमेंट नहीं किया है। कंपनी ने विचाराधीन वर्ष के दौरान शेयरों अथवा परिवर्तनीय लाभांशों का वरीयता आबंटन अथवा निजी प्लेसमेंट नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के पैराग्राफ (14) के उपबंध कंपनी के संबंध में लागू नहीं हैं।

10. प्रबंधन द्वारा हमें प्रदान की गई सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने अपने निदेशकों अथवा उनसे संबंधित व्यक्तियों के साथ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 192 में निर्दिष्ट किसी प्रकार के गैर–नकदी संव्यवहार नहीं किए हैं। तदनुसार आदेश के पैराग्राफ 3(15) के उपबंध कंपनी के संबंध में लागू नहीं हैं।

11. कंपनी से भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–आईए के अंतर्गत पंजीकरण करवाए जाने की अपेक्षा नहीं है। हैं।

कृते एएजेवी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या : 007739एन

ह0/–
(जितेन्द्र जिन्दल)
साझेदार
सदस्यता संख्या : 093642
यूडीआईएन : 23093642बीजीएक्सडब्ल्यूएसएम1032

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 23.03.2023

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक–ख

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 143 की उप धारा 3 के खंड (1) के अंतर्गत वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की रिपोर्ट।

हमने दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष की स्थिति के अनुसार **इंद्रप्रस्थ पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड** (एतद्द्वारा कंपनी के नाम से संदर्भित) एवं इसकी सम्बद्ध कम्पनियां, जो भारत में निगमित हैं, की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के साथ, सम तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी की समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के प्रति प्रबंधन के उत्तरदयित्व

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणो की लेखापरीक्षा के मार्गदर्शी नोट के अनुसार, कंपनी एवं इसकी सम्बद्ध कम्पनियों का निदेशक मंडल इसमें उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए, कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणो की स्थापना तथा अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदयित्वों में सम्बद्ध कंपनी की नीतियों के अनुपालन, इसकी परिसंपत्तियों की संरक्षा, जालसाजी और चूकों को संज्ञान में लेने, लेखांकन रिकार्डों की सटीकता एवं पूर्णता के साथ साथ कंपनी आधिनियम, 2013 के अंतर्गत की गई अपेक्षाओं के अनुसार विश्वसनीय वित्तीय सूचना का समय पर निर्माण करने सहित अपने व्यवसाय का सुव्यवस्थित एवं कुशल रूप में संचलन करने के सुनिश्चय के लिए प्रचालनात्मक प्रभाव्यता से युक्त, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता का निर्माण करने, कार्यान्वयन करने एवं अनुरक्षण करने के दायित्व शामिल हैं।

लेखापरीक्षकों का उत्तरदयित्व

हमारा उत्तरदयित्व, हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर, कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के संबंध में अपना मत व्यक्त करना है। हमने वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के मार्गदर्शी नोट तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) में विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षा के लिए लागू सीमा के अनुसार लेखापरीक्षा की है। इन मानकों तथा मार्गदर्शी नोट में हमसे नैतिक अपेक्षाओं का अनुसरण करते हुए, इस युक्तिसंगत आश्वासन की प्राप्ति के उद्देश्य से यह ज्ञात करने के लिए लेखापरीक्षा की जानी अनिवार्य की गई है कि क्या वित्तीय रिर्पोटिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किए गए हैं तथा इनका अनुरक्षण किया जा रहा है तथा क्या प्रत्येक वस्तुगत विषयों के लिए ऐसे नियंत्रण कारगर रूप से प्रचालन कर रहे हैं।

लेखापरीक्षा में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणो की पर्याप्तता और उनके प्रचालन की सटीकता एवं उनकी प्रचालनात्मक प्रभाव्यता के संबंध में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की निष्पादन प्रक्रियाएं शमिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा, सामग्रीगत दोष के रूप में विद्यमान जोखिम के मूल्यांकन तथा मूल्यांकित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के आभिकल्प और प्रचालन कुशलता का परीक्षण और मूल्यांकन किया जाना शामिल है। वित्तीय विवरणो के सामग्रीगत दुर्विवरण,जालसाजी या त्रुटि के कारण, के मूल्यांकन सहित प्रक्रियाओं का चयन लेखापरीक्षकों के विवेक पर निर्भर है।

हमारा ऐसा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के संबंध में हमारे द्वारा एवं नीचे अन्य मामले के पैराग्रापफ में संदर्भित अपनी रिपोर्टों के संबंध में अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य हमारे लेखापरीक्षा मत की प्रस्तुति के लिए पर्याप्त और उपयुक्त आधार हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणो का अभिप्राय

वित्तीय रिपोर्टिंग पर, कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की प्रक्रिया वित्तीय रिपोर्टिंग एवं सामान्य स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाह्य प्रयोजनों से वित्तीय विवरणों को तैयार करने की विश्वसनीयता के संबंध मे युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराने की अभिकल्पित प्रकिया है। कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मे वे नीतियां और प्रक्रियाएं शमिल है, जिनसे

(1) रिकॉर्डों के अनुरक्षण, युक्तिसंगत ब्यौरे, सटीकता तथा स्पष्टता के साथ कंपनी की परिसंपत्तियों के संव्यवहारों और निपटान प्रदर्शित होता हो;

(2) यह युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध होता हो कि सामान्य रुप से स्वीकृत लेखांकन नीति के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए यथा आवश्यक रुप से संव्यवहारों को रिकॉर्ड किया गया है और कंपनी की आय और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकार के अनुसार किया गया हैं; तथा

(3) कंपनी की परिसंपत्ति के अनाधिकृत आधिग्रहण, प्रयोग अथवा निपटान के निवारण और समय पर संसूचन के संबंध मे युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध प्राप्त होते हों तथा जो वित्तीय विवरणों को वास्तविक रुप से प्रभावित कर सकते हों ।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणो की अंतर्निहित परिसीमाएं

चूंकि वित्तीय रिपोर्टिंग पर, आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित परिसीमाओं में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की दुरभिसंधि अथवा अनुचित प्रबंधन करते हुए नियंत्रणों के अधिरोहण, चूक और जालसाजी के कारण वस्तुगत गलत बयानी, संभावनाएं शामिल हैं, जिनका संज्ञान नहीं भी हो सकता है। इसके अतिरिक्त, भावी अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणो के किसी मूल्यांकन का अनुमान इस जोखिम के मद्देनजर है कि आंतरिक रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों मे परिवर्तन के कारण अनुपयुक्त हो सकता है अथवा नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुपालन का स्तर खराब हो सकता है।

मत

हमारे मतानुसार, हमारी जानकारी एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी एवं इसकी सम्बद्ध कम्पनियां, जो भारत में निगमित हैं, में प्रत्येक सामग्रीगत दृष्टिकोण से वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण व्यवस्था स्थापित हैं तथा ये वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में ये वित्तीय नियंत्रण, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने के संबंध में जारी मार्गदर्शी नोट में उल्लिखित अनिवार्य घटको पर विचार करके कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिर्पोटिग मानदंडों के आधार पर 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार प्रभावी ढंग से कार्यशील थे।

लेखापरीक्षकों की समेकित रिपोर्ट का अनुलग्नक – ग

('अन्य विधिकि एवं विनियामक अपेक्षाओं' से संबंधित हमारी सम तिथि की रिपोर्ट के पैराग्राफ 3 में संदर्भित)

वर्ष 2020–21 के लिए निदेश

(1) क्या कंपनी में सूचना प्रौद्योगिकी व्यवस्था के माध्यम से सभी लेन देन व्यवहारों की प्रक्रिया किए जाने की व्यवस्था की गई है? यदि हां, तो सूचना प्रौद्योगिकी व्यवस्था से अलग किए जाने वाले लेखांकन व्यवहारों से लेखों की सत्यता पर होने वाले उलझाव तथा वित्तीय उलझाव, यदि कोई हो, का विवरण प्रस्तुत करें?	*जी, हां। कंपनी में सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन संव्यवहारों की प्रक्रिया के लिए एसएपी लेखांकन साफ्टवेयर के उपयोग से व्यवस्था स्थापित है।*
(2) क्या किसी ऋण की अदायगी न किए जाने की असमर्थता के कारण कंपनी के किसी ऋणदाता द्वारा कंपनी को किसी विद्यमान ऋण अथवा मामले में किसी कर्ज/ऋण/ब्याज इत्यादि के लिए छूट/बट्टा किए जाने का कोई मामला है? यदि हॉ, उससे हुए वित्तीय प्रभाव का विवरण प्रस्तुत करें।	*ऐसा कोई मामला नहीं है।*
(3) क्या केन्द्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त/प्राप्य निधियों का उचित लेखांकन/उपयोग उससे सम्बद्ध नियमों एवं शर्तों के अनुसार किया गया है। व्युतक्रम के मामलों की सूची प्रस्तुत करें।	*जी, हां। कंपनी ने नियम एवं शर्तों के अनुसार सही ढंग से निधियों का लेखांकन/उपयोग किया है।*

कृते एएजेवी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या : 007739एन

ह0/–
(जितेन्द्र जिन्दल)
साझेदार
सदस्यता संख्या : 093642
यूडीआईएन : 23093642बीजीएक्सडब्ल्यूएसएम1032

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 23.03.2023

इन्द्रप्रस्थ पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड
सीआईएनः U40103DL2001SGC111530
31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार समेकित तुलन पत्र

रुपए लाख में

विवरण	नोट संख्या	31.03.2021 की स्थिति	31.03.2020 की स्थिति
परिसंपत्तियां			
गैर चालू परिसंपत्तियां			
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	2	5,328.90	7,322.09
अमूर्त परिसंपत्तियां	3	-	-
वित्तीय परिसंपत्तियां			
संयुक्त उद्यम एवं संबंद्ध कंपनियों में निवेश	4	155,858.80	154,328.28
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	5	13.40	13.86
अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां	6	86.12	191.00
योग गैर चालू परिसंपत्तियां		**161,287.22**	**161,855.23**
चालू परिसंपत्तियां			
मालसूचियां	7	3,048.23	3,074.51
वित्तीय परिसंपत्तियां			
व्यापार प्राप्य	8	147,925.46	166,725.34
रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य	9	15,533.69	7,857.19
रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य के अलावा बैंक शेष	10	3,433.96	34.55
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	11	3,892.25	1,459.76
अन्य चालू परिसंपत्तियां	12	337.22	6,336.45
चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)	13	1,448.67	13,866.46
योग चालू परिसंपत्तियां		**175,619.48**	**199,354.26**
विनियामक आस्थगित खाता नामे शेष	14	**-**	**-**
बिक्री के लिए रखी गई गैर–चालू परिसंपत्तियां	15	2,412.65	2,412.65
योग परिसंपत्तियां		**339,319.35**	**363,622.14**
इक्विटी एवं देयताएं			
इक्विटी			
इक्विटी शेयर पूंजी	16	73,654.00	73,654.00
अन्य इक्विटी	17	156,646.87	142,593.95
योग इक्विटी		**230,300.87**	**216,247.95**
देयताएं			
गैर चालू देयताएं			
वित्तीय देयताएं			
ऋण	18	(0.00)	2,472.00
प्रावधान	19	4,688.60	3,971.16
आस्थगित कर देयताएं (निवल)	20	364.71	672.80
अन्य गैर चालू देयताएं	21	35.51	34.90
योग गैर चालू देयताएं		**5,088.82**	**7,150.86**

चालू देयताएं			
वित्तीय देयताएं			
ऋण	22	2.59	26,276.48
व्यापार देय	23		
–सूक्ष्म उद्यम व लघु उद्यमों को कुल बकाया देय		164.00	144.14
– सूक्ष्म उद्यम व लघु उद्यमों के अलावा ऋणदाता को कुल बकाया देय		12,727.05	19,016.58
अन्य वित्तीय देयताएं	24	90,164.27	89,914.63
अन्य चालू देयताएं	25	503.82	3,183.18
प्रावधान	19	322.90	1,639.62
योग चालू देयताएं		**103,884.63**	**140,174.63**
आस्थगित राजस्व	26	45.04	48.70
योग इक्विटी एवं देयताएं		**339,319.35**	**363,622.14**
महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	1		

संलग्न नोट संख्या 1 से 58 इन वित्तीय विवरणों का अभिन्न भाग है।

हमारी संलग्न समसंख्यक दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

कृते एएजेवी एंड एसोसिएट
सनदी लेखाकार

ह0/–
जितेन्द्र जिन्दल
साझेदार
सदस्यता संख्याः 093642
फर्म पंजीकरण संख्याः 007739एन
यूडीआईएनः 23093642BGXWSM1032

ह0/–
प्रशांत व्यास
वरिष्ठ प्रबंधक (वित्त)
एवं मुख्य वित्त अधिकारी

ह0/–
मुकेश कुमार शर्मा
निदेशक (तकनीकी)
डीआईएन – 08572379

ह0/–
अजीमुल हक
प्रबंध निदेशक
डीआईएन – 03578730

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 14 जनवरी, 2023

इन्द्रप्रस्थ पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड

सीआईएनः U40103DL2001SGC111530

31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार समेकित लाभ एवं हानि का विवरण

रुपए लाख में

विवरण	नोट संख्या	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए
आय			
प्रचालनों से राजस्व	27	27,565.50	57,053.23
अन्य आय	28	2,036.72	6,259.65
योग आय		**29,602.22**	**63,312.88**
व्यय			
ईंधन खपत की लागत	29	14,651.39	23,908.51
कर्मचारी हितलाभ व्यय	30	5,395.47	10,058.42
वित्त लागत	31	4,883.64	7,609.79
मूल्यह्रास व्यय	2	2,259.85	1,980.03
अन्य व्यय	32	4,449.02	5,045.96
योग व्यय		**31,639.37**	**48,602.71**
कर पूर्व लाभ/(हानि) और विनियामक आस्थगित खाता शेष		**(2,037.15)**	**14,710.17**
जोड़ेंः इक्विटी विधि (कर निवल) के उपयोग से लेखांकित सम्बद्ध एवं संयुक्त उद्यमों में निवेश के निवल लाभ /हानि का अंशभाग		**19,027.73**	**14,835.18**
		16,990.58	**29,545.35**
कर व्यय			
चालू कर		3,805.28	2,273.88
आस्थगित कर		(265.55)	684.78
पूर्व वर्ष कर		(725.78)	-
योग कर व्यय		**2,813.95**	**2,958.66**
वर्ष के लिए विनियामक आस्थगित खाता शेष से पूर्व लाभ/(हानि)		**14,176.63**	**26,586.69**
विनियामक आस्थगित खाता शेषों में संचलन			
–आस्थगित कर	55	**-**	**-**
विनियामक आस्थगित खाता शेषों में संचलन (कर निवल)		**-**	-
वर्ष के लिए लाभ/(हानि)		**14,176.63**	**26,586.69**
अन्य विस्तृत आय/(व्यय)			
लाभ एवं हानि में पुनः वर्गीकृत न की जाने वाली मदें (कर निवल)			
–परिभाषित हितलाभ योजनाओं पर गैर बीमांकिक लाभ/(हानियां)		(169.04)	(34.27)
–उक्त मद से संबद्ध आयकर		(42.54)	(11.98)
जोड़ेंः इक्विटी विधि (कर निवल) के उपयोग से लेखांकित सम्बद्ध एवं संयुक्त उद्यमों में अन्य व्यापक आय के निवेश से निवल लाभ /हानि का अंशभाग		2.79	8.06
अन्य विस्तृत आय/(व्यय)		**(123.71)**	**(14.23)**
वर्ष के लिए कुल विस्तृत आय/(व्यय)		**14,052.92**	**26,572.46**

प्रति इक्विटी शेयर आय (सममूल्य 10/– रुपए प्रत्येक)	38		
प्रति शेयर (रूप) मूल एवं डाइल्यूटिड आय (प्रचालनों से विनियामक आस्थगित खाता शेष सहित)		**1.92**	**3.61**
प्रति शेयर मूल एवं डाइल्यूटिड आय (प्रचालनों से विनियामक आस्थगित खाता शेष के अलावा)		**1.92**	**3.61**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	1		

संलग्न नोट संख्या 1 से 58 इन वित्तीय विवरणों का अभिन्न भाग है।

हमारी संलग्न समसंख्यक दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

कृते एएजेवी एंड एसोसिएट
सनदी लेखाकार

ह0/–
जितेन्द्र जिन्दल
साझेदार
सदस्यता संख्याः 093642
फर्म पंजीकरण संख्याः 007739एन
यूडीआईएनः 23093642BGXWSM1032

ह0/–
प्रशांत व्यास
वरिष्ठ प्रबंधक (वित्त)
एवं मुख्य वित्त अधिकारी

ह0/–
मुकेश कुमार शर्मा
निदेशक (तकनीकी)
डीआईएन – 08572379

ह0/–
अजीमुल हक
प्रबंध निदेशक
डीआईएन – 03578730

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 14 जनवरी, 2023

इन्द्रप्रस्थ पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड

सीआईएनः U40103DL2001SGC111530

31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार रोकड़ प्रवाह के समेकित विवरण

रुपए लाख में

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए
क. प्रचालन क्रियाकलापों से रोकड़ प्रवाह		
लाभ एवं हानि विवरण के अनुसार निवल लाभ/(हानि)	**(2,037.15)**	**14,710.17**
निम्नलिखित के लिए समायोजन		
मूल्यह्रास	**2,259.85**	**1,980.03**
ब्याज लागत	**4,883.64**	**7,609.79**
प्राप्त ब्याज आय	**(1,599.80)**	**(3,329.51)**
छोड़ा गया ब्याज	**-**	**(621.09)**
जमा पर उपार्जित ब्याज आय	**(1.80)**	**24.67**
अनुदान आय	**(3.66)**	**(3.66)**
प्रतिलेखित देयताएं/प्रावधान	**-**	**-**
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की स्वीकृति समाप्त करने से (लाभ)/हानि (निवल)	**9.87**	**545.32**
मालसूची के पुनर्मूल्यांकन से हानि	**(32.75)**	**18.00**
वर्ष के दौरान मालसूचियों के लिए निर्मित (प्रतिलेखित) प्रावधान	**(6.43)**	**(4.37)**
वर्ष के दौरान वित्तीय परिसंपत्तियों पर क्षति हानि (लाभ)	**3.57**	**(1,754.12)**
वर्ष के दौरान निर्मित सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण के लिए प्रावधान	**8.69**	**13.51**
कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पूर्व प्रचालनात्मक लाभ	**3,484.03**	**19,188.74**
निम्नलिखित के लिए समायोजन –		
मालसूची में (बढ़त)/घटत	**65.46**	**0.72**
व्यापार प्राप्य में (बढ़त)/घटत	**18,799.88**	**(893.44)**
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों में (बढ़त)/घटत	**(2,436.06)**	**10,665.42**
अन्य चालू परिसंपत्तियों में (बढ़त)/घटत	**5,999.23**	**3,034.42**
अन्य गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों में (बढ़त)/घटत	**0.46**	**(0.65)**
अन्य गैर–चालू परिसंपत्तियों में (बढ़त)/घटत	**39.92**	**17.38**
व्यापार देय में बढ़त/(घटत)	**(6,269.67)**	**(2,276.34)**
अन्य वित्तीय देयताओं में बढ़त/(घटत)	**156.90**	**(617.78)**
अन्य चालू देयताओं में बढ़त/(घटत)	**(2,679.36)**	**2,907.48**
प्रावधानों में बढ़त/(घटत)	**(777.01)**	**1,997.15**
अन्य गैर–चालू देयताओं में बढ़त/(घटत)	**0.61**	**13.54**
प्रचालनों से उत्पन्न रोकड़ प्रवाह	**16,384.38**	**34,036.64**
घटाएं : चुकता आयकर/(धनवापसी)	**(9,338.28)**	**2,892.57**
प्रचालनात्मक क्रियाकलापों से निवल रोकड़ प्रवाह/(बहिर्प्रवाह) {क}	**25,722.66**	**31,144.07**

ख. निवेश क्रियाकलापों से रोकड़ प्रवाह		
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरणों का कय	(214.19)	**(1,198.47)**
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरणों की बिक्री से आय	2.60	**125.10**
प्राप्त लाभांश	**17,500.00**	**7,341.32**
बैंक जमा में निवल निवेश/(शोधन)	**(3,397.61)**	**503.34**
प्राप्त ब्याज	**1,599.80**	**3,329.51**
निवेश क्रियाकलापों से निवल रोकड़ प्रवाह/बहिप्र्वाह (ख)	**15,490.61**	**10,100.80**
ग. वित्तीय क्रियाकलापों से रोकड़ प्रवाह		
गैर–चालू ऋणों से आय	-	-
गैर–चालू ऋणों से पुनर्भुगतान	**(6,744.00)**	**(4,794.52)**
अल्पकालिक ऋणों का निवल (भुगतान)/आय	**(26,273.89)**	**(25,481.33)**
चुकता ब्याज	**(518.89)**	**(3,193.66)**
वित्तीय क्रियाकलापों से निवल रोकड़ प्रवाह/बहिर्प्रवाह (ग)	**(33,536.78)**	**(33,469.51)**
रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य में निवल वृद्धि/(घटत) (क+ ख+ग)	**7,676.49**	**7,775.37**
वर्ष के प्रारम्भ में रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य	**7,857.19**	**81.82**
वर्ष के अंत में रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य	**15,533.68**	**7,857.19**

रोकड़ प्रवाह के विवरण पर टिप्पणी

क. रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्यों के घटक

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए
बैंकों में शेष		
चालू खाते	**53.17**	**171.73**
बैंकों में जमा	**15,480.00**	**7,685.01**
उपलब्ध चैक	-	-
उपलब्ध नकदी	-	-
उपलब्ध स्टैम्प्स	**0.52**	**0.45**
	15,533.69	**7,857.19**

ख. तुलन पत्र के अथशेष एवं अंतशेष में वित्तीय क्रियाकलापों से उत्पन्न देयताओं के मध्य समाशोधनः

विवरण	गैर–चालू ऋण	चालू ऋण
31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए		
01 अप्रैल, 2020 को शेष	**36,560.99**	**77,897.48**
ऋण प्राप्ति	**-**	**-**
ऋण पुनर्भुगतान	**(6,744.00)**	**(26,273.89)**
वर्ष के दौरान उपार्जित ब्याज	**1,163.93**	**3,200.82**
छोड़ा गया ब्याज	**-**	**-**
वर्ष के दौरान ब्याज भुगतान	**(0.00)**	**-**
31 मार्च, 2021 को शेष	**30,980.92**	**54,824.41**

विवरण	गैर–चालू ऋण	चालू ऋण
31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए		
01 अप्रैल, 2019 को शेष	**43,370.47**	**97,568.81**
ऋण प्राप्ति	**-**	**-**
ऋण पुनर्भुगतान	**(4,794.52)**	**(25,481.33)**
वर्ष के दौरान उपार्जित ब्याज	**1,629.45**	**5,810.00**
छोड़ा गया ब्याज	**(621.09)**	**-**
वर्ष के दौरान ब्याज भुगतान	**(3,023.32)**	**-**
31 मार्च, 2020 को शेष	**36,560.99**	**77,897.48**

ग. अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (कंपनी की संबंद्ध कंपनी) द्वारा वित्तीय वर्ष 20–21 के दौरान 17,500 लाख रूपए (वित्त वर्ष 19–20 में 7,341.32 लाख रुपए) का लाभांश घोषित किया था

घ. 31 मार्च, 2020 को प्राप्त न की गई ऋण सुविधा की राशि 8,997.41 लाख रुपये है (31 मार्च, 2019 को 12,723.52 लाख रुपये)।

ङ. चालू वर्ष के वित्तीय विवरणों के साथ तुलनात्मकता के संवर्धन के लिए चालू वर्ष के प्रस्तुतीकरण के अनुरूप, तुलनात्मक आंकड़ों का समायोजन किया गया है।

हमारी संलग्न समसंख्यक दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

कृते एएजेवी एंड एसोसिएट
सनदी लेखाकार

हृ0/–
जितेन्द्र जिन्दल
साझेदार
सदस्यता संख्याः 093642
फर्म पंजीकरण संख्याः 007739एन
यूडीआईएनः 23093642BGXWSM1032

हृ0/–
प्रशांत व्यास
वरिष्ठ प्रबंधक (वित्त)
एवं मुख्य वित्त अधिकारी

हृ0/–
मुकेश कुमार शर्मा
निदेशक (तकनीकी)
डीआईएन – 08572379

हृ0/–
अजीमुल हक
प्रबंध निदेशक
डीआईएन – 03578730

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 14 जनवरी, 2023

इन्द्रप्रस्थ पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड

सीआईएनः U40103DL2001SGC111530

31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार समेकित इक्विटी परिवर्तन विवरण

(क) इक्विटी शेयर पूंजी

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए (रुपए लाख में)

विवरण	शेयरों की संख्या	राशि
1 अप्रैल, 2020 को शेष	7,365.40	73,654.00
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-	-
31 मार्च, 2021 को शेष	**7,365.40**	**73,654.00**

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए (रुपए लाख में)

विवरण	शेयरों की संख्या	राशि
01 अप्रैल, 2019 को शेष	7,365.40	73,654.00
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-	-
31 मार्च, 2020 को शेष	**7,365.40**	**73,654.00**

(ख) अन्य इक्विटी

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए (रुपए लाख में)

विवरण	अन्य इक्विटी		योग
	सामान्य रिजर्व	धारित आय	
01 अप्रैल, 2020 को शेष	5,000.00	137,593.95	142,593.95
वर्ष के लिए लाभ	-	14,176.63	14,176.63
अन्य विस्तृत आय/(व्यय)	-	(123.71)	(123.71)
अनुदान में अंतरण*		-	-
31 मार्च, 2021 को शेष	**5,000.00**	**137,593.95**	**142,593.95**

* विवरण के लिए नोट 17 देखें।

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए (रुपए लाख में)

विवरण	अन्य इक्विटी		योग
	सामान्य रिजर्व	धारित आय	
01 अप्रैल, 2019 को शेष	5,000.00	111,021.49	116,021.49
वर्ष के लिए लाभ	-	26,586.69	26,586.69
अन्य विस्तृत आय/(व्यय)	-	(14.23)	(14.23)
अनुदान में अंतरण*	-	-	-
31 मार्च, 2020 को शेष	**5,000.00**	**137,593.95**	**142,593.95**

(ग) **संचित ओसीआई, कर निवल का विश्लेषण**

परिभाषित हितलाभ योजनाओं का पुनः मापन (रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021 की स्थिति	31 मार्च, 2020 की स्थिति
प्रारंभिक शेष	(143.05)	(128.82)
परिभाषित हितलाभ देयताओं का पुनः मापन	(123.71)	(14.23)
अंत शेष	**(266.76)**	**(143.05)**

हमारी संलग्न समसंख्यक दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

कृते एएजेवी एंड एसोसिएट
सनदी लेखाकार

ह0/–
जितेन्द्र जिन्दल
साझेदार
सदस्यता संख्याः 093642
फर्म पंजीकरण संख्याः 007739एन
यूडीआईएनः 23093642BGXWSM1032

ह0/–
प्रशांत व्यास
वरिष्ठ प्रबंधक (वित्त)
एवं मुख्य वित्त अधिकारी

ह0/–
मुकेश कुमार शर्मा
निदेशक (तकनीकी)
डीआईएन – 08572379

ह0/–
अजीमुल हक
प्रबंध निदेशक
डीआईएन – 03578730

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 14 जनवरी, 2023

इन्द्रप्रस्थ पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

1. **कंपनी विवरण तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां**

क. **रिपोर्टिंग इकाई**

इन्द्रप्रस्थ पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड ("कंपनी) भारत में स्थापित शेयरों द्वारा लिमिटेड एवं निगमित कंपनी है। इन्द्रप्रस्थ पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड (आईपीजीसीएल कंपनी) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार की सरकारी क्षेत्र की कंपनी है, जिसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार एवं दिल्ली पावर कंपनी लिमिटेड द्वारा प्रायोजित किया गया है तथा इसके 100 प्रतिशत शेयर भाग का स्वामित्व (सीआईएनः यू40103डीएल2004एसजीसी 111530) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के पास है। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय हिमाद्री, राजघाट पावर हाउस, नई दिल्ली–110002 में स्थित है। कंपनी पावर उत्पादन एवं दिल्ली राज्य में विभिन्न डिस्कॉमों को पावर आपूर्ति का व्यवसाय करती है। कंपनी के पास दो पावर हाउस स्टेशन हैं, जिनमें से एक राजघाट पावर हाउस है, जो 1989–90 में 135 मेगावाट उत्पादन क्षमता के साथ स्थापित कोल आधारित पावर संयंत्र है तथा दूसरा 270 मेगावाट उत्पादन क्षमता वाला गैस टर्बाइन पावर स्टेशन है, जिसका गैस आधारित पावर संयंत्र वर्ष 1985–86 (गैस टर्बाइन) तथा 1995–96 (स्टीम टर्बाइन) संयंत्र कमीशन किया गया है। डीपीसीएल के निर्देशों के अनुसार, आरपीएच संयंत्र मई, 2015 से परिचालन में नहीं था। जीएनसीटीडी के मंत्रिमंडल ने 11 जुलाई, 2019 को आयोजित कैबिनेट बैठक में आरपीएच को बंद करने का फैसला किया है।

ख. **निर्माण का आधार**

1. **अनुपालन विवरण**

ये समेकित वित्तीय विवरण लेखांकन की निम्नलिखित संग्रहण व्यवस्था का अनुसरण करके एवं कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 तथा उसमें अनुवर्ती संशोधनों के अंतर्गत अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस), कंपनी अधिनियम, 2013 (विद्यमान अधिसूचना तक एवं यथा लागू), तथा विद्युत अधिनियम, 2003 के यथा लागू प्रावधानों का अनुपालन करते हुए गोइंग कंसर्न आधार पर तैयार किए गए हैं।

इन वित्तीय विवरणों को जारी करने का प्राधिकार निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 28 दिसम्बर, 2020 को दिया गया था। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 131 के अंतर्गत निदेशक मंडल द्वारा ट्रिब्यूल से अनुमोदन प्राप्त करके किन्हीं भी तीन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के संबंध में संशोधित वित्तीय विवरण तैयार किए जा सकते हैं।

2. **मापन का आधार**

वित्तीय विवरणों का निर्माण, निम्नलिखित के अलावा, ऐतिहासिक लागत आधार पर किया गया हैः–

- वे वित्तीय परिसम्पतियां एवं देयताएं जिनका मापन उचित मूल्य के अनुसार किया गया है (वित्तीय लिखतों से संबंधित लेखांकन नीति देखें) ;
- कर्मचारियों के मामले में परिभाषित हितलाभ योजनाओं की योजना परिसम्पतियों के लिए, जिनका मापन उचित मूल्य पर किया गया है; तथा
- वहन राशि से न्यून मूल्य पर बिक्री के लिए स्वीकृत धारित परिसम्पतियां तथा उनके उचित मूल्य में से बिक्री की लागत को घटाकर।

उचित मापन के लिए उपयोग में लाई गई विधियों के संबंध में वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में प्रस्तुति दी गई है।

ऐतिहासिक लागत वह रोकड़ अथवा रोकड़ समतुल्य राशि है जो किसी परिसम्पति के अधिग्रहण के समय परिसम्पति के अधिग्रहण के लिए चुकता की गई हो अथवा उसके निम्मित उचित मूल्य दिया हो अथवा ऐसे दायित्व के विनिमय के प्रति किसी राशि की प्राप्ति की गई हो अथवा व्यवसाय के सामान्य व्यवहार के दौरान देयताओं की पूर्ति के लिए रोकड़ अथवा रोकड़ समतुल्य चुकता किए जाने की प्रत्याशा की गई हो।

उचित मूल्य वह मूल्य है जो मापन की तिथि को किसी परिसम्पति की बिक्री से प्राप्त किया गया हो अथवा जो बाजार प्रतिभागियों के साथ क्रमबद्ध संव्यवहार के लिए किसी देयता के अंतरण के लिए चुकता किया गया हो।

3. **कार्यात्मक एवं प्रतिपादन की मुद्रा**

इन वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति भारतीय रुपए में की गई है, जो कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा है। कहीं कोई अन्यथा उल्लेख न होने की स्थिति में प्रस्तुत प्रत्येक वित्तीय सूचना में रूपए को निकटतम लाख (दो दशमलव तक) में राउंड ऑफ किया गया है।

4. **चालू एवं गैर चालू वर्गीकरण**

कंपनी द्वारा अपनी परिसम्पतियों एवं देयताओं को तुलन पत्र में चालू/गैर चालू वर्गीकरण के आधार पर प्रस्तुत किया गया है।

कोई परिसम्पति चालू परिसम्पति तब होती है जबः–

- वह नकदीकरण अथवा बिक्री के लिए नियत हो अथवा सामान्य प्रचालन क्रम में खपत की जाने वाली हो;
- प्रारम्भ से ही व्यवसाय के लिए धारित की गई हो;
- रिपोर्टिंग अवधि के बारह माह के भीतर बिक्री की जानी हो; अथवा
- यदि विनियम के लिए प्रतिबंधित न होने अथवा रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात किसी देयता के समाधान के लिए कम से कम बारह माह के लिए उपयोग की जा रही होने के अलावा रोकड़ अथवा रोकड़ समतुल्य हो।

अन्य सभी परिसम्पतियों का वर्गीकरण गैर–चालू परिसम्पति के रूप में किया गया है।

कोई देयता चालू तब होती है जबः–

- सामान्य प्रचालन क्रम में इसका निपटान संभावित हो;
- यह मुख्यतः व्यवसाय के उद्देश्य से धारित की गई हो;
- रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात बारह माह के भीतर इसका समाधान किया जाना हो; अथवा
- रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात कम से कम बारह माह की अवधि के लिए देयताओं के निपटान को स्थगित करने का कोई असंबंध अधिकार न हो।

अन्य सभी दायित्वों का वर्गीकरण गैर–चालू के रूप में किया गया है। चालू देयताओं में गैर–चालू वित्तीय दायित्वों का चालू भाग शामिल है।

परिसम्पतियों एवं देयताओं को तुलन पत्र में चालू/गैर चालू वर्गीकरण के आधार पर 12 माह के सामान्य परिचालन क्रम को विचार में लेकर प्रस्तुत किया गया है।

आस्थगित कर परिसम्पतियां/देयताओं का वर्गीकरण गैर–चालू के रूप में किया गया है।

ग. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए प्रयोग में लाई गई महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का संक्षेप सार नीचे दिया गया है। इन लेखांकन नीतियों का उपयोग वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत सभी अवधियों के लिए निरंतर रूप से किया गया है।

कंपनी द्वारा इंड एएस 16 तथा इंड एएस 38 के प्रावधानों का उपयोग पूर्वकाल के लिए न करने तथा पूर्व सामान्य स्वीकृत लेखांकन प्रक्रिया (जीएएपी) की वहन लागत को इंड एएस के अंतर्गत अवस्थांतरण तिथि अर्थात 1 अप्रैल, 2015 से मानित लागत के रूप में उपयोग के लिए इंड एए 101 में उपलब्ध विकल्प का चयन किया गया है। तदनुसार, सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण तथा अमूर्त परिसम्पतियों की वहन राशियां 1 अप्रैल, 2015 की स्थिति अर्थात इंड एएस में अवस्थातंरण की तिथि को पूर्व सामान्य स्वीकृत लेखांकन प्रक्रिया (जीएएपी) के अनुसार ही अवस्थातरंण से इंड एएस में अनुरक्षित की गई हैं।

1. सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण

1.1 आरंम्भिक स्वीकृति एवं मापन

किसी सम्पति, संयंत्र तथा उपकरण की किसी मद की परिसम्पति के रूप में स्वीकृति केवल मद से सम्बद्ध भावी आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होने तथा मद की लागत का मापन विश्वसनियता से किया जा सकने की संभावना उपलब्ध होने की स्थिति में ही की गई है।

किसी सम्पति, संयंत्र तथा उपकरण की मद की प्रारंभिक स्वीकृति उसकी लागत पर किया गया है। अनुवर्ती मापन उनकी लागत में से संचित मूल्यह्रास/परिशोधन एवं संचित क्षमता क्षतियों को लागत, यदि कोई हों, में से घटाकर किया गया है। लागत में आयात शुल्क एवं व्यापार छूट एवं रियायत की कटौती के पश्चात गैर धनवापसी योग्य वे व्यय शामिल हैं, जो प्रबंधन के अभिप्रेत उद्देश्य से प्रचालन योग्य बनाने के लिए सम्पति को स्थल तथा आवश्यक स्थिति में लाए जाने के लिए प्रत्यक्ष जुड़े हुए हैं।

जब किसी सम्पति, संयंत्र तथा उपकरण, जो मूल्य के प्रति महत्वपूर्ण है, के किसी भाग का उपयोज्यता काल भिन्न होता है तो उनकी स्वीकृति अलग अलग की जाती है।

प्रयोग में लाई जा रही किसी ऐसी सम्पति के मामले में, जिसके बिलों का अंतिम निपटान ठेकेदारों के साथ अभी नहीं किया गया है, अस्थायी आधार पर पूंजीयन वर्ष के दौरान अंतिम समाधान किए जाने की शर्त पर किया जाता है।

किसी एक से अधिक जनरेटिंग यूनिट के लिए समान परिसम्पतियों एवं प्रणालियों का पूंजीयन इंजीनियरिंग अनुमानों / मूल्यांकनों के आधार पर किया जाता है।

अतिरिक्त पूर्जों की मदों, आपातोपयोगी उपकरणों तथा सम्पति की परिभाषा में आने वाले सेवायोज्यता उपकरण, संयंत्र एवं उपकरण संयंत्र का पूंजीयन किया जाता है। अन्य अतिरिक्त पूर्जों को मालसूची के रूप में अग्रेषित किया जाता है तथा लाभ एवं हानि के विवरण में उनकी स्वीकृति खपत के अनुसार की जाती है।

1.2 अनुवर्ती लागतें

अनुवर्ती व्यय की स्वीकृति परिसम्पति की वहन राशि में वृद्धि के साथ तब की गई है जब ऐसे व्यय की लागत से उत्पन्न होने वाले भावी आर्थिक लाभों की प्राप्ति कंपनी को होने तथा मद की लागत का मापन विश्वसनीय रूप से किया जा सकने की संभावना उपलब्ध हुई है।

जनरेटिंग यूनिट की प्रमुख जांच एवं ओवरहॉल पर किए गए व्यय का पूंजीयन परिसम्पति स्वीकृति को पूरा किए जाने की स्थिति में किया गया है। पूर्व जांच तथा ओवरहॉल से संबंधित किसी बकाया वहन राशि की स्वीकृति समाप्त की गई है।

किसी सम्पति, संयंत्र तथा उपकरण की मद के प्रतिस्थापन भाग की लागत की स्वीकृति उस मद की वहन राशि में तब की जाती है जब ऐसा स्थापित किया जा सके कि उस भाग में सम्मिलित भावी आर्थिक लाभों से कंपनी को लाभ प्राप्त होंगे तथा इसकी लागत का मापन विश्वसनीय रूप से किया जा सकेगा। मरम्मतयोग्य न होने की स्थिति में प्रतिस्थापित भाग की वहन राशि की स्वीकृति नहीं की जाती है। रोजमर्रा उपयोग में लाई जाने वाली सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण की स्वीकृति लाभ अथवा हानि के रूप में व्यय के तौर पर की जाती है।

1.3 स्वीकृति समाप्ति

सम्पति, संयंत्र तथा उपकरण का स्वीकृति तब समाप्त की जाती है, जब उनके उपयोग अथवा उनके निपटान से भावी आर्थिक लाभ प्राप्त होने की संभावना न हो। सम्पति की किसी मद, संयंत्र एवं उपकरण की स्वीकृति समाप्ति / निपटान से होने वाले लाभों तथा हानियों का निर्धारण निपटान से प्राप्त की गई आय की तुलना सम्पति, संयंत्र तथा उपकरण की वहन राशि के साथ करके इसे लाभ एवं हानि के विवरण में दर्शाया जाता है।

लाभ एवं हानि विवरण में मूल्यह्रास की स्वीकृति सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण के प्रत्येक भाग की मद के अनुमानित उपयोज्यता काल के अनुसार सीधी रेखा विधि के अनुसार की गई है।

आस्थगित परिसम्पतियों के मूल्यह्रास की दरों को सरल विधि तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–2 के भाग 'ख' के अनुसरण में दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग द्वारा समय–समय पर सूचित की जाने वाली विधि के उपयोग से प्रभारित किया गया है।

पूंजीयन की जा चुकी प्रमुख ओवरहॉल एवं जांच की लागतों का मूल्यह्रास अगले अनुसूचित कटौती समय अथवा वास्तविक प्रमुख जांच/ओवरहॉल होने तक की अवधि के लिए, इनमें से जो भी पहले हो, किया जाता है।

पूंजी स्पेयर्स का मूल्यह्रास तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर 2 से 5 वर्ष के दायरे के उपयोज्यता काल को विचार में लेकर किया जाता है।

सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण के मूल्यह्रास में किए गए संवर्धन/घटाव को वर्ष के दौरान अनुपात आधार पर उस माह से/तक के लिए प्रभारित किया जाता है, जिस माह में सम्पति उपयोग/बिक्री, निपटान के लिए उपलब्ध अथवा नियत होती है।

जब विनिमय दर में उतार चढ़ाव, मूल्य समायोजन, कार्यों में परिवर्तन अथवा समान कारकों से दीर्घकालिक देयताओं में बढ़त/घटत होने के कारण, वर्ष के दौरान हुए परिवर्तनों से परिसम्पतियों की लागत में मूल्यह्रास होता है तो मूल्यह्रास से संबंधित लागू लेखांकन नीतियों का उपयोग करके ऐसी गैर परिशोधित परिसम्पतियों के बकाया प्रयोज्य जीवन का निर्धारण करते हुए भविष्य में प्राप्य शेष को प्रभारित किया जाता है।

ऐसी संभावना होने पर कि व्यय की गई किसी लागत से उद्यम को भविष्य में प्राप्त होने वाले लाभों में बढ़ोतरी हो सकेगी तथा लागत का मापन विश्वसनीय रूप से किया जा सकेगा तो उसकी गैर परिशोधित राशि के साथ पीपीई पर किए जाने अनुवर्ती व्यय का प्रभारन तकनीकी मूल्यांकन से निर्धारित संशोधित प्रयोज्य जीवन का निर्धारण करते हुए किया जाता है।

ऐसी स्थितियों में जब सम्पति परित्यक्त होती है तो सम्पति से संबंधित संचयी पूंजीकृत लागतों का बट्टा समान अवधि में किया जाता है।

2. पूंजी कार्य प्रगति पर

ऐसी सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण के लिए वहन की गई लागत, जो रिपोर्टिंग अवधि को आशित उपयोग के लिए तैयार नहीं है, का वर्गीकरण पूंजी कार्य प्रगति पर के अंतर्गत किया जाता है।

स्वनिर्मित परिसम्पतियों की लागत में सामग्री एवं प्रत्यक्ष श्रम की लागत सहित अन्य कोई ऐसी लागत भी शामिल है जो प्रबंधन के आशित उद्देश्य से प्रचालन के लिए सक्षम बनाने हेतु परिसम्पति को स्थल पर एवं आवश्यक स्थिति में लाने के लिए किए गए व्यय से प्रत्यक्ष संबद्ध हो तथा जिसकी ऋण लागतें अर्हक परिसम्पति के अधिग्रहण अथवा निर्माण से संबंधित हैं सम्पति के निर्माण, संयंत्र एवं उपकरण के संबंध में उनके आशित उपयोग की स्थिति में लाने के लिए किए गए प्रत्यक्ष व्यय संबंधित परिसम्पतियों की लागत पर सुव्यवस्थित आधार पर प्रभारित एवं आबंटित किए जाते हैं। डिपोजिट कार्यों / लागत जमा अनुबंधों का लेखांकन ठेकेदार से प्राप्त लेखा विवरण के आधार पर किया जाता है।

आपूर्ति एवं निर्माण संविदा के संबंध में स्थल पर प्राप्त एवं स्वीकृत आपूर्तियों के मूल्य को प्रगतिशील कार्य माना जाता है। संविदाओं के मामले में मूल्य अंतर/विनिमय दर अंतर के कारण अभुक्त देयताओं का लेखांकन नियम एवं शर्तों के अनुरूप अनुमानित आधार पर किया जाता है।

3. अमूर्त परिसंपत्तियां

3.1 स्वीकृति एवं मापन

किसी अमूर्त परिसम्पति की स्वीकृति तब की जाती है जब ऐसा स्थापित किया जा सके कि परिसम्पति से सम्बद्ध भावी आर्थिक लाभों से कंपनी को लाभ प्राप्त होंगे तथा इसकी लागत का मापन विश्वसनीय रूप से किया जा सकेगा। कंपनी द्वारा अर्जित सीमित उपयोज्य जीवन वाली अमूर्त परिसंपत्तियों का

मापन उनकी लागत में से संचित परिशोधन एवं संचित क्षमता हानियों, यदि कोई हों, को घटाकर किया जाता है। लागत में परिसम्पति को उसके आशित उपयोग की स्थिति में लाने के उद्देश्य से किए गए प्रत्यक्ष सम्बद्ध आनुषंगिक व्यय, यदि कोई हों, शामिल होते हैं। सरकारी अनुदान से बिना किसी प्रभार अथवा सामान्य प्रभार से प्राप्त अमूर्त परिसंपत्तियों का मापन एवं प्रभारन उनके वास्तविक मूल्य पर किया जाता है।

3.2 अनुवर्ती लागतें

परिसम्पति की वहन राशि को अनुवर्ती व्यय के रूप में तब प्रभारित किया जाता है, जब ऐसा मान्य हो कि व्यय की गई लागत से भविष्य में प्राप्त होने लाभ कंपनी के लिए लाभकारी होंगे तथा मद की लागत का मापन विश्वसनीयता से किया जा सकेगा।

3.3 स्वीकृति समाप्ति

किसी अमूर्त परिसम्पति की स्वीकृति तब समाप्त होती है जब उसके उपयोग अथवा निपटान से भावी आर्थिक लाभ प्राप्त होने की संभावना न हो। अमूर्त परिसम्पति की किसी मद के निपटान से होने वाले लाभों तथा हानियों की स्वीकृति समाप्ति/निपटान से प्राप्त की गई आय की तुलना अमूर्त परिसम्पति की मद की प्रतिधारण राशि के साथ करके, इसे लाभ एवं हानि के विवरण में दर्शाया जाता है।

3.4 परिशोधन

अमूर्त परिसम्पति के रूप में मान्य साफ्टवेयर का परिशोधन विधिक अधिकार से प्रयोग की सीधी रेखा विधि अथवा 3 वर्ष की अवधि, जो भी कम हो, में कर लिया जाता है।

4. ऋण लागतें

ऋण लागत में (क) इंड एएस–109– 'वित्तीय लेखपत्र' में उल्लिखित प्रभावी ब्याज विधि के उपयो गसे आकलन किया गया ब्याज व्यय (ख) इंड एएस 116– पट्टे के अनुसरण में पट्टा देयताओं पर स्वीकृत ब्याज व्यय (ग) विदेशी मुद्रा ऋणों से उत्पन्न भिन्नताएं जिन्हें ब्याज लागतों के प्रति समायोजन माना गया है। (घ) अन्य लागतें जो कोई कंपनी निधियों के ऋण के संबंध में व्यय करती है।

किसी अर्हक परिसम्पति के निर्माण अथवा अधिग्रहण से सीधे सम्बद्ध ऋण लागतों का पूंजीयन परिसम्पतियों के भाग के रूप में उस समय तक किया जाता है, जब तक ऐसी परिसम्पतियां आशित उद्देश्य के लिए तैयार होती है। अर्हक परिसम्पतियां वे परिसम्पतियां होती हैं, जिनके आशित उद्देश्य अथवा बिक्री के लिए तैयार होने में पर्याप्त समय लगता है।

कंपनी द्वारा अर्हक परिसम्पति की प्राप्ति के उद्देश्य से विशिष्ट निधियों के ऋण से व्यय किए जाने की स्थिति में ऋण लागतों का पूंजीयन किया जाता है।

कंपनी द्वारा सामान्य रूप से प्राप्त ऋण निधि का उपयोग अर्हक परिसम्पति की प्राप्ति के लिए किए जाने की स्थिति में ऋण लागत का आकलन सामान्य ऋण की उस भारित औसत लागत के आधार पर किया जाता है, जो अवधि के दौरान बकाया है तथा जिसका उपयोग अर्हक परिसम्पति के अधिग्रहण अथवा निर्माण/स्थापना के लिए किया गया है। तथापि, अर्हक परिसम्पति की प्राप्ति के विशिष्ट उद्देश्य से लिए गए ऋण के संबंध में लागू ऋण लागतों को इस आकलन मे तब शामिल किया जाता है जब ऐसी परिसम्पति को आशित उपयोग अथवा बिक्री के तैयार करने से संबंधित सभी क्रियाकलाप पूर्ण हो जाते हैं।

ऋण लागत का पूंजीयन संतोषजनक रूप से अर्हक परिसम्पति के संबंध में आशित उद्देश्य के लिए अपेक्षित सभी आवश्यक क्रियाएं पूरी होने पर होता है।

अर्हक परिसम्पति पर बकाया व्यय के लिए लम्बित ऋणों के अस्थाई निवेश से अर्जित आय को पूंजीयन के योग्य ऋण लागतों में से घटा दिया जाता है।

5. गैर–वित्तीय परिसम्पतियों की क्षति

कंपनी की गैर–वित्तीय परिसम्पतियों की वहन राशियों की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को यह निर्धारण करने के लिए की जाती है कि क्या इंड ए एस 36 ''परिसम्पतियों की क्षति'' में किए गए प्रावधानों के विचार से इसमें क्षति के लक्षण उपलब्ध हैं अथवा नहीं। ऐसे लक्षण उपलब्ध होने की स्थिति में परिसम्पति की प्राप्य राशि के अनुमान लगाए जाते हैं। उपयोग के लिए उपलब्ध न होने वाली परिसम्पति की प्राप्य राशि के अनुमान प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को लगाए जाते हैं।

किसी परिसम्पति अथवा रोकड़ उत्पन्न करने वाली वाली यूनिट की प्राप्य राशि उसकी निपटान लागतों तथा उसके प्रयोग मूल्य को घटाकर, उसके उचित मूल्य से उच्च होती है। प्रयोग मूल्य का निर्धारण अनुमानित भावी रोकड़ प्रवाह को तत्समय के धन मूल्य के चालू बाजार निर्धारणों को दर्शाने वाले वर्तमान मूल्यों तथा परिसम्पति से संबद्ध जोखिमों से घटाकर किया जाता है। क्षति परीक्षण के उद्देश्य से अलग–अलग परीक्षण न की जा सकने वाली परिसम्पतियों को एक साथ मिलाकर परिसम्पतियों का ऐसा छोटा समूह बनाया जाता है, जिनके निरंतर उपयोग से उत्पन्न रोकड़ प्रवाह अन्य परिसम्पतियों अथवा परिसम्पतियों के समूहों (''रोकड़ उत्पन्न करने वाली इकाई'' अथवा ''सीजीयू'') से उत्पन्न रोकड़ प्रवाह से अलग होता है।

किसी क्षमता हानि की स्वीकार्यता तब होती है, जब उस परिसम्पति अथवा रोकड़ उत्पन्न करने वाली इकाई की वहन राशि उसकी अनुमानित प्राप्य राशि से अधिक हो। क्षमता हानियों को लाभ एवं विवरण में शामिल किया जाता है। रोकड़ उत्पन्न करने वाली इकाई से संबंधित क्षमता हानियां रोकड़ उत्पन्न करने वाली इकाई की परिसम्पति की वहन राशि में से घटा दी जाती है।

क्षमता हानियों को पूर्वावधियों में शामिल किया जाता है तथा क्षति में घटत होने अथवा समाप्त होने से संबंधित निर्धारण प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को किया जाता है। प्राप्य राशि के निर्धारण के लिए लगाए गए अनुमानों में बदलाव आने की स्थिति में क्षमता हानि को व्युत्क्रम किया जाता है। यदि किसी क्षमता

हानि की स्वीकार्यता नहीं की गई है तो क्षमता हानि के संबंध में किया जाने वाला व्युतक्रम केवल परिसम्पति की वहन राशि के विस्तार वहन के लिए निर्धारित राशि, मूल्यह्रास अथवा परिशोधन का निवल, की सीमा तक किया जाता है।

6. **सम्बद्ध एवं संयुक्त उद्यमों में निवेश**

सम्बद्ध कम्पनियों तथा संयुक्त उद्यमों में किए गए इक्विटी निवेश का मापन लागत पर किया जाता है। किए गए निवेश की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को इंड ए एस 36 'परिसम्पतियों की क्षति'' के प्रावधानों के अनुसार किसी क्षति के लक्षणों के संज्ञान के लिए की जाती है। ऐसे कोई लक्षण विद्यमान होने पर गैर–वित्तीय परिसम्पतियों की क्षति से संबंधित नीति का अनुसरण किया जाता है।

7. **मालसूचियां**

स्क्रैप सामग्री के अलावा मालसूचियों का मूल्यांकन उनकी न्यूनतम लागत तथा निवल प्राप्य मूल्य के अनुसार किया जाता है। लागतों में क्रय लागत तथा मालसूचियों को विद्यमान स्थल तथा स्थिति तक लाने के लिए व्यय की गई अन्य लागतें शामिल होती हैं। लागत का निर्धारण भारित औसत आधार पर किया जाता है। मालसूची की क्रय लागत का निर्धारण रियायतों तथा छूटों को घटाकर होता है। निवल प्राप्य मूल्य के अनुमान सामान्य व्यवसाय प्रक्रिया में उनकी बिक्री दर में से उन्हें पूर्ण किए जाने की लागतों तथा बिक्री के लिए आवश्यक बदलाव की अनुमानित लागतों को घटाकर लगाए जाते हैं। स्क्रैप मालसूची (सामान्यतः महत्वहीन) का मूल्य शून्य रखा जाता है जो कि अनुमानित प्राप्य मूल्य है।

अप्रचलित, अनुपयोगी तथा अतिरिक्त भंडार एवं पूर्जों के लिए घटाए जाने वाले मूल्यों का निर्धारण समीक्षा करके किया जाता है तथा उसकी व्यवस्था की गई है।

8. **सरकारी अनुदान**

सरकारी अनुदानों के संबंध में की जाने वाली प्रारम्भिक स्वीकार्यता, इनकी प्राप्ति तथा कंपनी द्वारा अनुदान से संबद्ध शर्तों का अनुपालन कर सकने के प्रति औचित्यपरक आश्वासन उपलब्ध होने पर, आस्थगित आय के तौर पर की जाती है। सरकारी अनुदान परिसम्पति से संबद्ध होने की स्थिति में परिसम्पति की लागत को उसके सकल मूल्य पर शामिल किया जाता है तथा लाभ एवं हानि विवरण में अनुदान को परिसम्पति के प्रयोज्य जीवन के लिए आय के रूप में स्वीकार्यता प्रदान की जाती है। कंपनी द्वारा किए गए व्यय के मुआवजे के तौर पर प्राप्त अनुदानों को उसकी लागतों से संबंधित अवधि के लिए स्वीकार्यता प्रदान की जाती है तथा इसे संबंधित व्ययों में से घटाया जाता है। गैर मौद्रिक परिसम्पतियों के अंतरण के रूप में किसी लागत के बिना अथवा सामान्य लिहाज से प्राप्त सरकारी अनुदान की स्वीकृति सांकेतिक राशि पर की जाती है।

9. **रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य**

तुलन पत्र में दर्शाए गई रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य में बैंकों में जमा एवं उपलब्ध तथा तीन माह अथवा कम की सामान्य परिपक्वता वाले अर्थसुलभ म्यूचुअल फंड एवं अल्पकालिक जमा, जो मूल्य में परिवर्तन के अल्प जोखिम की शर्त पर है, शामिल हैं।

10. **प्रावधान तथा आकस्मिक देयताएं तथा आकस्मिक परिसम्पतियां**

किसी ऐसे प्रावधान को मान्यता तब प्रदान की जाती है, जब किसी पूर्व घटना के परिणामस्वरूप कंपनी का ऐसा कोई विद्यमान विधिक अथवा तर्कसाध्य दायित्व हो जिसका विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सके तथा जिसमें आर्थिक लाभों के बहिर्प्रवाह की अपेक्षा ऐसे दायित्व के लिए किए जाने की संभावना की गई हो। यदि धन का समय मूल्य का प्रभाव सामग्रीगत है तो प्रावधानों का निर्धारण कर पूर्व दरों पर संभावित भावी रोकड़ प्रवाह को न्यून करके इस प्रकार किया जाता है कि उससे धन के समय मूल्य और दायित्वों के विशिष्ट जोखिम के चालू बाजार आकलनों को प्रदर्शित हो सकें। न्यूनता का उपयोग किए जाने की स्थिति में समय के साथ ही साथ प्रावधान में की जाने वाली वृद्धि को वित्त लागत के रूप में स्वीकार किया जाता है।

प्रावधान के रूप में स्वीकार की राशि, दायित्व से जुड़े जोखिमों तथा अनिश्चितताओं को ध्यान में रखकर, रिपोर्टिंग तिथि को विद्यमान दायित्वों का निपटान के लिए अपेक्षानुसार विचार करके, उत्तम अनुमान के अनुसार आकी गई है।

किसी तृतीय पक्षकार से किसी प्रावधान के निपटान के लिए किसी अथवा सभी आर्थिक लाभों की अपेक्षा होने पर प्राप्यों के प्रति प्रतिपूर्ति होने तथा प्राप्य राशि का मापन किए जा सकने की निश्चितता हो तो उसे परिसम्पति के रूप में स्वीकार्यता दी जाती है। प्रावधान से संबंधित व्यय किसी प्रतिपूर्ति के सकल योग के रूप में लाभ एवं हानि विवरण में दर्शाए गए हैं।

आनुषंगिक देयताएं संभावित दायित्व होते हैं, जो पूर्व घटनाओं के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं तथा जिनके आस्तित्व की पुष्टि भविष्य में उनके एक अथवा अधिक अवसरों पर घटित होने से होती है, जो कि कंपनी के नियंत्रण से परे होते है। किसी दायित्व के प्रति जब किसी प्रकार के आर्थिक लाभ की अपेक्षित उत्पति अथवा प्राप्त होने वाली राशि के विश्वसनीय अनुमान संभावित नहीं किए जा सकते हैं तथा यदि उससे प्राप्त होने वाले आर्थिक लाभों की प्राप्ति की संभावना अत्याधिक कम होती है तो ऐसे दायित्व का प्रकटन आनुषंगिक देयता के तौर पर किया जाता है। आनुषंगिक देयताओं का प्रकटीकरण प्रबंधन/स्वतंत्र विशेषज्ञों द्वारा लिए जाने वाले निर्णय के आधार पर किया जाता है। इनकी पुनरीक्षा प्रत्येक तुलन पत्र तिथि में की जाती है तथा इसमें चालू प्रबंधन अनुमान प्रदर्शित करने के लिए समायोजन किया जाता है। रोकड़ प्रवाह की समयावली का संज्ञान नहीं किया जा सकता है।

आकस्मिक परिसंपत्तियां वे संभावित परिसंपत्तियां हैं जिनकी उत्पति पूर्व घटनाओं से होती हैं और जिसके अस्तित्व की पुष्टि एक अथवा अधिक भावी घटनाओं के घटित होने अथवा न घटित होने से होती है जो पूर्णतः कंपनी के नियंत्रण में नहीं होती। आकस्मिक परिसंपत्तियों को वित्तीय विवरणों में तब दर्शाया जाता है जब आर्थिक लाभों का प्रवाह, प्रबंधन के विवेक के आधार पर संभाव्य होता है। इन घटनाओं को वित्तीय विवरणों में दर्शाए जाने के लिए यह सुनिश्चित किया जाता है कि इनका मूल्यांकन सतत् रूप से किया जाए।

11. विदेशी मुद्रा संव्यवहार एवं अंतरण

विदेशी मुद्राओं में किए जाने वाले लेन–देन की स्वीकृति, कार्यात्मक मुद्रा में संव्यवहार की तिथि को एवं विद्यमान दरों को विचार में लेकर, की जाती है।

विदेशी मुद्राओं में वर्णित मौद्रिक परिसम्पतियों का अंतरण, उनकी कार्यात्मक मुद्रा के अनुसार रिपोर्टिंग तिथि की स्पॉट विनिमय दरों पर किया जाता है। मौद्रिक मदों के समाधान अथवा अंतरण से उत्पन्न विनिमय दर अंतरों को उनके संव्यवहार के वर्ष के लाभ एवं हानि लेखा में स्वीकृति तब की जाती है जब इनकी उत्पति इस शर्त के साथ होती है कि 31 मार्च, 2015 तक स्वीकृत परिसम्पति, संयंत्र एवं उपकरण का समायोजन सम्पति, संयंत्र तथा उपकरण एवं पूंजी कार्य प्रगति पर में कर लिया गया है।

ऐतिहासिक लागत के संदर्भ में गैर–मौद्रिक मदों के संबंध में किया गया मापन विदेशी मुद्रा में उनके लेन–देन की तिथि की विनिमय दर के उपयोग से अंतरण करते हुए उनकी लागत के अनुसार किया जाता है ।

12. राजस्व

कंपनी का राजस्व ग्राहकों से ऊर्जा की बिक्री, ऊर्जा की बिक्री के विलंबित भुगतान के प्रभारों से उत्पन्न होता है। अन्य आय से प्राप्त राजस्व में बैंको से ब्याज एवं अन्य, एफवीटीपीएल पर मापन किए गए म्युचुअल निधियों के लाभ, सम्बद्ध कम्पनियों में निवेश से लाभांश, सौर परामर्शी सेवाओं से आय, बीमा दावे, अनुदान आय, किराया आय, स्क्रैप तथा अन्य गैर परिचालनात्मक आय शामिल है।

1 अप्रैल, 2018 से कंपनी ने संचयी प्रभाव विधि के उपयोग से इंड एएस 115 'ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व' अंगीकार किया है, जिसका उपयोग उन अनुबंधों के संबंध में किया गया है जो 1 अप्रैल, 2018 तक पूरे नहीं हुए थे।

12.1 ऊर्जा की बिक्री से राजस्व

कंपनी के प्रचालनों का विनियमन एवं संचलन विद्युत अधिनियम, 2003 तथा दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग मूल्य सूची विनियमों के अंतर्गत होता है। तदनुसार ऊर्जा संयंत्रों के आधार पर कंपनी की मूल्य सूची समय–समय पर लागू मूल्य सूची विनियमों में निर्धारित मानदंडों के अनुसार दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग द्वारा निर्धारित की जाती है। मूल्य सूची विशिष्ट ऊर्जा संयंत्र पर व्यय की गई पूंजी लागत पर आधारित होती है तथा मुख्यतः इसके दो घटक हैं यथा क्षमता प्रभार अर्थात नियत प्रभार, जिसमें मूल्यह्रास, इक्विटी पर लाभ, कार्यशील पूंजी ब्याज, प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय, ऋण पर ब्याज तथा ऊर्जा प्रभार अर्थात ईंधन लागतों पर मुख्यतः आधारित परिवर्तनीय प्रभार शामिल होते हैं।

ऊर्जा की बिक्री से राजस्व का मापन प्राप्त अथवा प्राप्य लाभ के उचित मूल्य के अनुसार किया जाता है। राजस्व की स्वीकृति तब (अथवा के रूप में) की जाती है जब निष्पादन दायित्व पूर्ण हो जाते हैं, जो मुख्यतः तब (अथवा के रूप में) होते हैं उत्पादों अथवा सेवाओं का अंतरण ग्राहक को कर दिया जाता है।

ऊर्जा की बिक्री से प्राप्त राजस्व का लेखांकन दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग द्वारा अनुमोदित मूल्य सूची दरों (अनंतिम के रूप में अंकित मदों के अलावा) पर विद्युत अपीलिय ट्रिब्यूनल/सांविधिक प्राधिकरण के आदेशानुसार संशोधित आवश्यक सीमा के आधार पर किया जाता है। ऐसे ऊर्जा स्टेशनों के मामले में, जिनकी मूल्य सूची दरों का अनुमोदन/अनंतिम के रूप में अंकित मदों के लिए अभी दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग द्वारा आदेश नहीं दिए गए हैं, लागू दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग मूल्य सूची विनियमों के अनुसार अस्थाई दरें प्रयोग में लाई जाती हैं। ग्राहकों को आवधिक तथा नियमित आधार पर बिल जारी किए जाते हैं। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को ऊर्जा की बिक्री से प्राप्त राजस्व में ग्राहकों को की गई उस डिलीवरी का उपचय भी शामिल होता है, जो बिल न किया गया राजस्व होता है अर्थात जिसके बिल जारी नहीं किए गए हैं। स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर के ऊर्जा लेखों के अंतिमकरण से उत्पन्न समायोजन संबंधित वर्ष में प्रभारित किए जाते हैं। विनियामक, अपीलिय अथवा सांविधिक प्राधिकरण के आदेशों से उत्पन्न प्रभावों का लेखांकन आदेश जारी किए जाने के समय के अनुसार किया जाता है।

लाभग्राहियों के लिए अनुमत्त शीघ्र भुगतान, जैसे प्रोत्साहनों से संबंधित छूट की कटौती राजस्व की राशि में से की जाती है।

ब्याज/ऊर्जा की बिक्री के लिए विलंबित भुगतान/विविध देनदारों द्वारा अतिदेय की स्वीकृति तब की जाती है, जब इंड एएस 115 'ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व' के अनुसार उनके मापन अथवा संग्रहण के प्रति महत्वपूर्ण अनिश्चितता नहीं होती है।

12.2 अन्य आय

ब्याज आय के लिए स्वीकृति तब दी जाती है, जब बकाया राशि तथा प्रभावी ब्याज दर विधि (ईआईआर) के उपयोग से लागू ब्याज दरों को ध्यान में रखते हुए उनके मापन अथवा संग्रहण के प्रति समय अनुपात के आधार पर महत्वपूर्ण अनिश्चितता नहीं होती है।

सौर परामर्शी सेवाओं से प्राप्त आय की स्वीकृति सेवाओं के निष्पादन की अवधि में की जाती है।

किरायों से प्राप्त राजस्व की स्वीकार्यता संबंधित करार के सार के अनुसार, उपचय आधार पर की जाती है।

किरायों से प्राप्त राजस्व की स्वीकार्यता संबंधित करार के सार के अनुसार, उपचय आधार पर तब की जाती है जब लाभांश आय की स्वीकार्यता भुगतान प्राप्त होने के प्रति कंपनी का अधिकार स्थापित हो। बीमा आय की स्वीकार्यता दावे की स्वीकृति के वर्ष में आय के तौर पर की जाती है। स्क्रैप एवं खराब सामान की बिक्री का लेखांकन उनका निपटान किए जाने पर किया जाता है।

आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्य अग्रिम पर ब्याज/ प्रभारों एवं वारंटी दावों की प्राप्ति/स्वीकृति के प्रति अनिश्चितता होने की स्थिति में उन्हें उपार्जित नहीं माना जाता है तथा तदनुसार उनका लेखांकन प्राप्ति/स्वीकृति के लिए किया जाता है।

13. पट्टेदार के रूप में पट्टा

1 अप्रैल, 2019 से कंपनी ने इंड एएस 116–'पट्टा' को अंगीकार किया है तथा संशोधित पूर्वव्यापी ट्रांजिशन विधि का उपयोग से 1 अप्रैल, 2019 को विद्यमान प्रत्येक अनुबंधों पर लागू किया है। इसके परिणामस्वरूप पट्टा देयता का मापन प्रारंभिक उपयोग की तिथि को लागू वृद्धिशील ऋण दर पर छूट के पश्चात शेष पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य पर किया गया है और उपयोग अधिकार वाली परिसम्पति की लीज देयता के समान राशि पर की गई है। 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए तुलनाओं का समायोजन नहीं किया गया है और इसलिए इन्हें इंड एएस 17–'लीज' के अनुसार रिपोर्ट किया जाता रहेगा। इंड एएस मानक 17 के अनुसार लेखांकन नीतियों के विवरण का प्रकटन अलग से किया जाता है यदि वे इंड एएस 116 से भिन्न होते हैं।

कंपनी द्वारा इस आशय के आकलन किए जाते हैं कि क्या अनुबंध के प्रारंभ में अनुबंध में पट्टा शामिल है अथवा नहीं है। कोई अनुबंध पट्टा तब होता है, अथवा हमें पट्टा शामिल है, जब अनुबंध में प्रतिफल के विनिमय के प्रति किसी समयावधि के लिए किसी चिन्हित परिसम्पति के अधिकार प्राप्त होते हैं। यह आकलन करने के लिए कि क्या चिन्हित परिसम्पति में नियंत्रण के उपयोग के अधिकार हैं अथवा नहीं हैं, कंपनी ये आकलन करती है कि क्या (1) अनुबंध में किसी चिन्हित परिसंपत्ति का उपयोग शामिल है (2) कंपनी के पास पट्टे की अवधि में संपत्ति के उपयोग से होने वाले अधिकांश आर्थिक लाभ हैं और (3) कंपनी के पास संपत्ति के उपयोग को निर्देशित करने का अधिकार है।

कंपनी परिसम्पति के उपयोग अधिकार तथा सभी पट्टा व्यवस्थाओं, जिनमें यह पट्टाधारी है, के लिए अनुवर्ती पट्टा देयता की स्वीकृति करती है जो कि उन पट्टों के संबंध में नहीं की जाती है जिनकी अवधि बारह माह अथवा कम (अल्प अवधि के पट्टे) है तथा पट्टे कम मूल्य की अंतनिर्हित परिसम्पतियां हैं। ऐसे अल्प अवधि वाले एवं कम मूल्य की अंतनिर्हित परिसम्पतियों के पट्टों के लिए कंपनी पट्टा भुगतानों की स्वीकृति पट्टा काल की अवधि में सीधी रेखा आधार पर करती है।

पट्टे के कुछ अनुबंधों में पट्टे की अवधि समाप्त होने से पहले पट्टे का विस्तार या समाप्त करने के विकल्प शामिल हैं। उपयोग अधिकारी की परिसम्पतयिों तथा पट्टा देयताओं में ये विकल्प शामिल हैं जब यह उचित रूप से निश्चित है कि पट्टे को विस्तारित करने के विकल्प का उपयोग किया जाएगा/पट्टे को समाप्त करने के विकल्प का उपयोग नहीं किया जाएगा।

उपयोग अधिकार वाली परिसम्पतियों का प्रारंभिक लेखांकन लागत पर किया जाता है, जिसमें पट्टे के प्रारंभ होने की तिथि से पूर्व अथवा उस तिथि पर किए गए किसी पट्टा भुगतान के लिए समायोजित पट्टा देयता की प्रारंभिक राशि जमा कोई प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत घटा पट्टा प्रोत्साहन शामिल हैं। बाद में उनका मापन लागत घटा संचित मूल्यह्रास/परिशोधन और क्षमता क्षति पर किया जाता है।

उपयोग अधिकार वाली परिसम्पतियों को आरंभिक तिथि से अंतर्निहित संपत्ति के उपयोज्यता काल के अंत तक मूल्यह्रास/परिशोधित किया जाता है, यदि पट्टा, पट्टे की अवधि के अंत तक अंतर्निहित परिसंपत्ति के स्वामित्व को हस्तांतरित करता है या यदि संपत्ति उपयोग अधिकार की लागत दर्शाती है कि खरीद विकल्प का प्रयोग किया जाएगा। अन्यथा, संपत्ति उपयोग अधिकार को लीज अवधि और अंतर्निहित परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन की अपेक्षाकृत छोटी अवधि के लिए सीधी रेखा के आधार पर प्रारंभ तिथि से मूल्यह्रास/परिशोधित किया जाता है।

जब भी घटनाओं या परिस्थितियों में परिवर्तन से संकेत मिलता है कि उनकी वहन राशि वसूली योग्य नहीं हो सकती है, तो वसूली के लिए संपत्ति उपयोग अधिकार का मूल्यांकन किया जाता है। क्षति परीक्षण के उद्देश्य से, वसूली योग्य राशि (अर्थात उचित मूल्य घटा बेचने की लागत और वर्तमान मूल्य का उच्चतर) को व्यक्तिगत परिसंपत्ति के आधार पर निर्धारित किया जाता है जब तक कि संपत्ति नकदी प्रवाह उत्पन्न नहीं करती है जो उन अन्य संपत्ति से काफी हद तक स्वतंत्र हैं। ऐसे मामलों में, नकदी उत्पन्न करने वाली इकाई (सीजीयू) के लिए वसूली योग्य राशि निर्धारित की जाती है, जिससे संपत्ति संबंधित है।

पट्टे की देयता को शुरू में भविष्य के पट्टे के भुगतान के वर्तमान मूल्य पर परिशोधित लागत पर मापा जाता है। लीज भुगतान को लीज में निहित ब्याज दर का उपयोग करके छूट दी जाती है, या यदि वृद्धिशील उधार दर का उपयोग करके आसानी से निर्धारित नहीं किया जाता है। लीज की देयताओं को संबंधित संपत्ति उपयोग अधिकार के संगत समायोजन के साथ फिर से मापा जाता है, अगर कंपनी अपना यह आकलन बदलती है कि क्या वह विस्तार या समापन विकल्प का उपयोग करेगी।

तुलनात्मक अवधि में, पट्टेदार द्वारा पट्टों को भारतीय लेखांकन मानक 17 के अनुसार लेखाबद्ध किया गया है और वित्त पट्टे और परिचालन के रूप में वर्गीकृत किया गया था, और निम्नानुसार लेखाबद्ध किया गया हैः

किसी व्यवस्था में पट्टा व्यवस्था होने अथवा न होने का निश्चय करना

किसी व्यवस्था को प्रारम्भ करते समय, उसमें पट्टे की व्यवस्था किए जाने अथवा न किए जाने का निश्चय किया जाता है। किसी पट्टायुक्त व्यवस्था को प्रारम्भ अथवा पुनर्मूल्यांकन किए जाने की प्रक्रिया उसकी व्यवस्था के लिए अपेक्षित भुगतान एवं अन्य प्रतिफल को उनके उचित मूल्य पर विभाजित किए जाने के आधार पर पट्टे तथा अन्य घटकों में विभाजित करके की जाती है। इसे वित्त पट्टा माने जाने की स्थिति में इसके भुगतान उचित रूप से विभाजित करने व्यवहार्य नहीं हो पाते हैं, अतः ऐसी स्थिति में परिसम्पति एवं किसी देयता की स्वीकार्यता उस दर पर की जाती है, जो मूलभूत परिसम्पति के उचित मूल्य की राशि के समान हो। किए जाने वाले भुगतान से देयताएं न्यून हो जाती हैं तथा देयताओं के प्रति आरोपित वित्त लागत की स्वीकृति आवर्धित दरों पर की जाती है।

पट्टेदार के तौर पर प्रचालन पट्टे का लेखांकन

ऐसे पट्टों को, जिनका स्वामित्व एवं जोखिमों एवं प्रतिफलों से संबंधित महत्वपूर्ण भाग कंपनी को पट्टेदार के रूप में स्थानांतरित नहीं किया गया है, प्रचालनरत पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया गया है। प्रचालनरत पट्टे के अंतर्गत किए गए भुगतान, पट्टेदार द्वारा संभावित मुद्रास्फीति लागत वृद्धियों के अनुरूप न होने पर यदि उसकी प्रतिपूर्ति के लिए प्रत्याशित सामान्य मुद्रास्फीति के अनुसार भुगतान की संरचना नही की गई है, को पट्टे पर किए गए व्यय के रूप में स्वीकार्यता प्रदान की गई है। प्रचालनरत पट्टे के लिए व्यय की गई प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागतें आस्थगित की गई हैं तथा उन्हें पट्टा के लिए लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया गया है।

वित्त पट्टे का पट्टेदार के रूप में लेखांकन

यदि प्राप्यों की संरचना के अनुसार संभावित मुद्रास्फीति लागत की प्रतिपूर्ति के लिए संभावित सामान्य मुद्रास्फीति के साथ साथ बढ़ाए जाने की व्यवस्था नहीं की गई है तो प्रचालनात्मक पट्टों से प्राप्त होने वाली किराया आय की स्वीकृति पट्टे की अवधि के लिए सीधी रेखा आधार पर की जाती है।

14. कर्मचारी हितलाभ

14.1 अल्पकालिक कर्मचारी हितलाभ

सेवा के बारह माह के दौरान देय सभी कर्मचारी हितलाभों को अल्पकालिक कर्मचारी हितलाभ के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वेतन, मजदूरी, बोनस इत्यादि, जैसे लाभों का मापन गैर आय उत्पति के आधार पर किया गया है तथा कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की संबद्ध अवधि के लाभ एवं हानि विवरणों में इसे प्रभारित किया गया है। किसी देयता की स्वीकार्यता उस संभावित राशि के लिए की गई है, जो निष्पादन संबद्ध वेतन के लिए कंपनी के विद्यमान विधिक अथवा तर्कसाध्य दायित्व के अंतर्गत कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई पूर्व सेवाओं के परिणामस्वरूप देय राशि के लिए होती है तथा जिसके दायित्वों के अनुमान विश्वसनीयता के साथ लगाए जा सकते हैं।

14.2 परिभाषित अंशदायी योजना

परिभाषित अंशदायी योजना सेवानिवृत्ति उपरांत प्रदान किए जाने वाले लाभों की एक योजना है, जिसके अंतर्गत कंपनी द्वारा अलग इकाईयों में नियत अंशदान का भुगतान किया जाता है तथा आगे की राशियों के भुगतान के प्रति उसका विधिक अथवा तर्कसाध्य दायित्व नहीं होता है। परिभाषित अंशदायी योजनाओं में किए जाने वाले अंशदान के दायित्वों को लाभ एवं हानि विवरण में कर्मचारी हितलाभ व्ययों के रूप में उस अवधि के दौरान दर्शाया जाता है, जिस अवधि में कर्मचारियों द्वारा सेवाएं प्रदान की गई थी। पूर्वदत्त अंशदानों को उनके परिमाण के अनुसार नकद धनवापसी अथवा भावी भुगतानों में कमी उपलब्ध होने के विचार से परिसम्पति की संज्ञा प्रदान की गई है।

कंपनी में अनबंडलिंग के पश्चात नियुक्त किए कर्मचारियों के लिए परिभाषित अंशदायी भविष्य निधि योजना है, जिसका प्रशासन एवं प्रबंधन भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। कर्मचारी तथा नियोक्ता, दोनों, कर्मचारी के वेतन के निर्दिष्ट प्रतिशत के समान मासिक अंशदान करते हैं। वर्ष के दौरान निधि में किए जाने वाले अंशदान की स्वीकृति व्यय के रूप में की जाती है तथा इसे लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है।

कंपनी में अनबंडलिंग से पूर्व नियुक्त किए कर्मचारियों के नियोजन पश्चात लाभों का प्रशासन एक अलग ट्रस्ट; डीवीबी एम्पलाइज टर्मिनल बेनिफिट फंड (पेंशन ट्रस्ट) द्वारा किया जाता है जो बहु नियोजक योजना है। ट्रस्ट के प्रति कंपनी के दायित्व कर्मचारी के मूल वेतन, छुट्टी नकदीकरण तथा पेंशन अंशदान के परिभाषित प्रतिशत के संबंध में हैं जिनकी दरें केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित की जाती हैं। वर्ष में निधि में किए गए अंशदान को व्यय के रूप में स्वीकृति दी गई है तथा इसे लाभ एवं हानि विवरण मे प्रभारित किया गया है।

14.3 परिभाषित हितलाभ योजना

परिभाषित लाभ योजना रोजगार के पश्चात प्रदान किए जाने वाले लाभों की एक योजना है, जो परिभाषित अंशदायी योजना से भिन्न है। अनबंडलिंग के पश्चात रोजगार में लिए गए कर्मचारियों के प्रति उपदान एवं सेवानिवृत्ति के उपरांत दिए जाने वाले चिकित्सा लाभों के प्रति कंपनी की देयताएं परिभाषित हितलाभ योजनाओं के अंतर्गत आती हैं। कंपनी द्वारा उपदान में निधियन किया जाता है तथा इसका प्रबंधन एक अलग ट्रस्ट द्वारा किया जाता है।

पूर्ववर्ती दिल्ली विद्युत बोर्ड की अनबंडलिंग के पश्चात रोजगार में लिया गया प्रत्येक कर्मचारी, जिसने पांच वर्ष अथवा अधिक समय तक सेवा प्रदान की है, 20 लाख रुपए की निर्धारित अधिकतम सीमा की शर्त के साथ सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 15 दिन के वेतन (मूल वेतन जमा मंहगाई भत्ते) के उपदान का पात्र है। उपदान के दायित्व सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, सेवाएं समाप्त करने, अशक्तता अथवा मृत्यु होने की स्थिति में उत्पन्न होते हैं। कंपनी में सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा सुविधा (पीआरएमएफ) कार्यशील है, जिसके अंतर्गत सेवानिवृत्त कर्मचारी तथा उसके जीवन साथी को निर्धारित सीमाओं की शर्त पर कंपनी के अस्पताल/पैनलबद्ध अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाती है।

परिभाषित हितलाभ योजनाओं के संबंध में कंपनी की निवल देयता की गणना भावी लाभों, जो कर्मचारियों ने चालू अथवा पूर्व अवधियों में अपनी सेवा के लिए प्रतिफल में अर्जित किए हैं, भावी लाभ की राशि का अनुमान लगाकर प्रत्येक योजना के लिए अलग की जाती है; उसके वर्तमान मूल्य का निर्धारण करके, उस लाभ में छूट दी जाती है। लेखाबद्ध नहीं की गई किन्हीं योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य की कटौती की जाती है। छूट दर, रिपोर्टिंग तिथि को भारतीय सरकारी प्रतिभूतियों की प्रचलित बाजार मूल्यों, जिनकी कंपनी के दायित्वों के संदर्भ में परिपक्वता की तिथि सन्निकट है और जो उसी मुद्रा में अंकित की जाती हैं, जिनमें लाभों का भुगतान किया जाना अपेक्षित है, पर आधारित है।

आकलन का निष्पादन प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट विधि के उपयोग से प्रतिवर्ष किसी योग्य गणक द्वारा किया जाता है। आकलन के परिणाम कंपनी के हित में होने की स्थिति में स्वीकृत परिसम्पति किन्हीं योजनागत अथवा योजना में भावी अंशदान की कटौतियों की किसी भावी धनवापसी के रूप में +सी 177 में

उपलब्ध आर्थिक लाभों के वर्तमान मूल्यों के योग तक परिसीमित होती है। कंपनी को आर्थिक लाभ या तो तब प्राप्त होता है जब यह योजना के काल के दौरान अथवा योजना देयताओं के निपटान होने पर प्राप्ति योग्य हो। किसी प्रकार के बीमांकिक लाभों अथवा हानियों की स्वीकार्यता ओसीआई में उनके उत्पन्न होने पर की जाती है।

पिछली सेवा लागतों को योजना संशोधन या कटौती की तिथि अथवा वह तिथि, जब कंपनी संबंधित पुनर्गठन लागतों को लेखाबद्ध करती है, से पहले की लाभ एवं हानि के विवरण में लेखाबद्ध किया जाता है। अगर योजना संशोधन, कटौती या सेटलमेंट होता है तो वर्तमान सेवा लागतों और पुनःमापन के पश्चात की अवधि के लिए निवल ब्याज का निर्धारण पुनःमापन में प्रयुक्त अनुमानों के आधार पर किया जाता है।

14.4 कर्मचारियों के लिए अन्य दीर्घकालिक लाभ

कंपनी द्वारा छुट्टी नकदीकरण एवं छुट्टी यात्रा रियायत के तौर पर दिए जाने वाले लाभ अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी हितलाभों के अंतर्गत आते हैं। भावी लाभों के प्रति कंपनी के सकल दायित्व की राशि कर्मचारी के उन भावी लाभों के लिए होती है जो कर्मचारियों ने अपनी चालू तथा पूर्व अवधि की सेवाओं के फलस्वरूप अर्जित की हैं, जिसके वर्तमान मूल्य के निर्धारण के लिए लाभ का प्रतिफल तथा उसका उचित मूल्य संबद्ध परिसम्पति में से घटाया जाता है। निर्धारित दर रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार भारत सरकार की प्रतिभूतियों, जो कंपनी के दायित्वों के संबंध में परिपक्वता तिथि से युक्त हैं, के प्रचलित बाजार प्रतिफल पर आधारित होती है तथा जिसके मूल्य का अंकन उसी मुद्रा के अनुसार किया जाता है, जिस मुद्रा में लाभ के भुगतान चुकता किए जाने अपेक्षित हैं। आकलन का निष्पादन प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट विधि के उपयोग से प्रतिवर्ष किसी योग्य गणक द्वारा किया जाता है। किसी प्रकार के बीमांकिक लाभों अथवा हानियों की स्वीकार्यता ओसीआई में उनके उत्पन्न होने पर की जाती है।

14.5 टर्मिनेशन लाभ

टर्मिनेशल लाभों का व्यय उस पूर्व स्थिति के लिए किया जाता है, जब कंपनी ऐसे लाभों के प्रस्ताव को समाप्त करने की स्थिति में नहीं थी तथा जब कंपनी पुनर्संरचना की लागतों की स्वीकार्यता कर रही थी। लाभों का समाधान रिपोर्टिंग तिथि से 12 माह के दौरान किए जाने की संभावना न होने की स्थिति में उनका मापन बीमांकन मूल्यांकन जैसे अन्य दीर्घ–कालिक कर्मचारी हितलाभ के आधार पर किया जाता है।

14.6 कॉर्पोरेट अंशभाग

प्रगति पावर कारपोरेशन लिमिटेड (पीपीसील) के साथ की गई व्यवस्था के उपबंधों के अनुसार कंपनी द्वारा कॉर्पोरेट कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों के कर्मचारी हितलाभ व्यय का सहभाजन संबंधित कम्पनियों के ऊर्जा संयंत्रों की संस्थापित क्षमता के अनुपात में किया जाता है। तदनुसार, इन कर्मचारी हितलाभों को अंशदायी योजनाओं में स्वीकृति दी गई है और इन्हें लाभ एवं हानि में प्रभारित किया जाता है।

15. लाभांश

कंपनी के शेयरधारकों को देय लाभांश एवं अंतरिम लाभांश की इक्विटी परिवर्तन के रूप में स्वीकृति उस अवधि में की जाती है जब क्रमशः शेयरधारकों एवं निदेशक मंडल द्वारा इसे अनुमोदित किया जाता है।

16. आयकर

आयकर व्यय चालू एवं आस्थगित कर से युक्त होते हैं। चालू कर व्यय को लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है जिसमें संबंधित मदों की स्वीकार्यता प्रत्यक्षतः क्रमशः अन्य व्यापक आय (ओसीआई) अथवा इक्विटी के अंतर्गत होने के अलावा स्थिति में दर्शाई जाती है तथा ऐसे मामले में इसकी स्वीकृति क्रमशः ओसीआई अथवा इक्विटी में की जाती है।

चालू कर, वर्ष के दौरान रिपोर्टिंग तिथि के लिए लागू दरों अथवा अधिनियमित दरों पर करयोग्य आय पर अनुमानित देय कर होता है तथा जिसमें पूर्व वर्षों के संबंध में देय किसी कर का समायोजन होता है।

आस्थगित कर की स्वीकृति तुलन पत्र विधि से वित्तीय रिपोर्टिंग उद्देश्यों के लिए परिसम्पतियों तथा देयताओं की वहन राशियों एवं कराधान उद्देश्य से प्रयोग में लाई गई राशियों में अस्थाई अंतर स्थापित करते हुए की जाती है। आस्थगित कर का मापन उन कर दरों पर किया जाता है जो व्युतक्रमण, अधिनियमित विधान के आधार पर अथवा मूलतः रिपोर्टिंग तिथि के लिए लागू होने की स्थिति में अस्थाई अंतरों के लिए उपयोग में लाए जाने संभावित हैं। आस्थगित कर परिसम्पतियों एवं देयताओं को चालू कर देयताओं एवं परिसम्पतियों के साथ संतुलित करने का विधिक प्रवर्तनीय अधिकार होने, तथा आयकर के लिए उनकी सम्बद्धता समान कर प्राधिकरण में होने की स्थिति में संतुलित किया जाता है।

आस्थगित कर को लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है, जिसमें संबंधित मदों की स्वीकार्यता प्रत्यक्षतः अन्य व्यापक आय (ओसीआई) अथवा इक्विटी के अंतर्गत होने के अलावा स्थिति में दर्शाई जाती है तथा ऐसे मामले में इसकी स्वीकार्यता ओसीआई के तौर पर की जाती है।

आस्थगित कर परिसम्पति की स्वीकार्यता उस परिमाण के लिए की जाती है, जिसके संबंध में भावी कर लाभों की प्राप्ति की संभावना हो जिनसे अस्थाई अंतर के उपयोग किए जा सकें। आस्थगित कर परिसम्पतियों की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को की जाती है तथा सम्बद्ध कर लाभ प्राप्त होने की संभावना समाप्त होने के मामलों में इसमें कमी की जाती है।

आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अंतर्गत न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) को लाभ एवं हानि के विवरणों में चालू कर के रूप में दर्शाया गया है। चुकता किए गए न्यूनतम वैकल्पिक कर से संबंधित इस अधिनियम के अंतर्गत उपलब्ध क्रेडिट को परिसम्पति के रूप में उस सीमा तक स्वीकार्यता प्रदान की जाती है, जिस सीमा के प्रति कंपनी को अवधि के दौरान सामान्य आयकर का भुगतान किए जाने तथा उसके लिए चुकता न्यूनतम वैकल्पिक कर क्रेडिट को अग्रेषित करके उपयोग किए जाने की निश्चितता हो। परिसम्पति के रूप में स्वीकार किए गए न्यूनतम वैकल्पिक कर की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को

की जाती है तथा इसमें उस सीमा तक कमी की जाती है, जिस सीमा तक सम्बद्ध कर लाभ प्राप्त होने की संभावना समाप्त होती है। इसके अलावा, न्यूनतम वैकल्पिक कर की क्रेडिट परिसम्पति का प्रकटन आस्थगित कर परिसम्पति के शेष के साथ किया जाता है।

जब आयकर उपचार के संबंध में कोई अनिश्चितता होती है तो कंपनी इसका आकलन करती है कि क्या कर प्राधिकारी द्वारा अनिश्चित कर उपचार को स्वीकार करने की संभावना है। यदि यह निष्कर्ष निकलता है कि कर प्रधिकारी द्वारा अनिश्चित कर उपचार को स्वीकार करने की संभावना नहीं है तो कर योग्य आय, कर आधारों और अप्रयुक्त कर हानियों और अप्रयुक्त कर जमाओं पर अनिश्चितता के प्रभाव को लेखाबद्ध किया जाता है। अनिश्चितता के प्रभाव को उस विधि से लेखाबद्ध किया जाता है, जो प्रत्येक मामले में सर्वाधिक संभावित अनिश्चितता या संभावित मूल्य पर अनिश्चितता के परिणाम को दर्शाता है। प्रत्येक मामले के लिए कंपनी आकलन करती है कि क्या प्रत्येक कर उपचार पर अलग से विचार किया या या इस दृष्टिकोण पर कुछ अन्य अनिश्चित कर उपचारों के साथ विचार किया जाए जो अनिश्चितता के संकल्प को सर्वश्रेष्ठ तरीके से दर्शाते हैं।

17. सामग्रीगत पूर्वावधि चूकें

पूर्वावधि से संबंधित चूकों को पूर्वप्रभावी तौर पर उन पूर्वावधियों की तुलनीय राशियों के रूप में उल्लेख करते हुए किया जाता है, जिस अवधि के दौरान ऐसी चूकें हुई थी। यदि चूकें प्रस्तुत पूर्वावधियों से पूर्व हुई हैं तो पूर्वावधि के प्रस्तुत परिसम्पति, दायित्व एवं इक्विटी अथशेषों का उल्लेख पुनः किया जाता हैं।

18. प्रति शेयर आय

प्रति इक्विटी शेयर मूल आय का आकलन कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों के शुद्ध लाभ अथवा हानि को वित्तीय वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके किया जाता है।

प्रति शेयर विरल की गई आय से उन आंकड़ों का समायोजन होता है जो ब्याज के कर उपरांत प्रभाव तथा विरल भावी इक्विटी शेयरों की अन्य सम्बद्ध वित्तीय लागतों, तथा परिवर्तन के विचार से बकाया रखे गए उन सभी विरल भावी इक्विटी शेयरों की भारित औसत अतिरिक्त इक्विटी शेयरों संख्या की प्रति शेयर आय के निर्धारण के लिए उपयोग में लाए गए हैं।

प्रति शेयर मूल तथा डायल्युटिड आय की गणना अर्जन राशियों का उपयोग करके भी की जाती है जिसमें विनियामक आस्थगन लेखा शेषों में हुई गतिविधि को शामिल नहीं किया जाता है।

19. रोकड़ प्रवाह विवरण

रोकड़ प्रवाह विवरण का निर्माण इंड एएस 7 ''रोकड़ प्रवाह विवरण'' के उल्लिखित विधि का अनुसरण करके किया गया है।

20. विनियामक आस्थगन लेखा शेष

कंपनी भारतीय लेखांकन मानक 114, विनियामक आस्थगन लेखा की उपयोज्यता की पात्र है। मानक में पात्र कंपनी को अपने विनियामक आस्थगन लेखा शेषों के लिए पूर्व जीएएपी (दर विनियामित गतिविधियों के लेखांकन से संबंधित मार्गदर्शी नोट) को जारी रखने की अनुमति है। अतः कंपनी ने ऐसे शेषों के लिए जीएएपी लेखांकन नीति को जारी रखने के विकल्प को चुना है।

डीईआरसी टैरिफ विनियमों के पश्चात की अवधियों में लाभार्थियों वसूलीय अथवा देय लाभ तथा हानि विवरण में स्वीकृत राशि के आस्थगित कर की स्वीकृति 'विनियामक आस्थगन लेखा शेषों' के रूप में लेखाबद्ध किया की गई है।

विनियामक आस्थगन लेखा शेषों को उस वर्ष से समायोजित किया जाता है जिनमें ये लाभार्थियों को देय या उनसे वसूली योग्य बन जाते हैं।

विनियामक आस्थगन लेखा शेषों का मूल्यांकन प्रत्येक तुलन पत्र तिथि पर किया जाता है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि अंतर्निहित गतिविधियां लेखाबद्ध मापदंड को पूरा करती हैं और यह संभावना है कि ऐसे शेषों से जुड़े भावी आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे। अगर इस मापदंड को पूरा नहीं किया जाता है तो विनियामक आस्थगन लेखा शेषों को अलेखाबद्ध किया जाता है।

21. प्रचालन खंड

इंड ए एस 108 के अनुसरण में विद्यमान खंड सूचना के लिए प्रयोग में लाए गए प्रचालन खंड का निर्धारण कंपनी के प्रबंधन द्वारा खंड के लिए निर्धारित संसाधनों के आबंटन तथा उनके निष्पादन के मूल्यांकन हेतु उपयोग में लाई गई आंतरिक रिपोर्टों के आधार पर किया गया है। इंड ए एस 108 के अर्थ के दायरे में निदेशक मंडल समूह कंपनी का 'मुख्य प्रचालन निर्णय निर्धारक' अथवा 'सीओडीएम' है। प्रबंधन के मतानुसार केवल एक सूचना योग्य खंड (''ऊर्जा उत्पति'') है।

22. बिक्री के लिए धारित परिसम्पतियां

गैर–चालू संपत्तियों का वर्गीकरण बिक्री के लिए धारित के रूप मे तब किया जाता है जब उनकी वहन राशि की वसूली उनके निरंतर उपयोग के माध्यम के स्थान पर किसी बिक्री संव्यवहार से होती है तथा बिक्री की संभावना को विश्वसनीय माना जाता है। उनका मापन उनकी वहन राशि के न्यूनतम पर तथा बिक्री की लागत घटा उचित मूल्य पर किया जाता है।

किसी परिसम्पति की प्रारंभिक अथवा अनुवर्ती हानि की स्वीकृति लागत घटा उचित मूल्य के लिए की जाती है। उचित मूल्य में किसी अनुवर्ती वृद्धि घटा किसी संपत्ति की बिक्री की लागत के लिए लाभ को लेखाबद्ध किया जाता परंतु पूर्व में लेखाबद्ध किसी संचयी क्षमता हानि में वृद्धि को नहीं। गैर–चालू संपत्ति की बिक्री की तिथि तक लेखाबद्ध नहीं किएं गए किसी लाभ या हानि को अमान्यता की तिथि पर अलेखाबद्ध किया जाता है। गैर–चालू संपत्तियां को

बिक्री के लिए रखी के रूप में वर्गीकृत करने के दौरान मूल्यह्रासित या परिशोधित नहीं किया जाता है। बिक्री के लिए रखी संपत्ति के रूप में वर्गीकृत गैर–चालू संपत्ति को तुलन पत्र में अन्य संपत्तियो से अलग दर्शाया जाता है।

23. वित्तीय लिखत

वित्तीय लिखत एक अनुबंध है, जिससे किसी इकाई की वित्तीय परिसंपत्ति और दूसरी इकाई की वित्तीय देयता अथवा इक्विटी लिखत निर्मित होता है। कंपनी वित्तीय संपत्ति या वित्तीय देयता को केवल तभी लेखाबद्ध करती है जब यह लिखत के संविदागत प्रावधानों के लिए पक्षकार बन जाती है।

23.1 वित्तीय परिसंपत्तियां

प्रारंभिक स्वीकृति एवं मापन

प्रारंभ में सभी वित्तीय परिसंपत्तियों को उचित मूल्य से अधिक पर, यदि लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां दर्ज नहीं की गई हैं, लेन–देन लागतें, जो वित्तीय परिसंपत्तियों के अधिग्रहण अथवा जारी करने के कारण हैं, लेखाबद्ध की जाती है।

अनुवर्ती मापन

परिशोधन लागत पर ऋण लिखत

निम्नलिखित दोनों अपेक्षाएं पूरी होने की स्थिति में 'ऋण लिखत ' का मापन परिशोधन लागत पर किया जाता हैः–

(क) परिसम्पति का धारण व्यवसाय मॉडल के रूप में किया जाता है, जिसका उद्देश्य परिसम्पतियां का धारण संविदागत रोकड़ प्रवाह का एकत्रण है।

(ख) जिस सम्पति की संविदारत शर्तों में किन्हीं विशिष्ट तिथियों को ऐसा रोकड़ प्रवाह उत्पन्न होता है, जो बकाया मूल राशियों की मूल राशि एवं ब्याज (एसपीपीआई) का भुगतान के लिए है।

प्रारम्भिक मापन के पश्चात, ऐसी वित्तीय परिसम्पतियों का प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) विधि के उपयोग से परिशोधन लागत पर अनुवर्ती मापन किया जाता है। परिशोधन लागत का आकलन ईआईआर की अंगभूत क्रिया के अनुसार किसी प्रकार की छूट अथवा अधिग्रहण तथा शुल्क अथवा लागतों पर प्रीमियम को विचार में लेते हुए किया जाता है। ईआईआर परिशोधन में लाभ अथवा हानि की वित्त आय शामिल होती है। परिशोधन से उत्पन्न हानियों को लाभ अथवा हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है। यह श्रेणी सामान्यतः व्यवसाय एवं अन्य प्राप्यों के संबंध में लागू होती है।

अन्य व्यापक आय के माध्यम से ऋण लिखत (एफवीटीओसीआई)

निम्नलिखित दोनों मापदडों को पूरा किए जाने की स्थिति में ऋण लिखतों का वर्गीकरण अन्य व्यापक आय से ऋण लिखत के रूप में किया जाता है : (क) संविदागत रोकड़ प्रवाह तथा वित्तीय परिसम्पति की बिक्री द्वारा व्यवसाय मॉडल के दोनों लक्ष्य प्राप्त किए जाने, तथा (ख) परिसम्पति के संविदागत रोकड़ प्रवाह से मूल राशि एवं ब्याज (एसपीपीआई) के भुगतान की प्रस्तुति होती हो।

अन्य व्यापक आय के माध्यम से ऋण लिखत के वर्ग में शामिल ऋण लिखत का मापन प्रारम्भ में तथा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को उचित मूल्य पर किया जाता है। उचित मूल्य संचलनों की स्वीकृति अन्य व्यापक आय के रूप में की जाती है। तथापि, कंपनी द्वारा ब्याज आय, परिशोधन हानियों एवं व्युतक्रमण तथा विदेशी मुद्रा के विनिमय से होने वाले लाभ अथवा हानि को लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है। परिसम्पतियों की स्वीकृति समाप्त होने पर अन्य व्यापक आय में पूर्व स्वीकृत संचित लाभ अथवा हानि का पुनःवर्गीकरण इक्विटी में से लाभ एवं हानि में किया जाता है। अन्य व्यापक आय से ऋण लिखतों का धारण करते हुए ऋण लिखत को ईआईआर विधि के उपयोग से ब्याज आय की स्वीकृति दी जाती है।

लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर ऋण लिखत (एफवीटीपीएल)

लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य के ऋण लिखत ,ऋण लिखतों के अवशिष्ट वर्ग में आते हैं। जब कोई ऋण लिखत परिशोधित लागत अथवा अन्य व्यापक आय से ऋण लिखत के वर्गीकरण के मापदंड के दायरे में नहीं आता है तो उसका वर्गीकरण लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर ऋण लिखत के वर्ग में किया जाता है।

इसके अलावा, कंपनी द्वारा किसी ऐसे ऋण लिखत , जो अन्य व्यापक आय से ऋण लिखत के वर्गीकरण के लिए अपेक्षित परिशोधित लागतों अथवा एफवीटीओसीआई के मापदंडों के अनुरूप है, का वर्गीकरण लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर ऋण लिखत के रूप में किया जा सकता है। तथापि, ऐसे चयन की अनुमति केवल किसी असंगति (''लेखांकन मिसमैच'' के रूप में संदर्भित) को मापन के लिए न्यून करने अथवा समाप्त करने अथवा स्वीकृति दिए जाने की स्थिति में ही होती है। ऋण लिखत का वर्गीकरण लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर ऋण लिखत के वर्ग में किया जाता है।

इक्विटी निवेश

सम्बद्ध एवं संयुक्त उद्यम कम्पनियों के अलावा कम्पनियों में किए जाने वाले इक्विटी निवेश का मापन उचित मूल्य पर किया जाता है। कंपनी द्वारा इक्विटी निवेश का वर्गीकरण एफवीटीओसीआई अथवा एफवीटीपीएल के अंतर्गत किए जाने का निर्णय लिया जाता है। कंपनी द्वारा किसी लिखत के आधार पर ऐसे चयन किए जाते हैं। वर्गीकरण प्रारंभिक स्वीकृति पर किया जाता है तथा यह स्थिर होता है।

कंपनी द्वारा किसी इक्विटी लिखत का वर्गीकरण एफवीटीओसीआई के रूप में किए जाने की स्थिति में लिखत के उचित मूल्य में होने वाले परिवर्तन, लाभांश के अलावा, को अन्य व्यापक आय में स्वीकृति दी जाती है। लिखत की बिक्री किए जाने के पश्चात भी अन्य व्यापक आय से लाभ एवं हानि में राशियों का परावर्तन नहीं किया जाता है।

एफवीटीपीएल वर्ग में शामिल इक्विटी निवेश का मापन उनके उचित मूल्य पर उनके सभी परिवर्तनों के साथ लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित करके किया जाता है।

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर निवेशों के वहन मूल्य की समीक्षा करती है ताकि यह निर्धारण किया जा सकें कि क्षति का कोई संकेत तो नहीं है। अगर ऐसा कोई संकेत है तो निवेश के वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाया जाता है। अगर वसूली योग्य राशि वहन मूल्य से कम है तो क्षमता हानि को लाभ एवं हानि विवरण में लेखाबद्ध किया जाता है ।

स्वीकृति समाप्त करना

किसी वित्तीय परिसम्पति (अथवा, जहां लागू हो वित्तीय परिसम्पति का भाग अथवा कंपनी की समान वित्तीय परिसम्पतियों का भाग) की मूलतः स्वीकृति समाप्ति (अर्थात कंपनी के तुलन पत्र में से हटाया जाना) तब की जाती है, जब :

- परिसम्पति से प्राप्त होने वाले रोकड़ प्रवाह के अधिकार कालातीत हो गए हों, अथवा
- कंपनी द्वारा रोकड़ प्रवाह की प्राप्ति के लिए परिसम्पति का अंतरण कर दिया हो अथवा "आगे सौंपे जाने" की व्यवस्था के अंतर्गत प्राप्त होने वाले पूर्ण रोकड़ प्रवाह का भुगतान, बिना किसी वस्तुगत देरी क, किसी तृतीय पक्षकार को किसी दायित्व की पूर्ति के लिए स्वीकृत कर लिया गया हो; तथा कंपनी द्वारा या तो (क) कंपनी ने परिसम्पति से संबद्ध सभी जोखिम एवं प्रतिफल मूलतः अंतरित कर दिए गए हों, अथवा (ख) कंपनी द्वारा परिसम्पति से संबद्ध जोखिम एवं प्रतिफल का अंतरण करने अथवा उसका धारण करने के बजाय परिसम्पति का नियंणत्र अंतरित करके उसे दायित्व मान लिया गया हो।

वहन राशि तथा प्राप्त / प्राप्य प्रतिफल के मध्य अंतर की स्वीकृति लाभ एवं हानि विवरण में की जाती है।

वित्तीय परिसम्पतियों की क्षमता क्षति

इंड ए एस 109 के अनुसरण में कंपनी ने निम्नलिखित परिसम्पतियों एवं ऋण जोखिम निवेश की क्षमता क्षतियों के मापन एवं स्वीकार्यता के लिए संभावित ऋण हानि (ईसीएल) मॉडल प्रयोग किए हैंः

(क) ऐसी परिसम्पतियां, जो ऋण लिखत हैं तथा जिनका मापन परिशोधन लागत अर्थात ऋणों, ऋण प्रतिभूतियों, जमा, एवं बैंक जमा शेष से किया गया है।

(ख) इंड ए एस 18 के अंतर्गत व्यवसाय प्राप्य एवं अनुबंध परिसम्पतियां।

व्यापार प्राप्य और संविदा संपत्ति/अनबिल्ड राजस्व के लिए कंपनी भारतीय लेखांकन मानक 109 वित्तीय लिखत द्वारा अपेक्षित सरलीकृत दृष्टिकोण को लागू करती है जिसमें आजीवन प्रत्याशित हानियों को प्रारंभिक लेखाबद्ध करना अपेक्षित होता है।

अन्य वित्त परिसम्पतियों तथा जोखिम निवेश पर क्षमता क्षतियों की स्वीकार्यता के लिए कंपनी द्वारा प्रारंभिक स्वीकार्यता के पश्चात से इसके ऋण जोखिम में किसी प्रकार की महत्वपूर्ण वृद्धि होने की संभावना का निर्धारण किया जाता है। ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि न होने की स्थिति में क्षमता क्षति की व्यवस्था के लिए 12 माह–ईसीएल उपयोग में लाया जाता है। तथापि, ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि होने की स्थिति में ईसीएल का लाइफटाइम उपयोग किया जाता है। यदि किसी अनुवर्ती अवधि के दौरान उपकरण की ऋण गुणवत्ता में प्रारंभिक स्वीकार्यता के पश्चात से इसके ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि न होने जैसा सुधार आता है तो इकाई द्वारा उसे बदलकर 12–माह के ईसीएल पर आधारित परिशोधन हानि भत्ते की स्वीकार्यता दी जाती है।

23.2 वित्तीय देयताएं

प्रारम्भिक स्वीकार्यता तथा मापन

वित्तीय देयताओं का वर्गीकरण प्रारम्भिक स्वीकार्यता पर उनके लाभ अथवा हानि, ऋण, अथवा देयताओं के उचित मूल्य पर उचित रूप से वित्तीय देयताओं के तौर पर किया जाता है। सभी वित्तीय देयताओं की प्रारंभिक मान्यता उनके उचित मूल्य पर, तथा ऋण एवं देयताओं के मामले में उनकी निवल विशिष्ट लेन–देन लागतों पर की गई है। कंपनी की वित्तीय देयताओं में व्यवसाय एवं अन्य देयताएं, ऋण, धारण धनराशि, जमा इत्यादि शामिल हैं।

अनुवर्ती मापन

वित्तीय देयताओं का परिशोधन लागत पर

प्रारंभिक मापन किए जाने के पश्चात ऐसी वित्तीय परिसम्पतियों का अनुवर्ती मापन ईआईआर विधि के उपयोग से परिशोधन लागत पर किया जाता है। देयताओं के प्रति अस्वीकार्यता होने की स्थिति में लाभों एवं हानियों की लाभ एवं हानि लेखे में स्वीकार्यता ईआईआर परिशोधन प्रक्रिया से किसी छूट अथवा अधिग्रहण के प्रीमियम तथा अथवा लागतों, जो ईआईआर का अंगीभूत भाग हैं, को विचार में लेकर परिशोधन लागत का आकलन किया जाता है। ईआईआर परिशोधन को लाभ एवं हानि के अंतर्गत वित्तीय लागतों में शामिल किया जाता है। यह व्यवस्था सामान्यतः ऋणों, व्यवसाय देयताओं एवं अन्य संविदागत देयताओं के संबंध में लागू होती है।

लाभ एवं हानि विवरण के माध्यम से वित्तीय देयताओं का उचित मूल्य पर

लाभ एवं हानि विवरण के माध्यम से वित्तीय देयताओं के उचित मूल्यन में व्यवसाय एवं लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर प्रारंभिक स्वीकृति द्वारा निर्दिष्ट वित्तीय देयताएं शामिल की गई हैं। वित्तीय देयताओं का व्यय निकट भविष्य में उनके पुनः क्रय के उद्देश्य से किए जाने की स्थिति में उनका वर्गीकरण व्यवसाय के लिए धारित के तौर पर किया जाता है। ऐसे वर्गीकरण में कंपनी द्वारा किए गए डेरिवेटिव वित्तीय उपक्रम भी शामिल हैं जो इंड एएस 109 ' वित्तीय लिखत' की परिभाषा के अंतर्गत हैज सम्बद्धता के लिए हैज लिखत के रूप में निर्दिष्ट नहीं किए गए हैं। अलग से किए अंतर्निहित डेरिएटिव का वर्गीकरण भी, उनके प्रभावी हेजिंग लिखत के लिए निर्दिष्ट न होने की स्थिति में, व्यवसाय के लिए धारित के रूप में किया गया है। व्यवसाय के लिए धारित देयताओं पर लाभ एवं हानियों की स्वीकृति लाभ एवं हानि विवरण में की जाती है।

लाभ एवं हानि विवरण के माध्यम से उचित मूल्य पर प्रारंभिक स्वीकृति के लिए निर्दिष्ट की गई वित्तीय निर्दिष्टियों की निर्दिष्टि केवल इंड एएस 109 के मापदंडों को पूरा किए जाने की स्थिति में प्रारंभिक स्वीकृति की तिथि को की जाती है। एफवीटीपीएल के लिए निर्दिष्ट देयताओं के लिए अन्य व्यापक देयताओं में स्वयं के क्रेडिट जोखिम से सम्बद्ध परिवर्तनों के कारण होने वाले उचित मूल्य लाभ/हानियां प्रभारित की जाती है। ऐसे लाभ / हानियां बाद में लाभ एवं हानि विवरण में अंतरित नहीं की जाती हैं। तथापि, कंपनी द्वारा संचयी लाभ अथवा हानि को इक्विटी में अंतरित किया जा सकता है। ऐसी देयताओं के उचित मूल्य में होने वाले अन्य सभी परिवर्तन लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किए जाते हैं। कंपनी द्वारा लाभ एवं हानि विवरण के माध्यम से किसी भी वित्तीय देयता की उचित मूल्य पर निर्दिष्टि नहीं की गई है।

स्वीकृति समाप्ति

किसी वित्तीय देयता की अस्वीकार्यता तब होती है जब देयता के दायित्वों का निर्वाह होता है अथवा वे निरस्त अथवा कालातीत हो जाते हैं। जब कोई विद्यमान वित्तीय देयता के स्थान पर समान ऋणदाता की कोई देयता अत्यंत भिन्न शर्तों पर स्थान लेती है अथवा विद्यमान देयता की शर्तों में काफी बदलाव किए जाते हैं तो ऐसी बदली गई अथवा संशोधित की गई देयता को मूल देयता की अस्वीकार्यता तथा नई देयता की स्वीकार्यता के तौर पर लिया जाता है। इसमें संबंधित वहन राशियों को लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है।

23.3 वित्तीय लिखितों का समंजन

स्वीकृत राशियों के समंजन के लिए विधिक प्रवर्तनीय अधिकार उपलब्ध होने तथा नेट आधार पर अथवा परिसम्पति से चल निधि प्राप्ति करके साथ ही साथ देयता का निपटान करते हुए उनका समाधान करने की मंशा होने पर वित्तीय परिसम्पतियों एवं देयताओं का समंजन किया जाता है तथा उसकी शुद्ध राशियों को तुलन पत्र में दर्शाया जाता है। विधिक प्रवर्तनीय अधिकार भावी क्रियाओं के लिए आकस्मिक नहीं होना चाहिए तथा यह कंपनी अथवा काउंटर पार्टी के व्यवसाय एवं अकरण, ऋणशोधन क्षमता अथवा दिवालियापन की सामान्य प्रकार की क्रियाओं के लिए प्रवर्तनीय होना चाहिए।

घ. अनुमानों तथा प्रबंधन निर्णयों का उपयोग

वित्तीय विवरणों के निर्माण के लिए प्रबंधन से निर्णय लेने, अनुमान लगाने तथा पूर्वानुमान लगाए जाने की अपेक्षा की गई है, जिनसे तुलन पत्र तैयार किए जाने की तिथि को लेखांकन नीतियों तथा परिसम्पतियों, देयताओं, आय, व्यय एवं संबंधित मद के प्रकटन तथा आकस्मिक परिसम्पतियों एवं देयताओं की प्रयोज्यता प्रभावित हो सकती है। अनुमान तथा प्रबंधन के निर्णय पूर्वानुभवों एवं औचित्यपरक समझे गए अन्य कारको एवं स्थितियों की अनुरूपता पर आधारित होते हैं। वास्तविक परिणाम ऐसे अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं।

अनुमान और अंतर्निहित अनुमानों की सतत् आधार पर समीक्षा की जाती है। लेखांकन अनुमानों के लिए संशोधन उस अवधि में लेखाबद्ध किए जाते हैं, जिसमें अनुमानों में संशोधन किए गए हैं और किन्हीं भावी अवधियों में लागू किए गए हैं।

वित्तीय विवरणों की समझ में वृद्धि करने के उद्देश्य से, अनुमान, अनिश्चितता के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के बारे में सूचना और लेखांकन नीतियों को लागू करने में महत्वपूर्ण निर्णय, जिनका वित्तीय विवरणों में लेखाबद्ध की गई राशियों पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रभाव है, निम्न प्रकार हैं :–

1. लेखांकन नीति तैयार करना

लेखांकन नीतियों को इस तरीके से तैयार किया जाता है कि वित्तीय विवरणों में परिणामों में लेनदेनों, अन्य घटनाओं और लागू शर्तों के बारे में संगत एवं विश्वसनीय सूचना शामिल होती है। इन नीतियों को तब लागू करने की जरूरत नहीं होती है जब उनको लागू करने का प्रभाव मामूली हो।

2. संपति, संयंत्र एवं उपकरण तथा अमूर्त परिसम्पतियों की उपयोज्यता अवधि

विद्युत उत्पति के व्यवसाय की परिसम्पतियों की उपयोज्यता अवधि का निर्धारण दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के अनुसरण में मूल्य सूची विनियमन के अंतर्गत किया जाता है। दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग द्वारा संचलित परिसम्पतियों की उपयोज्यता अवधि, विद्युत उत्पति के व्यवसाय से भिन्न अन्य परिसम्पतियों के अलावा, की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि के अंत में की जाती है तथा उचित पाए जाने की स्थिति में इनका समायोजन भावी प्रभाव से किया जाता है।

3. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण एवं अमूर्त संपत्तियों की वसूली योग्य राशि

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण एवं अमूर्त संपत्तियों की वसूली योग्य राशि प्रत्याशित बाजार दृष्टिकोण और पावर संयंत्रों के संबंध में भावी रोकड़ प्रवाह के संबंध में अनुमानों एवं अवधारणों पर आधारित होती है। इन अवधारणाओं में किसी बदलाव का वसूली योग्य राशि के मापन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है और परिणामस्वरूप क्षति हो सकती है।

4. **रोजगार पश्चात हितलाभ योजना**

कर्मचारी हितलाभ दायित्वों का मापन वास्तविक पूर्वानुमानों के आधार पर किया जाता है, जिसमें मृत्यु एवं निकासी दरों तथा संबंधित विकासों के संबंध में रियायती दरों, मुद्रास्फीति की दर के साथ ही साथ वेतन की दर में वृद्धि, पर पूर्वानुमान लगाए जाते हैं। कंपनी के मतानुसार दायित्वों के मापन के लिए विचार में लिए गए पूर्वानुमान उचित हैं तथा इनका लेखा जोखा रखा गया है। तथापि, ऐसे पूर्वानुमानों में होने वाले किसी बदलाव का सामग्रीगत प्रभाव परिणामी आकलनों पर पड़ सकता है।

5. **राजस्व**

कंपनी द्वारा ऊर्जा की बिक्री से प्राप्त राजस्व का रिकार्ड दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग द्वारा अनुमोदित, विद्युत अपीलिय ट्रिब्यूनल तथा विनियामक अथवा सांविधिक प्राधिकरण के आदेशों पर यथा संशोधित, मूल्य सूची के अनुसार इंड एएस 18 के अंतर्गत स्थापित सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए किया जाता है। तथापि, मूल्य दर स्थापित न किए जाने के मामलों में दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग के मूल्य सूची विनियमों के अनुसार लागू अस्थाई दरें उपयोग में लाई जाती हैं।

6. **प्रावधान तथा आकस्मिकताएं**

प्रावधानों तथा आकस्मिकताओं की स्वीकार्यता के लिए गए निर्धारण इंड ए एस 37 'प्रावधान, आकस्मिक दायित्व एवं आकस्मिक परिसम्पतियां' के अनुसरण में किए गए हैं। आकस्मिक घटनाओं के घटित होने के मूल्यांकन के लिए ऋण जोखिम की संभावनाओं एवं संभावित हानियों के संबंध में प्रबंधन के उचित निर्णय की अपेक्षा होती है। स्थितियां बदल जाने की स्थिति में निम्नलिखित अप्रत्याशित विकास ऐसी स्थितियों में बदलाव ला सकते हैं।

7. **बिक्री के लिए धारित परिसम्पति**

गैर चालू परिसम्पतियों के लेखांकन की उपयोज्यता के लिए इंड ए एस 105 'बिक्री के लिए धारित गैर चालू परिसम्पतियां तथा बंद परिचालन' के अंतर्गत महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने की अपेक्षा होती है। उपयोज्यता के मूल्यांकन के लिए प्रबंधन द्वारा तुरंत बिक्री के लिए ऐसी उपलब्ध परिसम्पतियों के मूल्यांकन के निर्णय लिए गए हैं, जिसकी बिक्री के प्रति प्रबंधन की प्रतिबद्धता एवं बिक्री की संभावना एक वर्ष के भीतर इस निर्धारण के लिए पूरी होगी कि उसकी वहन राशि की वसूली मूल रूप से बिक्री लेन–देन के माध्यम से की जा सकती है न कि लगातार प्रयोग करने से।

8. **आय कर**

अनिश्चित कर स्थितियों के लिए चुकता/वसूल की जाने वाली राशियों सहित आय कर के प्रावधानों का निर्धारण करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण अनुमान लगाए जाते हैं।

9. **विनियामक आस्थगन लेखा शेष**

विनियामक आस्थगन लेखा शेषों के लेखांकन में महत्वपूर्ण निर्णय शामिल होते हैं, जिनमें भावी टैरिफ विनियमों के निर्णय शामिल होते हैं क्योंकि ये भविष्य में टैरिफ के माध्यम से वसूली योग्य/देय राशियों के अनुमानों पर आधारित होते हैं।

2. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई)

31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार

रुपए लाख में

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक
	01 अप्रैल, 2020 की स्थिति	परिवर्धन	घटाव/ समायोजन	31 मार्च, 2021 की स्थिति	01 अप्रैल, 2020 की स्थिति	वर्ष के दौरान	घटाव/ समायोजन	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2021 की स्थिति
भवन – पावर संयंत्र	14.88	-	-	**14.88**	6.44	1.15	-	**7.59**	**7.29**
अन्य भवन	245.08	-	-	**245.08**	32.28	4.45	-	**36.73**	**208.35**
संयंत्र एवं मशीनरी	16,505.76	268.19	13.83	**16,760.12**	9,663.55	2215.25	2.29	**11,876.51**	**4,883.61**
फर्नीचर एवं जुड़नार	122.86	-	-	**122.86**	71.29	7.45	-	**78.74**	**44.12**
वाहन (लोकोमोटिव सहित)	18.24	-	0.93	**17.31**	4.74	3.61	-	**8.35**	**8.96**
कार्यालय उपकरण	220.08	10.95	-	**231.03**	96.97	19.01	-	**115.98**	**115.05**
अस्पताल उपकरण	5.15	-	-	**5.15**	4.40	0.00	-	**4.40**	**0.75**
कंप्यूटर हार्डवेयर	118.72	-	-	**118.72**	71.67	7.36	-	**79.03**	**39.69**
संचार उपकरण	28.77	-	-	**28.77**	8.74	1.58	-	**10.32**	**18.45**
संरक्षा एवं सुरक्षा उपकरण	21.52	-	-	**21.52**	18.89	-	-	**18.89**	**2.63**
रेलवे साइडिंग	-	-	-	-	-	-	-	-	-
योग	**17,301.06**	**279.14**	**14.76**	**17,565.44**	**9,978.97**	**2,259.86**	**2.29**	**12,236.54**	**5,328.90**

31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार

रुपए लाख में

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक
	01 अप्रैल, 2019 की स्थिति	परिवर्धन	घटाव/ समायोजन	31 मार्च, 2020 की स्थिति	01 अप्रैल, 2019 की स्थिति	वर्ष के दौरान	घटाव/ समायोजन	31 मार्च, 2020 तक	31 मार्च, 2020 की स्थिति
भवन – पावर संयंत्र	232.88	-	218.00	**14.88**	176.35	1.15	171.06	**6.44**	**8.44**
अन्य भवन	245.08	-	-	**245.08**	27.83	4.45	-	**32.28**	**212.80**
संयंत्र एवं मशीनरी	21,189.20	1,064.72	5,748.16	**16,505.76**	10,497.33	1,937.37	2,771.15	**9,663.55**	**6,842.21**
फर्नीचर एवं जुड़नार	123.30	1.58	2.02	**122.86**	64.26	8.91	1.88	**71.29**	**51.57**
वाहन (लोकोमोटिव सहित)	31.58	-	13.34	**18.24**	2.35	3.61	1.22	**4.74**	**13.50**
कार्यालय उपकरण	189.76	30.65	0.33	**220.08**	80.41	16.80	0.24	**96.97**	**123.11**
अस्पताल उपकरण	5.15	-	-	**5.15**	4.40	-	-	**4.40**	**0.75**
कंप्यूटर हार्डवेयर	98.29	20.43	-	**118.72**	65.55	6.12	-	**71.67**	**47.05**
संचार उपकरण	28.77	-	-	**28.77**	7.12	1.62	-	**8.74**	**20.03**
संरक्षा एवं सुरक्षा उपकरण	21.52	-	-	**21.52**	18.89	-	-	**18.89**	**2.63**
रेलवे साइडिंग	65.31	-	65.31	-	32.36	-	32.36	-	-
योग	**22,230.84**	**1,117.38**	**6,047.16**	**17,301.06**	**10,976.85**	**1,980.03**	**2,977.91**	**9,978.97**	**7,322.09**

2. **संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई)**

"बिक्री के लिए रखी गई गैर–चालू संपत्तियां" के रूप में वर्गीकृत होने के कारण वर्ष के लिए सकल ब्लॉक और मूल्यह्रास एवं परिशोधन से कटौतियां/समायोजन निम्नानुसार हैं:

विवरण	सकल खंड	मूल्यह्रास	डब्ल्यूडीवी
भवन – पावर संयंत्र	218.00	171.06	46.94
संयंत्र एवं मशीनरी	4,187.34	1,880.38	2,306.96
वाहन (लोकोमोटिव सहित)	12.05	-	12.05
रेलवे साइडिंग	65.31	32.36	32.95
योग	4,482.70	2,083.80	2,398.90

रा.रा.क्षे.दिल्ली सरकार द्वारा आरपीएच को बंद करने के लिए 22 फरवरी 2016 को एक समिति का गठन किया गया था, जिसने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। विद्युत विभाग, रा.रा.क्षे.दिल्ली सरकार ने दिनांक 25 जुलाई, 2019 के अपने आदेश द्वारा राजघाट पावर स्टेशन को बंद करने के संबंध में कैबिनेट की स्वीकृति संसूचित की है और आईपीजीसीएल को संयंत्र के निपटान के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए अधिकृत किया है। इसके अतिरिक्त, रा.रा.क्षे.दिल्ली सरकार के विद्युत विभाग को संदर्भित आदेश के तहत स्वच्छ पावर के उत्पादन के लिए साइट पर सोलर पार्क का बनाने की अनुमति दी गई है। निदेशक मंडल ने 21 अगस्त, 2019 की अपनी बैठक में राजघाट पावर हाउस को बंद करने और निपटान पर निर्णय लिया और इसे स्वीकृति प्रदान की है। बोर्ड ने समयबद्ध तरीके से निपटान के संबंध में सभी जरूरी कार्यवाही करने का निर्देश दिया है।

31 मार्च, 2020 को की गई सक्रिय चर्चा एवं संलिप्तता से ऐसा प्रतीत हुआ है है कि कंपनी का प्रबंधन पावर हाउस की संपत्ति और उपकरण को बेचने के लिए प्रतिबद्ध है तथा बिक्री के लिए एक सकिय कार्यक्रम भी है। कंपनी को आगामी 12 महीनों में नीलामी के माध्यम से संपत्तियों का निपटान होने की संभावना है। भारतीय लेखांकन मानक 105 "बिकी के लिए धारित गैर–चालू परिसम्पतियां तथा बंद परिचालन" के अनुसार, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, जो "बिक्री के लिए धारित गैर–चालू संपत्तियां" के भाग के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इन संपत्तियों का मूल्यांकन उनकी वहन राशि पर किया गया है और इसका वसूली योग्य मूल्य वहन राशि से अधिक रहने की संभावना है। इस तरह के वर्गीकरण के कारण लाभ एवं हानि विवरण में लेखाबद्ध अपसामान्य क्षति/लाभ शून्य है। विवरण के लिए नोट52 देखें।

क. कंपनी द्वारा प्रतिभूति के तौर पर रेहन की गई संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के लिए नोट संख्या 22 देखें।

ख. पूंजी खाते में निष्पादन के लिए शेष संविदाओं की अनुमानित राशि 16.10 लाख रुपए (31 मार्च, 2020 को 151.74 लाख रुपए) है जिसके लिए प्रावधान नहीं किए गए हैं।

ग. सकल ब्लॉक में 20.22 लाख रुपए (31 मार्च, 2020 को 20.22 लाख रुपए) के कंप्यूटर हार्डवेयर शामिल है, जिनका निवल ब्लॉक 5.06 लाख रुपए (31 मार्च, 2020 : 5.06 लाख रुपए) है तथा जिनका संयुक्त उपयोग, संयुक्त स्वामित्व के साथ, इंद्रप्रस्थ पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड एवं प्रगति पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है।

घ. दिल्ली विद्युत बोर्ड के परिसमापन के पश्चात कंपनी को उपयोग के आधार पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार से लाइसेंसी के रूप में प्राप्त भूमि (96.16 एकड़) के उपयोग का अधिकार प्राप्त है। व्यवसाय संयोजनों के संक्रातिक छूट के अनुसार, इस भूमि का मूल्य पिछले जीएएपी के तहत शून्य माना गया है।

ङ संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के संबंध में स्वीकृति मापदडों की अनुरूपता वाले 5.00 लाख रुपए तथा अधिक मूल्य के अतिरिक्त पूर्जों का पूंजीयन किया जाता है।

च. राजघाट पावर हाउस की परिसंपत्तियों के संबंध में नोट संख्या 52 देखें।

3. **अमूर्त संपत्तियां**

	राशि
क) सकल ब्लॉक	
31 मार्च, 2021 को	-
31 मार्च, 2020 को	-
	-
ख) संचयी परिशोधन एवं अपसामान्यता, यदि कोई हों	
31 मार्च, 2021 को	-
31 मार्च, 2020 को	-
	-
ग) निवल ब्लॉक	
31 मार्च, 2021 को	-
31 मार्च, 2020 को	-
	-

वर्ष के प्रारंभ में और पिछले वर्ष के लिए अमूर्त संपत्तियों की सकल वहन राशि और निवल वहन राशि शून्य है। 31 मार्च, 2015 को अमूर्ति संपत्तियों की निवल वहन राशि शून्य थी और भारतीय लेखांकन मानक को अपनाने के लिए मानी गई लागत छूट को लागू करके इसे 1 अप्रैल 2015 को सकल वहन राशि के रूप में माना गया था।

4. गैर–चालू वित्तीय संपत्तियां–संयुक्त उद्यम तथा संबंद्ध कंपनियों में निवेश रुपए लाख में

विवरण	31.03.2021 को स्थिति	31.03.2020 को स्थिति
इक्विटी लेखपत्र – लागत पर गैर–उद्धृत पूर्णतः चुकता		
संबद्ध कंपनी में निवेश		
अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	155,858.80	154,328.28
10 रुपए मूल्य प्रत्येक के 71,65,04,100 शेयर (31 मार्च, 2020 को 71,65,04,100)		
योग	**155,858.80**	**154,328.28**
गैर–उद्धृत निवेश की समग्र राशि	155,858.80	154,328.28
निवेश के मूल्य में क्षति की समग्र राशि	-	-

क) निवेश का मूल्यांकन लेखांकन नीति संख्या सी 6 (नोट संख्या 1) के अनुसार किया गया है।

ख) अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (एपीसीपीएल) शेयरों से लिमिटेड कंपनी है जिसका निगमन एवं स्थापना भारत में है एवं इसके व्यवसाय के प्रमुख स्थल भारत में स्थित हैं। अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड में कंपनी का स्वामित्व 25 प्रतिशत (31 मार्च, 20120 को 25 प्रतिशत) है। एमओयू के अनुसार कंपनी ने रिपोर्टिंग की तिथि तक अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड में 71,650.41 लाख रुपए (31 मार्च, 2020: 71650.41 लाख रुपए) का निवेश किया है।

5. गैर–चालू वित्तीय परिसंपत्तियां – अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां रुपए लाख में

विवरण	31.03.2021 को स्थिति	31.03.2020 को स्थिति
अप्रतिभूत, उचित समझे गए		
प्रतिभूति जमा	13.40	13.86
योग	**13.40**	**13.86**

6. अन्य गैर–चालू वित्तीय परिसंपत्तियां रुपए लाख में

विवरण	31.03.2021 को स्थिति	31.03.2020 को स्थिति
अप्रतिभूत, उचित समझे गए		
पूंजी अग्रिम	22.26	87.22
पूंजी अग्रिमों के अलावा अन्य अग्रिम		
पूर्वदत्त व्यय	20.07	32.57
अग्रिम कर एवं स्रोत पर कर कटौती	43.79	71.21
आस्थगित वेतनसूची व्यय (नीचे क देखें)	**86.12**	**191.00**

क) आस्थगित वेतन सूची व्यय में कर्मचारियों के लिए खरीदे गए वाहन तथा लैपटॉप/प्रिंटरों और मोबाइल फोन पर किया गया व्यय शामिल है, जो परिभाषित अवधि पूरी होने के पश्चात कर्मचारियों को अंतरित किए जाएंगे तथा इस व्यय का आनुपातिक परिशोधन अवधि के दौरान किया जाएगा।

7. **मालसूचियां** रुपए लाख में

विवरण	31.03.2021 को स्थिति	31.03.2020 को स्थिति
कोयला	430.49	397.74
तेल	117.96	121.26
लूज टूल्स	1.09	1.15
भंडार एवं अतिरिक्त पूर्जे	2,871.59	2,937.07
	3,421.13	**3,457.22**
घटाएंः न्यूनता के लिए प्रावधान	0.07	9.88
अप्रचलित/गैर–मरम्मत योग्य मालसूचियों के लिए प्रावधान	372.83	372.83
योग	**3,048.23**	**3,074.51**

क) मालसूची मदों का मूल्यांकन, लेखांकन नीति संख्या सी.7 (नोट संख्या 1) के अनुसार किया गया है।

ख) कंपनी द्वारा प्रतिभूति के तौर पर रेहन रखी गई मालसूचियों के लिए नोट 22 देखें।

ग) कंपनी के पास प्रचालनों के दौरान उत्पन्न अस्वीकृत कोयले की मालसूची है, जिसका रिकॉर्ड ऐसे कोयले का मूल्य महत्वपूर्ण न होने के कारण लेखा में नहीं लिया गया है। तथापि, पिछले अनेक वर्षों से इसका निपटान न हो पाने के कारण ऐसे कोयले की अत्याधिक मात्रा यार्ड में इक्ट्ठी हो गई है, जिसका अभी निर्धारण किया जाना है। इसके निपटान के लिए कारगर उपाय किए गए है, परन्तु अभी तक फलीभूत नहीं हो पाए हैं।

घ) वर्ष के दौरान कंपनी ने 0.07 लाख रुपए (31 मार्च, 2020ः 1.03 लाख रुपए) की मालसूचियों की न्यूनता के लिए तथा भंडार में अप्रचलित मालसूचियों के संबंध में शून्य लाख रुपए (31 मार्च, 2020ः शून्य लाख रुपए) के प्रावधान लेखाबद्ध किए गए हैं। इसके अलावा, जीसीवी को विचार में लेकर कोयले में 32.75 लाख रुपए (31 मार्च, 2020ः (–)18.00 लाख रुपए) की न्यूनता की गई है।

ङ) कंपनी द्वारा मालसूचियों की पहचान के लिए भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया के दौरान 9.88 लाख रुपए (31 मार्च, 2020ः 4.80 लाख रुपए) की मालसूचियों की न्यूनता के प्रावधानों को वापस लिया गया है।

च) मालसूची का भौतिक सत्यापन बाहरी एजेंसी द्वारा किया गया है और रिपोर्ट के अनुसार प्रावधान का प्रतिलेखन किया गया है। तथापि प्रबंधन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करके इन मालसूचियों को लेखा बहियों से हटा लिया जाएगा।

छ) वर्ष के दौरान व्यय के रूप में लेखाबद्ध मालसूचियों की राशि निम्नानुसार हैः रुपए लाख में

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
ईंधन (नोट 29 देखें)	14,651.39	23,908.51
अन्य (नोट 32 – अन्य व्ययों में शामिल)	297.93	605.28
योग	**14,949.32**	**24,513.79**

ज) मालसूची में शामिल कोयला, राजघाट पावर हाउस से संबंधित है। ब्योरे के लिए नोट संख्या 52 देखें।

8. **व्यापार प्राप्य** रुपए लाख में

विवरण	31 मार्च, 2021 को स्थिति	31 मार्च, 2020 को स्थिति
अच्छा समझा गया – अप्रतिभूत	147,925.46	166,725.34
योग	**147,925.46**	**166,725.34**

क) ऊर्जा क्रय करार के अनुसार डिस्कॉम द्वारा भुगतान सुरक्षा तंत्र के तौर पर कंपनी के पक्ष में एलसी राशि के समतुल्य रेहन एवं प्राप्यों हेतु करार करने के उद्देश्य से पिछले 12 महीनों के मासिक औसत बिल के 105 प्रतिशत के समतुल्य बिना शर्त परिक्रामी और अप्रतिसंहरणीय साख पत्र उपलब्ध कराए जाने हैं, जिससे समतुल्य रैंकिंग के प्राप्यों पर प्रथम फ्लोटिंग प्रभारों का सृजन होगा एवं चूक एस्क्रो खातों का निष्पादन भी होगा। तथापि, बीएसईएस यमुना प्राइवेट लिमिटेड, बीएसइएस राजधानी प्राइवेट लिमिटेड तथा टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड न तो क्रमशः 31 मार्च, 2011 तथा 31 मार्च, 2011 तथा 31 मार्च, 2021 के पश्चात साख पत्र का नवीकरण किया गया है और न ही इसके लिए अपेक्षित करार किया गया है।

ख) संबद्ध पार्टी प्रकटन के लिए नोट संख्या 46 देखें ।

ग) व्यापार प्राप्यों को चालू माना गया है क्योंकि ये प्रचालन चक्र के दौरान वसूली योग्य हैं और आशा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय किसी भी समय अपने सुरक्षित निर्णय की घोषणा करेगा और तत्पश्चात व्यापार प्राप्य भी परिसमाप्त हो जाएंगे।

घ) ऋण जोखिम के लिए नोट संख्या 34 (2) और (3) देखें।

9. रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य

रुपए लाख में

विवरण	31 मार्च, 2021 को स्थिति	31 मार्च, 2020 को स्थिति
बैंकों में शेष		
चालू खाते**	53.17	171.73
बैंकों में जमा	15,480.00	7,685.01
धारित चैक	-	-
धारित रोकड़*	-	-
धारित स्टैम्प्स	0.52	0.45
योग	**15,533.69**	**7,857.19**

* धारित रोकड़ 31 मार्च, 2021 को 498 रुपये है।

** संवितरण योग्य 60.09 लाख रुपये की सब्सिडी 31 मार्च, 2020 को एमएनआरई से प्राप्त की गई है और इसे सावधि जमाओ के रूप में अलग खाते में रखा गया है।

10. रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य के अलावा अन्य बैंक शेष

रुपए लाख में

विवरण	31 मार्च, 2021 को स्थिति	31 मार्च, 2020 को स्थिति
बैंकों में जमा राशि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) से प्राप्त राशि में से है, जिसे सौर संयंत्र विकासकों को सब्सिडी (उपार्जित ब्याज सहित) के रूप में वितरण के लिए रखा गया है ।	233.96	34.55
तीन माह परन्तु बारह माह तक की मूल परिपक्वता वाले बैंक (संदर्भ नीचे प्रस्तुत नोट (क))	3,200.00	-
योग	**3,433.96**	**34.55**

11. अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

रुपए लाख में

विवरण	31 मार्च, 2021 को स्थिति	31 मार्च, 2020 को स्थिति
उचित समझा गया–अप्रतिभूत		
प्राप्य निगमित शेयर (नीचे घ देखें)	828.75	653.38
बैंको में जमा से उपार्जित ब्याज (संदर्भ घ नीचे)	26.40	28.20
बिल न किया गया राजस्व (नीचे ख देखें)	1,893.08	47.54
संबंद्ध पक्षकारों से प्राप्य (नीचे घ देखें)	865.36	467.75
अन्य (नीचे ग देखें)	276.52	257.17
केडिट क्षमता हानि		
आईपी स्टेशन से प्राप्य (नोट 49 देखें)	917.32	917.32
घटाएं: प्राप्य ऋण क्षमता हानि के लिए हानि भत्ता	917.32	917.32
यमुना बैरेज से प्राप्य (नीचे क देखें)	175.83	175.83
घटाएं: प्राप्य ऋण क्षमता हानि के लिए हानि भत्ता	173.69	170.11
	2.14	**5.72**
योग	**3,892.25**	**1,459.76**

क) दिल्ली थर्मल पावर नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त आदेश के उपबंधों के अनुसार, कंपनी द्वारा हरियाणा सिंचाई विभाग द्वारा प्रबंधित यमुना बैरेज की मरम्मत एवं अनुरक्षण पर शून्य लाख रुपए (31 मार्च, 2020: 2.78 लाख रुपए) का व्यय किया गया है। इस व्यय का एक भाग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग तथा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से वसूला जाना है। संग्रहण के प्रति अनिश्चितता के कारण 3 वर्ष से पुराने दावों के लिए प्रावधान किए गए हैं। कंपनी के जिस आईपी स्टेशन से इस बैरेज के लिए पानी प्राप्त किया गया था, वह दिसंबर, 2009 से बन्द किया जा चुका है कंपनी ने जीएनसीटीडी को इस व्यवस्था को बंद करने का प्रस्ताव दिया है क्योंकि यह मामला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और हरियाणा के बीच का मामला है।

ख) नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा वित्त वर्ष 2014–15 में वर्ष 1999 से वर्ष 2012 के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य में कोयले के परिवहन के लिए पारगमन शुल्क के तौर पर 4091.64 लाख रुपए का दावा किया गया है, जिसके लिए कंपनी द्वारा वर्ष 2017–18 तक 2489.00 लाख रुपए चुकता किए गए हैं और वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान 1602.64 लाख रुपए की बकाया राशि जारी की है। उक्त राशि डिस्कामों तथा अन्य लाभग्राहियों से प्राप्त की जानी है परन्तु दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग के लंबित आदेश के कारण 31 मार्च, 2019 तक इसके लिए बिल जारी नहीं किए जा सके हैं और इसके लिए 4.11.2019 को वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान बिल जारी किए गए हैं।

ग) अन्यों में, मुक्ति क्रेडिट्स प्राइवेट लिमिटेड से आई. पी. स्टेशन की बिक्री के लिए विलम्बित भुगतान पर ब्याज के रूप में 225.66 लाख रुपए (31 मार्च, 2019: 225.66 लाख रुपए) की राशि वसूली जानी है। मध्यस्थक ने दिनांक 27 दिसंबर 2018 के आदेश द्वारा कंपनी के पक्ष में आंशिक भुगतान अवार्ड किया है। इस पंचाट के अनुसार, वसूली योग्य राशि 225.66 लाख रुपए से अधिक है, तथापि, कंपनी तथा मैसर्स मुक्ति क्रेडिट्स प्राइवेट लिमिटेड ने अपने–अपने मुद्दों के साथ माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में मामले दायर किए हैं।

घ) संबंधित पक्ष के विवरण संबंधित पक्ष प्रकटन के लिए नोट 46 में दिए गए हैं।

ङ) बैंक जमा पर उपार्जित ब्याज में 0.02 लाख रूपए की चिन्हित निधियां शामिल हैं।

12. अन्य चालू परिसंपत्तियां रुपए लाख में

विवरण	31 मार्च, 2021 को स्थिति	31 मार्च, 2020 को स्थिति
उचित समझा गया–अप्रतिभूत		
वार्षिक वेतन अथवा वेतन प्राप्य (नीचे क देखें)	-	6,069.02
कर्मचारियों को अग्रिम	-	0.20
ठेकेदारों एवं आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम	42.60	43.78
पूर्वदत्त व्यय	261.73	189.79
आस्थगित वेतनसूची व्यय (कृपया नोट 6 देखें)	32.89	33.66
योग	**337.22**	**6,336.45**

क) गेल इंडिया के साथ आरएनएलजी गैस आपूर्ति के दीर्घकालिक करार में न्यूनतम एलएनजी की वार्षिक खरीद के लिए गारंटी की व्यवस्था की गई है। इस करार के अंतर्गत, वित्त वर्ष 2014–15 में गेल के अनुसार देयताओं की राशि 43476.50 लाख रुपए थी परन्तु उन्होंने 9,103.55 लाख रुपए के भुगतान की मांग है तथा शेष के संबंध में अपने दावे का अधिकार उन्होंने बाद के लिए सुरक्षित कर लिया है। 9,103.55 लाख रुपए की राशि का समायोजन गैस आपूर्ति करार की मेकअप ब्लॉक में किए गए निर्धारण के अनुसार गैस आपूर्ति करार की अवधि के दौरान गैस के मेकअप मात्रा की कंपनी द्वारा खरीद की जाने वाली गैस में से किया जा सकेगा तथा 01 फरवरी 2018 और 28 जनवरी, 2020 को किए गए त्रिपक्षीय करार के अंतर्गत आरएनएलजी की दैनिक संविदागत मात्रा (डीसीक्यू) में से गैस का पथातंरण प्रगति पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में करने का प्रावधान करने की लोचकता दी गई है। 9,103.55 लाख रुपए की उक्त राशि प्राप्य दर्शाई गई है। तथापि, वर्ष के दौरान, कंपनी ने 6069.02 लाख रूपए (31 मार्च, 2020 3034.50 लाख रूपए) कैलेंडर वर्ष 2019 के लिए समायोजनों की मद में मेक–अप गैस के रूप में वसूल कर लिए हैं । 3034.50 लाख रूपए की राशि के बिल डिस्कॉम्स को मेकअप गैस के समायोजन के प्रति संबंधित वर्ष में जारी किए गए हैं। चूंकि 31.3.2020 की स्थिति के अनुसार 9,103.55 लाख रुपये में से 3,034.50 लाख रुपये का भुगतान गेल को किया जा चुका है, अतः शेष 6069.05 लाख रुपए की शेष देयताएं नोट संख्या 23 (व्यापार देय) में दर्शाई गई हैं।

13. चालू कर परिसंपत्तियां (निवल) रुपए लाख में

विवरण	31 मार्च, 2021 को स्थिति	31 मार्च, 2020 को स्थिति
स्रोत पर आस्थगित कर कटौती (टीडीएस)	3252.83	0
अग्रिम कर तथा स्रोत पर कर कटौती	4,081.68	16,167.23
घटाएं : कर के लिए प्रावधान	5,858.95	2,273.88
घटाएं : एफबीटी की संदेहास्पद वसूली के लिए प्रावधान	26.89	26.89
योग	**1,448.67**	**13,866.46**

कंपनी के निदेशक मंडल की दिनांक 21.12.2022 को आयोजित 110वीं बैठक में कंपनी ने वरिष्ठ कर परामर्शदाताओं तथा वरिष्ठ एडवोकेट से प्राप्त परामर्श प्राप्त के आधार पर एलपीएससी के रूप में स्वीकृत आय के प्रति 10 प्रतिशत की सीमा तक (अर्थात कंपनी द्वारा चालू वित्त वर्ष के दौरान स्वीकृत एलपीएससी आय का अनुपात) के लिए टीडीएस क्रेडिट प्राप्त करने का निर्णय लिया है । इस निर्णय के परिणामस्वरूप एलपीएससी के रूप में स्वीकृत आय के प्रति टीडीएस का 90 प्रतिशत क्रेडिट उस वित्तीय वर्ष की कर देयता का दावा करने के लिए आस्थगित किया जाएगा जिस वर्ष में उक्त आय कंपनी को डिस्कॉम्स से प्राप्त होगी। तदनुसार, 3,252.83 लाख रूपए की राशि उस टीडीएस के प्रति है जिसका दावा कंपनी एलपीएससी से प्राप्त आय के वित्तीय वर्ष में करेगी। एलपीएससी की आय के प्रति 321.42 लाख रूपए की राशि के 10 प्रतिशत के क्रेडिट को उपर्युक्त 4081.68 लाख रूपए की राशि में चालू वर्ष कर प्रावधानों के साथ समायोजित किया गया है।

14. विनियामक आस्थगन लेखा नामे शेष

रुपए लाख में

विवरण	31 मार्च, 2021 को स्थिति	31 मार्च, 2020 को स्थिति
आस्थगित कर दायित्व के लिए आस्थगित कर संपत्ति	-	-
योग	-	-

विनियामक आस्थगन लेखा शेषों का लेखांकन लेखांकन नीति सी20 नोट 1 के अनुसार किया गया है। विस्तृत विवरण के लिए नोट 53 देखें।

15. बिक्री के लिए धारित गैर–चालू परिसंपत्तियां

रुपए लाख में

विवरण	31 मार्च, 2021 को स्थिति	31 मार्च, 2020 को स्थिति
बिक्री के लिए धारित परिसंपत्तियां (नोट 2 और 52 देखें)	2412.65	2412.65
	2412.65	**2412.65**

16. इक्विटी शेयर पूंजी

रुपए लाख में

विवरण	31 मार्च, 2021 को स्थिति	31 मार्च, 2020 को स्थिति
इक्विटी शेयर पूंजी		
प्राधिकृत		
10 रुपए मूल्य प्रत्येक के 1,50,00,00,000 इक्विटी शेयर (31 मार्च, 2020: 1,50,00,00,000)	**150,000.00**	**150,000.00**
जारी, अभिदत्त तथा पूर्ण चुकता		
10 रुपए मूल्य प्रत्येक के 73,65,40,000 शेयर (31 मार्च, 2020: 73,65,40,000 शेयर इक्विटी)	**73,654.00**	**73,654.00**

क) **इक्विटी शेयर पूंजी में मूवमेंट :**

वर्ष के दौरान, कंपनी द्वारा न तो कोई शेयर जारी किया गया है तथा न ही वापस क्रय किया गया है।

ख) **इक्विटी शेयरों की शर्तें तथा संबंद्ध अधिकार :**

कंपनी के 10 रुपए अंकित मूल्य वाले एक मात्र श्रेणी के इक्विटी शेयर हैं। इक्विटी शेयर के धारक लाभांश प्राप्त करने के पात्र हैं तथा उन्हें शेयर धारकों की बैठक में अपनी शेयर धारिता के अनुपात में मतदान करने का अधिकार भी प्राप्त है।

कंपनी के परिसमापन की स्थिति में, इक्विटी शेयरों के धारक सभी अधिमान्य राशियों के वितरण के पश्चात कंपनी की शेष परिसंपत्तियों को प्राप्त करने के पात्र होंगे। ऐसा वितरण शेयरधारकों द्वारा धारण किए गए इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुसार आनुपातिक रूप में किया जाएगा।

ग) 31 मार्च, 2021 तथा 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार, कंपनी के 5 प्रतिशत से अधिक शेयरधारकों से संबंधित विवरण:

शेयरधारक का नाम	शेयरों की संख्या	शेयर धारिता का प्रतिशत
उप–राज्यपाल, दिल्ली	59,65,40,000	80.99%
दिल्ली पावर कंपनी लिमिटेड* (नीचे घ देखें)	14,00,00,000	19.01%

* इसमें उप–राज्यपाल, दिल्ली/डीपीसीएल की ओर से आठ नामितों के 8 इक्विटी शेयर शामिल हैं।

घ) दिल्ली विद्युत सुधार (अंतरण योजना) नियमावली, 2001 के अनुसरण में, योजना की शर्तों के अनुसार परिसंपत्तियों एवं देयताओं की वैस्टिंग के लिए नकद रूप में कोई भुगतान प्राप्त किए बिना दिल्ली पावर कंपनी लिमिटेड (डीपीसीएल) को 13,995.00 लाख रुपए के 13,99,50,000 शेयर दिनांक 01 जुलाई, 2002 को जारी किए गए।

17. अन्य इक्विटी

विवरण	31 मार्च, 2021 को स्थिति	31 मार्च, 2020 को स्थिति
सामान्य रिजर्व	5,000.00	5,000.00
धारित आय	151,646.87	137,593.95
योग	**156,646.87**	**142,593.95**

धारित आय में मूवमेंट

विवरण	31 मार्च, 2021 को स्थिति	31 मार्च, 2020 को स्थिति
वर्ष के प्रारम्भ में	137,593.95	111,021.49
वर्ष के दौरान लाभ/(हानि)	14,176.63	26,586.69
अन्य व्यापक आय/(व्यय)	(123.71)	(14.23)
वर्ष के अंत में	**151,646.87**	**137,593.95**

प्रकृति एवं अन्य रिजर्व का उद्देश्य:

(क) **धारित आय**

धारित आय कंपनी का अवितरित लाभ अभिप्रेत है।

(ख) **सामान्य रिजर्व**

सामान्य रिजर्व, सांविधिक रिजर्व हैं जो कॉर्पोरेट विधि के अनुरूप हैं जिसमें लाभ के एक हिस्से को सामान्य रिजर्व के रूप में अलग रखा जाता है। कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत, सामान्य रिजर्व में अंतरण की जाने वाली राशि, कंपनी के विवेकाधीन है।

18. ऋण

रुपए लाख में

विवरण	31 मार्च, 2021 को स्थिति		31 मार्च, 2020 को स्थिति	
	गैर–चालू	चालू परिपक्वता	गैर–चालू	चालू परिपक्वता
बैंक से प्रतिभूत सावधि ऋण				
इंडियन बैंक (पूर्व में इलाहाबाद बैंक) से वाहन ऋण	-	-	-	-
संबंद्ध पार्टियों से प्रतिभूत सावधि ऋण				
दिल्ली पावर कंपनी लिमिटेड (डीपीसीएल)	-	-	-	-
संबंद्ध पार्टियों से अप्रतिभूत सावधि ऋण				
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) – 5 वर्ष				
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) – 15 वर्ष	-	5,262.07	2,472.00	8,922.61
	-	25,718.85	-	25,166.38
	-	**30,980.92**	**2,472.00**	**34,088.99**
घटाएं : ब्याज उपचय परन्तु ऋण पर देय नहीं	-	-	-	8.29
घटाएं : ब्याज उपचय तथा ऋण पर देय	-	30,980.92	-	29,808.70
योग	-	**(0.00)**	**2,472.00**	**4,272.00**

क) **इंडियन बैंक (पूर्व में इलाहाबाद बैंक) से प्रतिभूत वाहन ऋण** कंपनी के कार्यकारी अधिकारियों को दिए गए विशिष्ट वाहनों को गिरवी रखकर 31 मार्च 2020: 9.60 प्रतिशत प्रति वर्ष (31 मार्च, 2019: 9.60 प्रतिशत प्रतिवर्ष) की आधार दर पर प्रतिभूत ऋण लिया गया है, जो 60 बराबर मासिक किस्तों में अदा किया जाना है। हालांकि, वित्त वर्ष 2019–20 में पूरे वाहन ऋण को चुका दिया गया है।

ख) **दिल्ली पावर कंपनी लिमिटेड से प्रतिभूत सावधि ऋण** पर 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज देय है, जो किसी प्रकार की देरियों के लिए 1.50 प्रतिशत प्रतिवर्ष के दंडस्वरूप ब्याज के साथ है तथा इसका अंतरण पूर्ववर्ती दिल्ली विद्युत बोर्ड के परिसमापन पर दिनांक 01.07.2002 को किया गया था। यह ऋण, उत्पादन संयंत्र प्रणालियों एवं परिसंपत्तियां, वर्तमान एवं भावी चल एवं अचल दोनों के सामान्य बंधक द्वारा प्रथम प्रभार रैकिंग के समरूप द्वारा प्रतिभूत है, जो

1166.67 लाख रुपए प्रत्येक की 18 छमाही किस्तों में अदा किया जाना है। इसके मूलधन का पूर्ण भुगतान वित्त 2017–18 वर्ष के दौरान कर दिया गया है, वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान 3,023.32 लाख रुपये का ब्याज अदा किया गया और डीपीसीएल द्वारा 621.09 लाख रुपये का दंडस्वरूप ब्याज माफ किया गया है। ब्याज सहित ऋण को चुकाने और डीपीसीएल से एनओसी प्राप्त होने पर प्रभार विधिवत रूप से पूरे किए गए हैं।

ग) <u>राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) से प्राप्त अप्रतिभूत ऋण (5 वर्ष)</u> पर ब्याज की दर 9.50 प्रतिशत एवं 9.00 प्रतिशत की दर पर तथा किसी भी देरी के लिए 2.75 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से दंडस्वरूप ब्याज देय है तथा इस ऋण की अदायगी 5 वर्षों में वार्षिक किस्तों में की जानी है।

घ) <u>राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) से प्राप्त अप्रतिभूत ऋण (15 वर्ष)</u> पर 11.50 प्रतिशत एवं 13 प्रतिशत प्रति वर्ष का ब्याज है, जिस पर किसी भी देरी के लिए 2.75 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से दंडस्वरूप ब्याज देय है तथा इस ऋण की अदायगी 15 वर्षों में वार्षिक किस्तों में की जानी थी और इसे वर्ष 2019–20 में चुका दिया गया है।

ङ) मूलधन ऋण के लिए देय किस्त की पुनर्अदाएगी में कोई चूक नही हुई है। दंडस्वरूप ब्याज सहित ब्याज के पुनर्भुगतान के प्रति चूक जारी है।

विवरण	ब्याज दर	कब से चूक	मूलधन	ब्याज	योग
रा.राज.क्षे.दिल्ली सरकार–ओ/एच–जीटी	13.00%	2005-06	-	1,360.98	1,360.98
रा.राज.क्षे.दिल्ली सरकार–ओ/एच–जीटी	13.00%	2005-06	-	1,589.72	1,589.72
रा.राज.क्षे.दिल्ली सरकार–डब्ल्यूएचआरयू–1 एवं 2–नवीकृत	13.00%	2005-06	-	329.26	329.26
रा.राज.क्षे.दिल्ली सरकार–आरएंडएम आईपी	13.00%	2005-06	-	344.17	344.17
रा.राज.क्षे.दिल्ली सरकार–आरएंडएम–आरपीएच	13.00%	2005-06	-	860.44	860.44
रा.राज.क्षे.दिल्ली सरकार–ओ/एच–जीटी	11.50%	2005-06	-	770.12	770.12
रा.राज.क्षे.दिल्ली सरकार–डब्ल्यूएचआरयू–1 एवं 2–नवीकृत	11.50%	2005-06	-	308.15	308.15
रा.राज.क्षे.दिल्ली सरकार–आईपी–ईएसपी	11.50%	2005-06	-	924.46	924.46
रा.राज.क्षे.दिल्ली सरकार–आरएंडएम–आरपीएच	11.50%	2005-06	-	893.64	893.64
रा.राज.क्षे.दिल्ली सरकार–परामर्शी	11.50%	2005-06	-	30.67	30.67
रा.राज.क्षे.दिल्लीसरकार–आईपी.–ईएसपी	11.50%	2005-06	-	898.24	898.24
रा.राज.क्षे.दिल्ली सरकार–आईपी–ईएसपी	11.50%	2005-06	-	2,058.30	2,058.30
रा.राज.क्षे.दिल्ली सरकार–जीटी–जीएसी	11.50%	2005-06	-	1,787.32	1,787.32
रा.राज.क्षे.दिल्ली सरकार–आरएंडएम–आरपीएच	11.50%	2006-07	-	999.20	999.20
रा.राज.क्षे.दिल्ली सरकार–जीटी–ओवरहॉलिंग	11.50%	2006-07	-	592.64	592.64
रा.राज.क्षे.दिल्ली सरकार–डब्ल्यूएचआरयू–1 एवं 2– नवीकृत	11.50%	2006-07	-	1,581.60	1,581.60
रा.राज.क्षे.दिल्ली सरकार–आरएंडएम आईपी स्टेशन	11.50%	2006-07	-	844.57	844.57
रा.राज.क्षे.दिल्ली सरकार– आरएंडएम–आरपीएच	11.50%	2006-07	-	953.43	953.43
रा.राज.क्षे.दिल्ली सरका –जीटी–ओवरहॉलिंग	11.50%	2007-08	-	997.03	997.03
रा.राज.क्षे.दिल्ली सरकार –जीटी–ओवरहॉलिंग	11.50%	2007-08	-	971.04	971.04
रा.राज.क्षे.दिल्ली सरकार–डब्ल्यूएचआरयू–1 एवं 2–नवीकृत	11.50%	2007-08	-	213.77	213.77
रा.राज.क्षे.दिल्ली सरकार–आरएंडएम–आईपी स्टेशन	11.50%	2007-08	-	791.81	791.81
रा.राज.क्षे.दिल्ली सरकार–आरएंडएम–आरपीएच	11.50%	2007-08	-	1,042.56	1,042.56
रा.राज.क्षे.दिल्ली सरकार–सीसीजीटी(जीटीपी)	11.50%	2008-09	-	1,340.00	1,340.00
रा.राज.क्षे.दिल्ली सरकार –सीसीजीटी(जीटीपी)	11.50%	2008-09	-	3,235.73	3,235.73
रा.राज.क्षे.दिल्ली सरकार : 5 वर्ष	9.50%	2012-13	-	3,352.19	3,352.19
रा.राज.क्षे.दिल्ली सरकार : 5 वर्ष	9.50%	2016-17	-	871.96	871.96
रा.राज.क्षे.दिल्ली सरकार : 5 वर्ष	9.00%	2018-19	-	1,037.92	1,037.92
योग			**-**	**30,980.92**	**30,980.92**

19. प्रावधान

रुपए लाख में

विवरण	31 मार्च, 2021 को स्थिति	31 मार्च, 2020 को स्थिति
गैर चालू प्रावधान		
कर्मचारी हितलाभ के लिए प्रावधान		
उपदान	157.76	234.15
छुट्टी नकदीकरण	2,573.13	2,321.66
सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा सुविधा	1,734.55	1,185.43
छुट्टी यात्रा रियायत	100.11	107.47
सेवांत लाभ	123.05	122.45
योग	**4,688.60**	**3,971.16**
चालू प्रावधान		
कर्मचारी हितलाभ के लिए प्रावधान		
उपदान	78.78	48.57
छुट्टी नकदीकरण	146.17	96.03
सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा सुविधा	7.46	3.37
छुट्टी यात्रा रियायत	12.31	12.99
सेवांत लाभ	18.97	16.75
अवशिष्ट परिसंपत्तियों के लंबित अनुमोदन के लिए प्रावधान	15.68	17.51
वेतन संशोधन के लिए प्रावधान	-	1,411.39
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण में कमी के लिए प्रावधान	43.53	33.01
योग	**322.90**	**1,639.62**
योग प्रावधान	**5,011.50**	**5,610.78**

क) भारतीय लेखांकन मानक 19 'कर्मचारी हितलाभ' के अंतर्गत अपेक्षित प्रकटन नोट 37 में दिया गया है।

ख) भारतीय लेखांकन मानक 37 'प्रावधान, आकस्मिक देयताओं एवं आकस्मिक परिसंपत्तियां' से संबंधित प्रकटीकरण के लिए कृपया नोट संख्या 48 देखें।

ग) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का भौतिक सत्यापन बाहरी एजेंसी द्वारा किया गया है और रिपोर्ट के अनुसार प्रावधान का प्रतिलेखन किया गया है। हालांकि प्रबंधन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करके इन संपत्तियों को लेखा बहियों से हटा लिया जाएगा।

20. आस्थगित कर देयताएं (निवल)

रुपए लाख में

विवरण	31 मार्च, 2020 को स्थिति	31 मार्च, 2020 को स्थिति
आस्थगित कर देयता		
पीपीई के बही आधार और कर आधार में अंतर	1,102.54	2,538.49
घटाएं : आस्थगित कर परिसंपत्तियां		
व्यापार हानियां	-	-
कर्मचारी सेवानिवृत्ति उपरांत हितलाभ के लिए प्रावधान	571.49	1,636.46
अन्य प्रावधान	152.47	210.83
सौर परामर्श सेवा पर आस्थगित आय	13.87	**18.40**
योग	**364.71**	**672.80**

क) भारतीय लेखांकन मानक 12 'आयकर' के अनुसार प्रकटीकरण के लिए नोट 36 देखें।

ख) दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग उत्पादन टैरिफ विनियम, 2011 के अनुसार, 31 मार्च, 2012 तक आस्थगित कर देयता की वसूली इनके कार्यान्वयन होने के समय डिस्कॉम से की जानी है। तथापि, दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग विनियम, 2011 के अनुसरण में, आयकर को स्थिर लागत का भाग माना गया है और दिनांक 01 अप्रैल 2012 से इसकी वसूली अलग से नहीं की जानी है। तद्नुसार इसे लाभ व हानि विवरण में प्रभारित किया गया है।

21. अन्य गैर–चालू देयताएं

रुपए लाख में

विवरण	31 मार्च, 2021 को स्थिति	31 मार्च, 2020 को स्थिति
सौर परामर्श सेवाओं से प्राप्त आस्थगित आय (संदर्भ नोट (क) नीचे)	35.51	34.90
योग	**35.51**	**34.90**

(क) आईपीजीसीएल को उन विक्रेताओं से 5 प्रतिशत सेवा प्रभार प्राप्त हो रहा है जो दिल्ली में सौर पीवी परियोजनाओं की स्थापना के लिए पैनलबद्ध किए गए हैं। इसके लिए आईपीजीसीएल को पांच वर्ष की अवधि तक इन सौर पीवी परियोजनाओं की मॉनीटरिंग करनी होती है। तदनुसार, सौर परियोजनाओं से प्राप्त आय की स्वीकृति पहले वर्ष प्राप्त राशि के 92 प्रतिशत के अनुपात में की गई है तथा शेष 8 प्रतिशत को आस्थगित राजस्व के रूप में रखा गया है जिसमें से 2 प्रतिशत राशि का लेखांकन अगले चार वर्षों की आय के रूप में किया गया है।

22. ऋण

रुपए लाख में

विवरण	31 मार्च, 2021 को स्थिति	31 मार्च, 2020 को स्थिति
बैंकों से प्रतिभूत ऋण		
मांग पर पुनर्भुगतान योग्य ऋण	2.59	276.48
संबद्ध पार्टियों से अप्रतिभूत ऋण		
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी)	54,821.82	77,621.00
दिल्ली पावर कंपनी लिमिटेड (डीपीसीएल)	-	-
घटाएं : ब्याज उपचय तथा ऋण पर देय	54,821.82	51,621.00
योग	**2.59**	**26,276.48**

क) कंपनी को इंडियन बैंक (पहले इलाहाबाद बैंक) से 9,000.00 लाख रुपए (31 मार्च, 2020: 9,000.00 लाख रुपए) की नकद ऋण सुविधा सभी वर्तमान एवं भावी परिसपंत्तियों के समरूप आधार पर प्रथम प्रभार द्वारा और कंपनी की स्थायी परिसंपत्तियों पर समरूप आधार पर द्वितीय प्रभार से प्रतिभूत रोकड़ क्रेडिट सीमा है। इस पर 9.65 प्रतिशत (31 मार्च, 2020: 9.65 प्रतिशत) की दर से ब्याज देय है। दिल्ली पावर कंपनी लिमिटेड (डीपीसीएल) ने 4 सितंबर, 2020 को पीपीई पर प्रथम प्रभार को पूरा कर लिया है।

ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) से 20,000 लाख रुपए, 20,000 लाख रुपए और 10,000 लाख रुपए के अप्रतिभूत ऋण क्रमशः 31 दिसंबर, 2012, 31 मार्च, 2013, और 06 मार्च, 2014 को देय थे। 20000 लाख रुपये के ऋण, जिसे 31 दिसंबर 2012 को या इससे पहले चुकाना था, पूरा अदा कर दिया गया है (वित्त वर्ष 2018–19 में 2,500 लाख रुपये, वित्त वर्ष 2019–20 में 17,500 लाख रुपये)। इसके अलावा 20,0000 लाख रुपये के ऋण, जिसे 31 मार्च, 2013 को या इससे पहले चुकाना था, का पूर्ण भुगतान वित्तीय वर्ष 2020–21 में कर दिया गया है। इन सभी ऋणों पर 10 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर पर ब्याज और किसी विलंब पर 2.75 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर दंडस्वरूप ब्याज देय है। तथापि, दंडस्वरूप ब्याज सहित मूलधन, ब्याज के पुनर्भुगतान के प्रति चूक की अवधि एवं इसकी निरंतरता निम्नानुसार हैः–

रुपए लाख में

ऋण का विवरण	ब्याज की दर	कब से चूक	मूलधन	ब्याज सहित जुर्माना ब्याज
जीएनसीटीडी.–200 करोड़ रुपए	10%	2011-12	-	22,252.80
जीएनसीटीडी.–200 करोड़ रुपए	10%	2012-13	-	21,982.94
जीएनसीटीडी –100 करोड़ रुपए	10%	2013-14	-	10,586.08
योग			-	**54,821.82**

23. व्यापार देय

रुपए लाख में

विवरण	31 मार्च, 2021 को स्थिति	31 मार्च, 2020 को स्थिति
–सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम के कुल बकाया देय	164.00	144.14
–सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों के कुल देय	12,727.05	19,016.58
योग	**12,891.05**	**19,160.72**

क) दिल्ली विद्युत सुधार (अंतरण योजना) नियमावली, 2001 के अंतर्गत दिनांक 1 जुलाई, 2002 को दिल्ली विद्युत बोर्ड का उत्पादन व्यवसाय कंपनी को स्थानांतरित किए जाने के परिणामस्वरूप, व्यवसाय का भार लिए जाने के समय से समर्थित दस्तावेज उपलब्ध न होने के कारण 1291.96 लाख रुपए (31 मार्च, 2020: 1291.96 लाख रुपए) की निवल देयताओं का समाधान/अभिज्ञान किया जाना शेष है। किसी दावेदार द्वारा दावे प्रस्तुत किए जाने और उसकी जांच करने के पश्चात कंपनी द्वारा दावों का निपटान किया जाता है। वर्ष के दौरान, कंपनी ने शून्य लाख रुपए (31 मार्च, 2020: 113.80 लाख रुपए) के दावों का निपटान किया है।

ख) संबंद्ध पार्टी प्रकटीकरण के लिए कृपया नोट संख्या 46 देखें।

ग) गेल के प्रति देयताओं के लिए कृपया नोट संख्या 12(क) देखें।

घ) सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों के संबंध में अपेक्षित सूचनाः

रुपए लाख में

विवरण	31 मार्च, 2021 को स्थिति	31 मार्च, 2020 को स्थिति
क. किसी आपूर्तिकर्ता को चुकता न की गई शेष राशि :		
मूल राशि	162.31	143.59
उस पर देय ब्याज	1.69	0.55
ख. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम की धारा 16 के अंतर्गत चुकता ब्याज की राशि सहित आपूर्तिकर्ता को नियत दिन से बाद के लिए दी गई राशि।	0.55	2.76
ग. भुगतान में देरी की अवधि के लिए देय तथा भुगतान योग्य ब्याज (जिसका भुगतान वर्ष के दौरान नियुक्त तिथि के पश्चात किया गया है) जो सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम में निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना चुकता किया गया है।	-	-
घ. उपचय तथा चुकता न किए गए ब्याज की राशि	1.69	0.55
ङ सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत कटौती योग्य व्यय के रूप में अमान्य व्यवकलनीय व्यय के उद्देश्य से, जिस तिथि तक उपर्युक्त ब्याज की देयताओं का वास्तव में अथवा उद्यमियों को भुगतान किया गया है, के बाद अनुवर्ती वर्षों के दौरान भी बकाया व देय अतिरिक्त ब्याज की राशि।	1.69	0.55

24. अन्य वित्तीय देयताएं

रुपए लाख में

विवरण	31 मार्च, 2021 को स्थिति	31 मार्च, 2020 को स्थिति
गैर–चालू उधारियों की वर्तमान परिपक्वता (नोट18 देखें)	-	4,272.00
जमा/धारित धन	119.49	132.06
ब्याज उपचय, पर ऋण पर देय नहीं	-	8.29
ब्याज उपचय तथा उधारियों पर देय	85,802.73	81,429.70
जीएनसीटीडी को देय (नीचे क देखें)	3,676.24	3,676.24
घटाएं : पेंशन ट्रस्ट से प्राप्य	27.78	27.93
	3,648.46	**3,648.31**
अन्य देय		
कर्मचारियों को देय	272.99	269.28
पेंशन ट्रस्ट को देय	67.82	22.44
वितरण के लिए नवीन एवं नवीकरणीय मंत्रालय से प्राप्त अनुदान (नीचे ख देखें)	250.51	119.84
अन्य (नीचे ग देखें)	2.27	12.71
योग	**90,164.27**	**89,914.63**

क) कंपनी द्वारा पूर्वकाल में विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना लागू की गई थी, जिसमें पेंशन, अनुग्रह राशि, छुट्टी नकदीकरण, उपदान, एलटीसी तथा कम्यूटेशन के व्ययों का अनुदान द्वारा निधियन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार द्वारा किया गया था। विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत छुट्टी नकदीकरण, उपदान तथा कम्यूटेशन की राशि का पुनर्भुगतान चूंकि पेंशन ट्रस्ट द्वारा विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजनाओं का प्रयोग करने वाले

कर्मचारी की अधिवर्षिता की आयु पूरी होने पर किया जाता है, अतः इस राशि की धनवापसी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार को उक्त कारणों से की जानी है। पेंशन ट्रस्ट ने 31 मार्च, 2020 तक सेवानिवृति की आयु पूरी कर चुके कर्मचारियों के संबंध में 31 मार्च, 2021 तक के लिए 3525.22 लाख रुपए (31 मार्च, 2020: 3525.22 लाख रुपए) की देयताओं को स्वीकार कर लिया है तथा पेंशन ट्रस्ट के प्रति कंपनी की देयताओं से इसका संमजन (सेट ऑफ) कर लिया गया है परन्तु निधियों की कमी के कारण उक्त राशि की वापसी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार को नहीं की जा सकी है।

ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार द्वारा नियुक्त नोडल एजेंसी के रूप में कंपनी को सौर ऊर्जा विकासकों को वितरित करने के लिए अनुदान प्राप्त हुआ है। कंपनी को केवल एमएनआरई से प्राप्त राशि में से अनुदान करना अपेक्षित है।

ग) अन्य देय–अन्य में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के विकल्प का चयन करने वालों को देय, गतावधि चैक इत्यादि शामिल हैं।

घ) संबंद्ध पार्टी प्रकटन के लिए कृपया नोट संख्या 46 देखें।

25. अन्य चालू देयताएं

रुपए लाख में

विवरण	31 मार्च, 2021 को स्थिति	31 मार्च, 2020 को स्थिति
स्रोत पर कर कटौती एवं अन्य सांविधिक देय	203.53	213.95
पेंशन ट्रस्ट को देय	269.16	2,917.58
अपशिष्ट डीलरों से अग्रिम	11.55	33.89
सौर परामर्श से प्राप्त आस्थगित आय (नोट संख्या 21 देखें)	19.58	17.76
योग	**503.82**	**3,183.18**

26. आस्थगित राजस्व

रुपए लाख में

विवरण	31 मार्च, 2021 को स्थिति	31 मार्च, 2020 को स्थिति
आस्थगित सरकारी अनुदान (नीचे क देखें)	45.04	48.70
योग	**45.04**	**48.70**

क) आस्थगित सरकारी अनुदान में जीटीपीएस संयंत्र पर 99.80 किलो वॉट का सोलर पावर संयंत्र स्थापित करने के लिए नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार से प्राप्त अनुदान शामिल है। उक्त अनुदान से किसी प्रकार की अपूर्ण शर्तें अथवा अन्य संबंद्ध आकस्मिकताएं नहीं जुड़ी हैं।

27. प्रचालनों से राजस्व

रुपए लाख में

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
ऊर्जा की बिक्री (नीचे क देखें)	23,951.38	46,396.83
अन्य प्रचालन राजस्व :		
ऊर्जा की बिक्री पर अधिभार (नीचे ग देखें)	3,614.12	4,205.82
लाभग्राहियों से ब्याज (नीचे घ देखें)	-	6,450.58
योग	**27,565.50**	**57,053.23**

क) वर्ष 2017–18 में ट्रयूनिंग अप के संशोधन तथा वर्ष 2018–19 में ट्रूनिंग अप के संबंध में दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग/विद्युत अपीलीय अधिकरण (एपीटीईएल) द्वारा क्रमशः जारी आदेशों के कारण पूर्व वर्षों से संबंधित ऊर्जा की बिक्री का निवल (–)800.34 लाख रूपए तथा (–)1714.14 लाख रूपए (31 मार्च, 2020 – 1283.87 लाख रूपए) है। आरपीएच से संबंधित राजस्व के लिए नोट 52 देखें।

गेल से प्राप्त एजीओ क्रेडिट की मद में डिस्कॉम को पास की गई राशि के लिए नोट 12 (क) देखें।

वर्ष, 2021–22 के दौरान, कंपनी को 2019–20 के संबंध में (–)3163.56 लाख रुपये की ट्रूनिंग अप के आदेश प्राप्त हुए थे जिसमें 326.56 लाख रूपए की वहन लागत शामिल थी। इसके अलावा, दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग द्वारा एपीटीईएल के आदेश को प्रभावी किया गया है तथा वित्तीय वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 से संबंधित 10,920.00 लाख रूपए (वर्ष 2020: (–)2517.7) की वसूली की अनुमति दी गई है जिसका 2021–22 के लिए लेखांकन अनुसरण की जा रही लेखांकन नीति के अनुसार किया जाएगा।

ख) डिस्कॉमों द्वारा भुगतान में निरंतर चूक किए जाने और धन सग्रंह में अनिश्चितता के आलोक में, ऊर्जा बिलों का विलम्ब से भुगतान किए जाने के कारण, डिस्कॉमों से वसूल किए जाने वाले अधिभार को केवल स्रोत पर काटे गए कर (टीडीएस) व डिस्कॉमों द्वारा कर प्राधिकारियों के पास जमा किए गए धन की सीमा तक, गणना में लिया गया है। इसके परिणामस्वरूप, प्राप्यों पर सदृश प्रभाव सहित 43,573.80 लाख रुपए (31 मार्च, 2020: 37,852.35 लाख रुपए) के राजस्व को लेखाबद्ध नहीं किया गया है।

ग) दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग के विनियमों के अनुसार आयोग द्वारा अनुमोदित प्रशुल्क से कम/अधिक प्रशुल्क की वसूली के संबंध में ट्रूइंग अप के पश्चात, कंपनी द्वारा लाभग्राहियों से/को कम/अधिक प्राप्त की गई राशियों पर साधारण ब्याज के साथ वसूली/भुगतान किया जाएगा।

इसके अलावा, लाभग्राहियों को देय राशियों का लेखांकन नोट संख्या 32 में 'लाभग्राहियों को देय ब्याज' के रूप में किया गया है।

घ) **माल व सेवाओं की प्रकृति**

कंपनी को राजस्व की प्राप्ति, बिजली की बिक्री से होती है। कंपनी, बड़े उपभोक्तओं विशेषकर, राज्य सरकार के स्वामित्व वाली बिजली यूटिलिटी व राज्यों में संचालित निजी क्षेत्र की डिस्कॉमों को बिजली को बिक्री करती है। आमतौर पर, बिजली की बिक्री, लाभग्राहियों के साथ निष्पादित किए गए दीर्घकालिक बिजली क्रय करार (पीपीए) या डीईआरसी द्वारा किए गए विद्युत आवंटन के अनुसार की जाती है।

कार्यनिष्पादन बाध्यताओं के पूरा होने की प्रकृति, समय और महत्वपूर्ण भुगतान शर्तें

कंपनी, बिजली बिक्री की संविदाओं से प्राप्त होने वाले राजस्व को लेखाबद्ध करती है क्योंकि उपभोक्ता कंपनी द्वारा दिए गए लाभों की प्राप्ति व उपभोग साथ-साथ करते हैं। बिजली की बिक्री से होने वाले राजस्व की गणना, समय-समय पर डीईआरसी द्वारा जारी विनियमों के अनुसार की जाती है। बिजली की बिक्री से प्राप्त राजस्व के रूप में स्वीकृत का समायोजन विभिन्न कारणों, जहां कहीं भी लागू हो, से किया जाता है जिनके अनुमान कंपनी के पास मौजूद ऐतिहासिक आंकड़ों पर आधारित होते हैं। यह राशि मासिक आधार पर बिल में ली जाती है और इन्वॉइस, संविदागत सहमति क्रेडिट अवधि में भुगतान योग्य होते हैं।

ङ) **राजस्व का विपुंजन**

नीचे उपभोक्ताओं के साथ हुई करारों से कंपनी को होने वाले राजस्व का विपुंजन किया गया है::

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए रुपए लाख में

माल व सेवा का प्रकार	बिजली की बिक्री	योग
निष्पादन दायित्वों को पूरा करने का समय:		
ओवर टाइम	23,951.38	23,951.38
समय विशेष पर	-	-
योग	**23,951.38**	**23,951.38**
निष्पादन दायित्व मापन की विधि:		
इनपुट विधि	-	-
आउटपुट विधि	23,951.38	23,951.38
योग	**23,951.38**	**23,951.38**

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए रुपए लाख में

माल व सेवा का प्रकार	बिजली की बिक्री	योग
निष्पादन दायित्वों के पूरा करने का समय:		
ओवर टाइम	46,396.83	46,396.83
समय विशेष पर	-	-
योग	**46,396.83**	**46,396.83**
निष्पादन दायित्व मापन की विधि:		
इनपुट विधि	-	-
आउटपुट विधि	46,396.83	46,396.83
योग	**46,396.83**	**46,396.83**

च) कंपनी ने भारतीय लेखांकन मानक 115 "उपभोक्ताओं के साथ संविदाओं से राजस्व" को लागू करने के लिए संचयी प्रभाव विधि का उपयोग किया है और 01 अप्रैल, 2018 को धारित अर्जन का प्रभाव शून्य है।

i) **संविदा बकाया**

रुपए लाख में

विवरण	**31 मार्च, 2021 को स्थिति**	**31 मार्च, 2020 को स्थिति**
व्यापार प्राप्य (नोट 8)	147,925.46	166,725.34
संविदा परिसंपत्ति (नोट 11)	1,893.08	47.54
संविदा देयता	-	-

1क) संविदा परिसंपत्ति बिल न किया गया राजस्व है। संलग्न शर्त, अर्थात बिलिंग माइलस्टोन प्राप्त करने के लिए भावी सेवा, के पूरा होने पर व्यापार प्राप्यों में, संविदा परिसंपत्ति के रूप में पूर्व में लेखाबद्ध किसी राशि को पुनर्वर्गीकरण किया जाता है।

विवरण	**31 मार्च, 2021 को स्थिति**	**31 मार्च, 2020 को स्थिति**
वर्ष के आरंभ में संविदा परिसंपत्ति	47.54	6,397.66
संविदा परिसंपत्ति से व्यापार प्राप्य में अंतरण	47.54	6,397.66
वर्ष के अंत में संविदा परिसंपत्ति	1,893.08	47.54

1ख) संविदा देयता में उपभोक्ताओं से अग्रिम के रूप में प्राप्त राशि शामिल है

विवरण	**31 मार्च, 2021 को स्थिति**	**31 मार्च, 2020 को स्थिति**
वर्ष के आरंभ में संविदा देयता	-	-
संविदा देयताओं से राजस्व में अंतरण	-	-
वर्ष के अंत में संविदा देयताएं	-	-

1ग) **नीचे दी गई तालिका से यह ज्ञात होता है कि वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि में लेखाबद्ध होने वाला कितना राजस्व अग्रेषित संविदा देयताओं से संबंधित है।**

विवरण	**31 मार्च, 2021 को स्थिति**	**31 मार्च, 2020 को स्थिति**
उपभोक्ताओं से अग्रिम के रूप में प्राप्त राशि	-	-
वर्ष के दौरान राजस्व के रूप में लेखाबद्ध राशि	-	-
उपभोक्ताओं को देय राशि	-	-

1घ) **संविदा मूल्य के साथ लेखाबद्ध राजस्व का समाशोधनः**

विवरण	**31 मार्च, 2021 को स्थिति**	**31 मार्च, 2020 को स्थिति**
संविदा मूल्य	23,959.09	46,400.87
परिवर्तनीय माने गए घटकों के लिए समायोजन	7.71	4.04
प्रचालनों से राजस्व	23,951.38	46,396.83

छ) भारतीय लेखांकन मानक 115 के अनुसार व्यावहारिक उपायों को लागू करनाः

– कंपनी वहां कोई संविदा होने की आशा नहीं करती जहां, वचन किए गए माल का अंतरण व उपभोक्ताओं को सेवाओं तथा ग्राहक द्वारा भुगतान की अवधि एक वर्ष से अधिक होती है। इसके परिणामस्वरूप, कंपनी, धन के समय मान के लिए लेन–देन मूल्यों का समायोजन नहीं करती।

– कंपनी ने उन संविदाओं के लिए निष्पादन से संबंधित शेष दायित्वों का प्रकटीकरण नहीं किया है जहां लेखाबद्ध राजस्व, आज की तारीख को कंपनी के निष्पादन के बारे में ग्राहक के मान के सीधे अनुपात में है।

ज) कंपनी ने किसी ग्राहक के साथ संविदा प्राप्त करने के लिए बढ़ोतरी वाली लागत नहीं दी है, इसलिए, ऐसी पूंजीकृत लागत के लिए परिसंपत्ति को लेखाबद्ध नहीं किया गया है।

28. अन्य आय

रुपए लाख में

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों से ब्याज		
बैंक	367.82	204.85
अन्य	-	2,344.62
आयकर धनवापसी पर ब्याज	1233.78	755.37
अन्य गैर–प्रचालनात्मक आय		
किराया आय	14.62	10.23
बीमा दावे	-	-
अवशिष्ट की बिक्री	134.98	128.66
सौर परामर्श सेवा से प्राप्त आय (संदर्भ नोट संख्या 21)	249.93	370.88
अनुदान आय	3.66	3.66
प्रतिलेखित प्रावधान (नोट 49 देखें)	-	1,759.68
निविदा फॉर्म की बिक्री	1.62	23.32
संपति संयंत्र तथा उपकरण की बिक्री से प्राप्त लाभ	1.66	0.15
छोड़ दिए गए प्रतिभूत ऋणों पर देय ब्याज	-	621.09
विविध आय	28.65	37.14
योग	**2,036.72**	**6,259.65**

29. ईंधन खपत लागत

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
प्राथमिक ईंधन–गैस	14,648.10	23,902.84
द्वितीयक ईंधन–तेल	3.29	5.67
योग	**14,651.39**	**23,908.51**

30. कर्मचारी हितलाभ व्यय

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
वेतन तथा मजदूरी	5,175.14	7,734.06
भविष्य निधि तथा अन्य निधियों में अंशदान	(48.39)	2,062.75
कर्मचारी कल्याण व्यय	268.72	261.61
योग	**5,395.47**	**10,058.42**

क) विभिन्न कर्मचारी हितलाभों के संबंध में किए प्रावधानों का भारतीय लेखांकन मानक 19 के अंतर्गत किया गया प्रकटीकरण नोट 37 में दिया गया है।

31. वित्तीय लागतें

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
परिशोधित लागत पर मापन की गई वित्तीय देयताओं की ब्याज लागत		
बैंकों से रोकड़ क्रेडिट/कार्यशील पूंजी ऋण	10.26	168.10
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार	4,364.75	7,414.43
दिल्ली पावर कंपनी लिमिटेड	-	25.02
अन्य	2.90	1.71
अन्यों पर ब्याज लागत		
आयकर अधिनियम के अंतर्गत ब्याज	505.73	0.53
योग	**4,883.64**	**7,609.79**

32. अन्य व्यय

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
किराया	1.75	1.54
बीमा	186.03	359.08
दर तथा कर	314.95	40.53
मरम्मत तथा अनुरक्षण		
– भवन	100.51	96.22
– संयंत्र एवं मशीनरी	1,058.11	2,099.65
– अन्य	39.28	42.17
बिजली एवं जल	10.31	34.29
संचार	7.74	9.40
विज्ञापन	5.26	21.76
वाहन उपयोग	28.04	7.50
सुरक्षा व्यय	2,139.51	1,994.01
मुद्रण एवं लेखन सामग्री	2.03	6.01
विधिक एवं व्यवसायिक फीस	53.38	86.56
शुल्क तथा अंशदान	15.67	29.15
यात्रा एवं वाहन	0.02	2.70
बैंक प्रभार	3.27	5.98
सांविधिक लेखापरीक्षकों को भुगतान (नीचे क देखें)	12.59	12.56
निदेशक के लिए बैठक फीस	6.98	5.49
लाभग्राहियों को दिया गया ब्याज (नोट 27(ग) देखें)	431.03	151.46
मालसूची के पुनर्मूल्यांकन पर हानि	(32.75)	18.00
कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व	51.41	-
विविध व्यय (नीचे ख देखें)	8.07	7.20
	4,443.19	**5,031.26**
निम्नलिखित के लिए हानि भत्ता :		
भंडार मदों में कमी	(6.43)	(4.37)
संदिग्ध अग्रिम	3.57	5.56
स्वीकृति के लिए लंबित अपशिष्ट संपत्ति	(1.83)	13.31
संपत्ति, संयंत्र एवं मशीनरी की कमी	10.52	0.20
	5.83	**14.70**
योग	**4,449.02**	**5,045.96**

क) लेखापरीक्षकों को किए गए भुगतान का विवरणः

सांविधिक लेखापरीक्षा फीस	10.44	10.43
व्ययों की प्रतिपूर्ति	0.27	0.26
जीएसटी/सेवा कर की प्रतिपूर्ति	1.88	1.87
योग	**12.59**	**12.56**

ख) विविध खर्चों में पुस्तकों एवं पत्र पत्रिकाओं, कार्यशालाओं, डीजी सेट के प्रचालन व्यय, दलाली एवं कमीशन, बैंक प्रभारों, फर्निशिंग खर्चों इत्यादि पर किया गया व्यय शामिल है।

33. उचित मूल्य मापन

क) श्रेणीवार वित्तीय लेखपत्र

रुपए लाख में

विवरण	31 मार्च, 2021 को स्थिति	31 मार्च, 2020 को स्थिति
	परिशोधन लागत	परिशोधन लागत
वित्तीय परिसंपत्तियां		
गैर–चालू वित्तीय परिसंपत्तियां	13.40	13.86
व्यापार प्राप्य	147,925.46	166,725.34
रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य	15,533.69	7,857.19
अन्य बैंक शेष	3,433.96	34.55
अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियां	3,892.25	1,459.76
योग वित्तीय परिसंपत्तियां	**170,798.76**	**176,090.70**
वित्तीय देयताएं		
गैर–चालू ऋण	(0.00)	2,472.00
ऋण	2.59	26,276.48
व्यापार देय	12,891.05	19,160.72
अन्य वित्तीय देयताएं	90,164.27	89,914.63
योग वित्तीय देयताएं	**103,057.91**	**137,823.83**

ख) उचित मूल्य वर्ग व्यवस्था

जिन प्रपत्रों का मापन परिशोधन लागत पर किया गया है तथा जिनके संबंध में वित्तीय विवरणों में उचित मूल्य पर प्रकटीकरण किया गया है, उचित मूल्य के निर्धारण के लिए उपयोग में लाई गई इनपुट के संकेत देने के लिए कंपनी द्वारा लेखांकन लेखपत्रों का वर्गीकरण लेखांकन मानकों के अंतर्गत निर्धारित तीन स्तरों में किया गया है। ऐसे प्रत्येक स्तर के संबंध में स्पष्टीकरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

रुपए लाख में

परिशोधित लागत पर मापित वित्तीय देयताएं, जिनके लिए उचित मूल्य का प्रकटन किया जाता है	31 मार्च, 2021 को स्थिति	31 मार्च, 2020 को स्थिति
ऋण–सावधि ऋण (स्तर–3)		
–रा.रा.क्षे.,दि.स. से 5 वर्ष	5,262.07	11,394.61
–रा.रा.क्षे.,दि.स. से 15 वर्ष	25,718.85	25,166.38
योग	**30,980.92**	**36,560.99**

उचित मूल्यों का वर्गीकरण निम्नानुसार मूल्यांकन तकनीक के उपयोग से इनपुट के आधार पर उचित मूल्य वर्ग तारतम्य के विभिन्न स्तरों में किया गया है:

स्तर 1: स्तर 1 के तारतम्य में वित्तीय लेखपत्रों का मापन उद्धृत मूल्यों के उपयोग से किया जाता है। इसमें वे म्यूचुअल फंड शामिल होते हैं, जिनका मूल्य उद्धृत होता है।

स्तर 2: सक्रिय बाजार में व्यवसाय न किए जाने वाले वित्तीय लेखपत्रों के उचित मूल्य का निर्धारण मूल्यांकन तकनीक के उपयोग से किया जाता है, जिससे बाजार डाटा का सुस्पष्ट अधिकतम उपयोग होता है तथा किसी विशिष्ट कंपनी के अनुमानों का न्यूनतम भरोसा किया जाता है। यदि किसी प्रपत्र के उचित मूल्यांकन के के लिए सभी अपेक्षित महत्त्वपूर्ण इनपुट प्रत्यक्ष हों तो लेखपत्र को स्तर–2 में शामिल किया जाता है।

स्तर–3 : यदि एक अथवा अधिक महत्त्वपूर्ण इनपुट प्रत्यक्ष बाजार डाटा पर आधारित नहीं होते हैं तो प्रपत्र को स्तर–3 में शामिल किया जाता है। स्तर–3 में शामिल की गई वित्तीय परिसंपत्तियों तथा देयताओं के उचित मूल्य का निर्धारण सामान्यतः स्वीकृत मूल्य मॉडल के अनुसार किया जाता है, जो प्रत्यक्ष चालू बाजार संव्यवहारों के मूल्यों के बट्टागत रोकड़ प्रवाह पर आधारित होता है।

33. उचित मूल्य मापन

ग) उचित मूल्य के निर्धारण के लिए उपयोग में लाई गई मूल्यांकन तकनीक

वित्तीय लेखपत्रों के मूल्यांकन की विशिष्ट मूल्यांकन तकनीकें निम्नानुसार हैंः–

– अर्थसुलभ म्यूचुअल फंड के लिए उद्धृत बाजार मूल्य;

– शेष वित्तीय लेखपत्रों के लिए बट्टाकृत रोकड़ प्रवाह विश्लेषण;

उचित मूल्यों पर मापन के संबंध में कंपनी में सुदृढ़ नियंत्रण तंत्र व्यवस्था स्थापित है। कंपनी द्वारा नियमित रूप से महत्वपूर्ण अलक्षित इनपुटों एवं मूल्यांकन समायोजनों की समीक्षा की जाती है।

घ) परिशोधित लागत पर मापन की गई वित्तीय देयताओं का उचित मूल्य

रुपए लाख में

वित्तीय देयताएं	31 मार्च, 2021 को स्थिति		31 मार्च, 2020 को स्थिति	
	वहन राशि	उचित मूल्य	वहन राशि	उचित मूल्य
रा.रा.क्षे.दि.स. से सावधि ऋण 5 वर्ष	5,262.07	5,262.07	11,394.61	11,406.25
रा.रा.क्षे.दि.स. से सावधि ऋण 15 वर्ष	25,718.85	25,718.85	25,166.38	25,166.38
योग	**30,980.92**	**30,980.92**	**36,560.99**	**36,572.63**

अल्पकालिक वहन राशियों, व्यवसाय प्राप्य, रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य, दावा प्राप्य, ऋण, व्यापार देय, ब्याज उपचय परन्तु ऋण पर देय नहीं, ब्याज उपचय तथा ऋण पर देय, कर्मचारी संबद्ध देयताएं, संबद्ध पार्टियों को देय, ठेकेदारों तथा आपूर्तिकर्ताओं से जमा तथा व्ययों के लिए देयों के अल्पकालिक प्रकृति का होने के कारण, उन पर उचित मूल्य के समान विचार किया गया है।

वित्तीय लेखपत्रों के उचित मूल्य का निर्धारण बट्टाकृत रोकड़ प्रवाह के विश्लेषण के उपयोग से किया गया है। उचित मूल्यों पर मापन के संबंध में कंपनी में नियंत्रण तंत्र व्यवस्था स्थापित की गई है। कंपनी, दिखाई न देने वाले इनपुटों महत्वपूर्ण एवं मूल्यांकन समायोजनों की नियमित रूप से समीक्षा करती है।

34. वित्तीय जोखिम प्रबंधन

कंपनी की प्रमुख वित्तीय देयताओं में आवधिक ऋण एवं उधार राशियां, व्यापार देय तथा अन्य देय होते हैं। इन वित्तीय देयताओं का मुख्य उद्देश्य कंपनी के प्रचालनों का वित्तपोषण है। कंपनी की प्रमुख वित्तीय परिसंपत्तियों में व्यवसाय एवं अन्य प्राप्य, तथा रोकड़ एवं अल्पकालिक जमा हैं, जो इसके प्रचालनों से सीधे उत्पन्न हुए हैं।

वित्तीय लेखपत्रों के उपयोग से कंपनी के सम्मुख निम्नलिखित जोखिम व्याप्त होते हैंः–

– ऋण जोखिम

– नकदी जोखिम

– बाजार जोखिम

इस नोट में कंपनी के सम्मुख व्याप्त प्रत्येक उक्त जोखिम, कंपनी के उद्देश्यों, नीतियों तथा मापन की प्रक्रियाओं एवं जोखिम प्रबंधन की प्रस्तुति की गई है।

निदेशक मंडल, कंपनी के जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क की स्थापना एवं निगरानी के प्रति पूर्णतः उत्तरदायी है। फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए कार्यात्मक निदेशकों सहित एक 'जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी)' का गठन किया गया है तथा उन्हें जोखिमों का पता लगाने एवं जोखिम की समीक्षा करके कार्रवाई योजना तैयार करने तथा अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक आधार पर जोखिमों के निपटान के लिए रणनीतियां तैयार करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। नियमित अंतराल पर आयोजित की जाने वाली जोखिम प्रबंधन समिति की बैठकों में रणनीतियों पर चर्चा की जाती है। रिपोर्टिंग के प्रमुख निष्पादन सूचकों के माध्यम से जोखिमों की नियमित निगरानी की जा रही है।

क) ऋण जोखिम

ऋण जोखिम कंपनी के लिए वित्तीय हानि का जोखिम होता है, जो किसी ग्राहक अथवा काउंटर पार्टी के द्वारा वित्तीय प्रपत्रों के संबंध में संविदागत दायित्वों को पूरा न किए जाने से होता है, जिससे कंपनी को वित्तीय हानि होती है। ऋण जोखिम मुख्यतः व्यापार प्राप्यों, ऋणों एवं अग्रिमों, रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्यों तथा बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों में जमाओं से उत्पन्न होता है।

व्यापार प्राप्य तथा बिल न किया गया राजस्व

कंपनी द्वारा राज्य वितरण एजेंसियों को बिजली बिक्री की जाती है, जिनमें से कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जिनमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार (कंपनी की शेयरधारक) का व्यापक प्रभाव होता है अथवा वे सरकारी एजेंसियां होती हैं। ऊर्जा आपूर्ति के मामले में चूक के जोखिम निम्नलिखित प्रकार के होते हैंः

क) केन्द्र सरकार की एजेंसियों से जोखिमों को महत्वहीन माना जाता है।

ख) ऐसी कम्पनियां जिनमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार का व्यापक प्रभाव हैः ऐसे ग्राहकों से संग्रहण के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार द्वारा कंपनी को दिए जाने वाले अनुदान का कुछ भाग ऐसे ग्राहकों को दिया जा रहा है। कंपनी को व्यापार प्राप्य के संबंध में पूर्व वर्षों के दौरान कोई महत्वपूर्ण अपसामान्य क्षति नहीं उठानी पड़ी है। अतः इन मामलों में चूक जोखिम को भी महत्वहीन माना जा सकता है।

कंपनी तथा ग्राहकों के बीच निष्पादित ऊर्जा क्रय करार तथा दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग, विनियमों के अंतर्गत परिभाषित क्रेडिट अवधि के दौरान भुगतान न किए जाने के मामलों के लिए कंपनी द्वारा विलम्ब प्रभार प्रभारित किए जाते हैं। इस प्रकार ग्राहकों को ऊर्जा आपूर्ति के मामले में किसी प्रकार की समय हानि नहीं हुई है। कंपनी ने उपलब्ध ऋण चूक, जैसे बाह्य एवं आंतरिक ऋण जोखिम कारकों तथा कंपनी को ग्राहकों के साथ हुए पूर्व अनुभव को ध्यान में रखा गया है।

कोई चूक तब होती है, जब प्रबंधन के विचारानुसार वसूली के लिए सभी उपलब्ध विकल्पों का उपयोग किए जाने के पश्चात प्राप्यों की वसूली की कोई महत्वपूर्ण संभावना शेष नहीं रहती है।

रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य तथा बैंको में जमाराशियां

कंपनी के बैंक परिचालन मुख्यतः भारत सरकार के स्वामित्व वाले अनुसूचित बैंकों के साथ किए जाते हैं। सरकार के नियंत्रण वाली इकाइयों में चूक का जोखिम नगण्य माना जा सकता है।

प्राप्य निगमित अंशभाग

कंपनी अपने सामान्य प्रशासन एवं कॉर्पोरेट कार्यालय की कर्मचारी लागत के व्ययों का सहभाजन प्रगति पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ करती है, जो उसी शेयरधारक (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार) की एक कंपनी है तथा जिसका नियंत्रण समान निदेशकों द्वारा किया जाता है। प्रगति पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से चूक को नगण्य माना जा सकता है।

(i) व्याप्त क्रेडिट जोखिम

वित्तीय परिसम्पतियों की वहन राशि के प्रति अधिकतम क्रेडिट जोखिम होते हैं। रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार व्याप्त अधिकतम जोखिम निम्नानुसार था :

रुपए लाख में

विवरण	31 मार्च, 2021 को स्थिति	31 मार्च, 2020 को स्थिति
वित्तीय परिसंपत्तियां, जिनके संबंध में हानि के भत्ते का मापन निम्नलिखित के उपयोग से किया गया हैः		
– उपयोज्यता काल संभावित ऋण हानियां		
व्यापार प्राप्य	147,925.46	166,725.34
बिना बिल के राजस्व	1,893.08	47.54
– 12 माह की संभावित ऋण हानि		
रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य	15,533.69	7,857.19
अन्य बैंक शेष	3,433.96	34.55
प्राप्य कॉर्पोरेट अंशभाग	828.75	653.38
अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियां**	1,170.42	758.84
प्रतिभूति जमा	13.40	13.86
योग	**170,798.76**	**176,090.70**

** बिल न किए गए राजस्व के अलावा

(ii) संभावित ऋण हानियों के लिए प्रावधान

वित्तीय परिसंपत्तियां, जिनके संबंध में हानि के भत्ते का मापन उपयोज्यता काल में संभावित ऋण क्षतियों से किया गया है।

कंपनी के ग्राहक (सरकारी यूटिलिटी, सरकार के स्वामित्व वाली यूटिलिटी तथा यूटिलिटी जिसमें रा.रा.क्षे.दि.स. का स्वामित्व 49 प्रतिशत है) कंपनी दायित्वों को पूरा करने में सक्षम है तथा इस प्रकार चूक का जोखिम नगण्य अथवा शून्य है। इसके अलावा, प्रबंधन का ऐसा मानना है कि 60 दिनों से अधिक की पूर्व देय राशियां, गैर अपसामान्य राशियां हैं तथा जिनकी प्राप्ति अभी भी, उनके पूर्व भुगतान व्यवहार एवं ग्राहक के ऋण जोखिम के गहन विश्लेषण के आधार पर, पूरी तरह से की जा सकती है। इस प्रकार, व्यापार प्राप्य के संबंध में रिपोर्टिंग अवधियों के दौरान किसी अपसामान्य क्षति को लेखाबद्ध नहीं किया गया है।

वित्तीय परिसंपत्तियां जिनके संबंध में हानि के भत्ते का मापन 12 माह की संभावित ऋण हानि के रूप में किया गया है।

कंपनी के पास ऐसी परिसंपत्तियां हैं, जिनकी काउंटर पार्टियों के पास दायित्वों के निर्वाह की पर्याप्त क्षमता है तथा जिनके संबंध में चूक जोखिम अत्याधिक कम है। तदनुसार, अपसामान्य हानि के आसार के संबंध में इस नोट में "अपसामान्य हानि प्रावधानों का मिलान" के अंतर्गत आगे प्रकटन किया गया है।

(iii) व्यापार प्राप्यों और बिल न किए गए राजस्व का काल प्रभाव विश्लेषण

काल प्रभाव	31 मार्च, 2021 को स्थिति	31 मार्च, 2020 को स्थिति
देय नहीं	3,721.86	7,864.04
0–30 दिन के पूर्व देय	1,720.17	10,459.76
31–90 दिनों के पूर्व देय	(204.75)	8,100.46
91–180 दिनों के पूर्व देय	6,168.01	7,738.35
180 दिनों से अधिक के पूर्व देय	138,423.17	132,610.27
स्रोत पर कर संग्रहण	(9.92)	
योग	**149,818.54**	**166,772.88**

(iv) अपसामान्य हानि प्रावधानों का समाधान

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
प्रारंभिक प्रावधान	1,087.43	2,841.55
संभावित क्षति भत्ते का पुनः मापन	3.57	(1,754.12)
योग	**1,091.00**	**1,087.43**

ऐतिहासिक चूक अनुपातों के आधार पर, कंपनी का यह मानना है कि उपर्युक्त के अलावा, अन्य परिसंपत्तियों की राशियां अत्यधिक कम होने के कारण क्षति भत्ते की व्यवस्था की जानी आवश्यक नहीं है।

ख) बाजार जोखिम

बाजार जोखिम वह जोखिम है, जिससे बाजार के मूल्य परिवर्तित होते हैं, जैसे कि ब्याज दरों से कंपनी की आय अथवा इसके वित्तीय लेखपत्रों की धारिता के मूल्य प्रभावित होते हैं। बाजार जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य, अपने प्रतिफल को इष्टतम बनाए रखकर, स्वीकृत मापदंडों के दायरे में बाजार जोखिम का प्रबंधन एवं नियंत्रण करना है। कंपनी के बाजार जोखिमों के प्रबंधन के लिए नीतियों एवं प्रक्रियाओं का निर्माण करने का दायित्व निदेशक मंडल का होता है।

ब्याज दर जोखिम

कंपनी के सम्मुख ब्याज दर जोखिम होते हैं, जो फ्लोटिंग ब्याज दर वाले गैर–चालू ऋणों से उत्पन्न होते हैं क्योंकि फ्लोटिंग दरों के ऋणों के साथ संबद्ध रोकड़ प्रवाह ब्याज दरों में परिवर्तन होने पर घटता/बढ़ता है।

रिपोर्टिंग तिथि को कंपनी के ब्याज उत्पन्न करने वाले वित्तीय लेखपत्रों की ब्याज दर प्रोफाइल के लिए कृपया नोट संख्या 18 एवं 22 देखें।

नियत दर लेखपत्रों के लिए उचित मूल्य का संवेदी विश्लेषण

कंपनी के नियत दर लेखपत्रों का वहन परिशोधित लागत पर किया गया है। इस प्रकार वे ब्याज दर जोखिम के अंतर्गत नहीं हैं क्योंकि बाजार ब्याज दरों में परिवर्तन होने से न तो उनकी वहन राशि और न ही उनका भावी रोकड़ प्रवाह प्रभावित होता है ।

परिवर्तनशील दर लेखपत्रों के लिए रोकड़ प्रवाह का संवेदी विश्लेषण

किसी रिपोर्टिंग तिथि को ब्याज दरों में 100 बेसिस प्वाइंट परिवर्तन होने से कर पूर्व लाभ में नीचे दी गई राशियों तक वृद्धि/(घटाव) हो सकती है। इस विश्लेषण में अन्य सभी परिवर्तन स्थिर रहने का विचार किया गया है। इस विश्लेषण का निष्पादन समान आधार पर पिछले वर्ष के लिए किया गया था। नीचे दी गई तालिका में ऋणों एवं ऋण राशियों पर ब्याज दरों में होने वाले संभावित परिवर्तनों के प्रभावों की संवेदना दर्शाई गई है।

विवरण	लाभ एवं हानि (कर पूर्व)	
	वृद्धि	कमी
मांग पर प्रतिदेय ऋण		
31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	1.06	(1.06)
31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	17.42	(17.42)

मूल्य जोखिम

कंपनी के सम्मुख व्याप्त प्रतिभूति मूल्य जोखिम म्यूचुअल फंड के रूप में किए गए निवेश से है जिसे लाभ एवं हानि के माध्यम से तुलन पत्र में उचित मूल्य पर वर्गीकृत किया गया है। ऐसे निवेश की दरें (एनएवी) म्यूचुअल फंड गृहों में उपलब्ध हैं। इन वर्गीकृत प्रतिभूतियों में लाभ/हानि होने की स्थिति में लाभ एवं हानि के माध्यम से इनके उचित मूल्य के लाभ में घटत/बढ़त होती है।

ग) नकदी जोखिम

नकदी जोखिम वह जोखिम होता है, जो कंपनी द्वारा अपनी वित्तीय देयताओं के दायित्व के निर्वाह में वहन की जाने वाली कठिनाईयों के रूप में उत्पन्न होता है तथा जिसका समाधान रोकड़ अथवा अन्य वित्तीय परिसंपत्ति की डिलीवरी के माध्यम से किया जाता हैं। कंपनी द्वारा चलनिधि के प्रबंधन का सुनिश्चय अपनी देयताओं, जब कभी देय हों, के दायित्वों का निर्वाह, सामान्य एवं कठिन स्थितियों में बिना किन्हीं अस्वीकार्य हानियों अथवा कंपनी की साख को जोखिम में डाले बिना, के लिए किया जाता है।

कंपनी में अल्प, मध्यम एवं दीर्घकालिक निधियन एवं नकदी की प्रबंधन अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए यथोचित जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क स्थापित है। कंपनी द्वारा नकदी जोखिम का प्रबंधन पर्याप्त बैंकिंग सुविधाओं एवं आरक्षित ऋण सुविधाओं के अनुरक्षण के साथ भावी एवं वास्तविक रोकड़ प्रवाह पर निरंतर निगरानी रखते हुए किया जाता है।

कंपनी का कोष विभाग कंपनी की अल्पकालिक तथा दीर्घकालिक नकदी अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए उत्तरदायी है। कोष द्वारा अल्पकालिक नकदी स्थिति की समीक्षा प्रतिदिन की जाती है। निदेशक मंडल द्वारा नकदी जोखिम के प्रबंधन के लिए नीतियां स्थापित की गई हैं तथा कंपनी का कोष विभाग इन नीतियों के अनुसार अपने प्रचालन करता है। इन नीतियों के प्रति किया गया कोई भी उल्लंघन निदेशक मंडल को सूचित किया जाता है। दीर्घकालिक नकदी स्थिति की समीक्षा नियमित आधार पर जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा की जाती है तथा स्थिति के अनुरूप उचित निर्णय लिए जाते हैं।

(i) वित्तीय व्यवस्था

कंपनी को रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर निम्नलिखित गैर–आहरित ऋण तक पहुंच थी : रुपए लाख में

विवरण	31 मार्च, 2021 को स्थिति	31 मार्च, 2020 को स्थिति
मांग पर प्रतिदेय फ्लोटिंग दर ऋण (एक वर्ष की अवधि में समापन)	8997.41	8,723.52

(ii) वित्तीय देयताओं की संविदागत परिपक्वता

संविदागत रोकड़ प्रवाह के आधार पर वित्तीय देयताओं की संविदागत परिपक्वता निम्नलिखित है : रुपए लाख में

31 मार्च, 2021 को स्थिति	3 माह अथवा कम	3–12 माह	1–2 वर्ष	2–5 वर्ष	5 वर्ष से अधिक	योग
संबंद्ध पार्टियों से सावधि ऋण	30,980.92	-	-	-	-	30,980.92
संबंद्ध पार्टियों से अल्पकालीक ऋण	54,821.82	-	-	-	-	54,821.82
बैंकों से अल्पकालीक ऋण	2.59	-	-	-	-	2.59
व्यापार देय	12,891.05	-	-	-	-	12,891.05
जमा/धारण राशि	119.49	-	-	-	-	119.49
रा.राज.क्षे. दिल्ली सरकार को देय	3,648.46	-	-	-	-	3,648.46
कर्मचारियों को देय	272.99	-	-	-	-	272.99
वितरण के लिए प्राप्त अनुदान	250.51	-	-	-	-	250.51
अन्य चालू वित्तीय देयताएं	70.09	-	-	-	-	70.09
योग	**103,057.92**	**-**	**-**	**-**	**-**	**103,057.92**

(रुपए लाख में)

31 मार्च, 2020 को	3 माह अथवा कम	3–12 माह	1–2 वर्ष	2–5 वर्ष	5 वर्ष से अधिक	योग
संबंद्ध पार्टियों से सावधि ऋण	30,744.70	3,344.29	1,536.00	936.00	-	36,560.99
संबंद्ध पार्टियों से अल्पकालीक ऋण	77,621.00	-	-	-	-	77,621.00
बैंकों से अल्पकालीक ऋण	276.48	-	-	-	-	276.48
व्यापार देय	19,160.72	-	-	-	-	19,160.72
जमा/धारण राशि	132.06	-	-	-	-	132.06
रा.राज.क्षे. दिल्ली सरकार को देय	3,648.31	-	-	-	-	3,648.31
कर्मचारियों को देय	269.28	-	-	-	-	269.28
वितरण के लिए प्राप्त अनुदान	119.84	-	-	-	-	119.84
अन्य चालू वित्तीय देयताएं	35.15	-	-	-	-	35.15
योग	**132,007.54**	**3,344.29**	**1,536.00**	**936.00**	**-**	**137,823.83**

35. पूंजी प्रबंधन

पूंजी प्रबंधन के लिए कंपनी का लक्ष्य गोइंग कंसर्न के रूप में जारी रखने की अपनी योग्यता की सुरक्षा करने और ऋण एवं इक्विटी की उचित पूंजी संरचना को बरकरार रखना है।

कंपनी बाह्य तौर पर प्रत्यारोपित पूंजी अपेक्षाओं के अधीन नहीं है। कंपनी द्वारा निवल ऋण को इक्विटी जमा से विभाजित करने की विधि के अनुसार अनुकूल (गियरिंग) अनुपात के उपयोग से पूंजी निगरानी की जाती है। निवल ऋण में दीर्घकालिक एवं अल्पकालिक ऋण घटा कर, रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य होते हैं। इक्विटी में इक्विटी शेयर पूंजी तथा रिजर्व होते हैं, जिनका प्रबंधन पूंजी के रूप में किया जाता है। रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अनुकूल (गियरिंग) अनुपात निम्नानुसार था:

रुपए लाख में

विवरण	31 मार्च, 2021 को स्थिति	31 मार्च, 2020 को स्थिति
योग ऋण देयता	85,805.32	114,458.47
घटाएं : रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य	15,533.69	7,857.19
निवल ऋण	**70,271.63**	**106,601.28**
योग इक्विटी	73,654.00	73,654.00
इक्विटी और निवल नामे अनुपात	**0.95**	**1.45**

36. आयकर

क) आयकर व्यय

	विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
i)	**लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत आयकर**		
	चालू कर व्यय		
	चालू वर्ष	3,805.28	2,273.88
	पूर्व वर्षों के कर	(725.78)	-
	योग	**3,079.50**	**2,273.88**
	आस्थगित कर व्यय	(265.55)	684.78
	योग आयकर व्यय	**2,813.95**	**2,958.66**
ii)	**अन्य विस्तृत आय में स्वीकृत आयकर**		
	परिभाषित हितलाभ योजनाओं पर निवल बीमांकिक लाभ/(हानि)	(169.04)	(34.27)
	कर व्यय/(लाभ)	(42.54)	(11.98)
	निवल कर	**(126.50)**	**(22.29)**
iii)	**कर व्ययों का समाशोधन तथा भारतीय घरेलू कर दर से गुणक लाभ का लेखांकन**		
	कर पूर्व लाभ	**(2,037.15)**	**14,710.17**
	कंपनी की घरेलू कर दर का 25.168 प्रतिशत	(512.71)	5,140.32
	निम्नलिखित का कर प्रभाव:		
	डिस्कॉमों से प्राप्यों के अस्थाई समायोजन से अस्थाई अंतर	-	-
	लाभ एवं हानि विवरण में पूर्व में स्वीकृत नहीं किया गया अस्थाई अंतर	(352.06)	(4,113.59)
	लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत नहीं किया गया अस्थाई अंतर		
	आयकर के अंतर्गत अस्वीकृत अन्य व्यय	18.54	18.14
	लाभांश आय पर कर	4,404.40	-
	कर दरों में परिवर्तन	(188.22)	-
	पूर्व वर्षों के कर	(725.78)	-
	आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार न्यूनतम वैकल्पिक कर	-	1,901.81
	प्रभावी आयकर दर पर : .... प्रतिशत (31 मार्च: 2020 : 13.417 प्रतिशत)	**2,644.17**	**2,946.68**

ख) आस्थगित कर

i) आस्थगित कर परिसंपत्तियों तथा आस्थगित कर देयताओं का समंजन कर दिया गया है क्योंकि उनके संचलन विधान समान हैं।

ii) आस्थगित कर शेषों में संचलन

रूपए लाख में

विवरण	अथ शेष	लाभ एवं हानि में स्वीकृत	अन्य विस्तृत आय में स्वीकृत	अंत शेष
31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए				
आस्थगित कर देयताएं				
बही बेस तथा पीपीई के कर बेस में भिन्नता	**2538.49**	(1,435.95)	-	**1,102.54**
घटाएं: आस्थगित कर परिसंपत्तियां				
व्यापार हानियां	-	-	-	**-**
कर्मचारी सेवानिवृत्ति हितलाभों के लिए प्रावधान (धारा 43ख के अंतर्गत अस्वीकृति सहित)	1,636.46	(1,107.51)	42.54	**571.49**
अन्य प्रावधान	210.83	(58.36)	-	**152.47**
सौर परामर्श सेवाओं पर आस्थगित आय	18.40	(4.53)	-	**13.87**
निवल कर देयताएं/(परिसंपत्तियां)	**672.80**	**(265.55)**	**(42.54)**	**364.71**

रूपए लाख में

विवरण	अथ शेष	लाभ एवं हानि में स्वीकृत	अन्य विस्तृत आय में स्वीकृत	अंत शेष
31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए				
आस्थगित कर देयताएं				
बही बेस तथा पीपीई के कर बेस में अंतर	**2841.44**	(302.95)	-	**2,538.49**
घटाएं: आस्थगित कर परिसंपत्तियां				
व्यापार हानियां	1972.07	(1,972.07)	-	**-**
कर्मचारी सेवानिवृत्ति हितलाभ के लिए प्रावधान (धारा 43ख के तहत अस्वीकृति सहित)	663.52	960.96	11.98	**1,636.46**
अन्य प्रावधान	205.85	4.98	-	**210.83**
आस्थगित वेतनसूची व्यय				
सौर परामर्श सेवाओं पर आस्थगित आय	-	18.40	-	**18.40**
निवल कर देयताएं/(परिसंपत्तियां)	**(0.00)**	**684.78**	**(11.98)**	**672.80**

iii) चालू वर्ष में 3805.28 रुपये (वित्तीय वर्ष 2019–20: 1548.09 लाख रूपए) के कर व्यय को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 115जेबी के अनुसार न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) के प्रावधानों के आधार पर प्रभारित किया गया है।

iv) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 115बीएए और भारत द्वारा कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 2019 के माध्यम से की गई घोषणा के अनुसरण में कंपनी के पास संचित एमएटी क्रेडिट की चूक सहित कतिपय कर प्रोत्साहन में परिणामी कमी के साथ कम कर को चुनने का एक अपरिवर्तनीय विकल्प है। कंपनी ने इसका मूल्यांकन करने के बाद इस विकल्प को नहीं चुना है और आय पर करों को पूर्व के प्रावधानों के अनुसार लेखबद्ध करना जारी रखा है।

37. कर्मचारी हितलाभ दायित्व

I. परिसमापन पश्चात नियोजित कर्मचारी

(i) परिभाषित अंशदायी योजनाएं :

कंपनी ने सरकार द्वारा प्रशासित एवं प्रबंधित निधियों में भविष्य निधि के लिए अंशदान जमा किए हैं। वर्ष के दौरान लाभ एवं हानि विवरण में 96.57 लाख रुपए (31 मार्च, 2020: 65.59 लाख रुपए) को व्यय के रूप स्वीकृत किया गया है जिसमें लेखांकन नीति संख्या सी14.6 (नोट 1) के अनुसरण में 22.43 लाख रुपए (31 मार्च, 2020: 18.38 लाख रुपए) कॉर्पोरेट अंशभाग के रूप में शामिल हैं।

(ii) परिभाषित लाभ योजनाएं:

क. उपदान

कंपनी द्वारा वित्तपोषित उपदान योजना चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत कंपनी से अलग होने की स्थिति में, कंपनी में सेवा के पूर्ण वर्षों के लिए वेतन के अनुसार एकमुश्त लाभ प्रदान किए जाते हैं। परिसमापन के पश्चात नियुक्त किया गया प्रत्येक वह कर्मचारी, जिसने 5 वर्ष की निरंतर सेवा पूरी कर ली है, सेवानिवृत्ति अथवा संगठन से अलग होने, जो भी पहले हो, के समय उपदान प्राप्त करने का पात्र है। किसी कर्मचारी को उपदान के लाभ ''उपदान भुगतान अधिनियम, 1972'' के प्रावधानों के अंतर्गत किए गए आंकलन के अनुसार देय होते हैं।

बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर उपदान योजना तथा कंपनी तुलन पत्र तिथि के लिए वित्तीय विवरणों में लेखाबद्ध राशियों से संबंधित विवरण नीचे तालिका में प्रस्तुत किया गया है:–

क) निवल परिभाषित लाभ (परिसंपत्तियां) / देयताएं

रुपए लाख में

विवरण	31 मार्च, 2021 को स्थिति	31 मार्च, 2020 को स्थिति
गैर–चालू	157.76	234.15
चालू	78.78	48.57
योग	**236.54**	**282.72**

ख) निवल परिभाषित लाभों (परिसंपत्ति) / देयता में संचलन

रुपए लाख में

विवरण	परिभाषित हितलाभ दायित्व	योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	परिभाषित निवल लाभ देयता
31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए			
प्रारंभिक शेष	**1,237.26**	**954.54**	**282.72**
लाभ एवं हानि में शामिल :			
चालू सेवा लागत	91.45	-	91.45
पूर्व सेवा लागत	-	-	-
ब्याज लागत / आय	84.13	53.24	30.89
लाभ अथवा हानि में लेखाबद्ध कुल राशि	**175.58**	**53.24**	**122.34**
अन्य व्यापक आय में सम्मिलित :			
निम्नलिखित से उत्पन्न पुनःमापन हानि / (लाभ):			
वित्तीय पूर्वानुमान	-	-	-
अनुभव समायोजन	(75.18)	-	(75.18)
ब्याज आय के अलावा योजना परिसंपत्तियों से लाभ	-	1.39	(1.39)
अन्य व्यापक आय में स्वीकृत कुल राशि	**(75.18)**	**1.39**	**(76.57)**
नियोक्ता का अंशदान	-	80.29	(80.29)
चुकता लाभ	-	-	-
अंत शेष	**1,337.66**	**1,089.46**	**248.20**
31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए			
प्रारंभिक शेष	**1,015.18**	**694.99**	**320.19**
लाभ एवं हानि में शामिल :			
चालू सेवा लागत	91.21	-	91.21
पूर्व सेवा लागत	-	-	-
ब्याज लागत / आय	77.76	53.24	24.52
लाभ एवं हानि में स्वीकृत कुल राशि	**168.97**	**53.24**	**115.73**
अन्य विस्तृत आय में शामिल :			
निम्नलिखित से उत्पन्न पुनःमापन हानि / (लाभ):			
वित्तीय पूर्वानुमान	111.28	-	111.28

अनुभव समायोजन	(50.92)	-	(50.92)
ब्याज आय के अलावा योजना परिसंपत्तियों से लाभ	-	3.24	(3.24)
अन्य विस्तृत आय में स्वीकृत कुल राशि	**60.36**	**3.24**	**57.12**
नियोक्ता का अंशदान	-	210.32	(210.32)
चुकता लाभ	(7.25)	(7.25)	-
अंत शेष	**1,237.26**	**954.54**	**282.72**

ग) योजना परिसंपत्तियां

कंपनी की योजना परिसंपत्तियों का प्रबंधन, भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा कंपनी के निधि दायित्वों को पूरा करने के लिए ली गई एक पॉलिसी के अंतर्गत किया जा रहा है। योजना परिसंपत्तियों के वर्गीकरण की 31 मार्च, 2020 तथा 31 मार्च, 2019 की सूचना भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई गई है।

घ) बीमांकिक अनुमान

रिपोर्टिंग तिथि को निम्नलिखित प्रमुख बीमांकिक अनुमान लगाए गए: रुपए लाख में

विवरण	31 मार्च, 2021 को स्थिति	31 मार्च, 2020 को स्थिति
छूट की दर	6.80%	6.80%
वेतन वृद्धि दर	8.00%	8.00%
सेवानिवृत्ति आयु (वर्ष)	60 वर्ष	60 वर्ष
दिव्यांगता के प्रावधान सहित मृत्यु दर	आईएएलएम (2012–14)	आईएएलएम (2012–14)
विड्रावल दर	3 प्रतिशत प्रतिवर्ष	3 प्रतिशत प्रतिवर्ष

नियोजन उपरांत लाभ के दायित्वों में कमी के लिए प्रयोग की दर का निर्धारण तुलन पत्र तिथि को सरकारी बांडों के बाजार लाभ के संदर्भ में किया गया है। सरकारी बांडों की निरंतरता तथा शर्तें नियोजन उपरांत दायित्वों की निरंतरता एवं अनुमानित स्थितियों के अनुरूप हैं। वेतन वृद्धि, मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति एवं अन्य आपूर्ति एवं रोजगार बाजार में मांग जैसे संबद्ध कारकों पर निर्भर करती है।

ङ संवेदी विश्लेषण

परिभाषित हितलाभ दायित्वों के निर्धारण के लिए लगाए गए महत्वपूर्ण बीमांकिक पूर्वानुमान दरों में कमी एवं संभावित वेतन वृद्धि से संबंधित हैं। नीचे दिए गए संवेदी विश्लेषण का निर्धारण अन्य सभी पूर्वानुमानों को स्थिर रखते हुए रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उत्पन्न होने वाले पूर्वानुमानों में औचित्यपरक संभावित बदलाव लाने के आधार पर किया गया है:–

रुपए लाख में

विवरण	वृद्धि	कमी
31 मार्च, 2021 को स्थिति		
छूट की दर (.50 प्रतिशत संचलन)	(68.00)	73.49
वेतन बढ़ोतरी दर (.50 प्रतिशत संचलन)	19.56	(20.97)
31 मार्च, 2020 को स्थिति		
छूट की दर (1 प्रतिशत संचलन)	(66.55)	72.16
वेतन बढ़ोतरी दर (1 प्रतिशत सचलन)	20.78	(22.97)

ऊपर प्रस्तुत संवेदी विश्लेषण से परिभाषित लाभ दायित्वों में वास्तविक बदलाव नहीं भी आ सकता है क्योंकि कुछ पूर्वानुमानों की सहःसंबद्धता होने के कारण ऐसा प्रतीत नहीं होता कि ये पूर्वानुमान अन्यों से हटकर कुछ अलग प्रकार के होंगे।

इसके अलावा, उपर्युक्त संवेदी विश्लेषण प्रस्तुत करने के लिए प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत की प्रत्याशित यूनिट क्रेडिट विधि के उपयोग से परिभाषित हितलाभ के वर्तमान मूल्य का आकलन किया गया है, जो कि वही है, जो वित्तीय स्थिति के विवरणों में परिभाषित लाभ दायित्वों को लेखाबद्ध करने के लिए उपयोग में लाई गई है।

संवेदी विश्लेषणों को तैयार करने के लिए उपयोग में लाए गए पूर्वानुमानों की विधि एवं रीति पूर्वावधि में किए गए उपयोगों से भिन्न नहीं है।

च) जोखिम विवरण

अपनी परिभाषित हितलाभ योजनाओं के कारण, कंपनी के सम्मुख अनेकों जोखिम हैं, जिनमें से अधिक महत्वपूर्ण जोखिमों का विवरण नीचे दिया गया है:–

क) वेतन वृद्धि – वास्तविक वेतन वृद्धि से योजनागत देयताओं में बढ़ोतरी होगी। वेतन में वृद्धि से भावी मूल्यांकन की दर में बढ़ोतरी होने से देयताओं में भी बढ़ोतरी होगी।

ख) निवेश जोखिम – योजना में निधियन किए जाने की स्थिति में परिसंपत्तियों एवं देयताओं के मध्य अनुपयुक्तता होगी तथा परिसंपत्तियों पर वास्तविक निवेश प्रतिफल पूर्व मूल्यांकन तिथि को आंकी गई कटौती दर से भी कम होगा, जिससे देयताएं प्रभावित हो सकती हैं।

ग) छूट दरः अनुवर्ती मूल्यांकनों में कटौती दर में कमी लाने के परिणामस्वरूप योजनागत देयताओं में वृद्धि हो सकती है।

घ) मृत्यु एवं दिव्यांगता – किए गए आंकलन की तुलना में वास्तविक मृत्यु तथा दिव्यांगता के मामले कम अथवा अधिक मूल्यांकन किए जाने से देयताएं प्रभावित हो सकती हैं।

ङ) आहरण – आंकलित निकासी से अधिक अथवा कम वास्तविक आहरण तथा अनुवर्ती मूल्यांकन में आहरण की दरों में परिवर्तन आने से योजनागत देयताएं प्रभावित हो सकती हैं।

छ) उपदान लाभों के संबंध में प्रत्याशित परिपक्वता विश्लेषण निम्नानुसार हैः– **रूपए लाख में**

परिभाषित हितलाभ भुगतान की अवधि	31 मार्च, 2021 को स्थिति	31 मार्च, 2020 को स्थिति
1 वर्ष से कम	78.78	48.57
1–2 वर्षों के बीच	50.60	58.94
2–5 वर्षों के बीच	147.01	138.12
5 वर्षों से अधिक	1,061.27	991.63
योग	**1,337.66**	**1,237.26**

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए रोजगार उपरांत हितलाभ योजनाओं में प्रत्याशित अंशदान 112.03 लाख रुपए है।

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में परिभाषित हितलाभ योजना दायित्वों की भारित औसत अवधि 12.80 वर्ष है (31 मार्च, 2020: 13.37 वर्ष)।

ज) प्रगति पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को अंतरित व्यय

लेखाबद्ध प्रावधानों में से 8.19 लाख रुपए (31 मार्च, 2020: 8.04 लाख रुपए) प्रगति पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड से निगमित अंशभाग के रूप में अंतरित हुए हैं तथा 87.70 लाख रुपये (31 मार्च, 2020: 91.79 लाख रुपए) प्रगति पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को अंतरित किए गए हैं।

ख. सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा योजना

कंपनी में सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा योजना (पीआरएमएफ) विधमान है, जिसके अंतर्गत सेवानिवृत्त कर्मचारी तथा उसके जीवन साथी को निर्धारित सीमाओं की शर्त पर कंपनी के अस्पताल/पैनलबद्ध अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाती है। वे कंपनी द्वारा निर्धारित की गई सीमा तक बाहय रोगी के रूप में भी उपचार प्राप्त कर सकते हैं। यह सुविधा गैर निधियन है तथा इसकी देयताएं बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर लेखाबद्ध की जाती हैं।

बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर निम्नलिखित तालिका में अनुदान योजना की स्थिति एवं तुलन पत्र तिथि को कंपनी के वित्तीय विवरणों में लेखाबद्ध की गई राशियां दर्शाई गई हैं :

क) निवल परिभाषित हितलाभ (परिसंपत्ति)/देयता रुपए लाख में

विवरण	31 मार्च, 2021 को स्थिति	31 मार्च, 2020 को स्थिति
गैर–चालू	1,734.55	1,185.43
चालू	7.46	3.37
योग	**1,742.01**	**1,188.80**

ख) निवल परिभाषित हितलाभों (परिसंपत्ति)/देयता में संचलन

रुपए लाख में

विवरण	परिभाषित हितलाभ दायित्व	
	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
प्रारंभिक शेष	**1,188.80**	**978.24**
लाभ अथवा हानि में शामिलः		
चालू सेवा लागत	109.27	77.96
ब्याज लागत/आय	80.84	74.93
लाभ अथवा हानि में लेखाबद्ध योग राशि	**190.11**	**152.89**
अन्य व्यापक आय में सम्मिलितः		
निम्नलिखित से उत्पन्न पुनःमापन हानि/(लाभ)(बीमांकिक हानि/(लाभ)):		
वित्तीय पूर्वानुमान		64.26
अनुभव समायोजन	363.11	(6.59)
अन्य व्यापक आय में लेखाबद्ध योग राशि	**363.11**	**57.67**
चुकता लाभ		
अंत शेष	**1,742.01**	**1,188.80**

ग) **बीमांकिक पूर्वानुमान**

रिपोर्टिंग तिथि को निम्नलिखित बीमांकिक पूर्वानुमान, महत्वपूर्ण थेः

विवरण	31 मार्च, 2021 को स्थिति	31 मार्च, 2020 को स्थिति
छूट की दर	6.80%	6.80%
मुआवजा स्तरों में वृद्धि दर	10.00%	10.00%
सेवा के दौरान मूल वेतन तथा ग्रेड वेतन में वृद्धि दर	4.00%	4.00%
ओपीडी व्ययों की वृद्धि दर	शून्य	शून्य
सेवानिवृत्ति आयु (वर्ष)	60 वर्ष	60 वर्ष
दिव्यांगता प्रावधान सहित मृत्यु दर	आईएएलएम का 100% (2012 - 14)	आईएएलएम का 100% (2012 - 14)
विड्रावल दर	3 प्रतिशत प्रतिवर्ष	3 प्रतिशत प्रतिवर्ष

नियोजन के पश्चात लाभ के दायित्वों में कमी के लिए प्रयोग की दर का निर्धारण तुलन पत्र तिथि को सरकारी बांडों के बाजार लाभ के संदर्भ में किया गया है। सरकारी बांडों की निरंतरता तथा शर्तें नियोजन उपरांत दायित्वों की निरंतरता एवं अनुमानित स्थितियों के अनुरूप हैं। वेतन वृद्धि, मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति एवं अन्य आपूर्ति एवं रोजगार बाजार में मांग, जैसे संबद्ध कारकों पर निर्भर करती है।

घ) **संवेदी विश्लेषण**

परिभाषित हितलाभ दायित्वों के निर्धारण के लिए लगाए गए महत्वपूर्ण बीमांकिक पूर्वानुमान दरों में कमी एवं संभावित वेतन वृद्धि से संबंधित हैं। नीचे दिए गए संवेदी विश्लेषण का निर्धारण अन्य सभी पूर्वानुमानों को स्थिर रखते हुए रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उत्पन्न होने वाले पूर्वानुमानों में औचित्यपरक संभावित बदलाव लाने के आधार पर किया गया हैः

रुपए लाख में

विवरण	वृद्धि	कमी
31 मार्च, 2021 को स्थिति		
छूट की दर (1 प्रतिशत संचलन)	(96.60)	94.35
चिकित्सा लागत दर (1 प्रतिशत संचलन)	94.20	(95.25)
31 मार्च, 2020 को स्थिति		
छूट की दर (1 प्रतिशत संचलन)	(71.56)	69.89
चिकित्सा लागत दर (1 प्रतिशत संचलन)	69.78	(70.56)

ऊपर प्रस्तुत संवेदी विश्लेषण से परिभाषित लाभ दायित्वों में वास्तविक बदलाव का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते हैं क्योंकि कुछ पूर्वानुमानों की सह–संबंद्धता होने के कारण ऐसा प्रतीत नहीं होता कि ये पूर्वानुमान अन्यों से हटकर कुछ अलग प्रकार के होंगे।

इसके अलावा, उपर्युक्त संवेदी विश्लेषण प्रस्तुत करने के लिए प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत की प्रत्याशित यूनिट क्रेडिट विधि के उपयोग से परिभाषित हितलाभ के वर्तमान मूल्य का आकलन किया गया है, जो कि वही है, जो वित्तीय स्थिति के विवरणों में परिभाषित हितलाभ दायित्वों को लेखाबद्ध करने के लिए उपयोग में लाई गई है।

संवेदी विश्लेषणों को तैयार करने के लिए उपयोग में लाए गए पूर्वानुमानों की विधि एवं रीति पूर्वावधि में किए गए उपयोगों से भिन्न नहीं है।

ङ) **जोखिम विवरण**

अपनी परिभाषित हितलाभ योजनाओं के कारण कंपनी के सम्मुख अनेकों जोखिम हैं, जिनमें से अधिक महत्वपूर्ण जोखिमों का विवरण नीचे दिया गया हैः–

क) चिकित्सा लागत वृद्धि – प्रत्येक सेवानिवृत्त व्यक्ति की वास्तविक चिकित्सा लागत में वृद्धि होने के फलस्वरूप योजनागत देयता में वृद्धि होगी। प्रत्येक सेवानिवृत्त व्यक्ति की चिकित्सा लागत के भावी मूल्यांकनों में वृद्धि होने से देयता में वृद्धि होगी।

ख) निवेश जोखिम – योजना में निधियन किए जाने की स्थिति में परिसंपत्तियों एवं देयताओं के मध्य अनुपयुक्तता होगी तथा परिसंपत्तियों पर वास्तविक निवेश प्रतिफल पूर्व मूल्यांकन तिथि को आंकी गई कटौती दर से भी कम होगा, जिससे देयताएं प्रभावित हो सकती हैं।

ग) छूट दर – अनुवर्ती मूल्यांकनों में छूट दर में कमी लाने के परिणामस्वरूप योजनागत देयताओं में वृद्धि हो सकती है।

घ) मृत्यु एवं दिव्यांगता – किए गए आकलन की तुलना में वास्तविक, मृत्यु तथा दिव्यांगता के मामले कम अथवा अधिक होने से देयताएं प्रभावित हो सकती हैं।

ङ) आहरण – आकलित आहरण से अधिक अथवा कम वास्तविक आहरण तथा अनुवर्ती मूल्यांकन में आहरण की दरों में परिवर्तन आने से योजनागत देयताएं प्रभावित हो सकती हैं।

च) **सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा हितलाभ की संभावित परिपक्वता का विश्लेषण निम्नानुसार हैंः**

रुपए लाख में

विवरण	31 मार्च, 2021 को स्थिति	31 मार्च, 2020 को स्थिति
परिभाषित हितलाभ भुगतान की अवधि		
1 वर्ष से कम	7.46	3.37
1–2 वर्षों के बीच	7.16	3.34
2–5 वर्षों के बीच	22.42	10.48
5 वर्षों से अधिक	1,704.97	1171.60
योग	**1,742.01**	**1,188.79**

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए, रोजगार उपरांत हितलाभ योजनाओं में प्रत्याशित अंशदान 233.96 लाख रुपए हैं।

छ) **प्रगति पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को अंतरित व्यय**

लेखाबद्ध प्रावधानों में से, 145.83 लाख रुपए (31 मार्च,2020 118.64 लाख रूपए) पीपीसीएल को अंतरित किए गए और शून्य लाख रुपए (31 मार्च,2020 शून्य लाख रूपए) पीपीसीएल से अंतरित किए गए हैं।

(iii) अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी हितलाभ योजनाएं

क. **प्रतिकारक अनुपस्थिति**

कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों को अर्जित छुट्टी हितलाभ (प्रतिपूर्ति अनुपस्थितियों सहित) तथा अर्द्ध वेतन छुट्टी प्रदान की जाती है, जिनका वर्ष में क्रमशः 30 दिन तथा 20 दिन का उपचय होता है। अर्जित छुट्टियों का नकदीकरण सेवाकाल के दौरान नही किया जाता है तथा इसके संबंध में पूरे सेवाकाल में छुट्टी यात्रा रियायत के उपयोग के अधिकतम 60 दिनों के अर्जित छुट्टी नकदीकरण की अनुमति है। अर्द्ध–वेतन छुट्टियों का नकदीकरण 50 वर्ष की आयु के पश्चात केवल सेवा त्याग की स्थिति में ही दिया जाता है। सेवानिवृत्ति के समय छुट्टियों का नकदीकरण अधिकतम 300 दिन (अर्थात अर्जित छुट्टी एवं अर्द्ध वेतन छुट्टी मिलाकर) तक प्रतिबंधित किया गया है तथा इसके लिए अर्द्ध–वेतन छुट्टी के परिवर्तन की अनुमति नहीं है। यह योजना गैर निधियन है तथा इसकी देयता की स्वीकृति बीमांकक मूल्यांकन के आधार पर की गई है। चूंकि प्रतिपूर्ति अनुपस्थितियां कर्मचारी द्वारा संबंद्ध सेवा दिए जाने की अवधि की समाप्ति के पश्चात की बारह माह की अवधि के दायरे में पूरी तरह से नहीं आती हैं तथा नियत तिथि के बाद 12 महीने में इनका उपयोग किए जाने की संभावना नहीं है। अतः इसके हितलाभों का वर्गीकरण दीर्घकालिक कर्मचारी हितलाभ के तौर पर किया गया है।

वर्ष के लिए, बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर 301.61 लाख रुपए (31 मार्च, 2020: 494.47 लाख रुपए) के स्वीकृत प्रावधानों में से, 30.71 लाख रूपए (31 मार्च, 2020 : 20.97 लाख रूपए) पीपीसीएल द्वारा कॉर्पोरेट अंशभाग के रूप में शेयर किए गए हैं, 1.98 लाख (31 मार्च, 2020 : 1.88 लाख रूपए) प्रतिनियुक्ति पर संबंधित कम्पनियों में भेजे गए कर्मचारियों के लिए अंतरित किए गए हैं तथा 255.04 लाख रूपए (31 मार्च, 2020 : 354.80 लाख रूपए) पीपीसीएल को अंतरित किए गए हैं।

ख. छुट्टी यात्रा रियायत

कंपनी की नीति के अनुसार, प्रत्येक कर्मचारी अपने परिवार के सदस्यों के साथ छुट्टी यात्रा रियायत प्राप्त करने का पात्र है:–

क) दो वर्षों के ब्लॉक में गृह नगर के लिए एक तथा चार वर्ष के ब्लॉक में भारत में कहीं भी यात्रा के लिए एक छुट्टी यात्रा रियायत अथवा

ख) चार वर्ष के ब्लॉक में दो गृह नगर छुट्टी यात्रा रियायत।

इसके अलावा, छुट्टी यात्रा रियायत/गृह नगर छुट्टी यात्रा रियायत का उपयोग विस्तारित अवधियों अथवा ब्लॉक वर्ष के अंत के एक वर्ष के बाद भी किया जा सकता है।

यह योजना गैर–निधियन है तथा इसकी देयता को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर लेखाबद्ध किया गया है। वर्ष के अंत में बीमांकिक आधार पर 28.91 लाख रुपए (31 मार्च, 2020: (–) 2.45 लाख रुपए) के प्रावधान किए गए हैं तथा इन्हें लाभ एवं हानि विवरण में नामे किया गया है। स्वीकृत प्रावधानों में से शून्य लाख रुपए (31 मार्च, 2020: शून्य लाख रुपए) प्रगति पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को निगमित अंशभाग के रूप में, 5.96 लाख रुपए (31 मार्च, 2020 : 0.03 लाख रुपए) प्रतिनियुक्ति / डायवर्टिड आधार पर संबंधित कंपनियों में तैनात किए गए कर्मचारियों के लिए अंतरित किए गए हैं तथा 8.01 लाख रुपए (31 मार्च, 2020: 4.19 लाख रुपए पीपीसीएल से अंतरित किए गए हैं।

(iv) सेवांत हितलाभ

कंपनी एसवीआरएस के विकल्प का चयन करने वाले अपने कर्मचारियों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने तक पेंशन का भुगतान करती है। एसवीआरएस के विकल्प का चयन करने वाले कर्मचारी की मृत्यु होने की स्थिति में उसके नामिति को पेंशन का भुगतान नहीं किया जाता है। यह योजना गैर निधियन है तथा इसकी देयताओं को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है। वर्ष के दौरान बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर 2.82 लाख रुपए (31 मार्च, 2020: 19.83 लाख रुपए) के प्रावधान किए गए हैं तथा इन्हें लाभ एवं हानि विवरण में नामे किया गया है।

II. परिसमापन से पूर्व नियोजित कर्मचारी (दिल्ली विद्युत बोर्ड के कर्मचारी)

परिसमापन से पूर्व नियोजित कर्मचारियों के नियुक्ति उपरांत हितलाभों का भुगतान कंपनी द्वारा परिभाषित मासिक अंशदान के रूप में पेंशन ट्रस्ट को किया जाता है तथा इसे लाभ एवं हानि विवरण में नामे में दर्शाया जाता है।

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए 2507.93 लाख रुपए (31 मार्च, 2020: 237.01 लाख रुपए) पेंशन ट्रस्ट को चुकता किए गए हैं/देय हैं तथा इन्हें कर्मचारी हितलाभ व्यय के रूप में प्रभारित किया गया है।

38. प्रति शेयर आय

रुपए लाख में

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
इक्विटी शेयरधारकों से संबद्ध लाभ (क)		
विनियामक आस्थगित खाता शेषों सहित प्रचालनों से	14,176.63	26,586.69
विनियामक आस्थगित खाता शेषों से	-	-
विनियामक आस्थगित खाता शेषों के अलावा प्रचालनों से	14,176.63	26,586.69
इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या		
जारी इक्विटी शेयरों का प्रारंभिक शेष	736,540,000	736,540,000
वर्ष के दौरान जारी शेयरों का प्रभाव,यदि कोई हों,	-	-
इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (ख)	**736,540,000**	**736,540,000**
प्रति शेयर आय (मूल एवं डाइल्यूटिड) (क/ख)	**-**	**-**
विनियामक आस्थगित खाता शेषों सहित प्रचालनों से	**1.92**	**3.61**
विनियामक आस्थगित खाता शेषों से	**-**	**-**
विनियामक आस्थगित खाता शेषों को हटाकर प्रचालनों से	**1.92**	**3.61**
प्रति शेयर नाममात्र मूल्य	10.00	10.00

39. पट्टेदार के रूप में पट्टा

क) कंपनी ने कार्यालय उपयोग के लिए कार्यालय उपकरणों एवं अन्य उपकरणों को पट्टे पर प्राप्त किया है। ये पट्टे अल्पकालिक प्रकार के हैं क्योंकि ये 12 माह अथवा कम अवधि के हैं। ये पट्टा व्यवस्थाएं परस्पर सहमति से नवीकृत हो सकती हैं परन्तु इन्हें रद्द नहीं किया जा सकता है। इन पट्टों के संबंध में लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित व्यय 9 लाख रूपए है। रिपोर्टिंग अवधि के दौरान इन पट्टों कुल नकदी बहिर्प्रवाह की राशि 9.75 लाख रूपए है।

40. व्यापार/अन्य देयताओं तथा ऋणों एवं अग्रिमों के संबंध में लेखांकन मानक 505 (संशोधित) 'बाह्य पुष्टिकरण' में निर्दिष्ट नकारात्मक टिप्पणी के साथ शेष पुष्टि पत्र पार्टियों को भिजवा दिए गए हैं। ऐसे कुछ शेषों की पुष्टि/समाधान के अधीन है। इनकी पुष्टि/समाधान होने पर लेखों में इनका समायोजन, यदि कोई हुआ, कर लिया जाएगा, जिससे प्रबंधन के मतानुसार किसी प्रकार विशेष प्रभाव नहीं होगा।

41. प्रबंधन के मतानुसार संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरणों के अलावा अन्य परिसंपत्तियों के मूल्यों की सामान्य व्यवसाय प्रक्रिया के अंतर्गत प्राप्ति उन मूल्यों से कम नहीं होगी, जिन मूल्यों का उल्लेख तुलन पत्र में किया गया है।

42. भारतीय लेखांकन मानक 36 की अपेक्षाओं के अनुसार, परिसंपत्तियों की क्षति का मूल्यांकन किया गया था तथा इस मूल्यांकन के आधार पर प्रबंधन का यह मत है कि परिसंपत्तियों की क्षति का कोई भी मामला नहीं है।

43. कंपनी के जीटीपीएस संयंत्र को वर्ष 2012–13 से 2014–15 के लिए परर्फोम, एचिव एंड ट्रेड (पीएटी) योजना के अंतर्गत अधिसूचित किया गया था जिसके अंतर्गत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा कुछ प्रचालनात्मक मानदंड निर्धारित किए गए थे। पीएटी क्रम–1 के लिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो से मान्यताप्राप्त ऊर्जा ऑडिटरों द्वारा एम एंड वी ऑडिट किया गया था। तदनुसार एम एंड वी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट बीईई द्वारा जीपीएस के लिए डिजीटल स्वरूप में 8480 अंकों के साथ ईएस प्रमाणपत्र जारी किए थे। कंपनी ने 4.66 लाख रूपए की राशि के ईएस प्रमाणपत्रों के 466 अंकों का ट्रेड किया है तथा वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान 466 प्रमाणपत्रों की बिक्री से प्राप्त राशि की स्वीकृति विविध आय (अन्य आय) के रूप में की गई है। जीटीपीएस संयंत्र बीईई द्वारा गैस टर्बाइन संयंत्रों के संबंध में एम एंड वी ऑडिट की पीएटी के लिए निर्धारित थ्रेशहोल्ड पीएलएफ सीमा को प्राप्त नही कर पाया है।

तदनुसार, पीएटी क्रम:2 के लिए प्रमाणपत्रों की कोई न्यूनता / अधिशेष नहीं है, तथापि, पीएटी क्रम–1 के शेष 8014 ईएस प्रमाणपत्र (पीएटी क्रम–2 तक के लिए मान्य) वर्ष 2021 में ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध हैं।

44. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसरण में कंपनी द्वारा कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति का गठन किया गया है तथा कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति तैयार की गई है। कंपनी से पूर्ववर्ती 3 वित्त वर्षों के दौरान अर्जित निवल लाभों के औसत का कम से कम 2 प्रतिशत व्यय प्रत्येक वित्त वर्ष में करने की अपेक्षा की गई है। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति के अंतर्गत कंपनी से वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान 51.41 लाख रुपए (31 मार्च, 2020: शून्य रुपए) का व्यय कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व क्रियाकलापों के लिए किए जाने की अपेक्षा थी। कंपनी ने सितम्बर, 2021 में प्रधान मंत्री केयर निधि में योगदान देकर इस राशि का व्यय किया है।

	विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
(क)	वर्ष के दौरान कंपनी से व्यय के लिए अपेक्षित सकल राशि	51.41	
(ख)	31 मार्च,2021 को समाप्त वर्ष में व्यय की गई राशि:		
	(1) वर्ष में निर्मित / अधिग्रहित कोई परिसम्पति	-	-
	(2) उपर्युक्त (1) के अलावा अन्य किसी उद्देश्य से	-	-
(ग)	वर्ष के दौरान व्यय न की गई राशि	**51.41**	-

45. चालू वर्ष की प्रस्तुति में चालू वर्ष के वित्तीय विवरणों के साथ तुलनात्मक आंकड़ों का समायोजन तुलनात्मकता में संवर्धन के लिए किया गया है।

46. संबंद्व पार्टी प्रकटीकरण

क) संबंद्व पार्टियों की सूची:

i) प्रमुख प्रबंधन कार्मिक:

श्री सत्य गोयल *	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	(31 मार्च,2021 से)
सुश्री पदमिनी सिंगला *	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	(5 जुलाई, 2019 से 31 मार्च,2021 तक)
श्री मधुप व्यास *	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	(11.1.2019 से 5 जुलाई, 2019 तक)
श्री डी वर्मा *	निदेशक (मानव संसाधन)	(5 जुलाई, 2019 से 24 अप्रैल 2020 तक)
श्री मुकेश प्रसाद *	निदेशक (मानव संसाधन)	(25.9.2017 से 5 जुलाई, 2019 तक)

श्री रवि दधिच *	निदेशक (मानव संसाधन)	(24 अप्रैल 2020 से 9 सितम्बर 2020 तक)
श्री जितेन्द्र कुमार जैन *	निदेशक (मानव संसाधन)	(9 सितम्बर 2020 से 28 जुलाई 2021 तक)
श्री एस एम वर्मा	निदेशक (तकनीकी)	(1 मई 2019 से)
श्री जगदीश कुमार	निदेशक (तकनीकी)	(30.4.2019 तक)
श्री रविन्द्र कुमार जैन	निदेशक (वित्त)	(5 जून 2017 से 31 मई 2021 तक)
श्री बी. एन. ओझा	निदेशक	(1 अक्तूबर 2009 से)
श्री तरूण चतुर्वेदी	निदेशक (स्वतंत्र)	(8 जून 2016 से 7 जून 2021 तक)
श्री रविन्द्र कुमार जैन	कंपनी सचिव	(3 जून 2003 से 31 मई 2021 तक)
श्री प्रशांत व्यास	मुख्य वित्त अधिकारी	(5 फरवरी 2019 से)

* पूर्णकालिक नहीं हैं और अतिरिक्त कार्यभार देख रहे हैं

ii) कंपनी की संबद्ध कंपनी:

अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (एपीसीपीएल)

iii) नियोजन उपरांत हितलाभ योजना :

इद्रप्रस्थ पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड कर्मचारी समूह उपदान निधि

डीवीबी कर्मचारी सेवांत हितलाभ निधि

iv) समान सरकार के नियंत्रणाधीन इकाइयां:

कंपनी का नियंत्रण, दिल्ली सरकार के अधीन है जिसके पास कंपनी के बहुसंख्यक शेयरों का धारण है। भारतीय लेखांकन मानक 24 के पैराग्राफ 25 तथा 26 के अनुसार, समान सरकार के नियंत्रण में आने वाली इकाइयां अथवा संयुक्त उद्यम अथवा महत्त्वपूर्ण प्रभाव होने की स्थिति में रिपेर्टिंग इकाई तथा इकाइयों को संबद्ध पार्टियां माना गया है। कंपनी द्वारा सरकारी संबद्ध इकाइयों के लिए उपलब्ध छूट के लिए आवेदन किया गया है तथा वित्तीय विवरणों में इसका सीमित प्रकटीकरण किया गया हैं। ऐसी इकाइयों, जिनके साथ कंपनी का महत्वपूर्ण लेन–देन होता है, में प्रगति पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड, दिल्ली पावर कंपनी लिमिटेड, बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड, बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद इत्यादि शामिल हैं, परन्तु ये इन्हीं तक सीमित नहीं है।

ख) प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों को मुआवजा

रुपए लाख में

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
अल्पकालिक हितलाभ	221.61	127.44
नियोजन उपरांत हितलाभ	2.06	2.77
अन्य दीर्घकालिक हितलाभ	40.38	6.98
योग मुआवजा	**264.05**	**137.19**

ग) संबद्ध पार्टियों से संव्यवहार निम्नानुसार हैः–

रुपए लाख में

	विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
i)	**संबद्ध कंपनी के साथ संव्यवहार**		
	अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड		
	प्राप्त लाभांश	17,500.00	7,341.32
ii)	**नियोजन उपरांत हितलाभ योजनाओं के लेन–देन**		
	आईपीजीसीएल कर्मचारी समूह उपदान निधि		
	वर्ष के दौरान किया गया अंशदान	80.29	210.32
	डीवीबी कर्मचारी सेवांत हितलाभ निधि		
	वर्ष के दौरान किया गया अंशदान	2,796.56	3,095.04

iii) **सरकार तथा समान सरकार के नियंत्रणाधीन संबद्ध पार्टियों से संव्यवहार**

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार	ऋण पर ब्याज	4,364.75	7,414.43
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार	सावधि ऋण का भुगतान	32,744.00	26,196.27
बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड	ऊर्जा की बिक्री	14,997.50	26,073.60
बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड	ऊर्जा की बिक्री	1,967.46	5,605.93
टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड	ऊर्जा की बिक्री	6,811.93	12,612.09
दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड	कर्मचारी लागत शेयरिंग	85.92	(62.96)
दिल्ली पावर कंपनी लिमिटेड	ऋण पर चुकता ब्याज	-	3,023.32
दिल्ली पावर कंपनी लिमिटेड	छोड़ा गया ब्याज	-	621.09
प्रगति पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	निगमित व्यय शेयरिंग	481.93	537.53
प्रगति पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	अंतरित मालसूची (जीएसटी के बिना)	15.22	0.74
प्रगति पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	मालसूची प्राप्ति (जीएसटी के बिना)	-	0.24

घ) **संबंद्ध पार्टियों से बकाया शेष निम्नानुसार है :**

रुपए लाख में

विवरण	प्रकार	31 मार्च, 2021 को स्थिति	31 मार्च, 2020 को स्थिति
डीवीबी कर्मचारी सेवांत हितलाभ निधि	देय	269.16	2,917.58
डीवीबी कर्मचारी सेवांत हितलाभ निधि	प्राप्य	27.78	27.93

ङ) **संबद्ध पार्टियों से संव्यवहार के नियम एवं शर्तें**

– संबंद्ध पार्टियों से संव्यवहार व्यावसायिक नियम एवं शर्तों और लागत दर लागत आधार पर किए जाते हैं।

– संबद्ध पार्टियों से/को उधार और ब्याज भुगतान से संबंधित शर्तों के लिए कृपया नोट संख्या 18 तथा 22 देखें।

– ऊर्जा की बिक्री और दी गई छूट(यदि कोई हो) का विनियमन और संव्यवहार डीईआरसी के विनियमों के अनुसार किया जाता है।

– निगमित व्ययों का शेयरिंग लागत आधार जमा लागू कर ऊर्जा संयंत्रों की संस्थापित क्षमता के अनुपात में है।

47. **घटक रिपोर्टिंग**

कंपनी के निदेशक मंडल का निर्धारण मुख्य प्रचालन निर्णय निर्धारक ('सीओडीएम') के रूप में किया गया है। मुख्य प्रचालन निर्णय निर्धारक के अनुसार रिपोर्टिंग किए जाने योग्य केवल एक ही घटक (''विद्युत का उत्पादन'') है। इसके अलावा, कंपनी द्वारा अपने प्रचालन केवल एक ही भौगोलिक ब्लॉक भारत में किए जाते हैं। तद्नुसार वित्तीय विवरणों में ब्लॉक रिपोर्टिंग के संबंध में अलग से कोई प्रकटीकरण किया जाना अपेक्षित नहीं है।

कंपनी प्रकटीकरण

क) **उत्पाद तथा सेवाओं से संबंधित सूचना**

उत्पादों एवं सेवाओं से संबंधित सूचना के लिए कृपया नोट संख्या 27 देखें।

ख) **भौगोलिक क्षेत्रों से संबंधित सूचना**

कंपनी द्वारा की जाने वाली सम्पूर्ण बिक्री भारत में निवास करने वाले ग्राहकों को ही की जाती है। इसके अलावा, कंपनी की सभी गैर–चालू परिसंपत्तियां भारत में ही स्थित हैं।

ग) **प्रमुख ग्राहकों के संबंध में सूचना (बाहरी ग्राहकों से)**

कंपनी को 10 प्रतिशत अथवा अधिक राजस्व के भाग में अपने राजस्व की प्राप्ति निम्नलिखित ग्राहकों से होती है :–

रुपए लाख में

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड	14,997.50	26,073.60
बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड	1,967.46	5,605.93
टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड	6,811.93	12,612.09
नई दिल्ली नगरपालिका परिषद	(224.91)	-

48. भारतीय लेखांकन मानक 37 'प्रावधान, आकस्मिक दायित्व एवं आकस्मिक परिसंपत्तियां' के अंतर्गत प्रकटीकरण

क) वर्ष के दौरान प्रावधानों में संचलन

रुपए लाख में

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
वेतन संशोधन के लिए प्रावधान		
वर्ष के प्रारम्भ में वहन राशि	1,411.39	-
जोड़े : वर्ष के दौरान संवर्धन	-	1,411.39
घटाएं : वर्ष के दौरान रिवर्सल/ समायोजन	1,411.39	-
वर्ष के अंत में वहन राशि	**-**	**1,411.39**
अनुमोदन हेतु लंबित अवशिष्ट परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान		
वर्ष के प्रारम्भ में वहन राशि	17.51	4.20
जोड़े : वर्ष के दौरान संवर्धन		13.31
घटाएं : वर्ष के दौरान रिवर्सल/समायोजन	1.83	-
वर्ष के अंत में वहन राशि	**15.68**	**17.51**
संयंत्र एवं उपकरण संपत्ति में कमी के प्रावधान		
वर्ष के प्रारम्भ में वहन राशि	33.01	32.81
जोड़े : वर्ष के दौरान संवर्धन	10.52	0.20
घटाएं : वर्ष के दौरान रिवर्स/समायोजन		-
वर्ष के अंत में वहन राशि	**43.53**	**33.01**
एफबीटी की संदेहास्पद वसूली के प्रावधान		
वर्ष के प्रारम्भ में वहन राशि	**26.89**	**26.89**
जोड़े : वर्ष के दौरान संवर्धन	**-**	**-**
घटाएं : वर्ष के दौरान रिवर्सल/समायोजन	**-**	**-**
वर्ष के अंत में वहन राशि	**26.89**	**26.89**

ख) कंपनी के कर्मचारियों का वेतन संशोधन 1 जनवरी, 2016 से देय है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार द्वारा पावर सेक्टर के उद्यमों की विभिन्न श्रेणी के वेतनमानों तथा भत्तों/हितलाभों की समीक्षा करने और सुझाव देने के लिए वेतन संशोधन समिति गठित की गई है। अंतिम सिफारिशों को अभी निर्गत किया जाना है, वेतन संशोधन समिति की अनुशंसाओं के आधार पर अंतिम अनुशंसाएं जारी किए जाने तक, कर्मचारियों को अंतरिम सहायता प्रदान किए जाने की स्वीकृति निदेशक मंडल द्वारा दी गई है और इसलिए वर्ष 2018–19 के दौरान कोई प्रावधान नहीं किया गया, तथापि, इस संबंध में अंतिम सिफारिशों को निदेशक मंडल ने 03.09.2020 की अपनी बैठक में स्वीकृति दे दी है और परिणामस्वरूप 31 मार्च, 2020 तक की देयताओं के लिए 1411.39 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। तदनुसार, कर्मचारियों को बकाया एवं अन्य लाभों का भुगतान वित्तीय वर्ष 2020–21 में करके प्रावधान रिवर्स कर दिए गए थे।

ग) चालू अवधि के संबंध में किए गए प्रावधानों के अनुमान, पूर्व वर्षों के समान हैं। ऐसे प्रावधानों की स्वीकृति के लिए लगाए जाने वाले पूर्वानुमानों तथा अनुमानों का स्वरूप मात्रात्मक होता है तथा उनमें अगले वित्त वर्ष में बदलाव आ सकते हैं। ऐसे प्रावधानों को लेखाबद्ध करने के लिए लगाए जाने वाले पूर्वानुमानों तथा अनुमानों के संभावित प्रभाव का आकलन करना कंपनी के लिए व्यवहार्य नहीं है।

घ) आकस्मिक देयताओं के संबंध में प्रकटीकरण

रुपए लाख में

विवरण	31 मार्च, 2021 को स्थिति	31 मार्च, 2020 को स्थिति
कंपनी के विरूद्ध दावा, जो नामे के रूप में स्वीकृति नहीं	56,560.08	52,903.23
पूंजी व्यय के अलावा साख पत्र	530.00	1,130.00
अपील के कारण लेखे में व्यय के रूप में समायोजित न की गई विवादित आयकर देयता	563.05	75.04
लेखा बहियों में व्यय के रूप में समायोजित न की गई स्रोत पर कर कटौती मांग	7.99	3.73

49. हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड के पास कंपनी के आई.पी. स्टेशन, जो वित्त वर्ष 2009–10 के दौरान बंद कर दिया गया था, के 4 यूनिटों का एक तिहाई स्वामित्व था। हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड द्वारा अपने स्वामित्व के अंश भाग पर समानुपात में परिचालन एवं अनुरक्षण व्यय का पुनर्भुगतान किया जाना था। पूर्व में किए आंशिक पुनर्भुगतान के कारण हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड पर बड़ी राशि संचित (बकाया) हो गयी है। किए गए एक समझौते के अनुसार हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड द्वारा अपने भाग की देयताओं का भुगतान दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग के प्रशुल्क आदेशों के अनुसार संबंधित वर्षों से संबंधित निवल शेष, इक्विटी वापसी तथा मूल्यह्रास एवं ब्याज की देयताओं का भुगतान तय दरों पर कर दिया गया था। इसके अलावा, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड ने दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग द्वारा ट्रूइंग आदेश में किसी प्रकार का बदलाव किए जाने की स्थिति में भुगतान, यदि कोई हो, करने की सहमति प्रदान की गई थी। समझौते का कार्यान्वयन करके कंपनी द्वारा 2,866.81 लाख रुपए के प्राप्य शेष का प्रतिधारण किया गया तथा पूर्व एहतियात तथा दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग द्वारा आदेशों में किए जाने वाले बदलाव की संभावना के तौर पर 2,677 लाख रुपए के लिए पूर्व वर्षों के प्रावधान किए गए हैं।

दिल्ली विद्युत विनियामक प्राधिकरण ने दिनांक 31 जुलाई, 2013 के अपने आदेश के माध्यम से कंपनी को विभिन्न डिस्कॉम्स से 17,541.00 लाख रूपए की वसूली करने की अनुमति दी गई है जो कि इस शर्त के साथ है कि यह वसूली आईपी स्टेशन की सभी परिसम्पतियों के निपटान के पश्चात ही की जानी है। कंपनी ने डीईआरसी से उक्त राशि वसूली, आईपी स्टेशन की परिसम्पतियों की लिकिंग के बिना, किए जाने की अनुमति के लिए अनुरोध किया है। तथापि, आईपी स्टेशन की परिसम्पतियों का निपटान अब किया जा चुका है, अतः इसके कारण विद्युत अपीलिय ट्रिब्यूनल (एपीटीईएल) के सम्मुख अपील दायर की गई है तथा अपील का अभी निपटान नहीं हुआ है। दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग द्वारा अपने दिनांक 28 मार्च, 2018 के आदेश के माध्यम से कंपनी को आई.पी. स्टेशन के निपटान से लाभ के निवल मूल्य की 80 प्रतिशत वसूल करने की अनुमति प्रदान की है। इसके परिणामस्वरूप कंपनी द्वारा 3,462.82 लाख रुपए की मूल राशि तथा संबंधित तिथियों से उसके ब्याज की 5,539.30 लाख रुपए की राशि के बीजक जारी किए गए हैं। हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम द्वारा दावे की स्वीकृति किए जाने के पश्चात ब्याज को राजस्व के रूप लेखाबद्ध किया जाएगा। कंपनी को वर्ष के दौरान मूलधन एवं ब्याज के रूप में अधिकांश राशि प्राप्त हो गई है। अतः प्रावधानों का 2,266.60 लाख रुपये के प्रावधानों को प्रतिलेखन किया गया है और 2,343.54 लाख रुयये की ब्याज आय को इसकी प्राप्ति के रूप में लेखाबद्ध किया गया है।

50. कंपनी द्वारा उत्पादन की गई पावर का 50 प्रतिशत भाग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के 49 प्रतिशत इक्विटी भाग वाले डिस्कॉमों बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड तथा बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड को बेचा जाता है तथा वे क्रमशः सितम्बर, 2011 तथा जून, 2012 से दावों का अधिकांशतः निपटान नहीं कर रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार 135643.34 लाख रुपए (31 मार्च, 2020: 154120.92 लाख रुपए) की काफी विशाल बकाया देयताएं इन दोनों डिस्कॉमों पर बकाया पड़ी हुई हैं। इसके परिणामस्वरूप, अत्याधिक भारी वित्तीय संकट हुआ है, जिसके कारण अत्याधिक उधार और उस पर ब्याज की उत्पति हुई है। इसी के परिणामस्वरूप, कंपनी द्वारा मूलधन एवं ब्याज के पुनर्भुगतान के प्रति निरंतर चूक हो रही है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार तथा कंपनी के प्रायोजक, दिल्ली पावर कंपनी लिमिटेड से लिए गए ऋणों के लिए 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार मूलधन के प्रति संचित पुनर्भुगतान की चूक शून्य लाख रुपए (31 मार्च, 2020: 26936.00 लाख रुपए) तथा ब्याज (दंडस्वरूप ब्याज सहित) के रूप में 85802.73 लाख रुपए (31 मार्च, 2020: 81429.69 लाख रुपए) है। तथापि, कंपनी द्वारा अपने प्रचालन, कंपनी के प्रायोजकों के समर्थन से किए जा रहे हैं, जिन्होंने वित्तीय वर्ष 2018–19 के अंत तक 66,680 लाख रुपए का ऋण प्रदान किया है। इसके अलावा, ऊर्जा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार द्वारा वर्ष के दौरान इन डिस्कॉम को देय 31128.00 लाख रुपए (31 मार्च, 2020: 29112.00 लाख रुपए) का अनुदान कंपनी को अंतरित किया गया है। अंतरित की गई अनुदान की राशि का निवल 1322.00 लाख रूपए है जिसका वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान टीपीडीडीएल को पुनर्भुगतान किया गया है।

51. दिनांक 20 सितम्बर, 2013 को आयोजित निदेशक मंडल की बैठक में इद्रप्रस्थ पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड का विलय प्रगति पावर कारपोशन लिमिटेड में किए जाने का निर्णय लिया गया था, जिसके लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार द्वारा दिनांक 11 अगस्त, 2014 को अनुमोदन प्रदान कर दिया गया था। तदनुसार, दिनांक 26 सितम्बर, 2014 को एक असाधारण आम बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें शेयरधारकों द्वारा दिनांक 01 अप्रैल, 2014 से विलय की प्रभावी तिथि के साथ समामेलन की योजना को अनुमोदित किया गया था। अधिकांश ऋणदाताओं तथा लेनदारों ने भी समामेलन की योजना का अनुमोदन किया तथा कंपनी द्वारा विलय को प्रभावी किए जाने के उद्देश्य से कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के सम्मुख दिनांक 29 सितंबर 2014 को आवेदन/याचिका प्रस्तुत कर दी गई है।

याचिका की सुनवाई के दौरान, कर्मचारी यूनियनों/संघों द्वारा समामेलन के प्रति आपत्तियां व्यक्त की गई। कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अपने दिनांक 07 अक्तूबर, 2015 के आदेश में यह उल्लेख किया गया कि कंपनी द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदन पर आगे की कार्रवाई किया जाना तभी व्यवहार्य हो सकता है, जब प्रस्तावित योजना के प्रति पक्षकारों तथा भागीदारों के बीच, आवेदक कंपनियों तथा कामगारों की यूनियनों के बीच किसी प्रकार के पारस्परिक संवाद के माध्यम से अथवा इस मामले पर न्यायिक निर्णय के माध्यम से, और अधिक स्पष्टता एवं सहमति स्थापित नहीं हो जाती है। कंपनी द्वारा यूनियनों/संघों द्वारा उठाए गए इस मामले का निपटान अभी किया जाना है।

इन डिस्कॉमों से अतिदेयों की वसूली के लिए कंपनी द्वारा यह मामला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग तथा विद्युत अपीलीय ट्रिब्यूनल के सम्मुख प्रस्तुत किया गया है परन्तु डिस्कॉम ने इन प्राधिकरणों के आदेशों/निदेशों का अनुपालन करने के स्थान पर इन डिस्कॉमों द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सम्मुख भुगतान न किए जाने के कारण बिजली की आपूर्ति को बन्द न करने के संबंध में जैनको तथा कंपनी को निर्देश जारी किए जाने के लिए रिट याचिका दायर की गई है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने दिनांक 26 मार्च, 2014 के अंतरिम आदेश के माध्यम से इन डिस्कॉमों को कंपनी सहित जैनको को 01 मार्च, 2014 से बिलिंग अवधि से संबंधित विद्यमान देयताओं तथा 1 जनवरी, 2014 से पहले की बकाया देयताओं का भुगतान करने के निदेश दिए गए हैं, जिसके लिए दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग को इन डिस्कॉमों की विनियामक परिसंपत्तियों के ऋणशोधन का

निर्णय लेने का आदेश दिया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर इन डिस्कॉमों ने देयताओं का भुगतान नहीं किया है तथा कंपनी ने इसके प्रति अवमानना याचिका दाचिका दायर की है। रिट याचिकाओं तथा सिविल अपीलों पर सुनवाई दिनांक 10 मार्च, 2015 को पूरी हो गई थी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश को सुरक्षित रखा गया था और माननीय न्यायालय द्वारा सिविल अपील और अवमानना याचिका की सुनवाई रिट याचिका का निर्णय जारी करने के पश्चात, करने का निर्णय लिया गया था। तथापि अवमानना याचिका के संबंध में बाद के तीन आवेदनों की सुनवाई माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 12 मई, 2016 को की गई थी तथा न्यायालय ने दोनों डिस्कॉमों को चालू देयताओं के 70 प्रतिशत का भुगतान करने का आदेश दिया है। तथापि, मुख्य रिट याचिका पर निर्णय अभी प्रतीक्षित है। इसके पश्चात, दिनांक 12 मई, 2016 के आदेश का पालन न किए जाने के संबंध में कंपनी द्वारा दिनांक 17 अक्तूबर, 2016 को नई अवमानना याचिका दाखिल की गई है। इसके पश्चात कंपनी ने, सुनवाई को पुनः प्रारंभ करने के लिए, तीसरा अंतरस्थानिय आवेदन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत किया है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित अनुकूल अंतरिम आदेश तथा प्रायोजकों एवं अन्य विनियामक एजेंसियों द्वारा निरंतर प्रदत्त समर्थन को ध्यान में रखते हुए वित्तीय विवरणों का निर्माण प्रचालनों को जारी रखने (गोइंग कंसर्न) के आधार पर किया गया है। इसके अलावा कंपनी इन डिस्कॉमों से वसूली प्राप्त होने के प्रति आश्वस्त है क्योंकि इनमें से 49 प्रतिशत इक्विटी हिस्सेदारी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के पास है तथा तद्नुसार इसे ध्यान में रखते हुए इस स्तर पर संदेहास्पद ऋणों के लिए किसी प्रकार के प्रावधान नहीं किए गए हैं।

दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग द्वारा डिस्कॉमों को जनरेटिंग एवं ट्रांसमिशन कंपनियों के बिलों का भुगतान समय पर करने के निदेश दिए गए हैं, जिससे वर्ष के दौरान संग्रहण में सुधार आया है। इसके परिणामस्वरूप, कंपनी द्वारा वर्ष 2016–17 से 2020–21 के दौरान दिल्ली पावर कंपनी लिमिटेड तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के 88069.87 लाख रुपए के बकाया ऋणों के मूलधन का भुगतान कर दिया गया है।

52. **बिक्री के लिए धारित परिसंपत्तियां**

स्टेशन से लाभार्थी डिस्कॉम ने इस आधार पर 31 मई, 2015 के बाद राजघाट पावर हाउस से ऊर्जा को शडयूल करने से इंकार कर दिया है कि स्टेशन के साथ किया गया बिजली खरीद समझौता अपनी 25 साल का काल पूरा होने के कारण समाप्त हो गया है। तदनुसार डीईआरसी ने केवल मई, 2015 तक स्टेशन के लिए टैरिफ निर्धारित किए हैं। कंपनी ने डीईआरसी के आदेश के खिलाफ अपीलीय विद्युत अधिकरण (एपीटीईएल) में एक याचिका दायर की है और मई, 2017 तक पीपीए के वैध होने का दावा किया है।

दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) के दिनांक 31 दिसंबर, 2015 के आदेश के अनुसार 1 जनवरी, 2016 से राज्य लोड डिस्पैच सेंटर (एसएलडीसी) द्वारा आरपीएच हेतु अनुपलब्धता दी गई थी। डीपीसीसी ने 22 मार्च, 2016 के इसके पत्रांक के तहत निदेश जारी किए हैं कि आरपीएच बंद रहेगा क्योंकि यह 50 एमजी/एनएम3 के मामले में मानकों को पूरा करने में सक्षम नहीं है।

डिस्कॉम ने इस आधार पर जून 2015 से दिसंबर 2015 के दौरान आरपीएच के संबंध में प्रस्तुत बिलों को स्वीकार नहीं किया है कि पीपीए 31 मई, 2015 को समाप्त हो गया है। कंपनी ने वसूली की अनिश्चितता के कारण इस अवधि के लिए ऊर्जा की बिक्री की मद में राजस्व को लेखाबद्ध नहीं किया है। राजघाट पावर हास के संबंध में नेगेटिव शडयूलिंग को ऊर्जा की बिक्री में शामिल किया गया है क्योंकि यह एसएलडीसी द्वारा निर्गत क्षेत्रीय ऊर्जा लेखा का भाग है। हालांकि चालू वर्ष के दौरान, डीईआरसी ने दिनांक 10 दिसंबर, 2019 के अपने आदेश के तहत डिस्कॉम की याचिका के खिलाफ कंपनी के पक्ष में फैसला सुनाया है और इसलिए 9,994.74 लाख रुपये को राजस्व के रूप में माना गया है।

जीएनसीटीडी द्वारा 22 फरवरी, 2016 को आपीएच को बंद करने के लिए समिति का गठन किया गया था, जिसने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। बिजली विभाग, जीएनसीटीडी ने दिनांक 25 जुलाई, 2019 के अपने आदेश द्वारा राजघाट पावर स्टेशन को बंद करने के संबंध में कैबिनेट की मंजूरी की सूचना दी है और संयंत्र के निपटान के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने के लिए आईपीजीसीएल को अधिकृत किया था। इसके अलावा, जीएनसीटीडी के बिजली विभाग ने अपने पत्र के द्वारा स्वच्छ विद्युत के उत्पादन के लिए साइट पर सोलर पार्क की स्थापना और विकास करने की अनुमति प्रदान की है।

निदेशक मंडल ने 21 अगस्त, 2019 की अपनी बैठक में फैसला किया और राजघाट पावर हाउस को बंद करने और निपटान करने को स्वीकृति दी है। बोर्ड ने उपर्युक्त के संबंध में समयबद्ध तरीके से सभी आवश्यक कार्यवाही करने का निदेश दिया है।

31 मार्च, 2020 की सक्रिय चर्चाएं संलिप्तता से यह प्रतीत होता है कि कंपनी का प्रबंधन पावर हाउस की संपत्ति और उपकरण को बेचने के लिए प्रतिबद्ध है और बिक्री के लिए एक कार्यक्रम चल रहा है। कंपनी को आगामी 12 महीनों में नीलामी के माध्यम से संपत्तियों का निपटान होने की उम्मीद है। भारतीय लेखांकन मानक 105 ''बिक्री और निपटान परिचालनों के लिए रखी गई गैर–चालू संपत्तियां'' के अनुसार, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, जो पावर हाउस के भाग हैं, को ''बिक्री के लिए रखी गई गैर–चालू संपत्तियां'' के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इन संपत्तियों का मूल्यांकन उनकी वहन राशि पर किया गया है और इसका वसूली योग्य मूल्य वहन राशि से अधिक रहने की संभावना है। इस तरह के वर्गीकरण के कारण लाभ एवं हानि विवरण में लेखाबद्ध अपसामान्य क्षति/लाभ शून्य है।

निदेशक मंडल के संकल्प के अनुसार नीलामी के माध्यम से की जाएगी जो नियंत्रण कक्ष एवं भवन (सकल ब्लॉक 4.69 करोड़ तथा डब्ल्यूडी 0.47 करोड़) तथा 220/33 केवल स्विचयार्ड (सकल ब्लॉक–5.01 करोड़ तथा डब्ल्यूडीवी 0.50 करोड़) के अलावा होगी जिन्हें दिल्ली ट्रांसकों लिमिटेड को स्थानांतरित किया जाना है।

कंपनी ने दिल्ली उच्च न्यायालय में भूमि एवं विकास कार्यालय (एल एंड डीओ), शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार से 28.86 एकड़ भूमि, जहां राजघाट पावर हाउस स्थापित था, (भूमि का आबंटन एल एंड डीओ द्वारा किया गया था) के संबंध में प्राप्त बेदखली नोटिस (दिसम्बर 2018) के प्रति याचिका दायर की है तथा मामला दिल्ली उच्च न्यायालय में न्यायाधीन है।

कंपनी के पास प्रचालनों के दौरान उत्पादित अस्वीकृत कोयले की मालसूची है जिसे लेखों में दर्ज नहीं किया जा रहा है क्योंकि ऐसे कोयले का मूल्य सामग्रीगत नहीं है। तथापि पिछले कुछ वर्षों के दौरान निपटान नहीं होने के कारण यार्ड में ऐसा कोयल काफी मात्रा में जमा हो गया है, जिसका अभी निर्धारण किया जाना है। इसके निपटान के लिए कदम उठाए गए हैं मगर अभी ये फलीभूत नहीं हो पाए हैं।

कोयला मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 28.07.2020 के अपने पत्रांक द्वारा राजघाट पावर हाएस को निकटतम सीआईएल सहायक कंपनी से कोयले के विशिष्ट ग्रेड को लदान मूल्य पर केन्द्रीय/राज्य की बिजली उत्पादन कंपनियों को बेचने के लिए अधिकृत किया है, अतः निकटतम सीआईएल सहायक कंपनी से लदान मूल्य पर मूल्यांकित कोयला, लागत से अधिक है।

53. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अनुसार प्रकटीकरण

रुपए लाख में

समूह में इकाई का नाम	निवल परिसम्पतियां अर्थात निम्नलिखित स्थिति के अनुसार कुल परिसम्पतियां घटा देयताएं		वर्ष के अंत में लाभ अथवा हानि में अंशभाग		वर्ष के अंत में अन्य व्यापक आय में अंशभाग		वर्ष के अंत में कुल व्यापक आय में अंशभाग	
	समेकित परिसम्पतियों के प्रतिशत के रूप में	राशि	समेकित लाभ अथवा हानि के प्रतिशत के रूप में	राशि	समेकित अन्य व्यापक आय के प्रतिशत के रूप में	राशि	समेकित कुल व्यापक आय के प्रतिशत के रूप में	राशि
31 मार्च, 2021 की स्थिति								
इन्द्रप्रस्थ पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड	32.32%	74,442.07	-34.22%	(4,851.10)	102.26%	(126.50)	-35.42%	(4,977.60)
अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	67.68%	155,858.80	134.22%	19,027.73	-2.26%	2.79	135.42%	19,030.52
योग	**100.00%**	**230300.87**	**100.00%**	**14,176.63**	**100.00%**	**-123.71**	**100.00%**	**14,052.92**
31 मार्च, 2020 की स्थिति								
इन्द्रप्रस्थ पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड	28.63%	61,919.67	44.20%	11,751.51	156.62%	(22.29)	44.14%	11,729.22
अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	71.37%	154,328.28	55.80%	14,835.18	-56.62%	8.06	55.86%	14,843.24
योग	**100.00%**	**216,247.95**	**100.00%**	**26,586.69**	**100.00%**	**(14.23)**	**100.00%**	**26,572.46**

अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की एक सम्बद्ध कंपनी है। इक्विटी विधि के उपयोग से निवेश समेकित किए जाते हैं।

54. भारतीय लेखांकन मानक 112 'अन्य कंपनियों में हित का प्रकटन' के अनुसार प्रकटीकरण

(i) संबद्ध कंपनियों में हित

31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार, कंपनी की संबद्ध कंपनी का विवरण नीचे दिया गया है, जो निदेशकों के मतानुसार महत्वपूर्ण है। कंपनी की शेयर पूंजी में केवल इक्विटी शेयर शामिल हैं जो निदेशकों के पास हैं और महत्वपूर्ण हैं। निगमन और पंजीकरण का देश भारत है, जो कारोबार का मुख्य स्थान भी है, और स्वामित्व हित का अनुपात धारित वोटिंग अधिकारों के समान है।

रुपए लाख में

विवरण	31.03.2021 को स्थिति	31.03.2020 को स्थिति
अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड		
समूह द्वारा धारित स्वामित्व का प्रतिशत	25.00%	25.00%
वहन राशि	155,858.79	154,328.28
लेखांकन विधि	इक्विटी विधि	इक्विटी विधि

* अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड एक गैर सूचीबद्ध इकाई है इसलिए, इसके उद्धृत मूल्य उपलब्ध नहीं है।

अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड मुख्यतः ऊर्जा उत्पति, ट्रांसमिशन तथा राज्य ऊर्जा उपयोज्यताओं को थोक पावर बिक्री के कार्य करती है। अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के निवेश करार के अंतर्गत इसका प्रबंधन अन्य निवेशक के पास है, अतः इसे संबद्ध इकाई माना गया है।

संबद्ध कंपनी से प्राप्त लाभांश	17,500.00	7,341.32

(ii) संबद्ध कंपनी से संबंधित संक्षिप्त वित्तीय सूचना

नीचे दी गई तालिका में इकाई से संबंधित संक्षिप्त वित्तीय सूचना दी गई है। प्रस्तुत सूचना में सहभागिता के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों की राशियां दर्शाई गई हैं तथा इन राशियों में कंपनी का अंशभाग नहीं दर्शाया गया हैं।

संक्षेपित तुलन पत्र रुपए लाख में

विवरण	31.03.2021 को स्थिति	31.03.2020 को स्थिति
चालू परिसंपतियां	378,155.25	371,583.36
विनियामक आस्थगित लेखा डेबिट शेष	6,553.22	573.89
गैर चालू परिसंपतियां	677,785.76	654,145.49
चालू देयताएं	123,790.17	80,061.85
विनियामक आस्थगित लेखा क्रेडिट शेष	34,461.55	28,540.74
गैर चालू देयताएं	280,807.36	300,387.03
निवल परिसंपतियां	623,435.15	617,313.12

वहन राशि का समाशोधन रुपए लाख में

विवरण	31.03.2021 को स्थिति	31.03.2020 को स्थिति
निवल परिसम्पतियों का प्रारंभ शेष	**617,313.12**	**587,305.44**
वर्ष के दौरान लाभ/(हानि)	72677.54	61,967.14
वर्ष के दौरान अन्य विस्तृत आय	11.15	32.35
फ्लाई एश उपयोग रिजर्व	3433.35	3,409.57
जारी किए गए शेयर	-	-
अंतरिम लाभांश का भुगतान	(70,000.00)	(29,365.26)
अंतरिम लाभांश पर कर	-	(6,036.12)
निवल परिसंपति अंतशेष	**623,435.16**	**617,313.12**
समूह अंशभाग का प्रतिशत	25.00%	25.00%
भारतीय रुपए में समूह अंशभाग	155,858.79	154,328.28
वहन राशि	155,858.79	154,328.28

लाभ एवं हानि का संक्षिप्त विवरण रुपए लाख में

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए
राजस्व (अन्य आय सहित)	308,277.24	332,807.26
अनवरत प्रचालनों से लाभ	72677.54	61,967.14
बाधित प्रचालनों से कर उपरांत लाभ/हानि	-	-
अन्य विस्तृत आय	11.15	32.35
कुल विस्तृत आय	**72,688.69**	**61,999.49**

55. भारतीय लेखांकन मानक 114, 'विनियामक आस्थगित लेखा' के अनुसार प्रकटीकरण

(i) दर विनियमित कार्यकलापों की प्रकृति

कंपनी मुख्यतः बिजली उत्पादन और बिक्री के कार्य करती है। उपभोक्ताओं को बेची गई बिजली के लिए कंपनी द्वारा लिए जाने वाले वाले प्रभार का निर्धारण, दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग करता है जिसने बिजली की बिक्री के प्रयोजनार्थ प्रशुल्क निर्धारण के लिए सिद्धांत और विधि पर व्यापक दिशानिर्देश जारी किए हैं।

ये प्रशुल्क, नियत रिटर्न के साथ स्वीकार्य लागत जैसे ब्याज, मूल्यह्रास, प्रचालन व अनुरक्षण व्यय आदि पर आधारित होता है। इस प्रकार के दर विनियमन को सेवा–लागत विनियम के रूप में जाना जाता है जिसमें कंपनी को माल या सेवा प्रदान करने की लागत और उस पर उचित रिटर्न वसूलने की अनुमति है।

कंपनी, भारतीय लेखांकन मानक 114, 'विनियामक आस्थगित लेखा' को लागू करने की पात्र है। मानक के अंतर्गत कंपनी को अपने विनियामक आस्थगित लेखा बकायों के लिए पूर्ववर्ती जीएएपी लेखांकन नीति जारी रखने की अनुमति है। इसलिए, कंपनी ने ऐसे बकायों के लिए पूर्ववर्ती जीएएपी लेखांकन नीति को अपनाया है।

(ii) **स्वीकृति एवं मापन**

डीईआरसी विनियमों में, सृजित आय पर वर्ष के दौरान अदा किए गए वास्तविक कर के आधार पर वित्त वर्ष के लिए प्रभावी कर दर पर इक्विटी पर रिटर्न का सकल करने की व्यवस्था है। कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणों ('आस्थगित कर देयता के लिए आस्थगित परिसंपत्ति' के रूप में निर्दिष्ट) में उपर्युक्त आस्थगित कर देयताओं (निवल) पर आस्थगित परिसंपत्ति को स्वीकृति प्रदान की है। 01 अप्रैल, 2014 से शुरु हुई अवधि के लिए आस्थगित कर देयता के लिए आस्थगित परिसंपत्ति को भावी वर्षों में रिवर्स कर दिया जाएगा जब संबंधित आस्थगित कर देयता, चालू कर का भाग बन जाएगी।

कंपनी, नोट संख्या 20 के तहत, आस्थगित कर देयताओं (निवल) के हिस्से के रूप में, ऐसी आस्थगित कर देयता के लिए आस्थगित परिसंपत्ति को स्वीकृति प्रदान कर रही है। वर्ष के दौरान, भारत के सनदी लेखाकार संस्थान की विशेषज्ञ परामर्शी समिति (ईएसी) की राय के अनुरूप, इसे विनियामक आस्थगित लेखा डेबिट शेष के रूप में इसे पुनर्वर्गीकृत किया है।

तद्नुसार, 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष को शून्य लाख रुपये (31 मार्च, 2020: शून्य लाख रुपये का डेबिट बकाया) को 'विनियामक आस्थगित लेखा डेबिट शेष' के रूप में खाते में लिया गया है।

(iii) दर विनियमित परिसंपत्तियों की भावी वसूली से जुड़े जोखिम:

विनियमों में परिवर्तन के कारण विनियामक जोखिम एवं दर निर्धारण की उपयोज्यता की प्रस्तुति अथवा अनुमोदन जोखिम अथवा संभावित विनियामक कार्रवाईयों के संबंध में इकाईयों के मूल्यांकन से संबंधित जोखिम।

(iv) **वहन राशियों का समाशोधन:**

क) भावी अवधियों में लाभग्राहियों से/को अदा की जाने वाली विनियामक परिसंपत्ति/देयताओं को बही में स्वीकृति दी गई है, जो निम्नानुसार हैं :

रुपए लाख में

	विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
	प्रारंभिक शेष	-	-
	वर्ष के दौरान संवर्धन	-	-
	वर्ष के दौरान संग्रहीत/धनवापसी की राशि	-	-
	लाभ व हानि विवरण में स्वीकृत विनियामक आय/(व्यय)	-	-
	अन्य विस्तृत आय विवरण में स्वीकृत विनियामक आय/(व्यय)	-	-
	अंत शेष	-	-
ख)	विनियामक आस्थगित लेखा शेषों में निवल संचलन (1)	-	-
ग)	विनियामक आस्थगित लेखा शेषों में निवल संचलन पर कर (2)	-	-
घ)	वर्ष के दौरान लाभ व हानि विवरण में लेखाबद्ध योग राशि (1–2)	-	-

56. रोजगार के दौरान तथा सेवा समाप्ति के पश्चात कर्मचारियों के लाभों से संबंधित सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 ('संहिता') के लिए सितम्बर, 2020 में राष्ट्रपति अनुमोदन प्राप्त हो गया है। इस संहिता का प्रकाशन भारत के राजपत्र में किया जा चुका है। तथापि, इस संहिता के प्रवर्तन की तिथि की अधिसूचना अभी जारी नहीं हुई है। समूह द्वारा इस संहित के प्रवर्तन के पश्चात इस संहिता के प्रभावी होने से उत्पन्न होने वाली स्थिति का मूल्यांकन किया जाएगा।

57. **कोविड–19 महामारी का प्रकोप**

भारत सहित पूरी दुनिया में कोविड–19 महामारी के प्रकोप को देखते हुए कंपनी ने अपने व्यवसाय पर इसके संभावित प्रतिकूल प्रभावों एवं इससे जुड़े जोखिमों का प्रारंभिक मूल्यांकन किया है। कंपनी का मुख्य व्यवसाय बिजली का उत्पादन और बिक्री है, जो विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के अनुसार एक

अनिवार्य सेवा के अंतर्गत आती है। विभिन्न सुरक्षात्मक कदम उठाकर और अपने सभी हितधारकों की सुरक्षा के दृष्टिगत, कंपनी ने विद्युत उत्पादन के लिए अपनी विद्युत संयंत्रों की उपलब्धता सुनिश्चित की है और लॉकडाउन के दौरान विद्युत आपूर्ति को बाधित होने नहीं दिया है।

कंपनी का मानना है कि कोविड–19 की महामारी का प्रभाव अल्प समय तक रहेगा और इसका प्रभाव गोइंग कंसर्न के रूप में प्रचालन को जारी रखने की कंपनी क्षमता और इसकी देय देयताओं को पूरा करने की योग्यता पर नहीं पड़ेगा और इसमें कोई दीर्घकालिक और मध्यकालिक जोखिम नहीं होंगे। कोविड–19 की अनिश्चितता को देखते हुए इसके प्रभाव का निरंतर आकलन किया जा रहा है। कंपनी भावी आर्थिक दशाओं में किसी महत्वपूर्ण बदलाव पर निरंतर निगरानी बनाए रखेगी।

58. नई लेखांकन उद्घोषणाएं

कार्पोरेट कार्य मंत्रालय मौजूदा मानकों के लिए नए मानक और संशोधन अधिसूचित किए जाते है। रिपोर्टिंग अवधि को अथवा इसकी समाप्ति से ऐसी कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है जो 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी हो।

हमारी संलग्न समसंख्यक दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार

कृते एएजेवी एंड एसोसिएट
सनदी लेखाकार

ह0/–
जितेन्द्र जिन्दल
साझेदार
सदस्यता संख्याः 093642
फर्म पंजीकरण संख्याः 007739एन
यूडीआईएनः 23093642BGXWSM1032

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

ह0/–	ह0/–	ह0/–
प्रशांत व्यास	**मुकेश कुमार शर्मा**	**अजीमुल हक**
वरिष्ठ प्रबंधक (वित्त) एवं मुख्य वित्त अधिकारी	निदेशक (तकनीकी)	प्रबंध निदेशक
	डीआईएन – 08572379	डीआईएन – 03578730

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 14 जनवरी, 2023

इन्द्रप्रस्थ पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड

(राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का उपक्रम)

पंजीकृत कार्यालय : "हिमाद्रि", राजघाट पावर हाउस काम्पलैक्स, नई दिल्ली-110002

कॉर्पोरेट आईडेंडिटी नंबर (सीआईएन) - यू40103डीएल2001एसजीएस111530

टेलीफैक्स नंबर : 011-23273565, बेवसाइट : www.ipgcl-ppcl.gov.in